

**DUE DATE SLIP**

**GOVT COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

**Students can retain library books only for two weeks at the most**

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिया है। इसी कारण उनम जानिमत सर्वोच्चता का अट्कार जागा और यही अट्कार उह काफी महान् पड़ा और 1945 मे उह मारी पराजय का सामना करना पड़ा।

जमनी के इतिहास म दूनरी महत्वपूर्ण घटना तृनाय शतानी के मध्य घटी। वह समय जमनी के विविध कबीरा ने निनम योथ बनार वर्गेण्यन नाम्नान् विसीगोय-प्रमुख है महान् प्रागाण या प्राच्यान् (Voelker wanderungen) आरम्भ किया। अपन मूल प्राये से व मुत्यतया नशिए पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। कुछ नागा न पूर्व की ओर भी प्रस्थान किया। जमन कबीरा का यह महा प्रस्थान रोमन साम्राज्य को महान् पड़ा और य बदील रोमन साम्राज्य के सीमाता का दरवाजा लटकाने लगे। उही वर्षों म जनन चीला के नताशा ने बीरना और साहस के काय किए जिससे जमन महाकाव्य या का जाम हुआ। इन महाकाव्यों म विपोवाक (Beowulf) तथा फाल सुग सागा (Volusungsaga) तथा काउ आफ दी नीबुलु यन (Fall of the Nieblungen) नामक महाकाव्य प्रसुत हैं।

500 इस्वा सन् के आने प्रान राम के साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बवर नागा (बवर लाग व त्रोग माने जात थ जा गर-रामन थे) के आनन्दमणि स जनरित हो गया और उनक घटनावाया पर नय राज्यो का उदय हुआ। इन राज्यों म कैविय ताम्राज्य प्रसुत था। प्रक्षिण क अन्तर्गत जमन त्रोगा के दो वश-मेरोविजयन वश तथा बरोनिगियम वश-आन हैं। इन दो वशों न 481 ईस्वी म लक्ष्म 987 ईस्वी तक राज्य किया। 481 म बनाविम I के के त्रोगा का राजा बना। 500 ई म जमन दसार्थ घम स्वीकार किया परिगामत पश्चिमी क्षेत्र क इसके घनुयायियों न भी दसार्थ घम स्वाकार कर लिया। लक्ष्म पूर्व की जनता ने काफी देर बाद उगमन सातवा व आठवा नानी म इमार घम को अपनाया वह भी काफी जोर जबरन्स्ती क बार। बनाविम I क शासन क 100 वष बाद मराविजयन वश का पतन आरम्भ हुआ और सी वष बाट उसका स्थान छोट छार समनो व राजाश्वाल ल लिया। आठवीं शताब्दी क मध्य म बरालिगियन वश का शासन पवित्र (Pepin the Short) गढ़ी पर बना। इसन 741 स 768 ईस्वी तक शासन किया। इस समय इटली म स्टाप्तन II (752-757) पोप क पर विद्यमान था। उसन नवीन शासक का नामी समयन किया क्योंकि स्वयं पोप का उस शासक से मर्द की आवश्यकता थी।

पित्र का एष्ठ पुत्र चाम महान् (प्रामिता भाषा म उमे जानमन तथा जमन भाषा म बान छर प्राप्त कहा जाता है) तीन वष भ्रपन भार्या क साथ समुक्त हप से राज्य करता रहा और 771 म इसन मम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार जमा लिया तथा 814 तक (भ्रपनी मृत्यु पर्यन) शासन करता रहा। उसका साम्राज्य भ्रायधिक दिनान था और मध्य दास तक यूरोप क किसी भी एक शासक न उन विस्तृत भ्र

# पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन

नम्रता

डा० देवनारायण आसापा



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
जयपुर

महत्व है। उहा राजनीतिक दृष्टि से नमनी म समाट व क्षेत्राधिकारिया म भारी सघण चल रहा था वहा मामाय जनता पार्श्विया के विलासिता मध्य जापन और चार व पालण्ड उस तम आ चुकी था। उहों एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो पार्श्विया के अत्याचार व जागरा से उहों मुक्ति दिना सके। माटिन नूयर मुक्तिदाता के रूप में सामन आया। नूयर का जन्म 1483 म आइज़नेवेन नामक नामर म हुआ। उसका पिता कृष्ण कापला ज्ञाना वा मालिक था और एक समृद्ध परिवार म जन्म नन के कारण नूयर का उत्कृष्ट जिना प्राप्त करने की सुविधाए मिला। 1501 म उसन एरफुट विज्विद्यालय म प्रवास किया। चार बय बाट और 22 बय की उम्र म उसन विज्विद्यालय की विद्या प्राप्त की। उसी बय उसक जीवन म एवं भावन परिवर्तन आया। कृष्ण वर्षों से वह धार्मिक प्रश्ना पर विचार कर रहा था। उसी बीच उसक एक दिन वीर मृत्यु हो गई और वह नाब विहृत हा रठा।

1505 म उसन एरफुट के रैमान मठ म प्रवास किया तथा दो वर्षों बाद वह पादरी बना। उसन उमक बाबजूद उस आत्मिक शान्ति नहा मिली। 1508 म वृष्णि विटनबग नगर म दशनशास्त्र का प्राप्तमर बना। उस द्वारे स नगर म वह अत्यधिक नोवेंप्रिय प्राध्यापक व उपचारक बन दठा। 1510 म नूयर को रोम भेजा गया। वहा उसने निकट स पाप व उमक पादरीबग का द्वारा तथा उनम प्राप्त भ्रष्टाचार और पालण्ड के कारण उमकी आत्मा बिनाह कर दठी। पाप द्वारा जनता म वित रित क्षमा-पत्र (पापा के निए) को उसन कभी पस्त नही किया। रोम से लौटने पर उसका यह विचार और मा द्वारा हाया। विद्यति इस्कर वा अनुकृत्या स मुक्ति प्राप्त करता है न कि उमक भूमि पर उपस्थित प्रतिविधि की हुए स। पहाँ तक कि पाप के क्षमा-पत्र स भा नही। क्षमा पत्र बिनरण का यह धार्थार या कि इसने उसका पुण्य सचित किया या कि वह उमक अनुयायियों के काम आ सके। वह पुण्य चरण के पास मुरिन्त है आर पान्ना व पाप क्षमा-पत्र के रूप म वह पुण्य क्षमा-पत्र नहा को न सहत है। 1516 म जननी म नय क्षमा-पत्र वित के निए माय। तत्वारीत पाप निया। दशम का राम स्थित सर्व पीत्र व चरण के पुनर्निर्माण के लिए उसन वा आवश्यकता थी। उसक निए घन उगाचन के लिए क्षमा-पत्र भेज गय।

जननी भ पोप का प्राननिधि ट्रिब्युन क्षमा पत्र बच रहा था। उसक यात्रिय सूधर का यह पालण्ड सहन नहा इस्त्रा और उसन उमका धोर विरोध किया। 1517 म विभन्न दशम के प्रमुख गिरजाधार व बाहर नूयर नाया प्रतियानिन् 95 मिद्दान छिपा। याद गय। उसन मिद्दाना का प्रतिपादन बारन के लिए उसन कई उद्धरणा का लिन मापा म जनन नामर म अनुकृति किया था। शीघ्र ही य तक जनता क मा म पर कर गय।

लिंग भावनावाली वज्र पा नारसु नथा मामाय जनता क तर वग न विभन्न दशम क नय पान्नी नूयर का पत्र निया। रमात्रिक पार्श्विया न नूयर क रम

पिंडा वेदा समाज-कल्यान मंत्रालय भारत निकाय के अधिकारियों द्वारा दिवाली तिथि पर निमाण यात्रा के बनावट एवं उत्तराधि द्वारा प्रशासित

©

प्रथम संस्करण 1978

Pashchimi Germany Ki Rajneeti Aavem Prasa hana

भारत सरकार द्वारा दिवाली का एवं ए  
दूसरा कराण गए कालजे के निमित्त।

मूल्य 15.00

④ सर्वाधिकार प्रबालक व अधिकार

प्रकाशक  
ग्रन्थालय है ता या - अवार्दमा  
०-२६/२ विद्यारथ माल निमक नगर  
जयपुर-३०२ ००४

मूल्य

कृत्तिमाल प्रिंटिंग और प्र

चाहता था। इस पर ब्राइनबग व पेलेटोट के शासक न समुत्तर स्पष्ट स उस राय पर कृजा कर दिया। इस पर जमन सम्मान रॉडोल्फ़ ड्विताय ने शीत्रता म बदल दिया। प्रोटस्टेट लोग न सबाय हॉलेन्ड व इत्तल्लड तथा फ्रांस से सहायता मारी। सहायता मिल भी गई। इस पर जमन सम्मान ने वह क्षेत्र सकसनी के ड्यूक को प्रलाप किया। सुकिन शीघ्र ही ब्राइनबग तथा पलेटोनट के शासक न पुन उस क्षेत्र पर कृजा कर दिया।

जमन हाप्सवग वज्ञ के सम्मान तथा जमनी के प्रोटस्टेट ड्यूकों के मध्य सघय ने शीघ्र ही अन्नराष्ट्रीय सघय का स्वयं धारण कर दिया। पुढ़ म लगभग सभी मूरोपीय देशों ने भाग निया और यह 1618 स 1648 तक चला। बीच-नीचे में बुद्ध समय शाति रही। युद्ध को चार चरणों म विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में बोहेमिया ने जमन सम्मान के विरुद्ध सघय किया दूसरे चरण म पहले चरण में बोहेमिया ने जमन सम्मान के विरुद्ध सघय किया दूसरे चरण म फ्रांस न। इमलैंड न कभी डनमाक ने तीसरे चरण म स्वीडन ने तथा चौथे चरण म फ्रांस न। इमलैंड न कभी एक राज्य का साथ दिया तो कभी दूसरे का। स्वाधन हानड व इगलण्ड प्रोटस्टेट राज्य थ।

पुढ़ के तीस वर्ष बाक ने सघिया हुई देश मूरमटर का सधि तथा ओस्नार की सधि। दानो सघिया वेस्टफालिया की सधि के नाम स जाती जाती है। इस सधि के दूरगमी परिणाम हुए। धार्मिक विवाद मद पड़ यह लक्षित जमन लाप्प्राय को भारी क्षति पहुँची। बुद्ध इतिहासकारों का प्रनुभान है कि तीस वर्षों पर युद्ध म जमनी की आधी उनसार्या समाप्त हो गई। कइ इतिहासकार उन सहस्रों युद्ध की समाप्ति की बात कहते हैं। दण को अय यवस्था दिन मिन्ह हा मई और की बात कहते हैं। दण को अय यवस्था दिन मिन्ह हा मई और जमनी म जनताक के तिद्वानों को भारी घबरा रगा। सामत तथा ड्यूक तो उन पुन जमनी म जनताक के तिद्वानों को भारी घबरा रगा। सामत तथा ड्यूक तो उन शक्तिशाली बनते लगे। वेस्टफालिया की सधि के बाक जमनी 300 स अधिक रायों म बट गया। इसके प्रणाला सम्मान के अन्तर 1400 छोटी-छोटी म बट गया। इसके प्रणाला सम्मान के अन्तर 1400 छोटी-छोटी म बट गया। बुद्ध राय तो इतन छोट थ कि यह बहु जाता है कि उसक क्षेत्रीय इकाईया थी। बुद्ध राय तो इतन छोट थ कि यह बहु जाता है कि उसक शासक जब घमन जाता था तो आही दूर जान पर उसे ध्या रखता फहता था कि वहां कह अपन सम्मान का द्वारकर अय राय की भीमा म प्रवेश न कर दिया हो।

### ब्राइनबग-प्रसा राज्य का उदय

17 वी व 18 वा शताब्दी म जमनी के इतिहास म एवं नवीन इतिहासी राय का उदय हुआ यह था ब्राइनबग प्रांग का राय। 1618 स 1660 तक यह एवं राय का उदय हुआ यह था ब्राइनबग प्रांग का राय। 1660 म दाना राय एवं हाय नया नाम प्राप्त राय थ। 1660 म दाना राय एवं हाय नया नाम का नाम प्राप्त राय थ। 1660 म दाना राय एवं हाय नया नाम का नाम प्राप्त राय थ। द्वी प्रांग न धाग जाकर जमनी म प्राप्तिया के मामान व नट्टय का चुनौती दो तथा जमनी के एकीकरण के मध्य बी पूरा किया।

फ्रासिसो क्राति तथा नयोलियन और जमन राज्य

1789 म परिस दो जमता ने प्रामिसी नानि का गूत्रपात दिया तथा स्वतंत्रता समानता और बुद्ध व घट्ट सामन रग। बर्सत बुद्धीविद्यों ने इस

## प्रावक्तव्य

हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए यह प्रावक्तव्य है कि इस भाषा में विश्व के विविध देशों के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। ऐसी उद्देश्य से प्रतिरिहावर परिचयी जमनी की राजनीति एवं प्रशासन नामक पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। अपने शास्त्रकाथ के मिलसिन में नवक का इन दिव परिचयी जमनी में रहने का अवसर मिला उमा नौरान इस पुस्तक के लिए अधिकाश सामग्री एकत्रित की गई। हिन्दी भाषा में परिचयी जमना का शास्त्र विद्वन पर यह पहली पुस्तक है। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दी ग्राम्य अकादमा की पहल विद्वन में उसके प्रति आभारी हूँ।

इविधो एवं दाशनिका का दशा जमनी भारतीय जनता के लिए एक सूपरिचित राष्ट्र है। लेकिन दोनों दशाएँ का परिचय सास्कृतिक पक्ष की हृषि में हो अधिक रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक हृषि से यह सम्पर्क नहीं हो रहा है। आज दूसरे जमना विद्वन के प्रमुख आद्यामिक गण्ठों में से एक है सिफ अमरिका ही आंग्रेजिक अमेरिका से जमना में कुछ आग है। भारत का आनन्दायिक विकास के लिए न कठन जमन पूरी जमन का जठरन है वरन् उसमें भी अधिक उसक तकनीकी जान का आवश्यकता है। दिन 20-22 वर्षों में जमना न भारत के आंग्रेजिक विकास में किए नहीं दिया जायेगा है जिसमें भारत का सभी लाभार्थी हुआ है।

दूसरे जमनी के आर्थिक पक्ष और उसकी नवती से तो भारतीय जनता परिचित है नविन अमेरिका राजनीतिक में योग्या उपायन-पद्धति के सम्बन्ध में हमारा जान का भी मानित है। लेकिन न यह कमा के प्रा-राजनीतिक विद्वान की जिम्मा में एक प्राप्ति किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में जमनी का भारतीय परिचय एवं अमेरिका के जन नाचिक भावना का विकास बताना मिलियन (जिस वर्षक लोकों का नाम में पुकारा जाना है) राजनीतिक मध्याधा प्रशासन तथा प्रमुख राजनीतिक लोकों की जिन्हें किया गया है। दूसरे जमना का विद्वान भावना का मिलियन पक्ष भी यह मिमिकित किया गया है। परिचय में बिल्कुल ना (मिलियन) का जिम्मा भरनुवार द्वारा भारतीय किया गया है। भारतीय जान गया है।

समझौता मांग करने का धारों लाया। नाना दगा न कीजी तपारिया आरम्भ की। 1<sup>4</sup> जून 1866 को युद्ध आरम्भ हो गया। सिफ वान्मार में तनबुग तथा कुद्द द्वाटे अर्थ जम नरायों ने युद्ध में प्रशा का साथ दिया। 20 जून के प्रातिम को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा तभी विद्युत अपनी पुरी वारत के माथ प्रशा का मुकाबला न बर सका। उधर प्रशा की सेना ने एक के बाद एक स्थानों पर आस्ट्रिया के विश्वद्युद्ध द्वेष दिया। यद्यपि इटली को जब सेना पराजित हुई किर मी विम्माक का यह उद्दय पूरा हो गया आस्ट्रिया परामर्श हुम्हा और 3 जून ई 1866 में सावा के युद्ध में आस्ट्रिया की पराजय ॥ १

बाद में प्रशा की सेना ने आस्ट्रिया और हपरी की ओर प्रस्थान किया। 26 जूनाई को युद्ध सुमात्र हो गया। उत्तिहास में यह युद्ध सात मनाह का युद्ध बहलाना है। एक माह बाद प्राप्त ही सचिव हई और आस्ट्रिया ने जमन उत्तिहास ने निवलना स्वीकार दिया तथा प्रशा को कुद्द युद्ध हजाना देना स्वीकार दिया। इतना ही नहा आस्ट्रिया ने इटला का विनिशिया का प्रदेश मी देना स्वीकार दिया। प्राप्त की सचिव के अनुमार प्रशा का "लपविग हाल्सटार्न हनोवर विसाऊ हेस तथा फ्रांकफुट नगर मी अपन गण्य में मिलान तथा मन नदी के उत्तर में स्थित राज्य को एक नवीन संघ में पुनर्गठित करन का अधिकार मी दिया गया। विस्मार्क ने 22 जमन राज्य के उत्तर जमन पारस्पर वा निर्माण किया। इस प्रकार जमनी के एकीकरण का एक और कदम पूरा हुआ। लक्ष्मि दमिल जमनी के राज्य अभी भी स्वतंत्र थे तथा उन्हें फ्रास का नमयन प्राप्त था। इन जमन राज्यों की कमर ताड़ने के लिए फ्रास का परामर्श करना जरूरी था। गोध ही फ्रास ने एक बाद एवं मार्ग प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया।

ग्रगस्त 1866 में नपोलियन ने राजदूतपंड में प्रदेश वा मांग की। उक्त विस्मार्क ने उसे छब्द दिया। नपोलियन न अब अथ क्षेत्र पर नजर ढासी। अगस्त के अन्त में प्रशा स्थित फ्रास व राजदूत बनेन्ती ने विस्मार्क में बहा कि यह प्राप्त द्वारा विजयम व लुक्जम्बुग पर कान्चन करने पर विस्मार्क विरोध न बरता नेपोलियन समलै जमनी व एकीकरण की स्वीकृति दे देगा। विस्मार्क न सारा बात निवित रूप में देने को बहा और जाय नी यह भी बहा कि तुक्केम्बुग जमन परिमध का सदाय है। अतः जमनत विरोध बर मरता है। तुक्केम्बुग वे प्रदेश पर 1867 तक तनाव चना। बाद में उक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेजन न उरा एवं इनका प्राप्त हक्की बना दिया।

सितंबर 1868 में प्रशा व फ्रास के द्वीप तनाव का एक अन्य मामला आया। फ्रास और बह या स्पन के सिहामन के उत्तराधिकार का मामला। 1868 में स्पन की जमना ने अपनी महारानी अमादेना निरीय के विश्वद्विनोह बर उम स्पन से ॥ २॥ दिया। 1869 में स्पन का अस्तरीय मरकार न दूरीनाय राज्युमारा में ग दिया। अक्तिकी भी अपना रासक बनाने वा प्रयाम किया। जमनी के हाटनसामन निरा-

( ॥ )

जहाँ तक सभव हो सका है पुस्तक को सरल सरम व वाधपम्य भाषा म  
प्रस्तुत करन का प्रयास किया गया हे । आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों एव सामान्य  
पाठकों के लिए उपादेय व हचिकर सिद्ध हाणी । पुस्तक का अधिक उपयोग बनान  
के लिए विद्वानों की सम्मति एव समालोचना का स्वागत है ।

—देवनारायण आसापा

इतिहास विभाग  
जोधपुर विश्वविद्यालय  
जोधपुर

14 जुलाई 1945 को चार जमन राजनीतिक द्वारा द्वारा निर्माण हुए जिनके नाम यह प्रकार हैं —

- (1) सामाजिक पार्टी
- (2) माम्पवारी द्वा
- (3) निश्चयन डमारिटिक यूनियन तथा
- (4) निवरन पार्टी या उनार द्वा ।

इन राजनीतिक द्वारा न फार्मिट विरागी जनतानिक व्यवस्था को न्यापना वर जमन गण्य की मुख्या करने की घावागा की । अमरिका द्वारा अधिकृत जमन प्रणा म प्रवर्गी 1946 में भारी भूर धर पर राजनीतिक द्वारा वा काय करने का अनुभवि शा गर्द उसके फरवर्षप उपरित्तिक चार राजनीतिक द्वारा न अपनी गतिविधियां आरम्भ का । ब्रिटेन तथा प्राम न अपने अपने प्रश्नों म निस्मवर 1945 म राजनीतिक द्वारा न निर्माण का अनुभवि दा । यह प्रकार यमस्त जमन प्रेस भ आरम्भ में चार राजनीतिक द्वारा न काय आरम्भ किया वाल म आय द्वारा न की न्यापना हुई । यह उल्लंघनीय है कि इन चार जमन राजनीतिक द्वारा को चार राष्ट्रों का समयन व आगावान प्राप्त था । रूम न जमन साम्पवारी दल को समयन प्रदान किया अमरिका न निश्चयन डमारिटिक यूनियन तथा निवरन पार्टी को ब्रिटेन ने साथ नेमोविटिक पार्टी के साथ सहयोग किया तो प्रास ने निवरन पार्टी को आगीदान प्राप्त किया ।

### डिक्षेत्रीय ढाचे का निर्माण

यद्यपि जमनी चार भागों म विभाजित था फिर भी पोटसहम-सम्मिलन ने प्रायिक इटि से चारा क्षेत्रों का एक आयिक इकाई मानने की व्यवस्था की थी । लेकिन जीव्र हा सायित सध न अन जमन प्रेस म बटोर नियत्रण स्थापित करने का प्रयास किया । उमक प्रत्युमनर म अमरिका तथा ब्रिटेन न अपन अधिकृत क्षेत्रों की आपस म भिलान की घापणा की और इन प्रकार 1947 क आरम्भ म निम्नोनीय नाच का निर्माण हुआ । प्राम अमा भी स्वतन्त्र रूप से अपने ऐत्र धर प्राप्तमन कर रहा था उकिन अपन दश क पुनर्निर्माण व तिए उम अमरिका महादता की आव अपक्ता थी उपर शानयुद भा आरम्भ न गया था और अपन दश की मुख्या के तिए भा परिय का वातियरन का आर दन्वना दहा । एमो स्थिति म प्राम न अमरिका वा वह प्रस्ताव स्वाक्षर कर लिया कि अमरिका ब्रिटेन व प्राम व प्रेसा को भिजाकर एक धर निया जाए । यह प्रकार त्रि भारीय ढाच का निर्माण हुआ ।

जसा कि पहन टी सबत निया जा चुका है 20 मार्च 1948 में यह ने मित्र राष्ट्र नियत्रण आयोग म अपनी सम्पत्ता वापस ले नी थी भन यह सच्छ हा गया

## विषय-सूची

1 जमनी भौगोलिक व ऐतिहासिक परिचय	1
2 जनतात्त्रिक परम्परा	29
3 बेसिक ला का जाम और विकास	48
4 राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएं	77
5 मन्त्रिमण्डन व चासलर का पद	91
6 मध्यीय समद्	113
7 शब्दान्तरिका	139
8 राजनीतिक दल	156
9 विदेश नीति	199
10 अनुनव (पोस्ट स्ट्रिप)	228
11 वेसिक ला का हिंदी अनुवा	231
12 सादभ ग्राथ-सूची	313

संविधान निमोनी समा का गठन कर समूण जमनी के लिए संविधान का नियमा किया जाएगा। यह प्रस्ताव परिचयी राष्ट्र के सभिह गवर्नरो के पाय मना गया रहेंगे एवं स्वीकार कर दिया।

### संसदोप परिपद का गठन

अगस्त 1948 म समा न्यू (राष्ट्र) की सरकारा न संसदोप परिपद के चुनाव करवाए। कुर 65 प्रतिनिधिया का चुनाव आया। इनके अनावा परिचयी वर्तिन के 25 प्रतिनिधि आए जिन्हे मनोधिकार प्राप्त नहा था। त्रिविधयन डमान्टिक पार्टी के 27 सदस्य साथौ डमान्टिक पार्टी के भी 7 सदस्या के अनावा फी डमान्टिक पार्टी तथा जमन पार्टी के 5-5 सदस्य और सन्नर पार्टी तथा साम्बवानी दउ के 2-2 सदस्या ने मनोधिकार परिपद का नियमाण किया। वर्तिन से सांगियन डमान्टर त्रिविधयन डमान्टर तथा फी डमान्टर प्रतिनिधि आए। संसदोप परिपद के अध्यक्ष पर पर त्रिविधयन डमान्टिक पार्टी के कानराउ आज्ञा अधिकार का चुनाव हुआ। वसिक ला के नियमाण के लिए एक प्रमोडियन तथा एडीसिल आफ एडेट का भी नियमाण किया गया। साथ हा मूल अधिकारा संघ राष्ट्र के संसद्य राष्ट्र के बाच अधिकार विभाजन वित्त सरकार के स्वरूप के गठन यायिक द सदधानिक यायाराय तथा कायविति के नियम (rules of procedure) यानि विषयो पर समितिया का नियमाण किया गया। सबम मट्टवपूण भमिति पाच सदस्या की समिति था जिनम 2 त्रिविधयन डमान्टर 2 सारां डमान्टर तथा 1 फी डमान्टर थ। बार म उमम अद्य दवा के दा संसद्य भा सम्मिति लिए गए।

उचर हरेनशियामिज नामक नगर म संविधान के विशेष वेसिक ला का प्राप्त बनान म व्यस्त थ। 10 अगस्त का उहने काय आरम्भ किया थोर दो सप्ताह म उहने परिचयी जमनी के लिए वसिक ला का एक विमून प्राप्त तयार कर दिया। संसदीय नियमाण प्रक्रिया के इनिहाम म यह एक अनोनी भिन्नात है। 1 सितम्बर 19 8 को संसद्य परिपद न उम दवावज दर विचार आरम्भ किया गया 8 म 1949 म वसिक ला स्वीकृत हो गया। उमह पर म 53 तथा विरोध म 12 भन आए। 12 भन को परिचयी जमनी के सनिक गवर्नरा न उस पर सहमति दी। वसिक ला की स्वीकृति के लिए यह शत रक्षी गं कि जद 11 लण्ठर (राष्ट्र) म स 2/3 उण्ठर उस स्वीकार दर नेंगे तभी वह माय होगा। सब उण्ठर न उस स्वीकृति दी सिफ वदरिया नामक राष्ट्र (न्यू) न हा उस स्वीकृति नहीं न उक्ति गप राष्ट्र म प्रवाद दरना स्वीकार कर दिया।

### वसिक ला के नियमाण पर विविध प्रभाव

जमा नि पहन ही बहा जा चुका है कि परिचयी जमन राजनेताओं ने संविधान के स्थान पर वसिक ला के नियमाण को प्रमाण किया नाकि जमनी के

## जर्मनी भौगोलिक व ऐतिहासिक परिचय

इह ग्रन्त के निषाण में जर्मना भाषाएँ स्थिति का अधिक ठाप पड़ता है। जिस्या राष्ट्र का गठन व जर्मनों का निवास के लिए समझने के लिए यह आवश्यक है कि ——जो भागातिक स्थिति का उद्देश्य किया जाए। जौगानिक अठिए जर्मनों जर्मन व हृष्ट एवं स्थिति है जून और इसे वर्तुल उपर स्थिति है। जिस जिन्होंने जर्मनों का गठन जर्मनों को युग्मात् उत्तिति नहीं है। नहर पूर्व व पश्चिम में जर्मनों जर्मनों के लिए जर्मनों जर्मनों हैं। यह नग्न जर्मनों के अनियम तथा बना जर्मनों के अनियम व स्वभाव के लियाँ जर्मनों में उच्च मध्यवर्ती जर्मनों हैं। प्राइंटिक मामाप्रा एवं रोन नहाने के कारण न वर्तुल जर्मनों जर्मनों मन्त्रिति जर्मनों व विचारों के घासान जर्मनों का वर्तुल रूप = उत्तिति साएं जो जून तक के कारण जर्मनों जर्मनों समेत समेत पर विचार आकर्षण का उत्तिति हो रहा। कभी नहर तो कभी जिस विचार में यह दुब से विचार आकर्षण मार्गियों ने जर्मनों का गैंग डुच्यों है। विचार जात्रमण एवं वर्तुल तथा युर्तिति प्राइंटिक मामाप्रा ग्राम्प वर्ग के लिए जर्मनों जो जून जूनों पर आकर्षण विद्य। यह कारण है कि —जो जर्मनों का स्व प्रतिरक्षा ता कभी आकर्षण हो रहा है। जाति व जून का अठिए जर्मनों जुमातिति नहीं है। यह याथ बनान देंक जर्मनों जर्मनों प्रतिरक्षा ग्राम्प वर्ग के लिए जर्मनों जो जून जूनों रहता है।

उम जो जर्मनों के एकाकरण का कारण न बत वर्तुल जिसके जाकर्षण होता है। यह भूमि न मार्गिन उदय जर्मनों आकर्षण धार्मिक उत्तिति उत्तिति है। नि युर्तिति उदय एवं जर्मनों युर्तिति होता है। यह जून धार्मिक शब्द का जून जिस पर्याय जून वार्गण जर्मनों जो धार्मिक युर्तिति है वर्तुल यह। युर्तिति यह व यार्गिक तथा जार्गान। यही धार्मिक विभिन्न के कारण जर्मनों का ताख वर्गीय युद्ध जूनों परन तो 1618 से 1648 तक जून। 1945 के बाद तो जूनों मामाप्रा से एवं रचनात्मक जर्मनों का अन्याय आरम्भ हुआ।

ग्राम्पातिक अठिए में जो जर्मनों जून तो एवं जर्मनों जर्मनों जो उत्तिति एवं राष्ट्र नहीं। 1648 से 1871 तक जूनों जर्मनों में ग्राम्पातिक विभिन्नों का बना रही है।

जूर वर्गिन तथा जाकर्षण में उम वर्तुल जर्मनों के प्रान्त —जर्मनों जर्मनों दमक हैं। और जाकर्षण जूर वर्तुल जर्मनों जर्मनों जर्मनों है।

(1) डाक तथा दूर सचार की गापनायता अनुबंधनाय होगी ।

(2) ये अधिकार पर बानून द्वारा राक रगाइ जा सकता है ।

(ग्र) विवरण की स्वतंत्रता—उक्ति द्वारा अपन व्यवस्था व्यापार शिक्षा नामदरन तथा सामाजिक दायित्वा का निवाह करने के लिए विवरण या याता बरना अनिवाय हा जाना है । विवरण का अधिकार महामाव म बढ़ि बरता है गतनातिक विचारक आदान प्रदान व प्रमार म महायता बरता है । भारतीय मविदान भी नामारिक द्वी पह अधिकार प्रनान करता है । वसिक ना क अनुच्छेद<sup>11</sup> म कहा गया है—

(1) समप्र सधीय प्रदश म सभी जमना का विवरण की स्वतंत्रता होगा ।

उक्ति यहि किमी व्यक्ति की याता स आधारभूत जननानिक व्यवस्था का ये तर्गती है ता उस पर बानून द्वारा प्रतिष्ठ नगाया जा सकता है । इसी प्रार ये अमारी क स्वतंत्र या प्राकृतिक विनाश का स्थिति म तथा नवयुवका का सुरक्षित रखन तथा अपराध को रोकने के लिए विवरण क अधिकार को भीमित किया जा सकता है ।

(घ) पांच यवसाय व उद्योग घनने का अधिकार—मस्त्र की एक कट्टवन क अनुमान प्राप्ति उक्ति की बुद्धि स्थान या मुकाम भिन ह ना है । अपन स्थान या पमन क आधार पर ही उक्ति अपना पश्चा या यवसाय चुनता है । यहि उस जवानसी दूसर काय म ताया जाय ता उसके उक्तिक्लव के विश्वास म दाधा थाना तथा रविवर बाय न हान पर न वह अपना अदित्व सही दग म निमा पाता है और न राप्ताय उपार्जन म महयोग बर मकता है । पहा बारण है कि अनुच्छेद<sup>12</sup> म कहा गया है—

(1) समस्त जमन रागा को यह अधिकार होगा कि व निवाध स्प स अपना पांच व्यवस्था व उद्योग नीकरी का स्थान प्रशिक्षण का स्थान चुन मकें ।

(2) मिस अनिवाय मावानिक मवा का जो सभी पर समान स्प स लागू हाती है दोडवर व्यक्षित पर कोइ निर्वित व्यवस्था नही योगा जा सकता ।

(3) यापानय नारा जिस व्यक्ति का स्वतंत्रता स वित विया गया है उसी व्यक्ति पर जवरन थम थापा जा सकता है ।

(इ) सनिक व ध्रय सदाओं सम्बाधी दायित्व—अधिकार यूरापीय दाना म अनिवाय सनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रही है । नितीय महायुद स पहन उपनी में भी यहा व्यवस्था थी उक्ति नितीय महायुद क नयवर विनाश व पश्चात् जमन रागा म मुद विरोधी नावना फली और व अनिवाय सनिक सदा का विरोध करने रग । जन भावना का भावन बरन ना बनिक ना क 13वे अनुच्छेद म कहा गया है—

(1) जिन व्यक्तियान 18 वय की धायु प्राप्त बर ना है उहै सा न मनाप्रा मधय सीमा सुरक्षा-न तथा नामारिक प्रतिरक्षा-नयन म सग बरने का बहा जा सकता है ।

## नोगोलिक स्थिति

मपन सम्प्र इतिहास के दौरान जर्मनी को सामाज घटनी-वर्ती रही है। एमा भा वक्त या जब जर्मनी 'वार्ड' एक नोगोलिक प्रभिष्वकित मान ही था क्याकि वह मर्क्झ द्वार-वड राज्य में बना हथा था। 1871 के बान ही जर्मनी एक राजनीतिक द्वार्ड के हृष में सामने आया था। प्रथम तथा नितीय महायुद्धों के बाद जर्मनी की सीमा में बमी टूटी था वह विभाजित हुआ। यहि हम 1871 के जर्मनी को इकाइ मान बर उसकी नोगोलिक म्यनि वा अध्ययन करें तो उस में निम्नलिखित ऐत्र शामिल होंगे-

प्रथमन पश्चिमी जर्मन —इसका राजकीय नाम है सधीय जर्मन गणराज्य (The Federal Republic of Germany)। नितीय महायुद्ध के बार्ड इस क्षेत्र पर अमेरिकी ब्रिटिश व प्रासिसी नागों का अधिकार था तथा 1949 में इस एक राज्य का दजा दिया गया। यह 1871 के जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है पूर्व जर्मनी। दसका राजकीय नाम है उमन जनवादी गणराज्य (German Democratic Republic)। नितीय महायुद्ध के बार्ड इस क्षेत्र पर रुमी आधिकार स्थापित हुआ। बार्ड में यह जर्मन साम्यवादी राज्य के न्यू म उभर बर मानने आया।

एक नोगोलिक ऐत्र के न्यू म जर्मनी आज के पूर्वी जर्मनी की पूर्वी सीमा पर ही समाप्त नहा होता है। इसका एक तानरा हिस्सा भी है जिसम पोमरेनिया पूर्वी प्रश्ना मार्क्झिया तथा द्रावनवग का पूर्वी प्रेश सम्मिलित है। यह क्षेत्र 1945 के बार्ड से पोन्ट व मोवियत सध के अधिकार म है। दस प्रकार नोगोलिक जर्मनी तीन भागों में विभाजित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी 1945 के बार्ड बार मित्र राष्ट्रा म बार नी गई। बार म अमेरिका द्वितीय व प्रास के हिस्सा को मित्रावार पश्चिमी बर्लिन हा निमाण हुआ जो पश्चिमी जर्मनी के साथ है। पूर्वी बर्लिन मोवियत मध्य — प्रधीन या जो बार म उसन पूर्वी जर्मन सरकार का रिया। यह उच्चनीय विवित वर्लिन प्राज के पूर्वी जर्मन राज्य के बीच म स्थित है।

## पश्चिमी जर्मनी की नोगोलिक स्थिति

प्रस्तुत पुस्तक म हम पश्चिमी जर्मनी की राजनीति प्रौर प्रागमन पर प्रकाश होनें धूत हम उम्मी नोगोलिक स्थिति वा जान होना जन्मरा है। गपाय जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) पूरोप क हृष म 47 तथा 55° उनरा औ गान रमा तथा 6° स 23 अंग्री पूर्वी दर्शातर रमाप्रा क बीच म्यनि है। नर म निर्गम म गहूचन क लिए 832 डिलोमोटर (517) मार नम्बर पार बरना पृष्ठी तथा पूर्व से पश्चिम तक पूर्वचन क लिये 453 डिलोमाटर (281 मीन) बी दूरी पार बरनी पश्ची। बायुयान म सफर बरत समय एक अधिक 50 म 55 मिनट म उत्तर म दर्शाना का दूरा। तथा 30 स 34 मिनट म पूर्व म पश्चिम की दूरी पार इनमा है।

या । उमी उन न समाजावरण पर बत लिया त्रिमिक परिगमाम स्वरूप विभिन्न जो के 15व अनुच्छेद म यह प्रवस्था का गढ़ हिं— मूलि प्राचिनिक स्थात तभा उत्तराखन क साधनों का बानून नारा समाजावरण क उत्तराय क तिए यादवनिक स्वामित्र या मावनिक नियन्ति त्रय व्यवस्था वा हम्मातिनि लिया जा सकता है । वह बानून मुआवर्त — स्वाप द सादा का व्यवस्था करगा । इस मुआवर्त क सम्बन्ध म 14व अनुच्छेद का परिचय (३) का व्यवस्था पराचित परिवर्तन स माय जानू होगी ।


“म प्रवार द्वितीय जा म समाजदारी नमान का रखना द तिए ना प्रावश्यन मीजून है ।

(८) नागरिकता द वचिन प्रस्तुपण तथा शरण का अधिकार—राष्ट्राय ग्रामा क उत्तराय क माय जी माय नागरिकता का महाव रज गया है । नागरिकता क ग्रामाव म अक्ति ग्रामदीन हो जाना है । उमी तथा वा इतिहास रखन जा द्वितीय जा क 16वें अनुच्छेद म यह अधिकार लिया गया है ति— जिसी ना व्यक्ति का उमी नमन नामरिकता म वचिन नहीं किया जाएगा । नामरिकता का समाप्ति कानून क अन्तर्यन तथा उम व्यक्ति की जड़ा क विश्वद उमी हा सदता है । तब नागरिकता क अन हान स वह ग्रामदीन नहीं हा जाना । जतना ही नहीं साय हा यह व्यवस्था ना का गई है ति किसी भा नमन का विज्ञ म ग्रत्यार्पित ना लिया जाएगा । साय हा यह व्यवस्था ना क हि ग्रामनाविक कारणा स पानिव व्यक्ति का ग्रामण प्राप्ति वा अधिकार के बाह वर्ष व्यक्ति लिया भी दा वा लियामा जा ।

(९) पालिका प्रस्तुन वर्ते का अधिकार—प्रस्तुन लियावता तथा ग्रम्युविद्याग्रा का उन वरन क तिए प्रयक नमन वा अधिकार है ति वह सम्बद्ध अपिकारियों तथा समन्वय समाजा द मम र पालिका प्रस्तुत वरन क । अनुच्छेद 18 म वहा र्या है—प्रयक व्यक्ति का व्यक्तिन र्यप स या दूसरा द माद समुक्त स्व म लिकित ग्रावलन या लियावतन प्रस्तुत वरन का अधिकार है । यादवन सम्बद्ध अपिकारिया तथा समनीय ग्रामा द सम्मुख पा लिया जा सकता है ।

(१०) मूल अधिकार द्वितीय बृष्ट विवाय दामाय म व्यक्ति का मूल अधिकार म वचिन किया जा सकता है । अनुच्छेद 18 म वहा गया है ति—जो का व्यक्ति स्वतन्त्र जनताविक व्यवस्था म ग्रामा वरन क तिए मन व्यक्ति वरन का स्वतन्त्रता— ग्राम वर्ष समावार पव की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद १) वरना है अप्यायन — स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का ३) सजा रदा वा स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) मध लियागा वा स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) दाव व दूर सदार — १ ग्रामनायता की स्वतन्त्रता अनुच्छेद 10) गम्पति (अनुच्छेद 14) या इसग प्राप्ति क अधिकार (अनुच्छेद 16 का परिचय (१)) — २ दृष्ट ग्राम वरना — मन य अधिकार जान लिए जायेग । इस ममालि तथा ग्रामी मामा द वार म ग्रामाय स-दाविक यावाय लिया वा ग्रामा वरना ।

1937 की जर्मन राज्य-सीमा तथा 1949में जर्मनीका विभाजन



हरण का सम्मति तो द दत हैं जहिन उसके स्थान पर कोन चासलर बन रहा पर  
मनभर ताक हा उठते हैं। परमदल राजनीतिक प्रभियरता का जम होता है।  
राजनीतिक गतिवरता के कारण प्रामाण का प्राप्तावात ही जाता है और जनन्त्याग  
का यात्राधा पर समुचित अमर नहीं हा पाता। ऐसी स्थिति देवन्तत्व का भी  
प्राप्तावान देनी है। राजनीतिक गतिवरता की "स महामारी म बचन क लिए बसिक  
जा क 67वें अनुच्छृंग म व्यवस्था है कि—

बुँहणग सिफ चान्नतर क उत्तराधिकारी क चुनाव क बाद ही वक्तमान  
का संवर के प्रति प्रपना अविद्याम प्रवर्त कर सकता है तथा राष्ट्रपति से प्राप्तना कर  
सकता है कि वह उस पदच्युत कर दे। यह अनुच्छृंग वसिक लोकों मौलिकता का  
प्रतीक है।

(9) पुढ़ विरोधी तथा अतर्टीटोय शाति का समयक—पुढ़ की विभायिका स  
जयन जाग मनोमाति परिचित हैं। जमनी म ऐमा काइ परिवार नहीं है जियन  
मनापुढ़ म प्रपना को पुन उति या भान न। खाया हा। मनस्त जमनी धूति  
धूमरित हा खाया था। 3 म 1945 को द्याम द्वारा नियुन क मवादाता ने  
बिन म प्रवा रन क दान तो विवरण प्रमत्न किया व् इस प्रकार है—

बिन म कुछ नहा दका था। वहा न बां घर है न दुकान न यातायात के  
माध्यन न सरकारी मवन सिफ कुछ दीवारे वर गर्ह बसिन को अब एक  
मौगारित स्थिति कहा जा सकता है जो नह हुए मवाना के दूर का दर है।

स्मी ममाचारन्पन प्रावना के सवान्नाता ने लिखा— आनंदित गृहिणिया वचो  
मुची द्वाना को लट रही हैं। बिन निराशा व दूर सपना का नगर रह गया है।

जब जमनी की राजधानी की यह अवस्था थी तो समस्त देश की दवानी व  
विवास वा यामानी स अन्नाज उपाय जह मकता है। ऐसी स्थिति म जयन जनता  
क मन म पुढ़ के प्रति धगां होना स्वामारिक था। पुढ़ से द्युकारा पान क लिए  
ग्रन्तराष्ट्रीय शाति की ओर ध्यान दना ग्रावर्पक था अत वसिक लोक दा धारा 24  
म वहा गया है—

(1) सध शामन बानुन नरा मावमौम शवित प्रन्तराष्ट्रीय सपठना को सोप  
मकता है।

(2) शाति की स्थापना क लिए सध नमन पारस्परित मुरझा का व्यवस्था म  
प्रवा कर सकता है ऐमा बर्ल नमय वह प्रपन मावमौम अविद्यारा का  
मामिन करते वी सहमति दगा क्याकि उमसे पुरोप तथा विव क राष्ट्रा  
क मध्य नामिरूण एव स्पायी व्यवस्था की स्थापना हृषा।

(3) राया क मध्य विकार क समाधान क लिए मध्य नमन नामाय तिगां तथा  
वायवारी रिस्म क अन्तराष्ट्रीय पच लिए म सम्बद्ध समभीता का  
स्वाकार करता।

पश्चिमी जमनी के उत्तर म उत्तरी समुद्र (North Sea) डामार्ड तथा वाट्रिक समुद्र पूव म पोनण्ड व चेकास्तोवाकिया दमिल म अस्तिया तथा स्विटजरलैण्ड तथा पश्चिम म फ्रास लुर्जेम्बग खजियम व हॉलैण्ड राष्ट्र स्थित हैं।  
क्षेत्रफल व जनसंख्या

पश्चिमी जमनी का कुल क्षेत्रफल ९१९५९ वर्गमील (२४८ ५३४ वर्ग किलो माटर) तथा पश्चिमी बर्निन का क्षेत्रफल १८४ वर्गमील (४७९ वर्ग किलोमीटर) है। शेनो मिलबर १९३७ की जमन साम्राज्य की भौगोलिक सीमा के ५३ प्रतिशत क्षेत्र का निमाण करत है। उस समय जमन साम्राज्य का क्षेत्र १८१ ८१५ वर्ग मील (४७० ९०० वर्ग किलोमीटर) था। पूर्वी जमनी का आज वा क्षेत्रफल ४१ ६१० वर्ग मील (१०७ ७७१ वर्ग किलो मीटर) है तथा पूर्वी बर्निन का क्षेत्रफल १०० वर्ग मील (२०० वर्ग किलोमीटर) है। तातो मिलबर १९३७ के जमन साम्राज्य के २३% क्षेत्र का निमाण करत है। १९४५ के पोटस्ट्रम सम्मलन ने जिमम अमरिका रूप ब्रिटेन तथा फ्रास न भाग लिया था लगभग २४ प्रतिशत जमन क्षेत्र पोनण्ड व रूस प्रशासन के अन्तर्गत रखा था। पालण्ड व रूस के पास ओडर-नाइस नियमा के पूव म स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र ४१ १३३ वर्ग मील (११४ ३०० वर्ग किलो मीटर) है।

निम्नलिखित छाट स पश्चिमी जमनी व उक्त राष्ट्रों के क्षेत्रफल व जनसंख्या का संबंध मिलता है।

### क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

(दिसंबर १९६९)

नाम	राजधानी	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या (१०,०)	राजधानी के जनसंख्या (१०००)
मध्यपश्चिमी जमनी	बान	२४८ ५३४	६१ ५०८	२९९ ४
इमरविंग हान्साइन	बीन	१५ ६७६	२ ५५७	२७६ ८
हाम्बुर्ग (नगर राष्ट्र)	हाम्बुर्ग	७५३	१ ८१७	१ ८१७
साम्प्रदार सरकारी	हनोवर	४७ ४०८	७ १००	५१७ ३
बमन (नगर राष्ट्र)	ब्रमन	४०४	७५६	७५६
नायरान्न बस्त-कारिया	इमरान्न	३४ ० ९	१७ १ ०	६८० ३
हम	बोड्जवान	२१ ११०	५ ४२३	२६० ६
राइनलैण्ड पलटान्न	मार्क	१९ ८३७	३ ६७१	१७६ ७
षान्न-प्रूरटम्बग	स्ट्रास्ट	३५ ७५०	८ ९१०	६२८ ४
बदरिया	झूनिन	७० ९९०	१० ९९९	१३२६ ३
मारन्ड	मारड बन	२ ५६८	१ १ ७	१३० ३
पश्चिमी बर्निन	पश्चिमी बर्निन	४७९	२ १३४	२१३ ४

लम्बी धरवधि तक सुधारवादी या मध्यममार्गी तथा मावसवादी लोग एक ही दल में बने रहे।

फोलमार तथा बनस्टाइन ने सुधारवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। बनस्टाइन में खोदिक प्रनिधा भी। साम्यवादी लाग द्से सशाधनवाद के संस्थापक की सना देत है। इसने कानिकारी कल्पों का विरोध किया तथा धीरे बारं सुधारों की वकालत की। दल के भीतर सुधारवादियों का हमशा काफी प्रमाव रहा। जो लाग साम्यवादी विचारधारा के हामी थे उन्हान न केवल नातिकारी सिद्धान्तों की वकालत की बरत् हड़तान आदि हृषियारों के अस्तेमाल की भी बात की। इस प्रकार दल में बही नातिष्योपक साम्यवादी विचारधारा के समयकों का जोर होना तो कभी सुधारवादियों का।

सुधारवादियों तथा साम्यवादियों के बीच एक मध्यममार्गी गुरु भी था। सुधारवादी परफुल-कायरम में सशाधन चाहते तो साम्यवादी उसका विरोध बरते तथा साय ही नातिकारी तरीक अपनान वीं मार्ग करत। नेविन मध्यममार्गी लोग यह मानते थे कि दल के हिन म एकु बायरम को उसके समन्वित स्प म ही स्वीकार किया जाए।

1909 म दल म उप्रवादियों (साम्यवादियों) का रमाव बना ता 1912 में सुधारवा ने पुन ताक्तवर हो उठ। 1914 तक आगे आत यह स्पष्ट हो गया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन निश्चित है। जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ और जमनी न उम्म प्रवेश दिया और सरकार ने युद्ध करण की यवस्था की मार्ग की तो बात नीवधनेऱ ने जो विहै-म नीवधनेऱ का पुत्र था ससद म युद्ध रुखों के विरोध म मनान दिया। 1915 म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अथ 19 समर्सनस्पा ने उसका अनुसरण बरते हुए युद्ध का विरोध दिया। 1916 का वये इस दल के निए काफी कठिन वय था। उप्रवादी दल का ग्रनुजासन मे रह कर युद्ध के समयन के लिए तयार न थे। करत 1917 म दल दो भागो म विभाजित हो गया जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (वहुमत अवै साध था) अत यह मेजोरिटी सोशलिस्ट बहलात है।

(2) इंडिपेन्ट मोशन डमोक्रेटिक पार्टी।

फीझ ही दूसर वय के दल का किर विभाजन हुआ और एक नए दल जमन साम्यवादी दल का उदय हुआ। इप प्रकार जमन समाजवादी आदोरन तीन भागो म बट गया लविन शीघ्र ही इंडिपेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक दल समाप्त हो गया और पुन दो दल रह गए।

वाईमार-गणतन (1919-1933) के निर्माण म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्णयक योगदान था। जमन के बारं (सद्यार) के गदी त्यागने के पश्चात् समाजवादी नेता प्रीदरिच एवट ने सत्ता समृद्धी। बाद म वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए।

राज्य का रहनानिया व अन्तर्राष्ट्रीय जमनी के कुछ प्रमुख नगर द्वारा विवरण तथा उनकी जनसंख्या 1970 में प्रकार था —

वाराणी (866 303) एमन (704 769) प्राचुर्य (660 410) डामुप (648 883) नुजुग (457 891) त्रिमुख (477 108) बुमलाल (414 728) गन्धन विराज (348 620) बाबम (346 886) तथा मानहाम (330 920)

1973 में पश्चिमा जमना का कुल जनसंख्या 61800000 था ।

जमना के आर्थिक विकास का ममावनाश्चात् दृष्ट्याम करने के लिए यह आवश्यक है कि विवाच के कुछ प्रमुख नामों के साथ उनका नुस्खा का जाए —

### तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय आकड़

सन	देश का नाम	भूत्र बहुकिला माटर	जनसंख्या (1 000) (100 )	निवासी	
				वग्रप्रति किला	प्रतिवर्ष माल
1970	पश्चिमा जमना	248	61800	248	641
1970	पूर्वी जमना	108	17075	158	409
1970	मार्दियन जम	8650	241748	11	28
1970	प्रमरिका	3615	205395	22	57
1970	जापान	143	103540	280	726
1970	द्रिन	94	55711	228	591
1970	चीन	116	54459	181	468
1970	फ्रान्स	211	50770	93	240
1970	अन्तर्र.	195	33290	66	171
1970	इन्डिया	3852	21406	2	6
1970	स्वान्त्र	174	8046	18	46
1971	भारत	—	54700	—	—

जमन भौतिक भूत्र में ग्राम व नगरग ममा नाम का प्राचीनिक स्थिति उत्तराय जाती है । अमर द्वारा म जमना का भूमि तथा भूत्र विविध प्रकार का है । ग्रामीन विधि की हस्ति म छन्दर म नवर मान्यर म चिना म गन्धम् पवर म नवर पश्चिम म रनिन पहाड़िया म पूव म ग्रामा का भाना और भावनानिया के पवरा तक के जमनों का पात्र भागों म बाटा जा सकता है । ये भाष्य ये प्रकार हैं —

1. दक्षरा जमना का तरा भूत्र

- 2 मध्य देश के पवरीय क्षेत्र तथा गूराइ बान प्रदेश
- 3 दक्षिण-पश्चिमी चारस भूमि तथा पवर-श्रेणी
- 4 दक्षिण जमन आत्पम की नाचा पवर-श्रेणी
- 5 बबरिया स्थित आल्पम पवरीय भूमि ।

पश्चिम स पूव निका म भूमि की बनावट के आधार पर जमनी का तीन भागों म विभाजित किया जा सकता है—

- 1 मध्य भूमि म ऊची भूमि
- 2 दक्षिण म आत्पस का पवरीय प्रदेश
- 3 उत्तर की समतल भूमि

### जलवायु

जमनी सम शीतोष्ण वनिधि म स्थित है जहा मौसम पश्चिमी (पहुँचा) हवाओं स सचानित होता है। मौसम अवसर परिवर्तित होता रहता है। जनवायु के अन्तर्गत ताप ऋम तथा वपा प्रमुख तत्व हैं। पश्चिमी हवाओं के कारण वपा सभी समयो म होता रहता है। उत्तरी जमनी के समतल भूमि म वर्षा वा वायिक औसत 20 स 28 °C रहता है। जबकि मध्य भूमि के पवरीय क्षेत्र म 39 °C स अधिक तथा दक्षिण मिथ्य आपस पवर के क्षेत्र म 80 °C क ग्रामपास वपा होता है।

ताप ऋम का विवरण इस प्रकार है—ताप ऋम विभिन्न हेतुओं म भिन्न भिन्न है। जनवरी व सबस ठार महान म समुद्री तर पर यह 34 डिग्री फारनहार्ट म उक्त 27 डिग्री फारनहार्ट (-15 डिग्री सेंग्रेड स-3 डिग्री सटीप्र) रहता है। जुनाई क मध्य म—जा सबम अधिक गम महान है—उत्तर जमन तथा पूव जमन समतल भूमि बान प्रेष म 61 डिग्री फारनहार्ट म 66 डिग्री फारेनहाइट (16 डिग्री मैट्रिप्रेट स 19 डिग्री सेंटीप्रेट तक) रहता है। बन प्रदेश म यह 68 डिग्री फारन हार्ट (20 डिग्री मैट्रिप्र) तक हो जाता है। उपरी राई की घाटी म मर्दायिक ताप ऋम तथा आन्यम प्रदेश म सबम ऋम तापमान रहता है। जनवरी म माच तर आपस प्रदान वर्ष स द्वा रहता है। पवर वी ऊचाई क घनुमार शीत बान म वहा 3 स 6 फीट वर्षे जम जाती है।

### प्राकृतिक साधन

पश्चिमी जमनी का मुख्य निवास सम्पदा म 30 °C ग्रेड वा वर्गार वायपा है। प्राय प्राप्य वस्तुए इस प्रकार है—परन पोटाल लाहा तापा तथा जमा। जन द्वारा विद्युत निर्माण की वहनायन है। पश्चिमी जमनी क "मुख्य मारी" याना म लाहा तथा इम्पात यान रामायन उत्पान मीने तथा दृक व माटरे जात्र निर्माण भवन निर्माण तथा विद्युत-प्रणाल है। प्राय उद्योग है—मूता वर्ष तुवाई

पराव निमाण कि वा वा खाद्य क्षार्थों का निमाण सूख यत्रा का निमाण आदि। अधिकाश उद्योग वर तथा मार प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र पश्चिमी जमनी की पश्चिमी सीमा उत्तरी सीमा तथा राष्ट्रन की तराई व में य में स्थित है।

### एतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्तमान जमनी के राजीनिक ग्राथिक भासाजिक एवं धार्मिक विकास का मी मूर्त्याकृत करने के लिए यह अनियाय ते कि जमनी के इतिहास पर एक विट्टाम हट्टि चले। एम एच स्टार्टनबेर्ग के अनुसार जमन इतिहास का मवाविव भहत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि गाँड़ राजनीतिक द्वारा प्रथात् एक राष्ट्र के रूप में 1871 तक जमनी वा का अस्तित्व नहीं था।<sup>1</sup> जान ई रोम की मायता है कि पूर्ण राष्ट्र राष्ट्र के रूप में जमनी काफी दरी से रणनीति पर उत्तरा<sup>2</sup> निश्चिन एक महान् साम्राज्य के रूप में जमनी संतिया तक यूरोप के राजनीतिक नितिज पर द्याया हुआ रहा है। जमन साम्राज्य का क्षणी में पूर्व हम जमन शान्त वा श्वय और उसका प्रचनन हृष्यगत करना होगा।

रोमन लोगों न सबप्रथम अर्बेनिया मेंना (महान् जमनो) शान्त का प्रयोग किया। एक आधुनिक जमन इतिहास के अनुसार जमनिया केटिक भाषा वा शान्त या जिसका श्रव्य होता है पढ़ीमी। वा व म जमनी व लिंग डाइच तथा जमनी के लिए डाइचलाण्ड श त का प्रयोग प्रचलित हुआ और भाज भी जमन नाग अपने देश का डाइचलाण्ड ही कहत है। प्राचीन जमन भाषा म डाइच शान्त का श्रव्य होता है जनता या जने। जमन नाग ट्यूटोनिक जाति के रूप म भी जान जात हैं। यह उत्तराय है कि सरकारी वागजाना म सबप्रथम 1442 म जमन-भू-प्रदेश शान्त का प्रयोग किया गया। 1486 म ग्रांस पवत व उत्तर म स्थित क्षेत्र का राम गाम्राज्य का उमन सविभाग नाम दिया गया।

सबप्रथम रोम के सम्भाल गनियस भीजर न जमन लोगों के बार म विवरण प्रस्तुत किया है। भीजर को इम जाति स छा। माटी मुरभड करना पनी उकिन पिस्तृत विवरण के लिए हम एक अप रामन इतिहासकार व नव्वक ट्सीटस (55 117 ई.) का मारा उना पत्ता है। ट्सीटस न ए पुस्तक निवा उमका नाम था De Situ Moribus et Populis Germanicis अथान् भौगोलिक क्षेत्र व आचार अवहार तथा जमन जनता के सबध म। यह उत्तराय है कि नितोय युद्ध व दोरान तथा बाद म जव जप यूरोप व अमेरिका के नागों न जमनो की तथा जमन जनता की बुराई के आनाचना की तो उन्हाँन ट्सीटस का पुस्तक का उद्देश्य किया। जपरि वस्तुमिथि यह है कि उम रोमन उत्तर न जमन जनता का प्रवासा अधिक व आनाचना बस वो। उत्तर वहा कि राम साम्राज्य के नाग इनक ग्रामा चरित्र का

1 एम एच स्टार्टनबेर्ग वा एमा बाक जनी (इ इन 1944) द्विए घूमिता।

2 वान ई राष्ट्र जमना ए हिसी (यवाई 1964) पृ 20

अनुमरण करें ऐसा करक ही व अपने साम्राज्य व स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। टेसीटस लिखता है कि जमन नाग स्वतंत्रता तथा मुद्रप्रभाओं हैं। जमन लोग नीता आखो और मुनहले रक्तिम बाजो से मुक्त हैं जमन युवतिया अत्यधिक मुक्त होती है। इस रोमन लखक का मत था कि उनका पारिवारिक जीवन नतिवनापूर्ण या यद्यपि हिन्द्या सभी दुस्तर और मारी काम करती था तथा पुरुष शराब पीत जग्धा मलन तथा मुद्र करत थे। समाज म अपेक्षाकृत कम मतभद था तथा दासप्रथा नगमग नहा क समान थे।

टेसीटस जमन नाग की राजनीतिक समाज के जनतनावानी रूप से बहुत प्रभावित था। वह निखता है — वे (जमन लोग) सक्ट बालीन मिथिया का छोटबर कुछ निश्चित दिनों—या नव चढ़ोत्त्य या पूर्णिमा के दिन एकत्रित होते हैं जब जनता उचित ममभती है वह बढ़ जाती है पास म हथियार हात ह। पादरी या पुरोहित शात रहने को कहता है। पादरी ही ऐसे अवसर पर अनुशासन स्थापित करन का अधिकार रखता है तब राजा या मुखिया (नेता) की बात सुनी जाता है। उसकी बात इसलिए अधिक मुक्ती जाती है कि वह समझ-बुझा सकता है न कि इसलिए कि उसक पास आदेश देने की शक्ति है। यदि उसक विचार तथा मावनाप्रे से नाग असतुप्त होते हैं तो वे मद ध्वनि म अमताप ध्यक्त करते हैं यदि सतुप्त होते हैं तो वे अपन भान उठाऊर समर्थन करते हैं।

सामाजिक भवित्व का बासुनी मामलो म जमन नोग शपथ वचन या प्रतिनिधि को कभी नहीं ताड़त थ। यह गुण पर्याप्त रूप म थाज भा जमन सागा में पाया जाता है। उनके धार्मिक जीवन के बार म टेसीटस लिखता है कि व वसा क्रतु में प्रजनन विषयक शालोकत किया का समारोह या त्योहार मनान है। कुछ जमन देवताओं के नाम ऐसे प्रकार हैं — योर जो तूफान के विजयी का देवता था व्यासी म ईसाई दिन गुरुवार (Thursday) के नाम प्रचलित हुआ। वह वोरन नामक देवता की पानी किया का उल्लक्ष करता है जिसम शुभवार (Friday) के नाम पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि ईसाई मत के प्रचलन से पूर्व जमन-लोगों के धम न ईसाई धम का भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। उदाहरण के लिए प्रजनन विषयक शास्त्रीय क्रिया-समाराह म ही ईसाईया का ईस्टर त्योहार बना जिस ईसा न पुनर्जीवन प्राप्त किया ऐसा विश्वास प्रचलित है। ईसी प्रकार यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन जमन देवताओं और भारत के विदिव बानीन देवताओं में नी कापा माम्य है।

जमनों के इनिहाम म सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 9 ईस्वी मनू म घटा। एवं यह रोमन सनापति वार्स म रान नर्सी पार की। सम्भवत वह रार्न तथा एन्ड नदी के याच का अंग जीनना चाहता था। उस्तुन उस्तुन नामक जमन के बीच के नदा हमन न रामन सनापा का पराजित करन म जमनना प्राप्त ही। जमन लोगों न 20वा मनी के पारम नव इम घटना का अपन इनिहाम म नाग महत्व

पर शासने नहीं किया था। जमन नाग "म महान् शामक का अपने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी नाग भी "स अपना सबाधिक्ष महत्वपूर्ण शारांश मानते हैं क्योंकि इसने जमनी और फ्रांस लोना पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया और जमनी और फ्रांस में अन्तर अन्तर सत्ताएँ स्थापित हो गईं।

चास महान् या बाल डेर फ्रांस ने न कबूल अपने साम्राज्य की सुसंगठित किया वरन् 800 में रोम द्वारा प्रबल कर तत्कालीन पोप लियो III (795-816) से अपना राजामिक भा करवाया। राम मैं यह राजतिनं यूरोपाय निहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। और यहां से मध्याट बड़ा कि पोप यह सभपं आरम हाना है। बाद में पाप बनाम सम्भ्राट के सघष के बारगा हो जमन भ्राट नवरी चतुर्थ के 1077 में नवरी इन्हीं स्थित मोडना व निकर बानोसा नामक नगर पर जाकर ताशीनीत पाप यारी से अमा भागती पनी क्याक पोप ने उस घम-दहिकून कर दिया था और हनरी चतुर्थ की जनता व सरदारों न उसके विरुद्ध विराह कर दिया था। मध्याट हथा पोप के बीच सर्वोच्च पर के लिए 1056 से 1200 ईस्वी तक मध्यप चतुर्थ रहा। बाल में पाप की सर्वोच्चता नवीकार कर ला गए।

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य इतिहासिक विस्तार में जाना नहीं है। अब यही उन शामकों की नाविका भी जा रही है जिन्हान जमनी के मध्याट व लूर में तथा प्रशा राज्य के शामक के स्वरूप में जमन निहास के निमाए में यापदान किया था।

### पवित्र रोमन साम्राज्य व आस्त्रिया प्रशा के राजा तथा आधुनिक जमनी के सम्भ्राट

राजा का नाम	उन विनम्र शासक बना
चास महान	400
लविस न्यायम	814
नोथार ग्रेगम	140
नविस नियाय	855
चास नी वा-	875

I 962 में जर्मन भ्राट प्रथम ने रोम में दर्र लाइ किया। वह अब साम्राज्य को पवित्र रोमन सम्भ्राट का भरा ही। वह महत्वपूर्ण वार है कि जर्मन भ्राट न बर्न भ्राट (रोमन सम्भ्राट) व न्याया परामर्शदाता वार है। 1503 के बाल राम में महामतारोच्च का समाराज् समाज हो दाय और जर्मन भ्राट अपने भारी वर ला रोमन भ्राट के न लाय। रोमन सम्भ्राट वा वा 1806 ये जाकर उमान हुआ उत्तरि 16वीं जनामा के वा कई अद्वयों पर रोमन सम्भ्राट नाम साम्राज्य के भ्राट हो दा दे य।

राष्ट्र का नाम	सन जिसम शोसव बना
चाम नी फर	894
अनुल्क	896
वरेन्नार	915
हनरी नी फावर	919
आनोप्रथम नी ग्रन जामत्र बना	936
आटो प्रथम दी घट	
राम मे रायामिपर	962
आना त्रिलोय	973
आगा नुनीय	983
ज्ञरी न्तीय (नीमट)	1002
कानराच त्रीय	1024
हेनरी तृतीय	1039
हेनरी चतुर्थ	1059
हेनरी पचम	1106
लोधार फान समीरुग	1125
कानराच त्रुतीय	1138
फ डरिक I (वारवरास)	1152
हेनरी पठम	1191
पवित्र गोमन सद्ग्राट व आहित्या के सद्ग्राट	
मिलिफ आर म्यामिया	1198
आटो चतुर्थ (एटीमिंग)	1198
फ अर्टिक II आर	
हाहनस्टाउफन	1220
कानराच II	1250
म्यार आर हाम्पश्रग	1273
एवट प्रथम आर हाम्पवर्ग	1298
हेनरी मन्नम आर नुक्रमप्रा	1304
सेविम आर वर्विया	1314
जाम चतुर्थ आर नुक्रमप्रग	1347
वार्ड्र	1378
मिमाम्पार आर नुक्रमप्रग	1410

राजा का नाम	सन् इसमें शासक बना
एलवट द्वितीय आफ हाप्सबुग	1438
फ्रेडरिक तृतीय	1440
मवसमिलियन प्रथम	1493
चाल्स पचम	1519
फ्रैनिष्ड प्रथम	1556
मवसमिलियन न्तिय	1564
हॉल्फ द्वितीय	1576
मारिया ज	1612
फ्रैनिष्ड न्तिय	1619
फ्रैनिष्ड तृतीय	1637
लियोपाड प्रथम	1658
जासेफ प्रथम	1705
चाल्स पचम	1711
मारिया थरसा व	
फ्रासिस प्रथम	1740
जोसफ न्तिय	1765
लियोपोल्ड न्तिय	1790
फ्रासिस न्तिय	1792
पविन्ट रामन साम्राज्य वा अर्त	1806
फ्रैनिष्ड I (आस्ट्रिया वा सभ्राट)	1835
फ्राज नोनफ (आस्ट्रिया वा सभ्राट)	1848
वान्न (आस्ट्रिया वा सभ्राट)	1916
1918 में पर्याग	1918 म राज्य याग

प्रशा व आधुनिक जमना के शासक

फ्रेडरिक विलियम दी ग्रट	1640
इनकर आफ ब्राडेन बुग	1701
फ्रेटरिक I प्रसा का राजा	1713
फ्रेटरिक विलियम प्रथम	1740
फ्रेटरिक न्तिय (महान)	1766
फ्रेटरिक विलियम न्तिय	1797
फ्रेटरिक विलियम तृतीय	1840
फ्रेटरिक विलियम चतुर्थ	1861
विलियम प्रथम	
विलियम प्रथम	1871
(उमन सभ्राट)	
फ्रेटरिक तृतीय	1888
विलियम न्तिय	1888

उत्तर व्यावरिया ऐन वा तान्य जमनी व सभ्राट वा मार्जिन उन्नत करना  
मात्र है। इसके अनिवार्य तिन धटनाओं ने जमन इतिहास पर अभिय लाया है।  
उनका संगीत विवरण इस प्रकार है।

## ग्युफ्फ तथा घिबेली-स वर्गों के माय गह युद्ध 1198-1214

इन कानून म ग्युफ्फ व घिबेली-स वर्ग के बाच म चले आ रहे सध्य ने गह युद्ध का रूप घारण कर दिया। घिबेली स नामा का एक नता की आवश्यकता थी और उन हनरा पठ्ठ के भार्ड दिलिप आफ न्वाविया को अपना राजा चुना यद्यपि उस समय तक नो वर्षीय फ़डरिक का आधिकारिक नोर पर राजा बना दिया गया था। ग्युफ्फ वर्ग के नोमा न फ़िलिप के चुनाव का मायना। दोन से इकार कर दिया तथा बानान नगर के आकविश्वर तथा न्वन्ड के राजा रिचाड की सच्चिता से उन्हने आटा चतुर्थ का अपना राजा चुना। इस नाहरे चुनाव से 20 वर्ष तक साम्राज्य की शांति भग रही। इम गृहयुद्ध म घिबेली-स वर्ग को फ़ाम का सहयोग मिला और इस प्रकार सध्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। अब म पाप तथा घिबेली स वर्ग त मिन्दर फ़डरिक का राजा बनाया। इस घटना का बरणत करना वा ता पर्य यह सबूत करता है कि किम प्रकार जमन नाम समय समय पर विभाजित रह और विदेशी शक्तिया ने जमनी म हस्तनेप किया।

### 13वीं शताब्दी म नगरों का विकास

जमन इतिहास का 13 महत्वपूर्ण तथ्य है नगर का विकास। विशेष जमनी द्वारोप का हृष्य मन्यत है अत व्यापारिक आर्मिन व साम्कूनिक इट्ट से यना के नगरों का मन्तव्य और भी बहु जाता है। मायप्रकाल म जमनी म विभिन्न आकार के 2000 मे ग्रामिक नगर वर्म। इनम आगमद्वारा फ़ार्म्फ़ुल कोलोन फ़ूवेक हाम्बुग व भरन गासलार बान आर्म प्रमुख नगरों म से कुछेक थ।

### ट्यूटोनिक नाइट्स (Tutonic Knights)

1190 म एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वर्ती थी ट्यूटोनिक नाइट्स (सरलार या राजन्य) का उत्पन्न। उस समय का जोभ यद्यपि यस्त्वलम म हुआ लक्षित जीघ ही -13वा सदी क आरम्भ म उहोने पूरोप म प्रवेश किया। नार्म वर्ग का सदस्य वरने के लिए एक्टिं का शपथ उनी पर्नी थी कि वह ब्रह्मचारी तथा चतुर व्यक्ति है और रहगा तथा मार्मन उस किसी भी काय के लिए प्रयुक्त कर मन्दता है। उन नडाकू नार्म वर्ग प्रानीय व क्षेत्रीय अधिकारी या अय राजनातिक वितीय या मठा म तिष्ठक किया जा मरता था। धीर धीर य वर्ग अयधिक शक्ति नामी हो गया और वामा आगरी तो कभी पौरण के राजा की मन्द करने लगा। पौरण स्थित मामाविया क अपूर्व कानरान न प्रणा क छवीना क उद्दृष्ट व्यवहार का समाप्त करने के लिए नार्म स मन्द मारी तथा यह न्वाकार दिया दि ट्यूटोनिक नाइट्स के प्राण मास्टर या प्रमुख नता हरमन फ़ान साजा प्रश्ना क लागा स जाती हुई भूमि का भ्रमन वर्ती म रख सकता है। सालजा (1167-1239) न तन्वाल जमन समाज फ़र्मिक दितीय स इसकी अनुमति मापा जा उस मित ग। नाइट्स सामा की अपन नगर विवित भव म चुनी चौकिया बाजार व टक्काल स्थापित

करने का ग्रन्थिकार लिया गया। सम्राट के आगें के अत मे कहा गया कि सान्धा के उत्तराधिकारी नाम को वही विशेषाधिकार प्राप्त हुगि जा साम्राज्य के राजदुमारा का होते हैं। शाद्र ही नावन्त लोगों न दुर्गों का नियाण किया। नगर बसाय तथा नये भू प्रदण नात। इहां ट्यूटोनिक नावन्तस न आग जाकर प्रशा राज्य के निर्माण का माग प्रशस्त किया।

### साम्राज्य का विघटन व नवीन शक्तियों का उदय (1250-1410)

तरहबी शतान्त्री संघर्षका शतान्त्री के मध्य जमन साम्राज्य मे विघटन की प्रक्रिया जारी रहा। प्रभृतिक नितीय की मूल्यु के पश्चात् साम्राज्य की समृद्धि बाह्य तथा प्रतिष्ठा मे कभी हो चरी धन्यवित उसके 550 साल बाट तरं माम्राज्य एवं राजनीतिक इकाई के हृष मे किसी तरह चलता रहा। 1250 म सम्राट का मृत्यु के बाद 23 वर्ष का ममय साम्राज्य का भ्रातराल (Interregnum) कहा जाता है। 1291 म स्विटजरलैंड जमन साम्राज्य से अनग हो गया। 1257 म पूर्व जमन सम्राट के चुनाव मे ममस्त जमन सामत तथा प्रमुख विशेष भाग उत्तर विन 1257 म आत आत चुनाव करन वाले मिष्य नात यक्ति रह गय जिनम मात्स द्रायर तथा बारोन नगर के आक्रमण भी शामिल थ तथा चार अवय नामत होत थ। इन सात व्यक्तियों को धूस प्रतामन व लानच द्वार खीरा जा गता था।

**ऐस्टेट्स व क्षेत्राधिपतियों का उदय (Rise of Territorial Lords)** हानेनस्टाउफन वश के काल म ही विभिन्न क्षेत्रों के अधिपति सामता न अपना शक्ति म बढ़ा आरम्भ कर दी था। 14वीं सदी म जब साम्राज्य की नाव बमजोर पही तो सम्राट को समय-ममय पर उनसे महायता लन का मजबूर हाना पड़ा। "मम क्षेत्राधिपतियों की सत्ता नान और बमव म बढ़ि दृई भीर छल्सी के नगर राज्या का अमुसरण करन हुए क्षेत्राधिपतियों नारा अपन भया या ऐस्टेट्स (Estates) म रा या का निर्माण हुआ। वन ऐस्टेट्स म एक नवान व्यवस्था का उदय हुआ। ऐस्टेट्स राज्या म पादरी बुजुधा बुनान सामत तथा कमो-बमी विनान भी शामिल हात थे—क्षेत्राधिपतियों का चुनौता का सामना बरना पा तथा जनता का अधिकार वी प्राप्ति है। एवं वय प्रतिनिधि ममय ममय पर सब उठक बरन तथा शासक का अपना अपन नेत्रा म वर निर्धारण सम्बद्धी निर्भूति। ऐस्टेट्स भी इस प्रवार सम्राज्य जनतय के आधार बन। एवं शक्तीद समना का मना भी दी गई है।

### नगर राज्या व सधा का उदय

नगर की स्थापना का मानित बगान उपर प्रमुख रिया जा सुका है। उठा के नगर राज्या का भौति अमना म भी जनतय का वात्तिवाह प्रयोग नगर राज्या म ही हुआ। 1-00 वा म जमनी म 250 नगर थ 1300 म 811 तथा 1450 म 3000 नगर। जमन समाज नुई यन्त्र न वर्ते नगर राज्या का साम्राज्य निर्माण

मना (Imperial Di.) मधील प्रतिनिधित्व किंवा<sup>1</sup> या नगर ख्यापार वाहिन्य तथा शिक्षा के केंद्र ये। यहां पर सबप्रथम शिक्षित दुजग्रा वग का उच्च अस्त्र और अन्त विचार स्वाक्षर्य मध्यानीय मामता का घर पक्का हुआ। नगर अपने अधिकारा न प्रति सजग ये। उक्तिन अकृत शक्तिशाली मामता मधील अपनी रक्षा नहीं बर सकत ये। अत उन्हांने नगर सधो का निमाण किंवा जिम्मे स्वाविष्टन दीर्घ तथा रेतिना दीर्घ प्रभुत्व है। चौमुख्या गतांना मधील नार सध इतने अधिक शक्तिशाली है। उठ कि नदा विश्व अकृत व तिंग मामता न आ दीर्घ आफ नावर नार स नामक न आ वा निमाण किया।

“नी प्रकार नगर राज्या के प्रमुख नगरों ने मित्रवड हासियाटिक लोग नामव ख्यापारी सध का निमाण किया। हस का अर होना है ख्यापारी-सध। उस गोपार सध ने विज्ञा मध्ये ख्यापार के विकास व सुरक्षा के लिए अपने ख्यापारिक अनिनिधि भए। चौमुख्यी शक्तांशी के मध्य मधील 7। नगर अस ख्यापारी सध के सदस्य रे। ये सध मुख्यत अधिक जिन्होंने की मुख्या के लिए इनाया गढ़ा। उक्तिन जब जब वेर अधिक जिन्होंने को प्राच आर्या गतन निक कर्म भा उठाये और अवरार गाने पर युद्ध भा किये। अनेक और ये जमन ख्यापार सध के बीच 1362-63 वर्ष युद्ध चता लाईन सध को नक्काशा न मिला। पर अनेक पर ख्यापारिक दबाव वना और 1370 मधील हासियाटिक लोग के साथ सधि करना पा जा स्नावमुद्दी की संपर्क बनानी है। 2। मरि नगर की मारी किया था।

“इन नगर राज्या के मध्ये तथा ख्यापारिक मध्यों ने जमनी मधील ख्यापार व मध्युति तथा राज्यीनिक वनना का मार्ग प्राप्त किया। आज भी जमन तोम अन नगर राज्यों का जमनाविक यन्म्या का गव भ यान करते हैं अतना ही नहीं वनगान परिवर्ती जमनी के मध्य राज्य के सदस्य आज भी नगर राज्य ही हैं। अनेक नाम हैं नम्युग तथा व्र मन।

### साम्राज्य तथा क्षेत्राधिपतियों के मध्य सधप 1450 1648

1452 मधील यश्रात का राम मधील रोमन राज्यानिधि आ। ये पर्फिम राज्यानिधि भा। लक्ष्मि अमृत राय नी साम्राज्य का विमल तेजा स पारम्पर्या की गया। विघटन का कारण सच्चार तथा ऐताधिपतिया (Territorial Lords) के मध्य सधप का आरम्भ था। 15 वा शतांशी के मध्य मधील साम्राज्य नाम मात्र हा साम्राज्य रह गया था। अधिकारा मना व भेत्र मध्याधिपतिया के पाप अनित थी। उन्हांने नवरम्य मध्युग मावभाम यना अप्पे कर दी थी।

### घमसुधार आदोलन 1517 1557

जमनी के एनिहामिक विश्वास व यन्म्या मधील अम्युद्धा प्राप्तान की मारी

वाय को जहर फनात की सना थी। जब पोप न उथर का आंश दिया कि वह रोम म उपस्थित हो तो नूथर ने अत्तेश को अद्वेलना की। उसके बजाय उसन 1518 म आगुमदुग की सभा म पोप के प्रतिनिधि से मिनता स्वीकार किया। आगुमदुग म उथर व पोप के प्रतिनिधि के बीच वादविवाद से वार्ता समझौता न हो सका। इसा बाच जमनी म नूथर के नातिकारी विचारों का प्रसार होने उपर। जन 1520 म पोप न उथर को धम वहिष्ठृत कर दिया। उसी वर्ष नूथर न जमन राष्ट्र के इमार्ट साम्राज्य कुनाना के नाम पर पत्र (Letter to the Christian nobles of the German nation) प्रकाशित किया तथा उसने अपीत की कि वह "माई धम को पाए व पादरिया के अध्य पत्र स मुक्त कर। इसी प्रकार पाप नारा वहिष्ठृत बरन के उन्नर म उसने "सारा" की स्वतंत्रता के बार म (on the freedom of a christian) नामक नैत्र भजा जिसम सभी "साइया" के ममान होने का मिद्दान "तिर्त्तिर्त्ति दिय "या" था। इन म उमन चब की समझ सम्म पर कटु प्रहार कात हुए चब के बोकानियन बाकरण के बार म (on th babylonian captivity of the Church) नामक पुनिका प्रकाशित की। य सब पुस्तकों एक नय धम का अधार बनी तथा उस प्रकार प्रोटेस्ट नम्प्रदाय का उदय हुआ।

सामाजन्या पोप द्वारा धम वहिष्ठृत करन के तत्काल बाद सम्बद्ध व्यक्ति को साम्राज्य स बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसिए नूथर के बारे म ऐसा नही हुआ। बड सामन्त तत्कालीन जमन सप्राप्त चास पचम तथा पोप स नारान थ। अत नूथर के धार्मिक विचारों स सहमत न हान पर भा सामना न लूथर का पत्र दिया। 1520 म बास सभा (Diet of Worm) म नूथर को कुनावर उसव तक मुन गय। सअ्राट पार्टिया विशेषा राजकुमारा सामना तथा तुन आ तापा र सम्म नूथर न कहा कि वह अपन विचार पर हठ है तथा यहि मूर "सारा" ग्रामा मध्यो उसके विचारों को समझन म भूत है तो ता वह उम मुगारने की तयार है। अत म उसन अपी आत्मा तथा ईश्वर म थदा की धायणा की और पश्चात्ताप प्रबढ करन स चबार किया। जिसान बुज आ तथा ढार ढोर सामन्त लूथर की हृष्टा स बड प्रमाणित हुए। शांघ्र हा उनक अनुयायिया की सत्या बन गी। हाम जादक नामक लखक न उथर का विनवेग की बुरबुल'—जिसन इमार्ट सार क गीत गाय—यो सना दी।

अ सभा के बार्ता समनी म नूथर को गिरफ्तार कर बान्दुग के किन म नमरवार कर दिया था। वहा उसन वार्त्तिक वा नदीन जमन जाया म अनुवान दिया। उम वाय स धार्मिक आन्ति का तार नहा कुना बरन् आगुनिक जमन मापा का विकास भी शारम्भ हुआ।

नाइट वग द्वारा दियोह—1552 म नाइटन रामो न दियाह विया जा प्रय। इस सूपर की जिम्मा वा परिणाम था। के नाइन्स (मरनारा) न नूथर

के उपरैशा को स्वीकार किया। इनमें से एक कानून कानून मिकिगन (1481-1523) ने राष्ट्र में बनने असनोप से फायदा उठाना चाहा। ताइटस लोग क्षेत्राधिपतियों से नाराज़ था। अतः उहाने नवीन आधार पर राष्ट्र के भगठन के नाम पर विशेष किया। पर लूथर ने ताइटस नोगा का समयन नहीं किया।

**किसान विद्रोह** — लूथर वे जातिकारी विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर किसानों ने भी विद्रोह (1524-25) कर दिया। विशेष नविण पश्चिम में आरम्भ हुया। शीत्र ही उन्होंने सामनों के बिने व महल लूटने व जलान आरम्भ किये तथा एक बारह सूत्री सिद्धात समूल रख कर ग्रामना ज्ञोपण बाट करने की मांग की। किसानों के विद्रोह और हिसा के प्राप्त रूप से लूथर घबरा गया। यद्यपि किसानों का आशा थी कि लूथर उनका समयन करेगा। तकिन व्यापक हिसा का देखत हुए उसने उनका भी विरोध किया। इस प्रत्यार नाइट्स तथा किसानों के विद्रोह में उसने क्षेत्राधिपतियों व राजकुमारा का साथ दिया। इनका लाभ भी हुया। भनाधिपतियों व कह राजाओं ने प्राइम्स्टेट मत का स्वीकार कर लिया।

### क्षेत्रिक व प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय में सघ्य

लूथर ने चर्च की सापति को भा जनता व सावजनिक प्रयोग में रानी व कालत की। कई राजा व नगर राज्य उस तक से श्रार्क्षित हुए। क्योंकि यह चर्च की सम्पदा राज्य या नगर के हाथ में आ जाय तो उनसे राज्य की भ्रामदनी बन गी। इस कारण भी कई सामनों राजाओं और नगर प्रिंग्माने प्राइम्स्टेट धम स्वीकार कर उसकी बकानत की। शीघ्र ही इन लागा ने मिलकर एक प्राइम्स्टेट सघ वा निमाण किया जिसका उद्देश्य जमन सम्बाट पाप तथा जमनी के क्षेत्रोंके लिया—जस बवेरिया का विरोध करना था। इस सघ का निमाण (1526) में हुआ और उसकी स्थापना में वसनी व हमेरे राज्य के शासकों तथा दिल्ली जमनी के कुछ नगर राज्यों न महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जमनी में ऐह युद्ध छिड़ने वी प्राप्त हो गा। स्थिनि पर नियंत्रण बरने के लिए 1526 में स्पायन नामक स्थान पर एर समा का आयोजन किया गया ताकि प्राइम्स्टेट राजाओं व आज्य भनाधिपतियों व शीघ्र धार्मिक सह मस्तित्व कापम किया जा सके। तकिन विशेष महान् त्राप्ति न हो मरी। लूथर तथा पाप दाना उस धार्मिक सह प्रस्तित्व के सिद्धान्त विलाप 5। 1540 में यह सह ग्रन्तिय अमाल्य हो चका। क्यानिक रोग प्राइम्स्टेट धम के बन्ने प्रभाव से धम हो उठ। स्वयं जमन सम्बाट चास न तय किया गया व प्राइम्स्टेट शासकों का कुचल दया। उमों चीज उस भनवारी धरमर भी प्राप्त हो गया। 1545 में समनी व भासर प्रदर्शन तथा इस राज्य के शासक वित्ति न धर्मविक के क्षेत्रोंके राज्य पर हमना वर उम जरन्स्टान प्राइम्स्टेट बना दिया। जमन समार न इन दानों प्राइम्स्टेट राजाओं पर हमना वर किया। अग वर तरा (1545-1555) तरा यद्द चका। प्रोटेस्टेन्ट पर वो पराजय वा नामना बरना पड़ा। तकिन प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय का सारप्रियता में दमा नहीं था। 1555 में

जाना यम्प्रभायो के मध्य आगुस्टुग की संघि हुई तथा पह स्वीकार किया कि यथा स्थिति बनी रहे याना जा राय प्रोटस्टॉट है व अने रह उन्हिं व वन मूलक द्वारे राया न हस्तमेय न कर सक्य ही यह भी स्वीकार किया यथा कि शामक ही प्रपने राय के घम वा निष्वय करणा ।

### प्रति-घमसुधार

उपर व्याख्यानिका न भी अनुभव किया कि यत्रि घम के द्वे र म उद्हान मुद्धार आरम्भ नभी किया तो अविलिक रोग प्रोटस्टॉट घम घोषार कर नगे । पोप पात्र तृतीय (1534-49) न पथारिक मुद्धार का गूत्रपात्र किया । माय ही इमण्डियस ग्राफ जोपाना न जीयम समाज (The Society of Jeaskus) की स्थापना कर व्याख्यालिक सिद्धांता की पुनरायापना वा प्रयास किया । जोयम समाज ने मठा य पवित्रना भ्रह्मचर्य व मान्यो के वातावरण वा निषाण किया तथा चच की सम्पत्ति ने रक्षा के लिए क्षम उन्हें तथा र्या व पाप भी निरतर सेवा करते हुए ईसाई शाम के भण्ड क नाच संघर्ष करन वी प्रतिना दी ।

### जमनी के मामलो पर विदेशी प्रभाव

“म युग म जमनी के ऐतिहास का निषायक नत्य था जमनी वा राजनीति घम व सास्कृतिक जीवन पर विदेशी रायो का उत्तरात्तर बन्ना प्रभाव । जमनी के कुनीन वग न विदेशी वस्तुओ व मिद्दांता वा अपनान का होड़ की । इसी क परिणाम म्यहर जमनी रा वार्त य तीय वर्दीय युद्ध म भाग लेन का वाय्य होना पड़ा जो मुख्यत जमनी की धरता पर ही रन गया ।

1555 क बाद ग्रयोय जमन नेतृत्व इस युग की एक विनायता था कमी था जमनी म सुशाग्य सम्भाटा का अमाव । मन्नाट मक्सूमियत II (1564-1576) प्रत्यधिक अस्थिर व समझौतावादी स्वभाव वा था ता क्षात्र त्रितीय (1516-1612) तथा पर्वीनें त्रितीय (1611-1637) प्रत्यधिक जिदी कठार तथा राजनातिक एथाय के प्रति थ थ ।

तीस वर्षों युद्ध (1618-1648)—1608 म जमनी व प्रोटस्टॉट राया न एक प्रोटस्टॉट लाग की स्थापना की तथा प्रावध्यक्ता तथा सकट वा घब्बा म एक दूसरे का प्रावधिक स्वतंत्रता का मुर वा का बचन किया । उम्मा श्रतिनिया स्वरूप व्याख्यालिक घम क अनुयायिया ने व्याख्यालिक लीग वा निभाग किया । इस प्रवार जमना वा मज़रक्क गुला म बट गया । प्रावङ्ग युद्ध न कुद्द विदेशी राया के साथ साठ गार की द्वी वाच वनावस क्षय के व्याख्याल छपू की मयू ने गर्न । उम्मा श्रधिकारा प्रजा प्रोटस्टॉट घम की अनुयायी था । प्रत वनावस राय दा गुला म बट गया उनम एक वर्त युद्ध या जो व्याख्याल “दून थो चाहता था । उस गहा क क्षदावनार उर हड्ड हुआ ।” उन वान वग का उनकर जान मिलिय मुज़ नन्टीनट वा क्षात्र वानाग विनियम तथा मक्तमी वा डगूव जान फ डरिं ग्रमुन थ । य हीना शान्ति थ । उन्हिं जमन नगाट व राय विदी क्षमालिक व हाय म अन्वना

क्राति के आश्वर्यों का स्वागत किया। जमनी ने कविया अंतिहासिकों पत्रकारग प्राप्तमणि न पुस्तकों नेष्ठा व कविताओं के माध्यम से फ्रामिसा जाति के सिद्धान्तों को लोकप्रिय बनाया। नेष्ठिन जमनी के छाट व शासक इमस घबरा उठ। 1799 मे फाम म नपोलियन का उल्लंघन हुआ। उमड़ी सना ने सारे यूरोप म तटनवा मचा दिया तथा जमना का रोन उठारा।

नपोलियन न 1801 म आस्ट्रिया को पराजित किया जिसके फलस्वरूप आस्ट्रिया व सभाट ने जमनी स्थित अपने साम्राज्य के पुनर्गठन की खीड़हति दी। उकिन जमन शासक आपम म भगवने लग। उहाने न्स तथा फ्रास से पचनिराय दन का रहा। फ्रास ने रचि नी तथा आरम्भिक पुनर्गठन म 300 जमन राज्यों म कमी वर आव स अधिक राज्य समाप्त कर दिया गया। 45 स्वतंत्र नगर राज्य जो साम्राज्य के अंतर्गत थ समाप्त कर दिए गय तथा सिफ छ नगर राज्य हास्तुग ज्ञ मन यूवक प्राक्फुर यूरोपवग तथा आगमनुग का हा अस्तित्व बना रहा। 70 घामिक राज्यों म स-इनम आकर्षिणीपर राज्य तथा विशेष गाय आति शामिन थ-सिफ मार्क्ज के भूत्यूव आकर्षिणीपर का राज्य रखा गया। उम भी रेस्म वुग का ज्ञेन किया गया। 112 राज्य नगर व ज्ञेनों का विलाक्कर आपर राज्यों म मित्रा किया गया। टायर व वोनोन क्षेत्र फ्राम से लिए गय। 1803 म रेस्म वुग सभा म जमन साम्राज्य के न्म पनर्गठन को रखोकार किया। 1806 म रार्न राज्यों का परिमध (Confederation of Rhine) बनाकर नपोलियन न जमनी के पदिन रोमन साम्राज्य का खात्मा कर दिया। प्राक्फुर व यूरोपवग नगर राज्य समाप्त कर दिए गय। इसी दृष्टि नपोलियन न प्रश्ना राज्य का पराजित कर किया। नेष्ठोलियन ने अप्रस्तुत रूप से जमनी के एकीकरण व जननावीकरण की किया म दाय किया।

### प्रश्ना मे सुधार

1806 वी पराजय के बाद प्रश्ना के शासक क्रिस्टियन III ने शासन सेना व अथवावस्था म सुधार को आवश्यकता का अनुमति किया तथा वर्तन पान स्टान का राज्य का मुख्य मन्त्री नियुक्त किया। 1807 म स्टान न सुधार आदेश (Reform Edict) की घोषणा की। इसक अनुमार कुनीना व गर कुलीना के मध्य वग विभेद समाप्त कर समानता दी न्यापना की गय। 1810 म स्टार्न न कृपव दासा (Serv) को मुक्ति प्राप्त की। इससे पूर्व 1808 म नगर वार्तिका प्रश्नासन म सुधार किए गय तथा नगरवासियों का अपनी नगर परिषद चुनन के अधिकार दिए गये। स्टाइन राजने जमो सवधानिक व्यवस्था की स्थापना के पश्च म था। स्टार्न के सुधारों म प्रश्ना का आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

### विषयना काग्रे स व जमनी

1814 म नपोलियन की पराजय के पश्चात् विजया राज्य आस्ट्रिया प्रश्ना इगल इस तथा मध्य राज्य विषया म एकत्रित हुए। जमनी भी जनना को आदाय थी वि 1815 वी विषया काग्रे स जमनी के एकाकरण का माम प्रशस्त करेगी किन भास्ट्रिया का चान्सलर भट्टरनिल भगी भी जमन प्रेश पर अपना प्रमाण

दनाय रखना चाहता था। वियना व्यवस्था तारा एक जमन परिक्षण का निर्माण विया गया जिसम 35 राजनांत्रिक राज्य तथा 4 नगर राज्य सदस्य दनाय थे। वियना व्यवस्था स जमन दशनक व एकता अभिया का आशाए पूरी नहा हुँ।

### आर्थिक सघ या त्सोलवेराईन (Zollverein)

इसी बीच आर्थिक भेत्र म एक महत्वपूरण घटना थी जो आग चढ़ाकर जमन के एकीकरण की ओर सुरु कर्म मार्वित हुँ। 1820 के बारे जमन राज्य न अनुमति दिया था हर राज्य म कइ व गी चौकियों के कारण उनके व्यापार का भारी हानि होता है। अब उन्होंने निगम लिया कि एक आर्थिक सघ या त्सोलवराईन द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रशा का त्मालवराईन म भारा दिन चृष्टी थी जोकि उसका व्यापार काफी विश्वास था। 1828 म प्रशा तथा मात्र अन्य जमन राज्य न त्सोलवराईन की सहस्रता ग्रहण की। 1842 म सभी जमन राज्यों न त्सोलवराईन की सहस्रता ग्रहण कर दी।

### 1848 की क्राति

1815 स 1848 तक जमनी के बुद्धिजीवी व जनता देश के एकीकरण की लिङ्गा म वाय करते रहे। यद्यपि मार्ग सरल न था अनुग्रह निरक्षुश मत्ता व राजनीतिक स्वतंत्रता के समधक उदारवादियों के बीच निरन्तर सघप चनता रहा जनता प्रति निधि समा के निमाण की मार्ग करता रहा। कुछ जमन शासकों न 1830 की क्राति के बाद जनता का स्वतंत्रता प्रतान की निकिन आस्टिया व ग्राम शासकों न उसका विरोध किया। 1832 म जमनी के पन्नोनिट क्षत्र म स्थित हाम्बाल नामक नगर म जमनी के बुद्धिजीवी विचारक नगर प्रतिनिधि व प्रबकार सम्मिलित हुए तथा हाम्बाल म एकनित जमन जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। स्वाविया भेत्र के प्रसिद्ध कवि तुर्किय उहनण्ड न धायणा की जब तक जनतान्त्रिक कुन स राजकुमार के माथे पर निरन्तर न लगाया जाय वह जमनी म राज्य नहीं करगा।

1848 के प्रथम चार महीनों म श्रान्ति एक महामारी की मात्रा समस्त यूरोप म फैलने लगी। शोषण हा श्रान्ति न बर्तिन और वियना के तार खट्टनान प्रारम्भ कर दिय। सब प्रथम प्रशा के गान्डन्ज़ल माईनसिया तथा पूर्वी प्रशा में विवाह की भावना फैली। 3 मार्च 1848 म कानान नगर म जनता की नीठ न नगर हॉन म प्रवेश कर नगरपानिका सदस्यों के समुक्त द्वं भागें प्रस्तुत की। उन मार्गों म भता विदार नागरिक स्वतंत्रता नावान्य सनिक (Popular Militia) के साथ। गाय थ्रमिकों की सुर ग यूनतम जीवन यापन स्तर तथा सभी के लिए राज्य का धार म शिरा का व्यवस्था की मार्गें थी। ग एक सप्ताह बार प्रशा की राजधानी दर्जा म मध्यम दग के त ग न राजनानिक ग्रामममा का ग्रायोजन दिया तथा मयुक निधि समा युनान तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की मार्ग था। एक गाय रा निम्न वर्गीय गायों न भी दपनो मार रखा। वर्तिन के 4000 मद्दुगा न राजा के

मामने अपना यात्रिका प्रम्बुन का तथा रामिका की दशा म सुधार करने की प्रायता ही।

13 माच को वर्निन म भीड़ तथा पुलिम व सेना म मुर्म भेड हो गई। अगले दिन वर्निन म बराबर प्रदशन हुए दिनांकिन भीट की सत्या वनी। कुछ लोगों न आमरु फैरिंग विनियम तृतीय के मञ्जल पर पत्थर भी फैर। 18 माच का प्रदशनकारिया की भीड़ न उप्र रूप न दिया। 19 माच का शासक ने अपने प्रिय वर्निन वामिशा के नाम एक पत्र लिखा। आगामा महीना म राजा को वर्निन छाड़ कर पारम्पर्य नाना पन। धीर धीर जानिहारिया का जोश ठां पड़ने तगा। उधर वियता म भी दिनांह को दवाने के समाचार मिल। अब प्ररणा पाकर प्रशा के शामक न भी अनिकारिया का दमन कर दिया। 1848 की जाति स समस्त जमनी के एकोवरण तथा जनतान की स्थापना पूरा नहा आ। उक्ति राना भी मग्न गया वि समय के बान्नत रख की उपरा नन की जा सकती। उसन उपरी तीर पर जनता का एक सविप्रान प्रान्त किया और उप संघान क अन्तर्गत जमवरी 1849 म चुनाव कराय गये।

### फ्राक्षुट राष्ट्रीय सभा 1848

जउ प्रश्ना भ जनता विनाह कर रनी थी उभी समय समस्त जमनी की जनता ने प्रतिनिधि फ्राक्षुट म एकत्रित हुए और उहाँने समस्त नमनी वे लिए एक सविप्रान तयार करने की लिया म काय आरम्भ किया। 18 मई 1848 म फ्राक्षुट नगर क सविप्रान गिरजाघर म 830 चुन हुए प्रतिनिधिया न सविप्रान निमाण का नाय किया। प्रतिनिधिया म अधिकारी तथा राज्या की विप्रान सभाप्रा क सम्म और पथकार तथा माहित्यकार नाना थे। यद्यपि उस समय कोई स्पष्ट एव समठिन राजनीतिक दन नहीं या फिर भी प्रतिनिधिया को विचारो व सिद्धांतो की हृष्टि स निम्नलिखित भागो म बाना जा सकता है। अनुनारवानी दिनिएपर्यी जिसम दो वग थे एक वग म प्रगा के प्रतिनिधि थे तथा प्रगा के राना का जमनी का सम्भाट बनाकर वधानिक राजतन की स्थापना चाहत थे। अब नन राष्ट्रविटज तथा बटन ग्याग फान विक थे। दूसरा वग अय राजा का प्रतिनिधित्व करता था व प्रणा का ननृत्व स्वीकार करने को नयार न थे।

एक वग सविप्रानवानियों नया जनन-प्रवानियो का था। अम्ब प्रतिनिधिया म भत्यविव विद्युत्तम प्रनिमावान लोग मौजूद थे। हानरिच पान गार्गेन विधाय इनिहामवार शहनाम पत्रकार ग्याग गर्वीनस नया नामकाया नखड़ जवव दिम द्य वग म जामिल थे। य लोग सम्भाट का पर ना या न ना "म विद्यम एक मत नहा थे। प्रतिम वग उथ गरण-प्रवानिया का था। नरा नेना कुआर नायण अत्ता रावर नम (1807-1848) था। य सम्भाट के पर खो दिमी भी गत पर स्वीकार करने को नयार न थे। उनके प्राना समानवार इ तिकट थे।

19 मई 1848 को फ्रांकफुट स्थित जमन राष्ट्रीय सभा न हाउनरिच फन गार्गेन को अपना अध्यक्ष चुना। मार्च 1849 मे राष्ट्रीय सभा न प्रशा के शासन फ़डरिक विलियम तृतीय को जमनी का तथा सम्प्राट चुना और एक प्रतिनिधि मण्डल बलिन भेजा ताकि वह प्रशा के शासक से इसकी स्वीकृति ले। फ़डरिक विलियम तृतीय ने प्रतिनिधि मण्डल का उत्तर दिया। मर्जना यह न भूलो कि वहाँ से और भी राजा हैं और मैं उनम से एक हूँ। प्रशा के शासक ने अपन मिश्रा स वहाँ मैं गटर म से उठाया हुआ नाल फीते (क्रांति) स मुक्त मुकुट को कसे स्वीकृत कर सकता हूँ। फ़ार्कफुट म वहा भी मुकुट तपार हांगा उसम नान्ति की थू आएगी।

इस प्रकार 1848 की क्रांति जो सफनता के निवाट पहुँच चुका थी असफल हो गई। यह जमन जनतान का दुर्मियथा दि उस समय प्रशा के शासक ने सम्प्राट पन को स्वीकार नहीं किया। नविन 1848 की क्रांति अपना प्रभाव छोड़ दिया न रही। समस्त जमनी के शासकों को किसी न किसी रूप म जनभावनाओं का भार बरते हुए उनता को अधिवार देने पड़।

### विस्माक और जमनी का एकीकरण

प्रशा के शासक विलियम फ़डरिक ने गार्गेन से कहा था जा काह जमनी का शासन चाहता है तो उमे जमनी का जीतना चाहिए दूसर श्वारों म जक्ति और तनवार के माध्यम स ही सम्प्राट पद धारण किया जा सकता है। 1867 म विस्माक प्रशा का चानसनर बना। उसा वय उसन सततीय समिति के समस घोषणा का थी—

महान् प्रश्नों का हन भायणा व वहुमतों से नहीं हाता—यह 1848 व 1849 को भूल थी—बरन् रक्त और लाल से हाता है इस भायणा का प्राश्य यह नहीं कि जमन रक्त पिपासु य बरन् विस्माक एकीकरण की अपनी आगामी योजना म जक्ति के शयोग का ग्रीवित्य सम्मुख रखना चाहता था।

विस्माक ने तीन चरणा म जमनी का एकीकरण सम्पन्न किया —

- (1) डेनमाक से युद्ध
- (2) आस्ट्रिया से युद्ध
- (3) फ्रास से युद्ध

डेनमाक के राजा के पास दो जमन दृचिया (गत) थी। उनके नाम ये शत्रुघ्नि तथा हास्टाईन। डेनमाक का राजा इन दृचिया का अपन राज्य म नहीं मिला सतता पा तथा भलग स न ए पर जामन बरता था। हास्टाईन नामक दृची तो जमन परिसद की मन्त्र्य भी थी। 1863 म डेनमाक दे राजा फ़डरिक मप्लम न डेनमाक के राष्ट्रवादियों के दबाव म भाक्त अपना मप्लम म यह विन प्रस्तुत किया कि इन्सेविंग तथा हास्टाईन की दृचिया म भी डेनमाक का सविधान भागु किया जाए। प्रशा तथा आस्ट्रिया न डेनमाक के द्वारा इन का विराघ किया। इगा बीच उनपाई के शासक की मृत्यु ही गई और त्रिप्लियन नवय गदा पर बढ़ा। उगन इन्सेविंग का

अपने राज्य में मिनाना चाहा। इसी बीच प्रश्ना और आस्ट्रिया ने मिलकर डनमार्क के विरुद्ध कट्टम उठान वा निश्चय किया। जनवरी 1864 में दोनों राज्यों ने डनमार्क के शासक से माग दी कि वह डचिया को अपने राज्य में न मिनाये। प्रिश्चियन नवम ने उनकी माग दी और ध्यान नहीं दिया। परंतु फरवरी 1864 को 37000 प्रश्ना व तथा 23000 आस्ट्रियाओं मनिकों ने डनमार्क पर हमना कर दिया। 12 मई 1864 का युद्ध विराम समझौते पर अस्ताखर था। अब तुबर 1864 में वियना में सधि हुई जिसके अन्तर्गत इनसविंग हाल्मटाइन तथा नाउनवग का प्रदेश आस्ट्रिया व प्रश्ना को सौंप दिय गय। 1865 के अगस्त माह में आराट्या और प्रश्ना के बीच गेस्टार्न का समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत प्रश्ना का इनसविंग तथा आस्ट्रिया को हाल्मटाइन का प्रेस्प्राइवेट था। प्रश्ना का इनसविंग में सना भजन के निए हाल्मटाइन प्रदेश से गुजरने की अनुमति नी गई तथा हाल्मटार्न के बीच बदरगाह का प्रश्ना सन प्रश्ना को मौजिगा गया। प्रश्ना ने आस्ट्रिया को 25 नाल डनिश सिवके (घोतर) देकर नाउनवुर्म का प्रेस्प्राइवेट दिया। गेस्टार्न के इस समझौते में ही भावी आस्ट्रिया प्रश्ना युद्ध के बाज निहित था।

### आस्ट्रिया व प्रश्ना में सघण

प्रश्ना आरम्भ से ही इस बात के निए हर प्रतिन था कि आस्ट्रिया को जमनी से बाहर निकाल फरगा। अब उसने उत्तीर्णी शक्ति अर्जित करली थी कि वह अपने नक्षे को पूरा कर सक। तब्दिन आस्ट्रिया से युद्ध आरम्भ करने में पूर्व यह आवश्यक था कि कोई विदेशी राष्ट्र उसकी मदद को न आये। रूम और प्रश्ना के सम्बन्ध था कि कोई विदेशी राष्ट्र उसकी मदद को न आये। रूम और प्रश्ना के सम्बन्ध था कि उसने फ्रास के अक्टूबर 1865 में विस्माक वियारिटज में छुट्टी मनाने पहुंचा। वही उसने फ्रास के मल्टार्न नेपोलियन तीनीय में जमन समस्या पर विचार विमण किया तथा यह पता लगाने का प्रयास किया कि यहाँ प्रश्ना व आस्ट्रिया में यद्ध दिन जाए तो क्या फ्रास तटस्वर र गा। नेपोलियन का उत्तर या—यह उसे जमनी के राईनलैण्ड प्रदेश का कुछ भाग मिन तो यह सम्भव है। यद्यपि विस्माक ने इस विषय में कोई स्पष्ट आव्वामन नहीं दिया उसने नेपोलियन को यह महसूस करा दिया कि एसा ही सकता है।

प्रिमाक बहुत सावधानी बरतना चाहता था। अत उसने उत्तीर्णी के सार्डिनिया राज्य के माथ भी गोप्य बरनी चाही। अप्रृत 1866 में प्रश्ना व सार्डिनिया के बीच भी युद्ध हुई जिसके अन्तर्गत सार्डिनिया के शासक ने स्वीकार किया कि यह तान माह दी अवधि के भीतर प्रश्ना व आस्ट्रिया व बीच युद्ध हो तो वह प्रश्ना का साथ देगा। उधर प्रश्ना न मार्डिनिया को वनशिया देने का वादा किया। अम प्रकार विस्माक न युद्ध दी तयारिया पूरी कर नी। इसी बीच आस्ट्रिया व प्रश्ना के बीच तनाव में बढ़ि हुई। आस्ट्रिया न आगस्टनवुर्म नामक राजकुमार की भव्यता में इनसविंग व हाल्मटाइन का एक सयुक्त राज्य बनाने का प्रयास किया तो विस्माक ने वियना पर गेस्टार्न

रिग्न वशीय राजकुमार लियोपोड को भी गही पर बढ़न को बहा गया। प्राप्ति ने इसका विरोध किया वयाकि प्रश्ना का राजवश भी हाउन्टमोलन वश से सम्बद्ध था और इससे उमड़ी शक्ति व प्रतिष्ठा में बद्ध होती। 2 जलां का मठिड में घोषणा का गई कि लियोपोड ने मिश्नेन न्वीकार कर लिया है। इस पर फास न प्रश्ना के राजा विनियम प्रथम से माम की कि वह लियोपोड की उम्मीदवारी बापस ल। फामिसी राजन्त बनदिता बाड एम्प नामक स्थान पर प्रश्ना के राजा से मिला। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा को देखत हुए उम्मीद इचार कर दिया परंतु चुपचाप लियोपोड से बहा कि वह ऐसा बर। लियोपोड ने स्पन के सिहासन पन के प्रत्याशी व न्यूप में अपना नाम बापस ल लिया। उक्ति नवालियन का डर था कि लियोपोड अपना विचार बदल सकता है। अत उसन अपने राजदूत को एक तार भजा जिसम लिखा कि प्रश्ना के सम्माट से मिनकर यह लिखत बचन ल कि मविध्य म हाहन त्वोन्नत वश का यक्ति स्पन वा उत्तराभिकारो न ते बनगा एम्स म कासिसी राजदूत न प्रश्ना के राजा से भट की नथा नपोलियन को माग सामन रखी। प्रश्ना के शासक न यार्टा या बचन दिन से छाकार किया। यह तार विस्माक के पास भजा गया जिसन उस इम्प्रेसार समादिन किया दि एसा न्वीन हथा कि फ्रामिसी राजदूत ने जमन शामक का अपमान किया है तथा जमन शामक ने फ्रामिसो दून को बुरा भला बहा। एम्स के इस तार को समाचार पत्र म दृपवाया गया जिसम प्रापा की जनता का लगा कि उनक शासक का अपमान हुआ है तथा फास के त्रोगा न उस अपना राष्ट्रीय अपमान समझा। विस्माक न न्यूम तार को ठमे नाल कपड की सना दी जिसे दब्कर फ्रामिसी साड भन्क ठठा। दाना देशा म युद्ध की माग का वथा। 19 जनार्द 1870 को फ्रास न युद्ध की धायणा बर ते। 10 दिन म प्रश्ना की सेना को 300000 म बना कर 9 लाव कर किया गया। अब जमन राया न भी राष्ट्रीय सवट का धटा म अपना नविक निभाया। आस्ट्र म जमन सना न अल्मास व लारन म प्रवेश किया। 1 मिनम्बर को स हान क मैन्नाउ म फ्रास की भारा पराजय हुई। 2 मिनम्बर का नवानियन न अपन 40 भनापनिया व 83000 सानको सहित समपरा बर किया। सीधान 4। परानव व बा उत्तरी प्राप्त म न्यू की सना वा प्रवय सहज हो गया। 19 मिनम्बर का जमन सना का एक टुकडा परिस नगर क सभीय जा पहु चा। फार वा ममाल का तयारी करना पड़ा। 18 जनवरी 1871 म फ्रास क वर्षाय क महान म फिन गांग महन म विनियम प्रथम को जमनी का समार्थ धाति किया गा। विस्माक न जमनी की जनता के राष्ट्राय एकता वे सुने को पूछा किया।

### विनियम न्यूतीय तथा प्रथम महायुद्ध

विस्माक न 871 म जमना के चान्दर का पा एला किया तथा 1871 से 1890 तक व जमना का भारत रियाना बना रहा। 1888 म विनियम न्यूतीय जमनी का सम्माट बना। विनियम न्यूतीय जमनी का विक की "मुरा शक्ति बनाना

चाहता था। उसकी मायता थी जमनी वा भवित्य सहरो पर निभर बरता है अर्धांद वर्ष समृद्धी सेना की हस्ति से जमनी को विश्व का सबस अधिक शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। वह जमनी के निए उपर्युक्त प्राप्त करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण यूरोप म तनाव बना और अब म प्रथम महायुद्ध (1914-1919) हुआ। जिसमें जमनी व आस्ट्रिया एक प्रोटर थे तथा इगलेंड कास रूस व इटली दूसरी ओर। युद्ध म जमनी परात्त हुआ और इसक साथ ही जमना में राजतांत्र खत्म हो गया। 1919 म जमनी म जनतांत्र की स्थापना हुई।

### हिटलर का उत्क्षय और द्वितीय महायुद्ध

1920 में जमना म बाईमार गणराज्य की स्थापना हुई। बाईमार नगर में संविधान का निर्माण हुआ। इसीनिए जमन गणराज्य को बाईमार गणराज्य कहते हैं। 1920 से 1933 तक वहा जनतात्रिक शासन रहा। बाद म हिटलर सत्ता म आया। उसने विश्व पर प्रभुत्व जमान का सपना दखा और 1938 म आस्ट्रिया पर प्रभुत्व जमाया। 1939 म चेकास्लावाकिया हड्डप लिया। 1939 म उसने पोलण्ड पर हृसला किया और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। 1945 म युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही जमनी की एकता नी समाप्त हो गई। मित्र राष्ट्रो-प्रभारिका रूस ब्रिटेन व फ्रान्स-न उस चार नागा म विभाजित कर दिया तथा प्रत्यक राष्ट्र के पास उसका प्रशासन रहा। 1949 म आते प्रात जमनी मे दो राज्य बने परियमी जमनो और पूर्वी जमनो। भाज भी जमनो एक विभाजित राष्ट्र है।

□□□

## जनतान्त्रिक परम्परा

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जमनी के बारे में उनके विरोधियों ने विद्यालय विद्युत तथा अमरिका ने यह प्रचार किया कि जमन नाग युद्धशिव वब्बर जनतान्त्रिक विरोधी दूसरे राष्ट्रों को गुनाम बनाने वाले तथा निरमुश्शाना तथा सानाशानी के ममत्यक हैं। दो महायुद्धों की दृष्टिया में आग्न अमरिकी समर्थकों विश्वासा तथा प्रास्त्रमार्ग तथा पत्रकारों ने जमना की निराकारी जमनी की ताराफ़ आरम्भ कर दी। साथ ही यह उल्लंघनीय है कि प्रथम महायुद्ध में पन्डित नेहरू ने हमशा जमन सत्याग्रों की ताराफ़ के पुनर्वाप्त तथा अमरिका ने तो जमन नागा के चरित्र का अनुकरणाय माना। निष्ठा मूल्याङ्कन के लिए राजनीति तथा निराकार के द्वाव को जमनी के निराकार तथा राजनीति का अध्ययन करता होगा तभी वह सही निष्ठा य वर पन्डित सद्वता है।

जमनी के निराकार के गृहन अव्याख्यन से एक निष्ठा निरनना है कि यूरोप के प्रथम देशों की भावित जमना में भी दो विचारधाराएँ प्रवाहित रही हैं। एक राजतांत्रिक सनिक विचारधारा तो राजपत्र की समस्त शक्तियों का कुछ मुठभार जोका के हाथ में रखना चाहती थी दूसरी उदारवादी जनतान्त्रिक विचारधारा जो जमना के प्रधिकार का प्रमधर था। यह जमना का दुमार्ग था कि दूसरी विचारधारा को बहुमुख्य संघ से पाव जमाने के कम अवसर प्राप्त रहे। इसका कारण जमना का विमानित होना तथा दर से राष्ट्राय एवं तांत्र प्राप्त करना था। "सब लिए जमना से प्रधिक यूरोप के दमर और उनकी शक्ति का राजनीति निर्माण रहा। नेहरू अमर वादजन्म जमना के बढ़ियों द्वारा उत्तरवा। विचारका तथा राजनीतिका न वही जनतान्त्रिका का स्थाना के लिए सतत प्राप्ति है।

सामाजिक यह माना जाना है कि ब्रिटिश संसद संसदीय जनतान्त्रिकी जननी है नेहरू यही संसदीय जनतान्त्रिकी इस जननी के उन्नय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए तो उम्मीद हम प्रमिद्ध प्रानिमी विचारक मानस्वी से प्राप्त होता है। मानस्वी के "ग्रन्थ में ब्रिटिश संसद का जमन जमनी के प्रोड में आद्यान्त्रिक बना महूपा। उन्नीसवीं सदी के द्वितीय एक उदारवादी विचारक चास जमन संघर्ष के भनुमार पूराप में निष्ठा तो ही सविधान थे एवं द्वितीय वा दमरा व्यूर-मवुग (जमना स्थित) थे। उत्तर दो विचारों वा भासायता के प्राप्ति पर यह निष्ठा निराकार

जो सकता है कि जमनी में प्रतिनिधि समाप्त तथा सहदीप विचार विसी विदेशी भूमि स नहीं आया वरन् स्वयं जमना न जन महयोग के आधार पर प्रजातात्त्वक प्रणाली सविधान निर्माण तथा मुक्त संस्थानों के सजन में इच्छा प्रदर्शित की।

सब प्रथम रोमन इतिहासकार टेसोटस न जमन नोगा का जनतात्त्वक प्रवत्ति का सबैत दिया है जिसका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। मध्य-काल में टला की भाँति जमनी में भी नगर राज्यों का निर्माण हुआ जो अपने आत्तरिक स्वाम्पन ने पूरणतया स्वतंत्र थ। जमनी के सुप्रसिद्ध समाजवादी नटा स्वर्गीय प्रिजट एर ने लिखा है — जमनी सम्मानजनक जनतात्त्वक परम्परा से रहित नहा है। जमनी के दनिंग पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पूरटमबुग राज्य में 7 नवम्बर 1457 में जो विधान समा तुनाइ गइ उस प्रथम विधान-समा की सजा दा जा सकती है।

### साम्भाज्य में जनतात्त्वक तत्त्व

नवी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जमनी में मग्नाट का शासन रहा जो स्वभावत ही निरक्षा शासन होता है नकिन जमन साम्भाज्य की यह विशेषता रहा है कि यहाँ मग्नाट का भी चुनाव होता था। यद्यपि अधिकारित सम्भाट वशा नुगत होने थे। लकिन उन्हें चुनाव मण्डल संघर्षना चुनाव करवाना आश्यव्य था। यह चुनाव मण्डल चाहता तो अच्युतांको राजा चुने सकता था। चुनाव मण्डल में कुछ स्थानीय राजा तथा धार्मिक वर्ग के आकर्षण आदि शामिल होते थे। विनिय समयों में चुनाव मण्डल के सदस्यों की भूम्या भिन्न भिन्न थीं। जब तेरहवीं शताब्दी में वर्षड़ के राजा के अपने सामनों का मैग्नाटा प्राप्त रिया उमके सिफ पाच वर्ष दाढ़ होड़ेनम्भाउफन वश के जमन मग्नाट न धार्मिक विगाया को एक चाटर प्रदान किया तथा उमके 12 वर्ष धार्म अपने राजाप्राप्ता सामता व कुलीन लागा दो भी चाटर प्राप्त रिया। उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मग्नाट अक्ता गामत नहो करता था वरन् सामना धम-पुण्या तथा कुनौन लागा दो भी आ अधिकार प्राप्त थ। उस निरक्षुत युग में इनना वाय मा बाफो महत्वपूरण माना जा सकता है।

### नगर राज्यों में जनतात्त्व

दूरोप के जनतात्त्व के विवास में नगर राज्य का प्रमुख स्थान है पौर इन सामन में उमना के नगर राज्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जमनी के नगर राज्य नागरिक स्वतंत्रता के मजग प्रवर्त्तन थ। भाज्य बाजार में जमनी में 2000 में धरित नगर राज्य स्थापित हुए। उसमें कठ नगर राज्यों ने जनतात्त्व के धैव में मग्नाट प्रयोग किय। मध्य बाजार में यह धारणा प्रचलित थी कि नार दो वालु मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। यन नगर राज्य मध्यम वर्ग के उन्हें वाराण देने वाले नारिक वर्गप्राप्ता सहृदी तथा सम्मना का निमान किया। उमनी के एवं प्रमुख पवरार दो प्रकार राज्य के मनुष्यार — द्रामतुग उन तथा यागुमनुग नगर दो नगर पालिकाया के प्रमुख साधारण बारीयर तथा धाय लाग थ। ये नगर राज्य द्वूरोप के

नगर राज्यों में सबसे पहले नगर राज्यों में भी और ये मूरार के अधिकार में प्रथम सम्मान्य गणतान्त्र के प्रतीक थे। उस समवय द्वारा या प्राप्ति<sup>1</sup> में इस प्रकार का कार्य जनतात्रिक सम्भाल नहीं था।

स्नासनुग्रह नगर राज्यों का बहुत कर्तव्य वहाँ उचित था कि वहाँ उचित है—  
 ‘द्वारानुग्रह नगरपालिका का प्राप्ति न द्वारा आपके बाह्य सभी व्यक्तियों द्वारा उन्होंने गणतान्त्रिक राज्य का नाम दिया था। वहाँ राज्य यहाँ बठक न कर बुराता था न उसे भग कर नक्ता था। वहाँ ना नाट या सुभान का द्वचनाज्ञा न कर कर सकता था। नामरिक स्वयं अपनी प्राप्ति न द्वारा उचित है। किंगड़ान व डिवान नामक अपने नामकों का माध्यम से है कि 10वा से 12वा शताब्दी के मध्य के क्षेत्रों राज्यों द्वारा उचित से ही कई नगरों न भाग मर्गव विकास किया तथा इससे मात्र के नगर राज्यों का नियमण नहीं। कई नगर राज्यों की सभा पूर्णत जनतात्रिक था आर उससे गति नगर-सम्मानिया तथा बुरामार्ग्नर (नगरपिता) के पास थी। अधिकार नाम राज्य कुरानत-तात्रिक-जनतान्त्र ये उहाँ पाल्ची सामाजिक तथा प्रश्नामत्रिक के नाम नियन्त्रक नगर सम्मान का नियमण द्वारा उचित है। उन्होंने उत्तराधिकार ये नाम दिया था तो स्नासनुग्रह में जनतात्रिक व्यवस्था फार्मकुर नगर में उन दोनों के बाच के व्यवस्था थी।

“मूर्ख प्रकार नगर राज्यों में प्राप्ति न द्वारा उचित है। सभी नामरिक स्वतन्त्र व्यक्ति किसी राज्य का कार्यक्रम का नाम न भग नगर में था जाना तथा पक्के व्यक्ति की एक नियमित रह उठा तो वह स्वतन्त्र हो जाता था और उसका भूत्तु वार्तिर उस वापस ते ज्ञान सम्बाचा दावा पा नहीं कर सकता था। वे नगर राज्य पूर्णत स्वतन्त्र मान जाते थे जिन्हें उसके सामाजिक का प्रतिनिधित्वन्नभा (Diet) का नन्दनना प्राप्ति नहीं थी। नगर का प्राप्ति नाम सम्मान या स्टार्टर्स के हाथों में हाना था जिसका अध्ययन बुरामार्ग्नर या नगरपिता होता था। सभी नियमण नगरपालिका या गार्डरेन नाम नियमण थे। प्राप्ति नाम का समुचित इस से मचारित बरतन व नियमित सबतनिक पञ्चाधिकारा व बलक नियुक्त किया जाता था। नगर व नगर सार उत्तराधिकार को ध्यान तथा नगर-सम्मान को बोयबाहो का उत्तराधिकार रखता था। नगर-सम्मान नामाना तभी दोनोंरा कानूनों का नियमण तथा सुना तथा प्रतिक्षा के समझना दोनों नियमण करता था।

“एक नाम नाम सम्मान के नामियों का पनन होता त्याँसे समन्वय तथा राज्य सामग्री शक्तिशाली बन और उन्होंने उन नगर राज्यों का परात्रित वर प्रपन राज्यों में नियमण किया। समिन प्रतिकृति पर्ति यत्तिया में भी वर्त नाम राज्यों न अपना अभित्व

1 दिल्ली दाम्पत्र इन्डिया (सम्पादक) नी प्रानिटिक्स लाइफ पास्ट्रीर जनवरी (नवम्हीन 1963) में इसके दर्शक का लक्ष्य दो बहुत नियम 139।

2 इन्हाँ 139।

3 दिल्ली दाम्पत्र इन्डिया के लक्ष्य दो बहुत नियम 139।

बनाये रखा इनमें फाकफुट व्रभेन ल्यूडेक हाम्बुग आदि प्रमुख थे। भाज मी पश्चिमी जमन सघ राज्य के दो सदम्य हाम्बुग तथा व्रभेन नगर राज्य हैं। ये नगर राज्य जमनी के जनतानिक आ दोलन के प्ररणा व स्रोत रहे हैं। उच्चीसंघी तथा बोस्टनी शताब्दी वी जमन नगरपालिकाओं के निए ये नगर राज्य आदेश रहे हैं।

### जमन एस्टेट्स या क्षेत्रीय संसदें

नगर राज्यों की जनतानिक परम्परा को जमन एस्टेट्स ने आगे बढ़ाया। जमन सआट वी शवित में क्मी आन के कारण 15वा तथा 16वी शताब्दी में नये क्षेत्रीय राज्यों (एस्टेट्स) को नयु संसदाया क्षेत्रीय संसदों की सज्जा दी जा सकती है। सबप्रथम हमें एस्टेट्स शाद का अथ समझना चाहिए। एमेट्स पादरियों मामतों व कुलीन वर्षीय लोगों तथा नागरिकों की एक प्रतिनिधि समा थी जो एक राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती थी। एस्टेट्स जमन राजाओं के विश्व जनता के अधिकारों की रक्षा करती थी। इनमें सुदृढ़ समदीय एवं उदाहरणीय परम्पराएँ विवरित हूईं। इन्होंने न केवल गजाओं के निरकुश अधिकारों को नियन्त्रित किया बरन् प्रशासन तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का सचालन भी किया। राज्य के वित्त पर उनका नियन्त्रण होता था। यही कारण है कि राजा उनकी दात सुनने का वाध्य था।

जमनी की "यूरटम्बुग-एस्टेट्स एक आदा एस्टेट्स मानी जाती थी। इस एस्टेट्स का संविधान तत्कालीन यूरोप का सबम अधिक उदाहरण संविधान था। इसी से प्रभावित होकर चा स जेम्स फोकम न कहा — यूरोप में क्वल दो ही संविधान हैं एक ब्रिटेन का संविधान और दूसरा यूरटम्बुग का। एफ एन कास्टन ने मत यक्त किया है कि निरकुश राजतंत्र के युग में इन क्षेत्रीय संसदों ने स्वतंत्रता व संविधानिक सरकार को भावना का प्रतिनिधित्व किया।<sup>1</sup>

ये एस्टेट्स दिनिक कार्यों व साधारण भामना में स्वयं बदम उठाते थे। यदि किसी महत्वपूर्ण भामने में एस्टेट्स का बाज़ण या ड्यूक सलाह देने से व्यावार करता तो ऐसी रियति में वह काई भी बदम उठा सकती थी। विदेशी भामलों में भी एस्टेट्स का भारी प्रभाव था। जब "यूरटम्बुग" के ड्यूक एबरहाड ने व्येरिया के विश्व मुद्दे देखा चाहा तो एस्टेट्स ने कहा कि पहले उन नोगो वी (जनता वी) सम्मति नी जाए तो अपने जीवन को स्तरे में डानगे। 1514 में एस्टेट्स ने भ्रष्टने वाले के साथ समझौता किया जिससे एस्टेट्स को और अधिक अधिकार मिल। ट्यूर्बिगन के इस समझौते का जमनी के संघीय तिहास में भारी महत्व है। यह तथ्य किया गया कि सभी नियुक्तियाँ-जाते व प्रशासनिक हाया धार्मिक-मन्धानीय नोगो थीं प्राथमिकता दी जाएंगी। काई भी महत्वपूर्ण युद्ध उठने से पूर्व एस्टेट्स की रखी हुति जाहरी है। यूरटम्बुग एस्टेट्स के ट्यूर्बिगन समझौते को जमनी वा मेज़ादा फार्ट्स कहा जाता है।

<sup>1</sup> एफ एन कास्टन ब्रिटेन एण्ड वार्ल्ड वार्ल्ड १९५९) ५ 444

फ्रासिस्ता क्राति और जमनी मे जनतानि की भावना

अठारहवा शताब्दी क अन्तिम दशक मे प्राम म त्रानिवारी भावना ए उमना और ऐसी नमना भा व्यवहार अद्यता न रहा। प्राम की भाति जमन जनता भी स्वतान्त्रता समानता और वाचुव क नारा म प्रभावित हुई तकिन ननता प्रभी इनो ममगित नहीं था कि दुद प्रभावशाली कल्प उठा सकतो।

### 1848 का जमन सविधान

1807 मे प्रगा म वरन पान म्यान न मुद्वार आरम्भ किया जिनका उन्हें पिठुन अध्याय म किया ना चुका है। 1848 की जमन त्रानि यद्यपि असक्त रणे लकिन प्राक्तुर क सतपान गिरजाप म जमन प्रतिनिधियों न जा सविधान बनाया वह उमन जनतानि का एक महत्वपूर्ण अन्तावन है। वह सविधान ना तागू न हो तथा उमन जनतानि का एक महत्वपूर्ण अन्यान मिता। 1848 क सक्ता लकिन भावा जमन सविधान तथा 1920 क वाचमार सविधान म 1848 क सविधान क अनुच्छेदों का महत्वपूर्ण अन्यान मिता। 1848 क अप्रभावी सविधान की विजयताएँ फिल्मनिधि हैं—

मम के दो मन्त्रों की "एवं त्रा का ग" वी प्रतिनिधि मना या लाक्ष्मी का फोड़ हाउस क नाम स पुकारा गया। फोड़ हाउस म समस्त जमन जनता क चुन = प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी। राजमना = स्प म स्टाटनहाउस की रचना का ग। अमें सम्म्य मन्या 192 रखी ग। अम स आप राजाप्राम के प्रतिनिधि तथा आधे राज विधानमन्माप्रा क प्रतिनिधि नात थ। म्यानहाउस का वायकान 6 वय नियत किया गया।

फान्क हाउस (रोडमन) का चुनाव मात्रमौमिन (Universal) ममान तथा गुण मननान प्रशारी स होना था। प्रति एक लाख जनमत्या का एक प्रतिनिधि हाना चाहिए था। 25 वय की उम्र वाना प्राप्त व्यक्ति वाले = मन्त्रों था। फान्क हाउस त्रि जी मामना प्रतिरोध क अप्य व्यवस्था की असमान करगा। यदि एक विद्यक तीन बार सम के दाना मन्त्रों म पारित हा जाना ता मस्त्रान क अनुमति न देने पर भी वह कानून बन सकता था। जनता वा कानून क समर्थ समानता व्यतिगत स्वतान्त्रता अनित्यकि वी स्वतान्त्रता आमा का स्वतान्त्रता तथा प्रतिवाय जिमा प्राप्त वरन का अधिकार किया गया।

### प्रगा का सविधान 1850

यद्यपि जमन सविधान 1848 म राज नहीं आ पर समय का उत्त दबावर जमन ड्यू व राजाप्रा न अपनी जनता का भीमित अधिकार प्रलान किय। 1850 म प्रगा म सवधानिक राजतानि का मूलपान आ प्रा। दा का व्यवस्था क मत्तान क निए जा मदना की व्यवस्था का ग। उच्च मन्त्र या राज मना म नामता नगर विविधान्या उद्योगा तथा मध्य वय क प्रतिनिधि जामिन हान थ। प्रतिनिधि मना का चुनाव तीन अणियों तारा किया जाता था य गालाया थी मम्पत्तिनाना नाम

माय वग तथा निधन वग । तीन वर्गों के नमश 1/3 सदस्य चुन जाते थे । सस्त के दाना मदन राजा के साथ विप्र निमाण वा वाय बरते थे । बजट पारण सम्बन्धी समस्या को लेकर राजा तथा प्रतिनिधि सभा म अक्षर भत्तें हाना था । 1860 के ग्रासपाम जब प्रशा के राजा न अपनी सेना म बढ़ि वे निए अधिक बजट वो भाग की तो प्रतिनिधि सभा ने उनका विरोध किया । यह उल्लेखनीय है कि 1858 मे प्रशा म प्रतिनिधि सभा के चुनावों म 210 उत्तरवानी तग 59 अनुचारवानी लोग जीत जबकि पिछला प्रतिनिधि सभा म अनुदारवानिया की संख्या 236 था ।

### 1871 का संविधान

1862 म विस्माक प्रशा का चाम्लर (प्रधान मंत्री) बना 1866 म आस्ट्रिया का पराजित करने के बाद उसने उत्तर जमन परिसंघ का निमाण किया जिसके बिंदु संविधान तथार किया गया । याँ संविधान 1871 के संविधान का आधार बना । 1871 म जमनी वे एकीकरण के पश्चात् नवीन संविधान लागू हुआ । 1871 के संविधान के अन्तर्गत संसद के दो सदनों की वस्था की गई । राय सभा को बुद्देसराट के नाम स पुकारा गया तथा नवं सभा को राष्ट्रशिवाय कहा गया ।

संविधान म संत्राट का पद वशानुगत रहा गया । उसके अधिकार यापक थे । वह चासनर की नियुक्ति करता तथा चाम्लर संसाट के प्रति उत्तर दायी था । बुद्देसराट म जमन संघ के सम्म्य रायों के प्रतिनिधि थे । ये प्रतिनिधि अपनी राय सरकार के निर्णयों के अनुमार भत्तान करते थे । बुद्देसराट का न सिफ प्रशासनिक व विधायी अधिकार प्राप्त थ वरन् सत्ताह सम्बन्धी यादिक तथा राजनीतिक (Diplomatic) अधिकार भा प्राप्त थ । राइटाम की तुलना म बुद्देसराट का अधिक अधिकार प्राप्त थ ।

1871 के जमन संविधान के 7 व अनुच्छेद के अनुमार—बुद्देसरा—

(1) राइटाम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों व निर्णयों

(2) सामाय प्रशासनिक कदम उठाने तथा

(3) साम्राज्य क पानी क पान म गही उमिया का दूर बरन के सम्बन्ध में निर्णय लेनी

अनुच्छेद 8 के अनुमार बुद्देसराट का (1) स्वतन सना (2) जन सना (3) सीमा इ र व बर (4) यापार व परिवहन (5) रन भाग डाव व तारपर (6) याप भव्य तथा (7) लेखा जाया क दार म समितिया नियुक्त करा वा अधिकार पा ।

अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई था कि बुद्देसराट के प्रत्ये सदस्य का अधिकार है कि वह रायटाम की बर म भाग न भव हर समय उमर्ता दात मुनी जानी चाहिए ताकि वह अपन राय के विचारा वा प्रतिनिधित्व कर सके ।

अनुच्छेद 10 म बुद्देसराट के सम्म्या की तुरद्धा की व्यवस्था वा उल्लेख किया गया ह । यह बहा गया कि सभाट का पह दायित्व हारा कि वह बुद्देसराट

क सम्म्या का साधारण राजनयिक मूरखा बनात वर । राष्ट्रगांग के बार म 1871 के जमन सविधान म निम्नतिवित व्यवस्था था । अनुच्छेद 20 के अनुसार उमन राष्ट्रगांग का चुनाव समस्त वालिंग मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा समान एवं समुप्त मतानुसार द्वारा होगा ।

अनुच्छेद 21 म यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकार नीकर को राष्ट्रगांग में जान के लिए मरकारा तुली नगा दी जाएगी । अनुच्छेद 22 न यह व्यवस्था तो कि राष्ट्रगांग का वर्तमान सावनिक नगा । अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत राष्ट्रगांग का यह अधिकार किया गया कि वह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का दुर्व्यवहार व चामत्तर व पास भेज सकता है । अनुच्छेद 25 म राष्ट्रगांग के बाय बात का उल्लंघन किया गया । तत्कालीन बाय-बात 5 बय था । राष्ट्रगांग का भग करने के लिए दुर्व्यवहार को अनुमति नहीं था । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1971 के श्राम-वास वाय-बात म मताधिकार थार स नागर तद सीमित था उस समय जमन मान्द्राय म समस्त वालिंग जनता को मताधिकार प्राप्त था ।

### श्रामिक सविधान 1919

प्रथम महायुद्ध में मना की पराजय के बाद मंग्राट न आ त्याग कर द्युर्द्ध में शरण तो तथा जमनी में जनतांत्र का धापगा हूँ । वार्षमार नगर में नवाल सविधान तथार हुआ तथा 1919 म उस राष्ट्र किया गया । इस सविधान में 1848 के सविधान को बाही महात्र किया गया । वार्षमार सविधान तावानीन विश्व का आन्तरिक सविधान माना जा सकता है । इसके बावजूद वह प्रसाफ्ल रहा तथा 1933 म निवारन मता म श्राम के बार इस श्रामिक ताक में रख किया ।

वार्षमार सविधान का मस्तिश्वर १८ प्रथम नामक व्यक्ति न तयार किया गया । उस इस सविधान का जनक वा जा सकता है । सविधान के प्रथम अनुच्छेद में धापणा का ना कि जमन मान्द्राय एक गणान्तर है जहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में प्राप्त होती है । वार्षमार सविधान न तीव्र प्रमुख सम्प्रयोग की व्यवस्था की । (1) राष्ट्रगांग (रामभास) (2) राष्ट्रमराट (राय सभा) तथा (3) राष्ट्रविभागान्तरार (प्रायिक मना) । तीसरी स्थाता उगमग निष्क्रिय ही रहा ।

प्रायमनग के अधिकार प्रते जालिया का विवरण सविधान के 20 म 40 तक के अनुच्छेदों में प्राप्त होता है । यह सावभौम सत्ता सम्पन्न उमन जनता की प्रतिनिधि सभा थी । राष्ट्रगांग का बायबाल 4 बय था । इस असीमित विधाया अधिकार प्राप्त थे । मार ८। वह जाति समिति की नियुक्ति वर सकती था । यद्यपि जमन राष्ट्रपति राष्ट्रगांग का भग कर सकता था ताकि 60 दिन के भीतर नवान राष्ट्रगांग का चुनाव कराना जरूरी था । राष्ट्रगांग के सम्म्या का वह उमुनियाँ प्राप्त थी तथा उह गवाही देन के लिए बाध्य न । किया जा सकता था । 1871 के सविधान की तुलना में 1919 की राष्ट्रगांग का भारी महात्र किया गया । वृ. म० प्रथम में सदमना सम्पन्न प्रतिनिधि मना थी ।

राइशरार (राय समा) भी वह महत्वपूर्ण नहीं थी। अनुच्छेद 60 से 67 तक उसक अधिकारों का विवाद किया गया था। मामायतया प्रत्यक्ष कानून के लिए उसकी न्यौकृति जरूरी थी लेकिन राइशराग उसकी आपत्तिया को अवहलन कर सकती थी। राइशरार की अनुमति के बिना सविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

वाईमार सविधान के अतिपि राष्ट्रपति के पद की मी व्यवस्था थी। उसका चुनाव प्रत्यक्ष स्पष्ट से होता था। उस सविधान के 48 व अनुच्छेद द्वारा व्यापक सभा कालीन अधिकार दिया गया।

### वाईमार गणतान्त्र की असफलता के कारण

वाईमार सविधान एक आदर्श सविधान कहा जा सकता है। लेकिन राबट नी नायमान में शान्ति मुहूर्यन उसके सावधान के मूल पाठ (Text) तथा व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं होती। अन्तत राजनीतिक दलों के उत्तर नायी व्यवहार पर ही राजनीतिक स्थायित्व निम्र बनता है।<sup>1</sup> अपना आदर्श व्यवस्थाओं के बावजूद वाईमार सविधान 10 वर्षों में ही मृत दस्तावज भाव रह गया। 1939 में तो उस उगाकर रही की टोकरी में फैर दिया गया। वाईमार सविधान की असफलता के निए सविधान तो उत्तरनायी था ही साथ ही जनतान्त्र विरोधी पत्रिया विश्व आर्थिक संकट जमनी में यात्र बराजगारी घटूनी विरोधी भावना पूरी जीपतियों व धम प्राण जनता में साम्यवाद का मय हिटलर का व्यक्तिगत गाँठ कई कारण मुख्यत जिम्मेदार थ। उपरी असरुनना के गोरेवार निम्नलिखित कारण हैं।

### कुर्यात 48 वीं धारा

यदि जमन सविधान में ही उसकी असफलता का कारण हूँ तो सविधान के 47 व अनुच्छेद को इसक विनाश के लिए उत्तरनायी ठहराया जा सकता है। निस्सनेहे वाईमार सविधान एक प्रगतिशील दस्तावज था लेकिन 48वीं धारा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति का गपक संकरकानीन अधिकार निए गए थे जिनके द्वारा वर्तन दुष्प्रयोग के अन्तर्गत राष्ट्रपति राइशराग का मग बर नए चुनाव के आदर्श द मृता या संकरकाल की घोषणा कर मूर अधिकारा को सामिन कर सकता था। राष्ट्रपति वग न बार दार इस धारा का प्रयोग कर जमन जनतान्त्र की नींव पर प्रहार किया। वाईमार में हिटलर ने "या अनुच्छेद" का सहारा नहर समस्त शक्तियों अपने हाथ में किन्तु कर ली।

### राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव

वाईमार सविधान वे निर्माणाद्वारा न सविधान का अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिए न कैवल एक प्रतिनिधि समा जिप राईमारग का नाम संभालित किया जाता है बी व्यवस्था की बरन उन्हें राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जमन समनीय प्रणाली न तो आमरिदा की मानि गूरी तरह पर्याप्तमर्द

1. यह जी नोइमार गर्डरेट बाक फैरस रिंग नद (म्यान 1966)

‘व्यवस्था वन मधीं न भी राष्ट्र या भारत की भानि दरिमण्डलात्मक’ व्यवस्था। अपने प्रत्येक चुनाव व नाकप्रिय समयन के कारण राष्ट्रपति भी राष्ट्र का मच्चा प्रतिनिधि हान का नावा कर सकता था। उपर सविधान ने चांसनर (प्रधान मंत्री) का भी काफी महत्वपूर्ण अधिकार दे रखे थे अन व भी जनना का मना प्रतिनिधि होने का दावा कर सकता था। दाना म मतभर की स्थिति म राष्ट्रपति सकृद कानीन अधिकार का प्रयाग कर सकता था।

### जनतत्र विरोधी शक्तिया

मविधान की हत्या का मूल दोष जनतत्र विरोधी राजनीतिक दल नास्ती दन तथा साम्यवादी दन बांसार प्रवस्था को जह स उखाड़ फेंकन पर उत्तराह थ। साम्यवादी दन बांसार गणतत्र के स्थान पर जानि क मा घम म साम्यवादी व्यवस्था थोपना चाहना था। राष्ट्रपति तत्व बांसार-गणतत्र का प्राज्ञय का प्रतीक मानत थे उम जननी के माथ पर बनक का टीका समझने थे और उस समाप्त बरना ही उनका परम उ श्य थ। नास्ती दन तानाशा का समयक था। व उद्दश्य तमीं पूरा हो सकता था जब गणतत्र समाप्त हो जाए। नास्ती नेता गोपद य न लो 1928 मे यहा न तिका हम राष्ट्रशास्त्र म इमलिए प्रवश कर रह हैं ताकि हम जनतत्र क शस्त्रागार स अपने आपका शम्ना सुसंचित कर सकें। हम राष्ट्रशास्त्र के डेनु भी (प्रतिनिधि) इमलिए बनेंगे ताकि हम बांसार की भावन को नष्ट कर सकें। यहि जनतत्र इनना घोर मूख है कि वह हम मुकुन माजन तथा रत टिक्क व्रदान करता है ताकि उम उमड़ी वसी मेत्रा नर मर्दें तो य उमका थोपना मामना है। हम शशु बी भात प्रवश करते हैं ताकि भडा को खत्म कर सकें।

### आनुपातिक चुनाव प्रणाली तथा बहुदलीय प्रवा

आनुपातिक चुनाव प्रणाला व्यवस्था है अविन सट्टज नान की हिटि स एव याप्य पूरण व यादेश व्यवस्था है उकिन सट्टज नान की हिटि स यह खतरनाक हो मक्ती है। यहि प्रणाली जनन स्वतत्र के लिए मृत्यु का संश बन मर्दे। आनुपातिक चुनाव प्रणाली क उपयोग स राजनीतिक दलो वा सत्या म वढ़ि हानी है और अविक दन हान पर जनतत्र म अत्यिरता क बमजोगी भाती है। क समय राष्ट्रार एनान म 36 राजनीतिक दन थ। य अपन उत्तरात स्वाधीं की अधिक तथा राष्ट्र की विन्ता कम रखत थ। आनुपातिक प्रणाली के कारण राष्ट्रशास्त्र म अनक दन हो गय तथा सरकार क निमाण म किनार्यां उपस्थित हूर्द। हमशा मिन जून मविमण्डल बनने थ। शीघ्र ही व र भा जात। चांसनर म अविश्वास व्यक्त करन के निए ता विमिन राजनीतिक दन उठ तयार हा जात उकिन नए चांसनर क चुनाव के समय

कठिनाई आनी नया किं प्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण दल अपन दर का चान्नानर चाहता था। इससे सरकार म अस्थायित्व आया प्रशासन कमजोर हुआ और जनकल्याण क कार्यों का ठस लगी।

### विश्व आर्थिक सकट

यदि 1929-30 म विश्वव्यापी आर्थिक सकट उपस्थित न हाता तो सम्भवत जमन जनतान दीघकान तक चल सकता था। प्रथम महायुद्ध के कारण जमनी म पल टी बकारी भुखमरी तथा आर्थिक सकट विद्यमान था और 1929 म जब अमर्का की बानस्टीट म आर्थिक घमाका हुआ तो जनतान के दबन की रहा सही उम्मीद भी जाती रही। जब अमेरिका म डालर के मृत्यु म गिरावर भाई तो उससे मयस्त विश्व और विशेषत यूरोप की अव्यवस्था प्रभावित हुई। आर्थिक मकट के कारण विश्वव्यापी मरी आया। जमनी का विश्वव्यापार उजड़ गया और आतंकिक अध्ययन भी इस भारी घब्बे का सहन न कर सकी।

### जमन सेना द्वारा जनतान का विरोध

1871 के बाद स हा जमनी म सेना का अत्यधिक महत्त्व तथा प्रभाव था। स्वयं विस्मान इनस चिन्ता था और व्यय से उह अध दबना कहता था। मनिक अधिकारियों म अधिकाशन कुर्तोन मामत व जमीदार थ। जनतान की स्थापना म उनक विश्वासिकारों पर कुठाराधात का सम्भावना थी अत जनतान का व नापमन करत थ। सना का जमन राजनीति पर प्रभाव उस बात स स्पष्ट हो जाता है जमनी म 1920 स 1928 तक कई मनिमण्डल बदने उक्ति मना (प्रतिरक्षा) मात्री डा गजनर ही बना रहा। जब उस हटान का सवान आया तो सना म उसके विश्वसनीय यन्त्र जनरल ग्रानर का उस पर ला विठाया गया। मनिक अधिकारी प्रत्यम महायुद्ध का पराय वा बदना लना चाहत थ।

### हिटलर द्वारा जनतान की हत्या

1933 म हिटलर सत्ता म आया। यद्यपि उसने मवधानिक तरीका म चामनर ता पर प्राप्त विद्या उक्ति शीघ्र ही उसने जनतान की हया कर दी। उसन ममी विराधी दना पर प्रतिवध उगा दिया तथा उसका नात्सी दल (नशनन माज़दिम्ट नवर पार्टी आप जमनी) ही एक मात्र कानून दन रहा। उसनो ममन निर्गुण मतिया तथा सत्ता के दुष्योग गर कानूनी गिरफ्तारियों नारवा। तथा पाढ़ा वा — बावजूद वह जमन जनता का मन नहीं जीत मवा उसे मज़बूरन उमड़ा। आना का पानन करना पढ़ा। विरोधी राजनीतिक दना पर प्रतिवध उगान के बावजूद कह जमन नामा न हिटलर का विरोध विद्या कई विरोधाभानमहा बा जाम हुआ। अमित्रा दुखिजोविद्या पार्श्विया विद्याधियों तथा जमन ममज क ममा वगों क नामा न गुत रूप त हिटलर का प्रतिरोध जारी रखा। हिटलर विरोधी भानन

व कुछ प्रभुव नहीं थे मगर जनरन ट घबाव स्टाडेन्डिंग मार्ग उवर अप्रैल तक इश्चरनवग बुम मालर पस्टर घाट इनाउर तथा युवक तथा ग्रामवासी हाउस तथा अन्यों विनियोगी एन लागा ने जनताव क आना भार। तथा निवार क विराष म अपन प्राणों की आहुति ले ली। टिन्हर विरोधी ग्रामवासी ना माल्यन था—जमन जनता क जनताव प्रम का रीड-जाता बराण है। हिन्हर का विग्रह करन के दान प्रामह्या क लिए भजूर किए जान पर भजर जनरन हैनि जल ट घबाव न लिया— इन्हर न कवन जमनी का दरद समस्त विवर ना धार दे रहे हैं। इस प्रकार जमन जनताव क दनार बनाव पूरा निहाम म एक गाराध उपर्युक्त आग्रा।

### जमन राजनीतिक दल

राजनानिक नव समाज जनावर क नियता प्रती वाहव नवा रभक नहीं है। जनतानिक भगवार क काय का सम्पन्न करन के लिए व अनिवाय है। व प्रामालन — पर्हिय है। उनक भगवाव म न व्यवस्थित टग न नाति का निमरण हा। मवता है न उह नामू दिया ना सकता है। चुनाव क माध्यम न विनिय राजनीतिक नव सारा प्राण कर अपन आठाँ तथा कायत्र मा का भगवावशाला टग म नामू छरन का प्रयाम करते हैं। उनका मुख्य काय जनमत का जागत करता है तथा उहें अपन वायत्रमा विचारा याननाशा तथा आठाँ स अवगत करता है। व इन्हि म राजनीतिक नव जनना के पथ प्रदाक हैं—म निशा रप्ट प्रणाल करते हैं।

अपन दनमान स्वरूप म राजनीतिक दल नामग 100—125 साल स अर्द्धक पुराने न। ह। उससे पूर्व जनमत प्रवतक दल चुनाव जीतन के लिए समर्पन राजनीतिक वरव आनिक समाज या समदोय मम भल हा। भ्रमितव म रह हा लक्ष्मि उच्च राजनाति—जो की सना नहा दो जा सकती। आधुनिक राजनीतिक दल की परमाया मवावर क अनुमार बस प्रकार का जा सकता है—राजनीतिक भमुदाम नहीं है जिमका समर्पन इसी विषय मिदान या नीति क समयन के लिए आहा हा जा सवधानिक उपाया दा सहारा लक्ष्मि म मिदान अयदा नीति क आधार पर सरका बनाने का प्रान बरता हा। जमन विनान भक्त ववर क अनुमार राजनीतिक दल खड़ा म बनाया हमा वह संगठन है जो शामन सत्ता की हम्मशत करता चाटगा है प्रोर सत्ता प्राप्ति के लिए प्रावार प्रोर आनाजन का महारा लगता है। उन अयों म मुसार्वि राजनीतिक नवा का जाम उप्रीवी इतानी क उत्तराद म आ। जमनी म ना 1860 क आमसाल हा भुमग्नि राजनीतिक दल की स्वापना का कप आरम्भ आग्रा और आठाँ व विचारधारा क आधार पर राजनीतिक नव बन-

1. हा नवीन क दृष्टि बहित भोजी ने ना दर्ती दा विरोध करते न लि वह ना ना र कहा दा निमाल दिया तथा फ अपर तथा एढ विरोधी दब भनिय लिए।

प्रारम्भ हुए। इससे पूर्व भी कह समूह थे जिनके राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक उद्देश्य थे लेकिन ये समूह राजनीतिक दलों की बतमान परिमापा के अनुगत नहीं थे। वयोंकी राजनीतिक दलों के लिए आधारभूत मिदान्ता की एकता समर्पित है पर संघानिक उपायों का प्रयोग तथा राष्ट्रीय हितों की बढ़ि आवश्यक तत्त्व है। 1870 से पूर्व जमनी एक राष्ट्र ही नहीं था अत राष्ट्रीय हितों की बढ़ि का प्रश्न ही नहीं उठता था।

जमन राजनीतिक दलों के उन्नत व विकास का ज्ञान प्राप्त करने में पूर्व यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल मूलत कितने प्रकार के होते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक दलों का चार मार्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) उत्तारवादी ज्ञन—ये दल हैं जो समय और परिस्थितिया के अनुकूल हैं। पूर्व के भवधानिक उपायों का सहारा लेते हुए शासन-व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं।
- (2) अनुदारवादी वे दल हैं जो यथास्थिति (Status quo) के पोषक हैं तथा प्राचीन व्यवस्था का बनाय रखना चाहते हैं।
- (3) उत्प्रवादी राजनीतिक दलों के प्रतीक व ज्ञन आते हैं जो आनिकारी परिवर्तनों की वकालत करते हैं तथा नई व्यवस्था कायम करने के लिए बनमान व्यवस्था को हिस्से करने वाले बदलने के लिए भी तयार हैं।
- (4) प्रतिनियावादी दल वे परिधि में व राजनीतिक दल शामिल हैं जो अतीतों-मुक्ति है। व भूतकान को श्री स्वरूप-युग मानते हैं तथा प्राचीन मन्त्रों में अनुचित वर्णन-रूप सही तरह सही नहीं उत्तरता। हो सकता है कि एक ऐसा अनुदारवादी राजनीतिक दल हानि के साथ ही साथ कुछ मामना में उत्तर लेने वाला राजनीतिक दल कुछ प्रश्नों पर उत्प्रवादी भी हो सकता है।

जमनी के राजनीतिक ज्ञानों को भी उत्तारवादी अनुदारवादी तथा उत्प्रवादी राजनीतिक दलों की श्रेणी में इका ज्ञन महत्वात् है। सब प्रश्नों के लिए अनिक समय सक्ति पात्र गिरजाघर में एकत्रित जमन प्रतिनिधियों में अमरगढ़ीन राजनीतिक समूहों के दान हानि है। वहाँ एकत्रित प्रतिनिधियों में कुछ नाम अनुदारवादी व कुछ उत्तारवादी तथा कुछ उत्प्रवादी। इनका बागन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 1850 की प्रगति का प्रतिनिधि-भूमा में भी हम उत्तारवादी आरम्भिक राजनीतिक ज्ञानों का गामाय या सक्ति मिलता है लेकिन भूम्पट्टन में राजनीतिक ज्ञान 1863 के बाद ही उभरते हैं। 1863 में प्रश्नों के चुनाव में निम्ननिवित ज्ञन उभरते हैं।

राजनीतिक दल का नाम	प्राप्त मर्डों की संख्या
उदारवादी (प्रगतिशाली दल)	536 000
अनुदारवादी	336 000
पार (Poles)	132 000
कांग्रेस दल	23 000
अन्य अन्य	72 000

जमनी मध्यापक रूप से सगठित राजनीतिक दलों के सब प्रथम दशन हमें 1871 के भविधान के बाद होते हैं। 1871 में राष्ट्रीय स्तर पर 6 विशाल राजनीतिक दल तथा उगमग 13 छाटे दल थे। स्थानीय चुनावों में दजना न्ल भाग नहीं था। 6 अमुक दलों के नाम इस प्रकार हैं—

- (1) अनुदारवादी
- (2) स्वतंत्र अनुदारवादी
- (3) राष्ट्रीय उदारवादी
- (4) सेंटर (मध्यवर्ती) दल
- (5) प्रगतिशाली उदारवादी
- (6) सोशल डमोक्रेट (समाजवादी)

1871 से 1918 के मध्य राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित तालिका बहुत उपयोगी मिल होगी—

### जमन राइशटाग 1871-1918

राजनीतिक दल	प्रतिनिधिया की संख्या			
	1871	1893	1907	1912
(1) अनुदार दल	90	100	109	68
(2) उनार राजनीतिक पार्टी	30	—	—	—
(3) राष्ट्रीय दल	119	53	56	44
(4) वाम पक्षी—उदारवादी दल				
(अ) उदारवादी दल				
(घ) उदार जनता-न्ल				
(स) निराम जमन				
जनता न्ल	47	48	50	42
(द) उनार सम				
(ई) प्रगतिशाली जनता-न्ल				
		(मम) इला की मिलाकर		

## (5) सोशल डेमोक्रेटिक

पार्टी	1	44	50	47
(6) सेंटर पार्टी	58	96	105	93
(7) सुधारक दल	—	16	—	—
(8) स्वतंत्र निदलीय	13	5	3	7
(9) पोल लोगों का दल	14	19	20	18
(10) बोल्फन लोगों का दल	7	7	2	9
(11) अल्सास लॉरेन दल	—	8	8	9
(12) डन लोगों का दल	1	1	1	1

## उदारवादी दलों का विकास

1859 में जमन राष्ट्रीय सभ्य नामक एक उदार रणठन बना तथा इसी उदार सभ्य ने 1861 में प्रश्ना की विधान-सभा (लेण्डटाग) में जमन प्रगतिशील दल के हप में स्थान ग्रहण किया। लेकिन जमनी के उदारवादियों में भारी मतभेद था। 1867 में हडोलफ फान वनिंगसेन के नेतृत्व में एक अच्छा राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसे राष्ट्रीय उदारवादी दल के नाम से जाना जाता है। 1884 में राष्ट्रीय उदारवादी दल का पुनर्गठन किया गया। अब यह दल राष्ट्रीय अधिक तथा उदारवादी कम रह गया था। इससे असन्तुष्ट होकर उदारवादियों के एक बग ने यूनान रिष्टर के नेतृत्व में अच्छा उदारवादी दल (फाईसिनिंग पार्टी) का निर्माण किया। 1871 से 1918 के बीच उदारवादी दल अप्रिकारिक विभक्त होना गया और वह सात राजनीतिक दलों में बट गया। दो दलों का भकाव अभिए पर्यंत तथा पाँच का रमान वामपक्ष की ओर था। इनका विवरण ऊपर नी गई तालिका में है। विभाजन के कारण उसकी शक्ति कमज़ोर होती गई।

प्रथम महायुद्ध (1914-1918) के बाद जमनी में गणराज्य की स्थापना हुई तो उदारवादियों ने विचार किया कि यदि व समर्थित नहीं होगे तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन अभी भी विभिन्न दलों में मतभेद थे। यही कारण है कि 1919 से 1933 तक दो उदार राजनीतिक दल जमनी में मौजूद रहे —

(1) जमन जनतान्त्रिक दल (German Democratic Party)

(2) जमन जनतान्त्र [German Peoples Party]

इनमें से प्रथम दल प्रगतिशील नीतियों का हासी था और उसका भकाव कुछ सीमा तक वामपक्षी था। जमन जनतान्त्रिक दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं — कोर्टिच नोपमान हूँगो प्रयस वाल्टर राधनाड तथा कानराड हाउसमान।

दूसरा उदारवादी दल था जमन जनताल इसका नेता गुस्ताफ स्ट्रासमान था । दोनों दलों को जमना की राइशनाग में निम्नविकृत स्थान प्राप्त थे ।

### राइशनाग 1919-1933

वर्ष	जमन जनता न्य	जमन जनता ह दल
1919	22	74
1920	62	45
1924	44	28
1924	51	72
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

उन लाइनों के स्वरूप सबत मिलता है कि यह दाना दर समुक्त रूप से चुनाव उठने तो वे एक मशहूर दल के रूप में उभर कर सामने आ सकते थे । 1934 में जिन्हर ने विरोधी दलों पर प्रतिबाध लगा दिया था ।

### समाजवादी दल

जमन समाजवादी न्य सामाजिक डमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विद्यमान है । यह दर यूरोप के प्रश्नोन्तरम समाजवादी दलों में से एक है । इसकी स्थापना 1863 में हुई । उस समय "मवा नाम समग्र जमन अभिक भव था । इसकी स्थापना फर्निएन लासान (1825-1864) नामक व्यक्ति ने की । ग्रिटन के प्रसिद्ध दाशनिक घटोड़ रसल के धनुषार फर्निएन लासान ने जमन अभिक भांदोलन का । निर्माण किया तथा लम्ब अरस तक और आज सी उस दल पर उसके व्यक्तित्व की अभिट आय है । जमन सोशल डमोक्रेटिक पार्टी पर कुछ अध नामों का भी प्रभाव रहा था है —ग्रागुन्ट वेवेन (1840-1913) विलिहम नीबनेल्ट (1826-1900) ।

समाजवादी आन्दोलन भी मतभेदों का शिकार रहा और 1869 में वेवेन तथा लीबनेल्ट ने आर्जनाक नामक नगर में एक अप समाजवादी दल का निर्माण किया इनके दल का नाम था साझन डमोक्रेटिक लबर पार्टी । वस दल न माक्स के विचारों से प्ररणा प्राप्त की । लक्किन जीघ्र ही नोडा न्य एक हो गये । क्योंकि 1871 में विस्माक समस्त जमनी वा चान्दनर बना वा सोशल डमोक्रेटा में एक दल था तथा उन्हें पिरूमूलि विरोधी कहा करता था । घर समाजवादियों ने दमन से बचन के लिए 1875 में गोपा नामक रुदान पर दोनों दलों वा नाम सोशल वेवर पार्टी रखा । लदिन विस्मान समाजवादियों के दमन पर उतार हुए ।

शीघ्र ही उसको अवसर भी मिल गया। जमनी के सम्राट की हत्या के लिए दो बार असफल प्रयात्र किया गया। यद्यपि समाजवादियों का इसमें कोई हाय न था फिर भी विस्माक ने समाजवादियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तथा 1878 में समाजवाद विरोधी कानून का निर्माण किया गया। समाजवादियों के सगठनों तथा अखवारों पर प्रतिवाघ लगा दिया। समाजवाद विरोधी यह कानून 1890 तक चलता रहा। जमन सम्राट विलियम द्वितीय ने उसे उस बय समाप्त कर दिया।

जमन समाजवादी आदोलन में आन्तरिक मतभेद भी भी बने हुए थे। दल अद्वार ही अद्वार तीन चर्चों में बट गया (1) लासालवानी (2) माक्सवादी तथा (3) उदारपथी जो मध्यम मार्ग अपनाना चाहत थे। माक्सवादी विचारधारा वाले बग का नतुरत्व रोजा नुक्जेमबग ने किया। विलियम लीबनस्त भी इनके साथ था। 1914 में जब युद्ध की घोषणा हुई और राईशटांग में युद्ध के सच सम्बंधी बजट का प्रश्न सामने आया तो समाजवादी दल न उसका समर्थन किया नेबिन लीबनेस्त व उसके कुछ अनुयायियों ने समद में इसका विरोध किया। उहोने इडपेडल्स सोशल डमोक्रेटिक पार्टी वा निर्माण किया। शीघ्र ही इस दन के एक बग ने इसको त्यागकर जमन साम्यवादी दल का निर्माण किया। इस प्रकार समाजवादी दल तीन टुकड़े में बट गया।

### काजरवेटिव दल

काजरवेटिव दल प्रश्न की राय विधान सभा में 1860 में ही मौजूद था। 1866 में यह दल विभाजित हो गया और दो दल सामन आये —

(1) काजरवेटिव दल

(2) फी काजरवेटिव दल

1871 में काजरवेटिव दल को समस्त यनदान का  $1/8$  वा भाग मिला तथा ससद में यह चौथा सबसे बड़ा दल था। इस दल में सामत सनिक अधिकारी अनुदार प्रोटेस्टेंट पादरी सरकारी अधिकारी आदि भी शामिल थे। इनका मुख्य केंद्र प्रश्न का राय था। यह दल सम्राट के पद को और अधिक सशक्त बनाना चाहता था तथा प्रश्न के सभ अधिकारियों की प्रतिष्ठा में वढ़ि तथा स्वतंत्र पार्मिक संस्थाओं का प्रयोग था। 1871 से 1933 तक अनुदारवानी दल काफी शक्ति शाली बना रहा।

फी काजरवेटिव पार्टी वापी मामला में काजरवेटिव पार्टी से मिलती-जलती। लेकिन जहाँ कन्जरवेटिव पार्टी प्रश्न राय की पक्षधर थी फी काजरवेटिव पार्टी

जमनी को महस्त देना चाहती थी। 1871 में इस दल ने अपना नाम ददल 'राईश पार्टी' रखा।

### १ पार्टी

अपर हमने जितने राजनीतिक दलों वा उल्लेख किया है उनके अधिकारा-

सदस्य प्रोटम्सेण्ट सम्प्रनाय के जमन नागरिक थे। लेकिन धम उनका मूल आधार नहीं था वरन् राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विचार ही प्रमाण थे। तेकिन सटर पार्टी का स्वभाव दूसरा था। उनका आधार धम था और यह मूलत कथलिक नेतों का राजनीतिक दर था। 1870 में कथानिकों के हितों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया। 1871 के चुनावों में राईशटाग में यह दूसरा सबसे बड़ा दर था। कई दशानियों तक इसने जमन राजनीति पर प्रभाव डाला। इसका प्रमुख नेता था नुडविंग विल्योस्ट (1812–1891)। 1919 से 1933 तक भी यह दल वाईमार गणतंत्र में सक्रिय रहा। यद्यपि राईशटाग वे कुन 600 सदस्यों में नाटर पार्टी के 70 से अधिक सदस्य कभी नहीं रहे फिर भी वाईमार-गणतंत्र के कुल 14 चालसरा में से 6 चालसर नेटर पार्टी के थे।

### कम्युनिस्ट पार्टी

पहले साम्यवादी विचारधारा के नोग सोशल डमोक्रेटिक पार्टी में ही शामिल थे लेकिन 1914 में प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के बाद उनके मतभद तीव्र रूप से सामने आये। मतभेद का प्रमुख कारण यह प्रश्न था कि बया सरकार का युद्ध प्रयासों में महयोग दिया जाए तथा युद्ध का समजन किया जाए अथवा नहीं। सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के अधिकार्य सदस्य इसके पक्ष में ये जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध। 1917 में साम्यवादी विचारधारावाले लोगों ने स्पार्टेंस नीग के नाम से अपने आपको समर्थित किया तथा बाद में इहोंने अपना नाम बदल कर जमन साम्यवादी दल रख दिया। 1918 में स्पार्टेंस दर ने जमनी में काति का प्रयास किया जिसे शीघ्र दबा दिया गया।

जमन साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं में रोजा चुक्जमवग काल शीबनेहत तथा अस्ट थेनमान (1886–1944) थे। कट्टर राष्ट्रवादिया ने इनमें से प्रथम दो नेताओं की 1919 में हत्या कर दी। थेनमान ने तो जमन राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी में काति हुई और सच्चाट को मिलासन त्यागना पड़ा। 1919 में जब सविधान निमाण-समा के चुनाव हुए तो साम्यवादिया ने उसमें भाग नहीं लिया लेकिन बाद में जब राईशटाग के चुनाव हुए थे साम्यवादी दल ने उसमें भाग लिया। 1925 में जब जमन राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो हिंडनवग के मुकाबले में साम्यवादी दल के थनमान ने भी चुनाव लड़ा उसे सिफ 19 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। लेकिन जब राष्ट्रपति पद के लिए भी प्रत्याशी वो पूर्ण बहूमत नहीं मिला तो दूसरी बार भी थनमान हुआ इस बार साम्यवादी दल की वही स्थिति रही। 1932 में राष्ट्रपति पद का दुमारा चुनाव हुआ उसमें भी साम्यवादी दल ने थेनमान को अपना प्रत्याशी बनाया और वह बार उस 37 प्रतिशत मत मिले।

### इंडिपेंडेंट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी

1917 में जब सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन हुआ तो उनके तीन

दल बन (1) साशन डमोक्रेटिक पार्टी (2) स्पार्टेक्ट लोग जो बाहू में साम्यवादी दल के नाम से जानी गयी (3) इंडिपेंडेंस मोर्शन न्यूक्रिटिक पार्टी इस दल के नेता ये थे गुण हास काल काउटस्टोरों तथा एल्याढ बनस्टाईन। इन लोगोंने 1915 में ही अन्वय हाने का मिर्ण ले लिया था। इंडिपेंडेंस सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के माझलिस्ट जातिवाने थे और यही कारण है कि उन्होंने युद्ध का विरोध किया। कुछ वर्षों के बाएँ यह दल बाकी लोकप्रिय रहा लेकिन शोध ही इसका अवभी हो गया। 1922 के बाद इसके अधिकार सदस्यों ने पुनर्भेजारिटी सोशलिस्ट (साशन डमोक्रेटिक पार्टी) में प्रवेश किया। 1924 में इंडिपेंडेंट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ममाप्त हो गई। इस वर्ष वे 98000 वोट ही मिल। इसके कुछ साम्यवादी दल में और कुछ मजोरिटी सोशलिस्टों में शामिल हो गए।

### नात्सी दल

हिंगन व हिंगनर नामक व्यक्ति ने 1919 में जमन श्रमिक दल नामक एक दल का निर्माण किया। बाहू में इस दल का नाम बदल कर राष्ट्रीय समाजवादी जमन श्रमिक दल ("शनल साझलिस्ट जमन वक्स पार्टी") रखा जिसे सक्षम प्रभुत्व में नात्सी दल कहा है। "न" प्रभुत्व नवांग्रो में हिंगनर गोयवल्स हिंगनर रूडोल्फ हेस तथा हमन गोरिंग व। मारी सत्ता हिंगनर के आस-पास के द्वितीय थी। 1923 में उसने घूमतिल भवित्व भवित्व के बारे सत्ता पर काजा करने का अमफल प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप उम जन भज लिया गया। जल भ उसने भाईन काम्फ या मेरा सधैर नामक पुस्तक वी रचना की। मार्न काम्फ शोध ही जमनी में लोकप्रिय हो गई। और 1928 - बाहू ना भी उन ने राईग्नाटाग के चुनाव में सक्रिय भाग लिया तथा उत्तरोत्तर अपन वोग म वद्दि की। 1932 म जमनी में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ इसमें हिंगनर न भा नात्सी दल के प्रत्याशी के रूप म चुनाव म भाग लिया। इस चुनाव म हिंगनवा वो 1 वरोड 86 लाख तथा हिंगनर को 1 करोड 30 लाख वोट तथा 1933 म राईग्नाटाग के चुनाव म नात्सी दल वा। 1 वरोड 37 लाख वोट तथा 230 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि हिंगनर को पूर्ण वट्टमत प्राप्त नहीं हुआ लेकिन राष्ट्रपति टिण्नवग न उस समुक्त मन्त्रिमण्डल बनान व जिए ग्रामनित किया और इस प्रकार हिंगनर जमनी का चामलर बना।

### द्वोटे राजनीतिक दल

उन महाउष्ठुण राजनीतिक दलों के अलावा कुछ द्वोटे-द्वोटे दल भी थे जो जिन्हा गांव या ग्रामिय समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं नार्थ वे (राज्य-सम्पद वन) जमन वृक्ष दल क्षेत्रिक राष्ट्रीय समाज सेवा दल ग्रामिय दल बवरिया जनता दल ग्रिसियन राष्ट्रीय किसान जन सवा राज्य सम्पद इत्यादि।

जमनी व समस्त दलों वो 1919 से 1933 तक राईग्नाटाग में जिनने स्थान प्राप्त थे इसका तानिका पुस्तक के ग्रन्थ में परिशिष्ट में दी जा रही है।

## हिटलर द्वारा विरोधी दलों का अत

हिटलर ने जो पहला मन्त्रिमण्डल बनाया उसमें नात्मी दल के तीन सम्प्रत्यय अथवा विरोधी दल के नौ सदस्य थे। इस पर राष्ट्रपति हिण्डनवग न सोचा कि ऐसी स्थिति में हिटलर तानाशाह नहीं बन सकता। तेकिन नात्मी नेता हर कीमत पर नामी दल की तानाशाही चाहता था। हिटलर सांश्ल एमार्क निव पार्टी तथा उभन साम्यवादी दल को अपना सबसे कट्टर दुष्मन मानता था। पहले उभन साम्यवादी दल को समाप्त करते वा निश्चय किया। 27 फरवरा का निसा न राइझटाग भवन में आग लगा नी। नात्मी नेता न इस साम्यवादिया द्वारा राष्ट्रसाृष्टि की सना दी। हिटलर की सनाह पर हिण्डनवग ने जमन राय व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अधिनियम जारी किए। साम्यवादी आनंद के विरुद्ध भी मुरखा वा अधिनियम बनाया गया। बाइमार संविधान द्वारा प्रबन्ध मूल अधिकार संभित कर लिए गए। इन अधिनियमों का आधार बना कर हिटलर न विगविया के सम्बन्ध समाप्त तथा समाचार-पत्र और थ्रिक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया।

5 मार्च 1933 का राइझटाग के पुन चुनाव लगे गए। नामा ज्ञ न दधन आतंक गिरफनारिया द्वारा अपने दल के लिए बन्धन प्राप्त वरा का प्रयास किया। इस चुनाव में 88 प्रतिशत मतानामा न भाग लिया। कुल 3 रहे 93 लाख मतों में नात्मी दल को 1 करोड़ 73 लाख मत मिल जो 44 प्रतिशत मत थे। सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के मतों की स्थिति में भी नहीं आए तथा साम्यवादिया के बोटों में भी धाढ़ी सी कमी हुई। पुन विटलर को मिला जला मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। 23 मार्च को हिटलर ने राष्ट्र तथा राय के सकून-मुकिन कानून नामक विधयक राईटाग में प्रस्तुत किया। वह इस कानून द्वारा नमस्न सना अपन नाया में लिप्त करना चाहता था। “संसे पूर्व उसन 81 साम्यवादी सम्प्रत्यय का वर्त्तमान में भाग लेने के लिए अद्याय ठहरा दिया ताकि वे राईटाग वर्तमान में भाग न न सके। 441 मतस्थिर न विधयक वा समवयन किया सिफ 93 सोना डमोक्रेटा न ही उम्बर विगव दिया। ये कानून एनवलिंग एक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हिटलर की तानाशाही का भाग प्रशस्त हो गया। 14 जुलाई 1933 के लिए कानून द्वारा हिटलर ने नात्मी दल को ही एक मात्र वध दल बना दिया जावी न्ह भग कर लिए गए। अधिकाश विरोधी नेताओं को या तो दश में भागना पड़ा या उन्ह यात्रना के लिए मेज दिया गया।

## बेसिक लॉ का जन्म और विकास

1939 मे हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध की शुरूआत की और उसके दुसाहसी काय के परिणाम स्वरूप 1945 म जमनी को पराजय का मुह देखना पड़ा। 8 मई 1945 को जमनी न बिना शत आत्म-सम्परण कर दिया। हिटलर की मृत्यु के पश्चात् एडमिरल (नौ सनाध्यक्ष) बाल ड्योनिटज ने सत्ता सम्नानी थी। उस उमके मन्त्रिमण्डल के अन्य सन्स्थों सहित गिरफतार कर लिया गया। एसा प्रतीत होता था कि जमनी का अत हो गया है अब कभी भी उसका पुनरोदय नहीं हो सकेगा। जमनी म अमेरिका सोवियत सध ब्रिटेन व बाद म फ्रास की सेना ने प्रवेश किया। इससे पहले मित्र राष्ट्रों न याल्टा-सम्मेतन (फरवरी 1945) म अमेरिका के राष्ट्रपति रूबरूट मोवियत सध क स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चर्चिन ने यह तथ कर लिया था कि जमनी को चार क्षेत्रों म बाटा जाएगा तथा उस पर अमेरिका सोवियत सध ब्रिटेन व फ्रास का प्रशासन रहेगा।

अगस्त 1945 म बर्लिन के निकट पोटस्डम-सम्मेलन का आयोजन किया गया और उमके निरुद्योग के अनुसार जमनी को कुल पाँच भागों म बाटा गया। पाँचवें भाग को पौलेण्ड तथा रूस के प्रशासन म रखा गया। पौलेण्ड को जमनी की ओढ़र नाम से नदियों के पूर्वी भाग म स्थित समस्त जमन प्रदेश तथा उसके साथ ही स्टटिन का नगर प्रशासन के लिए सीधा गया। सोवियत सध को पूर्वी प्रशा का उत्तरी भाग तथा व्योनिंगेंड का नगर (जिनका नाम बदल कर बाद म कालिननग्राद रखा गया) दिया गया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि जब जमनी के साथ शाति-सधी की जाएगी तब उस पाँचवें भाग क बारे म अतिम निरुद्योग किया जाएगा। लक्षित 1945 से लेकर आज तक (1977) जमनी के साथ काई सधि नहा को गई और इसके फलस्वरूप वह क्षेत्र आज भी पौरेण्ड व रूस के प्रशासन क अंतर्गत है।

जमनी म मित्र राष्ट्रों की सेना के प्रवेश के साथ ही जमन सवधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वहां चार राष्ट्रों की विभिन्न सेना का आधिपत्य था। पोटस्डम सम्मेलन व निराया म ही जमनी क भावी राजनायिक जीवन क पुनरोद्धर के बीज निहित थे। पोटस्डम-सम्मेलन (जुलाई-अगस्त 1945) के बाद मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि —

मित्र राष्ट्रों का यह निरादा है कि जमन भागों को अपन जीवन को जनतात्रिक व शातिपूण आधार पर भ्रातत अपन पुनर्निमाण क लिए तयारी का अवसर दिया जाए।

जमन प्रशासन के मामता का इस प्रकार निश्चिन किया जाए ताकि राजनीतिक हाच का विकासकृत कर स्थानाय उत्तराधित्व का विकास किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए —

- (1) समर जमन म जनतानिक सिद्धांतों की स्वामकर निवाचित परिवर्तन के माध्यम से व ग्रामपाल पर यशामन्त्र—जो भौतिक अधिकार व सुरक्षा के अनुकूल हो—स्थापना की जाएगी।
- (2) समस्त जमन प्रभेश म सभी जनतानिक दत्ता को—सगठन व सम्मतन के अधिकार सहित—वाय की अनुमति तथा प्रासादहन द्या जाएगा।
- (3) क्षेत्राय प्रावाय तथा नए (राज्य) प्रशासन म प्रतिनिधित्व तथा निवाचन के भिन्नांता को उनना ही ‘ीघ्र नाम्’ किया जाएगा जितनी जल्दी स्थानीय स्वशासन म न सिद्धांतों का नाम् करत म सकृदता के अनुसार उसका ओचित्य मिल होगा।
- (4) कुछ अवधि के लिए बाह्य के नीय सरकार स्थापित नहु को जाएगी। न्यके बावजूद कुछ अनिवाय वार्तीय जमन प्रशासनिक विभाग—जिनके ग्रन्थालय मट्टम नक्टरों हाग—की स्थापना का जाएगा खासकर वित्त परिवहन सचार विदेशी व्यापार तथा उद्याग के मैत्र म। य विभाग कांडार कमीशन<sup>1</sup> (नियन्त्रण आयोग) के नियोग म काम करेंगे।
- (5) सनिक मुख्यों का ध्यान रखत हुए भाषण समाचार पत्रों तथा घम पान म वी स्वतंत्रता की अनुमति दो जाएगी तथा धार्मिक सम्मानों का सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार सनिक मुख्यों के अधीनस्थ स्वतंत्र धर्मिक सर्पों वा वाय की अनुमति दो जाएगा।

उन्हिं युद्धकारीन मिन नावियत संघ तथा समुन्न राज्य अमरिका शानिकात म एक दूसरे के विरोधी हो गए। उनके मतभेदों तथा विरोध के परिणामस्वरूप जमना के एकीकरण म वाधा आय। चारों राष्ट्र अपने अपिहृत जमन प्रदेशों में अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसृप राजनीतिक व्यवस्था नादना चाहत थे। इन्हीं फ्रीमान के अनुसार — जमनी के चार विभाजित क्षेत्र विश्व रेगिस्ट्र के चार नाटक-गृह बन गए जिनम चार प्रमुख अभिनता विश्व आनामा का आनन्दिन बरते रहे राजनीतिक व्यवस्था के चार नाटक भरतीय विभिन्न विभिन्न वन गए।

अमरिका तथा ब्रिटेन कम स कम जनतानिक सिद्धान्तों के बारे में महमत य लक्षित व्यापिक नियाजन के द्वार म उनम मनभर था। ब्रिटेन की समाजवानी भरतीय

1 कृष्ण कमीशन या नियन्त्रण आयोग में वारों विकेत्ता राष्ट्रों के भवित्व कमांडर नाविक थे जो समस्त जमेनी में आवागमन व्यापार तथा सुरक्षा की देखरेख करते थे।

2 इधर फ्रीमान की एकान्त नियति थी गवर्नरेंट भारत जमेनी (मार्च 1947) पृष्ठ 96।

समाजवादी पद्धति की अथ-व्यवस्था चाहती थी और अमेरिका स्वतंत्र अथ-व्यवस्था की बकालत कर रहा था। फास जमनी के विकेंट्रीकरण तथा रूर प्रदेश पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की बात बर रहा था तो इस अथ-व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण पर जोर द रहा था। आरम्भ मे रूस न एक कंट्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया नविन बाद म उसने यह विचार त्याग किया तथा जमनी म सधीय व्यवस्था हो या कंट्रीकृत व्यवस्था इस प्रश्न पर जनमत सप्रह का प्रस्ताव रखा। फास अतीत की भयावह स्मृतिया स आआत था। 1914 से 1940 के बीच फास दा बार जमनी के सनिक बूटों के तरे कुचला गया था। ऐसी स्थिति दुबारा न आए इसके लिए वह जमनी को एक बमज़ोर राष्ट्र के रूप म देखना चाहता था। यही कारण है कि वह जमनी म सधीय व्यवस्था भी नहीं चाहता था। वह उस राज्य के एक हीले-डाल परिसंघ के रूप म देखना चाहता था। इस परिसंघ म भी राज्य को सारे अधिकार देने की बात फास न की। केंद्र का नाम मात्र व अधिकार देने की बात की। इस प्रवार विजेता राष्ट्रों के मतभेद सामने आए।

मूलत मतभेद अमेरिका व सोवियत सध के बीच थे। अमेरिका जमनी को जनतात्रिक पद्धति के अनुस्पष्ट ढालना चाहता था और इस बहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित देखना चाहता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शोत युद्ध आरम्भ हो गया और मतभेदों म उत्तरोत्तर बढ़ रही। 20 मार्च 1948 का सावित उत्तर सनिक कमाण्डर न मिन राष्ट्र नियन्त्रण आयोग का बहिष्कार कर किया और उसके परिणाम स्वरूप जमनी मे चारों राष्ट्रों के प्रशासन म गतिरोध व रक्षावट उत्पन्न हा गई। अन्त मे अमेरिका जिन तथा फास न अपने तीनों प्रेसों को मिला कर पश्चिमी जमनी (दी केइरल रिपब्लिक आफ जमनी) तथा इस न अपने जमन अधिकृत क्षेत्र म पूर्वी जमनी (जमन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना का।

### राजनीतिक दलों का उदय

पोटस्ट्रॉम-सम्मनन के अनुसार स्थानीय तथा प्रान्तीय स्तर पर राजनीतिक दलों के निर्माण। तथा प्रतिनिधि समाजों के चुनाव की बात की गई थी उसी के अधार पर चारों विजेता राष्ट्रों ने जमनी मे राजनीतिक दलों के निमाण व काय की अनुमति दी। सबप्रथम सावित उत्तर सध न 10 जून 1945 के जिन जनतात्रिक तथा नांसी विरोधी दलों के निमाण की अनुमति दी। सोवियत घोपणा म वहा गया —

सावित अधिकृत जमन प्रेश म सभी फामिल विरोधी दलों के निर्माण जिनका उद्देश्य जमनी से सभी फासिस्ट घबापा वो समाप्त बर जनत। तथा नागरिक स्वतंत्रताग्रा की स्थापना बरना है—वो अनुमति दी जाती है।

मादयन अधिकृत जमन प्रेश म थमिय जना को-प्रपन हिना तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए—स्वतंत्र अमिक सधा म सागरिन होन वा अधिकार होगा।

कि समस्त जमनी म एक सरकार की स्थापना असम्भव है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस ने अपने विक्षेपा मे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर सहमति प्रकट की तथा । जुलाई 1948 मे 11 जमन राज्य (लेण्टर) के मिनिस्टर प्रसिडेंटो (मुख्य मंत्रिया) को आदेश दिया कि वे पश्चिमी जमनी के लिए सविधान वा निर्माण करें। य आदेश उद्दन-सम्मेलन मे तीन पश्चिमा राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत दस्तावज वे अत्यधिक दिए गए।

लादन दस्तावज तीन भागो म विभाजित था। प्रथम दस्तावेज मे पश्चिम जमन मिनिस्टर प्रसिडेंटो को एक सविधान निर्माणी सभा का निर्माण करने को कहा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि सविधान निर्माणी नभा एक जनतानिवार्ता सविधान तयार करेगी जिसम सभी सदस्य राज्य का योगदान होगा। व्यवस्था सघीय होगी।'

दूसरे दस्तावज मे मिनिस्टर प्रसिडेंटो (मुख्य मंत्रियो) स कहा गया कि वे जमनी के विविध राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण करें। तीसरे दस्तावज म भावी जमन सरकार तथा मिन राष्ट्रों के सनिक अधिकारियों के मध्य सम्बंधों के बारे म स्पष्टीकरण किया गया था। नेप्टर (राज्या) के मिनिस्टर प्रमिडेंटो स कहा गया कि सितम्बर 1948 तक अपने नेप्टर (राज्य) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सविधान सभा का निर्माण करें। इसक कारण समस्त पश्चिमी जमनी म नोरगुल मच गया। व विदेशा सनिक अधिकारियों वे नियन्त्रण म सविधान गताने को तयार न थ। उन्ह यह भी डर था कि यदि उन्हाने पश्चिमी जमनी के लिए सविधान गता निया ता समस्त जमनी के भावी एकीकरण की समावना घूमिल हो जाएगी तथा ऐसा सविधान जमनी के सुनिश्चित विभाजन की घोषणा होगी। पश्चिमी मिन राष्ट्रों तथा जमन प्रतिनिधियों के बीच बढ़ता की स्थिति आ गई। बाइन—ब्यूरोटेमवग वे मिनिस्टर प्रसिडेंट (मुख्य मंत्री) ने तो यहाँ तक कहा कि — यद्यपि यह स्वतरनाक हा सत्ता है पर भी हम ऐसे कानूनी पद की अपेक्षा विना कानूनी स्थिति वे ही रहना पस्त द बरें। ऐसा प्रतीत हाता था कि आपसी मतभेद समाप्त नहीं होंगे। लेकिन सोवियत सघ द्वारा बर्लिन की नाकावदी (Berlin Blockade) के कारण स्थिति म परिवर्तन आया। पश्चिमी जमनी के नेताओं की यह धारणा बनी कि यदि उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया ता निकट भविष्य म पश्चिमी जमनी म भी प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना नहीं हो सकेगी।

पश्चिमी जमनी वे मिनिस्टर प्रसिडेंटो न 8 म 10 जुलाई 1948 तक बांदलाज नगर म एक बठक की तथा यह नियम लिया कि पिछाउ सविधान निर्माणी सभा के स्थान पर समीक्षा परिपद का निमान किया जाएगा तथा पश्चिमी जमनी के लिए सविधान का निमान न कर येसिए सा (आपाराख्यन कानून) वा निमान किया जाए। भविष्य म जब पूर्वी तथा पश्चिमी जमनी का एकीकरण होगा तभी

विभाजन पर अन्तिम मुहर न लगे। वेसिक ला अपन बतमान स्वरूप में कई तथ्यों स प्रभावित हुआ है। ये विविध प्रभाव इस प्रकार हैं —

### वाईमार-संविधान से सीख

वेसिक ला का निर्माण करते समय जमन प्रतिनिधियों ने जिस तथ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया वह या वाईमार-गणतन्त्र की असफलता से सीख लेता। यद्यपि वाईमार-गणतन्त्र की कई व्यवस्थाओं को उहोंने ज्या का त्या स्वीकार किया (वाईमार-संविधान के अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 अपने मूल रूप म वेसिक ना म सम्मिलित किए गए हैं)। ये अनुच्छेद सामाजिक तथा धार्मिक प्रश्नों से सम्बंधित हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वह वाईमार-संविधान का विरोधी भी है। उदाहरण के लिए वाईमार-संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता था लेकिन वेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से करने की व्यवस्था की। व्यावित लोकप्रिय जनमत द्वारा समर्थित राष्ट्रपति अधिकाधिक अधिकारा की घोग कर सकता था।

वाईमार संविधान द्वी 48वीं घारा के आतंगत राष्ट्रपति को सकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। उसी का दुष्पर्योग कर वाईमार राष्ट्रपति हिन्नवा<sup>1</sup> ने जमन जनतन्त्र की जड़ें साक्षरता कर दी थी। यही कारण है कि बान<sup>2</sup> वेसिक ला के लेखकों न सकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए। ये सकटकालीन अधिकार जमन बुन्देश्टाग (तोक समा) तथा बुन्देशराट (राज्य समा) की समृद्ध समिति को संर्वे गए। यह व्यवस्था भी 1968 मे जाकर की गई। 1949 से 1968 तक जमन वेसिक ला म एसे सकटकालीन अधिकारा द्वी व्यवस्था नहीं थी जसे अन्य देशों वे संविधानों म उपलब्ध हैं।

वाईमार-संविधान से सीख लेकर ही वेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति की तुलना मे चासलर (प्रधान मंत्री) के पूर्व को अधिक शक्तिशाली बनाया जिससे मन्त्रिमण्डलात्मक शासन बढ़ति व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार वाईमार-गणराज्य म यद्यपि संघीय शासन की व्यवस्था थी लेकिन वह बचीकरण द्वी प्रवर्ति से प्रभावित था। वेसिक ना वे निर्माताओं ने राज्यों को पर्याप्त महत्व प्राप्त किया।

### राजनीतिक दलों का प्रभाव

वेसिक ला के निर्माण पर पश्चिमी जमनी के राजनीतिक दलों के विचारा और प्रादर्शों का भी प्रभाव पड़ा। इसक सज्जन म क्रिश्चियन डमोक्रेटिक तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के क्यायक्रमों वे विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। क्रिश्चियन डमोक्रेटिक मूलियन क्योलिक पर्म से पर्याप्ति प्रभावित या भरत एम

<sup>1</sup> बोन नगर परिवसी जमनी ही दात्रकाली है।

## प्रसिक लॉ का जाम और विवाद

दर न सवियान म घम नथा चव की स्वतन्त्रता को स्थान नियान में समन्वय प्राप्त की। व्सी प्रकार क्यानिक घम क अनुग्रामी विवा तथा परिवार का सस्या को पवित्र मानत है और इसी कारण वमिक ना म उल्लंघित मौलिक अधिकार म विवाह तथा परिवार की सम्म्या को महत्व दिया गया है।

सोल डेमोक्राटिक पार्टी समाजवाद म नियन रखना थो अत वह राष्ट्राय करण या समाजीकरण क मिदान की परमात्मा थी। उमरे जार न पर वमिक ना क 15वें अनुच्छेद म जनन्याएँ क हित म समाजीकरण का व्यवस्था का गइ। व्सी 15वें अनुच्छेद 14 म सावननिव प्रकार पह न्य सम्पति का पवित्र नहा मानना था अत अनुच्छेद 14 म सावननिव हित क निए सम्पति क हरण की व्यवस्था भा बा गइ।

प्री डमोक्राटिक पार्टी उदारवाद की पायक रहा है अत उसन निया शाख विनान व अध्यापन की स्वतन्त्रता की माग की। व्सी प्रकार उम दर न सम्पति की मूल्या की भा बकानत की। यह प्री डमोक्राटिक पार्टी का ही प्रमाव है कि वमिक ला में उन बातों का स्थान मिता। यह उल्लंघनाय है कि इस दल न 14वें 15वें अनुच्छेद का विराध किया।

### अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस का प्रभाव

यद्यपि वसिक ना पश्चिमी जमन प्रनिनिया तारा निर्मित किया गया नक्किन मित राष्ट्र क सनिक गवनरा न प्रपना सरकार के आशानुसार वमिक ना क निमाण क निए कुछ शर्ते रखी। य शर्ते उम प्रकार था—

(1) वसिक ना क अन्लगन सप्तद क दो सन्ना का व्यवस्था की जाए तथा एक सून राजा का प्रतिनिवि हागा उम राजा क हिता की मूल्या क पयान अधिकार निए जाए।

(2) सक्टकानीन अधिकार को मीमित रखा जाए।

(3) विनाय मामना म सधीय मरकार क अधिकार मामित रख जाए।

(4) स्वतत्र यायिक व्यवस्था का व्यवस्था हा।

(5) प्रयव नागरिक को सावननिक सरकार पर प्राप्त करन का अधिकार होगा।

उनमें न कुछ शर्तों पर जमन प्रनिनिवि पहन स ही महसत थ। उम हृषि म उस विनाय प्रमाव नहा माना जा सकता किर मी व उन आगेंगा स बायथ थ।

इसक साथ ही साथ वमिक ना या मूलभूत विवि क निमाण म ब्रिटिन व प्रभरिकी सवियान स कुछ अप्रय प्ररणाए भा प्राप्त की गई यद्यपि उट्ट-गा का त्यों स्वाक्षार न कर जमन परिस्थितिया क अनुच्छेद लाला गया। उक्ता उल्लंघन आग किया जागेगा।

### वसिक ला की विशेषताएँ

23 मई 1949 को पश्चिमा जमन क बान नामक नगर म—जा रान नी इ किनार पर स्थित है—मउनीयन्परिप्रेत न बामर ला का स्वाहृत तथा पब्लीक्यन

किया। यह वेसिक ला जमनी के प्राप्तसरो वकीलों एवं राजनीतिक नेताओं के उत्कृष्ट मस्तिष्क की उपज है और इसका निर्माण बहुत धोड़ समय में कर निया गया। वेसिक ला का निर्माण करते समय उहाने विद्याके सविधान का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात् जमनी की तत्कालीन परिस्थितिया तथा प्राचीन परम्परा सम्मता सहृदयि को हट्टिगत रखा। इसमें कई नवान व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया। इसी व्यवस्था के आधार पर पश्चिमी जमनी न अपना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास किया। वाईमार सविधान की तुलना में वर्तमान वेसिक ला अधिक स्थायी सिद्ध हुआ। वाईमार सविधान तो 1919-1939 तक ही चला जहा वर्तमान वेसिक ला 1948-1977 तक सफलता पूरक राय करता रहा है। जिस प्रकार अमेरिकी सविधान की व्यवस्थाओं न दरा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया उसी प्रकार वर्मिक ना ने भी जमनी की अर्थ-व्यवस्था को मुख्य भित्ति पर ला खड़ा किया। 1945 में जो जमनी राय का ढर या बहा पश्चिमी जमनी आज विश्व के प्रथम तीन अष्टलम उद्योग प्रधान दशों में है और उनके सिवर-जमन याक-की आज विश्व में भारा प्रतिष्ठा है। वेसिक ना जमन बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का जीवत प्रमाण है। एसा लगता है समस्त जमन बुद्धि वेसिक ला रूपी पात्र में एक स्थान पर एकनित कर दी गई। वेसिक ना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) अस्यायो द्वाद्य-विश्व के अर्थ सविधान की स्थायी प्रकृति के विपरीत पश्चिमी जमनी का सविधान एक अस्यायी सविधान है। इसे सविधान का नाम से भी नहीं पुकारा गया। इसके बजाय पश्चिमी जमनी के नोंगा न एस वेसिक ना (आधारभूत कानून) के नाम से पुकारना पसन्न किया। जमन भाषा में इस ग्रन्डेसेटज़ (Grundesetz) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। जसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जमनी के उन प्रतिनिधि जमनी के एक हिस्से के निए सविधान बनाने को तयार न थे। जमन नाम का अनुसार सविधान स्वीकार करने का अब देश के विभाजन का स्वीकार बरना था। व एसा करने का निरा तयार न थे। उन्होंने इदा थी कि भविष्य में जब समस्त जमनी का एकीकरण होगा तब सारा जमन जनता के प्रति नियंत्रित होकर जमनी के निए सविधान बनाएंगे। नव तरं जमनी का एकीकरण नहा हो जाना व एक अस्यायी और बास घलाऊ व्यवस्था का निर्माण बरना चाहत थे और वित्त ला या ग्रन्डेसेटज़ के रूप में उन्होंने एक अस्यायी व्यवस्था का निर्माण किया। पश्चिमी जमनी की राजधानी बान यनार्ड गई उन्हिंने इस भी अस्यायी राजधानी कहा गया। असलो राजधानी तो बर्निन ही मानी गयी। लविन बर्निन तो पूर्वी जमनी के सम्बवादी राय के हृदय में विद्यमान है जहाँ पर पूर्वी जमनी वी नरकार का अनुमति के बिना स्पन मार्ग से नहा जाया जा सकता।

वैसिक ला एवं अस्थायी व्यवस्था<sup>१</sup> इम बातें वा स्पष्ट सबत दिया गया है। वैसिक ना की प्रतावना अनुच्छेद २३ व अतिम अनुच्छेद १४६ म उसके अथायी स्वतंत्र व प्रहृति का उत्तर किया गया है। प्रस्तावना म वहा गया है—  
जमन जनता मरमग कात (Transitional p mod) के लिए राजनीतिक नोवन का नवीन यवस्था प्रवान बरन की वट्ठा से इम वैसिक ना का निमाण करता है। अनुच्छेद २३ म निखा गया है—

फिरहान यह वैसिक ला बादेन ववरिया जे भन प्रटर वर्तिन हाम्बुग हम नाप्र भवसनी नाय राष्ट्र वस्त्रानिया रान्नन०३ भननीन०३ शनमविग हासदान घूम्हमवय नाहतस्मानन म नागू होगा। उमनी क अय भागा द्वारा प्रवण किए जान पर यह उन भागा पर भी नागू होगा।

अनिम अनुच्छेद (१४६वा) म भी एवं अस्थायी हान का स्पष्ट उत्तर है। अनुच्छेद १४६ क अनुभार— यह वैसिक ला उम दिन प्रभावहीन हो जायगा जिस दिन जमन जनता द्वारा स्वतंत्र निषय नारा एवं सविधान आगीदृत दिया जाएगा तथा वह नागू होगा। एमर प्रिश्चे क अनुभार— वैसिक ला क निमा ताया न उम मीरिङ सविधान की अवस्था एवं अस्थायी व्यवस्था माना नयापि वैसिक ला एवं सविधान के रूप म आरी है।<sup>२</sup>

(1) अस्थायी स्वरूप मामायतया कमजारी व कमी का चोतक हाता है उकिन वैसिक ला एवं विशिष्ट परिम्यनियो म निमित दुग्रा है और यह अस्थायी स्वरूप उमकी इन्ता बन गया है। साथ ही भी यावनारिक दिन म यह वैसिक ला एवं स्थायी व्यवस्था बन गया है—पश्वम उमन जनता ने व्ये समर्थन एवं मायना प्रवान की है तथा यह ममव है कि जब भवस्तु उमनी के लिए यविधान बनगा तो यह वैसिक ला उमके लिए एवं प्ररगाम्पद स्तनावज क रूप म बाय करगा। यह भी ममर है कि भावी जमन सविधान म अम्भी क व्यवस्थाया का समावाद किया जाए।

(2) निमित तथा लिखित—प्रिक ना की नमरी विवापना य०३ कि भारत गमरिका बनादा तुर्की आरि सविधान की माँति यह एवं लिखित एवं निमित सविधान है। वैसिक ला म फूल १४६ अनुच्छेद हैं तथा सविधान क परिशिष्ट क रूप म दार्मार सविधान के १३६ १३७ १३८ १३९ तथा १४१ व० अनुच्छेद भी जामित किए गए हैं। उमम न पाच अनुच्छेदों को भी मम्मिति किया जाए तो यानवैसिक ना म १५१ अनुच्छेद होगे। यह तुरनतात्मक दिन म देवा जाए तो गमरिकी सविधान म बनल ७ अनुच्छेद हैं जबकि ग्राम लिया क सविधन म १२८ अनुच्छेद बना। क सविधान म १४६ अनुच्छेद दियो अमिका व सविधान म १५३ भारतां सविधान म ३९५ अनुच्छेद तथा ९ अनुमूलिया नाम क सविधान

१ एमर प्रिश्चे भारतीयों के परम्परा वाले जमना (शेस्टन १९६९) पृ० २५-६

म 10<sup>3</sup> अनुच्छेद तथा तुर्की के संविधान म 157 अनुच्छेद है। इस प्रकार आकार की टृटि से वह कनाडा तुर्की के संविधान के उगमग बराबर है।

यह समावना हो सकती है कि यदि समस्त जमनी के लिए संविधान बनाय जाना तो वह आकार म बड़ा हो सकता था निकिं बतमान व्यवस्था भी उगमग पूर्ण व्यवस्था है। इसके बाबजूद मध्यम स्वरूप का होने के कारण इस एज द्वाटी सी पुस्तिका के रूप म माथ म रखा जा सकता है। वेसिक ला म उगमा सभी मुद्दा पर व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

(३) सर्वोच्च शक्ति जनता मे निहित—वेसिक ला के अनगत जमनी को जनताविक सघ राष्ट्र बनाया गया है जिसम सर्वोच्च सत्ता जनता मे निहित है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जमन भवीय गणतन एक जनताविक सधीय राष्ट्र है। राष्ट्र की सारा शक्ति जनता मे प्रवाल्पित होती है जिसका उपयोग जनता नुनाव व मताधिकार के प्रयोग द्वारा करती। इस हिति स पश्चिमी जमनी का वेसिक ला भारतीय संविधान के अधिकार निकत है।

(४) मौतिक अधिकार—किसी भी जनताविक प्रवस्था अथवा संविधान मे मौतिक अधिकारा का भागी महत्व है। किसी देश म मौतिक अधिकारो की कितनी प्रतिष्ठा है इसका मूल्याकृत इस बात से किया जा सकता है कि मौतिक अधिकारा के संविधान म कहा स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत म प्रस्तावना<sup>1</sup> म भी कुछ मौतिक अधिकारा का सबत है तथा मौतिक अधिकारो का सबप्रथम स्थान दिया गया है। फ्रान्स के 1946 के संविधान म प्रस्तावना मे भी नागरिक स्वनश्ताप्रा या मौतिक अधिकारा का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वेसिक ला को कुन ११ भागा म बाटा गया है और प्रथम भाग मे मौतिक अधिकारा का उल्लेख है। अन्तर्हानहाइमर<sup>2</sup> के अनुसार— मौतिक अधिकारा का जो प्रमुखता प्रदान की गई है उसका स्पष्ट सकेत यह है कि उच्च वसिक ला के आरम म स्थान दिया गया है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि ये व्यवस्थाएँ सभी यापालया व सरकारी अधिकारियो पर बाध्यकारी होंगी। राबट जी नोयमान के अनुगार— यह विशेष महत्व जानबूझ कर रखा गया है ताकि नवीन जमनी तथा नाल्नी जमनी वा न उपलब्ध हो सके। मानव व्यक्तिका के सम्बन्ध विकास के लिए मौतिक अधिकारा का विशेष महत्व है।

वसिक ला म अनुच्छेद । स अनुच्छेद 19 तक विभिन्न प्रकार के मौतिक अधिकारा या स्वनश्तापा जा बगा किया गया है। ये मौतिक अधिकार सरकार तथा संसद के अधिकारो का नी सीमित करते हैं। निसमने भ्रमाधारण परिस्थितिया सबका बाज म इन पर कुछ सीमा उसार्ह जा सकता है निकिं दूसर दागा की

1 अनोड हानहाइमर दी यवनमट जाफ जमनी (जन्न 1961) पृष्ठ 60

2 नोयमान पूर्वी त पृष्ठ 95

तुनता म पश्चिमा जमनो व नागर्जिवा को सबटन्कार म ना अधिक अधिकार स्वतंत्रताए तथा सुविधाए प्राप्त है। ये भीविक अधिकार या स्वतंत्रताए घम प्रदार हैं —

(अ) मानव गरिमा की सुरक्षा वसिक ना का कांड्र व्यनि ग्राहवा मानव है। उग्र की मुख्य मुदिग्रा एव जीवन यापन के लिए घम की रचना का गृह है। अनुच्छेद प्रथम के अनुसार—मानव गरिमा अनध्य है। सभी राष्ट्रपिकारियों का नियत्व होगा दि व मक। सम्मान तथा सुरक्षा करें। जनता हा नहा वसिक ना का प्रयम अनुच्छेद ता वहा नक वहता है कि अनध्य एव अनिवाय मानव अधिकार ग्राहवा मानव समूलाय विव्र नानि एव याय के आधार हैं। घम दि म न बवन जमनी बामिया की गरिमा की मुर ना व सम्मान की व्यवस्था की गृह वरन् विश्व क सभा मानवा का गरिमा का ध्यान रखा गया है।

(आ) स्वतंत्रता वा अधिकार—मानव-व्यक्तित्व के समुचित विवास वा ग्राहार है उम्मी विनिध स्वतंत्रताए। अनुच्छेद 2 (1) के अनुसार— प्रत्यक व्यक्ति का उम मामा नक ग्रापन व्यक्तिक व स्वतंत्र विवास वा अधिकार होगा जिस सामा तक वह उमग्र के अधिकारा सवधानिक व्यवस्था तथा ननि मर्तिता का उल्लंघन नहा करता। अनुच्छेद 2 (2) म ग्राग कहा गया है— प्रत्यक व्यक्ति का ग्राहित व्यक्ति का अधिकार है तथा उम व्यक्ति या व्यक्तित्व का उल्लंघन नहा किया जाएगा। यक्ति का स्वतंत्रता अनुच्छेदीय होगी। कानून के अनुसार वा न अधिकारा का प्रतिक्रियण किया जा सकता है।

(इ) कानून क समक्ष समानता—वेतिह ला न जाति घम निग तथा आद मन मतानता के भूतमाव के विना सभी जमना बामिया का समानता प्रदान की है। अनुच्छेद 3 म स्पष्ट घापणा की गृह है कि —

(1) सभी नाग कानून के समग्र समान होगे।

(2) स्त्री व पुरुष का समान अधिकार होगे।

(3) निग घनव वश जाति भाषा निवास-भ्यान तथा उम घम या धार्मिक ग्राहवा राजनीतिक विचारधारा क ग्राहार पर विभा भी व्यक्ति क माय परपान नहीं किया जाएगा।

(ई) घम व मत की स्वतंत्रता— ग्राज क घम निरपेण बातावरण म भी घम प्रिकून अथवहीन नहा हो गया है। साथ ही का मन मतान्कर अव भी प्रमावशाली है। इसी को दृष्टिगत बनत हूए वसिक ना म घम तथा मन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गृह है। अनुच्छेद 4 म वहा गया है—धार्मिक स्वतंत्रता ग्रामा की स्वतंत्रता तथा मन का स्वतंत्रता—चाह वह धार्मिक हा या ग्रामा गम्द यी अनुच्छेदीय होगी। अनुच्छेद 5 म याए व्यवस्था है कि— निवास स्व स घम-व्यान वा स्वतंत्रता

का गारनी है यदि किसी व्यक्ति का धम हथियार उनसे को इजाजत नहीं देता तो उस वसिक ला सरस्व सवाला से दूर रहा है। अनुच्छेद 4 (3) में उल्लेख है कि—  
किसी भी व्यक्ति को उसका आत्मा के विरुद्ध ऐसी युद्धन्यावा के लिए बाध्य नर्ते किया जाएगा जिसमें शमना का प्रयार जरूरी हा। शब्द जा नोयमान के गनुमार—  
यह उल्लेखनीय है कि आत्मा के आधार पर सत्तिक सवा पर आपत्ति विषयक अधिकार की स्पष्ट गारनी उस समय से पहल ही दी गई जिस समय जमन सना का निमाण नहीं हुआ था।<sup>1</sup>

सविधान (बमिक ला) के परिशिष्ट में वाईमार-भविधान की जिन व्यवस्थाओं का नमिनित किया गया है उसमें भी धम के बार में व्यवस्थाएँ हैं—पर्याप्त यह मौतिक अधिकारा का हिस्सा नहीं है पर भी वह उनका पूरक है तथा जमन सोगा के धार्मिक जीवन का उमी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार कि मौतिक अधिकार। वाईमार सविधान के गनुच्छेद 137 के अनुमार—

(1) कार्य राय चब नहीं होगा।

(2) धार्मिक सत्याग्रा के निर्माण के लिए संगठन या सघ बनाने की गारनी है।

(3) प्रत्यक्ष धार्मिक सत्या सभी के लिए बघ कानूनों की सीमा में रहत हुए स्वतंत्रतापूर्वक अपनी गतिविधिया का नियमन करणी।

इस प्रकार राय का कोई धम न रखत हुए प्रत्यक्ष व्यक्ति को पूरा उपायना धार्मिक महोसूद व कमवाण्ड की दूर नी गई है।

(उ) अभियक्ति की स्वतंत्रता—भास्कृति उपनिषद्या तथा उनका का मुक्त बनाने के लिए अभियक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। भाषण उखन मन भरियार्हा तथा सूचना देने व प्राप्त करने की स्वतंत्रता मानव-व्यक्ति-वे विकास के लिए अनिवार्य है। उसी आधार पर वह विकासोभूत हो सकता है। वसिक ला के नियमाना भर बार में संजग थ। यही कारण है कि अनुच्छेद 5 में अभियक्ति की स्वतंत्रता ॥। स्थान निया गया है। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित “यवस्था की ग” है—

(3) प्रायव व्यक्ति का स्वतंत्रतापूर्वक मत व्यक्त करन तथा भागण सरन चित्रा आरा मत प्रकार करन और सामाय उपलब्ध साधना से अरन प्राप्त लिए सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा। समाचार-पत्रा की स्वतंत्रता तथा प्रसारणा व किंमा के माध्यम से रिपोर्ट दिने के अधिकार की गारटा दी जाना है। बासे-सरकार (विचारा के गुण तथा तिरीकण सम्बन्धी सम्प्या) नहीं होगी।

इसके अनिरित अनुच्छेद 5 (1) में बना विनान जाध व अध्यापन का मुक्त ठहराया गया है। अध्यापन का स्वतंत्रता का धय यह नहीं होगा कि व्यक्ति सरिधान के प्रति निष्ठा न रहें।

वमित ना की यह विनिष्टता है जि उसम अभिन्नति की स्वतन्त्रता के विविध पश्चा का सविस्तार बण्णन किया गया है। इनना निश्च विवरण दुनिया के किमी सविधान म नहा मितता।

(अ) विवाह परिवार व अवध सामान—विवाह व परिवार की संस्था की अविश्वता तथा महत्व वी अपि म जमन वेतिक ना का भारी महत्व है। वम द्वम प्रवार की व्यवस्थाए इन्ही व तुक्की क सविधाना म भी प्राप्य हैं नमिन बस्तुत य व्यवस्थाए जमनी से ही ना गई हैं। उन्हा हा नहा जमनी का वेतिक सा विश्व क उन वर्त्तन योग म सविधाना म स एक है जिसम अवध वच्चे का मुरझा व मायना प्राप्त है तथा उसक व्यक्तित्व क विकास हनु समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं।

#### अनुच्छेद 6 म की गये व्यवस्थाप्राप्त अन्तर्गत

- (1) विवाह तथा परिवार राज्य का विषय सरकरा दा उपभाग वरें।
- (-.) वच्चा वा नान-पान व डाकी परवाह करना माता पिता का नसरिक अभिकार तथा प्रमुख काव्य है। राष्ट्रीय समुदाय द्वम निशा म उनके प्रयासा का दब्खा।
- (3) वच्चा को उनक परिवारा म अन्त नदा किया जा सका।
- (4) प्रवर्ष माता समुदाय द्वारा सुरक्षा व उसका ध्यान रखन की अभिकारिणी होगा।
- (5) अवध वच्चा के शारीरिक आध्यात्मिक विकास क निए सम ज म उनका वही स्थान उन क निए—जो वध वच्चा वा प्राप्त है—राज्य का नुसन अरा व्यवस्था करेगा।
- (६) निशा का अधिकार—विमी राज्य क विकास म निशा का मर्दों-च स्थान है। आज क तकनीकी-श्रीदायिक युग म निशा का महत्व और भी बढ़ गया है। उमी दो हृष्टिगत करन एव वसिक ला म निशा क अधिकार का स्वीकृति ना गया है। उमिन निशा का मुख्यविषयत समन्वित एव वनानिक शावार प्राप्त करन क निए उमे राज्य क पर्यवरण म रखा गया है। भारत की भानि निशा जमना म भी राज्य के क्षेत्राधिकार म ही है। अनुच्छेद 7 क अनुसार—

- (1) समन्व निकाम राज्य के पर्यवरण म रखा।
- (2) वच्चो क भरण-पापण क अधिकारी नामा दो यह तथ करन का अधिकार होणा कि वच्चे को घासिक निशा दी जाए अवधा नह।
- (3) धम निरपेक्ष स्कूला का द्वावकर भमी राजकीय तथा नगरपालिका स्कूला म सामाय निशा म धार्मिक निशा का व्यवस्था होगा। विमी भी अवधायक का उसकी द्वावा क प्रदृढ घासिक निशा उन वा वाव्य नही किया जा सकता।

(4) निवी सूक्तों की स्थापना की गारंटी है। निजी सूक्तों राजकीय व नगर पालिका सूक्तों के स्थानापन्न इप में बी-स्थापना के लिए सखारा स्वीकृति की आवायकता होगा। यह अध्यापक वग की आधिक तथा कानूना स्थिति पर्याप्त इप में सुनिश्चित नहीं है तो ऐसी सूक्त की मायना का राजा दा सकता।

इस प्रकार जिसका अधिकार के अन्तर्गत प्रधारकों की तांग का समूचा बनाने की गारंटी नी दा गया है। कइ राष्ट्र के लिए यह अनुद्धरण एवं अनुकरण आएँगा हा सकता है।

(ए) सभा का अधिकार—अपने विचारा के प्रसार के लिए सभा के आयोजन वा विभाष महत्व है। इसके अभाव में उन्हें भव जाल बनाने तथा जनभत को प्रभावित करने में विचित रह जाता है। प्रथम जनतात्रिक संविधान में सभा के प्रायोजन का अधिकार दिया जाता है। विभिन्न सभा में नी इसकी व्यवस्था है। अनुद्धरण 8 के अनुमार—

(1) पूर्व अनुभव से सभी जमन तांगों का निश्चित एवं शातिपूण भना का आयोजन करने का अधिकार होगा।

(2) सावजनिक स्थाना पर तुर्नी हवा में सभा के आयोजन के अधिकार को कानून द्वारा सामित किया ना सकता है।

(ओ) सघ निर्माण का अधिकार—जनताव में सभान आन्दोलन उत्था तथा अधिकारा की प्राप्ति के लिए सघ निर्माण का अधिकार अनिवार्य माना गया है। इसके अनुद्धरण 9 में कहा गया है—

(1) सभी जमन तोगा का सघ तथा समाज (मस्याए) बनाने का अधिकार होगा।

उक्तिन य सघ कानून विगाधा तथा संस्कैय जनतात्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हो। “स वात का मह नजर रखन ए अनुद्धरण 9 (2) म स्पष्ट कहा गया है कि—

जिन सधा के उत्था तथा गतिविधिया अपराध-कानून के विद्ध हैं तथा जा जनतात्रिक व्यवस्था तथा अतराष्ट्रीय सद्भाव के मिठान के विद्ध हैं उन पर अनिवार्य लगाया जा सकता है। यह उत्तरानीय है कि पश्चिमा जमनी के विभिन्न नां में अन्तराष्ट्रीय जाति व सद्भाव को भा एवं यह विप्रा बनाय भाना गया है।

(ओ) डाक व दूर सचार की गोपनोदत्ता—मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी के उक्तिन सभान में रहन ए भा उम्भो व्यक्तिगत जीवन और उम्भी गारनायना का दूर स्थान रहता है। उत्थ व्यक्ति भा परिवार भवन घर वा एवं टुम्हेह ग्रंथ की भानि दूरना चाहना है। दूर यह पस्त नहा बरगा कि उम्भ निजी जीवन में भी उत्थेर बर। उम्भ तथ्य का प्राया बरत हए विभिन्न सभा के निमानाप्रा ए तिनविमित व्यवस्था की है। अनुद्धरण 10—अनुमार—

लेकिन साथ ही इसमें दूर की व्यवस्था की भई है। अनुच्छेद 12 (2) में कहा गया है—

यदि एक व्यक्ति आत्मा के आधार पर युद्ध सवा—जिसमें शस्त्र उठाना पर्ण—से इन्कार करता है तो उसे स्थानापन सवा करने को कहा जा सकता है। ऐसी सवा की अवधि अनिवार्य सनिक सवा की अवधि से अधिक नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण विवायत भानी जा सकती है।

(ख) निवास की प्रनुलधनीयता—प्रत्यक्ष व्यक्ति अपने घर को एक द्रव्येव किना समझता है और अपने का उसका राना। वह यह प्रत्यक्ष नहीं करेगा कि कोई भी—गैर व सरकार सहित—उसके घर में प्रवण करे। इसलिए वेसियता के 13वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि—

- (1) निवास स्थान अलव्य होगा।
- (2) सिफ़ ग्राम्यारोप के ग्रामेश पर—दरी होन पर बतरा उत्पन्न होने की स्थिति में ग्राम्य सरकारी ग्राम भी कानून द्वारा निवारित ढग से—जी मकान की तनाशी नी जा सकती है।
- (3) व्यक्तिया की जान का बतरा होन पर या सावजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का खतरा होन पर या मकानों की तगी बम करने या महामारी का मुकाबला करने या अबोध बच्चों की सुरक्षा की स्थिति का छोड़कर घर प्रवण होगा।
- (ग) सम्पत्ति पत्रक विभाग व जी—जमन राजनीतिन जानत थे कि एक व्यक्ति के जीवन में उसके घर बग़ूचे तथा कार व ग्राम्य सम्पदा का मारी गये और महत्व है। इसलिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है—
- (1) सम्पत्ति तथा पत्रक विभाग की गारटी है। उसके स्वरूप व सीमा का निर्धारण कानून द्वारा किया जाएगा।

लेकिन घन का ग्रथ यह नहीं कि व्यक्ति अत्यधिक सभीए हृष्टिकोण अपना ने इसलिए उसी अनुच्छेद में ग्राम बहा गया है— सम्पत्ति बत्त्याएँ योग्यता है। उस सावजनिक बत्त्याएँ का भी स्थान रखना चाहिए। जना ही नहीं सावजनिक हित में सम्पत्ति का जल्द बरतन का भी व्यवस्था की गद है। अनुच्छेद 14 के ग्रन्तन स्पष्ट किया गया है कि मिफ़ सावजनिक बत्त्याएँ के लिए सम्पत्ति के हरला की अनुमति दी जाएगी। यह हररा सिफ़ कानून के अनुद्वान ही किया जाएगा तो मुफ्त बजे का स्वरूप तथा सामा निर्धारित करेगा। एसा मुफ्तादजा सावजनिक हित तथा प्रभावित व्यक्ति के हिता में समान सतुलन स्थापित करते हुए निवारित किया जाएगा। यदि सरकार तथा व्यक्ति में इस विषय पर विवाद हो तो सामाज्य यायात्रा की गति में जाया जा सकता है।

(घ) समाजीकरण—जमा कि पाठ्य मृत्ति किया जा चुका है नामत राष्ट्रातिक पार्टी समाजवादी की पापक था तथा व राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का पार्टी गता

(ज) मूल अधिकारों को सीमित करना—इस वेतिक ला के अन्तर्गत जहा तक कानून आरा किसी मूल अधिकार को सीमित करन का प्रश्न है एसा कानून सामाज्य रूप से लागू होगा किसी विशेष व्यक्ति के मामल म नहा । इसके साथ ही ऐसे कानून म उस मूल अधिकार का नाम तथा अनुच्छेद की सम्बन्ध का सर्व हाना चाहिए ।

किसी भा स्थिति म मूल अधिकार के अनिवाय तत्व का अनिकम्भा ना किया जाएगा । सरकारी अधिकारी द्वारा यहि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हमन हाना ह होतो वह यायालय की शरण म जा सकता है ।

पश्चिमी जमनी म मूल अधिकारों की विज्ञान तथा स्पष्ट व्यवस्था इस बात का और इंगित करती है कि वेतिक ला के निमाना सरकार को काइ एसा कानून उठान से पूरी तरह रोकना चाहत थ जिसमे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर आधात पहुँचे । सधीय मद धानिक यायालय का सभी मूल अधिकारों का सरकार नियुक्त वर्ग वेतिकला न उनकी सुरक्षा की यवस्था बी है ।

(5) सधीय यवस्था—एक आय विशेषता है सधीय व्यवस्था । जमनी मे सध शामन की नम्बी परपरा रही है । विस्मान के युग म 1866 व 1870 के जो सविधान दन वे सधीय सविधान थ । यही बात 1919 के वान्मार-नविधान पर लागू हानी है । 1949 म जिस वेतिक ला का निमाण किया गया उसम पूव राज्यो का निमाण हा चुका था । वेतिक ला का अनुच्छेद 70 स्पष्ट करता है कि — जहा तक वेतिक ला अन्यथा व्यवस्था नहा करता या अनुमति नहा देना राज्य के अधिकार और कावा का नियादन लेण्डर (राज्य) का भामला है । एल्मर प्लिशक क अनुमार यह व्यवस्था अमरिकी सविधान क त्वं सारोधन के अनुमार है जिसम कहा गया है कि व सभी शक्तिया जो सध सरकार को नही दी गई हैं तथा न सविधान राज्य द्वारा उनके प्रयोग की मनाहा करता है व अधिकार राज्य के लिए भार भित है ।<sup>1</sup>

जमनी 11 राज्यो का सध राज्य है । दन राज्यो के नाम एवं प्रकार हैं —

1 वानेन व्यूरटमरग	7 नायराइन वस्टफलिया
2 वबरिया	8 रान्न लण्ड पेलग्रीनर
3 वेमन	9 सारलेन
4 हाम्बुग	10 इनसिविंग हान्नटाइन
5 टुस	11 पश्चिमी वर्लिन
6 लोम्बर ज्वसनी	

## पश्चिमी जर्मनी की सघीय व्यवस्था- के अन्तर्गत राज्यों का विभाजन



सघीय राज्यमा म सध राज्य तथा उसक सच्चय राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट विभाजन होता है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिस पर सभ राज्य या उसका सच्चय राज्य दाना कानून बना सकते हैं। अधिकार विभाजन की हाँि संवित ना म अधिकारों की दो सूचियाँ दी गई हैं —

- 1 सघीय सूची
- 2 समवर्ती सूची।

अनुच्छेद 73 म सघीय सूची क अंतर्गत आने वाले विषयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 म समवर्ती विषयों की सूची दी गई है तथा उसके अन्तर्गत मार अधि कार राज्य या लेड व पाम होग। सध राज्य या बैर के पास विशेष मामले सभ की नागरिकता यातायात सिक्के संपोष रेतमाप व हवार्ड यातायात जाक व तार इयान्नि विषय है। समवर्ती सूची म फौजनारी व दीवानी कानून जाम मृत्यु लावा जोगा शरणार्थी व निष्कासिन जमन गति राज्य म नागरिकता जनक याण युद्धभांि व मुप्रावज अमिन्क कानून भूमि प्राहतिव साधना का राज्य का हम्मान रित बरना प्रभवान कानून इयार्ड प्रमुख विषय हैं। जमा दि स्पष्ट है राज्य भी

द्वन विषया पर कानून बना सकता है तेकिन यदि सघ ने कानून बनाया है तो वही लागू होगा।

(6) शक्तिराली चासलर की "यवस्था"—वैसिक ला के निर्भाताश्च न जमनी के वार्षिकारनगणराज्य द्वारा की मर्यादा स सीख लेकर राष्ट्रपति की तुलना में शक्ति शाली चासलर की "यवस्था" की। आज पश्चिमी जमनी के चासलर की शक्तियों की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटन के प्रधान मंत्री से को जा सकती है। चासलर को अपने सहयोगी भवियों की नियुक्ति करने तथा उह पद सहटान का अधिकार है। इन्हाँ ही नहीं जब तक पहल नए चासलर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक चासलर को उसके पर भी नहीं हटाया जा सकता। यह वैसिक ला की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस "यवस्था" के बारण वहाँ राजनीतिक अस्थायित्व या सकट को समाप्त करने पर सफलता प्राप्त हुई है। जमनों का प्रथम चासलर कानराड आदेनआवर (1949-1963) इतना अधिक शक्तिशाली था कि राजनीति के लेखकों न पश्चिमी जमनी की "यवस्था" को चासलर डमोक्सी कहना आरम्भ कर दिया। कहन वा तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ जनतत्र की शक्तियाँ चासलर में निहित हैं। बाद के चासलरों ने इनी अधिक शक्तियों के अधिकारों का उपयोग नहीं किया।

(7) अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रपति—वाईमार-गणराज्य (1919-1933) में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की यवस्था था। साथ ही उस व्यापक सकटवालीन अधिकार प्राप्त था। "सीलिए उस राष्ट्रपति के पास अत्यधिक गतिशीली जिसके द्वृष्टियोग के कारण वाईमार-गणराज्य में न बदल राजनीतिक अस्थिरता पदा हुई बरन घन्त में वह नष्ट हो गय। इस तथ्य को नियत करत हुए वैसिक ला में राष्ट्रपति की शक्तियों में बड़ी गई। प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अब भ्रष्टपत्र चुनाव की यवस्था की गई। सकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति के पास न रख दिया गया था (लोक सभा) तथा बुनेसराट (राज सभा) की एवं संयुक्त समिति के पास रख गया है।" उस प्रकार बताना पश्चिमी जमनी का राष्ट्रपति निष समाराट की शोभा बनाना तथा राष्ट्र के सम्भाननीय प्रतीक से अधिक कुछ नहीं रह गया है। नविन अन्ततः यह धूमित पर निमर बरता है कि वह इस प्रकार भ्रष्ट पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाता है तथा जनता के बाष्ट निवारण में सहयोग देता है। एवं सोम्य व मुद्र विवार वाला राष्ट्रपति अपने निए सम्भान अर्जित बर सकता है तथा समय अगल पर मन्दिमण्ड थों प्रभावित भी बर सकता है। राष्ट्रपति विषयक अध्याय में इस विषय की विस्तार न चरा हागी।

(8) रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव—वैसिक ला की एक महाकूण उपर्याप्त यह है कि उसने राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए मन्दिमण्ड के द्विद्वयों का उपयोग करता है। उपर्याप्त वा रचनात्मक बनाना में सफलता प्राप्त की है। निम इसी देश के द्वय राजनीतिक दर हान है वहाँ विरोधी दर विसी प्रधानमंत्री या चामर को

अनुच्छेद 25 यदस्या करता है कि—सावजनिक आतराष्ट्रीय कानून के सामाजिक सिद्धान्त सधीय कानून के अविभाज्य भाग होंगे। वे कानूनों से ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे तथा सधीय क्षेत्र के निवासियों के लिए अधिकारा तथा दायित्वों का निर्माण करेंगे।

शाति स्थापना के लिए युद्धा पर प्रतिवध लगाना अनिवाय है। इस न यकी प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 26 यह कहा लाइता है कि—राष्ट्रों के मध्य सम्बंधों में व्यवधान ढानन के इरादे से किय गय काय—विशेषत आक्रामक युद्ध की तयारी—असंवधानिक होगी। ऐसे काय अपराध मान जाएंगे जिसके लिए सजा की यदस्या होगी।

विश्व शाति को इतना अधिक सम्मान बहुत कम सविधानों म प्राप्त है।

(10) राजनीतिक दलों का महत्व—एक जनतात्त्विक यदस्या मेरा राजनीतिक दलों का भारी महत्व है। वे यदस्या के नियता वाहक एवं प्रहरी हैं। लेकिन अधिकारा देणा मेरा राजनीतिक दल सविधान के अभ नहीं हैं। दूसरे शब्दों मेरा यद्यपि राजनीतिक दल सविधान की आधारशिला है लेकिन सविधान मेरा उनका विशद एवं विस्तृत उत्तराख नहीं होता। वे परम्परागत ढग से अपना काय करते हैं। अमरिका मेरी आरम्भ म सविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को सविधान के लिए हानिकारक व्याया वयोकि उनकी मायता थी कि राजनीतिक दल विभिन्न बगों म द्वय शक्ता तथा धरणा की मारना करते हैं। यही कारण है कि मुनरो ने अमरिका के बारे मेरी लिखा है कि— सविधान निर्माताओं ने जिस नाव के पायर को अस्वीकृत कर दिया था वही (राजनीतिक दल) आज अमरिकी शासन-पद्धति के आधार स्तम्भ हैं।

पश्चिमी जमनी मेरा इन आवार स्तम्भों (राजनीतिक दलों) की अवहलना नहीं की गई वरन् उह अभिक ना म स्वान दकर उनका साविधानीकरण कर दिया तथा उह आवश्यक मायता प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान किया है। इसीलिए जमनी लेखक गोगल्ड नावहोग ने लिखा है— जमनी मेरा पहली बार राजनीतिक दलों का—जनता को सक्रिय करने के लिए—राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि म अनिवाय संघर्ष माना गया है।

वेसिक ना क 21 वें अनुच्छेद म स्पष्ट घोषणा की गई है कि— राजनीतिक दल जनता की इच्छा के निर्माण मेरा भाग नहीं है। निर्वाच रूप से उनका निर्माण किया जा सकता है। उनका आन्तरिक संगठन जनतात्त्विक सिद्धान्तों के अनुकूल हाना चाहिए। उह अपने धन प्राप्ति के स्रोत का सावजनिक विवरण प्रस्तुत करना

(11) स्वतंत्र यायपालिका—जमने बी जनतात्त्वीय पद्धति म स्वतंत्र यायपालिका, भारी महत्व हाना है। 1949 के वेसिक सा म यायपालिका के अधिकारों का विवित किया गया है जिसके बारण कुछ नववाना न हो पश्चिमा जमने राय द्वारा नव बी सना दे डायी है।

“नामान्या का स्वतंत्रता का सुरक्षित रखा गया है। वह सिर कानून और नविगेशन के प्रयोगस्थ रह करते हैं। उनका बल निरुति प्राप्ति तथा नामान्या में कामपारिंदा नवनय नहीं उर लकड़ा। एक निर्वित आनु तक उहै पर मुक्त नना किया जा सकता न नहै बलते में किया प्रकार का किया का जा सकता है।

काय का मुनिधा कुआन्दा नना गाँव एवं मुक्तम काने के लिए नमना के खर्चोंन्व नामान्य का कर भारों में विभक्त किया गया है एवं सुधाय नवगानिक नामान्य नवधाय प्राप्तिरुक्ति नायान्दा सुधाय राहे कायाय (Fiscal) नामान्य मनाय नामानिक नामान्य नवधाय त्रम नामान्य सपाय नामना यावान्द तथा मनाय नौन्दा नामान्य।

पर्विमा नमना का नामानिकान्दा व्यवस्था का एक प्रमुख विषयता यह है कि वह मान स्वरुपनिक नामान्य का ग्राम स्ववस्था का ग्राम है। भारत अनिका आनि सपाय नवधाय वान राहों में मुर्छोंन्व नामान्य हा स्वरुपनिक नामान्य नना मविगेशन की न्यान्दा तजा मूल अप्रिकारोंवा सुन्दा ए काय काना है। सपाय स्वरुपनिक नामान्य के मवापिकार वा चार भाग में विभक्त किया जा सकता न नहै एवं एक एकार है —

- (1) कानूना का वघता नियम नियम
- (2) ए नान् (राज्य) सरकार तथा राज्य तथा सुध मुख्य मुख्यार क बाव विदान का नियमण।
- (3) अनवधानिकना का नियमना पर विचार।
- (4) अनवधानिक विषयक नियम वह नियम ज्ञा कि वाल निर्विन मावनिक अन्नराज्याय कानून सपाय कानून का ग्राम है या ननी तजा क्या दूर अन्नराज्याय कानून भारा पर्विमा ज्ञाना के नामिका इ लिए प्रप्रिकारों व दायित्वा का नियमण होता है अथवा नहा।
- (12) शविनविभाजन के सिद्धात का समयन—म्वन्य अनुर ए नियमण व सुन्दा के लिए गवित विभान का सिद्धान्त अभिक्ष म्वन्यवृग्ण है। पर्विमा ज्ञाना ए दृष्टि ए ए अन्नरुत्र ग्रामपारिंदा विध्युत मान्यता तजा दायर रिहा हा एह दूसरे के प्रभाव म भवत अन्न का मान नायाम किया गया है। गविनविभाजन का विद्वान नमना मक्षिय तथा प्रभान्यूग है कि 1960 अ तुर्ही के मविधान नियमान्या न घमित ता मे प्ररगा ग्राप्त कर विधन भविगेशन में एका प्रभार वा व्यवस्था म्वपित का है। मरकार के तजा ग्राम म एक मनुकत म्यापित किया गया है और याद प्रिकिवा का ता नना महार है कि एम दूर्विमा ज्ञाने उद्वर्दीन ताम्रा गक्ति का भना ना है। गविनविभाजन का यह विद्वान मानवाय म्वत्त्रता का ग्राम है।

(13) नोक कल्याणकारी राष्ट्र की व्यवस्था—वेसिक ला मे लोक-कल्याणकारी राष्ट्र के सिद्धात को समर्पित किया गया है, अनुच्छेद 74 (7) के अंतर्गत जन कल्याण को समर्पित सूची मे स्थान दिया गया है। उसी अनुच्छेद के 12वें परिच्छेद म श्रमिक कानूनों का निमाण करत समय उनकी मुरक्का की व्यवस्था के साथ ही रोजगार सामाजिक बीमा तथा बरोजगारी के मत्त के सम्बन्ध मे कानून बनाने का निर्णय भी है। इन व्यवस्थाओं मे जनता के जीवन स्तर म सुधार व नाया का रोजगार सुनभ करना राष्ट्र का दायित्व बताया गया है क्योंकि वेसिक ला के निमाता यकित के चृत्मुखी विक स को अपना सबस बड़ा घट्य मानते थे।

(14) सशोधन प्रक्रिया—सामाजिक निखित सविधान अनभ्य तथा बठार हाता है यह बात वेसिक ना पर भी नाया होती है। सविधान एक पवित्र दस्तावेज है तथा उसम सशाधन की प्रक्रिया को बठिन बनाकर ही उसम निहित आदर्शों की रक्षा का जा सकती है लेकिन दूसर राष्ट्रों जस भारत आदि की तुलना म वसिक ना को बठोर नहो बहा जा सकता है। जिस प्रकार भारत म सविधान म सशोधन के लिए दो तिहाई बहमत की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ना म भी यहा व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुमार— “स वसिक ला म सशाधन बरन के लिए बुदेसटाग तथा बुदेसराट के मदस्यों के लो तिहाई बहमत की आवश्यकता है।

पश्चिमी जमनी के सविधान की एक मुख्य विनायता यह ही है कि इसक दा अनुच्छेद म किसी भी स्थिति म सशोधन नहीं किया जा सकता। य अनुच्छेद है। तथा 20 प्रथम अनुच्छेद म मानव की गरिमा की व्यवस्था है तथा वीसवें अनुच्छेद म जमनी को एक जनतानिक सामाजिक सघ बहा गया है। ये प्रकार वेसिक ला द्वारा जनतानि की शास्त्रत बनाय रखा गया है।

(15) दोहरी भागरिकता—भारतीय सविधान म जहाँ एक नागरिकता वा प्रावधान किया गया है वहाँ पश्चिमी जमनी म दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 72 (2) के अनुमार सघ की नागरिकता विषयक अधिकार यह के पास होगे तथा अनुच्छेद 74(8) के अनुमार लेण्डर (राष्ट्र) की नागरिकता को समर्पित सूची के अंतर्गत रखा गया है।

(16) सबटकालीन अधिकार—यह उन्नगनीय है कि 1949 म जव विर्स ला का निर्माण हुया उसम मबटकालीन अधिकारों की कां व्यवस्था नहा था। वार म 1968 म उसम सभट वार विषयक अनुच्छेद जोड़ गए। मबटकालान या नाया की हृष्टि म भी वसिक ना विव के राष्ट्र सविधानों की तुलना म बजोट तथा अनुगम है। गामाजिक सबटकाल म भमन्त भक्तियाँ राष्ट्रपति या राष्ट्रपाल एवं प्रधान मन्त्री के हाथा म बनित हो जानी है तथा वह व्यक्ति वर्वार बन जाता है उसिन वसिक ना के अनुच्छेद 53(ए) के अनुमार एक समुक्त गमित (Joint Committee)

## वसिक ला का जम और विकास

का निमाण किया गया है तो मवट्टान म बरावर काय बरना रही। इन निमिति के सम्म्या म 2/3 मर्स्य चुनेमटांग तथा 1/3 मर्स्य दुर्मराट म आयें।

विविव तो म एक प्रय उत्तरताय व्यवस्था पह है कि मवट्टान म समस्त इविन राष्ट्रपति म बद्रित नहा का गरह। इन्होंने प्रतिरक्षा का विभिन्न हान पर सना विपयक सर्वोच्च सत्ता चासुलर क पाय आ जाता है। अब विपरीत भारत म सक्टिवान म समस्त इविन राष्ट्रपति म बद्रित रहता है।

(17) चुनाव पढ़ति—पश्चिमी नमनी का राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य आगार प्रणाल बरन म बहा का चुनाव पढ़ति का विशेष धोगदान रहा है। बिनिक तो के प्रन्तगत निम चुनाव प्रणाला की व्यवस्था का गर है उसम विश्व म प्रब्रह्मिन ममी चुनाव प्रणालिया का मुख्य ममन्य प्रमुख विद्या गया है। मूलत चुनाव प्रणाली को प्रकारा म बाता तो भवना है प्रत्यक्ष या माधा चुनाव (अम डार्केक्ट व्हिलान वा बहा जाता है) दूसर प्रय चुनाव या अनुपातिक चुनाव प्रणाला। भमना का चुनाव-कानून नाना प्रणालिया की अन्धार्या का नेकर बनाया गया है।

15 जून 1949 को सन्प्रभम चुनाव-कानून का निमाण किया गया। अम 27 अनुठ्ठय। अम अलगत 21 वर्षीय नोगा को मनाविकार दिया गया तथा 60 प्रतिवान प्रतिनिधिया के प्रय चुनाव तथा 40 प्रतिवान के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रवस्था की गर। प्रत्यक्ष जमन का दा बाट दन थ एक अमान्वार का तथा एक राजनीतिक त्स का। अम प्रवार 60 प्रतिवान प्रतिनिधिया का राजनीतिक त्स प्रपत जग प्राप्त मनों के अनुपात म नामज्ञ बरत हैं। अम प्रवार व नाग ना बुन्मनग या लंगड मनों के अनुपात म प्रवज कर मक्त थ जो प्रय चुनाव सज्जन म कुल नहा थ। (राय) विधानसभा म प्रवज कर मक्त थ जो प्रय चुनाव सज्जन म कुल नहा थ।

जना हा नहा द्या द्या दर्तों के निमाण का हतामाहित करन व निए कानून म एक पाच प्रतिवान गरा या रखी गर जिसक अनुमार जिम राजनीतिक त्स का राय म या दस्त के चुनाव म 5 प्रतिवान बाट नहा मिलत वह प्रवन प्रतिनिधि नों भज मक्ता था। अम व्यवस्था का राजवर घारा भी कहा गया है। अम कारण जमनी म घीर घार द्या द्या दर्तों का नाप हाता गया और अन म कुल तीन मुच्य दन हा रह गए। य दन है—सात दमाविक पार्टी शिक्षण अमोनिक यूनियन तथा फ्री हेमाक्रिक पार्टी।

1953 म अम चुनाव-कानून म कुछ परिवर्तन किया गया तथा प्रव 50 नियान प्रतिनिधिया के प्रय चुनाव की तथा 50 प्रतिवान राजनीतिक दरा मनाविक चुनाव की व्यवस्था का गर। पहले आम चुनाव म द मग्ग का भूषा म चुनाव की व्यवस्था का गर। 1956 म चुनाव-कानून म मामूली सांघरण किया गया तथा 1970 म भवाविक भी दम 21 म कम दरक 18 वय निश्चित की गर। पर्त 29 वय

की ग्रामीण वाला व्यक्ति चुनाव में लड़ा हो सकता था अब वह घटावर 21 वर्क दी गई। इस परिवर्तन से 20 लाख नवयुवकों को बाट देने का धर्मिकार प्राप्त हुआ। भारत में आजकल चुनाव-कानून में परिवर्तन की मार्ग की जा रही है तथा साथ ही मताधिकार की उम्र 21 से घटावर 18 वर्के की मी आवाज उठाइ जा रही है।

(18) राष्ट्रों के अलग सविधान—पश्चिमी जमनी के सविधान की एक अमर विशेषता यह भी है कि वहाँ वेसिक ला के अनिवार्य प्रत्येक भद्रम्य राष्ट्र का अपना अला सविधान है। इस प्रकार वहाँ 11 राष्ट्रों के 11 सविधान भी मौजूद हैं। परंतु इस बात की ओर सकृत करता है कि राष्ट्रों को मारी महत्व दिया गया है। राष्ट्र वहाँ मात्र बड़े नगरपालिकाओं की मात्रि नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रों के ये सविधान वैसिक ला व सिद्धान्तों के भनुत्पत्ति ही होते। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि—

लण्डर (राष्ट्रों) की सवधानिक व्यवस्था गणतान्त्रीय जनतात्त्विक तथा सामाजिक सरकार के सिद्धान्तों के भनुत्पत्ति कानून पर आधारित होनी चाहिए।

(19) उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं—वैसिक ला की एक विशेषता यह भी है कि उभम उपराष्ट्रपति पद की कोइ व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है तथा पदस्थान धर्यवा पर लित हात पर बुद्देसराट का अध्यत राष्ट्रपति पद का काय मार सम्मालता है।

(20) स्थानीय जनतान की व्यवस्था—वैसिक ला में एक चौकम्मा राष्ट्र का कल्पना की गई है जिसम सध राष्ट्र राष्ट्र काउंटी (Freize) तथा कम्यून (Gemeinde) का व्यवस्था की गई है। काउंटी तथा कम्यून अपन अपन झेवा में स्वायत शासी मस्तिष्ठ नहीं हैं। ये सम्पाद ही पश्चिमी जमन जनतान की नीव या प्रारम्भिक पाठ्यताएँ हैं।

### वेसिक ला का मूल्यकान

जनतान में निष्ठा रखने वाले हिटावर के सबडो विरोधिया ने जो दुर्बानिया दी वह निरयक रहा रहा। ये नाम जमनी में एक आज्ञा जनतात्विक प्रवस्था का सपना दसन था। बलाउम फान स्टारफनबग न लितर बी हाया व असफल प्रयत्न सूख लिखा था —

हम एक नवीन व्यवस्था चाहत हैं जो भी जमनी वासियों को राष्ट्र में भागीदार बनाएगी तथा अधिकारा व चाय काय का मनिचित बनाएगी। स्टारफनबग का फार्मी दा गई लकिन उमक या या वाल नार में सविधान निमातामा का प्रदूषण देत रह।

वैसिक ला उसके निर्मातामा के सज्जन प्रयासों का फूल है। उस निमातामा न त्रीन जमनी के राजनीतिक नितिज दर आद्यात्मिक समस्यामा नया धनीत के मध्यन

कटु अनुभवों को ध्यान में रखत हुए उसका निर्माण किया। बान नगर में एक प्रिति जमन "तिनिधि" एवं स्वतंत्र जनतानिक तथा सघ गांव के विचारों से प्रेरित था।

प्रेषिक ना यावद्वारिक राजनीतिक दूरदण्डिता की व्यज़ वह है। जान फोर्मोनों का अनुमार विभिन्न रा का निर्माण प्रतिरिधि जनताप का एवं मौतिक हृत्य है। विस्थाव युग व वाइमार-कान के सविधान के विपरीत यह वेसिक ला का मस्तिष्ठा व व्ही आद्या का प्रतिकृत है। यह काफी विस्तृत हो सकता है तकिन वसिक ना म समझतों की जो प्रति है वह सविद्य के नियं शाजावाद का चिह्न है। उससे संगता है कि यह सविधान उसी प्रकार स्थायी होगा जिस प्रकार आद्य ऐशा के सविधान स्थायी रहे हैं क्याकि वद्यपि यह सविधान किसा के नियं भी पूरणत सतोपाद नहीं होता है तकिन सभी के लिए सहन तायक प्रबल्य है। शाजाव आग निखता है— परं चमी जमनी म सरकार की स्थापना युद्धात्तर यूरोप की मञ्जनतम राजनीतिक घटना है।

परिचय: जमनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाव हाइनमान की मायता है कि— हमारा वेसिक ना एक महान् भर (offer) है। हमार अंतिहास म पहली बार यह वेसिक ना एक उच्चर जनतानिक तथा सामाजिक सवधानिक राष्ट्र म व्ही को गरिमा को आद्य बताता है। इसम विविध मारों के लिए स्वान है जिह स्पष्ट व निर्भीक विचार विवर नारा सुस्पष्ट बनाना है।

प्रसिद्ध जमन दाइनिक काल यास्पद न बसिक ला के सम्बन्ध म यह विचार प्रस्तुत किए हैं—

हमारा सविधान उत्कृष्ट बाय का प्रतिकृत है। इस विचारशील राजनालिना तथा राजनीति विज्ञान के विज्ञान न बड़ा मूल्य दिये बनाया है। इसम परम्परागत समदीय जनतान के मूल विचार शामिल हैं तथा यह मानव के मूल अधिकारों का अनन्य घोषित करता है जो मात्री समदीय बायमा स नह बढ़ने जा रही है। इसम भास्यशासी है कि हमार पास यह सविधान है। बसिक ला को प्रत्यक्ष नागरिक के हृदय म अवित करना होगा।

नवट जी नामान के धारासार— एस व्ही प्रच्छे सदन विलत है जिसन यह कहा जा सकता है कि परिचयी जमनी का नवीन जनतानिक नामन सुहृत मिति पर खड़ा है। आज का जमनी आज के 25 या 50 वर्ष पूर्व के जमनी स प्रत्यधिक भिन्न है।<sup>1</sup>

1 जॉन एट गोताय ने फार्मिंग बाक दी फड़रत रियल्टर माझ रथना (रिपोर्ट 1968) पृष्ठ 201।

2 भान यास्पद शोगीन द्वारा दो बुलेटिनिक (मूलिक 1957) पृष्ठ 175।

3 एवं जी नोवेन दी एवेंम बाक फड़रत बमन रियल्टर (यूरोप 1960) पृ 163।

- अर्नांड ज हाइडेनहाईमर लिखता है— वसिक ला की प्रमुख विशेषता है ससदीय व्यवस्था में अनेक श्रकार व नियन्त्रण तथा सतुलन की व्यवस्था । हाइडेन हाईमर आग कहते हैं—इस में उन्होंने एक नवीन बस्तु मधीय सवधानिक यायात्रा का व्यवस्था कर असवधानिक कार्यों को हतोत्साहित किया है । १

एल्पर पिंशके की मान्यता है कि—पश्चिमी जमन व्यवस्था (वसिक ला) न लची न पन तथा स्थायित्व का प्रदान किया है तथा ऐसा प्रतीन होता है कि यह उन कई समस्याओं का सामना करने में सक्षम है जो उसके सम्मुख आर्द्ध हैं ।

□□□

अर्नांड जे हाइडेनहाईमर दी गवर्नरेटम बोर्ड बर्नी (मा० अ० 1965) पृ० 59  
एहमर पिंशके काम्पेन्पोरेटी गवर्नरेट्स बाफ बर्नो (१ दी० अ० सत्तरत्थ 1969) पृ० 31 ।

## राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएँ

राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रभुवा होता है साथ ही वह उसका प्रधम सम्मानित नगरिक भी है। अतर्राष्ट्रीय जाति में वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा अपने देश के समाज की अगुवाई करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण हाना है। जनतात्त्विक व्यवस्था में दो प्रकार की कायकारिणी होती है। एक अध्यक्षात्मक कायकारिणी जहाँ राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। इस व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र अमरिका। दूसरे प्रकार की कायकारिणी को मनिमण्डनात्मक व्यवस्था का नाम लिया गया है जिसमें प्रधान मंत्री के पद के अन्तर्गत सभी अधिकार आते हैं। पश्चिमी जमती में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। अत्र समस्तीय जनताना की माति पश्चिमी जमती में भी सद्ग्राष्ट्रपति का पद अधिकारी रूप में नाम और अनुचरण का पद है। वार्षमार्न-गणतन्त्र की तुलना में बहुमान पश्चिमी जमत राष्ट्रपति के अधिकार काफी सीमित हैं।

वैसिक ला व निर्माता वार्षमार्न-गणतन्त्र की असफलता में राष्ट्रपति की भूमिका से भलोमानि परिचित था और वे ऐसे बात के लिए सजग थे कि इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। वार्षमार्न-गणतन्त्र में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। समस्त जनता वे घटाए स चुना गया राष्ट्रपति निश्चय ही यह दावा कर सकता था कि वह जनता का मन्त्रा प्रतिनिधि है और एसी स्थिति में चान्सलर व राष्ट्रपति के दोनों विराध मतभद विवाद व सघण की काशी गुजार्जा थी। तो ही नहीं वार्षमार्न-गणतन्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह भी अधिकार था कि अपने विवेद का प्रयाग करत हुए सत्तद द्वारा पारित कानून को जनमत समझ के लिए प्रसारित कर सके। ऐसी प्रकार वार्षमार्न-संविधान के 48वें अनुच्छेद के मन्त्रगत राष्ट्रपति को व्यापक सकटकानी अधिकार प्राप्ति लिए गए थे। इन अधिकारों के अन्तर्गत वह प्रसार का भग कर समस्त सत्ता अपने हाथों में बन्दित कर सकता था। इहाँ व्यवस्थाप्राप्ति का उदाहरण वार्षमार्न संविधान में तत्कालीन जमत राष्ट्रपति के अधिकार अत्यधिक विस्तृत थे। नवीन संविधान वे निमाता इन तथ्यों से परिचित थे अत उहाँने यसद् तथा चान्सलर का शक्तिशाली बनाने वे लिए एक अप्राप्ति निरन राष्ट्रपति पद की रचना की। उसके चुनाव को भी प्रयाग के बजाए अप्रत्यक्ष रूप से उस सकटकालीन अधिकारों के उपभोग से भी बचित कर लिया।

## राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएँ

राष्ट्रपति के बारे में वैसिक ला अनुच्छेद 54 (1) कहता है कि प्रत्यक्ष जमन जिसे बारं देन का अधिकार है तथा जिसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। उम्मेके अतिरिक्त वैसिक ला कोई व्यवस्था नहीं बरता। लेकिन जब हम बोट देने के अधिकार की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ और योग्यताएँ प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए बोट वर्षी दे सकता है जो जमनी का नागरिक हो। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए निम्ननिषित योग्यताएँ सामन आती हैं —

- (1) वह जमनी का नागरिक हो।
- (2) वह 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
- (3) वह किसी अपराध में दण्डित न हो।
- (4) वह पागल या मानसिक असतुलन वा शिकार न हो।
- (5) एक निश्चित अवधि तक पश्चिमी जमनी में निवास कर चुका हो।
- (6) इसके अतिरिक्त वैसिक ला के अनुच्छेद 55 के अनसार यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति बोर्ड द्वारा य वर्तनिक पद पर वाय करने वाला न हो और न किसी व्यापार य व्यवसाय या पश्चे से सम्बद्ध हो। वह साम्राज्य प्रदान बरन वाले किसी प्रवाद्य या उद्योग स सम्बद्ध भी नहीं हो सकता।

साथ ही राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी वो चुनाव के बाद सभ या राज्यादी विधानसभा की सदस्यता या मंत्री पद—यदि वह सन्तुष्ट या मंत्री है तो—का त्याग बरना पड़गा।

इन सब संघातिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति को इस पद के योग्य बनाती हैं। राष्ट्रपति वही यक्ति बन सकता है जिसने साथ जटिक जीवन में दोषपाल तक सबाएँ प्रदान की हो जा राजनीति शिक्षा समाज सभा या मस्तृति के क्षेत्र में क्रियाशील रहा हो तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो तथा जिस उम्मेके प्रतिष्ठा तथा सभा के बारए जनता के प्रतिनिधित्व के एवं वक्तव्य वह वर्ग का समर्थन प्राप्त हो।

## राष्ट्रपति का निर्वाचन व कायकाल

पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशिष्ट पद्धति से होता है। वैसिक ला व अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक सर्वोपनिर्वाचन सभा (फैरम कैम्पेन) द्वारा होता जा राष्ट्रपति के पद की अवधि को समाप्ति के 30 दिन पहले चुनाव के लिए एकत्रित होती है। इस सभाय निर्वाचित सभा का कुमैराट वा प्रधम। आमत्रित वरेगा [अनुच्छेद 54 (4)]

विभिन्न नाम के अनुच्छेद 54 (3) के अनुसार—इस सभाय निर्वाचन सभा में

- (1) बुन्देलखण्ड के सम्मत सदस्य तथा

(2) बुदेमांग के सदस्यों की समान सत्या में लेण्डर (राज्य) की विधान सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाग नहीं। इसी अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुमार राष्ट्रपति का कायनाल ७ वर्ष का होता है तथा वह दुबारा चुनाव में बना हो सकता है। कोई भी प्रकृति मिफ दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है।

इस प्रकार पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति वा चुनाव जनता द्वारा पहले से ही चुन गए प्रतिनिधि तथा राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बरते हैं। वहन का तात्पर्य यह है कि वहाँ वी जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। यदि हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का पढ़ति का अध्ययन करते तो पश्चिमी जमनी व भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ति में काफी साम्य नज़र आता है। उक्ति कुद्द आतर भा है।

पश्चिमी जमनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पढ़तियों में समानताएं तथा असमानताएं

#### समानताएं

पश्चिमी जमनी	भारत
(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन	(1) अप्रत्यक्ष निवाचन
(2) सधाय निर्वाचक मण्डल द्वारा निवाचन	(2) निवाचक मण्डल द्वारा निवाचन
(3) विशेष रूप से निर्मित सधाय निवाचक-मण्डल	(3) विशेष रूप से निर्मित निर्वाचक मण्डल
(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव	(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव

#### असमानताएं

- 1) बुद्देसराट (राज्य सभा) के सदस्य सत्रान में भाग नहीं लेते।
- (2) चुनाव में बुद्देसराट के प्रति निधि तथा उसी दे समान सत्या में लेण्डर (राज्यों) की विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग नहीं हैं।
- (1) राज्य सभा के सदस्य सी निर्वाचन में भाग लेते हैं।
- (2) चुनाव में राज्य के सभी चुना हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

- (3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक वोट देता है।
- (3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक विशेष फार्मूले के अन्तर्गत बहु संस्था में वोट डालता है तथा प्रत्येक उम्मीदवार दो अपनी पसंद के अनुसार 1 2 3 4 वार देता है।
- (4) यदि राष्ट्रपति पद के प्राप्ताशी को बहुमत नहीं मिलता तो दुबारा वोट डाले जाते हैं।
- (4) यदि किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो जिस उम्मीदवार का सबसे बड़ा वोट मिले हैं उसके वोट सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं।

### निर्वाचन प्रक्रिया

जसा कि पहले कहा जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष संघीय निवाचन-समा का निर्माण होता है। इस समा में बुन्देस्टाग के सदस्यों का समान संख्या में प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये लोग पश्चिमी वर्लिन में एकत्रित होते हैं तथा वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वर्लिन में चुनाव करने का एक विशेष आशय है। ऐसे प्रकार पश्चिमी जमनी की सरकार यह घायित करना चाहती है कि वर्लिन जमनी वो राजधानी है (अस्थायी राजधानी बान नगर है)।

राष्ट्रपति के चुनाव को और अधिक स्पष्ट इस कार विधा जा सकता है। मान नीजिए कि बुन्देस्टाग में कुल 518 सदस्य हैं तो 518 और मध्यम नेंड (राज्य) विधान-समाजों द्वारा चुन जाएंगे और ये 1036 प्रतिनिधि वर्लिन में एकत्रित होकर चुनाव करेंगे। 1036 प्रतिनिधिया में से 519 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। यदि प्रथम मतदान में किसी प्रत्याशी वा निर्विचित बहुमत नहीं मिलता है तो दुबारा मतदान होगा। यदि इसमें भी निर्विचित बहुमत नहीं मिलता है तो तीसरी बार सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा।

12 मितम्बर 1949 को जमनी में राष्ट्रपति पद का पहला चुनाव हुआ। संघीय निवाचन-समा के कुल सदस्य 804 थे तथा पूरा बहुमत है लिए 403 मतों वाली आवश्यकता थी। चुनाव के मैनेजर में कुल मान उम्मीदवार थे। प्रभुत्व प्रत्याशी थे यिमाइटर हायस तथा कुट शूमाइर। शूमाइर साश्ल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे तथा हायस फ्री डमाइटिक पार्टी के तथा किंशियन डेमोक्रेटिक यूनियन के संयुक्त उम्मीदवार। प्रथम मतदान में होयम का 377 तथा कुट शूमाइर का 311 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत (403 वार) के मित्र कन्फरेंस द्वारा चुनाव हुआ। द्य बार होयम का 416 मत मिल तथा

व चुन लिए गए। 1954 म द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ऐसे बार हायम किर मैनान म थ और उन्हें कुन 987 मतों म भ 871 मत प्राप्त रहे। ऐसे बार सात द्वारा इनिक पार्टी न प्रभाव दाता उम्मीदवार लगा न दिया। 1959 म तीसरी बार चुनाव हुआ और ऐसे बार पहले तो स्वयं चान्ननर प्राप्तनामावर न राष्ट्रपति पद का चुनाव लग्न का याय किया लिकिन बाल म उम्मेद विवाद आग लिया। इन बार विश्ववेद डमाक निक यूनियन न हानरिच यूवक को—जा गान्धीवार मत्र भण्ड म अपि मानी थे—चुनाव क नए प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 1959 का चुनाव हुए। कुल मतदाता 1038 थ जिनम स यूवक का 526 बाट मिला। ऐसे प्रकार वह 6 मतों से विजय रहा। 1966 म फिर चुनाव हुआ और ऐसे बार यूवक पुन मनान म छलरा। ऐसे बार उसे 1024 बाटा म स 710 बोट प्राप्त हुए। 1969 म जब विजिन म सधीय निवाचन समा क सदस्य 5वा बार राष्ट्रपति क चुनाव क लिए एकत्रित हुए तो ननारा बन्ने चुका था। अब तक जितन राष्ट्रपति बन उन्हें विश्ववेद डमाक निक यूनियन तथा फी ज्मान्निक पार्टी न मिलकर सहयोग लिया था। लदिन ऐसे बार फी डमाक निक पार्टी न साशन डमोक निक पार्टी के साथ सहयोग का निश्चय किया तथा उसक दरिगामन्देश्य साशन ज्मान्निक पार्टी क उम्मीदवार यूनियन नाहमान का चुनाव हुआ। 1974 म जमनी के राष्ट्रपति पद पर फी ज्मान्निक पार्टी के उम्मीदवार बास्तर शील चुन गए। उन्हें सात डमाक निक पार्टी का समयन प्राप्त था। 15 मार्च को हाल ऐसे चुनाव म बास्तर शील द्वा 580 बोट मिल। उनक दिरामी कान्तमज्जर (विश्ववेद ज्मान्निक यूनियन) का 494 मत प्राप्त हुए। कुद्द मननामाना की सस्या 1036 था।

ये उन्नवनीइ ऐ हि जमनी इ राष्ट्रपति पद पर प्रब तक बहुत तात प्रभुत राजनीतिक द्वा क प्रत्याशा चुन जा चुक है। ऐसा विवरण ऐसे प्रकार है—

(1) यिदोदार हायम (1949-59) फी ज्मान्निक पार्टी।

(2) गान्धीच यूवक (1959-1969) विश्ववेद डमाक निक यूनियन।

(3) गुरुनाल हानरमान (1969-1974) साधियत डमाक निक पार्टी।

(4) बनमान राष्ट्रपति बास्तर शील (1974) फी ज्मान्निक पार्टी।

इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव बहुत फी डमाक निक पार्टी म प्राप्त हुआ और आज भा फा डमाक निक पार्टी का मनम्य वहा का राष्ट्रपति है।

### राष्ट्रपति पद की शक्ति

किसी भी राष्ट्र क राष्ट्राभ्यं नारा जा गय नी जाना है वह बन्न महाव पूरा होती है। जिस प्रकार य द्वा भारत पर नाग होती है उसा प्रकार पश्चिमो जमनी पर भी।

विभिन्न लाव 56 वे भनुद्वा क भनुमार—पद नार मम लने पर राष्ट्रपति वु गारा य तुमेसग व मन्महा व ममुम गाय घट्टा वरेगा—

म प्राप्ति लेता है कि मैं निटोप्रूबक जमन जनता के कल्याण का प्रयास करूँगा तथा उसके नामों म बद्दि करूँगा उह हानि से बचाऊँगा वैसिक ला तथा सध के कानूनों की रक्षा करूँगा व उसकी मर्यादा बनाए रखूँगा। अद्वा के साथ अपने बत यो का पालन करूँगा तथा सभी को याय प्रदान करूँगा। इश्वर मेरी सहायता करे।

यह प्राप्ति ईश्वर के नामोल्लङ्घ के विना भी नी जा सकती है।

### राष्ट्रपति का कायकाल

वैसिक ला के अनुच्छद 54 (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कायकाल 5 वर्ष के लिए होगा। भारत के राष्ट्रपति का कायकाल भी इतना ही है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसी अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी जमनी म कोइ व्यक्ति सिफ दो बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इम हृष्टि स मारत मेरा राष्ट्रपति के पुनर्निवाचन पर कोर सीमा नहीं है लेकिन अब तक की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति नीसरी बार चुनाव नहीं लडता है।

सामान्यत राष्ट्रपति 5 वर्ष काय करता है लेकिन इसी बीच उसे महाभियोग लगा वर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो बीच म त्याग पत्र दे सकता है। पश्चिमा जमनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाफ हान्नमान ने राष्ट्रपति बनन पर यह धारणा की थी कि व अल्लुशस्त्रा के निमाल व प्रयाग सम्बंधी ससं व किसी वर्तम का स्वीकृति नहीं देंगे अथात उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

### राष्ट्रपति पर महाभियोग

वैसिक ला मेरा जमन राष्ट्रपति पर महाभियोग नगारकर पद से हटाने की प्रवर्ध्या की गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस वैसिक ला या सधीय कानून का जानकूर्म न उत्तरधन करने पर दुन्नेस्टाट व दुन्नेसराट द्वारा सधीय सवधानिक न्यायालय वे समझ उस पर महाभियोग चराया जा सकता। इसी अनुच्छेद म आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग व प्रस्ताव वे लिए दुन्नेसटाट वे 1/4 सदस्या या दुन्नेसराट क 1/4 सदस्या की स्वीकृति जहरी है। एम सम्बन्ध मेरि निएय नने वे लिए दुन्नेसटाट या दुन्नेसराट क 2/3 सदस्या वा समधन आव पदक होगा। जो भी सदन महाभियोग चलाता है उस सधीय सवधानिक न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिनिधि भेजना होगा। जो उन आरोपा वे सम्बन्ध म प्रमाल प्रस्तुत कर सके।

यहि सधीय सवधानिक न्यायालय यह पाता है कि राष्ट्रपति ने जानकूर्म वर इस विषय का या सधीय कानून का उत्तरधन दिया है तो वह यह धारणा वर सहना है कि राष्ट्रपति पद वर आमोन अर्थात् न उस पर बन रहन सम्बंधी अपना प्रधिशर खो दिया है (अनुच्छेद 61 (2) महाभियोग नगान क बार न्यायालय यह धनरिम

ग्रानेश निकाल सकता है कि राष्ट्रपति अपने पर पर नहीं रहेगा तथा अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

महाभियोग विषयक प्रस्ताव की भारतीय प्रक्रिया से तुलना करें तो निम्न निमित्त समानताएं तथा विभेद समझे आते हैं। यह उल्लेखनीय संयोग है कि दोनों देशों में महाभियोग सम्बन्धी घारा 61 ही है।

### समानताएं

प्राक्षमा निकाल	भारत
(1) महाभियोग का प्रस्ताव नान के निए बुद्देसठाग या बुद्देसराट के $\frac{1}{4}$ सदस्यों का समयन आवश्यक।	(1) महाभियोग प्रस्ताव नाने के निए बाक समा या राय समा के $\frac{1}{4}$ सदस्यों का समयन जरूरी है।
(2) महाभियोग सम्बन्धी निणय लने के निए बुद्देसठाग या बुद्देसराट के $\frac{2}{3}$ बहुमत द्वारा समयन आवश्यक।	(2) नोड समा या राय समा के सदस्यों का $\frac{2}{3}$ बहुमत द्वारा समयन आवश्यक।

### असमानताएं

(1) राष्ट्रपति पर महाभियोग सबधी वायवानी संघोष सवधानिर्वाचालय में होगी।	(1) यदि लोक समा महाभियोग लगाती है तो वायवाही राय समा म दूरी। यदि राय समा महाभियोग नगानी है तो मामता नोक समा सुननी।
(2) महाभियोग की सूचना सम्बन्धी अवधि वा उत्तरता नहीं है।	(2) भारत में 14 दिन पूर्व सूचना दना आवश्यक है।
(3) महाभियोग प्रक्रिया के दौरान सधीय सवधानिर्वाचालय एक अन्तरिम पर मान है।	(3) भारत का संविधान इस विषय पर मान है।

### पद रिक्त होने पर

एस कर्फ बारण है जिनके अन्तर्गत राष्ट्रपति वो अपनी 5 वर्षीय वायावधि पूर्ण करने से पूर्व पर छाड़ना पड़। राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल म आपसी विवाद की स्थिति स्वास्थ्य वराव होने पर या महाभियोग मिळ होने वायवा असमय म मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद रित्त हा सकता है। वस जमनी म अभी तक एसी वो विधिनि नहीं आए। लेकिन फिर भी संविधान म इस विषय म व्यवस्था बरना अनिवार्य या। बायिक ला व अनुद्ध 57 के अनसार—यदि मध्य राष्ट्रपति वा विसी बारण अपने वायव बरने से रासा जाता है या उमसका पद असामियन द्वप से रित्त

हाना है तो उसके अधिकारा का प्रयाग बुद्धराट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लक्ष्मि यति बुद्धराट का अपने भी ऐसा करने में अस्थम हो तो क्या होगा? अब वारे में वसिक ला भान है।

### राष्ट्रपति की उमुक्तिया

अब राष्ट्रपति की भावित परिचयों का राष्ट्रपति भी अपनी कायाकरि में वर्ते उमुक्तिया का उपभाग करता है। राष्ट्रपति पर्व के अन्तर्गत अपने कार्यों के लिए उस गिरफ्तार नहा किया जा सकता। इसी भी नीतानी या फौतनारा अनात्म में उस पर मुकदमा नहा चलाया जा सकता न उसकी गिरफ्तारा का बास्ट निकाला गा सकता है। सिफ सवित्रान या सबीय कानून के जानेवाले कर उन्नधन करने की स्थिति में उस पर सधीय सविधानिक यापालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रपति का लगभग ये नीति उमुक्तिया प्राप्त हैं।

### राष्ट्रपति के अधिकार और काय

वसिक ला व निमानादा न जब गण्यनि पर्व की शक्तिया के बारे में विचार आरम्भ किया तो उनके समान वाइमार सविधान के अनन्तर राष्ट्रपति हिन्दनवा द्वारा अपनी शक्तिया के दृष्टयोग की पार ताजा थी। एक बहुवत है कि दूध का जना द्याव का भा फू के रूप कर पीता है। जमन सविधान निर्माण भाइसी प्रकार अधिकारिक मजब थे। वे नहा चाहते थे कि भविष्य में कोई दूसरा हिन्दनवा पर्व हो जो जनतान का जनाना निकालते। सविधान निमानादा ने निर्गत रिया कि जमन राष्ट्रपति—

- (1) गण्य का प्रतीक हो।
- (2) राजनानिव दृष्टि से वह तटस्थ रहे तथा उस मिफ सुम्प्यन्ति स परिज्ञापित स्थितिया में नियधानिकार का अधिकार किया जाए तथा इसी भी स्थिति में नीति निर्धारण तथा नासन का अधिकार न किया जाए।
- (3) वह राजनीतिक दलों की मनिविधियों में दूर रहकर सविधान के रक्त के अनिमावक का काय कर।<sup>1</sup>

इही तथ्यों का दृग्यन खलत हुए राष्ट्रपति के निए मरपूर प्रनिष्ठा लक्ष्मि सोमित अधिकारा व प्रक्रिया भी उन्न्या की गयी। वसिक ला के अनुमार परिचयों जमना के राष्ट्रपति के अधिकारों का निम्नलिखित वर्णन में बात जा सकता है।

- (1) व्यवस्थापिका विधयक शक्तिया।
- (2) कायपानिव विषयक शक्तिया।
- (3) नायिक प्रक्रिया।
- (4) अन्तराष्ट्रीय जगत में प्रनिनिधित्व का अधिकार।

(1) जमन राष्ट्रपति निवासन (मार्भिल पर्व) द्वाड अप्रैल 1974। सद्या 7 जुलाई 1974।

## यस्थापिका विधयक शक्तिया

पश्चिमा जमनी में कायपात्रिका का निर्माण राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डा से मिन न्ह द्वारा है। पश्चिमा जमन राष्ट्रपति की यथस्थापिका शक्तिया मार्गीय राष्ट्रपति की तुलना में कुछ कम है। उन्हरें के निए भारत का राष्ट्रपति लोक नभा का अधिवेशन द्वारा है जेविन पश्चिमी जमनी में यह बाय तुदेस्टान वा अ पर्म करता है। लेकिन विधिक लाके अनुच्छेद 39 के अनुसार राष्ट्रपति यह भाग बर सभा है कि तुदेस्टान का अधिवेशन द्वारा जाए।

प्रसिद्ध ना के अनुसार सभा द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षर द्वारे के बाल ही वह बानून बनता है।

राष्ट्रपति प्रायक अप्रानेश व आदेश (decree) पर भी हस्ताक्षर करता है लेकिन बास्तव में यह अधिकार सम्बद्ध सघीय मत्री या राय सरकार के पास होता है। इस इष्ट से उम्मी अप्रानेश या आदेश जारी बरन का अधिकार नाम मान का है। साथ ही इन अप्रानेशों पर चामलर या सम्बद्ध विमत के मत्री के हस्ताक्षर भी जरूरी होता है।

उपर्युक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम जमन राष्ट्रपति के अधिकार न के बराबर है लेकिन बस्तुस्थिति यह नहीं है। कुछ मामनों में वह अप्रायक भहत्त्वमूल भूमिका का निर्धार करता है। खासका प्रधान मत्री द्वारा विश्वास प्राप्त करने के प्रस्ताव का असम्भवता के सम्बन्ध में वेसिन्ह लाके अनुच्छेद 68 के अनुसार यहि चामलर नामा विश्वास प्रस्ताव को तुदेस्टान के अधिकार देखुटी (सम्मिलित कर देने हैं तो राष्ट्रपति चामलर के प्रस्ताव पर 21 दिन के भीतर तुदेस्टान का भग बर सकता है। अनुच्छेद 81 यह यथस्था बताता है कि अनुच्छेद 68 के प्रत्यक्ष यदि तुदेस्टान भग न। होनी है तथा सध सरकार की प्रायता पर राष्ट्रपति तुदेस्टान की सहमति से विसी विधेयक के बारे में विधायिका सकन्वाल (Legislative emergency) की घापणा कर सकता है। यह घापणा उस विधयक के बारे में की जा सकता है जिस सध सरकार ने प्रावश्यक बनाया है नकिन तुदेस्टान ने उस अस्वीकार बर दिया है।

अनुच्छेद 81 (?) के अनुसार यह भी यथस्था को गई है कि यदि विधायिका सकन्वाल की घापणा बर भी गई तथा तुदेस्टान पुन उस विधयक को अस्वीकृत कर दता है तो वह विधेयक बानून बन जाएगा वश्वेते तुदेस्टान उम्मी स्वीकृति है। यहि तुदेस्टान उस विधयक को पुन उपस्थित करन पर चार सप्ताह में पारित नहीं करती है तो भी वही स्थिति सापूर्ण होगी।

यह प्रकार विधायिका सकन्वाल की स्थिति में राष्ट्रपति की अक्तिया प्रमुख हो उत्ता है अपार्ट विधायिका सकन्वाल है या नन्हे यह राष्ट्रपति ही तथा करता है।

## कायपालिका शक्तिया

पश्चिमी जमनी का राष्ट्रपति बुनेयराग के समय चासलर पद के प्रत्याशी के चुनाव का प्रस्ताव रखता है तथा उस प्रस्ताव पर विना किसी वहम के मतभन्न होता है। यदि प्रस्तावित उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता है तो बुनेयराग 14 दिन की अवधि के भीतर बहुमत से चासलर द्वा चुनाव कर सकती है तबिन इस बार भी चुनाव नहीं होता है तो तत्काल दुवाग चासलर का चुनाव कराया जाएगा। यदि अब भी किसी उम्मीदवार को पूण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति चाह तो सदसे अधिन मत प्राप्त करने वाले द्वा नियुक्त वर सकता है अथवा बुनेयराग द्वा भग कर सकता है। इस प्रकार चासलर के चुनाव म राष्ट्रपति की मूमिका सिद्धान्त रूप से महत्वपूण होती है तेकिन यवहार म वह उसी उम्मीदवार द्वा नाम प्रमाणित करता है जो बहुमत का नेता हो अथवा उस बहुमत मिलने वी सम्मानना हो। मन्त्रि-परिषद के सन्स्था वी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह काय चासलर की सलाह से होता है।

अनुच्छेद 60 के अनुमार राष्ट्रपति सधीय यायाधीश सधीय पदाधिकारिया तथा अधिकारियों तथा गर अमीशन शुला (non Commissioned) अधिकारियों की नियुक्ति वरेगा। इस प्रकार वह यायाधीश राजदूता प्रार्टिर जनरल आर्टि की नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार म यह काय मन्त्रिमण्डल द्वी सलाह से ही होता है।

## यायिक शक्तिया

यायपालिका के ऐत्र म भी राष्ट्रपति द्वे कइ अधिकार प्राप्त हैं। वह सधीय यायाधीश द्वी नियुक्ति करता है। यदि किसी वानून के बार म उम से इह हा कि यह वसिन ला क अनुकूल नहीं है तो वह सधीय सवधानिक यायालय स इम बार म सनाह ले सकता है। 1952 मे पश्चिमी जमन राष्ट्रपति श्री धियोनेर होयस न यूरोपीय प्रतिरक्षा समूहाय सधि द्वी सवधानिकता द्वे बारे म सधीय सवधानिक यायालय से सनाह मापी थी। बाद म उहोंने अपनी यह प्रायना वापस ल गी।

अनुच्छेद 60 (2) के अनुमार राष्ट्रपति सध राय द्वी आर से पक्षिगत मामनो म क्षमादान के अधिकार का योग वर सकता है। इस अधिकार के पक्षिगत वह दया के विविध रूप—सजा में कभी प्रविलम्बन (reprieve) आर्टि की नियुक्ति का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार वह यायालय द्वारा दण्डन गति के दण्ड द्वे स्थगित वर सकता है उसम कुछ विनम्र वर सकता है अथवा सजा म कभी वर सकता है।

## अतराष्ट्रीय जगत मे प्रतिनिधित्व

विदेशीनि के ऐत्र म भी राष्ट्रपति का गतिया व अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 59 के अनुसार—सध राष्ट्रपति सध के विदेशी सम्बंधा म उसका प्रति निधित्व वरेगा। नह मध की आर से सविया वरेगा। राजदूता द्वी नियुक्ति एवं

विभेद राजनूता का स्वातंत्र्य है। अग्रय राजनूता को प्रमाण पत्र देना तथा विभेद राजनूता के प्रमाण पत्र का स्वाक्षर करना। एमरलिंग के अनुसार विभेद मामना म भा राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए न बिभेदहार म काय मम्पात्मन करना है। राजनूता का नियुक्ति विभेदी राष्ट्र के साथ कूटनानिक या गजनायिक सम्बन्ध स्थापना यानि का काय वास्तव म मन्त्रिमण्डल का नता भरता है। राष्ट्रपति जो काय करता है वह विभेद राजनूता का स्वातंत्र्य। यह काय भा एक रम्प मात्र है।

### राष्ट्रपति की शक्तिया का मूलग्राहक

विभेद ता तथा विठ्ठल उमन राष्ट्रपति पत्र पर चुन गए ज्यक्तिया के काय व भूमिका दा प्रब्यवन करक ही राष्ट्रपति पत्र का मूलग्राहक किया जा सकता है। अग्रयवन के चारू निम्ननिवित निष्पत्र सामन नान है—

### राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है

जब विभेद ता भा निमाण हो रहा था उन समय समन्वय परिषद् (Parliamentary Council) के सम्मुख प्राय इन प्रश्न पर एक मत थ कि राष्ट्रपति का वह सब वह जक्तिया प्रभाव का जाए तथा वह एक नाम मात्र का शासक या अवश्यक का पत्र है। ऐसा करने के कारण अनीत म खान जासूक्त है। बाह्यार गणनायन के निवाम राष्ट्रपति का अनीम अधिकार निए नए जिम्मे नान या अनजान गनन प्रयोग के कारण नवानाम जमन राष्ट्रपति हिन्दनवग न नमी म तानामाही का भाग प्रभमन किया। नए निमाना इम स्थिति स बचना चाहत थ। प्रयम राष्ट्रपति विधानार नामन न बहा— विठ्ठल निवा में समाचार पत्र म पन बिराष्ट्रपति के अधिकार दिए हैं नक्ति भरी मायना है कि राष्ट्रपति के अधिकार गज भर उम्ब न। है। य अधिकार राजनीतिका पान है। राष्ट्रपति के नाम मात्र के शासक नान के पर्य म निम्ननिवित तक आगा जा सकत है—

- (1) जमना म भविष्य नामक जामन नवम्या है जिसके अन्तर्गत चाम्बनर प्रधान होता है।
- (2) समन्वय शासन म राष्ट्राध्या नाम मात्र का शासक ही होता है।
- (3) उस सकृदानान प्रधिकार भी प्राप्त नहा है जमा कि भारा म है।
- (4) समस्त नियाय चाहे विधानीनि के भव म या शृहनाति के भव म हा— मविन्दरिष्यद लता है।
- (5) राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल पर चाम्बनर का सताह मात्र का वाध्य है। कुछ विध्य प्रबसरा पर ही वह सधीय मवधानिक यायान्य स कानून का वरता सम्बन्धी नियाय नन का कह सकता है।
- (6) राष्ट्रपति का मना पर नियपत्र नहा है। जातिकान म प्रतिर ग मत्री तथा सर्व बाल म चाम्बलर सर्वोच्च सनापति होता है।

## कुछ विशेष स्थितियों में महत्वपूरण

यह सची है कि सामायत जमन राष्ट्रपति के अधिकार व गतिया द्वितीय राजा या रानी से अधिक नहा है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितिया में उसका पर्याधिक महत्वपूरण हा सकता है। उन्हरण के लिए यदि समद् भवत म दल हा तो ऐसी स्थिति म राष्ट्रपति चान्सलर के पद पर आपनी मर्जी के उम्मी बार का प्रस्ताव कर सकता है। यदि बुदेस्टाग को प्रस्ताव स्वीकार न हो और यदि बुदेस्टाग 4 दिन म दूसरा व्यक्ति चुनन म असमय हो तो उसक बाद 7 दिन म वह उस भगवर सकता है।

इसी प्रकार चान्सलर व बुदेस्टाग म किसी विप्रेषक को सकर मतभेद हाने पर राष्ट्रपति चान्सलर को सहायता से विधायिका भट्ट-साल वा घोषणा कर सकता है। एसा प्रस्ताव सथ सरकार लाती है लेकिन राष्ट्रपति चान्सलर को उस प्रस्ताव को छुकरा बर चान्सलर की मिथिति को नाजुक बना सकता है। यद्यपि नमनी म अभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहा हुआ है लेकिन मविष्य म वया हो यह कान्सलर नहीं बह भक्ता। इसीलिए काम के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लेखक व पत्रकार अल्फ्रेड ग्रोमर न बहा है कि— राष्ट्रपति पद को सामान्यतया कमजोर बनाना भूत है। हो मरना है मविष्य म ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब एक सशक्त राष्ट्रपति की जरूरत हो।

राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूरण है यह वसिक ना पर तो निम्र है ही साय ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निम्र है जो उस पर आसीन है। जम पहने शौर दूसरे राष्ट्रपति पद पर बठ व्यक्तियों न तो कभी चान्सलर को चुनीनी नहीं दी लेकिन जब गुटाफ हानेमान राष्ट्रपति बन तो ऐसा उगा कि व अपन अधिकारा पर जार न्हो। उन्हाने घोषणा की कि व अग्रणी प्रस्त्रा व निमाण व प्रयाप सबवी कानून को स्वीकृति नहा न्हो नविन उनके कामकाज म भी सघव को नियन्ति उत्पन्न नहा हुई। किर भी राजनीति म रचन उन बाल व्यक्तिया को कम से कम यह माचता ता पड़ा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारा पर जोर दे सकत है।

राष्ट्रपति के अधिकारों एवं शक्तिया के बारे म विभिन्न विद्वाना के विचार इस प्रकार हैं—

प्रोफेसर थामस एवार्न की मायता है कि— 1948-49 म जमन मविधान निर्माताओं व समस सबस महत्वपूरण प्रेषन या कि राष्ट्राध्यक्ष की मिथित बाबा हा। समा की थठका म राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारा के विस्त्र अविश्वास की मावना प्रत्यक्षत की गई क्याकि वार्दमार-गणतन का अनुमद अभी पुराना = १९४८ या। यही कारण है कि राष्ट्रपति के अधिकार कम से कम रख गए।<sup>1</sup>

1 थामस एवार्न दास रेविष्ट सिट्टम दर बुदेस्टिक्सिक दो चतुर्थ दूसरा संस्करण (कोलोन 1966) १ त 281

## सघीय संसद

जमनी म राष्ट्रीय स्तर पर समूद्र का नमाण 1871 के मविधान गारा हुआ उमी ममय म बना माझे यदवस्था तता आ रही है जिसम दा मन्ना का प्रावधान है। विस्माक द्वाग निमित मविधान के अनगत बग की नाकमा का राष्ट्राग तथा राष्ट्र सभा का बुद्देसराट बहा गया। 1919 म निमित वार्यमार्ट्यविधान के अनगत ताक सभा वा नाम बद्दी रण नकिन राष्ट्र सभा का नाम बद्दन कर राष्ट्राराट कर निया गया। 1949 म जब बनमान वसिक ता नागू आ तो तोक सभा का बुद्देसटाग तथा राष्ट्र सभा का बुद्देसराट की भासा दी गा।

फरवर जमना की राजधाना बान नगर म राजन ननी क बिनारे पर समूद्र भवन स्थित है। यह भवन अध्यापको के प्रशिक्षण इलिंग तथार किया गया था नकिन बाद य ममर के दाना साना-नुमटाग तथा तुम्हराट के प्रयाग के लिए चुना गया। यमा भवन के पान एक गगनचुम्बी घट्टालिका बनाय गय है जग समर के टपुरा (मनस्य) रन्त है। बमिक ताक अनुद्व 20 (1) के अनुमार फरवर रिपर्ट उक आफ जमना एक जननामिक सामाजिक मधाय राष्ट्र है। न्यक्ता ताप्य य दि यहा दि मन्नाय प्रणाली हागो। तुम्हराग या ताक सभा जमन मवधानिक यदवस्था का सुवेम भजक सस्था है तो तुम्हरार राष्ट्र सभा एक मुकिश मन्नायक मम्या।

### बुद्देसटाग

राष्ट्रीय स्तर पर जनता आरा एकमात्र तुमी जग म या के स्थ म जमन तुम्हराग (ताक सभा) का फरवर जमनी के मवधानिक नाचे म अयधिक प्रमाव आना स्थान प्राप्त है।<sup>1</sup> यह जनता का प्रतिनिधि मम्या है। यही दारण है कि जब बमा समूद्र का उत्तर हाता है तो सामायतया आरा तुम्हेमराग की ओर दौता है जपकि समूद्र के अनगत ता दाना मन्न ग्रात है।

### सदस्यों की योग्यताएँ

तुम्हराग — मन्नाय डपुटा के नाम स पुकारे जात है। डपुटी चुन जान के तिए व्यक्ति म ग्रंथिनिविन योग्यताएँ हाना चाहिए—

1 कान सोमान इर व वर्षमराग (पाइक्क) पृष्ठ 1

- (1) वैसिक लोक अनुच्छेद 38 (2) के अनुमार जमन बुन्देस्टाग का डपुटी बनने के लिए 21 वय की उम्र अनिवार्य है।  
 (ii) वह फर्मल जमनी का नागरिक हो तथा ससद् द्वारा निधारित योग्यता रखता हो।

कानून द्वारा निधारित योग्यताओं के अनिवार्य उमम राजनीतिक योग्यताएँ भी होनी चाहिए। उन्हरण के लिए वह किसी राजनीतिक दल का सम्म्य हो या इतना प्रभावशाली व माध्यन्मन हो कि काई राजनीतिक दल उस चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करे। इसी प्रकार मज्हबूर संगठन का अनुमत भी किसी व्यक्ति का डपुटी बनने के योग्य बनता है। किश्चियत डमोक्रेटिक यूनियन नामक दल का दबोगर्पातयों तथा सम्पन्न विसाना को डपुटी पद पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता रहा है। इसी प्रकार सोशल डमोक्रेटिक पार्टी मज्हबूर-संघ के नेताओं को शिक्षित देती रही है।

हनसी रिट्जर नामक एक साश्ल डमान लिंक उम्मीदवार न 1952 म अपन मतदाताओं को बताया कि उसन बुन्देस्टाग की 60 पूरा समाज में से 33 समाजों म भागए दिये बुन्देस्टाग की समितियों म वह 109 बार बोना तथा उसन पार्टी के संसदीय लड़न (फ्रांक) में भी 36 बार भागए दिये। उसक अनावा उसन बुन्देस्टाग से बाहर भी 56 भागए निये तथा दल के संगठन के कार्यों म सक्रिय हिस्सा निया। इस प्रकार की योग्यताएँ भी एक उम्मीदवार को प्रभावशाली बनाती हैं।

इसके साथ ही शिक्षा का बड़ा महत्व हाता है। यद्यपि एक कम पर्यालिका व्यक्ति भी बुन्देस्टाग का सदस्य बन सकता है तेकिन जमनी म शिक्षा का दृढ़ महत्व दिया जाता है साथ ही यक्ति पी एच डी हो तो अत्युत्तम। 1961-1965 बाल सत्र म बुन्देस्टाग के 65 प्रतिशत सदस्य विश्वविद्यालय म शिक्षा प्राप्त थे। 5 प्रतिशत लोगों न माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की तथा 25 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे। यह उल्लंघनाय है कि 113 सदस्य कानून का डिग्री प्राप्त व्यक्ति थे। 37 नोए भाषा विज्ञान की डिग्री से युक्त थे। उन्होंने ही सभ्या म नाग अध्यासन की डिग्री प्राप्त थे। 77 लोग घमशास्त्र की डिग्री निये हए थे। हृषि इंजीनियरिंग समाज विज्ञान डाक्टरी विज्ञान म नम्र 18 11 8 77 तथा 2 व्यक्ति डिग्री धारी थे।

### अयोग्यताएँ

निर्वाचन-कानून म की गयी व्यवस्थाएँ व अन्तर्गत जिस व्यक्ति म निम्ननिवित वाले हो वह बुन्देस्टाग का सदस्य नहीं बन सकता—

- (1) यदि व्यक्ति किसी यायालय द्वारा पार्गन घोषित किया गया हो।
- (2) दिवालिया हो।
- (3) देशोंही हो तथा ससद् द्वारा निधारित कार्ड अथ अपोग्यता का निवार हो।

(4) जो चुनाव म भारी अनियमिताए करन का अपराधी ने ।

(5) सजायाफ्ना हो ।

(6) वह बुद्धेसराट का सम्म्य हो ।

फॉरन जमन चुनाव-कानून भी यह विषयता है कि वहा सरकारी अधिकारी या कमचारा भी चुनाव नड सकता है । डपुरी निवाचित हान दी स्थिति म उसे मरकारी पर स 4 वष का अपकाश निया जाना है । बाद म पुन वह अपना नौकरी पर नौर मरता है ।

### सदस्य को सुविधाए व विशेषाधिकार

दमिक वा व 38 वें अनुच्छेद के अनुसार जमन डपुरी-गण गमन जनता के प्रति निविति हाग । व इसा भी आरेश निर्णय से वाय्य न हाकर अपनी आत्मा के प्रति उत्तराधी हाग । लविन वास्तव म व अपना आमा दी स्वतंत्रता की रक्षा नहा वर सबन तथा उन्ह अपन दर क आरेश निर्णय का पात्रत करना पन्ता है व्याया उनक विश्व न्यायन का काश्वाहा दी जा सकती है । यह हृषि से इस अन-दर का अधिक मन्त्व नहा है ।

“पुरी चुने जाने” वा “समद सदस्य दो न वर भयचित वेतन तथा आवाय की नुविधा हा मितनी है वहा समस्त फॉरन अमी म घमन के निए उमे र-प निक या मुफ्त मितता है और परन्यवहार आनि व निए अनग स आयिक सहायता भा प्राप्त हानी है ।

बुद्धेसटाग व डपुरा (सदस्य) का निम्न प्रकार स वतन मितता है प्रथमा उन्ह मात्री व वतन का 245 पनिन वेतन मिलता है । दूसे अधिवेतन का समय जा अनिक भत्ता मिलता है वह करीब 500 माव प्रति माह पढ़ता है । तीमर प्रत्यक डपुरी का प्रति माह 600 माव कायानय भत्ता (सचिव व परन्यवहार) क सप मितता है । परि कार्य नुरी विना सूचना अनुपम्यन रहता है तो उस एक निश्चित राणि जमनि के हप म दनी पठनी है ।

किमी भी डपुरी क विश्व उसक बुद्धेसटाग म निय गय भायग क विश्व आयानय म मुक्तमा पा नही किया जा सकता है । एव विशेष कात्र क वा बुद्धेसटाग स अववाह प्राप्त वरन पर उस पेशन भा मितनी है । भारत म पेशन दी व्यवस्था का गार्वर सभी अधिकार सम-भदस्या की प्राप्त है ।

### बुद्धेसटाग भी रचना व साठन

सदानिक हृषि म फॉरन जमन बुद्धेसटाग १ काय भायन-भचानिका सहया है । एमर तितके व अनुमार यह बहुव्ययीय सम्या है यह एव राजनीतिक मच वा काय वरता है बानूना वा निमाए वरती है सधिया दो स्वीकृति भेनी है चान्सिर उमक मत्रिमहर्त तथा नौरराहो स उनके दायो के निए जवाब-तत्त्व

करती है और जिम्मेदार ठहराती है। इसक साथ ही साथ यह सदीय जनताव के लिए व्यावहारिक पाठ्याना का काय भी बरती है।

### रचना

बसिक वा तथा प्रथम सधीय चुनाव कानून के अन्वगत 14 अगस्त 1949 के दिन प्रथम बुद्देश्याग (राजसभा) के चुनाव हुए जिसम प्रतिनिधियों की संख्या 402 थी। सदन वा मन्दिरता म अर्थ कानून गाय उत्तरात बढ़ि हुइ और 1964 के चुनाव कानून के अनुसार बुद्देश्याग के अब 518 सदस्य हैं। नम स 22 सदस्य वर्तिन का प्रतिनिधित्व करत है। इन 22 सदस्यों का मत देने का अधिकार गाय नहीं है क्योंकि वर्तिन वी आज भी विशेष अताराष्ट्रीय स्थिति है।

जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को निम्ननिमित्त स्थान प्रदान किये गये हैं —

राज्य वा नाम	सदस्य संख्या	राज्य वा नाम	संख्या संख्या
बादेन यूरेटेमबग	68	राईनराइन पलेटीनट	31
बड़ेरिया	86	सारनण्ड	8
ब्रेमेन (नगर राज्य)	5	इन्हिविंग-हालस्टाडन	21
हाम्बुग (नगर राज्य)	17		496
हैसे	45	बर्लिन (नगर राज्य)	22
लोअर सेक्युनी	62		
नोर्थ राईन वेस्टफालिया	153	बुल योग	518

### चुनाव प्रणाली

देसिक ला के अनुच्छेद 38 के अनुमार जमन बुद्देश्याग के डपुटी का चुनाव सावद्धीय या सावनिक (युनिवस्त्र) प्रत्यक्ष न्वतत्र समान तथा गुप्त निर्वाचन प्रणाली द्वाया होगा।

जमन चुनाव-पद्धति अपन आप मे अनाखी व अनुपम है। नितीय महायुद्ध से पूव जमनी मे आनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग हाता था तबिन इसक बारण बाईमार-गणतन म अत्यधिक पार्टिया उत्पन्न हा गइ थी ठीक उमी प्रकार जसे कि बरसात के मौसम म यन्ह जमन है। इमके परिणामस्वरूप मिली-जुनी मरकारे बनी जो बराबर दूटी रही। जसमे जनतायी व्यवस्था की जड़ें मजबूत नहीं हो पाइ। बान व संविधान (देसिक वा) निर्माता उस स्थिति के लिए सजग थे भर उहोने उस पुरानी चुनाव परिपाटी को नहीं अपनाया। उहोने तो चुनाव पद्धति अपनायी उसम प्रायश चुनाव (जस कि भारत म) तथा आनुपातिक चुनाव प्रणालियों का समन्वय बिया गया।

1949 में जो चुनाव कानून बनाया गया उसमें 27 घाराएँ थीं। इसके अनुसार प्राप्त 21 वर्षीय जमन का मताधिकार तथा 25 वर्षीय नागरिक को चुनाव में खड़ हाने का प्रधिकार दिया गया (1970 के एक कानून के प्रभुसार मताधिकार की उम्र 18 वर्षा चुनाव गठन की उम्र 21 कर दा गई है)। साथ ही 60 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रायक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत स्थानों के लिए सूची (लिस्ट) प्रणाली द्वारा चुनाव की गई। कुल 400 स्थानों के लिए चुनाव किया गया।

1953 में इसी चुनाव कानून बनाया गया। इसमें प्रायक्ष चुनाव तथा सूची (लिस्ट) चुनाव का अनुपात 90 : 50 प्रतिशत कर दिया गया। भाष्य ही एक विशेष घारा जाने की रूपी जा पाये प्रतिशत घारा के नाम से या स्वाकृत घारा के नाम से विभ्यान है। पाच प्रतिशत घारा का अर्थ यह है कि लिस्ट चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत जिस राजनीतिक दल को एक राज्य में 5 प्रतिशत मत नहीं मिलेंगे उसे बुदेस्टाग में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं होगा। समद्वय में स्थानों की संख्या 400 से बहुत बढ़ 484 बढ़ दी गई। 1956 में दूसरी चुनाव-कानून निर्मित होगा। इसमें पूर्व कानून की तुलना में कुछ मामूली संशोधन किये गये जा इस प्रकार यह—पहले एक राज्य में 5 प्रतिशत मत प्राप्त करने में बुदेस्टाग में प्रतिनिधित्व मिल सकता था पर अब यह प्राप्त किया गया कि समस्त संघ में 9 प्रतिशत वोट मिलने पर ही सूची चुनाव के अन्तर्गत प्रतिनिधि भेजा जा सकता।

प्रत्येक भवितव्य दाता दो वोट देगा एक प्रत्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार का दूसरा मत राजनीतिक दल की सूची में से एक राजनीतिक दल को अर्थात् एक वाट चयित्र का तथा अमरा वाट पार्टी का।

1964 के चुनाव-कानून द्वारा बुदेस्टाग के सदस्यों की संख्या बढ़ावर 496 (वर्जिन के 22 प्रतिनिधियों को छोड़कर) कर दी गई। इसमें में 248 के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा बाकी 248 के लिए लिस्ट चुनाव प्रणाली की "यवस्था की गई।

जसाकि उपर सकत किया जा चुका है कि 1970 में विभिन्न नाम के 38वें अनुच्छेद में संशोधन कर मताधिकार का उम्र 21 से घटाकर 18 तथा उम्मीदवार की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई थी।

इस प्रकार यह बहा ता सकता है कि जमनी में मिलित चुनाव प्रणाली है जिसके प्रयोग में दो प्रकार की चुनाव प्रणालियां के नाम प्राप्त होते हैं। 1949 से 1973 के बीच हुए 7 चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि मिलित चुनाव प्रणाली के कारण बुदेस्टाग में राजनीतिक दलों की सांस्कारिक मतश घटती गई और आज वहाँ कुल तीन राजनीतिक दलों को (i) साशान डमोक्रेटिक पार्टी (ii) क्रिस्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा (iii) फ्री डमोक्राटिक पार्टी—ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। इस प्रकार जमनी पर दरीय व्यवस्था की ओर सफलतापूर्वक आगमर हो सका है।

### बुदेस्टाग का कायकाल

वेसिक ना के अनुच्छेद 39 के अनुसार बुदेस्टाग (नोक ममा) का चुनाव चार वर्ष के लिए किया जाएगा। उसका कायकाल प्रयम वठक के दिन से 4 वर्ष तक या उसके भग हाने तक जारा रहगा। नये चुनाव बुदेस्टाग के चार वर्षीय कायकाल के अन्तिम तीन महीनों में सम्पन्न होगे या बुदेस्टाग भग होने की स्थिति में 60 दिनों तकी अवधि में पुनर्चुनाव वराय जाएंगे।

चुनाव की नियम से दीस निन की अवधि के भीतर बुदेस्टाग का अधिवेशन आरम्भ होगा लिकिन यह अधिवेशन पिछली बुदेस्टाग की अवधि के अंत से पूर्व नहीं हो सकेगा।

### बुदेस्टाग के पदाधिकारी

प्रत्येक सत्या के काय सचानन के लिए कुछ निश्चित पाणिकारियों की आवश्यकता होती है। बुदेस्टाग भी इसका अपवाद नहीं है। बुदेस्टाग के काय सचानन के लिए अध्यक्ष उपायक्षण उरिष्ठ जनो की परिपद (काउसिन आफ एल्डस) सचिव काय कायकारी अधिकारी तथा समितियों की यवस्था की गई है।

### बुदेस्टाग अध्यक्ष

वेसिक ना के अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि बुदेस्टाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षों तथा सचिवों का चुनाव करेगी तथा अपने काय के नियंत्रण विधि नियम (रूल्म आफ प्रोसिजर) का निर्माण करेगी। 6 दिसम्बर 1951 को बुदेस्टाग ने अपने काय सचानन के लिए काय विधि नियम निश्चित किया।

सामायतया यह परम्परा रही है कि बुदेस्टाग का अध्यक्ष-पद सबसे बड़े राजनीतिक दल को प्राप्त होता है तथा उपाध्यक्षों के पद विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों से भरे जाते हैं। 1960 तक अध्यक्ष का यह पद निश्चियन डमोक्रटिक पार्टी को मिलता रहा क्योंकि वही बुदेस्टाग में सबसे बड़ा दल था। उसके बाद सोशल डमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी। फिरत बुदेस्टाग के अध्यक्ष का पद इस दल की सदस्या ग्रनामारी रखनेर को प्राप्त हुआ।

### अध्यक्ष का चुनाव

बुदेस्टाग के काय-सचानन के लिए निर्मित काय विधि नियम (रूल्म प्राफ प्रोसिजर) का निर्माण 6 दिसम्बर 1951 को किया गया। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत नियम बनाय गये हैं। काय विधि नियम वे अनुमान (सेवान) 2 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव की निम्नलिखित प्रशिया होंगी —

- (1) बुदेस्टाग गुप्त तथा अन्य अलग भत्तान द्वारा अमरा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी।

(2) जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा उसे निवाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को व्येष्टित बहुमत प्राप्त न हो तो पुनः मतभान के समय नये उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित किया जा सकता तथा दुश्शरा मतभान में भी बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो जिस व्यक्ति को भवाधिक मत मिल हो उस निवाचित घोषित किया जाएगा। दो व्यक्तियों को बराबर मत मिलन पर तारीख द्वारा निर्णय होगा।

(3) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इन 4 वर्षों के निए चुने जाते हैं।

### बुद्देसटाग अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष बुद्देसटाग का सर्वोच्च सम्मानित पदाधिकारी होता है। वह बुद्देसटाग का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी कायदाही का मध्यानन्द करता है। वह बुद्देसटाग की गरिमा व प्रधिकारों की रक्षा करता है। बानुसंसम्मत ढंग तथा निष्पत्ता से उम्मीदवार का सचानन्द करता है तथा सदन का गरिमा बनाय रखता है। बुद्देसटाग के अध्यक्ष को सन्तु दे सभों कमचारिया को नियुक्त करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होगा।

विभिन्न राज्यों द्वारा 40 (2) के अनुसार बुद्देसटाग अध्यक्ष बुद्देसटाग मन्त्री में स्वामित्व तथा पुनिस अधिकारों का प्रयोग करता है। उसकी स्वीकृति के बिना न मन्त्री पर काना किया जा सकता है वहाँ खान व नाच पठनान की जा सकती है।

काय विधि नियम के पारचर्चे परिच्छेद (सक्षण) के अनुसार बुद्देसटाग का अध्यक्ष वरिष्ठ जन परिषद् (कार्यमित्र आफएस) तथा सन्तु की आतंरिक समिति तथा प्रसारित्यम का अध्यक्ष होता है।

बुद्देसटाग अध्यक्ष सदन के अधिकारों का समारम्भ करता है उसकी अध्यक्षता करता है तथा उसका समापन करता है। वह असाधारण मामला भ किसी सन्तु का नियमित भागण पूर्ण की अनुमति दे सकता है। अध्यक्ष किसी सन्तु का यह भी आदेश दे सकता है कि वह मुख्य विषय पर नौट आध तथा विषयान्तर बातें न कर।

यदि कार्य सन्तु का विधि नियम का गम्भीर उल्लंघन करे तो ऐसी स्थिति में बुद्देसटाग का अध्यक्ष उस मन्त्री का उस दिन की कायदाही में भाग नहीं सकता वर्तमान के अधिकार से अधिक 30 वर्षों की कायदाही में भाग नहीं सकता किया जा सकता है।

काय विधि नियम (परिच्छेद 128) के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह काय विधि नियम को विशेष धारा या अनुमान की व्याख्या कर सके।

बुद्देसटाग के अध्यक्ष के पार एक प्रमुख विषयता यह है कि वह रिटार्न हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष (स्पीकर) की भाँति दृढ़ की सन्तुता नहीं त्यागता।

बुद्देस्टाग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष-गण अपने प्रपते राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य बने रहते हैं व दल की बठकों में भाग लेते हैं तथा सदन दों कायवाहा में भी सक्रिय भाग लेते हैं।

बुद्देस्टाग अध्यक्ष मतदान में भाग लेता है तथा मदन की कायवाही के दौरान भाषण भी दे सकता है लेकिन ऐसा करते समय उह अध्यक्ष का आसन छाड़ना पड़ता है।

अधिकारी की ऊपर निश्चित सूची में यह भान हाना है कि बुद्देस्टाग का अध्यक्ष अत्यधिक शक्ति नम्पन वर्ति है। सिद्धातत यह सही है लेकिन यवशार में उसे समद में प्रतिनिधित्व प्राप्त तीनों दलों के सहयोग पर प्राप्त निभर करना पड़ता है।

### उपाध्यक्ष

बुद्देस्टाग के उपाध्यक्षों का भी अनुग से चुनाव हाना है। वे 4 वर्ष के लिए चुन जाते हैं। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी सदन की आनंदिक समिति व प्रभीन्यम के नाम सद्य हान हैं। उपाध्यक्ष पदा का बटवारा बुद्देस्टाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों की सम्या के अनुपान में होता है। उपाध्यक्षों की सम्या किनी हाणी यह नियमों में स्पष्ट नहीं है। यह प्रत्यक्ष बुद्देस्टाग अपने कायवाल के निए दलों की स्थिति को दबते हुए उपाध्यक्ष पदा की सत्या निश्चित कर सकती है। उपाध्यक्ष-पद विसी ज्यक्ति पर छूपा करने का साधन है। अध्यक्ष की अनुपम्यनि में उपाध्यक्ष-गण वारी वारी से बुद्देस्टाग की अध्यक्षना करते हैं। अध्यक्ष के नामे उह ऊपर वर्णित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

### वरिष्ठ जन परिषद

बुद्देस्टाग के अत्यन्त जितनी भी समिनिया व सम्याए हैं उनमें वरिष्ठ जन परिषद (काउन्सिल आफ एडस) का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह परिषद् एक स्थायी समिति है जिसमें उम्मग 20 सदस्य हान हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण तथा ससदीय दलों के नता इसके पदेव सदस्य हान हैं। वरिष्ठ जन परिषद् एक सचालन समिति की मात्रा है जिसकी तुलना अमरिका की प्रतिनिधि सभन की नियम-समिति (कमटी आन दी स्कूल आफ दी हाउस आफ रिप्रेटेटिवज आफ दा यूनास्टर स्कूल) में की जा सकती है। यह परिषद् बुद्देस्टाग के अध्यक्षों को विधायिका कायवाहा के सचालन में सहायता महयोग व मसाह देती है। वरिष्ठ जन-परिषद् सभन की कायवाही का कायकम प्रवर-समितिया के ग्राम्या का चुनाव तथा अनुग अनुग विधाया पर वहम के लिए समय निर्धारित करती है। क्याक्सि नम परिषद् में सभी समझीय दलों के प्रतिनिधि एकत्र हान हैं अत इसकी भूमिका अत्यधिक प्रभावपूर्ण होता है। कभी-कभी तो यह विधेयक के पारित हान के लिए बुल एक घट का समय तक नियत करती देखी गई है।

## दुर्देश्यग समितिया

गार वा युग निगमना और विषय नान वा नान है। जब तभा विनान त नना प्रानि का वि न्युका मस्तित प्रयापा करने के लिए निवासी का सदाचार वा आवश्यकता पड़ता है। दुर्देश्यग के अधिकार मुख्य गवानानि का इति स भव वा मत्रित वा उक्ति - न लिए वा आवश्यक नहा है वि व अपन्यवस्था मान लिए मुख्य वा नून वा न गवानानि - जार्ह है। एन एना समिति म जन एवाना मामता म विगमना वी राम आवश्यक हा जना है। परंतु नमता म प्राप्त रामनानि के अपन कुद मस्तिता का निषय मामता व विषयों म विषय जान प्राप्त करने के लिए प्रगति करता है तथा दा क आप विषयका सा सवाह ग जना है।

दुर्देश्यग का समितिया म विषयका का भा स्थान निया जाता है ताकि वे प्रस्तुति विषयक वा वाराना म भागाना व गभार अव्ययन एवं एक संतुलित एवं विभृत बानुन वी अपरता तयार करें। जु इति न समितिया (कमितिया) का महत्व वा ज्ञान है।

विभिन्न जा नया दुर्देश्यग क वा प्रविधि नियम के अन्तर्गत जान प्रवार का समन्वय समितिय का उपस्थिता है—

- (1) जाया म समिति
- (2) विवाह मामता जना
- (3) जान पानात (दुर्देश्यगान) समितिया।

## जाच समिति

पर्यन्त नमन इमिति जा क ५ व अनु-५५ क अनुमार दुर्देश्यग का जाच पन्नात समिति नियम करने का प्रधिकार है जना । ५ मस्तितों क प्रस्ताव पर उनका स्थापना करना -मता कन्या-। ए समितिया मावजनिति वरदा शरा आवश्यक गवाहिया प्राप्त वरेगा। आवश्यका पन्न पा जनकी वरदा वा वमर म भा का जा सकता है। अमर निषेधों पर जाया जना एवं विचार नहीं निया जा सकता।

## अधिकार रक्षा समिति

जना तर स्थाना समितिया का प्राप्त है विभिन्न जा क 45वे अनु-५५ व अनुमार एवं विभिन्न याया समिति - आवश्यक विषय गया है। दुर्देश्यग एवं स्थायी समिति वा निमाना करना है जा जा मता व वीच मरवार क विरुद्ध दुर्देश्यग क मस्तिता व अधिकारों का रक्षा करना। ए स्थायी समिति का जाच-पन्नात समिति क अधिकार जा जान जाने। ए प्राप्त ए समिति का दुर्देश्यग मस्तिता अधिकार रक्षा उपस्थिति वा मता जा जान जाने है।

## विदेश व प्रतिरक्षा समितिया

19 मार्च 1956 के एक बानून के अनुसार अमिक ना न 45 (प्र) नामक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत दो समितियों की व्यवस्था की गई—

(1) विदेशी मामला की समिति

(2) प्रतिरक्षा-समिति

ये दोनों समितियां दो मत्रा के मध्य में भी काय बरेंगी।

## विशेष समितिया

इसके साथ ही साथ जमन बुद्देस्टाग व बाय विधि नियम के परिच्छेद 69(1) के अनुसार समितिया बुद्देस्टाग की आग है। उनका गठन करते समय समद म प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दोनों को उनकी सहाय के अनुपात में स्थान दिया जाएगा। उनकी मदम्य-संस्था बुद्देस्टाग निश्चित करेगी। यहाँ एक विधयक को कई समितियों के सम्मुख रखा जाना जरूरी है तो उन समितियों में से एक समिति वा उस विधेयक के लिए उत्तरदायी समिति या शीष-समिति का स्थान दिया जाएगा।

काय विधि नियम के 62वें परिच्छेद के अंतर्गत विशेष समितियों के निमाण की भी व्यवस्था है। 63वें परिच्छेद में जाच-समिति के विस्तृत रूप की चर्चा है। इसके अलावा काय विधि नियम के अंतर्गत

(1) चुनाव-वधता-समिति

(2) सधाय सवधानिक यायावद-न्यायाधीशों के लिए चुनाव समिति है।

चुनाव-वधता समिति (वसिरु ना अनुच्छेद 41) बुद्देस्टाग के सदस्यों के चुनाव की वधता को दी गई चुनीतियों के बारे में विचार विभाग कर फसाना दती है। सधीय सवधानिक न्यायालय-न्यायाधीश चुनाव समिति निश्चित संस्था के यायाधीशों का चुनाव करने का काय करती है।

## मायस्यता-समिति

बुद्देस्टाग व बुद्देस्टराट के बाव विवाद की स्थिति में समस्या का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थता-समिति (कमटी आर माडियान) की भी व्यवस्था की गई है। इस समिति में बुद्देस्टाग व बुद्देस्टराट वा ॥ ॥ ॥ सदस्य शामिल हता है। बुद्देस्टाग के सदस्यों का चुनाव बुद्देस्टाग स्वयं करती है।

## स्थायी समितिया

सम्या व काय की दृष्टि से स्थायी समितिया सर्वोधिक संस्था में हैं तथा हैं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण। ये समितियां विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर—विभेनीति शृहनीति प्रतिरक्षा स्वास्थ्य-समाज युवत बानून वित्त ढाक-तार परिवहन जल प्रदाय योजना विहारी सहायता आदि विषयों पर निरतर विचार करती रहती हैं।

जमनी में सामान्यतः 24 वर्ष आस पास यादी समितिया रही हैं। कभी कभी उन्हीं सरया बढ़ावेर उम्रमग 35-36 तक भा हो गई है। इन स्थायी समितियों के सदस्यों को सत्या 15 से 27 के बीच रखी जाती है। आरम्भ में कुछ समितियों में तो बेबा 7 सदस्य ही रख गये। 8 नवम्बर 1961 के बुन्देसटाग के निएय द्वारा निम्नलिखित स्थायी समितिया वा गठन किया गया—

समितियों का नाम	सदस्य संख्या
(1) चुनाव वधना विधायाधिकार व काय विधि नियम समिति	15
(2) याचिका समिति	27
(3) विशेषी मामलान समिति	27
(4) समस्त जमन व बर्तिन प्रश्न समिति	27
(5) प्रतिरक्षा समिति	27
(6) आनंदिक मामलात-समिति	27
(7) मुश्किला समिति	15
(8) सास्त्रिक मामले व सावजनिक सूचना समिति	27
(9) स्थानीय वाय य समाज-कायाए समिति	27
(10) सावजनिक स्वास्थ्य समिति	23
(11) कानून समिति	27
(12) वित्ताय समिति	27
(13) वडा समिति	27
(14) समान नार निधारण-समिति (इवेलार्जेशन आफ बडन)	15
(15) प्रार्थन समिति	27
(16) विदेश ग्रापाट-समिति	27
(17) परिवार व युवक कल्याण समिति	23
(18) माय वय समिति	23
(19) लादू हृषि व बन सम्पदा-समिति	27
(20) गानार्दि-व समिति	27
(21) मुद्र पीर्ति व निष्पानित-यक्ति-समिति	23
(22) सावजनिक काय-समिति	27
(23) यातायात द्वाव व दूर सचार समिति	27
(24) आवास नगर व ग्राम्य-याजना समिति	27
(25) श्रमार्थी समिति	23
(26) परमाणु ऊर्जा व जन प्रयोग समिति	27

17 जनवरी 1962 म दा और स्थायी समितियों का गठन किया गया। उनके नाम व मदम्य मस्त्या इस प्रकार हैं—

(27) विकासो-मुन्न नेंग-महायता समिति	27
(28) मधीय मम्पत्ति-समिति	23

समितिया अपनी कायवाही के सुविधावाले के लिए अव्याख्या तथा उपाय्यम का चुनाव बरती है। अत्यधि का यह बहुत्व है कि कायविधि नियम के परिच्छेद 60 के अन्तर्गत दा गद्द नियमावलि के अनुसार समिति के काय का सचालन कर। अध्ययन समिति की बठक के लिए स्थान तिथि तथा कायवाही मूली तपार करता है तथा बठक के लिए एक प्रतिवदक (राष्ट्रार्थपर) नियुक्त करता है।

जमन समनीय कायवाही म उन समितियों का विशेष महत्व है। इनके बायों का महत्व देखत हुआ एक विभाजन तो यहा तक कह नहा ह कि बुन्देस्टाग की समिति वास्तव म लघु समद का रूप धारण कर लती है।<sup>1</sup> जमन जनतत्र का असली रूप देखना हा तो इन समितियों की बठक म देखा जा सकता है। अपने विस्तृत एवं अग्राध ज्ञान के कारण य समितिया और भी अधिक प्रभावशाली दो उठती हैं।

फर्ल जमन समिति व्यवस्था की दृष्टि से आनावना की जानी है कि वहा आवश्यकता से अधिक समितिया है तथा उनका क्षेत्राधिकार एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से भिन्न है और कई बार एक भी विधिक को जा या तान समितिया के पाम विचाराथ भेजा जाना है। तकिन किसी प्रश्न पर अधिक विचार करन स उसकी सभी पेचादगियों पर ध्यान दिया जा सकता है।

### सस्तीय दल (फ्रेवरास)

बुन्देस्टाग का कायवाही म विभिन्न राजनीतिक दलों के सस्तीय दलों का विशेष महत्व है। इन सस्तीय दलों का जमन भाषा म फ्रांशियोनेन तथा अपनी भाषा म फ्रेवरास दहन हैं। यद्यपि विभिन्न दल म इनका उल्लेख नहा है तकिन जमन सस्तीय व्यवस्था म इनका विशेष स्थान है। समद म प्रतिनिधित्व गाप्त तान राजनीतिक दलों के अपने ससदाय दल हैं तथा उनके अन्तर्गत वायविधि नियम हैं। बुन्देस्टाग के नियम के अनुसार जब किसी राजनीतिक दल क 15 सदम्य हा तो उस ससदाय दल (फ्रेवरास) की सना ली जानी है। आरम्भ म यह स्थाया 10 रसी गई थी। सस्तीय दलों को उनकी स्थाया के अनुपात म ससद की कायवाही म भाग नह के लिए समय प्राप्ति की जाता है।

### बुन्देस्टाग की शास्त्रिय व काय

सामाय विधिवाल के पारित होन वा प्रतिया पर हम आग विचार बरें।

1 रितार निवारक इमोक सा इन यमना (अप्रैल 1957) प 134।

नकिन बुडेमटाग अमर क्रियकल मी कड़ काय करती है जिनम विनीय विधयक पारित करना सविधान म सशावन करना विधायी मकानों म कानून बनाना समाय जाच करना राष्ट्रपति पर महाभियाग चलाना तथा विश्वा राया क साथ सधिया सम्बंधी कानून बनाना भी आभिन है।

### वित्तीय विधयक

जमनी म एक विशद् तथा सुस्पष्ट वित्तीय विधयक प्रस्तुत करने की परम्परा रही है। वित्त मनारथ बजट तयार करता है जिसमे आप तथा व्यव दानों का उल्लेख होता है। वित्तिक ला क अनुच्छेद 110 के अनुसार सध की सारी आमन्त्री तथा व्यव बजट म सम्मिलित होता है। बजट एक वप की अवधि क लिए उजट कानून औ माध्यम स नागू होता है। अनुच्छेद 109 यह व्यवस्था करता है कि बजट क अत्तमत आविरु प्रदत्तियो का देखत हुए कई वर्षों पूछ ही वित्तीय योजना प्रस्तुत बना सकती है। इस प्रकार बजट म आगामा क वित्तीय वर्षों का ध्यान म रखत हुए योजना प्रस्तुत की जा सकता है नकिन वित्तीय प्राविधान तिक एक वप के लिए ही किया जा सकता है।

बजट बुद्दसटाग व बुद्दसराट दोना म एकसाथ पश होता है। सामायतया बुडेसराट 6 सप्ता म अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है नकिन यदि वह प्रस्तावित बजट विधयक म सशायन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे तीन स ताह की अवधि म सशोधन सहित बजट विधयक को बुद्दसटाग को नौगाना पड़ता है। बुडेमटाग चाहे तो बुडेमराट का प्रस्ताव स्वीकार वरे अर्थवा न कर।

### सवधानिक सशोधन

1871 के जमन सविधान क अत्तगत जमन राज-समा (राइशटाम) बहुमत मात्र म सविधान म सशोधन वरे सकता थी। नकिन 1949 म निर्मित वित्तिक ना क अन्तगत सविधान की प्रक्रिया का बापी कठोर बनाया गया। अब सविधान म सशावन करने के लिए बुडेसटाग तथा बुडेमराट द्वारा अनग अनग बठको म दा निहार बहुमत की आवश्यकता होती है (वित्तिक ना का अनुच्छेद 79)। माय ही यह मी कहा गया है कि सशोधन अप्रयत्न न जाकर स्पष्टत सविधान क मूर्त पार म सशोधन होना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि सविधान के कुछ अनुच्छेद एव व्यवस्थाओं म परिवर्तन न हो किया जा सकता। वित्तिक ना के 79व अनुच्छेद क तासरे परिच्छेद म कहा गया कि लण्डर (राया) क विभानन कानून निर्माण म राया के भाग नने तथा अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 20 म परिवर्तन नहा किया जा सकता।

### जाच-पडताल विधयक शक्तिया

वित्तिक ना के अनुभार बुडेमटाग वा सामाय कानूना के निर्माण क अनिरिक्त

जाच पड़ताल का भी अधिकार दिया गया है। बुन्नेसटाग को अधिकार है कि वह किसी विषय विशेष का जाच के लिए समिति नियुक्त कर सके। साथ ही ससद् के 14 मदस्या की मांग पर बुन्नेसटाग का बत्ताश है कि वह नाच समिति का निमाण कर सावजनिक रूप से या बद कमरे म गवाहा के बयान न तथा अत म अपना निश्चय दें।

इसके साथ ही बुद्देसटाग को यह अधिकार है कि वह सभ सरकार के विरुद्ध बुद्देसटाग के मदस्या के अधिकारा की रूपा के लिए एक स्थायी समिति का निमाण कर जा दा सना क बाब उनके अधिकारों की रक्खा करे। इन समितियों क बारे म हम ऊपर विवरण दे चुके हैं।

जाच-पड़ताल-समिति की नियुक्ति के कई उदाहरण दिया जा सकत हैं। 1949 म जब फड़रन (पश्चिमी) जेमनी के लिए धर्सिक ना का निमाण किया जा रहा था तब वह प्रश्न उठा कि फड़रल जमनी की राजधानी कहा हा। बर्निन को राजधानी बनान का प्रश्न मुश्किल था क्योंकि बर्लिन पूर्वी बर्पनी के जहा सावित्र देश का प्रभाव था मध्य म स्थित था। अत यह तथ किया गया कि मूलत बर्लिन को राजधानी माना जाय लकिन प्रस्थायी राजधानी की खोज की जाय। अस्थायी राजधानी के लिए मुख्यत दो नाम थ—बान तथा फ्राकफुर्ट। जब समीय परिदृष्ट म 10 मई 1949 का इस प्रश्न पर विचार हुआ तो 33 मत बान नगर क पक्ष म तथा 29 वोर फ्राकफुट के पक्ष म प्राप्त 2 मदस्य अनुगस्ति रह तथा 1 मत अवध धोपित किया गया। इस पर भी जनता सुनुष्ट नहीं थी अत प्रथम आम दुनाव के बाद 3 नवम्बर 1949 को पुन राजधानी के रूप म बान तथा फ्राकफुट म से एक को चुनने का प्रश्न सामने आया जिसका परिणाम इस प्रकार था—कुल 402 म से 200 मत बान नगर क पक्ष म आए 176 फ्राकफुर्ट क पक्ष म 11 मत अवध धोपित हुए। बाबी सदस्यों न या तो भतदान म भाग नहा निया या वे अनुगस्ति थे। लेकिन विवाद अब भी शान नहा हुआ करत एक जाच समिति का गठन निया गया क्योंकि विरोधियों का आरोप था कि बान नगर को राजधाना बनाने के पक्ष म मतदान बरने के लिए सदस्या का नाम दिया गया।

एक अर्थ जाच-पड़ताल-समिति उस समय नियुक्त वी गई जब यह प्रश्न उठा कि ब्रिटेन सेवा तथा विशेष विमान के सदस्या के आचरण की जांच वी जाए। यह आरोप था कि कुछ सदस्यों न हिंगलर के नातमी जमनी म कुछत्य किये थे। जाच समिति न 21 व्यक्तियों के विगत आचरण का अध्ययन किया तथा उनम स 4 को दोगो पाया। दावी विविया को या तो सबा निवत्त कर दिया गया या उनकी पदोन्नति राब दी गई।

### महानियोग प्रतिया

भारत तथा अमेरिका भी भाति पश्चिमी जमनी म भी राष्ट्रपति द्वारा सविधान का उल्लंघन बरने वी स्थिति म उस पर महानियोग उगाया जा सकता है।

फर्रर जमन केमिक ला के 61वें अनुच्छेद के अनुमार बुटेसराट संघीय संवधानिक यायालय के ममत राष्ट्रपति पर जानवृभ कर वेमिन्ड ला या किसी अय संघीय कानून की अवहनता करने पर महाभियोग का दोपारापण कर सकती है। महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव नाने के निए बुटेसराट या बुटेसराट के कम मध्य 1/4 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मन्त्रियांग सम्बन्धी नियम उन के निए ताता सदना मध्य किसी एक मदन के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है।

यदि संघीय संवधानिक यायालय राष्ट्रपति को नापा पाता है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति न अपना पान दिया है।

राष्ट्रपति का भारत संघीय यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि संघीय यायाधीश वसिक ना या किसी संघस्य राज्य की संवधानिक यदस्था के विद्वाता का उल्लंघन करता है तो बुटेसराट उनके विश्वद्वंद्वीय संघीय संवधानिक याया नय में नापारोपण कर सकता है।

### संधिया की स्वीकृति

वेसिक ना के 59 व अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो अधिकार है कि वह संघ की ओर से विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि कर सके। वास्तव मध्य वाय चासरर पा उनके प्रतिनिधि के रूप मध्य विदेश मानी जाता है। वेसिक ला के अनुच्छेद 59 में यह भी यदस्था है कि संधि विषयक संघीय कानून के निए उन मस्याग्रा—बुटेसराट व बुटेसराट की स्वीकृति भी आवश्यकता है जो कानून का निमाण करने में सक्षम है। जहा तक विदेशों व साथ प्रशासनिक समझौतों का प्रश्न है उसके बारे मध्याचित् परिवर्तनों के साथ संघीय प्रशासन विषयक व्यवस्थाए लागू होगी।

इस प्रकार वेसिक ला के अन्तर्गत दो प्रकार हैं अन्तर्राष्ट्रीय समझौते विधि जा सकते हैं (1) संधि (2) प्रशासनिक ममझौते। अन्तर्राष्ट्रीय संधि की स्वीकृति तथा उपयुक्त घोषणा के बाद वह राय का कानून बन जाती है और इस प्रकार वह कानून वायपातिका व यायपातिका पर वायकारी होता है। संधि उसी प्रक्रिया से पारित होती है जिस प्रकार एक सामाय कानून पारित होता है। सामाय कानून का पारित होने की प्रक्रिया पर धारा प्रकाश ढाला जाएगा।

अनुच्छेद 32 के अनुमार यहि संधि के बारण मध किसी सदस्य राय का विशेष स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तो साप बरन संपूर्व उस नेप्टर (राय) के साथ विचार विमर किया जाना चाहिए। वसी अनुच्छेद मध आगे कहा गया है कि जिन विषयों पर नर र (राय) को कानून बनाना का प्रधिकार है उन मामना मध संघ राय को अनुमति से विदेशी रायों के साथ संधि कर सकत है।

एम प्रकार विदेशों से संधि करते समय न केवल रायों के हिता बी रखा जी गई है बरन् राया जो भी उनसे सम्पद्व विषयों पर संधि करने का अधिकार दिया गया है। जनवरी 1952 व जब यूरोपाय इस्पात व कोयला-समुद्राय संधि

पर स्वीकृति दन का प्रश्न आया तो नां रार्न-बस्टरिंग राज्य से विचार विभा किया गया क्योंकि इस सधि में उस राज्य के हित प्रभावित होता था।

बुन्नेस्टाग व बुन्नमराट म नवियो के सम्बाप म स्वोकृति सम्बन्धी कायदाही म सामाजिकतया कोइ वाधा उपस्थित नहीं हानी। अधिकाशन दृढ़त यां वार्ड विवार के बार उहैं स्वीकार कर लिया जाता है। कभी कभी नविया को स्वीकृति नेन म पूर्व बुन्नमटाग कुछ शर्तें या आरम्भण की बात कर सकती हैं। उन्नाहरण के निए दूरोपीय कोयला व उपात ममुनाय-नविय को स्वीकृति दन से पूर्व एक अन्नरिम अभिसम्पय (कि वर्णन) तीन प्रानोकाल तथा पत्र अवहार का आगान प्रानन भा सधि के माथ स्वाकृत किया गया।

### बुन्नेस्टाग की कायदाही को भलक

बुन्नेस्टाग को बस्क म पूर्व सभी सदस्यों का लिखित सूचना भजी जानी है। सामाजिकतया सप्ताह म लो निन बुन्नेस्टाग की बठक होता है। बुन्नेस्टाग अध्यश व सभा भवन म प्रवेश करता है तां सभी सदस्य उसक सम्मान म खड़ हान हैं। अध्यम द्वारा आसन ग्रहण करन क बार बुन्नेस्टाग का सचिव प्रारम्भिक रस्मा व बार उस निन की विषय-मूर्ची को धारणा करता है। तत्पश्चात् व उस मन्त्र्य का नाम पुकारता है जा पहला वक्ता हाना। सामाजिकतया वक्ता का भा तत्काल या तत्पश्च भावण दना हाना है। वहन का तात्पर्य यह है कि वह निखित भावण नहा पर सकता। उस किमी पुर्जे पर नां विय गय मुहा को देखकर बोतन का प्रमित्तार है। बुन्नेस्टाग अध्यश विवाप परिस्थितिया म किसी छपनी (सदस्य) को निखित भावण पत्रन की अनुमति द सकता है। कभी एक क बाद एक वक्ता को प्रपने विचार व्यक्त करन का आमत्रित किया जाता है।

### प्रश्न पूछने का समय

जिस प्रकार ब्रिटिश संसद तथा नारतीय लाक सभा म सभ्यता का प्रान पूछने का अधिकार है उसी प्रकार फॉरन जमन बुन्नेस्टाग म विषय-मूर्ची पर विचार से पूर्व प्रश्न पूछन के निए निया जाता है। 1960 तक जमनी म प्रति भाह एक व्यक्त प्रश्न पूछन के लिए निया जाना था। बुन्नेस्टाग व सभ्यता का निखित व्यक्त म प्रश्न दो सप्ताह पूर्व भेजना पहना था। प्रश्न पूछने की पढ़ति व उसक उत्तर वा एक नमना यहा प्रस्तुत किया जा रहा है जो नियम बुन्नमटाग (1953-1957) के काय विवरण से उद्भुत है—

**प्रान — 1 नार्डर (जमन पाटी)**—क्या सरकार को विनित है कि नन की रायन ज्ञानार्थिन सोसायटी ने जो आक्सफोर्ड एटनम (मानविश) प्रागित किया है उसम सोसियत अधिकृत जमनी (पूर्वी जमना) वा एक स्वतन्त्र राज्य के न्य म दशाया गया है?

उत्तर — पान वृटानो (विदेश म थी) — जमन राज दूतावाम न रिटिश विदेश विभाग स सम्पक किया है तथा ब्रिटिश एटनस प्रशाणित करने वाला से सीधा सम्पक भी साधा है ताकि नड़ो म परिवर्तन दिया जा सके तकिन अभी तक मफतता प्राप्त नहीं है।<sup>1</sup>

परवरी 1965 म प्रश्न पूछते के समय के बारे म नवीन ज्यवस्था की गई जिसे बताना घटना चरण समय का मना दी गई। इसके अन्तगत प्रत्यक्ष छठक के आरम्भ म एक घण्टे का समय प्रश्न पूछन के लिए प्रत्यान किया गया। प्रत्यक्ष बत्ता का 5 मिनट का समय दिया जाना है। कोई भी बत्ता पर पत्तन की उत्तरज्ञता नहीं है। उत्तर म मतिमण्डन का मन्त्र सभी 5 मिनट ही बानत हैं।

### मतदान प्रणाली

जब विदेशक पर विचार समाप्त होता है तो ताज प्रबार स मतदान होता है। अधिकतर पश्च या विपक्ष म हाथ उग कर मतदान किया जाना है। दूसरा तराका ऐ अपन अपन स्थान पर खड़ा रहका मत प्रकर बरता। तकिन यति बुद्देस्टाग अपन को गिनत म किनारे हो ता मतदान का तीमरा तराका प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके अन्तगत भभी समृद्ध-मन्त्र समा भवन का छाकर बाहर जात है तथा पुन तीन दरवाजा से प्रवेश करते हैं। एक दरवाजा न का यातक है दूसरा न का तथा तीमरा दरवाजा मतदान मे अनुपस्थित रहन का प्रतीक होता है।

### गभीर बातावरण

जिम प्रबार मारतीय नाम सभा मे समय समय पर सत्ता पर व विरोधी दत्ता क दीव उत्तरना गर्मा गर्मी व टप्पें बजान की स्थिति आती है और इसके प्रतीक भान बुद्देस्टाग म प्राय असम्भव नजर आती है। दूसरी दत्ता जाए तो बुद्देस्टाग म रग और जीवन का कमी प्रतीत जीती है तकिन गम्भीरता सोम्यना और अनुशासन की हटि स देखा जाए तो बुद्देस्टाग की बठक का हृष्य रहन ही प्रशसनीय होता है। कमी कुछ बढ़के अत्यधिक नीरस सी नजर आती है। कई मन्त्र अखबार पत्त तथा का पत्रा पर दस्तखत करत देखे जाने हैं। वे पत्र सरकारी भी हो सकत हैं और पारिवारिक भी। उपस्थिति की हटि स भी कई बार बुद्देस्टाग का विनाय भवन जा कि हवार्ड अड के प्रतीक्षानय का चिथ उपस्थित बरता है खानी नजर आता है। विभिन्न उपस्थिति की हटि स भी उनमें बार बुद्देस्टाग का विनाय भवन जा कि हवार्ड अड के प्रतीक्षानय का चिथ उपस्थित बरता है उनमें से भी कुछ आपस म बाने बरत नजर आत हैं। विरोधी दत्ता भी गम्भीरता व अनुशासन-बद्ध दण स बानत हैं और सरकारी पक्ष भी उमी प्रबार उत्तर दता है। तकिन प्रधम बुद्देस्टाग (1949-19 3) म का बार गम्भीर्मी के हृष्य दप्तन म आय। उस

समय सोशन डमोकेटिक पार्टी के नेता कुट शुभावेर बहुत ही जबलनशील भाषण देने के लिए विस्थापित थे। एक बार तो उन्होंने चासनर ग्रानेश्वार को जमन जनता का नहीं बरन् मित्र राष्ट्रा का चासलर तक कह दिया। इस पर आपति की गई तथा विरोधी दल के नेता शुभावेर को सन्न छोड़न वा कहा गया और विरोधी सदस्यों द्वारा वहिंगमन भी किया गया। प्रथम बुन्देस्टाग में कुछ भाष्यवारी सदम्य भी जोर शार से बालत थे तबिं 1953 के बाद बुन्देस्टाग की बठक का बातावरण नमूना शात और शान्ततर होता गया।

## बुन्देसराट

समीक्षीय प्रणाली के अन्यगत एकात्मक ग्रासन में एक सन्न या निःसन्नीय प्रणाली की यत्वस्था होती है लेकिन सधीय राय में दो सदनों की व्यवस्था अनिवाय मानी जाती है। भारत व अमेरिका की भाति फन्नरल जमनी में भी निःसन्नीय प्रणाली है। बुन्देस्टाग समस्त जनता द्वारा निवाचित सम्प्रत्यक्ष होने के नाते जन प्रतिनिधि सत्या है तथा बुन्देसराट रायों का प्रतिनिधित्व करती है। सद्वातिक हृष्टि स नितीय सन्न का अधिकार व कार्यों की हृष्टि से दो वर्गों में बाटा जा सकता है—

(1) सशक्त नितीय सन्न

(2) उपयोगी द्वितीय सदन।

अमेरिका में सशक्त द्वितीय सन्न है तो भारत में उपयोगी नितीय सदन। सशक्त नितीय सदन से तात्पर्य यह है कि अधिकारों की जटि से वह लोकप्रिय सन्न की तुलना में निवल नहीं होता। उपयोगी नितीय सदन लोकप्रिय सदन की तुलना में निवल व प्रभावहीन होना है। फ़इरन नमूनों का द्वितीय सदन बुन्देसराट सशक्त नितीय मन्त्र तथा उपयोगी सन्न वा मिशन रूप है। कुछ मामलों में वह अमेरिकी मीनेट की भाति सशक्त है तो कुछ मामला में वह मारतीय राय-समा की भाति उपयोगी।

## बुन्देसराट का गठन

वेसिक वा के 50 वें अनुच्छेद के अनुमार लॉडर (रायो) बुन्देसराट के माध्यम से सघ व कानून नियाएं व प्रशासनिक कार्यों में माग लेंगे। बुन्देसराट के गठन व वारे में अनुच्छेद 51 निम्नलिखित व्यवस्था करता है—

बुन्देसराट व मन्त्र राय-सरकार के सम्म होंगे। राय-सरकार जो उनकी नियुक्ति व वापस बुनान का अधिकार होगा।

इस हृष्टि स देखा जाए तो गठन वी हृष्टि स फ़इरन जमन बुन्देसराट अमेरिका की मीनेट तथा मारत वी राय-समा से नियन्त्र है। अमेरिका में मीनेट में सम्मति का निवाचन प्रत्यक्ष रीति से होता है। मारत वी राय समा वे सदस्यों वा

चुनाव मध्यद्वारा राज्य की विभान समाप्त करता है तबिन तुलसराट के सदस्य अपने अपने राज्य के मत्रिमण्डन के सन्स्थ होते हैं।

फटरन जमन बुद्देशराट (राज्य सभा) में यह भी भवानी प्रया है कि यदि सन्स्थ स्वयं कायवाही में अनुपस्थित रह तो वह अपना प्रतिनिधि भज सकता है। इन स्वानापन प्रतिनिधियों की मूँचों भी प्रत्यक्ष राज्य मरकार तयार करती है।

वसिक ताव अनुच्छेद 52 के परिच्छेद 2 के अनुमार तुलसराट में प्रत्येक राज्य का कम से कम तीन मत (वोट) 20 वार से अधिक जनसंख्या वाले राज्य का 3 मत (वोट) तथा 60 वार से अधिक जनसंख्या वाले राज्य ता० मत (वोट) प्राप्त होता है।

उक्त व्यवस्था के अनुसार विभिन्न राज्यों का जमन बुद्देशराट में निम्नांकित स्थान प्राप्त है—

राज्यों का नाम	सन्स्थों की संख्या
बालन यूटमवग	5
बड़ेरिया	5
द्वं मन	3
हाम्बुग	3
हस	4
नागर सवसनी	5
नाय राई बम्पानिया	5
राजनगण एनटीनट	4
सारनग	3
शनपविग हास्टार्न	4
पश्चिम वर्जिन	4

इनमें से पर्यावरणी वर्जिन के प्रतिनिधियों को मताहकार का दबा प्राप्त है। इस प्रतार जमन बुद्देशराट में 45 प्रतिनिधि बठते हैं जिनमें से वर्जिन के चार प्रतिनिधियों को मताधिकार प्राप्त नहा है।

प्रत्यक्ष राज्य उत्तर ही सम्मेज सकता है जितन बोट उसे प्राप्त है। प्रत्यक्ष राज्य (उण्ड) के प्रतिनिधि एकमात्र (ब्लाउ बोट) मतदान करेंगे।

### काय प्रणाली

अपने वाय-मचानन के लिए तुलसराट वसिक ताव के 50 से 53 तक के अनुदेश पर आधारित है। 31 जुलाई 1953 में बुद्देशराट ने अपने काय सवानन के लिए कायविधि के नियम बनाये।

### बुद्देशराट अध्यक्ष

बुद्देशराट का अध्यक्ष एक वय की अवधि के लिए चुना जाता है (वेसिन ला अनुच्छेद 52 (I))। यह उन्नतवीय है कि फटरन जमन विभिन्न ताव अनुगत

उप राष्ट्रपति के पद की यस्ता नहीं है। मारत म तो राज्य सभा की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है। लेकिन बुन्देशराट के महत्व म बढ़ि करने तथा उसे उपयुक्त सम्मान देने के लिए विभिन्न लोगों के अनुच्छेद 57 का अत्यंत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का भार बहन करने म असमर्थ हो तथा उसका पद समय से पूर्व रित हो जाता हो तो बुन्देशराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद सम्भालेगा।

बुन्देशराट की कायदाही वा मत्तानन करते समय अध्यक्ष को लगभग वर्ती अधिकार प्राप्त हैं जो बुनेशटार के अन्य वा बुन्देशटार के सचानक वा इप म प्राप्त हैं।

### बुन्देशराट समितिया

बुन्देशराट के अत्यंत दो प्रकार की समितिया होती हैं—(i) स्थायी समितिया तथा (ii) विशेष समितिया। विभिन्न नाम के अनुच्छेद 52 (4) के अनुमार लेण्ड (राज्य) सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति बुन्देशराट की समितिया म भाग लेंगे। स्थायी समितिया की स्थाया प्राप्त 12 के आतपास होती है। समय समय पर विशेष प्रश्नों पर विशेष समितिया वा नियुक्ति की जा मन्त्रा है। स्थायी समितिया म प्रत्यक्ष राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। व्यक्ति के समितिया म राज्यों का समान प्रति नियति प्राप्त होता है। य स्थायी समितिया लाभार उही विषयों पर विचार करती है जिन विषयों पर बुनेशटार की समितिया विचार करती है। बुन्देशराट का अनिवाश काय समितियों द्वारा होता है। एनार्ड ज हार्ड्नार्ड्मार के अनुमार बुन्देशराट के सभी सदस्य लेण्ड (राज्य) म मारी होते हैं व मर्हीन म एक या दो बार बान अत हैं तब बुन्देशराट की बढ़क मे भाग नहीं है। उस समय तक सभी प्रस्ताव समितिया द्वारा नदार वर निए जाते हैं। 99 प्रतिशत मामलो म एक वा मिन सभा की कायदाही वरती है जिसे पूरा अधिवेशन म स्वीकार कर दिया जाता है।<sup>1</sup> सभा की कायदाही

बुन्देशराट का पूर्ण अधिवेशन अधिवाशत सामाज्य विचार विमन औपचारिक मनदान तथा बन्नी-क्षमार राज्य विशेष के इतिकोग का प्रन्तुत वरन व तिन भागणो से युक्त होता है। जिस प्रकार बुनेशटार म स्वतंत्र मुक्त तथा सक्रिय बहु होते हैं वही बहन बुनेशराट म नहीं हैं वा वा वा प्रतिनिधि शान्ति अपनी राज्य सरकारा से नियन प्राप्त करते हैं। यहा गरमागरम बहस व तिन व्यक्ति गुजारा है। सामाजिक तथा कायदाही गम्भीर वानावरण म होती है। बुन्देशराट सम्पादन म वा या तीन दिन काय करती है।

### सभा की अवधि

तकनीकी दृष्टि म ऐया जाए तो बुनेशराट एक स्थायी समया है जो निरन्तर कायरत रहती है। उसका कोई सत्र नहीं होता तथा बुनेशटार की भाति प्रत्यक्ष घाम

(1) एवाइ ज एर्ड हाइमार दा गवनमें न बाढ़ जमनी (सन् 1955) प 121

चुनाव के बाद नये चेतिक नहा आते। लक्षित यदि राज्य विभाग में आम चुनाव व बाद सरकार बदलना है तो बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में भी परिवर्तन होता है।

### मतदान प्रणाली

बुद्धिमत्ता की कायवाहा के अन्तर्गत मतदान भएगानी से प्रकार है—राज्य ने नाम घोषित किये जाते हैं तथा उस राज्य के समस्त प्रतिनिधि एकसाथ (एन-टाक) मतदान करते हैं। यद्यहार में एक राज्य की ओर में एक चेतिक हाथ खड़ा करता है या या ना में मतदान करता है। यह एक ध्यानिक अपने राज्य के भी बोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जब दु सराट में मतदान होता है तो 10 राज्य खड़े रुप जाते हैं जो कुन 41 बोटों से प्रतीक होते हैं। 11व राज्य (पश्चिमी वर्तिन) के 4 प्रतिनिधियों का बार दन का अधिकार नहा है यद्यपि वे सदन की कायवाही में हिस्सा नहा है तथा विधि भुदा पर सजाह देते हैं। सामाजिक कानूनों पर पूरा बहुमत तथा सशोधन के मामले में 2/3 वार्डों वी आवश्यकता होता है।

विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत व देसराट को विधायिका एवं पश्चामनिवार अधिकार प्राप्त हैं। यह राज्यों की प्रतिनिधि सम्बन्ध है तथा राज्यों के नितों का प्रभावित करने वाले मामी कानूनों—प्रशासनिक वर सम्बन्धों तथा ऐतीय कानूनों—में इसकी मम्मति का शास्त्रिक महत्व है। इनको मम्मति के द्वारा भी बुद्धिमत्ता में कुछ नहा किया जा सकता। इसी प्रकार सर्वधान में सशोधन करने के लिए भी व देसराट के 2/3 सदस्यों का सम्मत आवश्यक है। यद्यपि सभी कानूनों के मामले में भी भी निरन्तरी-निपद्धायिकार (मस्तकारी बारों) प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमत्ता चाहे तो एक बार किसी भी कानून वा पुनर्विचार के लिए बुद्धिमत्ता के पास भी सकती है।

### सामाजिक विधयक

सामाजिक विधयकों के मामले में बुद्धिमत्ता अपने प्रस्तावित सशोधना सहित विभाग को पुनर्विचार के लिए भी ज़रूर सकती है। बुद्धिमत्ता पर वह यह भी माम वर सकती है कि शमुख विधयक वर्ष मयुक्त रूप से विचार करने के लिए मध्यस्थिता समिति वी बठक बुद्धिमत्ता जाए। जमा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है मध्यस्थिता समिति में 11 सदस्य बुद्धिमत्ता तथा 11 ही सदस्य बुद्धिमत्ता की ओर से चुन जाते हैं। बुद्धिमत्ता भी चाहते पर इस समिति की बढ़ती भी माम वर भी सकती है। विभिन्न राज्यों व उन्हें विभिन्न रूप से अनुसार बुद्धिमत्ता चाहे तो सामाजिक विधयक को अस्वीकार वर सकता है। एमी स्थिति में बुद्धिमत्ता उस पर पुनर्विचार कर उसे पारित वर सकती है तकिन यह आवश्यक है कि यदि बुद्धिमत्ता ने उस विधयक को बदलने में अस्वीकार किया हो तो बहुमत से ही बुद्धिमत्ता उस पारित कर सकती और यदि बुद्धिमत्ता न उस 2/3 बहुमत से अस्वीकार किया हो तो उस पारित करने के लिए बुद्धिमत्ता भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती।

### अध्यादेश

प्रशासन के क्षेत्र में भी बुद्देसराट का इस महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। वैसिक ला के अनुच्छेद 80 के परिच्छेद 2 के अंतर्गत अधिकारा अध्यादेश तथा प्रशासनिक नियमों के प्रभावी होने के लिए बुद्देसराट की स्वीकृति आवश्यक है।

### विधायिका-सकटकालीन विधेयक

वैसिक ला के अनुच्छेद 81 के अनुसार यदि बुद्देसदाग उस विधेयक को अस्वीकार कर दतो है जिसे राष्ट्रीय सरकार ने अत्यावश्यक घोषणा होता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बुद्देसराट की सहमति से उस विधेयक का सम्बन्ध में विधायी सकट काल की घोषणा कर सकता है। विधायी सकट-काल की घोषणा के बाद भी यदि बुद्देसदाग उस विधेयक को ऐसे रूप में स्वीकार करती है जो सध-सरकार को अमान्य है और ऐसी स्थिति में बुद्देसराट उस विधेयक का स्वीकृति दे दता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक के सम्बन्ध में विधायी सकट-काल की अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद वह कानून समाप्त हो जाता है। एक ही चामतीर कायकाल में एक बार ही विधायी सकट-काल की घोषणा की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विधायी सकट-काल की स्थिति के अंतर्गत वैसिक ला में संशोधन नहीं किया जा सकता न उसे निरस्त किया जा सकता है।

### संघानिक सशोधन

फड़रल जमन वैसिक ला में सशोधन करने के लिए भी बुद्देसराट की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 79 (2) के अनुसार वैसिक ला में सशोधन करने के लिए बुद्देसराट के 2, 3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।


### बुद्देसराट का महत्व

बुद्देसराट क्वान बुद्देसदाग रूपी मानीन का पुजारी नहीं है। यह बुद्धिमान व्यक्तियों की समिति है। राष्ट्र के हितों के मामलों में सको च्छ्या सर्वोपरि है। इसी प्रकार वैसिक ला में सशोधन के समय इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह बैचल विधायिका संसद्या न होकर प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भपन गठन की हृष्टि से भी यह एक अनाली मस्त्या है जिसके विश्व में बुद्देसराट हो एक ऐसा नितोष सदन है जिसमें सदस्य विनिमय राष्ट्रों के मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। यदि पिछ्ने 8 वर्षों में बुद्देसराट के काम का अवलोकन करें तो प्रतीत होगा कि उसने बहुत ही रचनात्मक हृष्टिकोण भपनाया है। सोरे में यह संसद्या जमन संसद्या यदस्या की मिश्र दागनिक तथा पर प्रनिषिद्ध है। विधेयक क्षेत्र का नून बनता है?

कानून निमाण के क्षेत्र में फरन जमन समर्ग उसी प्रकार बाय भरती है जिस प्रकार भाय ननतानिक राष्ट्र करते हैं। विधेयक तीन प्रवार व हात हैं—

## संघीय संसद

- (1) सामान्य विधेयक
- (2) घन विधेयक (बजट)
- (3) सशोधन विधेयक।



यहां हम सामाय विधयक पारित हानि सम्बंधी प्रक्रिया का दण्डन करेंगे। पर्ल विधयक का निर्माण होता है फिर उसे औपचारिक रूप से पश्चिाया जाता है तत्पश्चात् उस समिति या समितिया में विचाराय भेजा जाता है। तब वाचन होता है वार्ता विवार के पश्चात् भर्तनान होता है। अन म राष्ट्रपति के अन्ताभर वा वार्ता संघीय राजपत्र (फॉरल गजट) म प्रकाशित किया जाता है। एक विधेयक कानून बनने तक कई चरणों में से गुजरता है जिसका विवरण इस प्रकार है—

(चित्र पृष्ठ 135 पर देखें)

### विधेयक का प्रारूप

विधेयक म प्रस्तावित कानून का प्रारूप तयार किया जाता है। को-बुन्सराट या बुदेस्टाग का सदस्य या सरकार का मानी कानून का प्रारूप समझ के ममत्ता उपस्थित कर मकता है। बुन्सराट जा भो विधेयक प्रस्तुत करती है वह मध्य सरकार के माध्यम से बुदेमटाग के समझ आता है। सामायतया 2 से 3 प्रतिशत विधेयक ही बुन्सराट से आरम्भ होते हैं। उगमग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत निय जान हैं बाबी 15-20 प्रतिशत विधेयक बुन्सराट के सम्म व्यतिरित रूप म प्रस्तुत करते हैं। गरहाड़ ल्योबनदग के अनुमान तरबारी विधेयक जो सभी विधेयकों के 75 प्रतिशत क उगमग होते हैं निम्न चरणों से गुजरते हैं। 1) मन्त्रालय म निमाण (2) बुन्सराट म प्रथम पारण (3) बुन्सटाग म प्रथम वाचन (4) समिति म प्रस्तुत (5) बुदेस्टाग म निताय वाचन (6) बुन्सटाग म तृतीय वाचन (7) बुन्सराट म नितीय व तृतीय वाचन (8) राष्ट्रपति द्वारा अन्वयित होकर घायित होता है।<sup>1</sup>

### मन्त्रालयों में निमाण

जसा कि ऊपर बहा जा चुका है उगमग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार द्वारा तयार होते हैं। विधेयक यनि आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है तो भ्रम्य मन्त्रालय समाज से सम्बद्ध हैं तो सामाजिक मानवादे मन्त्रालय प्रीत नगर निमाण से सम्बद्धित हो तो उससे मन्त्रालय विधेयक तयार करते हैं। वा विधेयक एस भी होते हैं जिसम दोन्हीन मन्त्रालयों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी नियनि म प्रारूप वह मन्त्रालय तयार करता है जो उसम विशेष रूप म जुँग होता है। एम मन्त्रालय को मूल मन्त्रालय (मूल) की सजा दी जा सकती है। दूसरे मन्त्रालय उसके प्रारूप के निर्माण म सम्मान देत है अत उह सहायता मन्त्रालय (सम) वा जो सकता है।

### बुन्सराट में प्रथम पारण

मन्त्रालय विधेयकों का पहले बुन्सराट म भेजा जाता है। तीन मण्डलों की अधिकारी म बुन्सराट उस प्रस्तावित विधेयक में परिवर्तनों की मिपारिश कर सकती है।

यहि इस प्रविधि में वर्तमान वर्ता तो यह मान दिया जाता - हि न्यू विल्क  
इस न्यू में "न्यूना" है। परिचालन का स्थिति में बुल्डार विप्रक वा सूत न्यू में  
बुल्डार न जाता है मान तो एह न्यू में प्रस्तावित परिचय विलिन न्यू में  
जाता है। यह प्रशिक्षण बुल्डार तो प्रथम नाम बदला है।

### बुल्डार में प्रथम वाचन

बुल्डार ये प्रथम पास्टर क वाचन विल्क नोडर बुल्डार में प्रथम  
वाचन क लिए आता है। प्रथम वाचन में लिल्डार क सरकूत निलाल्सार दर  
विचार जाता है। अच न्यू में "नम ग्रामनि" या नामवत "न्यून न्यू दिया जा  
जाता है। यहि ग्रामनि प्रस्तूत कर तो तो "न्यू - लिनि" क लिए बुल्डार क 2 व  
बृन्धन का आवाजना देता है। नामान्यूना प्राइविल बुल्डार लिनि  
या न्यूनिलो वा विचाराना नोड दिया जाता है।

### समिति में विचार

बुल्डार में प्रथम वाचन के वर्तवाद विल्क समिति या समितिया वा नोड  
दिया जाता है। समिति ग्रामा समितिया लिल्डार क समा एक दिल्ली विल्कर में  
विभार करता है। समिति में विल्कर राजनारिति वा क विल्कर जल है लिल्ड  
नाम का नाम लगा जाता है। समिति द्वारा समितिया लिल्डार में प्रस्तूत  
प्रस्ताव सहित लिल्डार का न्यू बुल्डार क सम्मुख नेतृत्व है।

### बुल्डार में द्वितीय वाचन

समिति ने लैन्डर वर्त विप्रक पुन बुल्डार क सम्मुख जाता है। यहि  
विप्रक का समिति के पास लिलागया नहीं रखा जाए वा प्राप्त वाचन के न्यूट न्यू  
लिन लिलार वाचन के लिए प्रस्तूत किया जाता है। यहि लिल्डार समिति का भूता  
जाता है तो ग्रामनि का लिल्डार के प्रसारण र ल्यू लिन लिना वाचन होता है।  
लिलाय वाचन के समा या नामान्यून का लिल्डार लिल्डार जाता है। बुल्डार वाह  
तो एक दर भूता है बुधा लिल्डार का वाचन या लिल्डार के लिए वाचन है। लिल्डार  
तौर पर एक घारा पर मठावन जाता है जाकर यहि बुल्डार चाह तो के  
घाराघारा पर एकमात्र या भूता है उद्दिन एक लग क या में नार विवाह  
सुमालन जन क नार नामान्यून लिल्डार दिया जा सकता है। लिल्डार वाचन के चरण  
में लिल्डार का पुन इस नामान्यून या मौरा या सक्ता है लिल्डार वाचन में लिल्डार  
पूर्व हो जा सकता है। यहि या नामान्यून होल दर उपर या भूता भूता जाता है।

### बुल्डार में तृतीय वाचन

बाय विप्रिलियम के एरिन्ड्र 93 के पर्वत लिना वाचन का समाजि  
क दूनर लिन बुल्डार में लिल्डार का तृतीय वाचन के लिए न्यून दिया जाता है।  
यह समाप्त वार विवाह के लिल्डार के दूरी दर या लिल्डार या है। तृतीय

वाचन के दोरान सशोधन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं लिंग ऐसी स्थिति में सामाय बाद विवाद के बारे सशोधन पर अलग से विचार किया जाता है। यहाँ यह उत्तेषणीय है कि तृतीय वाचन के समय सशोधन प्रस्तुत करने के लिए उतने सदस्यों के समवन की आवश्यकता होती है जिनमें सदस्य मिल कर सहीय दर का निर्माण करते हैं। सहीय वाचन के अत म प्रस्तावित विधेयक वी स्वीकृति के लिए 15 सदस्यों की जहरत होती है। तृतीय वाचन के अत म प्रस्तावित विधेयक वी स्वीकृति के लिए 15 सदस्यों की जहरत होती है। स्वीकृति के लिए बहुमत वा आवश्यकता होती है।

### बुद्देसराट में पारित होने वी प्रक्रिया

जब एक विधेयक बुद्देसटाग में पारित हो जाता है तो उसके बाद वह बुद्देसराट में भेजा जाता है। विधेयक पहुँचने के बाद दो मप्ताह की प्रवधि में बुद्देसराट को या तो विधेयक वी स्वीकृति देनी होती है या यदि वह चाहे तो मध्यस्थता-समिति की बठक की माग वर यक्ती है। यदि बुद्देसराट विधेयक को बहुमत से प्रस्तुत करती है तो बुद्देसटाग पुनः इसे बहुमत से पारित कर सकती है यदि बुद्देसराट उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकृत करती है उस विल को पारित होने के लिए बुद्देसटाग के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है (अनुच्छेद 77)।

### कानून को घोषणा

दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उस पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही माथ सम्बद्ध मरी या चासलर के हस्ताक्षर भी जहरी हैं। हस्ताक्षरों के बाद वह संघीय गजट में प्रकाशित किया जाता है (अनुच्छेद 82)। प्रकाशन के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

फड़रउ जमनी ने अपने समद के 16 वय के जीवन कानून में घोस्तन प्रतिवर्प 125 कानूनों का निर्माण किया। प्रथम बुद्देसटाग ने 545 वित्तीय न 507 तृतीय बुद्देसटाग ने 424 तथा चतुर्थ बुद्देसटाग ने 428 कानून पारित किए।

### विद्युत गति-कानून

कई बार बुद्देसटाग कानून निर्माण के मामले में अत्यधिक शीघ्रता बरतती है। यद्यपि बानूनी हॉटिं स प्रमाण उसके प्रथम वित्तीय तथा तृतीय वाचन आवश्यक है नविन यदि सभी सहीय दर पूर्व स्वीकृति दें तो कानून निर्माण का काय शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। कुछ वर्षों पूर्व दुन दा दिन म ही बजट पारित कर दिया गया। इस बजट म 300 अरब मार्क का व्यय दियाया गया था। इसी प्रवार सामाय विधेयक को विद्युत-गति से पारित किया जा सकता है। इस प्रवार पारित कानून को जमन भाषा म निटजगेसेट ज (विद्युत गति कानून) कहा जाता है। ऐसा कानून कुछ मिनट म ही पारित हो सकता है।

□□□

## त्यायपालिका

उमनी म एवं बचना प्रब्रह्मिते ना प्रा क गाहू फैदरिक मण्‌न् (1740-1786) तथा एवं पवन चक्रा क मारित म सम्बद्ध है। वर्तिन क निवृत्ति पाठमध्यमन म राजा का सामना-मी नामक दूा व मान था उमर पास हा एवं पवन चक्रा थी जिसका निरन्तर नव-बचन्न म राजा क शाराम न प्रवेष्ट था। राजा न आज्ञा दिया कि पवन चक्रा का मारित “न इन्हर वर”। पवन चक्री व मारित न “यम् इहार वर दिया। तब राजा न घमड़ी भी कि व अपन मनित राजा म वर वर पवन चक्री तुंबा”यो तो उमर मारित का जनावर था— न यहि वर्तिन म सर्वो व यायात्रय न। याता तो एम्या सम्बद्ध था। पवन चक्री व मारित या “गाहान्त्रे यायाधारा” म पूर्ण भगवान् था कि व राजा क विन्दु उमर अविकाश का रखा करेंग। परं उन्नवनीय है कि फैदरिक महान् तारानान् युरोप क सबस अधिक निरस्ता गामका म म एवं था “मह वापू” एक सामाय ग्रामा याय का भावना म प्रतिर दृष्टक उमका विषय करन का सात्मक वर सदा। यह कहाना उमना क निष्ठन् याय की क्षमती का उद्दृष्ट प्रताक्ष है।

जमना म स्वतन्त्र एवं निष्ठन् यायाधिका की परम्परा मन्दिरो म चरी प्रा रहा है। राजनीत क युग म भा मामा २ उनना म यम् विश्वान् प्रवतिन था कि नार्म गति किनत ना उच्च पर विश्वामी दूा याय क नम्ब हारा म नग वच मक्ता और न वह “यायाधारा” पर नश्वर ना हार मरता है। जमन वानून म यदूरायाय वानू औ सिद्धाना तथा परम्परा पर ग्रामान्ति रहा है ना मध्य युग म रामन वानून वा स्वाहृति न्ना था।

अपन वनमार रूप म उमन वानून गमन वानून जमन राति रिवाजा विश्वाय तथा कुद्र या नर विश्वी वानूना म प्रभावित है। “नमान यादिक व्यवस्था का तम 1877 क यादिक मगरन ग्रधिनियम क साथ हासा है। “म ग्रधिनियम न 1871 म निष्ठन मध्य र सभी सम्ब्य गांगा क तिए समान दीवानी तथा फौनशाग वानूना का यवस्था की। 1919 म जर उमना म वामार गणतन्त्र वा उन्न्य ग्रा तथा गमन गतवाय “ति वा स्नान मध्य जनना बनी तेव भा यादिक व्यव दा ग्रधिकान 1917 क ग्रधिनियम पर हा ग्रापारित रही। हिन्दूर व कुम्भात् व पर गणन क सम्ब्य ना 12 वय (1932-1945) तब चना यायाधीगा को ना सी राय वा पुजा वतन का बाय्य किया गया “मह वापू” भी

एसे कई 'यायाधीश' य जिहाने तानाशाह हिटलर के आगें का सम्मुख मुक्तन के दबाय पद रखागना प्रस्तुत किया। 1949 म फरल जमनी (पश्चिमी जमनी) का एम हुआ तथा एक विाद तथा 'यायपूण यायिक व्यवस्था' का उदय हुआ।

जनतन की सफलता के लिए तीन समझ आवश्यक हैं एक स्वतंत्र 'यायिक व्यवस्था' सुक्रिय सम्पद तथा सांग प्रस (समाचार जगत)। फरल जमनी म हम जन तीनो स्तम्भों के दान हात हैं। सरकार के तान अग हात है—विधायिका सभा वायकारिणी और 'यायपालिका'। इसम 'यायपालिका' का विशेष महत्व है। यनी बारण है कि इन तीमरी शक्ति की सत्ता ना गू है। फरल जमनी एवं सध राय है जिनके अन्तर्गत 11 नदस्थ राय हैं। यहा सधीय तथा राय 'यायानया' की व्यापक व्यवस्था का गड़ है।

### सधीय 'यायालय'

वेस्टिंग ला के 92वें अनुच्छेद के अनुसार 'यायिक इतिया यायाधीश' मे निहित हागी इन शक्तियों का प्रयोग सधीय संवधानिक 'यायालय' तथा राय (लेण्डर) 'यायालय' द्वारा—वेस्टिंग ला के अनुमार—किया जाएगा (देखिए वित्र पृष्ठ 141 पर) जमन 'यायपालिका' की एक विशेषता यह है कि यहा विविध विषयों के लिए अनुग्रह अनुग्रह सधीय 'यायानय' हैं। उसके विपरीत भारत म एक सर्वोच्च 'यायानय' ही है। जमन सधीय 'यायालय' निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है—

'यायालय' का नाम	स्थान जहा स्थित है
(1) सधीय संवधानिक 'यायानय'	बालसूठ
(2) सधीय न्यायानय	बालसूठ
(3) सधीय अम 'यायानय'	बासेत
(4) सधीय प्रशासनिक 'यायानय'	पश्चिमी बर्तिन
(5) सधीय साम्राज्ञिक 'यायालय'	बामेल
(6) सधीय राज्य-कापीय (जिम्बल) 'यायालय'	म्यूनिसिप

इसके अतिरिक्त सधीय पटटन्यायालय म्यूनिसिप म सधीय अनुशासन-न्यायालय फ्रावफुट (मेन नदी पर स्थित) तथा सनिक सवा-यायालयों की भी व्यवस्था है। इन 'यायालयों' के लिए सध जिम्बदार है।

### राज्य (लेण्डर) 'यायालय'

सधीय 'यायालय' के अतिरिक्त राया के भी प्रपत्त 'यायालय' हैं। राय सधीय बानून की परिधि म रहते हुए इन जनकों राय 'यायानय' के प्रति प्रपत्त उत्तरदायित्व निभाते हैं। ये राय-न्यायालय हैं—

- (1) प्रथम चरण 'यायानय' (कोर आफ फस्ट इस्टास)
- (2) द्वितीय चरण 'यायालय' (कोर आफ सेक्युरिटी इस्टास)

संघवराज्यों के न्यायालय

संघीय वायालय	राज्यों के न्यायालय
भवधानिक क्षेत्राधिकार	 संघीय क्षेत्राधिकार वायालय
सामाजिक क्षेत्राधिकार	 संघीय वायालय
	 संघीय देवेट वायालय
श्रम क्षेत्राधिकार	 संघीय जन न्यायालय
परासनिक क्षेत्राधिकार	 संघीय प्रकल्पीक न्यायालय
सामाजिक क्षेत्राधिकार	 संघीय सामाजिक वायालय
प्राधिकीय (वित्तीय)	 संघीय प्राधिकीय वित्तीय

) विवेदिका विभाग से व न्यायालय  
) एवं अनुर न्यायालयीक विभाग से वृत्तिशाली

राय यायानय के पमना के विरुद्ध अगल या नांगोधन के लिए सघ के पाद यायानय (सबधानिक यायानय का विशेष तथा नित्र स्थिति है) म आवश्यन दिया जा सकता है। कार्य व्यक्ति पूर्ण राय-न्यायालय म आवदन करेगा उसके बाद वह सघ-न्यायालय म अपाल या संशोधन कर सकेगा। राय-ग के यायानय संघीय कानून तथा राय-ग के कानून के आधार पर निराय दत है। राय-ग (लेख) के अपन सबधानिक यायानय भी हैं तो राय के सविधान के सम्बन्ध म निराय नेत है। तो कि पन्न ही सकत किया जा चुका है फ रल जमनो के राय-ग के अपन अन्ना अन्ना सविधान भी है तेक्का य सविधान संघीय विक्क ला तो सीमांग्रा म रायकर ही बनाय गय है। राय के सबधानिक सविधान न्यायालय राय-न्यायालय (स्टट कोर्ट) के नाम म जान जात है।

### विविध क्षेत्राधिकार

जमन यायपालिका समठन का एक विशेषता यह है कि यह माठन के अन्ना तथा स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार म विभाजित है। यह विभाजन व्य प्रकार है—

(अ) सबधानिक क्षेत्राधिकार—सबधानिक यायालय रायनीक वानूनो पर विचार करत है। वानमूर्त नगर म न्थिन संघीय सबधानिक यायानय इम भव म सर्वोच्च यायपालिका मस्था है। सवाय सबधानिक यायानय सविधान (वसिक गा) की यायानय तथा उमडे नाग हान के सम्बन्ध म विश्व हान पर निराय देता है। वह यह तय करता है कि को मा वानून विक्क ना के अनुमार बना है या ना। साय भी मन्मय राज्यो तथा। मध क बीच किसी वानूनी विवाह का समाधान भी यरी सबधानिक यायानय करता है। उमडे अतिरिक्त वह नागरिका क मूरमून धधिकारा की रक्षा करन का दायित्व भी निभाता है। संघीय संघानिक यायानय क काय विधि नियम 12 भाच 1951 म पारित संघीय सबधानिक यायानय अधिनियम पर आधारित हैं।

राय के सबधानिक यायालय (राय-न्यायानय) क भाय भी इसी क समान है विशेषत वह राज्य विशेष क सविधान की व्याप्ता करता है।

### सामाय, दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार

दावा तथा फौजदारी के क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध मामला तामाय याया संघीय यायानय म प्रस्तुत किय जात है। न यायानय की सरचना गणनय सरचना अधिनियम 1877 पर आधारित है तन उमम वनमान आवश्यकनामा क मनुष्यप माधवन किए गए हैं तथा उपन नवीन उम म वनका घोषणा 12 नितम्बर 1950 की गय। दीवानी मामला म दावाना यायानय नियम 1877 तथा फौजदारी मामला म फौजदारी यायानय नियम 1877 को आधार माना गया है। फौजदारी यायानय विधेयक नियमा जो 12 सितम्बर 1960 म मानाधित स्प्र प्रस्तुत किया गया है।

लेण्डर (राज्यो) न सामाज्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग -उण्णी (जिता) यायानय लेण्ड (राज्य) यायालय तथा अय उच्च लेण्ड-यायानय कहा है। बवेरिया राज्य म दीवानी व फौजनारी मे सम्बद्ध सामाज्य क्षेत्राधिकार वारे यायानय को मर्वोच लेण्ड (राज्य) यायानय तथा बर्निन म मदन यायानय (नामर गरिश्ट) कहते ह अय राज्यो म नह लेण्ड (राज्य) यायानय कहा जाना है। दीवाना मामना वे अतगत घन व सम्पत्ति सम्बावी मुक्त्यमे तभा फौजनारी कानूना क अतगत मारपीट व दण्ड सहिता क उत्तरवन क मामन प्रस्तुत किय जान तै।

### पेटेट विषयक क्षेत्राधिकार

पेटेट विषयक मामन सामाज्य भेत्राधिकार की एक विशेष शाखा है। पेटेट विषयक मुक्त्यम पन गाय पन्न यायालय म पश किये जाते हैं बाद म उह सधीय यायालय म न जाया जा सकता है। सधीय पेटेट यायालय की रचना 9 मई 1961 क सधीय पेटेट प्रधिनियम पर अधारित है। सधीय पेटेट-यायानय जमन पेटेट कार्यानय क नियम क विस्तृ शिकायता पर फसाना देना है।

### थम-क्षेत्राधिकार

जसा कि नाम मे हा स्पष्ट हो जाना है थम-यायालय मानिक तथा कमचारी क बीच रोजगार सम्ब वी मुद्दा पर विवाद मबदर व प्रबन्धको क बीच विवानो तथा कमचारिया या मजल्लो द्वाग कायानय या कानूनावा के सह प्रबन्ध (का टटरमिनेशन) से सम्बद्ध प्रश्ना पर नियम दता है। प्रयेक राज्य का अपना थम-यायानय हाता है तथा अतिम अपीत सधीय थम-यायानय म बी जा सकती है। सधीय थम-यायानय 3 सितम्बर 1953 म पारित थम-यायानय अधिनियम के अतगत काय वरता है।

### प्रशासनिक-भत्राधिकार

सधीय प्रशासनिक यायानय तथा राज्य प्रशासनिक यायानय प्रशासनिक अधिकारिया तथा जनता क मध्य सावजनिक कानूनो स सम्बद्ध विवादा का फसला करत है। नेकिन कुछ निश्चित प्रशासनिक भत्रा म (सामाजिक बीमा तथा कर सम्बंधी कानूनो वे बारे म विवान के निए) त्रिशेष यायानय की यवस्था है। दर्निन नगर म स्थित सधीय प्रासनिक यायानय मे अतिम अपीत बी जा मवती है। सधीय प्रासनिक यायानय की कायविधि 21 जनवरी 1960 म पारित प्रशासनिक यायालय नियमा स सचावित है।

### सामाजिक क्षेत्राधिकार

सामाजिक क्षेत्राधिकार के अतगत व समी मामन आते हैं जो सामाजिक बीमा युद्ध पीडित व्यक्तिया तथा नकटरा क आयोग से सम्बद्ध विवादा से सम्बंधित हात हैं। यहो कारण है कि इसका अलग क्षेत्राधिकार रखा गया है। सामाजिक क्षेत्राधिकार वा प्रयोग लेण्ड सामाजिक यायानय तथा कासन नगर मे स्थित सधीय सामाजिक यायानय करते हैं। सधीय सामाजिक यायानय वा कानूनी प्राप्तार है सामाजिक यायालय अधिनियम 23 अगस्त 1958।

## वित्तीय क्षेत्राधिकार

वित्तीय या राजकोपीय क्षेत्राधिकार म व मामले समाहित हैं जो करो सम्बन्धी सावजनिक वित्त भारतीय (डिक्री) तथा चुगी ग्रधिकारियों के भारतीय के बारे म विवाद के कारण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लेण्ड (राज्य) म कम मे कम एक वित्तीय या राजकोपीय यायात्रा होता है। अन्तिम अपील सधीय वित्तीय (राजकोपीय) यायात्रा म की जा सकती है। इन सधीय यायात्रा की कायदिकी वित्तीय (राजकोपीय) यायात्रा नियमावलि अक्टूबर 6 1965 पर आधारित है।

## अनुशासन व आनंद क्षेत्राधिकार

यायाधीश सरकारी कमचारी तथा सायसवा कमचारी राज मवा म स्वामि भक्ति वी हॉट से राज्य के साथ विशेष ह्य स सम्बद्ध होते हैं। यहि व अपन कतव्या की अवहलना करते हैं ता उनके विनष्ट अनुशासनात्मक कायवाही वी जा सकती है (उदाहरण के लिए उनकी निवारी की जा सकती है उनके बदन म कमी की जा सकती है और यहा तक कि उह नीकी म वर्वान्न भी किया जा सकता है)। अनुशासन-यायात्रा अनुशासनात्मक बदमा की बधता पर विचार करते हैं। बठोर कदम उठाने का काय सिफ सेना विषयक यायात्रा हा कर सकते हैं। प्रत्यक सवा यायात्रा मे यायाधीशा के साथ कुछ अन्य लोग भी हान हैं जो अपनी अपनी सवारों से सम्बद्ध मामलो के विशेषन होते हैं। ये विशेषन न्यायाधीशा व साय सहयोग करते हैं।

प्रत्येक लेण्ड (राज्य) म उसके बमचारिया व निए अनुशासन-यायात्रा होता है।

सधीय कमचारी आरम्भ म सधीय अनुशासन-यायात्रा मे आवेदन प्रस्तुत वर सकत है उसके नियाय के विनष्ट विशेष सीनेट (अनुशासन-सीनेटो) म अपील की जा सकती है। सधीय अनुशासन-यायात्रा जुन 20 1967 मे मजादित नियमावलि के अन्तर्गत काय करता है।

बुन्सेट्र (सनिक सवारो) के बमचारियो के निए प्रारम्भिक (फर्म इस्टान्स) सनिक अनुशासन-यायात्रा तथा अपील के लिए सधीय प्रशासन-यायात्रा की विशेष शाखा व ह्य म सनिक अनुशासन सीनेट हानी है। पर्व प्रारम्भिक यायात्रा म मुक्तदमा पश हाता है बाद म सीनेट म अपील की जा सकती है। सनिक सवा अनुशासन-यायात्रा वी कायदिकी सनिक-सवा अनुशासन नियमावलि जून 9 1961 से सवालित हाती है।

यायाधीशा के बानूती पर के बारे म जमन यायाधीश अधिनियम मित्रवर 8 1961 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत विशेष यायिक सवा यायात्रा वी स्थापना की गई है। ये यायात्रा यायाधीशा व विनष्ट अनुशासनात्मक बायवाही वत्या पानन म अयात्रा (नम्बी बामारी के कारण) होन पर सवा निवत्ति भारि मामता पर

निश्चय देते हैं। साथ ही उस विवाद पर कमना देते हैं कि अमुक्त कानून या काय आरा यायाधीश की स्वत तत्त्व पर आच आती है या नहीं। राज्य की यायिक सेवा म नियुक्त यायाधीशों के लिए राज्य सेवा-न्यायान्त्रय (प्रथम चरण) तथा याय-सेवा यायान्त्रय (द्वितीय चरण) हान है। पहले प्रथम चरण का यायान्त्रय म आवेदन बरना पड़ना है फिर द्वितीय चरण का यायान्त्रय म। सगठन की दृष्टि से ये स्वतन्त्र यायान्त्रय न ऐसे आप यायान्त्रय के हिस्से हान हैं। अतिम अपीत सधीय यायान्त्रय की विशेष मानव म वीजा जाता है। यायिक सेवा यायान्त्रय आरा राजकीय प्रामिकाना या नाट्याभियाजक (राजनीति प्रामीक्यूनर) विषयक अनुशासन व मामनो पर मी पमना दिया जाता है। नवा प्रमाणका (नाट्रीज) के मामना म अनुशासन क्षेत्राधिकार का प्रयोग क्षेत्र (राज्य) के उच्च यायान्त्रय हारा किया जाता है। अतिम अपीत सधीय यायान्त्रय म वीजा जाता है।

अनुशासन नेत्राधिकार के साथ ही सम्मानजनक यवमाया के लिए भी अनग स भेत्राधिकार होता है। कृष्ण यवमाया म तोण व्यक्ति तथा राज्यीय समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदार हान है। उन यवमाया म दक्षीत परम एजेंट बर-मनाहकार तथा आन्टिम नॉटर दत चिकित्सक पशु चिकित्सक तथा रसायन शास्त्री तथा नसे एव चिकित्सा व्यवसाय आत हैं। इन लोगों के लिए अनग से यायिक यस्त्या है। उन वानून के अनुसार इन यायान्त्रयों की यवस्था व वायवाही हाती है। अतिम अपीत सधीय यायान्त्रय म वीजा जाता है। उन यायान्त्रयों म अनग अनग यवमाय के लोग विशेषण के हृष म यायाधीशों की सहायता करते हैं। ये विशेषण अवतरित यायाधीश (आनन्दरी जज) के हृष म वाम करते हैं।

### यायाधीशों की स्थिति सबधानिक गारटिया

विनिक ना सबधानिक व्यवस्था का मुख्या का विषेष महत्व देता है। दश के सबधानिक दाच की मुख्या ने लिए याय का क्षेत्राधिकार तथा यायाधीशों की स्वतन्त्रता वा विशेष महत्व है। मुख्यम का फमना करत सभय यायाधीशों का किमी भी तरह स प्रमावित नहीं हाना चाहिए इसलिए उमका स्वतन्त्र हाना ग्रावस्थक है। विनिक ना यह गारनी प्रत्यन करता है। अनुग्रह 97 परिदृढ़ 1 के अनुसार यायाधीश स्वतन्त्र होगे तथा मिस कानून के अनन्त होगे। यसका अब यह हृषा ति यायाधीश विधायिका तथा कायपालिका स स्वतन्त्र अग तथा उस किमी भी यामन म निर्णय नहा दिया जा सकता। यायाधीश का दिसा मा सिफारिश व द्वाव वी परवाह नहीं करनी चाहिए। नविन यह भी हो सकता है कि किमी मन्त्री या विमायाधीश वी सिफारिश न मानन पर उस स्थानान्तरित या व्याप्ति किया जा सके। एमी स्थिति म यायाधीशों को रक्षा करने के लिए विनिक ला के अनुदृढ़ 97 (2) पर व्यवस्था करता है कि— स्थायी हृष म नियुक्त यायाधीशों का उनकी इच्छा के विपरीत उनके पना स न व्याप्ति किया जा सकता न स्थायी या प्रस्थायी

तौर पर निलम्बित किया जा सकता या न ही दूसरा वाय करने का रुहा जा सकता या अधिक से पहले मवा निवत्त नहा किया जा सकता । यदि ऐसा करता तो तो वह यायिक निरण द्वारा लिपि कानून का आधार पर ही किया जा सकता । इस प्रकार अपनी कार्याधिक म सिद्धान्त यायाधीश का न तो हटाया जा सकता है और न उसका स्थानान्तरण ही किया जा सकता है । ऐसी व्यवस्था आवश्यक या कार्यक निजी स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष होने की स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है ।

### कानूनी स्थिति व यायाधीश के प्रकार

वसिक ना क 92 वें अनुच्छेद क अनुमति यायिक शक्तिया यायाधीश म निहित हाई । उस प्रकार यायाधीश याय प्रशासन के अधिकारी हैं । सामाजिक दो प्रकार के यायाधीश हात हैं—

- (1) यावसायिक या पेशवर (प्राकान्तर) यायाधीश
- (2) सम्मान-भूचक या प्रबत्तिक (आनंदरी) यायाधीश

यावसायिक या पेशवर यायाधीश व हाने हैं जिहान बनानिक एवं यवस्थित प्रशिक्षण निया हा विश्वस्त्र याय के नेत्र म तथा निधारित परीक्षा पास की जा । आनंदरी यायाधीश वे लाग (सामाजिक व्यक्ति) हैं जो विशेष कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत याय प्रशासन म मद्दत देत हा ।

### पेशवर यायाधीश

सिफ वही यहि पेशवर (प्राकान्तर) यायाधीश वन सकता है जिसे दो राजकीय परीक्षा पास की है । य परीक्षा है—जूनियर वरिस्टर या रेफरेंडार तथा सहायक यायाधीश परीक्षा या ऐसेसोर परीक्षा । जमन विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष कानून का प्रोफ्सर भी यायाधीश क पद पर नियुक्त हा सकता है ।

### प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय म याय शास्त्र की पठाइ के साथ ही कानूनी प्रशि गण आगम्भ होता है जो कम से कम 3<sup>1</sup> वष तर जारी रहता है । यके बार उम्मीदवार प्रयम परीक्षा (रेफरेंडार या जूनियर वरिस्टर) पाप करता है जो विश्वविद्यालय म न होनेर याए प्रशासन द्वारा आयाधीश वी ज्ञानी है । यम परीक्षा क पचात् दो<sup>2</sup> वष तर आरभिक सेवा आरम्भ हाती है जिसे रेफरेंडार पीरियड कहा जाना है । यह टाइ वष चतुर्ती है । य अवधि म जूनियर वरिस्टर विविर याना—जीवनी पीत्र दारी प्रशासनिक तथा अय यायिक प्राप्तमनिक ऐसो म मक्किय प्रशिक्षण प्राप्त करता है । इस आरभिक सेवा के पश्चात् जूनियर वरिस्टर (रेफरेंडार) जीवनी परीक्षा (ऐसेसोर) म बठता है । य दरमा जीवनी भी रातर के यायिक अधिकारी व सम्मुख होनी है । उसक पश्चात् उम्मीदवार या यायिक मवा क निए आपद्यर यायता प्राप्त होनी है । उसे साथ ही उा यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है निन

नामन प्रमत यायाधीश निरुक्त विषय जान से पूरे उस तीन वय और अंतर (यायन) अवधि में गुहरता पत्ता है। पूर्ण व धृष्ट या तो मानि उभयो म वा व्यक्ति 28 वय का उम्र म छार यायानया म यायाधीश वा सत्ता है। पावर यायाधीश रात्मनामनाग न चाहेर यायाधीश होता है।

### पद धीर कल्प य

यायाधीश बनन पर एक वर्षित का यह नाम उनका पत्ता है कि वह वर्मिक ना — प्रति भासार रक्त ए रात्मनम्यन त्वं भ तत्र ग्र ना आमा क प्रति निष्ठा रक्त त्वं मिति भव यार यार ता सत्ता त्वं। उमन याय रक्तम्या का एक विद्युत्ता यह भा है कि विद्युत्तम्य में एक यायाधीश किमा राजनानिक तत्त्व का मन्त्र बन जाता है तथा राजनानिक गतिशिल्घिया में भाग त सज्जा है तकिं उस यह व्यान रखना जाता है उसका यायिक स्वतन्त्रता तथा निराकरण में सावननिक विद्याय बना रहा।

### आतररा यायाधीश

पावर यायाधीश का अनिरित आतररा यायाधीश भा याय के काय में हाथ उतान है। फौजाग यायानय रूपम भी भावि आतररा यायाधीश सामाय जाग (पिना आनुनी पगाता पाम विर) जाता है। एक आतररा यायाधीश व० व्यक्ति है जो पिना पावर यायाधीश या विषय बानुना व्यवस्थाप्रा के अन्तर्मत याय व्याय में भाग उठा है तथा उस पक्षे के बारे में मननान का पूरा अधिकार होता है। आतररो यायाधीश फौजाग यायानय राजा के व्यापारिक मामता के यायानय तथा प्रामनिक व मवान्यायानय में मारन भाग उठा है।

### सधीय न्यायालय

मपाय यायानय के अवारिकार — यार म अम पहन चचा वर आय है यहा अम — नवा वाय प्रणाना तथा मध्वद्व विषया की चचा वरें।

#### (1) सधाय सवधानिक यायानय

यह यायानय उमन याय पद्धनि भी एक उमाव विद्युत्ता है इसके तरह अनु—११ म मपाय सवधानिक यायानय त्वं रक्त है। अनु—१२ १३ क अनुमार मपाय यायानय — अवारिकार का रक्त है।

(प्र) मगरन — सधाय गवजानिक यायानय दा सानरा में मित वर बनता है। प्रयक्त मानन में यायाधीश जात है। अपना धमता रूपत्वात् प्रयक्त प्रयक्त सीनर सधीय सवधानिक यायानय है। ताता यानरा का व्यवत्र प्रस्तिक है। एक यानर के यायाधीश का चुनाव होता है तथा एक मानर — यायाधीश दमरा मानर में तो वर उठते। सधीय सवधानिक यायालय वा राज्य ग्रन्थम भीनर का

समाप्तित्व करना है तथा उसका सहायक (देपुटी) या उपाध्यक्ष नियोग सीनेट का समाप्तित्व करना है।

### गणपूर्ति या कोर्टम्

सधीय संवधानिक यायालय की प्रत्येक सीनेट की कायवाही के गणपूर्ति आवश्यक मानी गई है। कायवाही के समारम्भ के तिए 8 म य 6 यायाधीशों की उपस्थिति अनिवाय है।

### असाधारण बठक

कुछ स्थितिया म असाधारण बठक की व्यवस्था भी है। जब सधीय संघा निवायालय की एक सानेट दूसरी सीनेट द्वारा प्रस्तुत राय से अलग हट कर काम करना चाहती है तो एसी स्थिति म दाना सानेट मिशन एकसाथ पूर्ण अधिवान (प्लनम) करती है तथा असाधारण स्थिति म निखय लती है।

### यायाधीशों की योग्यताएँ

सधीय संवधानिक यायालय के लिए यायाधीश का पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ जरूरी हैं—

(अ) उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो।

(ब) वह बुद्देस्टाग के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो।

### यायाधीशों का चुनाव

जसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है एक सीनेट के लिए यायाधीशों का चुनाव हाता है। आध यायाधारा का चुनाव बुद्देस्टाग तथा वाकी के आध यायाधीशों का चयन बुद्देस्टाट करती है। बुद्देस्टाट अपने पूर्ण अधिविशन (प्लनम) म दा गिहाइ बहुमत से चुनाव करती है। बुद्देस्टाग आनुपानिक चुनाव प्रणाली के अधार पर 12 सभस्पीय समिति का चुनाव करती है वार म यह समिति दो तिहाई बहुमत से यायाधीशों का चुनाव करती है।

एक राजनीतिक द्वय (बुद्देस्टाट व बुद्देस्टाग) द्वारा यायाधीशों के चुनाव का श्रीचित्य इस बात म निहित है कि सधीय संवधानिक यायालय न इन संघधानिक सम्या है वरन् इसका क्षेत्राधिकार राजनीतिक भी है।

११

दाना सानेटो म से प्रत्येक सीनेट म तीन यायाधीश भाग पाच संघाय याया के यायाधीशों म से लिए जाते हैं। ये यायाधीश 68 वर्ष की उम्र तक सधीय व यायालय के सदस्य बने रहते हैं। भाग यायाधीशों का चुनाव होता है व 8 वर्ष तक बाय करते हैं। निवाविन यायाधीशों का पूर्ण चुनाव हो सकता। सधीय संवधानिक यायालय के यायाधीश अपने विशेष दायित्व जान के द्वेष म

प्रत्यविक योग्य प्रतिभागात्मी व विस्थात् यक्षि हात हैं तथा उह सावजानिक जीवन का काफी अनुभव हाना है। अपने पद के कायकार म यायाधीश न तो दुदेसटाग न बदेसराट और न ही सब या राय मरकार म सम्बद्ध हा सकत हैं। यायावाश पद या विश्वविद्यालय के प्राप्तसरन्यद के अतिरिक्त व काई अय-यावसायिक काय या पेशा नहा अपना सकत।

### सधीय सबधानिक यायात्रय क्षेत्राधिकार

सधीय सबधानिक यायात्रय जमन वर्तिक ना का रक्षक है। इसकी काय प्रणाली वा आधार वर्मिक ना के अनुच्छेद 92 93 94 99 तया 100 के साथ 12 माच 195। क साथ सबधानिक यायात्रय कानून (जिसमे कर्व वार सशोधन किया जा चुका है)। उसके प्रमुख कार्यों को निम्ननिवित मामो मे बाटा जा सकता है—

(ग्र) कानूना की वधता विषयक परीक्षण

(ग्रा) यह तथा सदस्य राय (नेण्डर) क वीच काय विवाद तथा नो रायो (नण्डर) क वीच विवाद वा फसना

(ग) अमवधानिकता सम्बद्धी शिकायता पर नियम

(इ) अय प्रतिशाय।

(अ) काननो की वधता का परीक्षण—यदि कोई यायाधीश विसी मुक्तम वा फमना करत समय यह अनुभव करता है कि जिस कानून के आधार पर वह फमना दना चाहता है वह कानून ही असवधानिक है तो ऐसी स्थिति म वह यायाधीश मुक्तम की प्रतिशाय को राक कर सम्बद्ध मुक्तदम के कामजान सधीय मरधानिक यायात्रय के पाय भज देता है ताकि सबधानिक यायात्रय उस कानून की सबधानिकता के वार म नियम न मर।

उसी प्रवार यदि कोई यायाधीश यह सोचता है कि विसी सदस्य राय का कानून सधीय कानून के साथ मन नहा खाता है तो यह मामना भी सधीय सबधानिक यायात्रय म येश दिया जाने के वर्मिक न का अनुच्छेद 31 यह फट्टम है कि—  
सधीय कानून राय के कानून स उपर होगा। विवाद की स्थिति आने पर मामना सबधानिक यायात्रय म जाना है।

बुद्ध मामना भ सधीय मरकार भी विसी कानून को असवधानिक कह कर उसे सधीय सबधानिक यायात्रय म पा कर सकती है। उनाहरण के लिए यदि ससन न सध-सरकार की द्वावे विपरीत विसी कानून को पारित कर दिया है प्रोर सरकार यह सोचती है कि यह कानून सविधान क अनुकून नही है तो वह यह कदम चरा सकती है।

साय हो काइ यक्ति सधीय सवधानिक यायानय म यह आवद्धन कर सकता है कि सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून का बोइ निश्चित नियम फरल जमनी क सधाय कानून वा हिस्ता ह या नहा । वसिक ला क 25 वे अनुच्छेद क अनुसार सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून जमन सधीय कानून का अविभाग अग है तथा वह सधाय कानून की तुनना म वरायना (उच्चा प्राय भक्त) प्राप्त करता है ।

यह किसी मरकारी सम्भा तथा ग्राय या क बीच दिसी प्रान पर विवाद है तथा सम्बद्ध पत्र यह तक दता है कि अनुक मरकारी सम्भा उसक वसिक ला म उचित अधिकारा का हनन कर रही है तो अनुच्छेद 93 परच्छेद 1 (1) क अन्तर्गत सधीय सवधानिक यायानय म आवद्धन पा दिया जा सकता है तथा यायालय वसिक ना का व्यास्था करेगा ।

सध तथा सदस्य राय क बीच मनमेन्द्र या विभिन्न राय क बीच सवधानिक विवाद हान पर भी मामते का निष्टारा सधीय सवधानिक यायालय करता है ।

वसिक ला क 99 व अनुच्छेद के अनुसार बोइ राय चाह तो सवधानिक विभान के नियन्त्रे के लिए सधाय गवधानिक यायानय स नियन्त्र लन का कह सकता है ।

फटर जमना का बोइ भी नागरिक अपन मूलभूत अधिकारो (अनुच्छेद 1 से 19 तक) की राय क निए सधीय सवधानिक यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है । अनुच्छेद 33 38 101 103 तथा 104 म उल्लिप्रित उमके अधिकारा का हनन होने की स्थिति म भा वह शिकायत कर सकता है । इतना ही नहा वसिक ना के अनुच्छेद 93 परच्छेद 4 (य) क अन्तर्गत बोइ नागरिक वसिक ला क अनुदेश 20 (4) म वर्णित अधिकार के अन्तर्गत भी सधीय सवधानिक यायालय म आवद्धन देश कर सकता है ।

सधीय सवधानिक यायानय 1951 क अविनियम वे अनुसार काय करता है । सन् 1951 स 1969 क बीच इस यायानय क मम्मुख बुन 20 337 जिवायन आइ जा सवधानिकता क प्रश्न सम्बद्ध थी । इसम यह स्पष्ट प्रतीत दोना है कि फटर जमनी क नागरिक अपन अधिकारा क प्रति जागरूक हैं ।

उपर्युक्त बाना क अतिरिक्त सधीय सवधानिक यायानय म निम्नलिखित मामले जात है—

(1) राष्ट्रपति क विस्त महानियाग का फमला भी सधाय सवधानिक यायानय म आगा । महानियाग नगान का बाय बुद्देस्टाग तथा बुडेस्टाग दरगी ।

28 वप क अस्तित्व म फरल जमनी म अमी तक दिसी भी राष्ट्रपति क विस्त महानियाग नहा नाया ॥ ३ ॥

(2) अनुच्छेद 98 क अनुसार बुद्दमदाग या बाई राय-मरकार एक यायाधीय क विस्त यह आराप नगा सकती है कि दसन वसिक ना या दिसी राय की सवधानिक व्यवस्था ना हनन दिया है । इन दिक्क या को फमला ना

भेदाय सब गणिक यायान्य करता। इसी तक एसी कोइ शिरायत कभी नहीं की गई।

- (3) बमिक ना क अनुच्छेद 21 (2) के अनुसार यदि वोइ राजनानिक दल अपने उद्देश्य नक्षा तथा "वहाँ से मूलभूत जनतानिक यवस्था को नुकसान पहुँचान या उस समाज करने का प्रयास कर तो वह अमवधानिक होगा। मधीय सवधानिक यायालय अमवधानिकता के प्रश्न पर निराय देगा। इस उद्देश्य के लिए तक ये "सना" बुनेयराट या सरकार यायान्य में किसी राजनीतिक दल के विच्छेद आवेदन प्रस्तुत कर मकती है। सवधानिक याया नय आरोप सिद्ध होने पर उस दल का गर जानूनी घोषित कर सकता है। 1953 में सोशालस्ट राज्य पार्टी तथा 1956 में साम्यवाची दल के विच्छेद एसा शिकाया प्रस्तुत की गयी थी प्रमाणित हानि पर उह गर जानूनी घोषित कर दिया गया तथापि 1969 में जमन साम्यवाची दल का पुनर्गठन विद्या गया तथा उसन वह घोषित किया वि वह वसिक ना दी परिवर्ति भ अपना नाम करता।
- (4) कन्ऱल जन्नी म बुन्यटाग के किमी न्युनी (सन्स्य) के जुनाव को ववना क प्रश्न पर बुन्यटाग स्वयं विचार करती है। बुन्यटाग के निषय के विच्छेद संघाय सवधानिक यायालय म अपील की ज मकती है। न्यवा निषय अनिम होगा।

### अथ संघीय यायालय

संघ के अनुगत वित्त यायालय है उसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। संघ के 5 यायान्यों में निषयाव विच्छेद उनक अमवधानिक फमो के विच्छेद— संघीय सवधानिक याय लय म गिरायत वा जा सकता है। जब हम जमनी के यायालय के पाव ऐनाविकार (नीयानी और कोजदारी) (१) तम (३) प्रशासनिक (४) सामाजिक तथा (५) वित्ताय (राजकारीय) ऐनाविकार। ये पावा सर्वोच्च यायान्य हैं। इन पावा यायालय की भ्रलग भ्रलग सीनट (पच) होती है जिसका सम्या निम्नलिखित है—

संघीय वा नाम	सीनट की संख्या
१ संघीय यायान्य	१० दोवाना सीनट
	५ कोजदारी सीनेट
	७ विशय दो वी सीनेट
२ संघीय तम न्यायान्य	५ सीनट
३ संघीय प्रशासनिक यायान्य	८ सीनट तथा भनुगासन के मामलो म विशय सान्त
४ संघीय सामाजिक यायान्य	१२ सीनेट
५ संघीय वित्तीय (राजकीयीय)	७ सीनट
यायान्य	

इनके अतिरिक्त प्रत्यक्ष यायालय में एक ग्राण्ड सीनेट (उच्चतर सीनेट) होती है जिसमें निम्नलिखित मामला में सम्बद्ध सीनेट द्वारा अपील की जा सकती है—

(अ) जब सानेट निम्नीका कानून के प्रश्न पर अस्वीकृत या ग्राण्ड सीनेट के नियम से प्रलग हट कर नियम नहीं चाहती हो।

(आ) एवं याय प्रशासन की एक रूपता या कानून के विकास का महत्वपूर्ण व मूलभूत प्रश्न उठ खड़ा हो।

सधीय यायालय में दीवानी मामला की ग्राण्ड सीनेट फौजदारी मामला की ग्राण्ड सीनेट तथा एक समुक्त ग्राण्ड सानेट होती है।

### सधीय यायालय (सामाजिक क्षेत्राधिकार)

“स यायानय के आत्मगत दीवानी तथा फौजदारी के मुकामों का फैसला होता है। दीवानी मामलों में स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद या दावा सवित्ता (वार्ता कर) सम्बंधी दाव गर-कानूनी काय स उच्चतर टार्ट (Tort) कानून सम्बंधी दाव (ज्ञारीरिक न्यति मोटर कार का क्षति सम्मान को ठम तथा कापी राष्ट्र का उत्त्वधन) जीविका (मटेनस) सम्बंधी दाव वालिंग्यक दाव तनाव अवधि पितृत्व आदि आते हैं।

फौजदारी मामला में भी व्यक्ति इसी सधीय यायानय (सामाजिक क्षेत्राधिकार) की शरण में जा सकता है। जमन दण्ड सहिता कानून का आधार दण्ड सहिता अधिनियम 1871 है। इसमें समय समय पर सशायन हुए हैं तथा 1973 में इस प्रधुनानन द्वय प्रदान किया गया है। फौजदारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इत्या लूट चोरी घावानेहों भूमी गवानी के मुकदमा का फैसला होता है।

### सधीय अमन्यायालय

ग्रामस्थ में ग्राम क्षेत्राधिकार दीवानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता या नेविन वर्त हुए ग्रोद्यागावरण के कारण अमन्यायालय की स्थापना वर्ती उधर मालिकों प्रबन्धकों कमचारियों व मजदूरों में यह प्रवर्ति वर्ता दिया याय प्रशासन से उहाँ भी जोड़ा जाए। इन तथ्यों का ध्यान में रखन हुए समय अमन्यायालय की घबस्या की गई। आज का सधीय अमन्यायालय अमन्यायालय अधिनियम नितम्बर 3 1953 के अन्तर्गत काय करता है। इस यायालय में अमन्यायालयी पानी मालिकों तथा कमचारियों (मजदूरों व लिपिका व अस्वीकृतिकारियों) के वाच विवाद उपस्थित किए जात हैं। वर्तन सम्बंधी दावे छुट्टिया सम्बंधी विवाद कमचारी का विवास्तगी काय करने समय दुष्टाना के लिकार होन पर दाव भजदूरा भारा यथा वा तुरनान पर्वाने पर दाव आया भात है। दूसरी प्रकार के मुकाम मह नियम (का दिटरिमिनेशन) सम्बंधी विवाद के हात हैं ज्यों प्रवार वर्तन-समझौता सम्बंधी विवाद तथा हृतनाल का विवाद व तालावाना सम्बंधी विवाद भा प्रस्तुत किय जात

३। इसी प्रवार प्रयत्न वही दर्शन या "यापारिक प्रतिष्ठान में कमचारी परिषद्" वे नाम नियुक्ति उसी समाप्ति आदि दाव भी सधीय थम "यायान्य में पश होत है।

### सधीय प्रशासनिक यायालय

जसा ति प्रशासनिक द्वयाधिकार पर विचार करते हुए बता दिया गया है कि याय प्रामानिक यायान्य में दा मरवारी सस्थाप्ता क आपसी विवाद—जस एवं इन प्रश्न में सहजा क निमाण तथा दमभान व मरम्मत का काम इस सत्य का है पश होत है। सरकारी सम्या व नागरिक क बीच विवाद—जस नास्तम रह करते पर ताजा आर्म तथा प्रामानिक यायान्य प्रधिकारियों से सम्बद्ध यायों से उत्पन्न शिकायतों पर भी पह यायान्य नियाय देता है।

### सधीय सामाजिक यायालय

इम यायान्य क अन्तगत निम्ननियित विषयों पर मुकद्दम व शिकायतें प्रस्तुत वा जाती हैं—

(ग) सामाजिक बामा वासवर कानूनी स्थान्य वीमा टुपटना वीमा खदान मजूरा का वीमा तथा मजूरों तथा वरमचारिया व पशन-बीम सम्बंधी विवाद।

(घ) यक्कारी का वीमा प्रशिक्षण बान म राजकीय आर्मिन सहायता सधीय वरमचारिया व वाचो क मत विषयर प्रधिनियम-सम्बंधी शिकायतें।

(इ) मुद्द-नीडिता व निए व्यवस्था विषयव दाव।

(ई) कानूनी वीमार राय व छावटरा क बाय व छावटरों व दत चिह्नितको के बीच सम्बंधा पर विवाद।

(उ) चुनावीर (सधीय सगस्त्र साय सेवायो) क भूतपूर्व वरमचारियो वी जीविका या वनि तथा उन्हीं विध्याया व भ्रान्त वाचो सम्बंधी मुद्दम। यू. यायान्य 23 अगस्त 1958 म पारित मामाजिक यायान्य प्रधिनियम व प्रतगत बाय करता है।

### सधीय वित्तीय (राजकोषीय) यायालय

"ग" यायान्य वा उद्देश्य उन सभी विभागों का निपत्तरा करना है जो सारक्कनिक बानून क अन्तगत राजकोषीय प्रधिकारियों म सम्बद्ध होत है। 6 अक्टूबर 1965 म पारित वित्तीय (राजकोषीय) यायान्य नियमावलि द्वारा उमकी कायविधि संचालित होती है। य "यायान्य निम्ननियित विभागों का कमना करता है—

(ग) पर-ग्राम्यधी पान्नेगा (हिन्दी) की वधना

(घ) चुम्बी प्रधिकारियों के आर्मा की वधना

- (इ) यूरोपीय आधिक समुदाय के कानूनों के अन्तर्गत मालगुजारी (लवी)  
उगाहन सम्बंधी विवाद  
(ई) आयात निर्यात के मामला में विवाद।

### राज्यों के यायालय

सध की माति इहीं पाच क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत राया में भी न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इन न्यायालयों का दो मार्गों में बाटा जा सकता है—

- (1) उच्चतर लेण्ड (राज्य) न्यायालय (न्तीय चरण यायालय)  
(2) राय-न्यायालय (प्रथम चरण यायालय)

कुछ विषयों पर काउण्टी (जिला) न्यायालयों की भी व्यवस्था है।

झोटे मुकदमे काउण्टी यायालय में प्रस्तुत होते हैं उसकी अपील सम्बद्ध राज्य-न्यायालय में जा सकती है तथा उसके फसल से सतुष्ट न होने पर उच्चतर लेण्ड-न्यायालय के द्वारा खटखटाय जा सकते हैं। आखिरी अपील सधीय यायालय में होती है। काउण्टी-न्यायालय में यक्षित स्वयं प्रस्तुत हो सकता है या अर्थ यक्षित को प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकता है। लेण्ड-न्यायालय या उच्चतर लेण्ड-न्यायालय में वह इन यायालयों तारा अधिकृत वकीलों के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है।

सधीय यायालयों की माति लेण्ड (राय) में भी विभिन्न यायालयों की व्यवस्था की गई है। उनकी रचना इस प्रकार है—

- (1) सवधानिक यायालय—9 राया में सवधानिक यायालयों की व्यवस्था  
की गई है। ये यायालय स्टॉट-कोट के नाम से जाने जाते हैं। जिस राय में सवधानिक यायालय नहीं हैं वे सवधानिकता के प्रश्न पर सधीय सवधानिक यायानय की शारण में जा सकते हैं। पश्चिमी बलिन में सवधानिक यायानय नहा है तथा उसकी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है।
- (2) सामाय क्षेत्राधिकार (दीवानी फौजदारी) लेण्ड-न्यायालय—इस यायानय में दीवानी व फौजदारी मामलों के फसल होते हैं। फड़रल जमनी में 19 उच्चतर लेण्ड-न्यायानय तथा 93 लेण्ड-न्यायालयों की व्यवस्था है। ये यायालय दीवानी व फौजदारी मुकदमों के बारे में निषेध लेते हैं। साथ ही व्यापारिक मामलों तथा अल्प वयस्क नागों के लिए अलग से व्यवस्था होती है।

फौजदारी मामले में तीन प्रकार के यायालय होते हैं—

- (1) उच्चतर लेण्ड-न्यायालय—इसमें दान्हाह संविधान के प्रति धोखा तथा दण्ड के प्रति धोखे-सम्बंधी मुकदम पश होते हैं। यायालय की सीनेट में 5 पेशेवर यायाधीश होते हैं। इसके फसल वे विशेष अपील नहीं की जाती वरन् मामला संसाधन के लिए पेश किया जाता है।

- (2) अभिसत्र (एसाइज)-न्यायालय—“सम 3 पेशवर यायाधीश तथा 6 ज्यूरस बठते हैं।” सम “गन्यूभ कर हत्या के मामले पेश होते हैं।
- (3) नण्डन्यायालय—“सम तांन पेशवर यायाधीश व दो ज्यूरस बठते हैं।

### लेण्ड अम यायालय

अम सम्बद्धी मुकदमा के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण म विवाद सामाय अम यायानय म दूसरे चरण म नण्ड-अम यायानय न तथा अंतिम चरण म सधीय अम यायानय म मामता पेश होता है।

सभी चरणों म यायाधीशों के अतिरिक्त आनंदरी यायाधीश भी बठते हैं। आनंदरी यायाधीशों म श्रमिकों के अलग अलग प्रतिनिधि बठते हैं।

नण्ड प्रशासनिक यायानय—इन यायानयों की कायविधि भी तीन चरणों मे विभाजित है। पहले आवेदक सामाय प्रशासनिक यायालय म अर्जी देता है दूसरे चरण मे वह लेण्ड उच्चनर प्रशासनिक यायालय म तथा तृतीय चरण म बर्तिन म मिथ्य सधीय प्रशासनिक यायानय म आवदन कर सकता है। कुछ मामलों म—यथा सघ व राज्य के बीच एस दावानी कानूनों सम्बद्धी विवाद जिनका सविधान से मन्द न हो—सधीय प्रशासनिक यायानय ही प्रथम व अंतिम यायानय होता है। राय यायानयों मे 3 यायाधीश व 2 आनंदरी यायाधीश बठते हैं।

लेण्ड सामाजिक यायालय—ये यायालय भी सामाय सामाजिक यायालय (प्रथम चरण) तथा उच्चनर लेण्ड-सामाजिक यायानय (तीय चरण) म विभाजित हैं। अंतिम अपील सम्बद्ध सधाय यायानय य का जाती है। प्रथम चरण के यायालय म एक प्रशिक्षित यायाधीश तथा दो आनंदरी एसेमर बठते हैं। कुछ निश्चित मामलों म अपील ही की जा सकती। द्वितीय चरण के यायालय म 3 प्रशिक्षित यायाधीश व दो आनंदरी एससर बठते हैं। कुछ मामलों म इनके नियंत्रों को संशोधित करन के लिए सधाय यायानय की शरण नीजा सकती है। यह उत्तरवाचीय है कि एससर वा सामाजिक यायाधार्श कहा जाता है।

लेण्ड वित्तीय (राजबोधीय) यायालय—राय-उत्तर पर सिफ एक ही प्रकार के राजबोधीय यायानय होते हैं। जबकि राय मामलों म दो त्रिलियों के यायालय होते हैं। इस प्रकार वित्तीय (राजबोधीय) यायानय सिफ उच्चतर नण्ड यायालय के रूप म ही गणित होते हैं। उनके फसलों म संशोधन के लिए मध्याय वित्तीय (राजबोधीय) यायानय म आवक्षन किया जा सकता है। राय वित्तीय यायानय म तीन प्रशिक्षित तथा दो आनंदरी यायाधीश बठते हैं।

## राजनीतिक दल

जमन राजनीतिक दलों के स्वभाव प्रवृत्ति तथा विकास का समझने के लिए यह आवश्यक है कि 1871 में जमनी के एरोकरण क समय को राईशटाय (प्राज्ञ इसे बुनेस्टाग कहा जाता है) के समा भवन की संरचना पर हटिट डाली जाए। उस समय ससद् म बठने के स्थान तीन भागों में विभाजित थे बाम पक्ष (सप्ट) मध्य पक्ष (स्टर) तथा दक्षिण पक्ष (राईट)। इस प्रकार तत्कालीन जमन राजनीतिक दलों को मोटे तौर पर तीन भागों म बाटा जा सकता था।

- (1) बामपक्षी दल
- (2) मध्यम मार्गी दल
- (3) दक्षिणपक्षी दल

1919 म जब वार्डमार्गणतव्र की स्थापना हुई तो आतुपालिक चुनाव के कारण वहाँ राजनीतिक दलों की संख्या में अत्यधिक बढ़ि हुई। उस समय वहाँ 30 के आसपास छोटे मोटे राजनीतिक दल थे लेकिन प्रमुखता कुल 7 राजनीतिक दलों की ही थी। ये सात दल भी ऊपर लिखित तीन भागों में विभाजित थे। बामपक्षी न्या में साम्यवादी समाजवादी (सोशल डेमोक्रट) तथा जनतव्री दल शामिल थे। मध्यम मार्गी दलों के रूप से सेटर पार्टी तथा बोरियाई जनता पार्टी सामन थीं तथा दक्षिणपक्षी दलों में जमन जनतापार्टी तथा नशनन सोशलिस्ट पार्टी (नात्सी दल) शामिल थीं।

1933 म हिटलर के सत्ता में आगमन के साथ जमनी के संसदीय इनिहास का काला युग आरम्भ हुआ। हिटलर ने शीघ्र ही अपन दल (नात्सी दल) को छोड़कर सब दलों पर प्रतिवध तगा लिया और इस प्रकार बहुदीय यवस्था के कफन में बोल ठोक दी। 12 बप तक जमनी में एक दल का शासन रहा तथा 1945 में द्वितीय महायुद्ध में जमनी की पराजय तथा विभाजन के बाद मित्र राष्ट्रो-सोवियत सघ अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने वहाँ धीरे धीरे जमन राजनीतिक दलों की काय बरने की अनुमति दी। इस प्रकार जमनी में पुन विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हुए।

विजेता राष्ट्र म सोवियत सघ वह प्रथम राज्य था जिसने अपन अधिकृत क्षेत्र में जनतात्रिक तथा फासिस्ट विरोधी राजनीतिक दलों को बाय बरने की स्वीकृति दी और इस प्रकार जमनी में चार राजनीतिक दल उभरे। ये दल ये

- (1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
- (2) साम्यवादी दल
- (3) त्रिशिवयन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
- (4) उत्तर दल (जो बाद में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विरपात हुआ)।

अमेरिका ने सोवियत संघ के काय का अनुसरण करते हुए राजनीतिक दलों को काय की अनुमति दी तथा इसमें ब्रिटेन व फ्रांस न भी ऐसी स्वीकृति दे दी। इसके पास्तरूप 1945 के अंत तथा 1946 के आरम्भ में चार भागों में विभाजित जमनी (जोन) के रग नव पर चार राजनीतिक दल मिल दुए। नेविन शीघ्र ही बाइमार वी भानि दार वड कई दल उत्पन्न हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

- (1) स्वतंत्र जमन वापकारी दल (वर्किंग ग्रप आफ इन्डिपेंट जमन्स)
- (2) बवेरियाई दल (बवेरियन पार्टी)
- (3) त्रिशिवयन डमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू )
- (4) त्रिशिवयन सोशल यूनियन (यह राष्ट्रीय त्रिशिवयन डमोक्रेटिक यूनियन का सहचारी राजनीतिक दल है तथा बवेरिया में अपने मूल नाम से जाना जाता है)
- (5) जमन शाति संघ (जमन पीस यूनियन)
- (6) जमन संघ (जमन एसासिएशन)
- (7) जमन पार्टी
- (8) जमन रार्मश पार्टी
- (9) जमन दक्षिण पवी दल (जमन राईटिंग पार्टी)
- (10) जमन पीपुल्स-पार्टी (यह भूत की डमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है जो दक्षिण पश्चिमी जमनी में अपने मूल नाम से जानी जाती है)
- (11) फ्री डमोक्रेटिक पार्टी
- (12) शरणार्थी दल—समग्र जमन गुरु निष्कासित तथा मानाधिकार विचित भोगो का दल (जो वी /वी एच ”)
- (13) समग्र जमन दल (आउ जमन पार्टी)
- (14) समग्र जमन जनता-पार्टी (आल जमन पीपुल्स पार्टी)
- (15) जमन साम्यवादी दल (सविधान विरोधी गतिविधियों वे बारण संघीय संवधानिक यायालय न सन् 1956 में गर-कानूनी घोषित कर दिया था लेकिन 1969 के बाद इसका पुनर्गठन किया गया)
- (16) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (इसे नव-नामी दल भाना जाता है)
- (17) सोशल डमोक्रेटिक पार्टी

- (18) सोशल राइट पार्टी (सविधान विरोधी गतिविधिया के कारण 1952 में इस पर प्रतिव घ लगा दिया गया)
- (19) दक्षिण श्लसविग मतदाता मध (एस एस बी)
- (20) आधिक पुनरचना दल (डब्ल्यू ए बी)
- (21) सेटर पार्टी

इनके अतिरिक्त भी कुछ नगण्य प्रभाव वाले राजनीतिक दल थे। पहले हम कुछ छोटे राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे।

### जमन पार्टी

जमन पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 1949 में सवप्रथम इसने नाम्र सेक्सनी स्ट पार्टी के नाम से राजनीतिक रूप में प्रवेश किया। यह 19वीं शताब्दी के जमन-हनोवर दल की अनुदारवादी परम्परा का अनुयायी रहा है। बचारिक धरातन पर जमन पार्टी एक दभिएपथी दल के रूप में उभरी। 1947 में हाईनरिच हेलवेडो के नेतृत्व में इस पार्टी न पश्चिमी जमनी के विविध राज्यों में अपनी शाखाएँ खोली तथा ब्रेमेन हाम्बुग साथर सेक्सनी तथा श्लसविग-हालसदाईन नामक राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

विचारधारा के क्षेत्र में जमन पार्टी का मार्ग को समेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जम भूमि में निवास कानून वा शासन ऐतिहासिक परम्पराएँ तथा ईसाई धर्म में थद्वा रखने का अधिकार हो। विदेश-नीति के क्षेत्र में जमन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था—शातिपूण साधना से विभाजित जमनी का एकीकरण किया जाए।

1949 में जब क्रिश्चियन डमोक्रेटिक मूलियन के नेता कानराड आहनप्रावर ने प्रथम मिली-जुली सरकार का निर्माण किया तो जमन पार्टी के दो सदस्यों वा भी मंत्री बनाया गया। हाईनरिच हेलवेगे वो कुंदस्टाट मामलों का मंत्री तथा हास श्रिस्टोफ सीबोहा को परिवहन मंत्री बनाया गया। सीबोहा वरीब 15 वर्ष तक मंत्री पद पर बना रहा।

1961 में जमन पार्टी तथा रिप्यूजी पार्टी ने मिन कर समग्र जमन पार्टी का निर्माण किया लेकिन कुन्दस्टाग के चुनावों में इस सिफ 28 प्रतिशत मत मिले भरतः उस प्रतिनिधित्व प्राप्त नहा हुआ। 1965 के कुन्दस्टाग के चुनावों में समग्र जमन पार्टी ने अपन उम्मीदवार खड़े नहीं रखा। इसक बाद सधीय स्तर पर यह पार्टी गायब हो गई। कुछ राज्यों में इसका प्रभाव बना रहा।

### शरणार्थी दल

शरणार्थी दल समग्र जमन गुट, निष्कासित एवं मताधिकारीहीन व्यक्तियों वा (जी बी / बी एच ई) इतन बह नाम वाला शरणार्थी दल 1950 में स्थापित

दूंगा । कुछ वर्षों तक यह सधीय स्वर पर महिला रहा और फ़तामूर्ता । 1953 के चुनावों में इस बुन्देलखण्ड में 6 प्रतिशत मत मिले । वार्ड में भी प्रभाव में बदला गया और 1961 में उमन यार्दी में "मां" विविध द्वारा नवा समर जमन पार्टी के सम्म में नया दल बना ।

जरणार्डी-जन न पूर्वों उमन लल से निष्कासित उमन व्यक्तियों के हृता की रक्षा का वार्ड दरगाहा । 1953 में जरणार्डी नव के नठा वार्ड-मार्ग नाम का दिलाप कार्यों का सबाय मना दनाया गया । "मां" नव के अपार नवा थे — यिहानार आदर दान्तर तथा फार्मरिच फाल कामन । "मां" नव निष्कासित व्यक्ति फ़र्टन उमनी के समाज में धूनत मिलत थे तो नवा दल प्रभावनात नाना गया । "मां" कुछ प्रमुख सुन्दर किञ्चित्तन ढमाक्रिक यूनियन में मिल गये और कुछ उमन पार्टी में ।

### साम्यवादी दल

हिन्दूर की पराजय तथा उमनी के चार भागों में विभाजन के तुरन्त वार्ड जिन दनों का पुनर राजनानि में प्रवाग की "नानन दा ग" दनम साम्यवादी दल प्रमुख था । 1945 से 1948 के बाच राजना की विभान-भभा के चुनावों में साम्यवादी दल का 8 से 9 प्रतिशत मत मिल रहिल तब पूर्वी उमन ईत्र में साम्यवादी दल न सरकार बनाया तथा वहां स्थित सारांत व्याख्यानिक पार्टी का अपन साय मिलकर सारांत यूनियन पार्टी बनाने का मनदूर किया तो यह दल फ़र्टन उमनी में अनावरण्य हो गया । 1949 में जब बुन्देलखण्ड के तिंग चुनाव हुए तो साम्यवादी दल का 5 प्रतिशत से अधिक मत मिल और 15 साम्यवादी प्रतिनिधि भूमन में पन्चे । उन्हिन 1953 के आम चुनावों में 2 प्रतिशत से कुछ अधिक मत मिल और चुनाव बानून के बाच प्रतिनान धाग के अन्तर्गत साम्यवादी बुन्देलखण्ड में प्रतिनिधित्व पाने से बचित रह गए । "मां" दल के प्रमुख नवाप्रा में भारत राजनान तथा हार्ड रहे । ये दानों समूद्र-सम्मेलन नाम थे ।

साम्यवादी दल की एक युवक गाया भा थी । "यह नाम था फ़ा उमन मूर्य । साम्यवादी युवकों न समर्पित प्रश्नाना जारा गन्दवन् अन्दर करने का प्रयत्न किया तथा प्रगति' फ़तार । "मां यद्द हारकर करकार न साम्यवादी युवक गाया पर प्रतिवध तया किया । सरकार न साम्यवादी दल पर भी यह आराम तयाया कि वह वर्मिन तो के आन्दों के विराष करना है तथा उत्तराधिक सधीय सरकार का हिस्सा व गरन्तानुनो त्यग से उत्तराना चाहता है । मामना सबाय सवारानिक यापार्य में पा हुए तथा 1956 में यापारर न साम्यवादी दल का गरन्तानुनी धायित किया । बारह वर्ष बार्ड तितम्बर 1968 में फ़र्टन उमना में एक नवान साम्यवादी दल का गर्नन किया गया ।

### उमन दक्षिणायणी पार्टी

यह दल लामर सफ्टनी उमन राज में साझिय था । "दम आम चुनाव में

इस दल के प्रतिनिधि बुद्देशटाग में पहुँचन में सफ़ल रहे। इन्होंने नात्सीयों को दी गई सजा का विराघ किया मित्र राष्ट्र पर मुद्दे अपराध का आरोप लगाया तथा उष्ण जमन राष्ट्रवाद का समर्थन किया। 1952 में इस दल के नता का गिरफ्तार कर लिया गया।

### सोशलिस्ट राईश पार्टी

1949 में इस पार्टी का गठन हुआ। यह पार्टी नात्सा समरक पार्टी या अत भूतपूर्व नात्सी नोएं निष्कासित व्यक्ति तथा युद्धवर्ती इस दल की ओर आकर्षित हुए। इस दल के प्रमुख नाम हैं—डा. मित्र डाल्स जनरल आर्म आस्ट रेमर बाल्फ काउण्ट फान वेस्टाप तथा डा. गरहाड क्यूगर—ये सब लोग हिटलर के नात्सी दल या विविध रक्षक दलों से सम्बद्ध थे। 1951 में लोग्गर सेक्सनी राष्ट्र की विधान-सभा के चुनावों में इस दल का 11 प्रतिशत तथा ब्रमन नगर राष्ट्र में 8 प्रतिशत के लगभग मत मिले। नात्सी लोगों के इस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सधीय सरकार न नवम्बर 1951 में सधीय सद्व्यापिक व्यापार य भूकम्पा घेना करते हुए इस दल पर हिस्सा फैनाने तथा विसिक ला का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यापालय के आदान से अक्टूबर 1952 में इस दल पर प्रतिवध समा निया गया।

### जमन राईश पार्टी

सोशलिस्ट राईश पार्टी पर प्रतिवध लगान के बाद उसके पद बिहीं पर ही जमन राईश पार्टी का नियमाला किया गया। इसका नता था—एडोल्फ फान याइन। पहले यह व्यक्ति जमन दक्षिण-यथा दल को ओर से बुद्देशटाग का सदस्य था। 1953 व 1957 के चुनावों में जमन राईश पार्टी को काफी मत मिल नहिंन व 5 प्रतिशत से कम थे। राष्ट्र नेट-पेलटानट नामक राष्ट्र के यापालय ने इस दल पर भी प्रतिवध लगा दिया।

### नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी

1964 में इस पार्टी का जन्म हुआ और अगले ही बार 1965 के चुनावों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिशत मत मिले। इसका नता वही एडोल्फ फान याइन था। आगामी वर्षों में वह राष्ट्रीयों में इस दल का विधान-सभामों में स्थान मिला लकिन सधीय स्तर पर इसे 5 प्रतिशत मत न मिलने के बारण बुद्देशटाग में कोई प्रतिनिधित्व न मिल सका। ऐसे दल को भी नव नामी दल कहा जाना है तकिन एस छाट-माटे दक्षिण-यथी दल। स पड़रल जमनी रा. किनहान बीर्स खनरा प्रतीत नहा होता। इन दलों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई सोशलिंगिता भी प्राप्त नहीं है।

### आयिं नुनरवना-संघ

आयिं नुनरवना-संघ नामक दल बुद्द वर्षों तक बोरिमा में सोशलिंग रहा।

उक्तिन दृष्टि के भावतर प्राप्तमा मनमें। के बारहा शीघ्र ही यह प्रभावहीन हो गया।

### सेटर पार्टी

युग्मातर नारा पार्टी बाह्याभ्यासवाद का संचर पार्टी का भी प्रतिष्ठित है। उक्तिन दृष्टि कुछ बासपदा भक्ति के नाम रहे। यन बासगा ऐ जि यह मन्त्र-भव्यता में व्यापक हर भव्य — आसपास तात्त्विक रहा। यह उत्तमनाय ऐ जि आर्थिक व सामाजिक प्रश्नों पर सेटर पार्टी न साझत इमानविक पार्टी का समाजन किया तो धम भूमिका तथा चित्ता के सामना में त्रिपुच्छन इमानविक यूनियन के साथ सत्तदान किया। प्रत्येक व्यापक भव्य में उस दृष्टि का 10 मन्त्र्य था। वस दृष्टि दृष्टि का प्रभाव नाय राजनीतिक राज्य में ही अधिक रहा। क्रमा यह प्रभावहीन हो गया।

### बवरियाइ पार्टी

बवरियाइ पार्टी एक कट्टर निषिद्धान्ययो दृष्टि ज्ञाने के नाम में हो विनित है। यह उत्तरिया में मणिनि और व्युत्ता नारा ऐ बवरिया बवरिया के वासियाइ रिए। यह दृष्टि बवरिया का एक स्वतन्त्र राज्य सामनता है। इसका नता है—दा जामक बातमु गान्धीनर ना बवरियाइ परम्परा पर नार देन रुम्म सपदार्थ तथा स्थानाय कृपकों के चिना का सर नह है। 1949 में उस दृष्टि का बवरिया में 21 प्रतिशत मत मिले तथा प्रथम व्यापक भव्य में उस कुछ मन्त्र्य भी था। बात में राज्याय स्तर पर यह उभावहीन हो गया उक्तिन बवरिया में अब भी उम्मा प्रभाव है।

### समग्र जमन जनता पार्टी

समग्र जमन जनता-पार्टी का गठन 1952 में हुआ। उसके सम्यापक थे—दा गुरुग्राम रुम्म नानमान तथा शामता उन बातों। दा हानमान पहन त्रिपुच्छन इमानविक यूनियन — मन्त्र्य थे तथा प्रथम बुन्नेमटाग के सम्म और ग्राहनशावर मन्त्रिमण्डल में गृन्न मनी भी थे। 1960 में उन्होंने नाना में मतभूत हान के कारण भव्यान्यता में त्रासपत्र लिया। वह पहन और अनिम मना रिहान जमनी में त्रासपत्र लिया थे। यह दृष्टि अर्थात् प्रभावाना नहा बन पाया और 1957 में उस भव्य वर लिया गया। दा हानमान तथा श्रीमनी (फ्रां) बात माना इमोव्र टिक पार्टी के चिकित्सक पर बुन्नेमटाग के लिए चुन गए। बात में दा हानमान उसा दृष्टि का आर में राज्यपति चुन गए।

### तीन प्रमुख दल

यह उत्तमनाय ऐ जि उपर लिखित 21 दृष्टि में उपलब्ध हुन व्यूत्तर भव्य राजनीतिक दृष्टि का बुन्नेमटाग में प्रतिनिधित्व मिला। बात में उनका मन्त्र्य श्रमण वभ नान हान सिफ तीन दृष्टि हान हु उपलब्ध में रह गये। उन दृष्टियों का नाम इस रूप है—

- (1) सोल डमाकिंग पार्टी (एच पी डी )
- (2) क्रिस्चियन डमाकिंग यूनियन (साठ बी० यू बदरिया का क्रिस्चियन सोल यूनियन ना बुनेपटारा म इसी दल के साथ मिल कर काय बरती है। प्रत्युत पुस्तक म दाना दना के लिए एक ही नाम का प्रयोग करते)
- (3) फ्री डमाकिंग पार्टी (एच डी पा )

निम्नालिखित पृष्ठा म हम इन वाल महत्वपूर्ण तथा वार म विद्वार म चर्चा करेंगे ।

### सोल डमोक्रेटिक पार्टी

मूराप के समाजवाली आन्तरिक म जमन सोल डमाकिंग पार्टी का महत्व पूर्ण योगदान रहा है। यह मूराप के प्राचानतम समाजवाला दल म स एक है। जमनी के राजनीतिक दला म भा यह दल सबसे अधिक नुमानित एवं प्राचान है। इस दल को 1871 के बाब विस्मान का तथा 1933 के बाब हिंदूर के दल का समना करना पड़ा। इनके सोल पर प्रतिवध लगाया गया समाजारन्डो का प्रवाशन राव दिया गया। समापा पर पादना लगी तथा इनके सन्त्या पर कूर घरताचार किय गय। इनके बाबजूद दल के सन्त्या निष्पूर्वक अपने राजनीतिक दाव एवं आन्तरिक को बाहर रहे ।

सोल डमाकेन्ड पार्टी का इतिहास 100 वर्ष स अधिक प्राचीन है। उसका स्थापना 1863 म हुइ। अध्ययन की शुद्धिका दृष्टि स इन दल के इतिहास की पाव भाग में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) प्रारम्भिक अवस्था 1863-1891
- (2) विकास का युग 1891-1905
- (3) जन शान्तीन का समर्थन 1905-1933 (उत्तरवाद 12 वर्ष तक दल पर्नान्तर्नो धारित रहा)
- (4) द्वितीय युद्ध के पाचात् पुनर्गठन 1945-1959
- (5) भारत मार की नीति 1959-1977

### प्रारम्भिक अवस्था

फर्नेंड लासान नामक व्यक्ति न 1 मार्च 1863 म जमन अधिकारी नामक एक दल का गठन किया। प्रतिद्द समाजवाली नवव स्वर्गीय काल इउग्मी के अनुमार— यह जमन समाजवाली दल को उत्पत्ति को एक व्यक्ति का काय माना जाए तो यह दल फर्नेंड लासान का काय था। 23 म 1863 म समस्त जमनी स 15 समाजवाली प्रतिनिधि लाइसिम नामक नगर म एवं त्रै ग्रोर उहाने अपने दल का नाम समष्ट जमन अभिन्न-सम्पर्क रखा। लासान भी इन प्रतिनिधियो म स एक था। यही दल 1869 म सोल डमोक्रेटिक पार्टी के रूप म गठित किया

गया। उस प्रकार नासान उस दल का सम्यापक तथा जनक था तथा आज तक वह दस दल पर उसके अधिकार की अभिन्न छाप है।

यद्यपि नासान को समाजवाद म आस्था थी लेकिन वह मावस के जो जमनी म पढ़ा हुआ मिढ़ाना स पूर्ण सहमत नहा था। यही कारण है कि मावस व ऐसे प उसका नापमन था। आम न तो नासान को भावी श्रमिक-नानाशाह तक बहा। शीघ्र ही नासान का आगुम्ट घबर व विट्टम नीचकरत नामक दो महायागी मिन जिन्हान जमन समाजवादी आनन्दन का विचार भूमि प्रदान की तथा उस प्रगति का आर अग्रमर किया। विट्टम नामकान्त न 1848 की जमन तक म भाग निया तथा उसे भाग वर नान म फरगा नी पनी जहा वह 1862 तक रहा। बाट म वह नौंग वर जमनी आ गया। आगुम्ट वरन (1840-1913) ने अपिल जमनी म समाजवादी आनन्दन को गति प्रदान की। नासान के सम म एक नवीन ध्यक्ति न भी प्रवण किया जिसका नाम वा जाहान वटिम फान शास्त्रलर। इस ध्यक्ति का भक्ताव विस्मारु की ग्रात था। वही कारण है कि नीचकरत व वरेन म उसका भतभेद हा गया निमके प्रत्यक्षर दो दल बन गए। नासान की मृत्यु के बाद दाना नाम म मतभट और वह।

7 अगस्त 1869 का आजनाल नगर म वडन के दल न एक नवीन दल का गठन किया जिसका नाम साशन "मान्टिक नवर-पार्टी" रखा गया। लेकिन शीघ्र ही दोना दला नासानवादिया तथा आजनालवादिया वो समझ म आ गया कि आपसी सघष प्लारा व न क्वन अपना शक्ति का उपयोग कर रहे हैं वरन् पुरिम के उपन चन्द्र के भी गिरार हा रहे। एस्ता द्वारा व पुरिम दमन का हन्तापूवक मुश्किल वर म बहुत है। 22 मू 1875 म गोया नामक नगर म दाना दल ने मिनकर नया राजनीतिक दल उनाया जिसका नाम साशन नवर पार्टी आक जमनी रखा गया। नवीन दल म जनताविक समाजवाद तथा साम्यवादी सिद्धाता का भिना जुना स्प्र प्रसुत किया गया था। दल के कायक्रम का अतिहास म गोया कायक्रम (1875) एक भी न का पत्तर है।

गोया-कायक्रम के प्रनवार - थन दो समस्त घन तथा समस्त सस्तुति का आधार है और सामाय तथा नारा उदयोगी थम मिफ समाज नारा ही समव बनाया जाता है अत समस्त घन और समृद्धि गमाज नाना उम्हे समस्त सदस्या की समर्ति है बनमान समाज म उपान के मभी माधना पर पू जीपति-वग का एकाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप मनद्रा का मभी प्रबार का दासता विपति तथा गुनामी का गिरार हाना पड़ता है। उम घापणा म सम्यवादी प्रभाव का स्पष्ट सक्त है नेविन दल नारा "स्तुत मार्गे जनताविक प्रवति की गोर मरेन वरनी हैं। य मारे इम प्रवार हैं—

(1) सावधिर समान प्राप्त तथा गुज मनन नारा सभी विधायी समाप्तो का चुनाव किया जाये।

- (2) जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे चुनाव वरन का अधिकार हो ।
- (3) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी निणय जनता द्वारा लिये जायें तथा
- (4) सहटकालीन व प्रसाधारण कानूनों को समाप्त किया जाए ।

इस प्रकार गोथा-कायकम द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की मांग की गई । मावस और ऐपेल्स इस कायकम से सतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस कायकम को लासानेवादिया के प्रति आत्म-समरण दताया । समाजवानियों की उत्तरात्तर बढ़ती नाक्षियता से जमनी का चासलर विस्माक घबरा उठा । वह ऐसे अवसर की तुलशी म था जिसका नाम उठाकर समाजवादियों को गतिविधियों पर प्रतिवध लगाया जा सके । 1878 म जमन सम्माट की हत्या के दो असफल प्रयास किए गए । तत्काल विस्माक ने समाजवानियों पर हत्या के पड़वान्न का आरोप लगाया तथा 19 अक्टूबर 1878 म समाजवाद विरोधी कानून पारित किया गया । इस कानून द्वारा चासलर ने सभी न्यूनिक सगठनों पर प्रतिवध लगा दिया । उनके अवबाह जान कर लिए गए तथा समाजवानिया द्वारा समाप्ति के आयोजन पर रोक लगा दी गई । प्रति दो वर्ष बाद इस कानून का नवीकरण किया गया और इस प्रकार 1890 तक यह कानून जारी रहा । दल के अधिकार नेताओं को या तो गिरफ्तार बैठ लिया गया या देश से निष्कासित कर दिया गया ।

1890 मे केजर (सम्माट) विलियम ग्रिटीय सिंगसन पर बढ़ा । उमने विस्माक के साथ मतभेद होने के कारण समाजवाद विरोधी कानून को समाप्त कर दिया । 1878 से 1890 तक समाजवानियों ने अपनी गतिविधियां जारी रखी तथा वे निजीय उम्मीदवारों के रूप म चुनाव भी लड़ते रहे । प्रतिवध हटने के एवं वर्ष बाद (1891) समाजवानियों ने एरफुर्ट नगर म दल का सम्मेलन दुलाया । एरफुर्ट-कायकम पर समाजवानी नेता काल काउटस्की के अधिकार की उपष्ट छाप है । यह मापसंवाद से प्रतिश था और इस प्रकार इस कायकम पर साम्यवादी घोषणा-पत्र (कम्युनिस्ट यनीफेस्टा) का प्रमाण दीक्ष पड़ता है । लेकिन कई मार्गे ऐसी भी रखी गई जिसस दल का मुख्याखादी तबका-सतुष्ट रहे । सभेष म एरफुर्ट कायकम म भी सम्बवय वी विचारधारा स्पष्ट है फिर भी एरफुर्ट-कायकम गोथा कायकम की तुलना म मापसंवाद से अपकानून अधिक प्रभावित था ।

जमन समाजवादी आयोजन धारन्म म ही दो मित्र धाराओं के बीच दूरता उतरता रहा । एक और नासान इवार्ट्टसर बनस्टाईन हथा पोरमार जसे व्यक्ति थे जो जनतात्त्विक समाजवाद के पोषक थे दूसरो और सीवक्सेल बेवेल तथा बाउटस्की जसे उग्र थे जो मावस के विचारा से प्रभावित थे । दोनों पक्षो म कायकम व दचीय सगठन के मुहां बोलेकर भारी मतभेद था । इस प्रवार सोशल डेमोक्रातिक पार्टी का इतिहास एक द्वय-परम्परा का गिरावंत रहा है । वभी उन्हें कायकम मुख्य अधिक थे तो वभी मापसंवाद वा अधिक पुट उनम निखार्द दिया । लेकिन एक

पूरे 14 वर्ष तक यह दल एक प्रभावशाली दल के रूप में बना रहा लेकिन शांघाई साम्प्रदादी दल ने अपनी स्थिति मजबूत करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रथम महायुद्ध के बाद जमन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा निर्मित पोरलिंग कायक्रम दल की दाशनिक परम्परा तथा कायक्रम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिटलर के सत्ता में आने (1933) के पूर्व 1920 से 1933 तक बीच जमनी में 21 मत्रिमण्डल बने और विगड़। इनमें सिफ़ एक साशन डमोक्रेट चान्सलर बना। इसका नाम हमन म्यूनर था जिसने 1928 से 1930 तक शानन किया। लेकिन जिला तथा राज्य-स्तर पर समाजवादियों ने कई बार सरकारे बर निमाल किया। हिटलर जमनी के राजनीतिक भित्तिज पर एक धूमकूट की भाँति उदय हुआ और 12 वर्ष (1933-1945) तक ग्राउंड दलों की भाँति समाजवादी दल पर भी गोक लगा दी गई। यह उल्लेखनीय है कि जब दिटलर न एनेबलिंग एक्ट माध्यम से समस्त शासिया प्रपने हाथों में केंद्रित करनी चाही तो राइशटांग (जमन लोक सभा) में सिफ़ 93 सोशल डमोक्रेट सदस्यों न ही उसका विरोध किया।

## 1945 के बाद

वाईमार जनताम की अवधि में साशन डमोक्रेटिक पार्टी माझमवार से काफी प्रभावित रही यद्यपि वह माझसवाद नातिकारी न होकर समयाचित परिवर्तना का समर्थक ही रहा। लेकिन फिर भी जब कभी किसी समस्या का सद्वान्तिक आवार हूँ ढना और उसका समाधान करना होता तो माझसवार के शहनायार से हवियार निकालने की आवश्यकता पड़ती। इताय महायुद्ध के बाद भी मानसवादी परम्परा का प्रभाव बना रहा। 1945 में जब सोशल डमोक्रेटिक पार्टी वा पुनर्गठन हुआ तो उसका नेतृत्व बुट शमाखर नामक व्यक्ति के हाथ में आया। यह अति वाईमार गणतन के जमाने से ही सन्ति समाजवादी था तथा इसने अपना जीवन एक सम्पादक के रूप में आरम्भ किया था। शूमाखेर 1924-1931 तक व्यूरन्मवग राष्ट्र की विधानसभा का सदस्य रहा तथा 1930-33 तक जमन राइशटांग का सदस्य। वह इतना निषय था कि उसने गोएबलस को ढीठ दीना कहन का साहस किया। हिटलर ने शूमाखेर को यातना कर्द (कासनटशन बेम्प) में भेज दिया जहा बीमा की भवस्था में इसकी एक टांग व एक हाथ खराब हो गये। 1948 में उसकी वाईटा काटनी पड़ी। शूमाखेर एक निष्ठावान् तथा उद्देश्य से युक्त नेता था साथ ही वह ध्यय व बदुता से परिपूर्ण तथा समझौता विरोधी हृष्टिकाण बाजार था। 1954 में उसकी मृत्यु हो गई। शूमाखेर का जमन राजनीति का मार्टिन नूयर वहा गया है।

कुट शूमाखेर की मृत्यु के पश्चात् एरिख भालिनहावर दल का नेता बना। वह नश स्वभाव का व्यक्ति था। नात्सी युग में वह प्राग ऐरिस व लादन में निर्बासित व्यक्ति के रूप में रहा। भालिनहावर 1949 से 1963 (मृत्यु-पर्यात) बुद्देस्टांग का सदस्य रहा।

1964 में विलि ग्राण्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन बना लेविन इसके बृह 1961 के चुनाव में उसने अपने दंडन की ओर से चुनाव नड़ा तथा वहाँमत प्राप्त करने की स्थिति में वह चासनर पद का प्रत्याशी था। ग्राण्ट हिटलर के कानून में क्रांति दमन चक्र से दबने के लिए नार्वे चला गया था तथा उसने वहाँ की नामितवास प्राप्त करनी थी। तीय महायुद्ध के बाद वह नार्वे की ओर से राजदूतावास में सूचना अधिकारी बन कर आशा। शीघ्र ही उसने पुनः जमनी की नामितवास स्वीकार कर ली तथा बलिन स्थित सोशल डमोक्रेटिक पार्टी में सत्रिय हो गया। शीघ्र ही वह पश्चिमी बलिन का भेयर बन गया और अपने गतिशील "यन्त्रित" के बारण उसने धातराष्ट्रीय स्थाति प्राप्त कर ली। 1966 में वह निश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन व सोशल डमोक्रेटिक पार्टी द्वारा निमित्त मिने तुल मनिमण्डन में वार्सिंस चासनर (उप प्रधानमनी) तथा विदेश मनी बना। तीन वर्ष बाद ग्राण्ट चासनर बना तथा 1974 में इसने चासनर पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात् "सी दल" का हन्मुठ रिमडट चासनर-पद पर आसीन हुआ।

इसका अतिरिक्त फिटज एलर तथा हबट वेहनर गुस्टाफ हाइनेमान तथा कार्लो रिम्ब्ट नामक वक्ति सोशल डमोक्रेटिक पार्टी में काफी प्रभावशाली रहे। 1967 में एलर की मृत्यु ही गई। वह सुवारवादी प्रवर्ति का यात्रा था। हबट वेहनर आज भी दल के समठन में प्रभावशाली स्थान रखता है। गुस्टाफ हाइनेमान ने पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति पद का भी सुशाखिन किया था।

### सोशल डमोक्रेटिक कायक्रम

युद्धोत्तर कानून में सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के कायक्रम का सम्यक अध्ययन करने की हृष्टि से उसे दो जगों में बाठना उचित होगा। यह वर्गीकरण "स प्रभार है—

- (1) समाजवादी सिद्धांतों पर अधिक बल (1945–1958)।
- (2) जनतात्रिक समाजवाद की ओर (1959–1977)।

प्रथम काल में सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने उत्पादन विवरण तथा विनियम के साधनों पर राष्ट्र के नियन्त्रण की बात की तथा राष्ट्रीयकारण की मांग पर जोर निया तथा अर्थ-व्यवस्था पर सामाजिक नियन्त्रण की बकालत की। समाज को पवित्र से ऊपर माना गया। दल अत्यधिक सिद्धांतवादी था और परम्परागत हड़ि पर चनने वो तत्पर था। उसने देश के बदनते स्वरूप व परिस्थितियों पर अधिक ध्यान नहीं निया खास कर कुट्ट शूमाहर के समय ऐसा सिद्धांतवादी हृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1952 में स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। अनिनहावर यद्यपि सदातिक हृष्टि से शूमाहर व निकट था लकिन उसकी "यावहारिक" कुदि के कारण बायक्रम में समर्पय व समझौते के लिए कुछ स्थान रहा। 1956 के बाद दल ने नेतृत्व ने अनुभव किया कि यह दल के कायक्रम में जनतात्रिक सिद्धांतों वो पर्योगित् स्थान नहीं दिया गया तो वह ने बेवर प्रतीक्षिय रखेगा वरन् निवट

भविष्य में सत्ता प्राप्ति का सपना सपना ही रह जाएगा। निरतर चिन्ह विचार दिमां तयों सलाह के बाद 1959 में बाडगाइसबंग नामक नगर में (आज यह बान नगर का हिस्सा है) सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का मस्तकपूर्ण सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रीय करण एवं राज्य के नियनण को बहुत कम मञ्च दिया गया तथा समाज की तुलना में अद्वितीय का अधिक महत्व प्रदान किया गया।

1959 के बाडगोडसबंग कायकम की स्वीकृति के साथ ही लोकतानिर समाजवादी प्रवत्ति की निर्णायक जीत हुई और राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का पराजय खीकार करनी पड़ी। तत्पश्चात् दल को नोकप्रियता में भी बढ़ी हुई।

### राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

जसानि स्वरूप किया जा चुका है जमन समाजवादी आ लेन विभिन्न दिनारथाराघो-साम्यवादी और सशोधनवादी-ए बीच भूलता रहा है। यही बात युद्धोत्तर जमन सोशल डमोक्रेटिक पार्टी से बारे में जारी हानी है। राष्ट्रीयकरण का सिद्धात समाजवाद के सिद्धातशास्त्रिया व लिए एक पवित्र सिद्धात रहा है। 1945 से 1952 के बीच दल ने अधिकाधिक उत्पादन-साधनों के राष्ट्रीयकरण की दबालत की तथा यह प्रवत्ति बराबर जारी रही। 1949 के बाद जब क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) की सरकार न बाजार अर्थनीति का मनुस्तरण किया तो उम्मी निदा की गई तथा इस पूरी जीपतियों के एकाधिकार का पुनरस्थापन की सज्जा दी गई। साथ ही साथ यह मान की गई कि राईन तथा स्वरूप में स्थित प्रमुख उद्योगों को निजी हाथों में से निभाल कर सावधनिक नियनण में दे लिया जाय। समाजवादी राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का राग प्राप्त रहे लक्ष्मि तटकालीन सी नी पूर सरकार न मुक्त यापार तथा निजी उद्योगों की सहायता उ देश में आर्थिक पुनरर्चना के कठिन काय को समव कर दिवाया। 1953 में दुवारी चुनाव हुए और जनमा ने समाजवादियों से अधिक भत्त क्रिश्चियन इमान टिक यूनियन को दिए। 1953-57 के बीच और अधिक आर्थिक उन्नति हुई और निर्मीय महापद नव्वप्राय एवं घस्त जमनी की पुन एक प्रमुख आयोगिक राष्ट्र के हृष म स्थान बर दिया गया। यह बद मुक्त अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र बाजार और निजी उद्योगों की सहायता से ही समव हो पाया। यह जनता सोशल डमोक्रेटिक पार्टी को क्यो बोट देने लगी? समाजवादी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सिफ राष्ट्रीयकरण या नियाजित विकास का जारी की रहा स तो भत्त मिली नहीं। इनी बीच 1957 में हीसरे प्राम हुनाव हुए जिसम क्रिश्चियन इमान टा का और प्रवित बाट मिल। समाजवादियों की निराजा का पारावार न रहा। उह भग्नारहाशर राष्ट्रीयकरण के पुगन नारे को छाड़ना पड़ा। 1959 में सोशल इमान टिक पार्टी न बाडगाइसबंग या अपन बनाया जो समाजवादी कम और जनतानिक अधिक था। इस बायक्रम के सम्बन्ध में एक द्वितीय नवर न तो यहां तक बहा कि बाडगाइसबंग

कायम्ब ता जिन क अनुमार द्व वा-ता करपया था मिलिया भासा नामा ह  
म स्वाधार था। प्रति नियम खंड इफ आर गारमान क अनुमार सार  
द्वमाक्रेटिक पार्टी का यह शास्त्रम सुनग ज्ञा है यह सामाचिक नियम अनुमारित  
द्वारा है। यह हरमूर नियम नमन चारपाँच म 1965 म पूठा रखा  
कि शार विस एवं म अधिक प्रभावित है तो उसन न साक्षम का नाम दिया त  
शायद उसन का न कर साक्षर का बन उसन का कि वह यामन जरूर तत तथा  
उत्तर एवं उत्तर का शार व्यक्ति भासता है। उसन यह अपन सक्षम दियता है कि  
समाजवाचिया न मिलिया साक्षर का शार है।

### घम व चब व प्रति हृषिकेश

समाजवाचिया तथा पान्चिया म आरम य हा आपसा विग्रह व घग्गा रहा है।  
1941 के 20वा जनाना क पूवाढ़ म उमन समाजवाचियों का यह मायना रहा है कि  
चब या पान्च-वेग गायब-वेग का विप्र है। यह आर चब दरावर वह साचता  
रहा है सामिल चब के मध्य वह द्वारा भना है। यहा दाग्गा है कि अदिक्का कथाविक  
प्रम क अनुवापा समाजवाचिया का बाह नहा रहा है। यह उसन उमना म भा आरम  
म यह विधिव बना रहा। 1945 के बारे जिन समाजवाचिया क हाथ म सार व  
द्वमाक्रेटिक पार्टी न नहुत तो उनम म अधिकारा रात दिया भा घम इ पातन का  
शब्दा न। इस थ। उक्ति यह आर विचियन अमार्टिक यूनियन (मा ए यू)  
नामक गारनाचिक न न तो अपन नाम म न विचियन इन नार रक्षा या घम  
घम व प्रति थदारु उनना रहा नह का बाह रहा। उस समाजवाचिया का नक्षमान  
हाना। यार आर समाजवाचिया न यम दिया रहिका रा याना आरम हिं।  
उहोंते चब के माय सदा वा धायगा दा। उक्ता कारण यह या है प्रग्म तान  
आम चुनावो म वराचिका क भाग प्रमन न रिच्चियन अमाक्रेटिक यूनियन का माय  
हि या या। घमिक उना क विचान का अनना उक्ता या उन सार द्वमाक्रेटिक  
पार्टी न धायगा का है उमाक्रान वा अनाम घम नहो है वह तो एक विचार  
घार है। नाय हा यह भा यारा वा इ कि उन विचापरों व घमिक समाधों  
का आपर करता है। उना ऐ तरा समाजवाच नक्षमों न पान्चिया का उन्हा में  
झाए उन झारें तिक्षा नहा उन पान्चम म इन झान झमान हा झाम तिक्षा हि व  
यम विचापा नह है बरन् घमिक मि एन्हा क भारा भमयक है।

### गिरा और बना

सार द्वमाक्रेटिक पार्टी एक गतिशार विश्ववस्था की समयक रही है।  
1946 म वरित के दिन न धायगा दा हि विश्ववस्था कबीलीए हानी चारिए।  
एक आर विश्व द्वयप्र दरन है तो द्वमरा आर उन विश्वों म चरित तथा

राजनीतिक चतना फू करनी होगी। साशन डमारुटो की मायता थी कि शिरा का उद्देश्य स्वतन्त्र विचार सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जन चेतना का जागरूक करना है। न्तर ने मान की कि शिरा एस्याश्रा क व्यवस्थापन म अभिभावक तथा छात्रों को सह नियम का प्रधिकार दिया जाना चाहिए। पिछान्यवस्था की सफलता इसी बात म निहित है कि वह बोद्धिक स्वतन्त्रता तथा जनतात्रिक भावनाओं का सुदृढ़ कर तथा साथ ही साथ अन्तराष्ट्रीय बहुत्व के विचारों का प्रोत्साहन भी दे।

सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के 1959 क बायक्रम क अनुमार गिरा के ऐत्र मे सभी लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों का युवकों म पारम्परारक सद्भाव सहिष्णुता व सम्मान की भावना भरनी चाहिए। युवकों का स्वतन्त्रता तथा सामाजिक दायित्व के साथ ही साथ जनतात्र के आदर्शों और अन्तराष्ट्रीय महाद्वाव का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार शिरा क बायक्रम न भारा नागरिक की शिखा शामिल हानी चाहिए।

### दलीय सगठन

सोशल डमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत हा सुमणान दल है तथा दल का कायवाही जनतात्रिक तराक पर आधारित है। जमनी म सगठन की इच्छा स राजनीतिक दल का दा बर्गों म वाटा जाता है।

(1) सन्स्थो मुख दल

(2) चुनावो मुख दल।

प्रथम बग का दल सगठन म सदस्यों को प्रधिक महत्व दता है जबकि दूसरे बग का दल चुनावो म अधिक नियन्त्रणी रखता, और सगठन म कम। 1972 म इस दल क 9 00 000 मदस्य थ। यही बारग है कि इस सन्म्यामुख दल क नाम स जाना जाता है। यदि जमनी के तीन प्रमुख राजनीतिक दारों की तुनना की जाए तो विनिन होगा कि 1964 म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी क 6 78 484 सन्म्य फिशियन डमार्टिक यूनियन क 3 00 000 तथा क्री डमार्टिक पार्टी क लगभग 8। 00 000 मदस्य थ।

### दल की रचना

बाह्यारणतव म भी सोशल डमोक्रेटिक पार्टी 20 जिना राज्या म वर्गी, और आज भी यही स्थिति है। जिन से नीचे स्थानीय व्काइ देश विषय की २ मादि इकाइया हैं। राज्य-स्तर पर तथा संघ स्तर पर भी उसका गठन होता। संघ स्तर पर पार्टी काग्रज इका सर्वोच्च भग होता है। पार्टी बांप्रस मा न म 300 सदस्य होत हैं जो विभिन्न जिना व राज्या क प्रतिनिधि होत हैं।

“सम त्र का कायकारिणी तरा नियमण आपाग क सम्बन्ध भी जामिन हात है। अमृत अनिवित भमनीय त्र मा सलाहकार के न्य म पार्टी काप्रेस म जाग रहा है।

### पार्टी काग्र म (अधिवशम)

“मेर वय पार्टी काग्र का आपागन किया जाना है। इसका आवाजन त्र की कायकारिणी करती है। पार्टी-काग्र स पूब मभा प्रनिनिधि न परिचय पगा दो जाव हाता है। नद नताशा का चुनाव होना है तरा क य विधि निर्म निर्वित इय जान है। गिराऊ मामन पामात्र बन्मन स तय किय जात हैं तथा पार्टी क सविधान म मजाबन करन क निए ८, ३ बन्मत औ आवश्यकता हाता है। प्रनि त्र वय त्र की ना कायकारिणी का चुनाव हाता है साथ भी त्र क नियमण आपाग का निवाचन भी जाना है।

प्रनि पिया का अविकर है कि पार्टी काग्र के आवाजन म पाच मजाह पूब प्रस्ताव भन। य प्रस्ताव कायकारी एा का जन जान है। सार प्रस्ता” मात्र अपात्र त्र पार्टी क सालाखि पत्र फारबटम म तान मजात्र पूब प्रकाशित जान हैं।

मकर-वाद म पारा काय म वा अपागरण मम्लत तुराया जा मकना है।

### कायकारिणी

दन की कायकारिणी म अन्य त्र जो “गाड़ा” - अनिवित कोपात्र त नया निर्वित मम्या भ सत्य जान है। दन सम्या की सह्या समय-समय पर दग्ध या धग्ध जा मानी है। उकिन त्र क मानान क गानमार कायकारिणी भ कम म बम चार मनाए अवात्र जानी चाहिए। कायकारिणा अपन निराया का कायाचिन करन क निए एउ प्रसाइयम का चुनाव करती है जिसकी मन्य-मम्या पार्टी काग्र स जारा निर्वित का जानी है।

कायकारिणा दन के मुचार अवात्र क निए तरलायी जाती है। त्र की विनिल मम्याया और मम्लना पर नियमण रखती है। वह जय मा चाह त्र क दिमा भा यान का जाव कर रखती है।

### परिषद

त्र क मधाय स्वभाव वो मुरक्का क निए कायकारिणी के प्रनिरिक्त एक परिषद् वी भा यवाया की रहा है। ए परिषद् म निम्ननिवित प्रनिनिधि आमिल हात है—

- (1) दिला स्वर क दन क अन्य त नया इन-निरिक्त - भरी कायकारिणी - प्रनिनिधि । दिम दिन म त्र क 20 हजार मम्य हात है वह एउ निनिधि 50 जार मम्या पर त्र निनिधि तया 50 हजार म अधिक मम्या पर तान प्रनिनिधि भेज जाती है।

- (2) दल की राय शाखा के अध्यक्ष
- (3) राज्य विधान सभा दल का नेता
- (4) राय के मुस्क्य-मंत्री या उप मुस्क्य मंत्री
- (5) सघ-सरकार (यदि उनकी सरकार हो तो) व सदस्य-गण।

परियद् के सम्मतन का आयोजन दर वी कायकारिणी भरती है। तीर्ता माह में मामायनया परियद् की बठक होती है लेकिन परियद् व एक तिहाई सदस्या वी विशेष शायना पर असाधारण बठक बुलाई जाती है। दर वी कायकारिणी विद्युत विषयो—जस विदेश नीति अथ नीति गृह-नीति तथा पार्टी समाजन व मुद्दा पर निषेध लेने स पूर्व परियद् के विचार मुनता है। इस प्रकार कायकारिणी के तिरकुआ होने का घतरा टालने के लिए तथा विभिन्न रायों वी शाखाओं को उचित महत्व देन वी लिए परियद् की स्थापना वी गई है।

### दल नियन्त्रण आयोग

साश्ल डेमार्क लाग कायकारिणी के अत्यधिक प्रभावपूर्ण होन की स्थिति से बचना चाहते थे। उसक कार्यों पर नियन्त्रण के लिए जहा एक और दलीय परियद् की स्थापना वी गई वहा दूसरी आर एवं नियन्त्रण आयोग की रचना भी हुई जिसक 9 सदस्य होत है। नियन्त्रण आयोग का चुनाव प्रति दूसर वष पार्टी वाप्रस करती है। हर तीसरे माह इस आयोग की बठक होती है। नियन्त्रण आयोग दल वी कायकारिणी के कार्यों का प्रबन्धना करता है तथा कायकारिणी के विष्ट्र वी गई शिक्षायना वा ग्रनीला वी जाच करता है।

### वित्तीय व्यवस्था

किसी भी राजनीतिक दल वी निषेध लेने की स्वतंत्रता इस तथ्य पर निमर वर्ती है कि वहावह मार्किन हॉट्ट से स्वतंत्र है या कि ही आय सत्याग्रो वर निमर है। इस हॉट्ट से साश्ल डमार्टिक पार्टी मार्गशाली है। अबे सदस्य नियमित रूप से दल वो सदस्यता शुल्क व आय अनुदान देन है। न बेवल इस न्त की सदस्य सदस्य प्रधिक है वरन् उसका सदस्यता शुल्क भी अधिक है। सदस्यता शुल्क प्रति माह चुकाना पड़ता है। 1964-65 म सदस्यता शुल्क को दरें व्यस प्रकार थी—

आयनी	मुद यता शुल्क प्रति माह
300 जमन मार्क	1.5 जमा मार्क
400	2
600	3
800	5
1000	7

1200	जमन मार्क	10	जमन मार्क
1500		15	
1800		20	
2000		30	
2500		40	

1963 म साल डमानिक पार्टी को सदस्यता गुल्के न्प म 145 लाख मार्कप्राप्त हुए जिसम न कवन रोनमरा का व्यय पूरा हो मका वान् कुछ सीमा तक प्रचार का बच भी चन मका । ऐ अंत का तुलना म त्रिशिवान -मानिक यूनियन व फ्री -मानिक पार्टी का मन्द्यन शुल्क स वान् वम आमना प्राप्त हानी है । माय हा पार्टी क बार्थो पर त्रिशिवयन डमानिक नाग 80 मार्क हच करन हैं जो काफी कम है । न्प म 30 लाख मार्क मन्द्यन गुल्के म गान्ह हान थ बाकी 50 लाख का बच अंद मस्याप्रा का सहायता से प्राप्त होता था । फ्री -मानिक पार्टी अपन नगमग ममस्त व्यय क निष उद्यगपनिया व पू चीपनिया पर आरारित था ।

### दलीय समितिया

आन का युग विशेष नान का युग है नया विविध ममस्याप्रा—सामूनिक राजनीनिक ग्राहिक मामाजिक क ममाधान क निष विषयना की सहायता की आवश्यकना हानी है । ऐ तथ्य का इन्हिन रखन ए मोरान डमानिक पार्टी न अपनी नीनिया क पट्टीकरण क निष विषय ममितिया की व्यवस्था की है । य नीय ममितिया समश्य ममितिया नाग निधारित विषया का ध्यान म रख पर बनाइ जानी है । मोरान -मानिक पार्टी न निम्नानित विषया पर समितिया का निमाग किया है—निम्नानीनि विषया की आ यूठ पीचित लाग सावनिक निमारा-काय रेचिया व प्रचार-नीनि प्रतिरक्षा-नीनि मामाजिक दशा निष्कामित व्यक्ति जमन-गड़ीकरण विन-नीनि कमचारी बनकू व परिवर्णनानि ।

### साशल डमोक्रटिक पार्टी का महत्व

विरोधी गाननानिक अना न गारम म अ इल का दनी ग्रानाचना की तथा अ नवारामक नानि क प्रताक आ मना ला लकिन घार घोरे माल डमोक्रटिक पार्टी की रचना-मक नीनि क वारण उसका प्राप्त होन रगी । 1963 म तो त्रिशिवयन -मोनिक पार्टी की सरकार व चामचर घाडनशावर न यहा तर कहा कि मोरान डमानिक पार्टी क दिना आधुनिक फरल जमनी र सामाजिक राजनीनिक विकास की बापना नहा की जा सकती । दशा के स्वतंत्र सगठन तथा पितृ भूमि को इष अ नारा दो गर सवादो की बोर्ड मो व्यक्ति यवर्तना नर्ने कर सकता ।

1966 में तो छोरात डमोक्रा क इल ने त्रिशिवयन डमोक्रित

1 पिन

कर मिती-जुली सधीय सरकार का भी निर्माण किया। 1972 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो स्वयं सोशल डमोक्रटा ने विनी ब्राण्ट के नेतृत्व में सरकार बना निर्माण किया। जमन जनता में जनतनीय मानवनामो के विकास के क्षेत्र में इस ने बारी यागदान रहा है।

**सोशल डमोक्रेट सरकार में—** 1860 से 1977 तक दीच सोशल डमोक्रेटिक पार्टी को अधिकाश समय तक विरोधी दल को भूमिका निभानी पड़ी। वार्मार गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति प्रीडरिच एवं दल तथा एक बार सरकार बनाने के अन्तर्वाले दल को अधिकाश समय तक विरोधी दल के रूप में बाय करना पड़ा। 1949 से (फडल जमनी के निर्माण) लेकर 1966 तक यह दल विरोधी देंचा पर बढ़ा (यद्यपि कई राज्यों में उसने मिला जुली सरकारों में भाग लिया)। 1966 में जब फ्री डमोक्रट सोशल ने त्रिश्चयन डमोक्रटा के साथ दोनों मनिमण्डलों को त्याग दिया तो उसके स्थान पर सामाल डमोक्रटा ने मनिमण्डल में प्रवेश किया। 1949 से 1974 तक जमन सरकार की रचना इस प्रकार रही—

वर्ष	सरकार में सा. मनिमण्डलों का नाम	चामत्र का नाम व दल
1949-६३	त्रिश्चयन डमोक्रेटिक युनियन फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने जमन पार्टी	आठनग्रावर (त्रिश्चयन डमोक्रट)
1953-५७	त्रिश्चयन डमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डमोक्रेटिक पार्टी	आठनग्रावर
1957-१९६१	— वही —	आठनग्रावर
1961-१९६३	— वही —	आठनग्रावर
1963-१९६५	— व। —	तुङ्गिंग एरहाड (त्रिश्चयन डमोक्रट)
1965-६६	— वही —	तुङ्गिंग एरहाड
1966-१९६९	सामान डमोक्रट व त्रिश्चयन डमोक्रेटिक पार्टी	किंसिंगर (त्रिश्चयन डमोक्रट)
1969-१९७२	सोशल न्यूमार्किनिक पार्टी व फ्री डमोक्रेटिक पार्टी	विनी ब्राण्ट (सामान डमोक्रट)
1972-१९७४	— वही —	विनी ब्राण्ट
१९७४-	— वही —	हनमुर ग्रिफेट

उन प्रदार 1966 में हो सामान न्यूमोक्रेट त्रिश्चयन डमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार में प्रवेश कर सक तथा सोशल डमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आवाज द्वाण्ट बाईस चामत्र (उप प्रधान मंत्री) बन। 1969 में सामान मार्किन पार्टी ने फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसमें सामान

दमाक्टिक पार्टी ने तरफ से विना ग्राण्ड चामोउर (प्रगति मत्री) बना। जून 1974 में विना ग्राण्ड ने अलापा ने निया और उनके स्वान पर उनके नीचे के नाम के हाल मुन शिखर चामोउर बना।

### सोशल डमारेट राष्ट्रपति

पूर्व जमनी के मित्र राष्ट्रपतिया के नाम के बायकार वा ग्राण्डयन हम राष्ट्रपति विषयक प्रधानमंत्री में कर आए हैं। यहाँ हम सामान राष्ट्रपतिक नाम के सन्तुष्ट ना गुस्साक हार्डनमान के निवाचन का उत्तर दर्शन करें। 1949 से 1969 तक जमनी में या तो प्री डमोक्रेटिक पार्टी या निश्चियन राष्ट्रपतिक पार्टी इन सम्म ही राष्ट्रपति के नाम पर आयान नाम रहे तकिन 1969 में अब्दर सामान धोरेटिक पार्टी के एक नाम ये ने राष्ट्रपति नवन में प्रवेश किया। 4 मार्च 1969 का माझन डमारेटिक पार्टी ने ना हार्डनमान नाम निश्चियन राष्ट्रपतिक यूनियन ने श्री गरहाड थान्हर का राष्ट्रपति पन के उम्मीदवार न हो में प्रस्तुत किया। चुनाव में तात्पुत्रता की हुई जी संघ का भागी प्री डमारेटिक पार्टी के नाम में यो। जिधर यह दूर भूत दत्ता वह उम्मादवार जीत जाता। अम बार प्रा राष्ट्रपतिक पार्टी न सामान राष्ट्रपति उम्मादवार का भूत दत्ता को निश्चय किया। जसा कि पहल हीमवति निया ना चुका है राष्ट्रपति के निवाचन के निए विशेष संघीय मण्डल (सम्मेलन नभा) का निवाचन होता है जिसम दुर्मगान (नाम सभा) के समस्त सन्तुष्ट तथा उनके समान सम्म्या में ही ग्राण्ड विना सभाग्रो नारा सन्तुष्ट भूत जाते हैं। 1969 के चुनाव में राष्ट्रपति पन के निए भूत नामान्तराप्रा का सम्म्या 1036 थी। अम से साधारणत विजय प्राप्त करने के निए 519 भूता को आवश्यकता पड़नी लकित यहि प्रवेश तथा ग्रीष्म मनवान में भी उम्मा बार का बहुमन न। मित्रता ता तीसर मनवान में जिस व्यक्ति को सबस अधिक भूत मित्र हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर निया जाता है। चुनाव का परिणाम अम प्रकार रहा —

हीमवति	ग्रोडर	बद्ध भूत	अन्य स्वत
प्रथम भूतवान	514	501	3
द्वितीय भूतवान	511	507	—
तृतीय भूतवान	512	506	—

अम बार तृतीय भूतवान में थो गुस्साक हार्डनमान राष्ट्रपति घोषित किया।<sup>1</sup>

1. 1974 में पूरे ये परिवर्त के कि चुनाव द्वा इन्हें सामान डमारेटिक पार्टी ने का दमाक टिक पार्टी के सन्तुष्ट थो बारेदार को सम्पन्न प्रश्नन किया थो थो राष्ट्रपति चुन निए गए।

## क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू )

सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में लगा की यह मान्यता है कि धारा के परिवर्तन के भोग धर्म का बहुत कम महत्व नहीं है जिनके लिए इस विचार भानिपूण है। पृथ्वी परिवर्तन का बहुत बड़ा विषय है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के विभिन्न दशा खानावार फास उल्लंघन के साथ क्रिश्चियन जमनी में जिन न्यायों के अवधि तक सरकारों का नियमांश किया उनके नाम के साथ क्रिश्चियन (एसार्ड) शब्द जुड़ा हुआ था। जमनी में भी इसायत के एक बड़े बड़े भूमध्यक एवं प्रनुयायी कानूनों द्वारा आजनप्रा र न ही 1949 से 1960 तक चान्सलर का पद धारण किया। इसके पश्चात्याग के बाद भी 1969 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का चान्सलर पश्चल जमनी पर शासन बरना रहा।

द्वितीय महायुद्ध की नयी विनाशकीयों से सभी यूरोप यर्दा उठा और अधिकांश नागरों के मन में यह धारणा घर कर गई कि धर्म के प्रति उत्तमीनता तथा अनतिकर्ता के कारण ही यूरोप तथा जमनी पर विपर्ति का यह पहाड़ दूरा था और इससे नात्मी तानाशाही व माम्यवानी तानाशाही के निए मार्ग प्राप्त हुआ। क्रिश्चियन डमाकृतिक पार्टी के नेता कानून आनंदशावरन अपने संस्मरण (ममादस) में लिखा है ईसार्ड यिद्दाता की नाव पर ना क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्राप्तार्थ खड़ा करना आवश्यक था। ईसायत ही निरापद तन्त्र थी। उम नात्मीवार्ड की भौतिक विचारधारा के स्थान पर इसार्ड हृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहत है। ईसार्ड नितिकर्ता को भौतिकवार के यिद्दाता पर विजय पानी होगी।<sup>1</sup>

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) ने ईसाई धर्म के मुख्य बिदालों का अपनाया। यह एक नया दर्शन था साय ही पुराना भी। नया इन शर्थों में हि उसने प्राचान जमन राजनीतिक दर्शन का परम्परा का क्योनके व प्राप्तस्टेट ईसाइयो को एक राजनीतिक रणनीति पर ना खड़ा किया। विमाक के जमाना से उत्तर द्वितीय महायुद्ध से पूर्व क्यालिक धर्म के प्रनुयायियों ने अपना एक अनग दल बना रखा था जिसका नाम था संटर पार्टी। अधिकांश कथोनिङ् इसी न्याय को यत दर्शन था। उस हृष्टि से देखा जाए तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पुराना दल था। क्याकि यह न जो क्यान्दिक मतदाता संटर पार्टी को जट दर्शन कर इसके अनुयायी ही गए। इस प्रकार इस दर्शन में प्राचीन सेटर पार्टी समाहित हो गई।

प्राचीनशावर नामीनामि जानता था कि जब तक दोनों ईसाई सम्प्रदायों क्यानिक तथा प्रोटस्टेट को एकसाथ न्याय में एकत्रित नहीं किया जाता तब तक एक विज्ञान तथा मुस्लिम दर्शन की स्थापना नहीं हो सकती। सत्ता प्राप्ति के लिए

1 कॉन्वेन्शन वारनशावर मेसायर्स 1945-53 बृहादार्थ वार्षे द्वारा दर्शन (मा. 1966) पृष्ठ 49।

देना होगा। अनगाँव की प्रवत्ति त्यागनी पड़गी। तत्पश्चात् क्योनिको न पूरी नान से अपने हितों का रक्षा का प्रयास किया।

वाईमार गणतंत्र के ममय भी स्टार पार्टी की मनिय एवं शक्तिशाली थी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मध्य इमर्की म्बिति और भी सुन्न थी क्योंकि वह जिस तरफ मिल जानी उसी पथ का पढ़ा भारी हो जाता। स्टार पार्टी की महत्वांग नूमिका व स्थान का पता इस बात से चलता है कि 1919 व 1933 के बीच वाईमार जमनी में 14 चान्सलर बन। इनमें से 8 चान्सलर स्टार पार्टी के थे। साथ ही इस दल ने लगभग सभी सरकारों में मनियों — रूप मंजूर निया। निलर (1933-45) न आय वर्गों की भाति क्योनिका पर भी अत्याचार विया थिया वह व्यव भी जाम से क्योनिक था। युद्धकालीन अनुभवों ने क्योनिको ने यह विश्वास और भी दूर-दूर कर मग कि सरकार एवं सम ज दा वाई मिदातो व विश्वास पर आधारित होना चाहिए।

ग्राउनड्रावर ने अपने सम्मरण (ममायम) में लिखा है— कई वर्गों से मैं यह विश्वास करता रहा कि हमें एक निश्चियत (साई) दल वा आवश्यकता है जिसमें दानों सम्प्रदाय क्यानिक व प्रोटेस्ट शामिल हो। जिस इसी प्रकार हम राजनीतिक मामलों में भीतिकदादी विचारधारा का सामना कर सकते थे और सिफ इस प्रकार ही जमनी में एक नवीन प्रकार का राजनीतिक जीवन आरम्भ कर सकते थे। ग्राउनड्रावर ने आग लिखा— जीवन के प्रति इसाई दृष्टिकोण ही कानून का एक मात्र सरक्षक है हमारे राष्ट्र की राजनीतिक आधिक तथा सास्कृतिक पुनर्स्थापना व पुनर्निमाण के लिए ईसा “यत ही आधार बन भक्ता है। एक आय नेता आटा फिक ने तो यहां तक कहा कि— मिफ “साई मिदातो” ने आनेशो (टेन कमाइंगमेट्स) तथा ईमा द्वारा पहाड़ी पर दिए गए घर्मोपनेश (मरमन आन नी माउण्ट) के आधार पर ही जमनी का पुनर्निमाण हो सकता है। निश्चियत “मात्र टिक यूनियन के आरम्भ तथा विभास के बार में विचार करने में पूर्व इस ने नाम पर ध्यान दिया जाये। इसका प्रयम शब्द है निश्चियत निष्का अव है ईसा।” यह शब्द घम प्राण जनता के लिए भारी आरपण रखता था। दूसरा शब्द है— डमोक्रेटिक यानी जनतशीय। यह उदार विचारधारा मुक्त ध्यापार तथा जनतात्त्व प्रवत्ति के लोगों के लिए आह्वान था। तीसरा व अन्तिम शब्द है यूनियन जिसका अव है सघ। मध्य में तो सभी प्रकार के सदस्यों के लिए स्थान है। उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दल का नामरण भी वह। इसी आधिक महत्वांग होता है और क्षितिज्यन डमोक्रेटिक यूनियन नाम विविध वर्गों के मननानामा वा आकृष्टि करने के लिए उपयुक्त नाम था।

एनालिस्ट ज हाईडनहाइमर के अनुसार क्षितिज्यन डमोक्रेटिक यूनियन तथा बैरिया स्थित उसकी सहचारी पार्टी। अनिच्यन सोशल यूनियन वतमान जमत “तिर्यग

के नदानक विनाय के सुना ही तुल म था। उमड़ महूत्पूरा सम्म्यों म न दबन आए यार रेसन (भरूद और पाँई का सम्म्य) बालार आनन्दावर इन्हें चुन (दनरियार चन्द्रा पाँई का नवा वर्गु दारा वासपदा) एवं या एवं वाणी नथा चुन दारा नथा आनन्दार नवा दा वासपदा-नगार के समर या रण-पथा नवा म उम्म मध्यममारी नवा म सम ठ एवं मित एवं। उमड़ सारे या साथ अब उम्म दारा एवं तारा गन्ध उमर न भा एवं उम्म के निमान म सम्म बदूय भूमिका ढला का। उन्होंने उम्म ना रिक्ता चुका एवं चार एवं उम्म ना रिह मुदापाल विभाजित उमना म दाय वर्ग का अनुसति न रख था। यहि एवं उम्म के साथ एक अचिन्ति का दाय माना जाए ना वह अचिन्ति विनाय आनन्दावर। एम मन्मह अन्ति के उम्म दा मरियन नानवारा प्राप्त वर्ग नवा उपर्युक्त हुआ।

बालार आनन्दावर दा एवं 1816 एवं उम्मना के बालान नामक नगर म रहा। दूर एवं अर्द्धित उम्म ना अनुसारा या और एवं उम्म उमर उम्म म तुरा आम्मा था। 1917 म 1933 तक आनन्दावर बालान नगर का समर रहा। उम्म बाल 1920 म 1932 तक एह उम्म का गांधीरिय (एह बालनिय) का अवय भा या। 1933 म हिन्दूर न उत्ता प्राप्त वर्ग के बार आनन्दावर का फू म एवं निया आर यह उम्मि अ न गाव राजनन्दा जाकर रहन रहा। 1944-45 म एवं उम्म समय जर म विनाना पहा। उमना का यगार क लाए 1945 म एवं अमरिहिया न बालान का भास्तु उम्मा उम्मि बाल म यह उम्म प्राप्ति के रिंग विन्न का एवं निया गया। अग्नि उम्मि-उम्मनर न एवं पर स हुआ निया। 1945 म एवं विन्न अमिहिय उमन उम्म इ उम्मन इमाल एवं उम्मनियन वा प्रथम प्रत्यक्ष वर्ग ना म भूम्य उ वर्ग प्रपन उम्म दा एवं साक्ष व प्राप्तावारा नवा नवा रहा।

मम 12 वर्षग्य विमा दर्शि का दा निमान विद्या म भा महा उक्ति व गाया रहा तथा तब 1949 म प्रथम उम्मनर क चुकाव उम्म ना वर्ग एक उम्म म ब्रावर चासनर बना। उम्मनिय एवं भा उन्होंना जाता एवं विन्न उम्म उम्म उम्मनर बना निया।

जब वट्ट उम्मा म बाला वर्ग उम्म रिया ना एवं परा गया एवं ग्रानन्दावर मान्द आप अवधारा एवं रोंगों ना उम्मका उम्मर था—मामिया के साप (1933-45 तक) उम्म पहन। उमना अवारा न रिया था।

#### काष्ठम

तिम एह एह नवीन अचिन्ति किसा एह आनन्दार के सम्मुख उमना परिवद एवं (Visiting C id) एह उन्होंना एवं विसम उम्मका उम्मगिह दावनायों एवं तथा दायानय तथा निवाम-नियन वा पता उन्होंना है और एवं तर्ह एह उम्म एमिहिय एवं एह उन्होंना एवं एह उम्म उम्मका उम्मित और एह उम्मा उन्होंना और एह उन्होंना

का पता चलता है उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल वा प्रारम्भिक परिवय उसके कायकम—आधिक राजनीतिक सास्त्रिनिक मामाजिक आदि से प्राप्त होता है किंतु उस दल के कार्यों का प्रबन्धन एवं याह्या कर्म से उसका पूरा परिवय मिला है। इस दृष्टि से किसी भी दल के कायकम का विशेष महत्व होता है।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ईसाई मिश्नाना एवं पश्चिमी समृद्धि का आधार मान कर चलता रहा है। इस दल ने आयातिमक मत्यों का राजनीतिक हाथों में उतारन का प्रयास किया है। रावट जो नायमान के अनुसार बनमान क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा उसकी वर्वरिया स्थित महसारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन अपने राजनीतिक सिद्धान्तों में तथा अपने कायकमा में उहाँ आदर्शों का पालन करती है जो पूरोप की दृष्टि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी द्वीकार करती हैं। उन्हरण के लिए फास की पापुनर रिप्रिलकर्तन मूवमट (एम आर पी)।<sup>1</sup>

### सास्त्रितिक नीति

इस दल वा मूलाधार ही ईसाई समृद्धि योग्यता यह स्वाभाविक ही या कि वह सास्त्रितिक पक्ष पर अधिक बल देता। नास्तिक तानाशाही आदर्शों साम्यवाद व नात्मीवाद व पुनराय व प्रसार की रोकन के लिए ईसाई धर्म के उत्तरात सिद्धान्त व प्रति पूर्ण निर्णय आवश्यक मानी गई। दल को नतिक मूल्या की नीति पर विद्या किया गया ताकि सौतिकवादी आदर्शों का मुकाबला किया जा सक। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक दल के नतामा की या पता था कि समृद्धि ही समाज का आधार है तथा समाज के स्वरूप स ही राजनीतिक विचारधारा तथा धर्म-नीति प्रभावित तथा प्रस्तुति होती है। दल के आरम्भिक कायकमा में बार बार यह बात दुहराई गई कि पश्चिमी ईसाई समृद्धि की आर पुन अभियुक्त होना जरूरी है। यह समृद्धि व्यक्ति की गरिमा और महत्व पर अधिक बल देती है।

चच का समाज में क्या स्थान हो इस सम्बंध में दल के नेताओं की मायता थी कि गिरजाघरों तथा धार्मिक संघों को राय द्वारा सरकार व सुरक्षा द्वारा हानी चाहिए ताकि वे अपनी गतिविधियों का चलाने में स्वतंत्र एवं मुक्त रह सकें।

नेहाईम ह्यूस्टन नामव स्थान पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो कायकम तयार किया उसमें परिवार की सम्मान पर विषय बल दिया गया। रातराड़ आडनग्रावर ने जनता व राय के निए परिवार को मूलभूत महत्व की सम्मान की। धर्म ईसायत तथा ईश्वर का इस दल के कायकमा में बार-बार उल्लेख मिलता है। 1959 म हाम्बुग नगर म आयोजित पार्टी सम्मेलन म बारत हुए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक नेता काल एनाल्ड ने कहा ईश्वर इतिहास का नियता एवं स्वामी है और रहा। मानव को ईश्वर का प्रादेश है कि वह ईश्वर की ईश्वरी के अनुरूप विश्व का निर्माण

करें। हम जानते हैं कि जिन व्यवस्था का निमाणु उद्देश्य के बिना होता है वह उत्तान व्यवस्था है। उनके अन्तर्गत आजानिया में आजान का दि व एक उमाइ जमनी के निमाण के लिए नन मन आर इन में से जाए।

दिग्गजा ज्ञन न खासकर सार्वज्ञानिक लिख पार्टी न क्रिच्चन नेत्रोंके लिखन पर धिरजापर्ट्टन व्यवस्था की हान का आजान लाया। उनका कहना था कि जब जब तुनाव हान है कि गणिता के धिरजापर व आजान सुन्न के प्रचार के उद्देश्य जान के। विराधिया का यह आरोप करना है तक सहा था। उक्त आजानगावर त्योहार ननाप्रा के उनके या कि राजनीति के लिए म उद्देश्य एवं मानव के प्रति तत्त्वाधिक मैत्रैयै नया धरन इन तक के मध्यम म उन्होंने बिनियोग को दृष्टिभाना वा उद्देश्य लिया जिनमें कहा या है उद्देश्य त्योहार मानव के प्रति अपने उत्तराधिक व प्रति मन्दिर होता है। उन प्रकार यह क्रिच्चन उमाइ लिख यन्त्रण के कामकाम का सार ना म प्रभूत रखता वा तो कहना आजान-उमाइ सम्बन्धित पर प्राप्तान्त्रिक ममाज और राज्य।

### शिक्षानीति

“मूल व वास्तव का नव्य एसो वानावरण नापर करना होना चाहए जिसमें स्वतंत्र उननावर व्यवस्था का सुरक्षनापूर्वक मधालन हो सक। परिवार मूल धिरजापर नया विविदात्मक य चार लक्ष्य हैं जिन वर समाज व्यवस्था का प्राप्तान व्याप्ति के नया उद्देश्य का आधार पर स्वतंत्रता का निमाण या विनाश वा सहना है। क्रिच्चियन उमाइ लिख पार्टी का विचार या कि आजानीति व निमाण में माना जिता का निर्विचार होना चाहिए। बच्चा का आजान की न उन बार म पारम्पर म हो उन का कहना था कि माना जिता - विचारों का उर आजान म महाव जिता जाना चाहिए।

आजानगावर का विचार या कि व्यावसायिक तकनीकों व अज्ञानिक आजान का नाम भट्टस है। जाना के सुनिवित विकास स ही एक समुदायिक व्यक्तित्व का निमाण हो सकता है। इसानीए क्रिच्चियन इमाइ लिख दूनियन त शिर्हन-भस्यादा में धार्मिक आजान का व्यवस्था का वडापड़ की। सक्षिन साध ही भागा जिता का अधिकार जिता गया जि व ही यह निर्वय करें कि उनका पुत्र या पूत्री धार्मिक आजान ले या नहीं।

### धार्मिक नीति

ममना धार्मिक नीति न इस तर न निवी सम्बन्धि का मञ्च न है जिसे व्यावार व उद्योग का आनाहत उन का बालात्र का। इनके एक धारमिक कामकाम (नगाम इस्तन वापत्रम) म श्रिच्चन उमाइ लिख दूनियन न योग्यता की— जनठाक्रिक राज्य का धनिवाप तुरभा व निए सम्बन्धि का स्वामित्व जहरी है।

समुचित मात्रा म सम्पत्ति के अजन का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस नव न मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्था या सामाजिक बाजार अथ नाति का पालन करन पर बल दिया। क्याकि इसी दन का सरकार वनी अत उसन दम नाति का पालन भी दिया। नक्किन दसम यह अभ पदा नही होना चाहिए कि यह नल एवं शोपक व नमनकारी पूजीवादी व्यवस्था का पापक था। यह दन मज़ब्ता की समस्याओं के प्रति भी सजग था तथा इसन उद्योगो तथा कारखाना म सह एण (कार्टिरमिनान) को नागू दिया जिसक अनुमार उद्योग व कारखानो क सचानन क सम्बन्ध म निलाप नन के लिए एक विषयीय ममिनि का गठन किया गया जिसक मउर प्रबन्धक (या मानिस) नया सरकार के प्रतिनिधि एकमात्र बठकर निणय लत थ। क्याकि ऐसा में मज़ब्त व कमचारी भी शमिन होत थ अत उस सह तिणय वहा गा है। मज़बूर व कमचारी जनतात्रिक तरीक म अपन प्रतिनिधि चुनत तथा उत्त प्रबन्ध परियद म नेजत थ।

क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन यद्यपि मन्त्र निजा व्यापार व निजी उद्योग का प्रोत्साहन दन के पश्च म रहा नक्किन दमका यह अध क्लापि नवा रहा कि दा क समस्त आर्थिक साधन कुछ मुठ्ठी भर जाया व हाय म कन्ति जा जाए। स्वतंत्र व्यापार व क्लामा के पभपानी दम दन क नासन फ्लान मव महत्वपूण उद्योग सरकार के नियन्त्रण म लिए गए जम रल तथा फोल्कसावागन (Volksstag) माटर-क्लार के सचालन के निए भरकार ही निभ्मनार रही। फाक्ससावागन नाम गाडी का कारखाना यद्यपि सरकारा नियन्त्रण म रहा लिक्न उमक प्रबन्धको म द्वितीय व्यवसाय क जागा का भी पत्र किय गय तथा उस एक यापारिक प्रतिष्ठान क रूप म सचालित दिया गया।

लुडविग एरहाड जा पहन क्रिश्चियन डमाक्र यूनियन की सरकार क आर्थिक मामला का मत्री या तथा बाद म चासनर भा बना और उम नामाजिक बाजार-व्यवस्था अथ नीति का जनक वहा जाता है न देश की अपनीति व भास्ति कुछ मुठ्ठी भर लोगो व हाय म कन्ति न हा जाए इस तथ्य का ध्यान म रखने हुए कार्टेन-कानून (Cartel Law) बनाए। यह उल्लेखनीय <sup>3</sup> कि एरहाड द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों व आधार पर ही नष्टप्राय जमनी पुन भमदि के पश्च पर अप्रमर इग्रा और 10 12 वर्षो म हा जमनी का नतना काया-कर हा गया कि आज नाग उस आर्थिक चमत्कार' (इकानामिक मिरक्ल) की सना न्त = । 15 वर्ष क मीतर विश्व क आर्थिक मानवित्र पर जमनी का नाम गान अक्षरो म निव दिया गया। जमनी आर्थिक महामानव व रूप म विहृ पर मडरान लगा।

क्रिश्चियन डमोक्रटिक दन न अपनी अदनोति क निमात म निजी दमों का प्रा माहा निजी सम्पत्ति का सुरक्षा व गारदी पूण राजगार निजी व्याप व व्यवसायो का प्रासान आर्थिक समृद्धि व मज़बूत मिकड व स्थाय का ध्यान म रखा

और व्यंग प्रकाश ने नाग एवं जनवायागकारी राज्य की स्थापना का नाम सामने प्राप्त।

### दलीय संगठन

संगठन का अधिक संघर्ष नीच सारम हुआ। पहले जिना व स्थानीय धर पर फिल्चियन डमार्टिक यूनियन की तीव्र रक्षी गढ़ फिर राज्य कार्यालय नियमाण हुआ तथा अत म संघर्ष व सम्पूरण नेता म बनीय नेता का गठन किया गया। यह तान दोनों के मण्डल का तुरनामक अभ्ययन किया जाए तो यह नात होमा कि नहा फिल्चियन डमार्टिक यूनियन व दलीय सांत क आनाम 18 ब्कार्या हैं तामी अमार्टिक पारा म 11 तथा मालाल अमोकटिक दल म 20 ब्कार्या हैं।

यह उत्तराखणीय है कि फिल्चियन डमोक्टिक यूनियन की इकान्या म बनरिया तथा बर्निन - 1 "का या अमिन नहा है। बबरिया म अनग स दल है जिसका नाम है फिल्चियन सांत यूनियन। यह राज्यस्वर पर स्वतंत्रता प्रवक्त वाय करता है अविन वन्नाय या मधीय स्तर पर फिल्चियन डमोक्टिक यूनियन क साथ मिल-जावर काय करता है। बर्निन का ब्कार्ड का भी नगमग प्सा ही यवहार है।

### सदस्यता

मन्द्या का मन्द्या की दृष्टि म फिल्चियन डमोक्टिक यूनियन का दूमग म्याम 1। फरवर जमनी म मोशार मार्टिक पार्टी क 1965 म 6 00 000 मन्द्य थ ता। फिल्चियन अम न इक यूनियन क नगमग 00 000 मन्द्य ही ।

फिल्चियन डमार्टिक यूनियन क दलीय संविधान की धारा 2 म कहा गया है कि प्राप्त उमन जिसकी उम 18 वय हो इस दल का मन्द्य दल सक्ता है। मन्द्य दलन दात व्यक्ति का उन क राजनातिक दशन व कायक्रम म आस्था रखना आवश्यक है।

### संगठन का स्वरूप

मानन का अधिक संघर्ष दर चार नामों म विभक्त है—(1) मधीय घरक (2) राज्य दल (3) जिला ब्कार व 4) स्थानीय ब्कार्ड।

### मधीय इकार्ड व विभिन्न अग

दलाय मर्व न की धारा 29 के अनुसार संघर्ष दल क निम्नाकिन ग्रन है—  
 (1) मधीय पार्टी का म (2) संघीय प्राविष्ठा (या मन्द्यति) तथा मधीय (3) ब्कार्याग्निला समिति। संघीय पार्टी कार्पोरेशन संभा जाताया क चुन हुए प्रतिनिधि एकमित हान है। बिनी राज्य क प्रतिनिधिया का संघा क निवारण का तरीका इस प्रकार है—  
 पिछल धार्म नुनाव म जहा उन का 75 000 मा मिन वहा स एवं प्रतिनिधि तथा

इसके अलावा वहां दल के एक हजार सौं में पर एक प्रतिनिधि भजा जाता है। पार्टी कांग्रेस का आयोजन प्रति वर्ष होता है।

उक्त सधीय संगठनों के अलावा पार्टी कांग्रेस एक प्रसीडियम वा चुनाव बरती है जिसमें एक पार्टी प्रबंधक (मनजर) एक सहायक प्रबंधक तथा चार अन्य सौं में सम्मिलित होते हैं। साथ ही पार्टी-न्यायालय (कोट) के लिए 5 सदस्यों वा उनके 5 सहायकों का चुनाव होता है।

पार्टी कांग्रेस दल की मूलभूत नीतिया का निश्चय करती है कायकारिणी समिति से रिपोर्ट सुनती है तथा इसकी अनुमति के बिना दल के संविधान में अनुच्छेद नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह सर्वोच्च एवं सबशक्ति मान संस्था है परं क्याकि यह वर्ष में एक बार ही आयोजित होती है अतः यह अधिक प्रभावशाली रूप में काय नहीं कर सकती। इस प्रकार समस्त सत्ता सधीय आयोग तथा सधीय कायकारिणी समिति के हाथों में कानूनित हो जाती है।

सधीय आयोग उन सब मामलों पर राजनीतिक व संगठन मूलक नियन्त्रण ल सकता है जो पार्टी-कांग्रेस द्वारा पूरी तरह आरंभित नहीं है। इस आयोग में राज्य शाखाओं तथा दल द्वारा निर्मित राज्य सरकारों व अध्यक्ष तथा सधीय कायकारिणी समिति के सदस्य तथा राज्य शाखाओं के प्रबंधक (मनजर) तथा सधीय समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इन्हें व्यापक प्रतिनिधित्व के बारण इस आयोग की महत्वा रखते स्पष्ट हो जाती है। यह निम्नलिखित काय करता है।

- (1) सधीय कोयाध्यक्ष तथा सधीय कायकारिणी के 15 सदस्यों का चुनाव। कायकारिणी के 60-70 सदस्य होते हैं।
- (2) प्रसीडियम के वित्ती सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर अस्थायी सदस्य का नामजद करना।
- (3) यह दोनों चुनाव-समिति का चुनाव समिति राज्य तथा सधीय चुनावों वा सचालन उम्मीदवारों का चयन आयि काय।
- (4) दल की आर्थिक व वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए दो घाडिटरों की नियुक्ति।

यह आयोग प्रति दो माह में बठक करता है लेकिन आवश्यकता पड़न पर दल का अध्यक्ष या प्रबंधक चार सप्ताह में असाधारण बठक चुना रखता है। इसने व्यापक अधिकारी की हृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संस्था है तकिन सामाजिक इनवें वर्ष में दो बठकें होती हैं। इसमें एक बार महत्व घट जाता है।

सधीय कायकारिणी समिति दल रूपी नाव वी सचालिङ्गा है। यह सर्वाधिक मन्त्वपूर्ण संस्था है। प्रसीडियम भी इसी कायकारिणी से संबंधित है। प्रसीडियम में दल का अध्यक्ष मुख्य तूल प्रबंधक उनके दो सहायक तथा चार अन्य सौं में सम्मिलित होते हैं। प्रसीडियम प्रति माह मिलता है तथा दल के प्रमुख नियागण इसमें शामिल होते हैं अतः व्यवहार में यह सबसे मन्त्वपूर्ण संस्था हो जाता है।

सधीय कायकारिगी म 60 से 70 तक सदस्य होते हैं। इनमें निम्नतिलिखित लाग जैते हैं-

- (1) दल का शोपाव्यश
- (2) दल प्रबंधक
- (3) सभीय दल का नता व उसका सहायक
- (4) राष्ट्र शाखाओं के प्रायक्ष-गण
- (5) दल से गम्भीर सांठन व सम्पाद्या-जैसे गुवाह सभा महिला राष्ट्र मध्य बर्म भव आदि के अध्ययन-मणि।
- (6) विभिन्न राष्ट्र प्रबंदों के (जहाँ दल को सरकार हो) मुख्य मत्रा
- (7) तुर्स्तान का अग्रक्ष (परन्तु वह दल में सम्बद्ध हो) तथा
- (8) आयोग द्वारा निर्दिष्ट 15 सदस्य।

दायकारिणी समिति नाम भाव में एक बार मिनती है। प्रसीडियम का छाड़ कर यह मवसे महत्वपूर्ण मस्त्या है।

### समितिया व अययन दल

जीवन के प्रायक दीन में नान की अपार चढ़ि के कारण आज के युग में अक्ति व समाज को विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। निश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन इस तथ्य से अवगत था अत उसने मध्य समय पर विशेषज्ञों की समितियाँ बनाई। 1969 में कुर द्वि विशेषज्ञ समितिया था जिसके नाम उस प्रकार है-

- (1) सास्कृतिक-नाति-समिति
- (2) प्रतिरक्षा-नीति-समिति
- (3) आर्थिक नीति-समिति
- (4) कृषि-नीति
- (5) स्वास्थ्य-नीति तथा (6) सामाजिक व सावजनिक सवा-समिति।

### क्रिश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन का महत्व

फेडरेन जमनी के पिछले 28 वर्षों के अंतिहाय में इस दल का निर्णायक स्थान रहा। 1949 से 1969 तक तो इस दल ने किया आय दल के साथ प्रतिकर्म-व सरकार का निराश तथा नेतृत्व किया। प्रथम 20 वर्षों में जमनी की सफलता तथा असफलता की क्यानी क्रिश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन की मफलता व अमफलता वीं ही रहानी है।

जमनी के प्रथम तीन चार साल-बानराठ प्राइनग्रावर लुचिंग एरहाड तथा कुर ग्याग विमिगर-इमी क्रिश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन की रूप है। जिस प्रकार भारत में आजानी के बाद काप्र स पार्टी का दबदबा रहा उसी प्रकार प्रथम 20 वर्षों तक फेडरेन जमनी में इस दल ने शासन की बागडार अपन जाय म रखी।

वेसिक ला के निमाण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदार रहा है। इसके बर्द पन-द्वा पर क्रिश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन के व्यक्तिवां वा ही द्वाप है जसे प्रस्तावना परिवार जिभा संस्कृति तथा पर्म विषयक अनुच्छेद आदि। वसे पूरे विर ला पर बानराठ प्राइनग्रावर को द्वाया नजर आता है।

गवर्नरस्ट्या के ऐत्र म जमना को सुधूर्म भित्ति पर बढ़ा करन वा थप भी इसी रूप को दिया जाना चाहिए। बीमवा शनानी के उत्तराद्व म या पार्षदिक चमत्कार नहीं हो तो जमनी को भी एक उत्तराद्व के रूप म समुच्च रखा जा सकता है।

इन दल ने चासतर आडेनग्रावर एरहाड व किंगिर के बाबा डा हान्नरिच ल्यूट्रक (जा 1959 स 1969 तक राष्ट्रपतियन पर आसीन रहा) दा हान्नरिच फान द्रे गना एनस्ट लमर गेरहाउ शोउर डा एनिजावेय इन्स्ट्रहाउ (भिनिमण्णल का प्रथम महिला मञ्चम्या यह स्वाम्य मत्री बनी) फाज तोसेक म्हाउस डा० हमन एहनस (बुन्नेपगांग अध्ययन 1950-1954) तथा डा यूगन गेस्टैनमापर (बुन्नेसठांग अध्ययन 1954-1969) जस व्यक्ति प्रदान किए।

आनोचना व स्पष्ट म यह कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन डमोक टिक यूनियन न राजनीति म धम का प्रवेश कराया तथा आडेनग्रावर का तानांगनी वत्तियों को प्रोत्साहन दिया रेक्निन कुल मिलाकर देखा जाए तो बनमान फॉर्म जमनी वा पुनरचना तथा पुन स्थापना म इस दल का भारी योगदान रहा।

## फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी

फॉर्म जमनी के तीन प्रमुख दला म सबसे द्वाटा दल है—की डमाक टिक पार्टी। जसा कि पहल ही सकत दिया जा चुका है तिन चार दला का चार प्रमुख दियेना राष्ट्र द्वारा प्रिहृत जमनी म सबग्रथम बाय करन की अनुमति दी गई उनमे य० दल मी सम्मिलित था। मवप्रथम युरुम्बवग तथा बादेन नामक राष्ट्र म प्रोक्लमर यियोडार ह्योत जो वाउ म पश्चिमी जमनी क प्रथम राष्ट्रपति बने के ननुत्तर मे ए डमाके टिक पार्टी का निमाण हुआ। आरम्भ म अनग अलग जमन राष्ट्रा म इम अनग अलग नाम थ। उत्तराद्वाय दिन तथा हेने नामद क्षेत्र म इसका नाम निवारल डेमोक टिक पार्टी राइनलग पलटीनर नामक राष्ट्र म डमोक टिक पार्टी द्र भन रेक्निन घ्युरटमवग तथा घ्युरटमवग-चाउन नामक देत्र म जमन जनता पार्टी तथा बवरिया हाम्बुग लोप्रर सबमनी नाय राष्ट्र वस्टफालिया तथा इलसविग हास्टर्न भ की अक्क टिक पार्टी । निम्बर 1948 म जरर निविन विनिम उदार दन हप्तनहार्म नामक स्थान पर एकदिन हुए तथा उन्ने एक समुत्त द्वाया विसका नाम फ्री डमोक टिक पार्टी रखा गया।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी अन आपको जमनी की उत्तराधि वारी मानती है तथा जमनी के प्रमिद्व विनां तथा उत्तराद्वानी राजनेतामा—जप विलन्म फान हुम्बोल्ट फाउर पाम स्टाईन यूगन रिष्टर हॉल पान वेनिगमन प्रार्षदिक नायमान तथा गुम्लाफ स्ट्रसमान को धपना बोद्धिक नेता मानती है। उदारवाउ के प्ररक्तो म सुवरात ल्लो व भरम्भ मी शामिल थ। इसी प्रवार अमरिकी

स्वतंत्रता मुद्राम् प्रामाणी जाति 1848 को आनि आदि भी उम दर के प्ररणा स्नेह रहे हैं।

अपन आरम्भिक चरण म उदारवाद जो प्री डमोक्रेटिक पार्टी का आधारभूत दान है एक समर्थित आन न हाकर कह विचारधाराओं का समूच मात्र था। य समस्त समूह एक बात पर सहमत थ वह यी पर्ति की स्वतंत्रता तथा गणिता। विहार म जन हूम्बोर्स का जमन उदारवाद का प्राणा तथा जनक कहा जा सकता है। हूम्बोर्स न राष्ट्र क अधिकारों का सीमित उत्तर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रामाण दर को बढ़ावन की। वह राष्ट्र का सिफ पुनिस जायी क निए आवश्यक मानता था जिसका एकमात्र उत्तर्य तुम्हन स जनता की र ग करना था। राजनीति तथा अप यवस्था सम्बंधी विचा। को निम उदारवाणी आमानन तजानान निरकृष्ण जामन क विश्वद्वया। यह विचारधारा सब गजाया और सामाजिक अमालित अधिकारों पर राज उमान क पन म रनी। फाम स इन वह पहला मनी या जिसन प्राप्त नामक राष्ट्र म सवधारण उदार विचारधारा वो उगू बरन का प्रयास किया। उमन नगरपानिवारा क चुनाव-सम्बंधी कानून तथा किमान का सामना क चर्गत म उमान के निए कानून का निमाण किया।

1850 स टी प्रशा नामक जमन राष्ट्र की विधान-समा म उदारवाणी प्रति निधि कासी सख्ता म विद्यमान थ। 1860 क आम-पास जब प्रशा क राजा न अपनी सना की सम्या-वद्दि इरना चाही तथा उम निए बजट प्रस्तुत किया तो उदारवाणियों ने डटकर उसका विरोध किया। य विरोध उत्तमा प्रवर था कि प्रशा के जासक्त न ०५ बार तो राज मिहायन तक त्यागन का विवार किया कभी उसकी मायना थी कि सना का निमाण व विकास शायक का विधायिकार था उम पर सीमा उगाने पर उम राज मिहायन त्याग नेना चाहिए नकिन 1862 म उसन पारस नियत अपन राजदूत विस्माक का बुलाया तथा उम प्राप्त का चावनर यनाया। विस्माक तथा उदारवाणियों के बीच मनिक उत्तर क प्रगति पर उपातार मध्यप व तनाव की स्थिति रही।

1861 म प्रशा की विधान-समा म विभिन उगाय्वाणियों न मिश्वर उमन प्रगति पार्टी (उमन प्राप्रमिद पार्टी) का निमाण किया। 1866 तक इम दर न विस्माक की संय विकास की नीति का जमकर विरोध किया लक्षित। 1866 म प्राप्त द्वारा प्रास्त्रिया का पराजित विय जान क पश्चात् विस्माक जमन राष्ट्रीयता का प्रनाव बन गया उमका विरोध करना जमन राष्ट्रीयता का विरोध करन जसा ग अत विरोध कुछ मद पर। 1867 म ह्यास फान विनिगसन व ननृत्व म उदार वाणियों ने नशनर लिबरल पार्टी की स्थापना की। यह दर विस्माक की संय मन्त्रनाया म भारी प्रमादित हुआ तथा उमन उसका भमयन आरम्भ किया। 1871 म नशनर निवरन पार्टी एकीकृत जमनी की राजशाही म सबसे मन्त्रदूत दर क ह्य

म उभरी। 1884 म इस दल को पुनर्गठित किया गया तथा यह नवान दल भारी उद्योगों पूजीपनिया तथा राष्ट्रवाचियों के प्रभाव म आ गया। जमनी के कई उन्नार बानी तथा प्रगतिशील तत्व नशनल लिवरल पार्टी की विचारधारा से सहभन नहीं थे अत 1871 म ही प्रगतिशील उदारवादियों ने श्वलग से एक दल बनाया जिसका नाम उदार दल (फाईसिनिंग पार्टी) रखा गया। इसका नेता था यूगेन रिष्टर। 1893 म इस दल का विभाजन हो गया और प्रगतिशील उदारवादी तीन दलों म विभाजित हो गए जिनका नाम इस प्रकार हैं—

- (1) लिवरल पीपल्स पार्टी (इसका नेता रिष्टर था)।
- (2) साउथ जमन पीपल्स पार्टी तथा
- (3) निवरल यूनियन।

विभिन्न दलों म विभाजित होने से उदारवादियों की जक्कि का ह्रास ही हुआ। सप्तद म नियोनिन उनके प्रनिनिग्रित्व म कमी आर्ड जमा कि निम्नतिविन तथ्यों से स्पष्ट हो जाना है। नशनल निवरन पार्टी का जहा राईनगग म 1871 म 119 स्थान प्राप्त हुए वहा 1893 1907 तथा 1912 के चुनावों म कमश 100 109 तथा 68 स्थान ही मिले। प्रगतिशील उदारवाचिया को जा कई दलों म विभाजित हो कमश 47 48 50 व 42 स्थान प्राप्त हुए। यह अनुमान लगाना महत्व है कि जमनी के समस्त उदारवानी मिलकर यहि एक दल बनात तो व निश्चय ही सप्तद म सबसे शक्तिशाली दल के रूप म उभरत। नेतानीन उदारवानी नेता फ्रीडरिच नायमान न ठीक ही वहा था हमार दल म वह एकता नहीं है जो श्रमिक दल या किसानों के सघ म है। हमार कार्ड अपने पादों (नेता) नहा हैं। हमें आदरण और अनुशासन की कमी है। नायमान न 30 नात उदारवाद-समरक मतदाताओं से अपील की कि व विमिन्न टुकड़ा म बट उदारवादियों से स्पष्ट गल्हों म मांग कर कि व अनुशासित रह एवं एकता का प्रदूगन करें।

प्रथम महायुद्ध म जमनी का पराजय के साथ ही 1918-19 में जमनी म गणतान्त्र का उत्थ हुआ तथा वार्डमार गणतान्त्र क समय म जमनी म दो उदारवानी दलों जमन इमोर्झिक पार्टी तथा जमन पीपल्स पार्टी का उदय होया। इनम से प्रथम दल द्याप्पद्य एवं नियोनिन नियोनिन नियोनिन नियोनिन नियोनिन नियोनिन नियोनिन एवं राजनात्र के प्रति सहानुभूति रखन वाना तथा दमिला पथी विचार वाला दल था। जमन इमोर्झिक टिक पार्टी क प्रमुख नेतायों म फ्रीडरिच नायमान ह्यगेंग प्रादन (इसने वार्डमार भवियान व निर्माण म भारी योगदान दिया था) तथा वाटर रायनाउ सम्मिलित थे। दमिला-यदी विचारधारा वाली जमन पीपल्स पार्टी का नेता युस्तार स्ट्रासेमान था। वाईमार गणतान्त्र में स्ट्रासेमान वा दल प्रधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उस्तन 1930 के बान दोनों दलों के स्थिति स्पष्ट हा जानी है—

## जमन गईशटाग म उदारवादी दलों की स्थिति

वर्ष	जमन शीपांग पार्टी	जमन ट्रॉमोक्रेटिक पार्टी
1919	22	74
1920	67	45
1924	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

यह उल्लेखनीय है कि वार्मार-गणतान्त्र मे उदारवादिया ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दलों ने दो विभेद मात्रों प्रबन्ध किए जिहान भेष की घटक सदा की। उनके नाम हैं—वाटर रायेनाड तथा गुम्बाफ स्टासेमान। 1933 मे हिन्दूर के सत्ता म आन के पश्चात् सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिवध लगा दिया गया और 12 वय तक (1933-1945) जमनी म एकमात्र नातसी न्यू ही वध दल रहा। 1945 म जमनी की पराजय के बाट विजेता राष्ट्रों ने पुनर राजनीतिक दलों को काय बदले की अनुमति प्रदान की।

बजर (सचाट) के जमान म तथा वार्मार गणतान्त्र मे उदारवादी बराबर विभाजित रह और उहें अपनी आपसी पत्र के परिणाम मुगतने पड़। युद्धोत्तर जमनी के उदारवादी अपने पुरान इतिहास को भूले नहीं थे और उन्होंने इससे सबक लेने का हड़निश्चय किया। जमा कि पहल ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जमनी के विविध उदारवादी दलों ने 1948 म एक दल के रूप म संगठित होन का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप की ट्रॉमोक्रेटिक पार्टी का उत्पन्न हुआ।

इस दल के प्रमुख नेताओं के नाम यह प्रकार हैं—प्रोकेमर यियोडोर हृषास (प्रथम राष्ट्रपति) व ना फाऊ ब्लूवेर (प्रथम मन्त्रिमण्डल म वार्सिं चान्सलर या उप प्रधानमंत्री 1956 म इसने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की सदम्यता त्याग कर जमन पार्टी की सदम्यता अहग कर ली) डा थामस डेहलर (प्रथम न्यायमंत्री) एंरहाइ विंरमुय (प्रथम आवाम मंत्री) डा एरिश्य मूर (या 1960-1968 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पत्र पर रहा तथा 1963 म एरहाइ मन्त्रिमण्डल म उप प्रधान मंत्री या वार्सिं चान्सलर तथा समग्र जमन मामलों के मंत्री वा पद संभाला। दीन वय पश्चात् इसने त्याग पत्र दे दिया)। दल क बतमान नेतायी म बाल्टर शीन का विशेष स्थान है। 1968 म यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बना तथा इसने

1969 में बिनो ग्राण्ट के मन्त्रिमण्डल में वाईस चासनर (उप प्रधानमंत्री) विदेश-मंत्री का पद सम्हाला। 1974 में थी बाटरशील जमनी के राष्ट्रपति गये। शील के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद अब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हास्य डिप्टिरिश माशर जोनेक एटल हास फ्रीडरिच्स तथा वेनर मार्क्होफर के हाथों में आ गया है।

### कायक्रम

एल्मर प्लिशके के अनुसार — फ्री डम नेत्रिक पार्टी वाईमार-युग की जमनी डमोक्रेटिक पार्टी के उद्घाटन का प्रतिविम्बित करती है जो उद्योग तथा व्यावसायिक हितों की बकानत करती थी। यह मध्यम मार्ग में कुछ दक्षिणाधीय की ओर भकाव रखती है तथा किसी भी प्रकार के समाजवाद की विरोधी है। साथ ही यह पार्टी वग भी भी विरोधी है। इसके अधिकांश मतदाता अनुआश्वासेर न मतानुयायी हैं जो निश्चयन डमोक्रेटिक यूनियन के क्योलिक नताओं से दूर रहना चाहते हैं।

यह तीनों प्रमुख दलों में सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण है तथा यह शहरों में अधिक सक्रिय है। उन्हें अन्य मतदाताओं में व्यावसायिक व पेशवर लोग सफन्पाश मजदूर व कमचारी तथा विसानों का भी काफी हिस्सा शामिल है। राष्ट्र जी नायमान व अनुसार — धार्मिक प्रश्नों पर फ्री डमोक्रेटिक पार्टी सोशल डमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा के निकट है तथा उद्योग व आर्थिक प्रश्नों पर यह दल क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के काफी निकट है तथा साथ ही अधिक दर्शण पर्याप्ती भी।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के वर्तिन-कायक्रम (1957) के अनुमार पार्टी की विचारधारा को निम्नलिखित शान्ति में यक्त किया जा सकता है — फ्री डमोक्रेटिक पार्टी जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है ताकि यक्ति उत्तरदायित्व के माय काय वर सके। अपने सामाजिक दायित्व से प्ररित होकर हम सभी समाजवाली प्रयागों को अस्वीकार करते हैं तथा अपने ईसाई दायित्वा से प्ररित होकर हम राजनीतिक उद्घाटन के लिए घम के दुष्प्रयाग का अस्वीकार बरते हैं।

### सामाजिक नीति

अपने 1952 के सामाजिक कायक्रम में फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न समाज को मुद्द़ आधार प्रदान करने के लिए निम्नरूप नामों प्रस्तुत थीं —

(1) व्यक्ति की स्वतंत्रता

(1) एल्मर प्लिशक कॉटेपारेटो गवनमेंटल बाफ जमनी नितीय संस्करण (दो टन 569) पृष्ठ 147

(2) नायमान पृष्ठ 6,

- (2) विश्वान उत्पादन म हिस्सदारी
  - (3) मायम बग को सुट्ट बनाना
  - (4) अस्तित्व की मुरक्का तथा
  - (5) युद्ध से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का समावान।
- यह कायरम यकिनवारी दशन का प्रतोक है।

परम्परा स हो एस तंत्र के राजनीतिक दशन म समाज तथा उग्रों प्रतगत आर्थिक गतिविधि म यकिन ही के बिना रहा है। यही कारण है कि यह दर के नता यकिन के बोद्धिक एव शारीरिक विकास के माम म प्राप्त सभी वाचाया एवं कटूर विरोधी रहा है। समाजवारी समूहीकरण के विरोध का आधार यही है कि इससे यकिनवार का विनाश होता है।

प्री-आक्रमिक दर की मात्रता है कि वह व चुनाव की स्वाक्षरा वाय का स्थान व नन की आजानी तथा सभी व्यक्तियों का सभ वनान की आजानी स हो यकिनगत स्वतन्त्रता प्राप्त को जा सकता है। जहा तंत्र श्रीदामिक नानि व विश्वान उत्पादन का प्रश्न है इस लक्ष म ५८८नारी आवश्यक है। यह तंत्र आगम स हो एक व्यापक मञ्चम बग के विकास पर यकिनता प्रदान करने के लक्ष म रहा है। इसके माय ही प्री-डमोक्रेटिक पार्टी न माम को कि उपरोक्त शारीरिक व्यक्ति करने वाले भजन्नरा वारीगरों स्वतन्त्र व्यवसाय म रत व्यक्तियों कम्पनियों क गणकारी व्यक्तिगति के लिए उत्तम जावन-मन्त्र का प्राप्ति की व्यवस्था की जाए। मार तौर पर यह तंत्र विविध रूपों म अविकाशित भिन्नत रूप म गम्भीर व्यक्तियों क नियमान के लिए प्रयास करता रहा है।

फ्रेंचरी 1956 म तंत्र ने स्वतन्त्रता तथा आगामी गुणा एवं शायक के आउगत नवीन सामाजिक नीति का घागला दी। यह वायपरम के आगाम बुनाप म सूक्ष्मा तथा सभी के लिए मध्यनि जो मांग की गई। यह कामगया कि यह का सामाजिक नीति का अध्य प्रायक व्यक्ति के लिए प्रतिक्रिया लग देता था। यह मनिभरता प्राप्त करना है। यह वार तथा मानाद्या की टाका पर धूम्रपान के प्रतिक्रिया नाना चाहिए तथा जाम के व्यक्ति के आधार पर नामाय दिए जाए। प्रवद यकिन का उपका प्रतिमा व अवर्तित के आधार पर प्रयोग की जाए। यह युद्ध का जाने चाहिए। मरत म तंत्र मुक्त यकिन स्वतन्त्र विकास तथा आवृत्ति के लिए के पक्ष म था।

### सास्कृतिक नीति

प्री-डमोक्रेटिक पार्टी सर्व एवं अस्त्राया। नामाय के लिए एक लक्ष म था। दर के नता एवं सुमन्त्र नामाय के लिए था। उक्ती मानाद्या की कि आज के दिव एवं सम्मुख ल विद्युत दा का माम है —

## (1) उत्तरवाद या

## (2) साम्यवाद

विवाद का इन दाना विकल्पों में से एक को चुनता होगा। उत्तरवाद की स्थापना व विकास के लिए आत्मिक (आत्मा व हृषि) स्वतंत्रता तथा बाह्य (नीतिक जीवन-न्तर प्राणि) स्वतंत्रता आवश्यक है। सामृद्धिक नीति के मन्त्रालय का हेमाक्रेटिक पार्टी न घम शिष्या करा व साहित्य विषयक प्राना का विचार-एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

## चक्र-सम्बद्धी नीति

घम व चक्र के मामलों में भी हेमाक्रेटिक पार्टी पर यह आप लगाया जाता रहा है कि सामग्री डमाक्रेटों का नाति यह दल ना नामितवता वा दायक है और इस प्रकार गिरजाघरों का दुमन है लेकिन इस दल न स्वप्न घारणा की कि न तो व नास्तिकता में निष्ठा रखने हैं और न व चक्र के ही विराधी हैं। फा हेमाक्रेट नामों न कहा कि व राजनातिक मामला में चक्र के प्रयाग के विराधा हैं। इस दल के प्रयत्न व प्रभुव नता यिदाहार हृष्यास न ममनीय परिपद म भाषण दल हुए कहा कि 'राज नीतिक उद्योगों की प्राप्ति के लिए चक्र के उपयाग का मैं ईसाइ विरोधा मानता हूँ।' ऐसा विवाद म सभा मनुष्यों की मुक्ति के लिए आए थ किसी राजनातिक दल का अपना नाम प्रदान करने के लिए उहांने अन विवाद म पटापर नहा किया था। आप हो यह भी कहा रहा कि मावजनिक जीवन में चक्र व धार्मिक सम्याप्ति का आपात्क महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु गिरजाघरों का काय आमा व अच्यात्म-सम्बद्धी प्राना का हल करना है वाकी मामलों में पानिया को गिरजाघरा की चारनीवारा म ही सामित्र रहता चाहिए।

अपनी सास्त्रहितिक नीति की गत्या नहरत हुए दल के नतामा न घायला है कि 'उदाहारी राज सभी धर्मों का धार्मिक उपयोग का स्वतंत्रता सास्त्रहितिक एवं आध्यात्मिक संयाप्ति के विकास तथा दान-युव्य विषयक सम्याप्ति की स्थाना व सुचालन की मारा दारा।' ईसाइ घम के परमरागत मूल्य सामाजिक व्यवस्था के लिए मूलभूत महत्व रखते हैं।

## शिक्षा-नीति

स्वतंत्रता का दान उत्तरवाद शिक्षा पर भाग्यारित है। फा हेमाक्रेट नता इसी विचार का लक्ष्य चन है। महा यह उल्लेखनीय है कि वित्तीक ता के अन्तर्गत सत्त्वति एवं शिष्या राज के बालून के विषय है लेकिन फो हेमाक्रेटिक पार्टी न इस व्यवस्था का उट्टर दिराप किया। इस दल की यह मायता है कि सभ के मन्त्रालय बित्त राज हां व उत्तरा हा भिन्न सास्त्रहितिक एवं इमणिक नीति अपना सहृद है। उच्च मन्त्रावादी प्रवतिष्य का प्रात्प्राहृत मिलगा। मत दश के दृष्ट का

सर्वोपरि मानन हुए शिला व सम्बृद्धि नामक विषय को सघ-सूची म शामिल विद्या जाना चाहिए ताकि इस की शिक्षानीति म एवं स्पता स्थापित की जा सके ।

फलत जमनी म दो प्रकार के स्कूल हैं नगरपालिका (भूनिसिपन) स्कूल तथा धार्मिक शिक्षा देन वाने स्कूल । फी टमोकटिक पार्टी की माग है कि एक ही प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए । हा यहि मावाप चाह तो उसा स्कूल म उनके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है । उच्च शिक्षा के निय बनानिक तकनीकी तथा शोध संस्थानों की स्थापना - विकास पर बहुत निया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह इन शोध व शिक्षा नीति पर सघ भरकार का नियन्त्रण चाहता है ।

क्वाव सान्ति के अन म फी डमाक टिक पार्टी स्वतंत्र चितन धारणाओं एवं नवान प्रयागों की पक्षपानी रही है । बलाकारा एवं भाटि-यकारा के जादेज के सास्त्रिक दत एवं प्रचारक हैं जादेन स्तर म मुधार की आवश्यकता पर बन दिया गया । फी टमोकटिक पार्टी आध्यात्मिक स्वतंत्रता सहिष्णुता विचार स्वतंत्र एवं आद्वितीय शिक्षा की प्रवक्ता रही है । इस प्रकार वह एर मुक्त समाज (ओपन सामाजिकी) की रचना का पक्षधर है ।

### गतिशील ततीय शक्ति बनने का प्रयास

फड़रत जमनी के निमाणे के समय जमनी म और राजनीतिक दल विद्यमान थे । उक्ति चुनाव बानून के कारण तथा ५ प्रतिशत की वायव घारा के कारण अमज वृ-स्टाग म दला की सत्या घटती गई और अत म तीन दल ही रह गए जिनम फी डमोकटिक पार्टी भी एव है । विभिन आम चुनावा म दल की स्थिति में उत्तर चुनाव आता रहा और दल के नतायो के समक्ष एक मनिय गतिशील एवं सत्युनकारी दल के रूप म ग्रपना अस्तित्व बनाए रखन की समस्या थी । प्रथम प्राम चुनाव (1949) के बाद फी डमोकटिक पार्टी न निश्चियन डमाक टिक यूनियन व जमन पार्टी के साथ मिल कर सधीय सरकार का निर्माण किया तथा साथ ही कई रा या म निवित मिली-जली सरकारो म भाग निया लेकिन १९५३ क आम चुनावो म सधीय स्तर पर दल का मनप्रतिनाम ११९ स घटकर ९५ प्रतिशत रह गया दूसरी और क्रिश्चियन डमोकटिक यूनियन को आवश्यक बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन बानराइ आठनप्रावर की मविधान म आवश्यक मशायन बरन तथा विनेश नाति क क्षेत्र म बद्ध महावृपुण निराय लन थे । भन वह चाहता था कि फी आधिक दल का सरकार म निया जाय ताकि इन महावृपुण निराया को व्यापक बहुमत का समयन प्राप्त हो सके । यद्यपि दल का सरकार म स्थान मिला लेकिन बानराइ आठनप्रावर के साथ दसके सम्बाध बापी बढ़ रहे और १९५६ म फी डमाक टिक दल का दर्जो में विमाजित हो गया एव दल बानराइ आठनप्रावर का

समयन करते हुए सरकार में रहना चाहता था और दूसरा दल सरकार में हटना चाहता था। प्रथम वर्ग के लातों का नेता डा. ब्लूबर था जिसने फ्री पीपल्स पार्टी का निर्माण किया। बाद में यह दल जमन पार्टी में मम्मिलित हो गया। इस वर्गे के लोग सरकार में मंत्री-पन पर बने रहे बाकी फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने विरोधी दल के रूप में स्थान ग्रहण किया। लेकिन फ्री पीपल्स पार्टी के लागे 1957 में आम चुनावों के बाद भी सरकार में शामिल हुए जबकि मूल दल के लोग विरोधी वेंचो पर बठे।

1956 तक आत-आत फढ़रल जमनी की जनता के दिमार में यह धारणा घर कर गई कि फ्री डमोक्रेटिक पार्टी वास्तव में निश्चियत डमोक्रेटिक पार्टी की पिछलगूँह है और निश्चियत डमोक्रेटिक पार्टी रूपी वटवक्ष वी द्याया में आराम कर रही है। ऐसी धारणा दल के अस्तित्व के लिए खतरनाक थी क्योंकि यदि जनमानन में ऐसा विचार घर कर जाए तो ही सबता है अगले आम चुनाव में वह पिछलगूँह पार्टी (फ्री डमोक्रेटिक पार्टी) का बोट न देकर सीधे ही निश्चियत डमोक्रेटिक पार्टी को बोट दें क्योंकि जोना का बोट देना एक ही समान माना जा रहा था। ऐसी स्थिति में दल को अपनी एक नवीन प्रतिमा का निर्माण करना था और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना था कि वह कानूनराड़ आडनगावर के हाथ वी कठपुतली न होकर एक सशक्त रचनात्मक प्रगतिशील एवं सक्रिय न्तर है जिसका अपना वायव्य है जो न देवल आक्रमण करता है वरन् भौलिक भी है।

1961 में जब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसका नारा था आडेनगावर के दिना सरकार का निर्माण। इससे जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा और दल को पूर्वापन्ना अधिक मत प्राप्त हुए। फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का धारण से यह प्रयास रहा है कि वह किशियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा मोशल डमोक्रेटिक पार्टी के बीच एक सतुरन स्वापित करने वाली पार्टी बनी रह सके। उसने निर्जनाय प्रणाली का विश्व किया क्योंकि उसका अन्यथा वह न्तर के अस्तित्व की समाजिक जो काइ भी दल नहीं चाहेगा। इस प्रकार 1961 के बाद न्यगातार फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न यह प्रयास किया कि वह जनता को यह समझा सके कि अन्य दो दलों—निश्चियत डमोक्रेटिक यूनियन व सागर डमोक्रेटिक पार्टी—में से किसी भी एक दल का पूरा बहुमत प्रदान करना जमन मतदाताओं के अपने हित में नहीं हांगा। फ्री डमोक्रेटिक पार्टी को सदव नमयन देकर ही मतदाता एक पार्टी की तानाशाही—से सदव सदव में लिए मुक्ति पा सकते हैं। वहना होगा कि यह दल अपने इस नक्षे में बराबर सफल रहा और इस प्रकार उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सका जो अन्य दो दलों का मत देने का नियार न था। एक सशक्त व स्वतंत्र तृतीय शक्ति एवं रूप में बन रहा ही फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का सम्भव रहा है और समस्त उत्तर धराव के बावजूद यह अपने अस्तित्व को बनाय रख सकी है।

### दलाय समठन

अप्र० राजनानिव द्वा वी भाति प्रा अमाक लिंग पार्टी का मुख्य भा  
वनतापिक द्वा दर आधारित है। "मेर ममता का ममता व तिथ द्वा के संविधान  
का भवनता जर्मी है।" "मेर संविधान व अनुसार ममता वा तिथ सीधे स्वेच्छ  
दर आधारित है।" श्री डमाक लिंग पार्टी विभिन्न गांद (रण्डर)-भवितियों तथा प्राय  
भाग्यना मे भितर बनती है। 1948 मे जर्मी जार माय दर दर "मेर रचना  
है।" गांय-भवितियों वी दुर मन्दा ॥ ५ ॥

### मन्द्यता

दा अमाक लिंग पार्टी के संविधान व अन्दर २ - प्रामार प्राय जमन  
तिथा भायु 17 दर दा चुका वा तथा ता शा अमाक लिंग पार्टी के आधारभूत  
विद्वाना व संविधान मे प्राप्त्या रखना वा उन का मन य रन रखना है। मन्द्य  
मन्द्या वा लिंग मा यह द्वा तीन प्रमुख द्वा मे मन्द्य छान द्वा है। 1964 मे  
उम द्वा द दुरमन 80 000 उम्य उन्हा सात दमाक लिंग पा। वी मन्द्य-मन्द्या  
6 78 484 था।

### मन्द्य दल का स्वेच्छ

मन्द्य द्वा 11 गांय ममता दे भितर बनता है। इसक प्रमुख घरों का  
विवरण द्वा द्वारा ३—

- (प्र) पार्टी-वायर स
- (द्वा) मन्द्य युद्ध-भविति
- (३) मन्द्य वायकारिती

### पार्टी-वायर स

पार्टी-वायर स दल का भवोच्च मन्द्या दा ग्रा है। अमर निगद ममा भव्यों  
दर वायरदाग है। यह वायर स प्रति दण घरना ममता आधारित करता है लिंग  
आवायरना पहन दर भाया ग्रामाधारण ममता बुवाया जा रखना है। ग्रामाधारण  
ममता व तिथ मन्द्य मन्द्य समिति व वचन का मन्द्यत या चार रांय-भव्य  
वा वायकारिताया आरा एक दाया बरता आवायरन है।

ग्रामाधारण द्वा दा प्राय मन्द्य कोप स म नाम दे रखता है लिंग मर्पीय  
वायरदागिला चार दा विवार दिमा तथा वायरदी का भिंग गांय जामायों के कृते  
है। भवितिया तड ही मादिन वर मखना है।

मन दल का प्रधिकार निम्नलिखित नामों वा —

- (प्र) मर्पीय वायकारिती व मन्द्य
- (३) गांय-या-वायर सारा दा वष व तिथ चुक गए प्रवितिवि

## सधीय मुख्य समिति

यह समिति दल की सधीय प्रकृति का प्रतीक है। इसके सदस्यों में निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होते हैं—

(1) सधीय कायकारिणी के सदस्य

(2) राज्य-सगठनों के प्रतिनिधि। इसमें अनिरिक्त दल द्वारा नियुक्त विशेष समितियों के अध्यक्ष दल के विभिन्न सगठनों-गुदक सगठन-के अध्यक्ष तथा दलीय संसद-सदस्य अमर्की बठकों में उपस्थित होकर सलाह दे सकते हैं।

इस समिति का महत्व ऐसा बात से सिद्ध हो जाता है कि यह उन सब राजनीतिक व सगठन-सम्बद्धी प्रश्नों पर विचार कर सकतों हैं जिस पर काग्र सने ने निराय न लिए हैं।

## सधीय कायकारिणी समिति

सधीय कायकारिणी पार्टी काग्र स द्वारा निर्धारित व निर्णित सभी राजनीतिक व सगठनात्मक विषयों की देखभान करती है तथा निरायों को कार्योचित करती है। कायकारिणी के सदस्यों में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं—

(1) दल का अध्यक्ष

(2) तीन उपाध्यक्ष

(3) कोपाध्यक्ष

(4) दल की राज्य शास्त्रांगों के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

(5) संघीय दल का अध्यक्ष

(6) राज्य सरकार व संघ-सरकार में दल के मंत्रिगण तथा

(7) 13 अंग सदस्य।

उन सदस्यता की याह्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें राज्यों की उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसीलिए कई लोग इसे राज्य दलों का गुण (कार्टैल मार्फ स्टेट पार्टीज) की सज्जा देते हैं।

## विशेष समितियां व अध्ययन दल

1949 में ही की डमारु टिक पार्टी ने विशेष समितियों एवं अध्ययन दलों की आवश्यकता का प्रनुभव वर लिया था। ये विशेष समितियां विषय विषय के मामलों में सधीय कायकारिणी तथा संघीय दल की सहायता करती हैं। 1962 में इन समितियों ने अपनी 78 बठकों में 200 से अधिक विषयों पर विचार बिया। इन समितियों की सत्या विभिन्न अवसरों पर घटती बनती रही है। इनके प्रतिरिक्त 5 अध्ययन दल भी बनाय गये जिनके विषय इस प्रकार हैं—

(1) विशेषनीति प्रतिरक्षा विषय समग्र जमनी से सम्बद्ध मामले।

- (2) आर्थिक प्रश्न
- (3) अधिकार व सामाजिक नीतियाँ
- (4) गहनाति
- (5) कृषि नीति

1962 में एक प्राय अध्ययन दल बनाया गया जिसका काय सास्कृतिक नीतियों पर विचार करना था। इस प्रकार कुल 6 अध्ययन दल हो गए।

### वित्तीय साधन

फी डमान टिक पार्टी की आमनी अपेक्षाकृत कम है। इसकी सदस्य-संख्या कम होने के कारण तथा निर्यात सदस्यता शुरू प्राप्त न होने की वजह से उसकी आमनी कम होती है। इसके बावजूद इसका सधीय कार्यान्वय नापी बड़ा है तथा बड़ा मुख्यविषय भग में काय बरता है। अपने चुनाव के व्यय के लिए यह दल माव अनिक लदे तपा औ जीर्णता व उद्योगपतियाँ जी महायता पर निर्भा करता है। इसकी जाता है कि 1961 के आम चुनाव में उस दल ने 1 करोड़ माल (जमन सिक्का) खच किया। 1963 में इस दल की आमनी 72 00 000 माल तथा खच 69 50 000 माल बताया गया।

### भाय दलों से सम्बन्ध

फ्रैंकल जमानी में फी डमानटिक पार्टी को द्योषक दो ग्रोर प्रमुख दल हैं— श्रिश्वयन न्माकनिक यूनियन तथा साल डमान टिक पार्टी। 1949 से 1966 तक फी डमान टिक पार्टी तथा श्रिश्वयन डमान टिक पार्टी के सम्बन्ध मोटे तौर पर मधुर थे। हाँ बीच-बीच में तनाव व विराघ की स्थिति भी आइ। 1969 से 1977 के बावजूद डमानटिक पार्टी के साथ इमदे सम्बन्ध प्रगाह हो गय। इस प्रकार पिछले 28 वर्षों में दो डमोनटिक पार्टी लगभग 23 वर्षों तक सरकार में शामिल हुई। पहले श्रिश्वयन डमान टिक यूनियन के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई तथा 1969 के बावजूद डमोनटिक पार्टी के साथ मिलकर।

### फी डमोनटिक पार्टी का महत्व

महापि फी डमोनटिक पार्टी लीन प्रमुख दलों में से सबसे द्योषा दल है लेकिन इसका महत्व उसके आकार की तुलना में अपशाकृत अधिक हो रहा है। उस दल ने फ्रैंकल जमानी को दो राष्ट्रपति प्रधाम तथा बतमान राष्ट्रपति प्रदान किये। पहले राष्ट्रपति थे यिदाओर होयस (1949-1959) तथा बतमान राष्ट्रपति वाटरझील का चुनाव 1974 में सम्पन्न हुआ। उसके अतिरिक्त इस दल ने दश को कई बाईं चार संसद (उप प्रधानमंत्री) प्रदान किये जिनमें ब्यूधर एरिख मार्ट वाल्टरझील उपा हान्द डिएटरिस गाथर प्रमुख हैं।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का दावा है कि फेडरल जमनी की आर्थिक प्रगति मे उसका भारी योगदान है वयोंकि उनके दबाव मे आवर हो निरचयन डमोक्रेटिक गुनियन ने सामाजिक-वाजार अध्ययनस्था या स्वतन्त्र वाजार अध्ययनस्था की नीति को अपाराया। यह इसी दल के जार देने का परिणाम है कि लुभिंग एरहाड को आर्थिक भागना वा सचानक नियुक्त किया गया और इसके सफल एवं सुधोम नेतृत्व के कारण जमनी आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सका।

वेपिरु ला के निर्माण एवं बतमान स्वरूप मे फ्री डमारु टिक पार्टी के चिन्तन का स्पष्ट असर है। यक्ति वी गरिमा सम्बंधी उसने विचारा को उसम प्रमुख स्थान दिया गया है।

विदेश नीति के क्षेत्र मे भी इस दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एड नम्बी अवधि तक अन्तर जमन सम्बंधो का सचालन भा व्सी दन को दिया गया। कुछ समय तक विकासामुख दशो को सहायता देने वाला मत्तान्य भी व्सा इन के पात रहा और 1965 के ग्रामपास वाल्टरशीन ने भारत व अंग एगियाई व ग्रीकी देशो को सहायता देने मे काफी स्तर दिखाई। बाद म वाल्टर शील विदेशमनी बने और उहोने इस क्षेत्र मे भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की। भारत क साथ सम्बंधो को अधिक सुदृढ बनान म वाल्टरशील का विशेष स्थान रहा है। 1974 मे वाटर शील पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति बन तथा भी डमारुटिक पार्टी का नेतृत्व हास डिएटरिश गेशर ने सम्हाला। गेशर आजवन पश्चिमी जमनी के विदेश मनी है तथा भारत मे जनता सरकार (माच 1977) के निर्माण के बाद गेशर न भारत की यात्रा वी तथा दोनो देशो के सम्बंधो को सुदृढ आधार प्रदान किया।

□□□

## विदेश-नीति

किसाना भा रा का विदेश नीति का उचित मूल्यांकन करने के लिए उस देश की भौगोलिक स्थिति एवं नामिक परम्परा आर्थिक व्यवस्था गजनीतिक व्यवस्था एवं सास्कृतिक स्थिति का नाम आवश्यक है। भौगोलिक हृष्टि संप्रभुता जमनी या कर्ज़ जमनी यूरोप के हृदय में स्थित है। इस बड़ी भूमि या मध्य भाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस हृष्टि संप्रभुता यूरोप के व्यापार वाणिज्य सामूहिक आत्मा प्रत्यान का कर रहा है। ऐतिहासिक परम्परा के अत्यंत जमनी एक विश्वाल माझार्य था। 1871 में जमना के एकावरण के पश्चात् उमन न केवल यूरोप के लिए पच वा काय बिया बरन् विश्वायापा गजनाति पर भी उसका असर रहा। इस प्रकार ऐतिहासिक इटिं संप्रभुता के नाम में अनात के गोरख की स्मृतिया शेष है। आर्थिक इटिं संप्रभुता यूरोप का मवस समृद्ध एवं उद्धोग प्रधान देश रहा है। प्राज्ञ भो वर्ष विश्व के प्रमुख औद्योगिक दशों में एक है। अपने बनान राजनातिक व्यवस्था बी इटिं से जमनी एक जननातिक दा है अत यह स्वाभाविक हा है कि विश्व के आय जननातिक दो व साथ उमके सुदृढ़ सम्बाध न। उपर्युक्त तथ्य का ध्यान में रखत रहे ही फरल जमनी की विश्व नानि की सम्यक व्यास्था की जा सकता है।

पश्चिमी जमनी की विश्व नानि को हृदयगम करने के लिए 1949 से उकर 1977 तक वहा को महकाग के गठन तथा चामनरा (प्रधानमन्त्रिय) के बारे में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। उस प्रवधि में वहा निम्नांकित दलों की सरकारें थीं तथा चामनरी के नाम उस प्रकार हैं—

सन	हरकार में दलों की स्थिति	चामनर का नाम
1949-1963	प्रिविचयन डमोक्रिटिक यूनियन तथा प्री डमोक्रिटिक पार्टी	धार्मनामावर
1963-1966	—वर्ग —	सुविग एरहा
1966-1969	प्रिविचयन डमोक्रिटिक यूनियन तथा साम्बल न्मोक्रिटिक पार्टी	कुर ग्राम विविगर
1969-1974	सामाल डमोक्रिटिक पार्टी तथा प्री डमोक्रिटिक पार्टी	विली बाण्ट
1974-	—वर्गी—	हेनपुठ शिमठ

उक्त तात्त्विका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1949 से 1966 तक प्रिश्चिन्तन डमोक्रेटिक यूनियन ने एक प्रमुख दल तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न एक सहायक दल के रूप में जमन विदेश-नीति का सचालन किया। 1966 से 1969 तक प्रिश्चिन्तन डमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डमोक्रेटिक पार्टी न मिल कर विदेश नीति को दिशा तथा गति प्रदान की। 1969 से 1977 के बीच सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने प्रमुख भूमिका अदा की जबकि सहायक दल फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न विदेश मंत्री का पद सम्हालते हुए उभम सहयोग दिया। यद्यपि वास्तव में चासल ही समस्त नीतियाँ का जिसमें विदेश-नीति भी शामिल है—नियामन हाता है कि भी विदेश-मंत्री विदेश-नीति के निर्माण व सचालन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पश्चिमी जमनी वे अब तक के विदेश-मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं—

विदेश मंत्री का नाम	कायबाल
1 चानराड आडेनग्रावर	1949-1955
2 हाईनरिच फान ब्रेटानो	1955-1961
3 गेरहाड शोडर	1961-1966
4 विली ब्राष्ट	1966-1969
5 वाल्टरशील	1969-1974
6 हान्स डिएटरिच गेशर	1974-

इन विदेश मंत्रियों में से प्रथम तीन विदेश मंत्री प्रिश्चिन्तन डमोक्रेटिक यूनियन चौथा विदेश-मंत्री सोशल डमोक्रेटिक पार्टी तथा अन्तिम दो विदेश मंत्री फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे हैं। इस प्रकार फड़रल जमनी के तीना प्रमुख दलों ने अपने देश को विदेश-मंत्री प्रदान किये हैं। इस आधार पर हम जमन विदेश नीति को मुख्यतः दो भागों में बाट सबत हैं—

(1) 1949-1966—इस युग में विदेश नीति का सचालन प्रिश्चिन्तन डमोक्रेटिक यूनियन ने किया तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न मन्योग दिया। नीति अधिकाशत पश्चिमी विश्व व अमेरिका के पक्ष में थी। सन्ति का मुख्य सबलक आडेनग्रावर था।

(2) 1966-1977—इस समय विदेश-नीति का मूल सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में रहा तथा 1969 से फ्री डमोक्रेटिक ने सहायक की भूमिका अदा की। इस प्रवधि में पूर्वी नीति (ओस्ट पालिटिक) का ममारम्म हुआ तथा सोवियत सघ पौर्ण धूर्वा जमनी रूमानिया युगास्लाविया व ऐकोस्टोवाविया आदि पूर्वी गुट देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध वी शुल्पात हुई तथा साथ ही पश्चिमी समेत अमेरिका से साथ मुर्ढ सम्बन्ध स्थापित रहे। इस युग की विदेश-नीति का नियम द्वितीय बाटर शीर तथा गेनर रहे हैं।

## विदेश-नीति का प्रथम युग [1949-1966]

प्रसिद्ध फ्रासीमी विश्वन् अफ़्र ग्रोसर के अनुसार जो जमन मामला के विष्यात विशेषण है— शीत युद्ध से ता पुनिया उत्पन्न हुइ—एक उत्तर अत्तलात (अट्टनाटिक) सधि तथा दसरी फॉर्म जमनी। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध जब उत्तर द्वय धारण कर चुका उस समय एक पश्चिमी सनिक सगठन (उत्तर अत्तलात सधि सगठन या नाटो) तथा पश्चिमा जमनी का एकमात्र उदय हुआ। 1949 से 1966 तक जो विदेश-नीति अपनाई गई उस प्राइवेट आवार की विदेश नीति की सना नी जा सकता है।

1945 के बाद समस्त विश्व दो विरापी लेमा म बट गया। पश्चिमी द्वंद्वे का नता अमरिका था तथा पूर्वी गुट का नता सोवियत सधि। दोनों न यूरोप को अपन अपन प्रभाव लग म रखना चाहा तथा पश्चिमी यूरोप अमरिकी गुट के साथ ही गया तथा पूर्वी यूरोप सोवियत सधि के लग म। 1949 म आत आत मास्को (सोवियत सधि) न चक्रोस्नाविया पूर्वी जमनी पौरेण हगरा बुलगारिया (सोवियत सधि) न युगास्नाविया आर्नि दशो म साम्यवानी शासन की स्थापना करने म सक्तता प्राप्त की।

नसा कि पहल ही स्पष्ट किया जा चुका है न्तीय महायुद्ध म जमनी की पराजय के पश्चात उस चार क्षेत्रों म बाट कर सोवियत सधि अमरिका ड्रिटेन व फार्म के प्रशासन म सौप दिया गया था। सोवियत सधि ने 1949 म पूर्वी जमनी म अनग स साम्यवानी शासन की स्थापना म सक्तता प्राप्त की। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपन अपन अधिकृत वाकी के तीन जमन क्षेत्रों को मित्रान्वय फॉर्म जमनी नामक राज्य की स्थापना की और वस प्रकार जमनी का विभाजन हो गया। वसी प्रकार जमनी की राजधानी दर्जन ता पूर्वी जमनी क बीच म स्थित है भी दो भाग म विभाजित हा ग तथा पूर्वी भाग पूर्वी जमनी तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी जमनी क साथ रहा।

### पूर्ण साद्वीमिकता की प्राप्ति की ओर

1949 म यद्यपि फॉर्म जमनी का निर्माण सम्पन्न हो गया लेकिन वह पूर्ण सावधानी सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नहीं था। वह मिक्र आर्नाटिक स्वशासन क निए स्वतन्त्र या तथा उमकी विदेश नीति पर ग्रव मा तीन मित्र राष्ट्र—अमरिका ड्रिटेन व फार्म का नियन्त्रण था। 1939 म 1945 तक जमनी इनडा शब या जिसक निर्द उहोन युद्ध नहा था। न्तीय महायुद्ध के बात प्राज तक समस्त जमन राष्ट्र व साय बोई शातिसधि नहा हुई बयान अमरिका व सोवियत सधि म मनभेद थ।

### युद्ध की स्थिति की समाप्ति

14 सितम्बर 1950 को अमेरिका ड्रिटेन तथा प्राम ने समुत्त रूप से

जमनी के विश्व युद्ध की मिथनि का अन करन का धारणा की। इस प्रकार ग्रन्त जमनी एक शत्रु राष्ट्र नहा रह गया था। इससे पूर्व 8 जून का मित्र राष्ट्र न फैरल जमनी को यह अधिकार दिया कि वह विश्व के साथ ग्राहित संघिया कर सकता है। इस प्रकार अब भी जमनी विश्वी मामला में पूरा स्वनय नहा था न जमन सरकार के पास अपना कार्ड विश्व विभाग हा था। 6 मार्च 1951 को तीन राष्ट्र ने जमनी के सम्बंध में ग्राहित कानून (ग्राहित स्वचून) में परिवर्तन किया तथा फैरल जमनी का विदेश मामला के निमारा का अधिकार दिया। इससे पूर्व ही 1950 में फैरल जमनी ने त्रिन कास अमरिका राम अकारा (टर्नी) हा (हालण्ड) ब्रूमल्स (बल्जियम) में अपने वाणियन्द्रनावास स्थान। 1951 के बाद ही विश्व में राजदूतावासा की स्थापना सम्भव हा सकी। 27 फरवरी 1951 का तीन मित्र राष्ट्र न धारणा की कि फैरल जमनी को पूरा सा नीम सत्ता प्रदान की जानी है। इस प्रकार 1955 में जाकर ही यह राष्ट्र पूरणत सावभौम बन सका। 1951 में वह विश्वनानि के क्षेत्र में सरिय हुआ और चार वर्ष बाद पूरा स्वनयन के साथ उसका सचालन करन रगा।

### रास्ते का चुनाव

अपने अस्तित्व के ग्राम्भ (1949) में फैरल जमनी के सम्मुख विश्वनानि के क्षेत्र में तीन माग थे जिनमें से कार्ड एवं अपनाया जा सकता था। वे रास्ते इन प्रकार थे—

- (1) सोवियत गुट के साथ मैत्री
- (2) अमरिकी समें में मैत्री
- (3) स्वतन्त्र विश्वनानि अथात् मारत जसो विश्वनीति।

इस के साथ मैत्री करने से एक स्पष्ट लाभ था और वह यह कि जमना का पुन एकीकरण हो जाता क्योंकि पूर्वी जमनी सम के प्रभाव में था। यह एक बहुत बड़ा कायदा था तकिन इसके साथ ही वहा पश्चिमी पद्धति के जननप्र का व्यवस्था समाप्त हो जाती।

अमरिका के साथ मैत्री का यह लाभ था कि सम्पन्न और समृद्ध प्रसिद्धि युद्ध से राख बढ़ बन पश्चिमी जमनी को भारी भावा में ग्राहित सहायता सकता था तथा साथ ही उस साम्यवाद से बचा सकता था।

तीसरा रास्ता स्वतन्त्र या गुरु निरपेक्ष नीति का रास्ता था। पैरल जा के निष यह रास्ता कानो भरा सावित होता क्योंकि यह समय वह न रन ग्राहित हैटि से अत्यधिक नियन या वरन् सनिच हैटि से भा पूरा था। एसा नियति वहा ही भी ग्राहित व्यवस्था का प्राप्तनाहन न करता था।

फैरल जमना न अमरिका के साथ मैत्री का राम्भ चुना। बालगड़ था न ग्रावर न पूर्व (सोवियत मध्य) की ग्रार पार की तथा वह पश्चिम (प्रसिद्धि) त्रिन

व फास) की ओर प्रभिमुख हुआ। 1949 से 1963 तक तो वह स्वयं विदेशीनाति का नियामन करता था। 1963 में यद्यपि आडनग्रावर न चासलर पद से त्यागपत्र दे दिया नहिन किर मा अगर तीन वर्षों तक विदेश नीति पर उसका काफी प्रभाव रहा।

### आडनग्रावर की विदेश नीति 1949-63

फडरन जमनी की विदेश नीति को सु यवस्थित रूप प्रदान करने का नया जमनी के प्रथम चासलर कानाराड आडनग्रावर का है। प्रसिद्ध जमन नखक वाटर हास्टार्न के अनुसार— जमन विदेश नाति के समक्ष जो तीन रास्ते थे उसम से आडनग्रावर न अमेरिका तथा स्वतंत्र विश्व के साथ रहने का रास्ता चुना। उसकी विदेश-नीति के प्रमुख आधार इस प्रकार थे—

- (1) जमनी का एकीकरण
- (2) साध्यवाद का विरोध तथा शक्ति की राजनीति
- (3) हास्टार्न सिद्धांत
- (4) यूरोप की सुरक्षा न्यवम्भा
- (5) अमेरिका के साथ सुन्दर सम्बन्ध
- (6) फास के नाथ मैत्री
- (7) ब्रिटेन के साथ सुमधुर सम्बन्ध
- (8) भारत के साथ मैत्री व आर्थिक सहयोग।

### जमनी का एकीकरण

प्रशिक्षण डमोक्रेटिक यूनियन तथा चासलर आडनग्रावर की विदेश नीति में देश के एकीकरण को विदेश नीति का प्रमुख नक्ष्य बनाया गया। पिन्टू भूमि की एकता उसका प्रमुख नारा था। तेकिन जमन एकीकरण की समस्या विषम थी। क्याकि देश के एकीकरण की दिशा में प्रयास करने का अब्द मोवियत सघ पूर्वी जमनी तथा ब्रिटेन प्रास तथा अमेरिका के साथ सम्बन्ध में किसी एप में नालमेल बिठाना था जो नगमग असम्भव था। आडनग्रावर ने यह दावा प्रस्तुत किया कि पश्चिमी जमनी ही समस्त जमन जमता का प्रकल्प प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यहाँ की सरकार स्वतंत्र तथा निष्पत्त चुनाव के आधार पर चुनी गई है जबकि पूर्वी जमनी को स्वतंत्र रूप से चुनाव द्वारा सरकार का निवाचन करने से वचित रखा गया। को स्वतंत्र रूप से चुनाव द्वारा सरकार का निवाचन करने से वचित रखा गया। समुत्तर राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रान्स ने यह स्वीकार किया कि पश्चिमी जमनी के नाता ही समस्त जमन के एक मात्र प्रतिनिधि है और उह एसा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरूआत हुई।

10 जून 1953 का आडनग्रावर की सरकार ने अपनी विदेश-नीति के पाच मूली सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं (1) समस्त जमनी में स्वतंत्र तथा

जननानिक चुनाव (2) तत्पश्चात् समस्त जमन सरकार का निर्माण (3) मित्र राष्ट्रो—अमेरिका सोवियत सघ ड्रिग्न व फ्रास तथा पुन एकीकृत जमनी व बाच शाति सधि (4) शाति सधि म जमनी की प्रार्थिक सीमाओं का निरुप तथा (5) समस्त जमन सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा-पत्र के उद्देश्य वी भावना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों के साथ सधियों की व्यवस्था ।

यदि इन पांच सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया जाए तो वे विविध चरणों में जमनी के एकीकरण के नक्षय की प्राप्ति का प्रयास मात्र है । एल्मर लिङ्के के अनुमार विदेशनीति का मूलाधार यह—(1) फॉर्म जमनी की सुरक्षा (2) बर्तिन व फड़रल जमनी व वीच सम्बाद बनाये रखना तथा (3) देश वा एकीकरण करना । लेकिन सोवियत सघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आपसी मतभद तथा तनाव के कारण जमनी व पुन एकीकरण का मपना अधूरा ही रहा ।

### साम्यवाद का विरोध तथा “शक्ति की राजनीति”

राजनीतिक विचारधारा वी हृष्टि से बानराठ आनन्दावर साम्यवाद का कठूर विराधी था । धार्मिक हृष्टि से वह कठूर वयोलिक था तथा सावियत सघ को धम का धेर श्नु मानता था और एक नास्तिक व तानाशाही व्यवस्था वाल सोवियत सघ के साथ वह मैत्री के लिए हार्गिज तयार न था । मास्को को वह जमन एकीकरण का सबस बड़ा दुश्मन समझता था अत ऐस राष्ट्र के साथ अद्वे सम्बंध स्थापित करना बठिन था ।

आनन्दावर के अनुमार सोवियत द्वस की नीति विस्तारवादी तथा आक्रामक थी तथा जमनों के साम्यवादियों का भी वह पच मार्गी (मिष्य कालमनिस्ट) मानता था जो रूस के द्वारों पर जनतन की जड़ें खाली करने पर तुल हुए थे । उसको मायता थी—वि रूस की विदेशनीति का दीघकालीन उद्देश्य फॉर्म जमनी प्रास व इटली को साम्यवादी नियन्त्रण मे जाना था ताकि इन सब राष्ट्रों के प्रार्थिक साधनों का उपयोग करत हुए वह अधिक आत्म विश्वास व साधनों के साप अमेरिका का मुकाबला कर सके । पूर्वी जमनी को आनन्दावर न सोवियत क्षेत्र की सता वी क्योंकि वहां सोवियत सघ के प्रमाव व सहयोग से साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी । बर्तिन के प्रश्न को लेकर 1948 म सोवियत सघ न जो रव अपनाया उसम आनन्दावर अत्यधिक सुध हुया ।

यह स्मरणीय है कि 1948 तक समस्त जमनी की भाति बर्तिन पर भी मित्र राष्ट्रों वा नियन्त्रण था तथा देश व राजधानी दोनों का चार मासों म विभाजित कर चार राष्ट्रों के प्रशासन म सौप कर रखा गया था । यह काय प्रशासनिक मुविधा की हृष्टि से किया गया था लेकिन कानूनी हृष्टि से समस्त जमनी व बर्तिन पर चार राष्ट्रों वा नियन्त्रण स्वीकार किया गया था ।

जसा कि स्पष्ट किया जा चुका है वि जमनी की राजधानी बर्तिन (प्रभी

फॉरन जमना का प्रस्थायी राजधानी बान है) पूर्वी जमरी के बीच स्थित है तथा वह मो पूर्वी तथा पश्चिमी वर्तिन म विभागित है तथा पश्चिमी वर्तिन फॉरन जमनी का साथ म है। इसी नता स्टार्टिन उम पूर्वी जमना म मिलाना चाहता था। उसने सोचा कि यदि पश्चिमी वर्तिन व पश्चिमी जमरी के आपमी सम्बंध यानायान आगे अमाप्त कर दिय जाय तो पश्चिमी वर्तिन को जनता भूखो मर जाएगी तथा लाचार नाई वह पूर्वी जमरी म ग्रामिल होता स्वीकार कर नेगी। इसीनिए उसने 1948 म वर्तिन बी नाकावदी भी।

वर्तिन बी नाकावदी स पहल समस्त जमरी म यातायात खुना था तथा इसी प्रकार वर्तिन व निवासी भी एक भाग स दूसर भाग म जा सकते थे। लेकिन अग्रिम अभियंत्रण पर पहले पूर्वी जमरी ने स्थान मार्गों की नाकावदी तथा पूर्वी वर्तिन स पश्चिमी वर्तिन का मिलन वाली विजयों की ताईन काट दी गई। अमरिन ड्रिन व फ्रास न स्टार्टिन के न्यू इन का विरोप किया तथा हवार्ड जहाजो वा सट्टायता से पश्चिमी वर्तिन का अनाज व अप्य सामग्री पहुचार्ह गई। 26 जून 1948 स 12 मर्च 1949 क बीच 260000 वार हवार्ड जहाज वर्तिन पहुच व बापस आए तथा पश्चिमी वर्तिन बी जनता को हर सम्भव भूलायता पहुचार्ह गई। स्टार्टिन अमरिन के बड़े स्तर से निराश हुया और उसे नगरम 11 माह बाद नाकावदी हटाना पड़ी। इस घटना म फॉरन जमरी व सावित्री सघ के बाच अविद्याम की मावना घर कर गए।

सावियत सघ का सामना करन के लिए शक्ति भी आवश्यकता थी। आज्ञन आवर का विचार या कि स्म एक ही भाषा सम्भन्ना है और वर्त है शक्ति भी भाषा। अन्तिम उसन शक्ति की राजनीति अपनार्ह। अपने देश का शक्तिशाली बनाने के लिए उसन यूरोपीय मुरक्का समुदाय नामक सघ का समयन किया तथा 1955 म उत्तर गतलात मनिक सघ म प्रवेश किया।

यद्यपि आहनग्रावर साम्यवाद का कट्टर द्रुमन था लेकिन वह यह भी जानता था कि जमरी के एकीकरण की कु जी इस के हाय म है। सार्थ ही यद्यपि युद्ध 1945 म ही समाप्त ना गया था उक्ति अभी भी एक लाल से अधिक जमर समिक व अप्य नोए इस म कर्त थ। जमर जनता भी माग थी कि उह मुक्ति निलार्ह जाए। ऐसी स्थिति म न्यू के साथ बातचीत जहरी हो गई। 9 मितम्बर से 13 सितम्बर 1955 म आज्ञनआवर ने मास्को का यात्रा भी तथा एनेसी टास्टाय भवन (विंग मत्रालय) म बुगानिन के साथ बाता हुई। दोनों देशों के बीच मितम्बर 1955 म ही राजनिक अवध बायम करना तय हुआ<sup>1</sup> तथा साथ ही यह भी समझेना हो गया कि

1 20 सितम्बर 1955 को सोवियत सघ की ओर स वलरिन जोरिन को राष्ट्रत बनाकर ए एस जमरी भाग गया तथा जनशरी 1956 मे जमर राजनीत दिल स हाल न सोवियत सघ म अपना पर्य सम्भन्ना।

100 000 जमन युद्ध वनी रिहा कर दिए जाएँ। अक्टूबर 1955 से जनवरी 1956 के बीच इन युनिवर्सिटी को बोड दिया गया। युद्ध विद्या की मुक्ति से फैरव उमनी म आनन्दावर की नोक्तियता म भारी बढ़ि हुई। यद्यपि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बंध कायम हो गए, लेकिन भाषणी तनाव तथा विरोधी प्रचार जारी रहा। इस ने समय 2 पर पश्चिमी उमन सरकार पर नात्सियों तथा सभ्य वादियों को सरकार देने का आरोप लगाया तथा सभ्य प्रत्यक्षर मे फड़रल उमनी न कहा कियह गदा प्रचार है तथा इस उद्वा देने वारी पुनरावत्ति वा शिकार है यानी बार बार एक ही रट लगाए हुए है जबकि आरोप निराधार है। इस के साथ सनिय सहयोग का रास्ता काटा से भरा था तथा 1970 के आसपास जाकर ही दोनों देशों के मध्य अच्छे सम्बंधों की स्थापना का मार्ग अस्ति हुआ।

### हाल्सटाईन सिद्धांत

फड़रल उमनी की विदेशनीति वी एक विशेषता थी हाल्सटाईन सिद्धांत। बाल्टर हाल्सटाईन नामक व्यक्ति ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी उमनी के नता समूल उमनी के एक मात्र प्रतिनिधि हाने का दावा करते थे लेकिन जब 1955 म इस के साथ राजनीतिक सम्बंध स्थापित हुए तो यह कठिनाई सामने आई। साक्षियत सघ तथा पूर्वी उमनी के बीच पहले ही राजनीतिक सम्बंध थे इस प्रकार इस न दाना उमन राज्यों को मायता दी। आडनावर को डर था कि इस के पद चिह्न का अनुसरण करते हुए यह अब विदेशी राष्ट्रों ने भी दोनों उमन राज्यों को मायता देना ग्राम्य कर दिया तो उमनी का विमाजन स्थायी रूप ने लेगा। वह एसा नहीं चाहता था अत हाल्सटाईन सिद्धांत का प्रतिपाद्न किया गया। इस के साथ कूटनीतिक सम्बंध स्थापित करने के साथ ही कानराड आनन्दावर ने इस सिद्धांत की घोषणा की। हाल्सटाईन सिद्धांत के अनुसार— यदि कोइ राष्ट्र पूर्वी उमन राज्य को राजनीतिक मायता दगा तो पश्चिमी उमनी उस मायता देने वाले राष्ट्र के साथ राजनीतिक सम्बंध तोड़ लगा तथा उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं देगा। 1958 म जब युगोस्लाविया न पूर्वी उमन राज्य को राजनीतिक मायता दी तो फड़रल उमनी ने हाल्सटाईन सिद्धांत के अनुत्तर युगोस्लाविया से राजनीतिक सम्बंध तोड़ लिए। यह सिद्धांत 1970 तक प्रभावी रहा। धीरे धीरे उमनी प्रभाव खत्म होने लगा और जब 1972 म फड़रल उमनी तथा पूर्वी उमनी ने परस्पर मायता दी तो यह सिद्धांत स्वत ही समाप्त हो गया।

### पूर्वी की सुरक्षा

इसी शताब्दी म दो विश्व-युद्ध लड़ गए तथा उसके परिणामस्वरूप यरोपीय राष्ट्रों को तथा विश्वकर उमनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंतीय मन्दिर के

बाट ता जमना को विमार्शित होने को मन्त्रवूर हाना पन्ह। अब जमन जमना के मन म न बवत जानि का चाह थी बरन् व एक भयुन यूगाभाव व्यवस्था के अत्यंत एक स्युक्त जमनी द निमाण वा जमना ना दाचन रम है। उचित यह स्पष्ट था वि वव तक पूर्वी तथा पश्चिमा मुन्न म मतभन्न हैं यरोपाय मुर वा नन्द म रहेगा तथा एक स्युन्न यरोप का बात बरना बवार ह अब पश्चिमी यरोप क जनापा। न पहन पर्फी-भी यरोप का मुर ग व निए मनिक मवि का तथा पश्चिमा यरोपीय मध्य के विमाण की फ़िजा म प्रयास किया। ग्रान्तप्रावर न पश्चिमी यूरोप का मुरला व परता का निजा म निरन्तर अचक्ष प्रयास किया। यूरोप की नुरता व एकना की हाइ म हा यूरोप कोयना व अम्मान नमनाय यरोपाय प्रतिरक्षा-नमनाय यूरोपाय विकास-मटायदा यरोपीय आर्द्धिक समनाय (गाभो बानार) यरोपाय परमाणु ज्ञा समाय तथा पश्चिमा यरोपीय ममन मध्य आर्द्धि मस्थाया का रचना जी ग तथा जमनी न नन्द निमाण व विकास म महत्वपूरण यागानन दिया।

### अमरिका के साथ मुद्दे सम्बन्ध

फूरन जमना न स्वनात्र जनताविक जमन्ना का चुना अब यह स्वानाविक ही या फ़ि-जनताविक राज्या के साथ उग्गव गुम्फुर मम्बाव हा और अमरिका ता इन दन गणा का नायक था अत उमक माय मुन्न सुम्बाथ स्थापित करना जल्दी था। ग्रान्तप्रावर क अनुसार सप्लैन-राय अमरिका स्वनात्रा का महाननम रखक एव प्रवत्त। या। साय ही 1945 क बान वह विव वा मवाविक गविन्शाना राष्ट्र था। उमी छत्रठाया म फूरन जमना अपनी मुरता व अमिव का उनाण रव मकना था किं यूरोप म हमा खनरे का मकावना बरन क निए अमरिकी मना की उर्द्धियति भी ग्राव-पक था। हान्दन हान्मर क अनुपार ग्रान्तप्रावर का विरा नानि का मूरताधार अमरिका क नन्द व का सनदु समन्न बरना था। फूरन जमना न ग्रान्तप्रावर क युग म हमाना "म बान का नमयन किया कि अमरिका मनिक यरोपाय भूमि पर उपस्थित रन्।

सावित्रत सध की जन्ना जानि का मकावना बरन क तिंग मा अमरिका का नमयन व उमम माझ्य महेपा नस्ती था। दिव्विधयन अमाश्वर यानयन क 10 वे वापिस म-मन म दोतन वा आनन्दावर न बता ए-तिन ईम क स य फ़िमार विवाव करना मानव हाना। यह सम्मावना तमी हाना जव ग्विमा जान् जना अमिक गविन्शानी व न निच्चयी तथा एकनानुवान ज्ञा फ़ि स य दर अनुभव बरना कि कानानर म पश्चिमी जग्द नह्य रहेगा य जानन है कि स्वत्व राष्ट्रा म अमरिका सवाविक गविन-सम्पन्न त तमा उन्न काय ममान नानि यरोपाय राष्ट्रो क तिंग और रासदर जमनी क निए उपयोगा । अमी अवमर पर पूरन जमनी क विरा मात्री हान्नरिच फान व जना न कहा जमन हन्नत्र विव वा

चिस्ता है तथा आज का जमनी तथा कर का संयुक्त जमनी भी ऐसा ही होना चाहिए।'

अमेरिका के साथ जमनी के सम्बन्ध वित्त घनिष्ठ य दमका अनुमान आठवें शताब्दी की इस बात से उगता है— युद्ध के बाद मालाल योजना अमेरिकी राष्ट्रपति टूसन तथा विदेश मंत्री एचसन के माध्यम से दोनों देशों में स्वागतयोग्य सम्बन्ध स्थापित हुए। राष्ट्रपति आईनहावर ने विदेश सचिव डलम के ममय य सम्बन्ध निरंतर प्रगति करते रहे। उक्ति अमेरिका में कनेनी के राष्ट्रपति बनने के बाद आठवें शताब्दी तथा वार्षिकटन के बीच सम्बन्ध उतन मध्ये नहीं रह जस कि पहले थे। उक्ति इसका यह अथ नहीं है कि एक दूसरे के ममयन में कभी आई।

### फ्रास के साथ मत्री

पिछले तीन सौ वर्षों में जमनी तथा फ्रास के सम्बन्ध का विवास तबाह व युद्ध को समझे हुए है। 1870 से 1939 के बीच दोनों देशों ने तान बढ़ युद्ध लड़े। अत लड़ता में बढ़ि हाना स्वानाविक ही था। तीनों युद्धों में जमन मनों ने फ्रास का बुरी तरह पराजित किया तथा प्रामीमी भूमि तथा जनता जमन मनिक बूटा के तन कुचली गई। युद्धोपरात जमनों द्वारा फ्रास के सहयोग व सक्रिय ममयन की अत्यधिक आवश्यकता था उक्ति फ्रासीसा जनता पुरान अत्याचारों को नहीं भूती थी।

कानराड आठवें शताब्दी जानता था कि जमनी की प्राचीन क्रांति तथा व्यक्तित्व को मुकाकर एक नवीन जमनी के निमाण के लिए फ्रास द्वारा सद्मावना आवश्यक थी। यही कारण है कि वही अवसरा पर आठवें शताब्दी ने फ्रास के प्राथमिकता दो तथा यूरोपीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने के पांचाल पर जमनी ने विभिन्न अवसरा पर फ्रास की नीतियों का सक्रिय समयन किया। इस प्रकार आठवें शताब्दी दोनों देशों के मध्य सुभष्टुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा। सफलता का चमोत्कृष्ट हम 1963 की फ्रासीसी-जमन सहयोग मिति में दीख पड़ता है।

फ्रास के राष्ट्रपति जनरल डीगाल तथा आठवें शताब्दी ने मिलकर 22 जनवरी 1963 को सहयोग समिति पर हस्ताक्षर किए। यह समिति फ्रास व जमन के सम्बन्धों में एक मीन का पत्त्वर थी। जनरल डीगाल ने इस अवसर पर कहा विश्व का प्रत्यक्ष यक्ति द्वारा काथ के महत्व का समझना है न वेदन इमनिए ति अन्य सूनी सधप व नदाव्यों के पृष्ठ वाले हात व वरन् अमनिए भी कि इसमें फ्रास व जमनी तथा यूरोप और इस प्रकार समस्त विश्व के निए नए भविष्य का नार गुन गया है। आठवें शताब्दी ने प्रत्युत्तर में कहा म आपकी मावना का समयन करता हूँ तथा इससे अधिक इसमें कुछ नहीं जोन्ना चाहता।

फ्रास जमन सहयोग-समिति 1963 के अंतमत अग्रितित अवसराएँ की गई—

- (1) दानों देशों के विभेद मात्री प्रति तीन माह के बाद मिलगे तथा पारस्परिक फृतों के मामला पर विचार विमर्श करें।
- (2) क्रास व फैरल जमनी के प्रतिरक्षा मात्री भी प्रति तीन माह तक मिलगे तथा एक दूसरे का संयुक्तिविविधि व समस्याओं से "विवरण" कराएँ।
- (3) दानों देशों के प्रमुख सेनापति (चीफ अफ स्टाफ) दो माह में एक बार मिल कर विचारों का आनन्द प्रदान करें।
- (4) दाना प्रिक्षा मात्री तीन माह में एक बार मिलें।
- (5) दोनों देशों के युवक व नवजात मामलों के मात्री भी प्रति तीन माह में एक बार मिलकर बातचात करें।

इस प्रकार अन्तर मानवयन्मानवय की व्यवस्था की गई। दोनों देशों के बीच प्रोफेसरों द्वाना व कलाकारों का आनन्द प्रदान को स्वाकृति दी गई। इस सभि के पश्चात् दोनों देशों में निरंतर सद्भावना का विस्तार हुआ।

### ब्रिटेन के साथ सम्बंध

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सर्विक पर्याधिकारियों ने दो बार कानाड़ आडनप्रावर को पदच्युत किया था। पहली बार प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सर्वान जमनी के कोलान नगर में प्रवेश किया तथा वहां के मेयर कानराड आडनप्रावर को पद से हटा दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरिकी सरान बोनान पर अधिकारि किया तथा 15 मार्च 1945 का आडनप्रावर को वहां के नगर निगम व मेयर का पद प्रदान किया। बाद में यह नगर ब्रिटिश प्रशासित प्रदेश बना और 6 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश सर्विक अधिकारी जनरल बारावनाय ने पुनः आडनप्रावर का पद से हटा दिया। दो बार व्यवान्त किए जाने के कारण जमन चामनर के मन में आश्रोण था तकिन ऐश के हित का मर्वोपरि मानत हुआ उमन ग्रपत "विवितगत श्रोष को दवा कर ब्रिटेन के साथ नवी का रास्ता अपनाया।" सक कुछ कारण थे—जमनी के ब्रिटेन के मध्य भारी यापार था। ब्रिटेन की मध्य प्राप्त करके हां मूरों में दास के बहत प्रभाव दो रोका जा सकता था।

यद्यपि प्राप्त इस बात का विरोधी था विं ब्रिटेन का यूरोपीय साम्भा बाजार का संयुक्त बनाया जाए तकिन आडनप्रावर न समय समय पर ब्रिटेन की सदस्यता का समर्थन किया। इस प्रकार दाना देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय आरम्भ हुआ।

### भारत के साथ मध्य

विद्वने पात्र सी वर्षों में भारत व जमनी के मध्य घटिए मान्डितिक सम्बंध थे। जमन विनानों ने—इनमें ऐन फ्रीडरिच इनेन ए डन्यू इनेन विनेन फान हृष्टोन मध्य घूमने प्राप्त हैं—भारतीय धर्म अग्नि व मधृति की प्राप्ति

की तथा उन्हें यूरोप में नाक्षिय बनाया जानान गान्धार हेंडर ने कानिंग्स्टुड की विद्यार्थी नामदेवा शहुनामा के माध्यम से भारत का भूमि के प्रति अपना अद्वाजलि व्यक्त करते हुए कविता लिखा—

उहा भूनाम अपन परियक्त पुत्र के साथ रहता है

उहा दुध्यन ददतामा से नित नए बरसन प्राप्त करता है।

पवित्र भूमि तुम बारन्दार प्रसाम है ऐ धनि व ज्ञानों के हृष्य की दावाज तुमसे प्राप्तना है कि मुझ स्वर्णिक आनंदि दा उचाया प्रतान करा।

इसा प्रबार विश्व विद्यात जमन विद्याद न भी गङ्गुतला का प्राप्ता म सीरों का रखना की। आगुन्ट विन्टूम इलेगल न 1820 में फैजान जानी की दउमान राजधानी बान म भारतीय पुस्तकालय का नियम सस्तृत भाया म धन व दान की पुस्तकों साहान की गद—स्थापना का इस प्रकार सवप्रथम बान म 1818 दे विश्वविद्यालय म भारताय विद्या ना अध्ययन आरम्भ हुया। इलेगल न दान की धर्मियम के बनारम तथा राजन ननी का पर्विय का यगा की सना दी। तब से निरतर दाना दशा म साल्कुनिक विचारा का आनन प्रयान हना रहा। भारत म भाष्याय रिंगर व मक्क मूलर (भारत के सस्तृत व विगत इन मात्रमूलर कहना पर्य करत है) की रखनामा का सम्मान का दृष्टि स देवा नना है। सउप म वहा जा सकता है कि कविया व दाननिका व दान जमना न भारत की मस्तृति म प्राप्त दृष्टि लिखाइ तथा उसम प्रेरणा शाप्त का। यूराप म भारतीय सस्तृति व प्रसार के तिए भारत सउव जमना का छहरी रहा।

यद्यपि सास्तृति दृष्टि स दोना दश एन्डूसर के बहुत निक्षय तरिन मुलाम भारत जमना के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्पारित नहीं वर सक्ता। भाजानी के बाद हा दाना देश के बोच राजनामा के सम्बन्ध स्पारित हा नह। तरिन भाजानी के सुधर के दोरान कह भारतीय लिटिन नमन चक्र स वचन के लिए जमनी रन ए और वहा रहन्दर उहाने युगरीय जनना का द्रित्य भारत के शोभए से परिवित कराया। 1913 म एक घनाम भारताय न एन जमन समाचारपत्र नार्पितिनार नातरिटेन में जमन उद्यापतिया नो भारत म कारसान नगान का घीनी की। 1914 म ए नमन लिले न जमना भारत का आए नमक पुस्तक लिली। 16 अगस्त 1915 भ जमन समाचार एनों न भारताय स्वतन्त्रता-समिति नामक एक मुक्त सत्य का घोपणा-नन प्रकारित किया। बाद म इष्वान नाम दर्तत वर भारतीय राज्योंदारी समिति-यूरोपाय छाड़ रखा गया।

इससे पूर्व 1915 में अमरिका से श्रोद्धर मोनाना बरक्तुल्लाह जमनी नेब ए ताकि व यूराप म भारतीय स्वतन्त्रता के लिए बेतना जात वर सक्ते। बाद में राजा महेन्द्र प्रताप न बाबुन म जिस भस्यायी भारतीय बुखार सी पायणा वी उसम स्वय को राष्ट्रपति तथा मोनाना बरक्तुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नारठ

दे मुल्तान क्षेत्र के राजिकारिया ने अपने बींकों का जमन या पीन जमन घायित किया। उधर राजा महेंद्र प्रताप 1918 म बैंकन भी गण ताकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जमन राष्ट्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

बाद म ऐसे एन राय ताराचन्द्र राय विनय कुमार सरकार ए भी ऐसे नम्बियार ए हुमन प्राप्तकर गिरिजा के मुखर्जी आदि ने जमनी म भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। पश्चिम सातीगाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू व डा राम मनानर नोहिया ने भी जमनी की याचना दी।

भारतीय नेताओं म सुमापचन्द्र बाम वह प्रमुख उत्किं थे जिन्होंने हिटलर की जमनी म सहायता प्राप्त कर भारत को आजां रान का "सकन प्रयास किया। नेताजी सुभाष चन्द्र बास व साय दो ऐसे आर यास व प्रा गिरिजा के मुखर्जी ने ग्राम जारी रखन का प्रयास किया।

जब भारत अपन संवर्धन के निमाण म रत था तो भारतीय विधि विशेषज्ञों ने जमन संविधान (वेसिर न) का भी गूँग प्रध्ययन किया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र म भारत ने जमनी वा महायोग व सहानुभवि प्राप्त करन का प्रयास किया। त्रिन भिर भी भारत आविर विटन का दास था औ जब विटन के विषद्व जमनी ने युद्ध द्वारा तो भारत को उम सहयोग देना पड़ा। 6 सिन्वर 1939 को भारत ने भिन्न राष्ट्र के समर्थन म हिटलर के जमनी के विषद्व घोषणा की और जब विजताम्रों दो सना न जमनी म 1945 ये प्रवाप किया तो उसम भारत के साय प्रतिनिधि भी शामिन थे।

भारत ने जमनी के साय अपन सुमधुर सास्कृतिक सम्बन्धों को ध्यान म रखते हुए फ़डरन जमनी के साय सम्बन्ध सुधारन की दिशा म भारी दृचि निखाई। उधर जमनी भी स्वतंत्र भारत की गद्भावना प्राप्त करने का दुरु था। भारत उस समय प्रातरांशीय जगन् म एक उदायमान सिनारा या तथा एशिया व अफ्रीका में वह बाप्ती लोकप्रिय था। फ़रल जमनी एशिया व अफ्रीकी दाम म अपने पाव जमना चाचता था। यहा भारत की मरी व मायता एक महावूग तब्दि लिद हो सकती थी।

1 जनवरी 1951 को भारत न जमनी के साय युद्ध की भिति का धन्त दून की घोषणा की गी। 1 नवम्बर 1951 को नई नियों की तया वान म एक साय यह घोषणा की गई कि दाना देशों न राजनेपित्र मम्बां स्थापित कर लिए हैं तथा नीच ही राजदूता का प्राप्तान प्रश्न किया जाएगा। 22 अप्रैल 1952 में नई नियों म जमन राजदूतावाम सोना गया। इस प्रवाप अप्राकृति व एशियाई लैंडों म भारत उन राष्ट्रों म स एक था जिसने गवर्म पट्टे पर उन जमनी के साय सम्बन्ध स्थापित करन म तनारना किया। भारत और जमन व बीच राजनीतिर से परिक धार्यित सम्बन्ध रहे।

दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का इतिहास 1844 से आरम्भ होता है जब हाम्पुग की व्यापारिक कम्पनी 'हानिसियाटिक लोग' का प्रथम वाणिय-दूत एवं त्यूष्के ने बम्बई आकर अपना कार्यालय खोला । उसी वर्ष कलकत्ता में टी एच ए वाटेनब्राव ने वाणिय-दूत का कायमार सम्हाला । द्वितीय महायुद्ध के बाद 12 मई 1951 को बम्बई में प्रथम जमन महावाणिय-दूत का कार्यालय खोला गया । 20 जनवरी 1956 में बम्बई में भारत जमन व्यापार-मण्डल (इडो-जमन चेम्बर आफ कामर) की स्थापना की गई । वहाँ दोनों देशों में माल का आयात तिथात 1951 में ही ग्राहक हो गया था । निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों मध्य भारी व्यापार था ।

### जमनी द्वारा भारत को भेजा गया माल (लाख माल)

1951	2140	1960	8340
1952	2270	1961	7800
1953	2770	1962	7310
1954	3750	1963	7240
1955	5900	1964	7770
1956	8190	1965	10490
1957	11260	1966	9510
1958	11730	1967	7960
1959	9600	1968	5750
		1969	4980

### भारत द्वारा जमनी को भेजा गया माल (लाख माल)

1951	1200	1961	2230
1952	1250	1962	2610
1953	1660	1963	2540
1954	1530	1964	2720
1955	2680	1965	2440
1956	1890	1966	2390
1957	2520	1967	1840
1958	1920	1968	2150
1959	1800	1969	2370
1960	1840		

इनकी तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत ने कम माल भेजा तथा जमनी से ज्याना माल प्राप्त किया । इससे भारत के विदेशी व्यापार में असन्तुलन हुआ और

1969 के बाद भारत ने पूर्वपि गा अधिक मात्र भेजना आरम्भ किया तथा यापार सतुरन कुद्द ठाक हो सका।

फरवर जमनी के विट्श-सहायता कायदम म भारत का सबाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान चिया गया है। आज तक पश्चिमी जमनी ने जो सरकार विकल्पीय करण दिए हैं उनमें 33 प्रतिशत भाग भारत को चिया तथा तकनीकी सहायता-कायदम के अत्तमत जो मद्द दी गई उपरा 10 प्रतिशत भाग भारत म निस्से म आया है। 1957 स नक्कर अप्रैल 1973 तक जमनी न भारत के विकास के लिए 58000 नाल माल प्रदान किए हैं जो 1850 करोड रुपया के बराबर जोत हैं। 1973 म जमनी न भारत का 3100 नाल माल अथवा 93 करोड रुपए करणे के रूप म देना स्वीकार किया है। इस प्रकार भारत का दी जाने वाली विपक्षाय सरकारी सहायता की इष्टि स अमरिका के बा पश्चिमी जमनी का दूसरा स्थान है। 1974 म भारत का 3600 नाल माल यानी 108 करोड रुपए करणे के रूप म प्राप्त हुए। 1973 की तुरन्त म यह मद्द 16 प्रतिशत अधिक है। 1974 मे प्राप्त 3600 लाल माल म स 2200 लाल माल (66 करोड रुपए) करणे के रूप म है तथा 100 नाल माल या 3 करोड रु कृपि विकास कायदम म सहायता के रूप म तथा 1300 नाल माल या 39 करोड रुपए पुरान करण म राहन के रूप म है। इस करण पर 2 प्रतिशत याज लिया जाएगा तथा इस 30 वर्षों म चुकाया जा सकता है। न चुका पान की स्थिति म 10 वर्ष की अवधि और प्रदान की जाएगी। इसस यह स्पष्ट हो जाता है कि करण उत्तर जाती पर लिया गया है।

‘यापारिक’ आयत नियान के साथ ही नई नीति तथा बान (पश्चिमी जमनी) के अधिक सम्बन्ध भमा न रही हा जान। फरवर जमनी ने भारत की घट्टालिक तकनीकी व कृपि तथा उद्यग विपक्षक प्रगति म भा भारा यामन्ना चिया है। कासर रोग निवारण रिमच टीनीपिजन तकनीक से नक्कर भू-उपग्रह निर्माण के क्षेत्र म दाना देशा न निकट सहायता स्थापित किया है। जिन क्षेत्रों म जमनी ने भारत का तकनीकी व अधिक सहायता प्रदान की है उनका विवरण इस प्रकार है—

### हरकेला इस्पात कारखाना

भारत की अपन्नदस्या का सहृ भागधार प्रदान करने के लिए इसपात की अत्यधिक आवश्यकता थी। जमनी न हरकेला म इस्पात-कारखाना स्थापित करने म सहायता प्रदान कर भारत के औद्योगिक विकास म महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत के मावजनिक भेत्र म हरकेला का इस्पात-कारखाना पहता स्थापित कारखाना है। यन कारखाना प्रति वर्ष लगभग 20 लाल टन स्टीन तयार करता है। पश्चिमी जमन राजदूत घूटन दोहन के प्रनुसार हरकेला इस्पात कारखाना ग्रनरल्ड्रीय सरोर का प्रनुरन उन रण है।

### मण्डी व कागड़ा-कृषि-योजना

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा सबसे महत्वपूर्ण नमस्या है कृषि का वनानिक आधार उन्नान बरना। इस निया में जमना न हम सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी व कागड़ा क्षेत्र में मानव जमन कृषि योजनाएं सामूहिक कर्म हैं जिसमें जेता की पदावार में बढ़ि के लिए वनानिक उपकरणों का प्रयोग सम्भव हुआ। यहा दाना दाना के कृषि विवरण मिश्वर काय करत है। जमन सरार ने कृषि समन दुर्घट विसान याजना के लिए आवश्यक मुफ्त सहायता दी है।

### नीलगिरी-कृषि योजना

दभिण मारत म स्थित नीलगिरी-भेद म भारत-जमन सहयोग मत्रिय दीन पठता है। कृषि परिवर्ती के आपसमें सहयोग तथा विचारा के आदान प्रदान सर्वप्रथम की उन्नति सम्भव हुई है। अब यहा के किसान पृष्ठल द्वी अपका वर्ग गुनी अधिक पदावार करत हैं। यहा बीजा को किस्म को जमुनत बनान तथा कृषि के लिए वनानिक यत्रा वा अधिकाधिक प्रयोग करने का काय होता है। पिंडल पाच दर्जों में इस सहयोग का गहरा प्रभाव पड़ा है।

### मद्रास-तकनीकी संस्था

भारत को इन्जीनियरा व कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। सी संस्था को विप्रियत करत हुए देश में तकनीकी अध्ययन संस्थान खाल गए। फरवर जी ने इस दिना म भी सहयोग का हाय बताया। 1969 म नाल म जो दर्शन इन्स्टीट्यूट आफ टकनानाजी खोना गया उसकी स्थापना म नमन सहयोग प्राप्त हुआ गया। 1959 म यह संस्था भारम्न हुई। इसन हजारा की संख्या में तकनीकी विश्वपन तथार किए।

### बगलोर-फोरमेन-संस्था

ग्रोवोगिक व व्यावसायिक पक्षों म भी प्रशिक्षण जहरा था और इस तरव वी पूर्ति के लिए बगलोर म फारमेन ट्रिनिंग इंटार्ट्यूट का स्थापना की गई। यद संस्था भी जमन सहयोग के आधार पर खाली गई थी।

### हावड़ा प्रशिक्षण व शोध संस्था

तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए ऐंध का नारी आवश्यकता मन्त्रमं दी गई। प्रस्तुत नमस्याओं के निवारण के लिए प्राक राष्ट्र द्वी मतत शोध बरनी पठती है। इस काय की पूर्ति के लिए जमनी के महयोग म हावड़ा म मद्रस टाप ट्रिनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई।

### टेलीविजन तकनीक में सहयोग

भारत में टेलीविजन या दूरदृश्यत्र के आवधन की जिन्ह में भी पहरन

जमनी वा प्रभुव मन्याग रहा है। उमन न कबूल भारत ने ममूण ट्राविजन-सरकर में किय बरन् भारत म राविजन सरकार निमाण म नमन विशयना का सबाए भा प्रनान का। बम्बू म आपमा मह्याग म एक राविजन-सरकर घोना गया है।

### छापखाने

दा म शिखा क प्रसार तथा पुस्तकों का बन्ना है मा वे दृष्ट ए आपुनिक विस्म क छापखाना का महत्व बना। दृष्ट जमना न य दिगा म भारत का सहायना करना स्वीकार किया। च्छागर (पञ्चाव) म नमन सह्याग स एक दिगाव और आपुनिक भागना बाता छापखाना चाता गया जा पाय-पुस्तकों छापन का काय करता है।

### प्रथम युग की समीक्षा

आनन्दावर वा विद्यनाति यद्यपि अपन मूर नाम—दा क एकीकरण का प्राप्ति म असफल रहा उकिन द्यम्ब दावनूर उमन विद्यनाति क भूत म कइ उपर्यि प्रया प्राप्त का ३। उसन नमना क रिए सावनीम सत्ता प्राप्त की प्राप्त की मुर्म मैत्रा हामिन का द्यिन का मित्र बनाया तथा धमरिका का मुर्मा इन्ह एप्ल दिया। आनन्दावर वा आवा ह कि प्रानीमौ नमन सह्याग-सर्वि उसा महान् सदा है। उसन दहिपृष्ठ उमन दश का नुमन्य राष्ट्रा का थएा म ना खडा किया तथा प्राप्तिक हृषि स उस एक महान् नाम बनाया। विद्या सहायता क मात्रम स उसन विद्यामा पुर्व जाँ वी मैत्रा तरा सम्मान प्राप्त किया।

### विदेशनाति का द्वितीय युग 1966-77

आनन्दावर क पश्चात् तान वय तद तुर्जिग एरहाउ चासनर क पर रना। उसन उगमग उसा विद्यनाति वा पानन किया जा उमक पूवगामा न आरम्भ का था। उकिन 1966 म नव रिचियन व्यामानिक यूनियन तथा साजन व्यामानिक पार्टी की मित्री तुना बहुत-सरकार (ग्राम वानीगन) बना और द्यम्ब चासन व्यामानिक पार्टी क नडा विना द्राङ्ग का वाम्ब चासनर (उर प्रधानमन्त्रा) तथा विद्या मथा नियुक्त किया गया ता विना द्राङ्ग न द्यम नान पर सरकार म आमिन होना स्वास्तर किया कि पूर्वी दूराप क दशा क माय सम्बाना का मुवारा जाए तथा उहै मुर्म आधार प्रतान किया जाए। यस हृषि म 1966 का वय सवाय नमनी को विद्यनाति क वित्ताम म एक भीत का पायर है। एक नियायक वय है। इसा वय म जमन विद्यनाति क अनगत एक नया आयाय आरम्भ होता है जिस आस्ट परिनिक वहा जाता है। आस्ट परिनिक ए अय होता है पूर्वी जाँ क ननि नानि। महा पूर्वी दाँ। स तात्पर पूर्वी दूराप क दशा स ३।

आनन्दावर युग म पूर्वी दूरापाय दाँ। म तिस सोकियत सघ का ही महत्व किया गया लक्ष्मि उसक साय भी भाव सम्बन्ध नहा रह। उसका नीति थी इति-

प्रदून द्वारा जमना का एकाकरण नहिं थार और यह न्यू हान तो कि ऐसी नीति व पालन से न बदल नाव न्यू दरन् दृश्य का एकाकरण ना सम्भव नहीं है। इस प्रदार हान्सगान मिदाल्न' का धारणा व वार्ता भी पूर्वी यूरोप के दोनों का पूर्वी जमन राष्ट्र का भावना न्यू से नहीं राजा जा नहीं। विनी द्वारा इस तथ्य से जमनी जाति पर्वित था कि "जमना एकाकरण की कुत्री मान्या के हाथों में है। वे तक सान्धित सध तथा पूर्वी यूरोप के दोनों का इन चेन्नावाक्षिया हुनाई बुन्नाक्षिया हारी पान्न ग्राहि जामिल है—विनामु तथा सद्दनावना प्राप्त ही हाती तब तक जमना के एकाकरण का भावना न्यू हाना मूलना है। अत विनी द्वारा वा नामि था— पहल नाव में कमा वार्ता में पकाकरण। इस प्रदार जनन विना वा नामि का उन्नर न्यिया गया। साय हा यह भा स्मरण रखना हांग कि 1960 के वार्ता अमेरिका व सावित्री सध के मध्य सम्बन्ध नुघर रह थे तथा तनाव कम हो रहा था। ऐसी स्थिति में जमनी के पास भा उद्योग के अलावा और कई चारों न रहा था। इसके निए तनाव शयित्र का नामि अपनाना जरूरी था।

विना द्वारा म सामन ममस्या न्याम था। पूर्वी यूरोप के दूर हिन्दू गण विकरान नरमहार का भ्रमी भूल नहीं कि 1945 के वार्ता सावित्री सध बावर पूर्वी यूरोपाय दोनों का जमन निक्षण के हृष्ट से डरा रहा था। द्वारा न वह दोनों तरान निष्ठा व विवास का नान्ना से काय दिया तथा एक व वार्ता एक पूर्वी यूरोपीय न्याम के साय मन्द्य नुघारन में सफलना प्राप्त का। 1969 म जब उन्हीं पानों न द्वा दमाने इक पार्नी व साय मिनदर मिना-उला नदु मिन्दाल (पिंगी कालीन) बनाया तो ओस्ट पोलिटिक का तबी स लागू करने का भा प्राप्त हो गया। 1969 म जमन बुन्नमरण (नावसना) के समझ नायरा दन हुए दिती दूर न वहा— जमन रनना सावधन सध तथा पूर्वी यूरोप की समस्त न्यता के साय महा अर्थों में जानि चाही ते। इस द्वारान नारायक सद्दनावना के लिए काय बरते को नयार हैं ताकि एक अपराधा तिरोह (हिन्दू) द्वारा दिए गए विना का वार्ता का भुलाना ना सके। द्वारा न पूर्वी यूरोप तथा फूरन जमना के बीच विचारों तथा यात्राओं के आगान प्रनन की बात का। कामी विनी परिष्काम के वार्ता साय (पर्विमा) उन्नी तथा सान्धित नघ और पर्विमी जमनी तथा पौराण के मध्य मनिष इन्हि के पर्वियां की सधिया मापद्रम हुए। इस व पौराण के साय सधि इसे स वह 1967 म स्मानिंग के साय राजनविक मन्द्य स्थानित करने म सम्भव। प्राप्त = १। सधि के पन्नम्बद्ध दानों ते। व नामार में बढ़ि दूर दानों दूर निष्ठा आए।

### सोवियत सध के साय सधि

12 अगस्त 1970 का फूरन नमना तथा सोवियत मध्य के बीच मनिष शक्ति-पर्वियां-मनि सम्भव है। मास्को म मधि पर हस्ताक्षर बरते के पर्वान

चान्सेनर विनी छाण्ट न कहा— सोवियत सध के साथ यह सध युद्धोपरात जमनी की नीति की सफलता है। सोवियत सध तथा हमारे पूर्वी पड़ाभियों के साथ हमार सम्बन्ध सुधारने की दिशा में यह एक निराकार कदग है।

“स सविं की प्रमुख धाराएँ इस प्रकार हैं—

(1) फॉरेन जमनी तथा सोवियत सध अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा तनाव नियन्त्रण के उद्देश्य की प्राप्ति का अपनी नीतियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानत है।

वह इस चान्ट की पुष्टि करत है कि अपन प्रयासों द्वारा यूरोप में स्थिति को सामाजिक बनाने की नीति का बनावा दग तथा समस्त यूरोपीय दशों के सम्बन्ध शांतिपूर्ण सम्बन्धों में बढ़ि दरग और एसा करते समय वह सेन की बतमान स्थिति के आधार पर हा आग बना।

(2) फॉरेन जमनी तथा सोवियत सध अपन प्राप्ती सम्बन्धों में तथा साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मुनिषित बनाने का यह म सयुक्त राष्ट्र सध के चाटर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धांतों से सचारित होग। तदनुसार वह सयुक्त राष्ट्र सध के अनुद्देश्य 2 के अनुबर्ती अपन आपमी विवादों का समाधान एक मात्र शांतिपूर्ण साधनों से करण तथा वह बचन देत है कि अपने आपमी मामना के साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करा वाल मामन म सनिक शक्ति के उपयोग या धमकी से दूर रहे।

(3) उपरिलिखित उद्देश्यों एवं मिडानों के अनुसार फॉरेन जमनी तथा सोवियत सध भमान रूप से अनुभव करत है कि यूरोप में तभी शांति स्थापित रह सकती है जब वहाँ माराष्ट्र बतमान सीमाओं का अनिमण्ण न करे।

—वह पिना विभी आरक्षण रूप यूरोप के ममी देशों की बतमान सीमाओं के अन्तर्गत प्रादेशिक अवण्टनों का सम्मान बरन की प्रतिना करत है।

—वह यह धापणा करा है कि किमी भी राष्ट्र के विरुद्ध उनका कोई प्रादेशिक दावा नहा है न भविष्य में वह ऐसे दावों पर जार रहा।

—वह आज भी मानत हैं तथा भविष्य में भी मानत रहग कि सभी यूरोपीय देशों की सीमाओं को जसी कि वे अम सविं पर हातापर बरने की तिथि के दिन है—अनुनष्टनीय भानगे। अन सीमाओं में ओडर नाईसे रेका भी हैं जो पान्ण गणराज्य की परिचमी सीमा है।

(4) फॉरेन जमनी तथा सोवियत सध के बीच सम्पन्न इस सविं से दोनों पारों द्वारा पहन का यह नियंत्रित या बहु रीय सविया पर कोई असर नहीं पड़गा।

‘म संघि पर जमना का आर म विनी ब्राण्ड तथा वाटरगार (विना मत्री) रथा मावियत संघ को और स प्रधान मन्त्रा एलेनार्स एन कानिगन तथा विने मत्री एडाई ए ग्रोमिका न हस्ताभर किए । 1 मई 1972 को जमन मसद ने इस मर्ति पर स्वीकृति मनान की ।

आधुनिक यूरोप के इतिहास म इस मर्ति का निणायक महत्व है । इसके माथ ही पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बाच तनाव एवं विद्युत का बातावरण बना गया और मात्री यूरोप की सुरक्षा का माय प्रशस्त हुआ । सावियन कम्युनिष्ट पार्टी के प्रमुख पत्र प्रावदा न इस मन्दिर म विवा कि यह मर्ति फडरन जमनो का राजनीतिक शक्तिया व शानिवारी जनमानस की विजय । यहा यहस्मरणीय है कि फडरन जमना ने यह म्पट कर लिया कि वह शानिपूर्ण तराज म ताना जमन राजा के एकीकरण का प्रयास करता रहा ।

### पोलण्ड के साथ संघि

पोलण्ड का हिन्दूनर क कूर आक्रमण का शिकार हाना पड़ा । अत वा इसी जनता म जमन राज्य के प्रति धगा थी । यिली ब्राण्ड का हा इस बात का थय रिंग जाना चाहिए कि जमन पोलण्ड का जनता का विश्वास जीता । यद्यपि पोलण्ड न 18 फरवरी 1955 का जमना क माथ युद्ध की स्थिति का ममालि की घोषणा बर दी थी लेकिन ताना दशा के माय तनाव गगवर बना हुआ था । जसाकि पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि जमनी के विभाजन के ममय कुछ जमन प्रा ए पोलण्ड के प्रशामन म माप गय थ तथा यह तय किया गया कि थार म इन प्रान्तो के माय का निणाय किया जाएगा लेकिन पोलण्ड । उम अधिकृत जमन प्रेस्ट का प्रश्न म मिला लिया और उम दर था कि भवियत म जमनी इस प्रश्न पर दावा कर सकता है तकिन पोलण्ड यह प्रदान थव नहा दना चाहना था । ताना दोगो क बीच तनाव का एक बारण यह सोमा समस्या भी थी ।

7 माच 1963 को फडरन जमनी तथा पानण्ड न व्यापार-समझौता किया जिसस दाना नेशा को आयिक ताम हुआ । 1966 (माच 26) को फडरन जमनी न शांति स्थापनाव एक पत्र पोलेण्ड भजा । आगामी तीन बर्षों तक ताना दशा के मध्य सहयोग व संघि के सम्बन्ध म प्राचार होना रहा । 17 मई 1969 का पोलेण्ड के साम्यवानी न्यूर नता ब्लान्क्स्लाव गामुरा न यह प्रस्ताव राजा कि यहि जमनी प्रोटरन्नार्स तदी का पोलण्ड की पश्चिमा सीमा स्वीकार कर न ता दानो दोगो के मध्य संघि हो सकती है । बाण्ड न इस विषय पर बाता करन वा बहा । 4 फरवरी 1970 मे 7 फरवरी 1970 क बीच पानण्ड की राजधानी वार्ष म दाना क बीच थाता चारी जिमस मद्भावना व सहयोग का बातावरण बना । 7 दिसम्बर 1970 का दोना पर्सों के बीच सामाय मन्दिर निर्माण की संवि हुई । इस संघि की चारण इस प्रकार थी—

- (1) फ़र्मनी तथा पानण्ड न पाटस्टम-समझौते (2 अगस्त 1945) के नीवें अध्याय में उन्निक्षित बत्तमान सामाजिक दोषावार किया। यह सीमा आन्ध्रनाइस नियमित होती है। उन्हें बत्तमान सोमाय्या का अनुपर्यन्तीयना को पुलिस का तथा भारतीय में भवा सम्मान बरन का बचत दिया। उन्हाँ घोषणा की कि वे एक दमरे के विरुद्ध इसी भाव प्रवार के प्रारंभिक दाव नहीं रखते न भविष्य में ही ऐसा बर्ती।
- (2) फ़र्मन जमनी व पानण्ड ग्रप्तन पारस्परिक सम्बद्धा के माय ही साय यूरोपीय व अंतर्राष्ट्रीय मुरक्खा वा गुनिंचित बनाने में सहयोग राष्ट्रसंघ के चाटर में उन्निक्षित है। वे भिन्नान्ना में सचानित होंगे। तदनुमार वे मनुक राष्ट्रसंघ के चारे वे ग्रन्तच्छेन् 1 तथा 2 के अनुवर्ती अपने सभी विवानों का निपटारा एक मात्र शातिपूरण तरीका से बर्ती तथा अपने पारस्परिक भव्यता तथा यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुरक्खा का प्रभावित करने वाले मामलों में शक्ति के प्रयोग या उसकी घमडी से भर रहे।
- (3) फ़र्दरन जमनी तथा पानण्ड सम्बद्धों को पूण्यतपा सामाय बनाने तथा ग्रप्तन पारस्परिक सम्बद्धा का विशद स्पष्ट में विकसित करने के लिए आगे कर्म उगायें। वे यह स्वीकार करते हैं कि आर्थिक बनानिक तकनीकी सास्तृतिक व अर्थ सम्बद्धा में सहयोग का विस्तार उनके ग्रापसी हित में है।
- (4) बत्तमान मध्य सम्बद्ध पथा आरा पहन किए गए विष्कीय या वर्षपक्षीय समझौता को प्रभावित नहीं करेगा।

फ़र्मन जमनी की ओर से इस मध्य समिति पर विलो द्वाण्ड तथा चाटर ग्रीन ने तथा पानण्ड की ओर से जोनक सिराजीविक्ज तथा स्त्रीफल जड़ीकोवस्की न हस्ताक्षर किया।

दासा में समिति पर हस्ताक्षर रखने के पश्चात् पोनण्ड के प्रधान मंत्री जाजक मिराकावक्ज न उहा इस समिति की एक एनिहासिक क्षमिता है यह हम दोनों राष्ट्रों तथा भारत यूरोप के लिए नाभायी संयोग का मार्ग प्रशस्त बतेगा। विलो द्वाण्ड न अनुसर भ कर—यह हम दोनों द्वाण्ड के लिए एक विषय निन है। इस मध्यि में एक नवीन गृहग्रात होगी। मरी सरकार की नीति तनाव भयिय की नीति है। इस प्रारंभ मानवानी के दृष्टिकोण से उठान होगे। पोनण्ड के माय मध्यि गृहपत्र होने के माय यूराइ म शौनि के लिए उपयुक्त बागवरण तयार हुए। जमन बुर्मटाक ने मई 1972 म इस मध्यि का भी स्वीकृति प्रदान की।

## विली द्राष्ट द्वारा नोबल पुरस्कार (1971)

सन् 1971 फ़ूरन जमनी के इतिहास में एक मरण रहा जाएगा। उन वय चान्दोपर विली द्राष्ट का विश्व विद्यान नाबन आतिपुरस्कार प्रदान किया गया। यह जमनी की आतिपूर्ण विद्यानानि का अपनाना वा उच्चतम प्रयोग था। इस अवसर पर फ़ूरन जमनी के राष्ट्रपति गुरुभाष हाउनमान न कहा— प्रात्र का विश्व के तरह स खनर म पना है और ताएँ एन दुर्या व स्तिया की तताएँ मैं जिनम विद्यास व्यक्त किया जा सके नाबन पुरस्कार समिति न दिया द्राष्ट का नाबन आतिपुरस्कार कर उनम विद्याम व्यवन किया है।

फ़ूरन पुरम्बार-समिति न विली-द्राष्ट का नाबन शानि तुरम्बार दन के कारणों वा उल्लंघन करत हुए कहा कि फ़ूरन जमना व नता के स्पष्ट मतथा जमन जनता की आर स विली द्राष्ट न उन लाएँ व गला के प्रति मत्री रा हाय दाएँ जा दीघजाल म शत्रु य। उहाने यूरोप म शानि के निए सद्भावना की निया म पूर्वोंस्त वातावरण तयार करने म असाधारण मरना प्राप्त की है। समिति न आग कहा— 1966 म विद्या भनो के स्पष्ट मतथा 1969 म चान्दोपर के स्पष्ट म विना द्राष्ट न तनाव आधिक के निए वातावरण तयार करने की निया म सुनिश्चित कर्म उठाएँ हैं तथा पात्रण व सावित्रि मध के साथ वन प्रयाग परित्याग करे पर हम्मापर किय है।

विली द्राष्ट न नावे की राजधानी ग्राम्ला म 10 निम्बर 1971 वा नाबन शानि पुरम्बार स्वीकार करने के पश्चात वन— मुन्न ग्रत्यग्निक सुखी है कि मरना का नाम शानि की इच्छा के साथ चाढ़ा ना रहा है। विली द्राष्ट न कहा— आपसी विनाइ स वचन वा एक हा राम्ता और वह है पारस्परिक मुरग। साथ हा आग कहा— युद्ध राजनीतिक नश्या की प्राप्ति का साधन नहा होगा चाहिए। युद्ध को सीमित नहा वरन् पूरणत समाप्त करना होगा।

## जनवादी (पूर्वी) जमनी के साथ संघ

हिटलर की पराजय के पाचान् जमनी का 1945 म मुख्यन चार भागों म बाटा गया। 1949 आत आत स्स प्रिव्हिन पूर्वी जमन प्रेना म माम्यवा औ शा व पद्धति के आधार पर ननवादी जमन राज्य का निमाण किया गया तथा अमरिका ड्रिन व फाम के अप्रिव्हिन हेना को निवाकर पश्चिमी जमनी या सपीय जमन गणराज्य की रचना का गर्द जहा पर्व चमी जनतशीय पद्धति अपनायी ग। पूर्वी जमनी स्पष्ट शरा न्यापित वामा सनिव समठन वा सन्दाय बना तथा फ़ूरन (सर्वीय) जमनी अमरिका नाग प्रस्तावित उत्तर अत नान संघ-मण्डन वा सन्दर्य बना। इस प्रवार विचारधारा तथा साय सगठन वा सन्म्याना की दिए म ऐनों जमन राज्य एक-दूमर के नयकर दिरोधा हो गए। पश्चिमी जमनी न पूर्वी जमन राज्य के प्रस्ताव से ही बन्कार किया तथा उस सोवियत अधिकृत जमन प्रेना की सना ओ।

साथ ना यह नवा ना किया हि पश्चिमी नमन गाँधी समस्त नमन जनना का प्रतिनिधित्व करता है। आँगनाव वा बहुता था हि पूर्वी जमनी म निष्ठा तथा स्वतंत्र चुनाव नहा रहा अब यह पर्चिमा जमना हा समस्त नमन जनना का सभी व सावा प्रतिनिधि है।

विदेश के द्वाय ना रहा पूर्वी नमन राय का राजनातिक मायता न दें उमा तथ्य म प्रसिद्ध हाकर आँगनावर यह क प्रारम्भ म हामना न सिद्धात का नम हुया। उसका उत्तर विनार स पाढ़ किया जा चुका है। यद्यपि दाना नमना क नता एक उमर का हल्कर विध करत रह किर ना जनना दण क एकीकरण क पश्य म था काँकि जमन नामिकों क नमवारी क मिन जना राया म फन हुए थ। दाना राया क नता ना क एकीकरण का दम भरत रह उकिन उकी जने ग्रना ग्रनग था। पर्चिमा जमना समस्त जमनी क। एव जनन-त्रीय राष्ट्र क रूप म दबना चाहता था तथा पूर्वी जमना टप गठ माम्यवाना राष्ट्र क रूप म।

वर्तिन भी ममन्या और भा अधिक विक्त था। यह नगर पूर्वी जमन गाँधी क मध्य म स्थित है और पर्चिमी वर्तिन पर्चिमी जमनी क साथ या तथा पूर्वी वर्तिन पूर्वी जमन गाँधी क अधिकार म। 1948 म पहुँचा बार स्ट्राइन न वर्तिन नगर दा नाहिं ना वर पर्चिमा वर्तिन की राना का पूर्वी नमन राय म मिनन का प्रसिद्ध करना चाहा नकिन अमरि का द्विग्न व प्राम नारा वहा वायुयानों म रमन व अंग यामणा रहैचार्ह। वायुयाना चाहा प्रयाग अमनिए करना पना क्याकि पूर्व जमन मरकार न अथव माम वर कर दिया था। पूर्वी जमना न पर्चिमी जमनी के नामिका नारा स्थित माम म पश्चिमा वर्तिन म प्रवा पर भी प्रतिवाय नगा दिया था। व जोग अमरिका फ्रामाण या द्विश वायुयाना म बरकर चा पश्चिमी वर्तिन रहैच मरन थ।

1961 म पूर्वी नमन मरकार न पूर्वी वर्तिन व पर्चिमी वर्तिन क बोच एक बास्तार नीवार बना ना नाकि पूर्वी वर्तिन स नाग पर्चिमी वर्तिन म न जा सक। पर्चिमा जमनी ग्रमरिका द्विग्न व प्राम न मावियत मध्य म विरोध प्रवाय किया नकिन नावार बनो रह।

1966 म च निक्यन अमान गिर यूनियन और भोजन अमान गिर लार्टी की मिनी तुना कन्न मरकार बनी तव दिना ग्राण्ड उप प्रधानमनी (वार्षम चामकर) तथा दिना मनी क पन पर आमोन हुए। उटने पूर्वी जमना क माव मध्य घ मुद्यान दी दिना म पन की। यन उल्लेखनीय है कि वन्न मरकार म प्रवाय करन म पूर्व मामन इमान गिर क पार्ने न पूर्वी जमना क प्रति नवान नीति अपनान की बान का था। भोजन ग्राम ट नता ग्राण्ड की मार्ता थी कि जीत पुढ़ की नीति म जमनी क एकीकरण का राय प्राप्त नहीं ता सका है अग तनाव शयिन्य का नीति का अनुसरण करके वह नम्य प्राप्त किया जाए। ग्राण्ड ने प्रपन

दल के नता के रूप में पूर्वो जमनी के नताग्रा को पत्र लिखे तथा दोना रायों के नतायों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर मापण देन का प्रस्ताव रखा। साथ ही दल के सभी स्तरों पर आपसी सम्पर्क की बात बी गई। नुकिन पूर्वो जमनी के नेताया ने इस अस्वीकार कर दिया।

फड़रल जमनी के 28 वय के इतिहास में 1969 में पहली बार सानियन डमोक टिक पार्टी ने मुख्य पार्टी के रूप में फ्री डमोक टिक पार्टी के साथ 'मिनी-जुनी नघु सरकार' (मिनी बोरीशन) बनाई। इस सरकार ने पूर्वो जमनी सम्बन्धी सुधारन का काय और तज कर दिया। इही प्रयासों के फलस्वरूप 1972 में दाना नमन रायों के बीच सम्बन्धों का आधार बनाने के लिए संघि के प्राप्त पर हस्ताक्षर हुए। फड़रल जमनी व उनवादी (पूर्वो) जमन राय के बाच नुस्खि की व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं —

- (1) फड़रल जमनी व उनवादी जमनी नमानता के आधार पर एक दूसरे के साथ अच्छद पड़ोमी के सामाय सम्बन्ध विकसित करेंगे।
- (2) दाना देश समुक्त राष्ट्र संघ के चाटर में उल्लिखित सिद्धान्तों में सचालित होंगे ज्ञासकर सभी रायों का मावमोन समानता स्वतंत्रता के प्रति सम्मान स्वशासन प्रादेशिक अखण्डता तथा आत्म निराय के अधिकार मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा भूमाव का अत करने की निया में प्रवत्त होंगे।
- (3) समुक्त राष्ट्र संघ चाटर के अनुसार दोना राय एक मात्र ज्ञातिपूण नरीक से अपन विवादों का समाधान करेंगे तथा ज्ञाति का प्रयोग या उसकी घमकी का प्रयाग नहीं करेंगे। वे अभी तथा भविष्य में एक दूसरे की बत्तमान सीमा की ग्रनुलय नीयता की पुष्टि करते हैं तथा उनकी प्रादेशिक खण्डता के सम्मान का वचन देते हैं।
- (4) दोनों देश इस मायता के साय काय करेंगे कि दाना रायों में से कोई भी राय आतराष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके नाम पर काय नहीं कर सकता।
- (5) दाना देश यूरोपीय रायों के बीच ज्ञातिपूण सम्बन्धों को प्रोमाहित करेंगे तथा यूरोप में ज्ञाति व महत्योग की दिशा में काय बरग। वे यूरोप में सना तथा शस्त्रों की साया में कमी करने सम्बन्धी प्रयासों का समयन करेंगे।
- (6) दाना राष्ट्र इस सिद्धान्त को मानकर चलेंगे कि दोना रायों वा क्षेत्रों विकार उनकी सीमा तक सीमित हैं। वे आतरिव व विभेदी मामलों में एक दूसरे की स्वतंत्रता वा सम्मान बरेंगे।

- (7) गता गच्छ सम्बद्धों का जनामान उनका दा प्रक्रिया में व्यावहारिक वृद्धा मानवाय प्राप्ता का नियमित रखने का तयार है । इन उनमान विधि के आधार पर आपका जनन व जिवा अथ व्यवस्था विनान सज्जनार यानामान प्राप्ति सम्बद्धों तक व दूर सचार स्वास्थ्य सम्भवि भवति वानामान की मुख्यतया आपके हाथों म सुमझीत होगे ।
- (8) फल्गुन उमना के जनवाला उमना आदी हूतावासों का आनन्द प्राप्तन करें ।
- (9) गता गच्छ पर व्यावाहर रखने के लिए उनके तरह उन्हें सम्मन दिए गए विधि का व्यवस्था ममझीता का प्रभावित नहीं करें ।

फल्गुन उमना का आह म अमर मर्यादा द्वारा तथा जनवाला उमना की तरफ से मिचाप्त वाचन त उमना द्वारा दिया । अमर मर्यादा का जनन आम म तनाप्रशुल सम्मत समाप्त बनने का दिना म वाय आगमन दृष्टा । उमना का जनन अमर मर्यादा का आचित स्वाप्तन दिया ।

### ब्रह्मामावाहिया के साथ मर्यादि

11 नियमधर 1973 का ब्रह्मामावाहिया के साथ दोन तगार में मर्यादि सम्मन हुए । 1 अक्टूबर 1939 म ब्रह्मामावाहिया पर उपर्युक्त अधिकार वर्त दिया था तभी म उमना के बना का उमना — मन म उमना के प्रति उमना का भावना था । ऐसे शान्ति गच्छ का दिग्गजा मनिक गच्छ उमना के सम्म्य बन गए । ब्रह्मामावाहिया ने न वामा मनिक मर्यादा सम्माना व्याकार का तो फल्गुन उमना के जनन अनुरूप अधिकार न म देखा दिया । ब्रह्मामावाहिया का यह भाव यह था कि वर्ती फल्गुन उमना अन्नार का नाति मुख्यत उमना प्रश्न की मात्रा न बर्त अत वर्त यह उमना था कि उमना स्मृतिष्ठ ममझीता 1938 के अनु का योग्यता बर्त । विना ब्राह्म ए सद् प्रदाना म शान्ति अक्टूबर के नियम ग्राह की तथा 1973 म मर्यादि सम्मन हुए । उमना घाराणा यह प्रकार है —

- (1) फल्गुन उमना तथा ब्रह्मामावाहिया उनमान मर्यादि के अनुरूप यह मानने के लिए जनक आपका ममझीता के बार म 29 नियमधर 1938 स्मृतिष्ठ ममझीता प्रभावित है ।
- (2) उनमान मर्यादि म 30 नियमधर 1938 म तक 9 म 1945 तक की शायु बानुन प्रभावित नहीं जाएगी ।
- (3) शान्ति अपन आपका मवयों तथा मात्र तो द्विरीय तण्डि अन्नगच्छीय मुख तो का सुनिश्चित बनान म मुख्य गच्छ यह के बार म गतिविक दृष्टियों के विद्वाना म मवारित होग ।

मनुकृत राष्ट्र सघ के चारों के प्रथम व द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार व अपन आपसा विवादों का समाप्ति एक मान इतिहास तरह से बरेंगे तथा दूरगाय व अन्तर्गताय मुख्यों का प्रभावित बरत तर मामना तथा अन्तर्गत पारम्परिक माध्यों म दल "दोग या उच्चा दूर्ली नहीं होंगे ।

- (५) उपरिलिखित उदाहरण व मिद्दाम्ना व अनुकूल नामा "आ आ" पार्टी कीमा का अनुच्छेदनायना का एक कृति करन है तथा अभ्याया या नविधि में विना किसी आरक्षण के एक दूसर का प्रारंभिक अवधाना का नामा करने का बचन नहीं है ।
- (६) दाना दा अपन यारस्तरिक मबबों के दिन विज्ञात के निए और कर्म उत्तराएँ । व स्वीकार करते हैं कि आर्थिक व वनानिक में अपन वनानिक तथा तकनीकी मम्बारों म तथा महत्वत नामावरण के रखणे उनकूल यानायान व अच मब्रों म पर्सोन च्सा उद्योग वर्ते बनेंगे तो दानों के हित म जाता ।

फरवर जमनी की गार स अम महि पर विनी द्राष्ट्र तथा वाल्यान (विना-भवी) तथा चक्कास्नावाविया को गार म नुवोमार स्टारगत ("धानमवी") तथा बान्स्त्वाव द्वनाउपक (दिना-भवी) न हस्तामर किए ।

### ओस्ट पोलिटिक की समीक्षा

निंदा द्राष्ट्र न 1964 म कहा था— आर्थिक दृष्टि से फरवर जमना एक भीमकाय व्यक्ति है और राजनातिक दृष्टि से बौना । व्य बौन पर्सन जमना की सतुरुत्ति व्यक्तित्व प्रणाल बरना जरूरी था । आज ग्रावर दुग म पर्सिमी राष्ट्र का नाय मुक्त सवध स्वापिन हा चुक व और फरवर जमना न आर्थिक ममदि का साम प्राप्त कर लिया था । उक्ति जब तक पूर्वी यूरोप क "ए परवल जमना का मान्दा नहीं दत तब तक उसका अन्तराष्ट्राय व्यक्तित्व असतुरित था साय ही जमना के एकाक्षरण का निंदा म साचा भी नहीं जा सकता था । उठ समय की माग था कि पूर्वी दूरगाय नगा क साय सम्बाय सामाय बनाए जाए और विनी द्राष्ट्र न यह कर नियाया । 1969 म अपना नाति की घापरणा बरन दूग विना द्राष्ट्र न कहा— "पर्वी दूरा" के प्रति हमारा नीति इतिनीति क अनावा उद्ध और नहीं हा सकता ।

म प्रकार आस्ट पोलिटिक का आविमाव नगा और 1970 म हम और पाल्ट के साय बन प्रयान-परित्याग सघि पर हस्तामर ए । उसक साय ही दूरोप की तनाव पूरा परिस्थिति में एक अनूरपूव परिवनन आया । विनी द्राष्ट्र न अम प्रकार विनी नाति के निए माय प्रश्नत विया । मानवता व शानि के प्रति उसकी मवाप्रा को दमन हण 1971 म नावन-मुरस्कार-ममिति न विना द्राष्ट्र का शानि - निन नोवन पुरस्कार दकर सम्मानित विया । यह पुरस्कार फरवल जमनी व विनी द्राष्ट्र के

लिए एक अपूर्व सम्मान था तथा यह जमनी की शातिवादी नीति का धरम प्रतीक भी था। बाद मे जनवादी जमनी तथा चेकोस्लावाकिया के साथ सबध सुधार कर शाति स्थापना के तिहास मे नए अध्याय का भी मणेश किया गया। ओस्ट पोलिटिक विली ब्राण्ट तथा शाति का प्रयाप बन गइ। जमनी ने उस नीति के माध्यम से पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के दीर्घ पुनर्वाप का काय करन का सूत्र प्रदाय किया। 1972 मे प्रधानमंत्री बिदिरा गाधी ने विनी ब्राण्ट का पत्र निख कर आशा यक्ति की कि राष्ट्रो के मध्य सहयोग व सद्मावना का आपका नम्य आगे भी सफल होगा। ये बाक्य ओस्ट पोलिटिक के महत्व को स्पष्ट करते हैं।

### जमनी तथा संयुक्त राष्ट्र सघ

आरम से ही जमनी की यह इच्छा रही कि वह संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बने तथा विश्व शाति एव सहयोग मे योगदान दे। संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बनने पर जमनी का विमाजन हा नहा क्योंकि फॉर्मल जमनी अभी संयुक्त जमनी का प्रतिनिधि नही बन सकता था। लेकिन विश्व के विकास म सहयोग देने के लिए उसने इसकी वई अत्तराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की तथा उह मारी मात्रा म आर्थिक भद्रद दी। संयुक्त राष्ट्र सघ के अंतर्गत जमनी जिन अत्तराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बना उनक नाम ऐस प्रकार हैं —

- (1) अन्तर भरकारी जहाजी व्यापार सनाहकार समठन जमनी 7 जनवरी 1957 को इसका सदस्य बना।
- (2) अत्तराष्ट्रीय परिमाणु ऊर्जा एजेन्सी (1 अक्टूबर 1957 को सनस्पता प्राप्त)।
- (3) अत्तराष्ट्रीय नामरिक उद्घयन समठन (8 जून 1956)।
- (4) विश्व डाक सघ (1955)।
- (5) संयुक्त राष्ट्र सघ शक्षणिक वज्ञानिक तथा सामृतिक समठन (21 जून 1952)।
- (6) खाद्य एव कृषि समठन (10 नवम्बर 1950)।
- (7) अत्तराष्ट्रीय ग्रम समठन (12 जून 1951)।
- (8) अत्तराष्ट्रीय वक्त-पुनर्माना व विकास (14 अगस्त 1952)।
- (9) अत्तराष्ट्रीय विकास सघ (संस्थापक सदस्य)।
- (10) अत्तराष्ट्रीय वित नियम (मस्थापक सदस्य)।
- (11) अत्तराष्ट्रीय दूर सचार सघ (17 अप्रैल 1952)।
- (12) विश्व-स्वास्थ्य समठन (29 मई 1951)।
- (13) विश्व क्रन्तु विनान समठन (10 जुनाइ 1954)।
- (14) अत्तराष्ट्रीय मुना (मास्टेरी) काय (14 अगस्त 1952)।

फड़रन जमनी के सयुक्त राष्ट्र संघ की जिन सहायक अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की उनके नाम इस प्रकार हैं—

- (1) सयुक्त राष्ट्र-संघ आधोगिक विकास संगठन (संस्थापक सदस्य)।
- (2) सयुक्त राष्ट्र-संघ विकास-कायनम (संस्थापक सदस्य)।
- (3) फिलीस्तीन शरणार्थियों के लिए सयुक्त राष्ट्र-संघ राहत-काय एजन्सी (1952)।
- (4) सयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार व विकास-संगठन (1964)।
- (5) मूरोपीय आर्थिक आयोग (21 फरवरी 1956)।
- (6) सयुक्त राष्ट्र-संघ-वाल-सहायता-कोष।
- (7) सयुक्त राष्ट्र-संघ शरणार्थी-उच्चायुक्त (आरम से सहायता)।
- (8) सयुक्त राष्ट्र संघ प्रशिक्षण एवं शोध-संस्था (1963)।

उपरिलिखित सभी अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं को फड़रन जमनी ने काफी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की जिसका विवेचन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

सयुक्त राष्ट्र संघ की सम्याग्रा को फेडरल जमनी द्वारा दागई आर्थिक सहायता (1960-1971)

संस्था	आर्थिक सहायता (मिलियन मार्क में)
(1) सयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार व विकास-ममलन	12 692
(2) सयुक्त राष्ट्र-संघ विकास-कायनम	392 320
(3) सयुक्त राष्ट्र वाल सहायता-कोष	73 972
(4) सयुक्त राष्ट्र संघ राहत काय संघ	60 384
(5) अन्तराष्ट्रीय थम संगठन	56 095
(6) खाद्य व कृषि-संगठन	85 568
(7) शक्तिकारी व नानार्थीक व मास्ट्रिक संगठन	74 445
(8) विश्व-वक्र	172 252
(9) विश्व-स्वास्थ्य संगठन	135 390
(10) अंतर्राष्ट्रीय विकास-वक्र	1184 629

उक्त संस्थाओं तथा आय में याग्रा को मिनर जमनी ने 1960-1971 की अवधि में 26430 208 नात्र मार्क प्रदान किए। इस प्रकार फड़रल जमनी अन्तराष्ट्रीय सहायता सदस्यावन व विकास की दिशा में मन्तव्यपूरण योगदान की प्रारंभिक संख्या हुआ।

22 जून 1972 को सयुक्त राष्ट्र-संघ की मुरशीद-परिषद् न सबसमन्वय महासमा को सिफारिश की कि पूर्व तथा पश्चिमी जमनी को सरकार राष्ट्र संघ की

सदस्यता प्रदान का ताए। 18 सितम्बर 1973 का फड़रल जमना का द्स महान् पन्तराष्ट्रीय माठन का सदस्यता प्रदान की गत तथा फड़रन जमनी सयुक्त राष्ट्र-संघ का 134 वा सदस्य बना। 26 सितम्बर 1973 का सयुक्त राष्ट्र-महासभा म भाषण दन हुए फड़रन जमनी क चाल्ननर विनी ब्राह्मन बहा— हम यहा असनिए नहीं प्राए हैं कि सयुक्त राष्ट्र-संघ क मध्य का जमन समस्या क निए आनोचना या माग क निए प्रयुक्त विया ताए। हम यहा विश्व भामता स सम्बद्ध उत्तरलायित्र में हिस्सा बनान प्राए हैं। फड़रन जमनी यूराप भ ज्ञाति का स्थिति उत्पन्न बरम का प्रयास करगा। बन प्रयाग क परिस्याग की नीति हमारी ज्ञाति-नीति का प्रबन्ध तत्त्व है और रहगा। श्री ब्राह्मन आग बहा— सयुक्त राष्ट्र-संघ-पूण विनाशक युद्ध का चुनौती का उत्तर है—विन्द मानवता क इति प्रयासा क सन्तिया पुरान सपन का दपण है अमृक निए सभी राष्ट्रों को एक-तू हाकर काय करना हागा।

□□□

## अनुलेख (पोस्ट-स्क्रिप्ट)

पिछ्ले पृष्ठों में 1975 तक के घटना चक्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 1976 में पश्चिमी जमनी में बुद्धेस्टाग (लोकसभा) के चुनाव हुए तेकिन सरकारी स्तर पर स्थिति वही बनी रही। 3 अक्टूबर 1976 को बुद्धेस्टाग के चुनावों में सोशल डमोक्रेटिक पार्टी फ्री डमोक्रेटिक पार्टी तथा त्रिशिव्यन डमोक्रेटिक यूनियन ने (तथा यूनियन की सखी पार्टी त्रिशिव्यन सोशल यूनियन जो बवेरिया में सक्रिय है) भाग लिया। 1976 के इन चुनावों से पहले भी पश्चिमी जमनी में सोशल डमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डमोक्रेटिक पार्टी की मित्री जुली सरकार थी और इन चुनावों के बाद भी वहां पुन उठी थी सरकार बनी। चान्सलर पद के लिए सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के नेता हेलमुठ शिमडट पुन चुने गए। विरोधी पक्ष (त्रिशिव्यन डमोक्रेटिक यूनियन) के नेता हेलमुठ कोहन भी चान्सलर पद के उम्मीदवार थे। यह संयोग की बात है कि 1976 में चान्सलर पद के दो दावेदार दोनों के नाम हेलमुठ से आरम्भ होते थे एक हेलमुठ शिमडट तथा दूसरे हेलमुठ कोहन।

पश्चिमी जमनी में 3 अक्टूबर 1976 को आयोजित चुनावों का परिणाम  
इस प्रकार रहा —

### बुद्धेस्टाग के चुनाव

1976

1972

दल का नाम	प्राप्त सीटें	प्रतिशत	प्राप्त सीटें	प्रतिशत
सोशल डमोक्रेटिक पार्टी	214	42.6	230	45.8
त्रिशिव्यन डमोक्रेटिक यूनियन	190	38.0	177	35.2
त्रिशिव्यन सोशल यूनियन	53	10.6	48	9.7
फ्री डमोक्रेटिक पार्टी	39	7.9	41	8.4
नशनल डमोक्रेटिक पार्टी	—	0.3	—	—
जमनी साम्यवादी दल	—	0.3	—	—

उक्त तात्त्विका से स्पष्ट हो जाता है कि 1972 के चुनावों की तुलना में 1976 में सोशल डमोक्रेटिक पार्टी तथा उसकी संयोगी फ्री डमोक्रेटिक पार्टी को अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मत मिल इस प्रकार उक्ती स्थिति दुख कमज़ार हुई। इसके बावजूद सोशल डमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डमोक्रेटिक पार्टी मिलकर सरकार राजनीतिक करने में सफल रही। उधर त्रिशिव्यन डमोक्रेटिक यूनियन और बवेरिया

स्थित क्रिश्चयन साशल यूनियन न अपन मता म बढ़ि की ये दोना दर वुल्मटाग म एक दर के हृप म बठन है और उम हृषि से देखा जाए जा 1976 के चुनावों म क्रिश्चयन डमोश टिक यूनियन सबस बड़ दर के हृप म उभरी उमक नता हल्मुद कान्द न पश्चिमी जमन राष्ट्रपति बाल्टर शीन स निवन्न किया वि वुल्मटाग म सबस बड़ राजनीतिक दर के नता के हृप भ उच्च सरकार बनान का नियमित किया जाय। हृमट काहन न फी डमोश टिक पाठा के नता हास निएटरिज गाँवर स वहा वि यह क्रिश्चयन डमोश टिक यूनियन के साथ मिनकर सरकार बनाए गविन गाँवर ने उम प्रस्ताव का अस्वाकार कर दिया। उधर माजन डमोश टिक पार्टी के ग्राम्य वित्रि ब्राज तथा फी ऐमाक टिक पार्टी के नता नाम निएटरिज गाँवर न पश्चिमी जमन राष्ट्रपति बाल्टर शीन म भट की तथा वहा वि सोजन उपास ट व फी उमान ट नाम मिनकर सरकार का निमाण करना चाहन है दोना दोनो बो मिनकर वुल्मटाग म उनका बन्धत है अत उनक नेता के हृप म हल्मुठ शिमट का चान्मर वे हृप म उम्मादवार के हृप म वुल्मटाग के मम्मुद प्रस्तुत किया जाए। जगा वि बमिक ला (प्रौद्योगिक या सविपान के 63 वें अनुच्छेन) म स्पष्ट वहा गया है —राष्ट्रपति बुन्देस्टाग के समझ चान्मनर पर के प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करता है। बाल गोर न हल्मुठ शिमट का नाम चान्मनर पर के रिए प्रस्तावित किया। 15 दिसम्बर 1976 का वुल्मटाग न शिमट का चान्मनर के हृप म चुना। फी डमोश टिक पार्टी के नता हास निएटरिज ग शर वा बाइम चान्मनर (उप प्रधान मनी) बनाया गया उसके साथ ही गविन न नियम मना पद भा सम्भाना।

माघ 1977 म भारत जय मारारजो डमार्ट के नदुव म जनता सरकार का ठन हुया तो शोध ही पश्चिमी जमनी के विन्ज मनी गाँवर न मारन की सदमावना यात्रा का। ग्रनी भारत यात्रा के नीरान ग्री गाँवर न विन्ज मनी ग्री यटन विश्वारी बाजपयी तथा प्रधान मनी ग्री उमान क साथ भेट की और पहन स चल ग्रा रह भारत पश्चिमी जमन सम्ब गा वा ग्री और आधिक मुख्य आधार प्रदान किया। पश्चिमी जमनी विन्जे राष्ट्रा बो जा आधिक विकास महायता देना रहा उनम भारत प्रथम स्थान पर है।

पश्चिमी जमनी की आतरिक स्थिति का हृषि स दबा जाय तो 1977 म वहा ग्रानकवारा गनिविधिया म बढ़ि दबी गर्त। ग्रन्थन 1977 म आतकवान्दिया न पश्चिमी जमनी क सघीय सरकारी बकी वुवाक की हुया कर ती। अक्टूबर भाल म वही क एक वक्त मानिक का ग्रपहरण किया गया तथा उमक बन्द म के आतकवानी वन्दिया को रिहा करन की माग की गर्त। बाल म वक्त मानिक का हुया कर दी गर्त।

13 अक्टूबर 1977 का ग्रानकवान्दिया न मैजारको म प्राक्कुर धान वान पञ्चित भीमन विमान तुपनहासा का ग्रपहरण किया तथा 75 चमा जमन जना

म आतकवादिया के नता बाटर-माडनहाफ तथा उसके आय सहयोगिया को रिहा करने की मांग की गई। चार टिन तक इन हवाई डाकुआन विमान के यात्रियों को बाधक बनाय रखा तथा लुफ्तहाता विमान का राम दुबाई व मागादिशू के हवाई अडडा पर उ जाया गया बाद म भागान्तिशू के हवाई अड्डे पर विशेष जमन सुरक्षा दर (कमाण्ड) ने माझ के भुजपुर म हवाइ-न्स्युआ पर हमला कर उठें भौत के घाट उतार दिया। एक सौ दस घण्ट के इम लाम-हृषक नाटक के बाद विमान यात्रियों न चल की सास ला। हलमुठ शिमट के नतृत्व म पश्चिमी जमन सरकार की इस साहसिक कायवाही पर भारत अमरिका व फ्रास तथा अन्य राष्ट्रों के नेताओं न बधाई न।

1976-77 म पश्चिमी जमन सरकार न विमानों के अपहरण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया। पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री हास डिएटरिंग गार न सयुक्त राष्ट्र सभ स मांग की कि अन्तर्राष्ट्रीय बायु मार्गों की सुरक्षा के लिए इन आतकवादी अपहरण घटनाओं को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान (कावान) स्वेच्छा किया जाए। पश्चिमी जमनी न सुझाव दिया कि इन हवाई दस्युओं को काइ भी राष्ट्र शरण न दे तथा इन अपराधियों को या तो सम्बद्ध राष्ट्र का सौप दिया जाए या जिम राष्ट्र के हवाई अड्डे पर वे मौजूद हैं वहाँ उन पर मुक्तमा चला कर सजा दी जाए। पश्चिमी जमनी के इस सुझाव पर हवाई दस्युओं के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभियान की रूप रक्षा तयार हो चुकी है। इस प्रकार बान सरकार न मानवता की सवा की दिशा म एक महत्वपूर्ण बदम उठाया है।

अक्टूबर 1977 म लुफ्तहाता विमान के अपहरण तथा पश्चिमी जमन कमाण्डों द्वारा उसकी रिहाई के बाद पश्चिमी जमन सरकार ने भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जमन अपने लुफ्तहाता विमानों की सुरक्षा के लिए भारत के हवाई अड्डों पर पश्चिमी जमन विशेष प्रशिपित सुरक्षा दल के सनिक रक्षना चाहता है प्रस्ताव म यह भा कहा गया कि यदि भारत चाहत तो वह भी एयर इण्डिया के विमानों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी जमनी के हवाई अड्डों पर भारत के विशेष दस्तावेज कर सकता है। फिरहाल (अक्टूबर 1977) भारत न इम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

आतंरिक स्तर पर आतकवाद का मुकाबला करने म लिए पश्चिमी जमनी की मरकार न अक्टूबर 1977 म विशेष कानून पारित किया है हलमुठ शिमट के नतृत्व म पश्चिमी जमनी प्रणाल का राह पर रहा है आज पश्चिमी जमनी म सबसे कम बकारी है उसके सिवक माक का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ऊचा है जमन माक सूर्य व नरा माल वाला सिवका है।

# बेसिक लॉ का हिन्दी अनुवाद

मध्यसंघ परिषद (Parliamentary Council) द्वारा घोषणा

संघानिक परिषद् न रान्त नदी के तट पर स्थित दान नगर म 23 मई 1949 को इस तथ्य की पुष्टि की कि जमन संघाय गणराज्य (The Federal Republic of Germany) के लिए आधारभूत विधि (The Basic Law) का जिस संघानिक परिषद् न 8 मई 1949 को अगीहृत किया था के सन्त्य राज्यों (Laender) न दो तिहाई संघिक बहुमत से अमिपुच्च किया। यह वाय 16 मई 1949 के सप्ताह में सम्पन्न हुआ।

इस तथ्य के आधार पर संघानिक परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में उसके अध्यक्ष न आधारभूत विधि पर हस्ताक्षर कर उस घोषित तथा प्रचारित किया।

बेसिक लॉ को बारा 145 के तीसरे परिषेन्टे के अनुसार संघीय राजपत्र (Federal Law Gazette) में प्रकाशित किया जाना है।<sup>1</sup>

## प्रस्तावना

जमनी के लोगों ने जा बादन बवेरिया ब्रमन हाम्बुग हस नोर्फर संकमनी नाम रान्न-वेस्टफालिया रान्नलैण्ड-मेनेनट इलसविंग-हान्नरस्टाइन ब्यूरटेम-नुग बानेन तथा ब्यूरेटम बुम-होन्नोनजोलन के निवासी हैं विश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तराधित्व के कारण संघ द्वाकर यूरोप एवं मध्यूक्त यूरोप में समान मानीजाए वह इस में अपनी राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता की मुरझा तथा विश्वशाति की सवा व मक्कप से अनुप्राणित होकर संघरण-कान के लिए अपने राजनीतिक जीवन की एक नवीन व्यवस्था देने की दृष्टि से प्रेरित होकर अपनी निवाचक शक्ति के आधार पर जमन संघीय गणराज्य के लिए "संघारभूत कानून (The Basic Law) का अधिनियमित (Enact) किया है। उन्होंने उन जमन सोया की आर से नी यह कदम उगाया है जिहें व्यक्ति म हिस्मा लन से वचित किया गया है। समस्त जमन जनता का आह्वान किया जाना है कि स्वतंत्र आत्मनिय भरा उमनी का एकता एवं स्वतंत्रता प्राप्त करें।

## (1) मूल अधिकार (Basic Rights)

### प्रत्येक 1 मानव गरिमा की मुरक्का

(1) मानव की गरिमा अवाध्य हाँगी। उमका सम्मान तथा मुरगा राज्य का दायित्व होगा।

1 -उत्तर अधिकूक्ता पहारन सा पत्र के पहल बड़े लिखा 23 मई 1949 को हो।

2 -बनाए 23 ही पार दिन हो।

(2) इसनिए जमन जनता अहस्त तरणीय तथा अनुलग्नीय मानव अधिकारों को प्रत्येक उभुदाय विश्व शांति एवं धार्य का आधार मानती है।

(3) निम्ननिवित मूर अधिकार प्रत्यक्ष प्रबन्धनीय (direct enforceable) कानून होगे।<sup>1</sup> विधायिका कायकारिणी एवं धार्य-पालिका इनसे बाध्य होगी।

#### अनुच्छेद 2 स्वतंत्रता का अधिकार

(1) प्रत्यक्ष व्यक्ति का अपन व्यक्तित्व में उभुक्त विकास का अधिकार होगा। यह अधिकार उसी सीमा तक प्राप्त होगा जहा तक वह दूसरे के अधिकारों या संवधानिक व्यवस्था या निति सहिता का उल्लंघन न करे।

(2) प्रत्यक्ष व्यक्ति का जीन वा अधिकार होगा तथा उसकी देह अबाध्य होगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता अल्प्य होगी। किसी विधि वे आधार पर ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता

(1) सभी व्यक्ति कानून के समम समान होंगे।

(2) पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति को प्रति उसके लिंग वश प्रजाति भाषा मातृभूमि जाम स्थान आस्था या धार्मिक अधिकार राजनीतिक विचारों के आधार पर कोई विभेद या पश्चात नहीं किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 4 धर्म या धार्य की स्वतंत्रता

(1) विश्वास अतरात्मा पथ धर्म और विचारधारा सम्बन्धी स्वतंत्रता (Weltan chaulich) का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(2) धार्मिक कायों में वाधा न डालने की गारंटी दी जाती है।

(3) किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा के विरुद्ध ऐसी सनिक संवा के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा जिसम हथियारों का प्रयोग करना पड़ता हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत सधीय कानून बनाया जाएगा।

#### अनुच्छेद 5 अभाव-व्यक्ति की स्वतंत्रता

(1) प्रत्यक्ष व्यक्ति को अभिव्यक्ति भाषण लेख एवं चित्रों द्वारा अपने विचारो के प्रचार की स्वतंत्रता होगी तथा वह स्वतंत्रतापूर्वक सामाजिक तथा उपलब्ध साधनों के भरा सूचना प्राप्त कर सकेगा। सामाचार-स्त्री की स्वतंत्रता तथा छिमों तथा रेडियो प्रसारण के साधनों से सूचना देने की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी है।

(2) ये अधिकार व्यापक कानूनों और युवकों की रक्षा तथा व्यक्तिगत सम्मान की ग्रन्थिता सम्बद्ध कानूनों से सीमित है।

1 19 यात्र 1959 के मध्येक जानन के अन्तर्गत मर्दों द्वारा (कड़रत सौं गवर्नर) पृष्ठ

(3) कना और विचान शोध काय तथा ग्राम्यापन म स्वतन्त्रता होगी । ग्राम्यापन की स्वतन्त्रता संविधान के प्रति निष्ठा की भावना स मुक्त नहीं होगी ।

### अनु-द्वेद 6 विवाह परिवार अवध बच्चे

(1) विवाह तथा परिवार को राज्य का विशेष सरन्दण प्राप्त होगा ।

(2) बच्चा का जालन-पालन व दखमाल माता पिता का नसर्गिक अधिकार है और एमा करना उनका प्रमुख कर्तव्य है । इस सम्बन्ध म राष्ट्रीय समुदाय उनके प्रयासों का निमरानी करगा ।

(3) जा लाग भरण पापण क अधिकारा है उनकी इद्दा के विट्ठ बच्चा को उनके परिवारों स अनग न किया जाय । यनि एमे यक्ति अपन दायित्व मे असफल रहत हैं या बच्चे के प्रति उदासीनता का खतरा है तो बानून क अनुमार बच्चा को इनके परिवारों से अलग किया जा सकता है ।

(4) प्रत्यक्ष माना का अधिकार होगा कि वह समुदाय द्वारा सुरक्षा तथा दखमाल प्राप्त कर सके ।

(5) ग्रवध बच्चा को उनके शारीरिक एव आध्यात्मिक विकास तथा समाज म स्थान व सम्बन्ध म कानून द्वारा वही ग्रवसर प्रणाल किय जाएग जिनका उपयोग वध बच्चे वरत है ।

### अनु-द्वेद 7 शिक्षा

(1) समस्त शक्तिशिक्षण ग्राम्या राज्य की दखरेख म रहेगी ।

(2) जिन यक्तियों का बच्चा क भरण-पोषण का अधिकार होगा उह ही यह अधिकार भी होगा कि व यह निश्चय कर कि बच्चे का धार्मिक गिरा दी जाये अथवा नहा ।

(3) घमनिरपत्त स्कल को छाकर राज्य तथा नगरपालिका के स्कूलों के सामाय पाठ्यक्रम म धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाएगा । राज्य की देखरेख क अधिकार का क्षणि पहुचाय विना धार्मिक समुदाया व सिद्धान्ता क अनुसार शिक्षा दी जाएगी । अपनी इद्दा क विट्ठ इसी भी ग्राम्यापक को धार्मिक शिक्षा देने का बाध्य नहीं किया जाएगा ।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना व अधिकार की गारटी दी जानी है । राज्य या नगरपालिकाओं क स्कूलों के स्थानापन रूप म निजी स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य की स्वाहृति नहीं होगी तथा व गोड (Goed) क बानून से सचालित होगी । एमी स्वाहृति उम समय दी जाय जब निजी स्कूल घरन शक्तिशिक्षण उद्देश्य सुविधाया तथा ग्राम्यापक-वग के प्रगिम्भए की उपर्युक्त स हीन न हो तथा जहा माना पिना क साधना क अनुमार विद्यार्थियों क बीच पायवय नहीं रखा जाता हो । यनि ग्राम्यापक-गण का मार्यादित एव बानूनी स्थिरत का उचित ग्राम्यापन नहीं दिया जाना है तो ऐस न्दूला की स्वाहृति को गका जा सकता है ।

(5) एक निकाय प्राविदिक सूचना का स्थापना का स्वाहाति उसा नियम में जो आएगा तब जिसमा अधिकारा यह माचन है कि उमय एक दिवाह इन्स्टीट्यूट (Pedi १००१०) हित की पूर्ति होना है या बच्चा का गिरा निलान व उत्तरण्या व्यक्तिया तारा एवं आवान प्रमुख दिवा जाता है कि यह सूचना एक प्रमाणसम्प्राप्ति या धार्मिक या विशेष निचारधारा वाला सूचना होगा तथा एसा उन तभा वाला जाएगा तबकि उन शर (Commun) द गाँव अवया नगरपालिका तारा एमा सूचना स्थापित नहा किया गया हो ।

(6) आरम्भिक सूचना (Or chulen) वर वर दिय गए हैं ।

#### अनुच्छेद 8 सम्मतन का अधिकार

(1) सभा जनन लाला का विना पूर्व सूचना या अनुच्छेद व शान्तिपूर्वक एवं विना हविदार नियम सम्मतन करने का अधिकार होता ।

(2) कानून के अन्तर्गत सुन आनावरण म सम्मतन के अधिकार का मार्गित दिया जा सकता है ।

#### अनुच्छेद 9 सघ बनाने का अधिकार

(1) सभी उन तारा द्वारा सघ या समाज बनाने का अधिकार होता ।

(2) एम सामा व निमाण का मनाहा है जिनके द्वाय या गतिविधिया औरतारी कानून के विद्वद हैं या सवानिक व्यवस्था या अन्तराष्ट्रीय भद्रजाव के मिटाने व विनाफ हैं ।

(3) सभा व्यापा व्यवनाय तथा आजाविका के लागा का अपना काय प्रणाली तथा आर्थिक व्यक्ति म सुधार तथा सुरक्षा के लिए सघ बनाने का अधिकार होता । एस समझौते जो इन अधिकार का सामित्र करते हैं या घरका पैदेचान है गरजाना होता तदा इस अधिकार के विद्वद उमय गय कर्म ग्रवष होते । अनुच्छेद 12 A के परिच्छेद (2) व (3) तथा अनुच्छेद 35 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 87 A या अनुच्छेद 91 के अन्तर्गत श्रीदामिक सघप म रत सधा जो द्वय परिच्छेद के प्रथम दावद व अन्तर्गत अपना वाय प्रणाला व आर्थिक सुधार व सुरक्षा के ग्रय म सघप दर रह है व विद्वद कर्म नहा तथा जो महो ।

#### अनुच्छेद 10 डाक व सचार की गोपनीयता

(1) डाक व सचारन जी की गोपनायता अलव्य है ।

(2) एम अधिकार का दिवाह कानून के अन्तर्गत हा सीमित दिया जा सकता है । एम कानून तारा य व्यवस्था की जा सकता है कि यहि यह स्वतावना जननाविद प्रावासभूत व्यवस्था की रभा के लिए या मध या राय (Land) व प्रस्तिव्य एवं

1 व तम बाबर 25 जन 1968 के खोद दावन क अन्तर्गत जाना गया है फालत ता ये प्रथम पृष्ठ 709

मुरशा के निष मीमिक की जा रही है तो सम्बद्ध व्यक्ति का एम मस्त्रांग भ सूचना न। तो जाएगो तथा गोपनीयता के उत्तरधन के मामन चायान्य म नहीं उत्तराय जा सकेंगे। उत्तरे स्थान पर मुरश्मा को मुनवार ना काय मसद् ताग नियुक्त निराय या महावर निराय करेंगे।

### अनुच्छेद 11 विचरण का स्वतंत्रता

- (1) ममी जमन ताग मध्य के शब्द म विचरण की स्पावना का उपमाग रखा।
- (2) <sup>1</sup> सिफ कानून के अत्तरगत नी एम अधिकार पर रात तदा जा गरनी है और वह नी तिप उन मामनों म जहा गमी रात के निष पषाण आधार हा तथा जहा एम अधिकार ए परिगामस्वरूप रामुदाय पर विशेष विनाश्या प्राप्ता हा या सप अथवा राय (Land) के अभिन्न व स्पतंत्रता या जनताप्रिक प्राप्तारमूल अवस्था को उत्तरा हा या महामारा को उत्तरा न। प्राहृतिक बाय या नारी उपटना का मुकाबला वरन तथा नवयुक्ता का विरस्कार स बचान या अपराय ना राता या हाटि स मी गमी रात तगा जा गरनी <sup>2</sup>।

### अनुच्छेद 12 व्यापार ऐना या व्यवसाय चनने का अधिकार

- (1) ममी जमन तागा न। स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्ना पश्चा व्यवसाय या व्यापार बाय या स्थान के प्रश्न इन का स्थान चुनने का अधिकार हागा। पा या व्यवसाय का कायग्रामी का कानून तारा या कानून के अत्तरगत ही नियमन विधा जा सकता है।
- (2) परम्परागत अनियाय मावजनिक मवा के अनियिक रिही भी यहि पर बो विधाय पश्चा न यापा जाय। यह बात ममी तागा पर ममान एम स तागू रामी।
- (3) उमा यक्ति यो जप्रत्यन काय वरने के निष वाध्य किया ना सकगा जिमरा स्वतंत्रता यायान्य न मजा दफर द्यीन नी हा।

### अनुच्छेद 12½ सनिक व अन्य मयार्घों की जिम्मदारी<sup>3</sup>

- (1) जो पुर ए पट्टारह रप्त वा ना उठा है उस समस्त सनो संघाय गोमा र इन (Federal Border Guard) या नागरिक मुरशा मगरन म काय वरने का बहा जा रासना है।
- (2) परि एर न्यर्फि अनन्यामा व आयार पर न्यियार उठा स एकार वरता है तो उम स्थानाप्त मवा के निष बहा जा रासना है। एगा स्थानाप्त्र

1 पहरम सी गढ़ प्रदेश पृष्ठ 709

2 पृष्ठ उपर्युक्त (पर न सा गढ़ प्रदेश पृष्ठ 709)

3 19 याप 1956 (खदरन सा गढ़ प्रदेश पृष्ठ 11) तक 24 जून 1968 के याप 19 रामु द्वारा महोपन रद्दय

सबा को अवधि सनिक सबा की अवधि म अन्तर्व न हो होगी। इस सम्बन्ध मे विस्तृत कानून बनाया जाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय की स्वतंत्रता म हमें नहीं करेगा और साथ हा सशस्त्र सेना या नवीन सीमा रक्षक की दक्षता स अलग स्थानापन सेवा की व्यवस्था करेगा।

- (3) जो लोग सनिक सेवा के योग्य हैं तथा जिह इस अनुच्छेद के (1) तथा (2) परिच्छेद के अन्तर्गत सबा वे न हो कहा जाएगा उह जब रक्षा की स्थिति (a state of defence) उत्पन्न होनी है तब कानून के अन्तर्गत प्रति रात्मक उद्देश्य बाली नागरिक सेवाप्रा के लिए कहा जा सकता है। इन सेवाओं म नागरिक जनसंघर्ष की रक्षा सम्मिलित है। उह सावजनिक कानून के अन्तर्गत आन वाले व्यवसाय जमे—पुरिस-काय या सावजनिक प्रगति के काय जिह मिफ सावजनिक कानून के प्रत्ययत काय करन वाल अधिकारी ही कर सकत हैं नहा दिय जा सकते। ऐसे व्यक्तियों को प्रथम परिच्छेद म उन्निखित काय ही सौंप जाएग। सशस्त्र सेना के साथ उह विनरण व सहायता या प्रशासनिक अधिकारिया की सहायता का काय सौंप जाएग। सम्बद्ध प्रमुख आव वक्ताप्रा की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए उत्पन्न परिस्थिति का सिवाय नागरिक जनसंघर्ष म विनरण या सहायता स सम्बद्ध काय व व्यवसाय उह नहीं सौंप जाएग।
- (4) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई है इस समय यदि नागरिक सावजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा या अचल सनिक अस्पताल की आवश्यकताए स्वच्छिक सेवाप्रा क आधार पर पूरी नहीं होती हैं ता ऐसा स्थिति म 18 स 55 वय क वोच की महिलाप्रा का कानून के अन्तर्गत ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए बहा जा सकता है। किनी भी स्थिति म उह ऐसी मेवा म नहीं लिया जा सकता जिनम शस्त्रों का प्रयोग होना हो।
- (5) ऐसी प्रतिरक्षा की स्थिति स पूर्व के समय म इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के अन्तर्गत काय करने को सिफ तभी वा जा सकता है जब अनुच्छेद 80 A के परिच्छेद (1) म दी गइ स्थिति उत्पन्न हा गई हा। कानून द्वारा या कानून के अनुसार विधाय जान या पायता प्राप्त करने के हतु ऐसे प्रशिभण प्राप्त करने के कहा जा सकता है जिसक द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 की आवश्यकताप्रा की पूर्ति हो सके। इस सीमा तक इस परिच्छेद का प्रथम वाक्य नागू न जा होगा।
- (6) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई हो तया यदि इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के दूसर वाक्य म वर्णित अम सम्बन्धीय आवश्यकताए स्वाच्छा मेवा मे पूरी न हो रही हा ता उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमी स्थिति म जमन व्यक्ति का अपना वक्ताय या पगा थाइन या काय का स्थान थाइन के अधिकार को सामिन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का परिच्छेद (5)

प्रतिरक्ति का स्थिति के अस्तित्व में पूर्व यथोचित् परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) नामूद नहा होगा।

### अनुच्छेद 13 गह की अनधनीयता

- (1) घर अनधनीय होगा।
- (2) तत्त्वात् निकल यायाधीश के आनंद भरा ही हो सकेगी या यह दर का खतरा होने की स्थिति में कानून द्वारा निर्णयित उमर कायानय (organ) भी आनंद न सकेंगे जैकिन तत्त्वाधीश का काय कानून द्वारा निपारित स्पष्ट के अनुगत ही हो सकता।
- (3) आम खतरे की या व्यक्तियों की प्राण हानि की या सावजनिक क्षति को रोकने व उद्दस्या दबाये रखने का या विशेष धरा की भारी कमी को दूर करने का महामारा वा मुकाबला करने की या पागन नोगा का प्राणों के खतर से बचाने की स्थितियों को ठाड़कर अन्य मामलों में अलधनीयता को भी मिल नहा किया जाएगा और न उसका अनिकरण किया जाएगा।

### अनुच्छेद 14 सम्पत्ति उत्तराधिकार का अधिकार सम्पत्ति का स्वामित्व हरण

- (1) सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के अधिकार की गारंटी है। उनकी धारिता तथा सीमा का निश्चय कानून भरा होगा।
- (2) सम्पत्ति कर्त्तव्य आरोपित करती है। ऐसा उपयोग जन कायाएं वे निए भी होना चाहिए।
- (3) तिक जा कायाएं व हु सम्पत्ति-हरण की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसा कानून के द्वारा या कानून के अनुगत हो किया जाएगा तथा मुद्रावल वा स्वरूप व सीमा कानून भरा तय होगा। ऐसे मुद्रावल का निश्चय करने समय जनहित तथा प्रभावित व्यक्ति के हितों के सुनुन का ध्यान रखा जाएगा। मुद्रावल की रकम के बारे म विवाद व मामल म साधारण यायानय की शरण ली जा सकेगी।

### अनुच्छेद 15 समाजीकरण

भूमि प्राहृतिक सम्पत्ति तथा उपासन के साधनों को समाजीकरण के उद्देश्य ने कानून भरा मावजनिक स्वामित्व में या सावजनिक है त तकार्टि अधिकार स्वयं स्वयं म परिवर्तित किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध म निय जान वान मुद्रावल का स्वरूप व सीमा कानून भरा निपारित किय जायेंगे।

ऐसे मुद्रावल के मामल म अनुच्छेद 14 के परिच्छेद 3 के तीसरे व चौथे वाक्यों को यथोचित् परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) नामूद किया जाएगा।

अनुच्छेद 16—नागरिकता से बन्धित करना प्रत्यपर्ण (extradition) तथा शरण देने सम्बन्धी अधिकार (Deprivation of Citizenship Extradition Right of Asylum)

- (1) किसी भी यक्ति को जमन नागरिकता से वचित नहा किया जा सकता। मिफ बातून के अनुसार ही नागरिकता याने का प्रश्न उठ सकता है तथा प्रभावित व्यक्ति की अच्छा वे विश्वद्वयी तभी प्रश्न उठ सकता है जबकि ऐसी स्थिति में यक्ति राज्य हीन नहीं होता।
- (2) किसी भी जमन यक्ति को विदेश में निष्पामित या प्रत्यपित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक आधार पर सताए गए यक्ति शरण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

### अनुच्छेद 17 याचिका का अधिकार

प्रत्यक्ष यक्ति को व्यविनगत रूप से या सामूहिक रूप में उपयुक्त एजेंसिया तथा मसनीय निकायों को लिखित आवेदन या शिकायत पेश करने का अधिकार होगा।

### अनुच्छेद 17A<sup>1</sup> सशस्त्र सेनाओं द्वायादि क सदस्यों के मूल अधिकारों पर सीमाएं

- (1) सनिक सेवाओं और उनकी स्थानापन सेवाओं सम्बंधी कानून के अन्तरात सनिक सेवाओं तथा उनकी स्थानापन सेवाओं की अवधि में उन सेवाओं के सदस्यों की अभियक्ति स्वातंत्र्य भाषण लेखन व चित्रों आरा मत के प्रचार (अनुच्छेद 5 के परिच्छेद (1) का आया वाक्य) सम्मेलन का मूल अधिकार (अनुच्छेद 8) तथा याचिका का अधिकार (अनुच्छेद 17) जहा तक उनमें आय लोगों वे साथ सयुक्त रूप से आवेदन या शिकायत की यवस्था है सम्बंधी अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा।
- (2) प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य से मूल अधिकारों के अन्तर्गत जिसमें नागरिक जन सत्त्या की नुरक्षा भी शामिल है विचरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 11) तथा घर की अलगनीयता (अनुच्छेद 13) के मूलभूत अधिकार सीमित किया जा सकत है।

### अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों से वचित करना

- (1) जो वाई व्यक्ति स्वतंत्र जनतात्रिक आधारभूत यवस्था के विश्वद्वय सम्प्रय के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विशेषन समाचार पत्रों की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (1)) अध्यापन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (3)) सम्मेलन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 8) सघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 9) डाक सचार मनेश की गापनीयता (अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण देने के अधिकार (अनुच्छेद 16 परिच्छेद (2)) का दुरुपयाग बरगा उसके मूल अधिकार द्वीन लिय जायेंगे। अधिकारों से वचित बरन सम्बंधी सीमा के बारे में धीय सवधानिर यादानय घोषणा करना।

<sup>1</sup> 17 A 19 मार्च 1996 के धीय कानून द्वारा जाइ गया (प्रदर्शन नं. ८३८)। प्रदर्शन  
पृ. 111)

**अनुच्छेद 19 मूर मधिकारों पर सीमा या प्रतिवाद**

- (1) इस आधारभूत कानून (वैसिक ला) के अंतर्गत किसी मूर मधिकार पर किमी कानून या उमर अनुबर्ती द्वारा प्रतिवाद लगाया जा सके— ऐसा कानून आमनौर पर नागू होगा न कि किसी अन्तिगत मामले में। इसके अनिरित ऐसे कानून के अंतर्गत उस मूर मधिकार का नाम व सम्बद्ध अनुच्छेद का उल्लेख करना होगा।
- (2) किसी भी स्थिति में एक मूर मधिकार के अनिवाय सारांश का प्रतिमण नहीं दिया जाए।
- (3) मूर मधिकार आतंरिक यायिक व्यक्तियों पर उम सीमा तक लागू होगा जहां तक कि इन मधिकारों की प्रवृत्ति अनुमति देती है।
- (4) यदि किसी मानवजनिक मधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के मधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति यायामय की शरण में जा सकता। यदि में मधिकार स्पष्ट नहीं है तो माधारमय यायामय की शरण ली जा सकती। अनुच्छेद 10 के परिच्छेद<sup>2</sup> का दूसरा यायामय इस परिच्छेद की यायस्थाया से प्रभावित नहीं रहता।

**II संघ तथा घटक राज्य (लैण्डर)<sup>1</sup>**

**अनुच्छेद 20 संविधान के मूल सिद्धांत—प्रतिरोध का मधिकार**

- (1) संघीय जमन गणतंत्र (फ़ॉरेंट रिपब्लिक आफ जमनी) एक जनतानिवारी तथा सामाजिक संघीय राज्य है।
- (2) समस्त राजकीय मत्ता का साल जनता है। इस सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा चुनाव तथा मतदान के माध्यम से होगा तथा निश्चित विधायिका वाय वारिणी तथा यायिक अग भी इसका प्रयोग करता।
- (3) विधायिका-समा संवधानिक यायस्था के अधीन हाँगी कायदारिणी तथा यायपानिका कानून व याय से बद्द होगी।
- (4) यदि कोई उपचार मम्बव न हो तो समा जमन सोगा को वह मधिकार<sup>3</sup> कि व एम व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिरोध करें जो इस संवधानिक यायस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

1 संघादरीय गणिती जमन भाषा म राज्य को क्षेत्र तथा राज्यों वो लैण्डर (Laender) कहा जाता है।

2 अंतिम वाय 24 जन 1968 के संघीय कानून द्वारा ओहा गया (फ़ॉरेंट वा याय) पृष्ठ 710

### अनुच्छेद 21 राजनीतिक दल

- (1) राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक इच्छा के निमाण में हित्सा बटायेगी। इनकी स्थापना स्वतंत्रतापूर्वक की जा सकती है। इनका आत्मिक साठन जनतात्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हाना चाहिए। इहें अपने धन प्राप्ति के साधनों के बारे में सावजनिक घोषणा करनी हांगी।
- (2) जो दन अपने उद्देश्यों तथा समयका के बबहार से स्वतंत्र जनतात्रिक आधारभूत व्यवस्था बो भति पृथुचाते हैं या सधीय जमन गणराज्य के अस्तित्व का खतर में डालत हैं वे असवधानिक हांग। असवधानिकता के प्रश्न पर सधीय सवधानिक न्यायालय निरुद्य करेगा।
- (3) इस बारे में विस्तृत व्यौरा सधीय कानूना नारा तय किया जायगा।

### अनुच्छेद 22 सधीय न्याय

सधीय भृत्ये या रग बाला लाल व सुनहरा होता।

### अनुच्छेद 23 वैसिक ला (सविधान) का क्षत्राधिकार

फिलहाल यह आधारभूत कानून (वसिक ना) बानेन बबरिया द्वारा जमन विशाल (प्रेटर) बनिन हाम्मुग हस्स लोग्गर सकतनी नायराइन बस्टफालिया राइनलण्ड पेलटीनट इनेसविंग हानस्टाइन "यूरम्मुग बादन"<sup>1</sup> तथा "यूरम्मुग हेन्टसोलन क लेण्डर (राज्यो) में लागू होगा। जमनी के अंतर्भूत भागों में ये उनके विलय के समय लागू होगा।

### अनुच्छेद 24 सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश

- (1) सध शासन कानून द्वारा सावभौम शक्तिया अन्तर सरकारी सत्यांशो का हस्तातरित कर सकता है।
- (2) शाति की स्थापना के लिए सध शासन पारस्परिक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। ऐसा करत समय वह अपने सावभौम अधिकारों पर ऐसी सीमाएं लगाने की स्वीकृति देगा जिसमें यूराप में तथा विश्व के राज्यों के मध्य एक शातिपूरण एवं स्थायी व्यवस्था लायी जा सके।
- (3) राज्यों के दीच विवादों के समाधान के लिए सध शासन साधारण सर्वांग तथा बाधकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का स्वीकार करेगा।

1. 4 मई 1951 के सधीय कानून द्वारा (फ़िलहाल जा गवट I पृष्ठ 284) बादन न्यूरदेन का लण्ड (राज्य) भवपक दादन व्यरेटमबग बान्न तथा व्यरेटमबग होनसोलन के राज्यों (न्यूटर) में से भागी सकर बनाया गया।

2. यह उविधान (वसिक ला) 23 दिसम्बर 1956 के सधीय कानून प डारल जा गवट I पृष्ठ 188 के परिच्छद (1) द्वारा सारलण्ड नामक नये राज्य में सारा हुआ।

**अनुच्छेद 25 प्रतरप्नय जनून के अविभाय ग्रा**

मानविक ग्रा जनून का आम नियम उम्मा के मामाय का जनून के अविभाय ग्रा हो। तो सुधार नियमिया के लिए सभीय का जनूना का तुरना म अल्प होने तक सारे ग्रा जनून के नियमिया के लियाहु करें।

**अनुच्छेद 26 आदाय युग्मे पर राव**

- (1) राष्ट्र के मामाय जनूना म ज्ञानि टर्मन करने के लिया जा रहा है कि जनून के द्वारा तुद्धना तुद्धा के लिए नाय ग्रा द्वारा अद्वितीय हो। तो हिन्दीय आराध माना जाया।
- (2) मानविक ग्रा जनूनिये के लिया जा रहा है कि जनून के द्वारा तुद्धन के लिए जनूना का तुद्धन तर्फे दिया जा सकता न एवं म्यान म तुद्धर ग्रा द्वारा तुद्धन जा सकता न हो। तो सभीय म विन्युत व्यौहे एवं संपाद कानून ग्रा निर्मित लिया जायगा।

**अनुच्छेद 27 व्यापारिक जहाज एवा**

समस्त उम्मन व्यापारिक जहाज एवं व्यापारिक ग्रा द्वारा तुद्धने करें।

**अनुच्छेद 28 ऐश्वर (राष्ट्रों) के नविधानों का संघाय ग्रा**

- (1) विभिन्न लोक के अभिभायाय-युक्त सभावर (राष्ट्रों) के सबधानिये व्यवस्था एवं नानिविक उत्तराधिक तथा बायाजिक सरकार के लियाना के अनुच्छेद का जनून के शासन पर आधारित हो। प्रत्येक लेगड़ (राष्ट्रों) प्रान्त प्रमाणन (जनूनाय) तथा कम्यून (समूदाय) म जनून का प्रतिनियित एवं नियमिय (ग्रा) करणा जा आम प्रयत्न स्वतंत्र सनान तथा उपर्युक्त मत्तवान ग्रा चुना जायगा।
- (2) कम्यूना (समूदाय) का जनून का सीमा के प्रान्तान स्थाया समूदाय के सभी भागों के प्रश्न उत्तराधिका का निर्मित करने का अधिकार होता। कम्यूना के सभा (General verb and verb band) का जनून के प्रनुसार तथा जनून ग्रा जनून कायों का सीमा य स्वामन का ना अधिकार होता।
- (3) मामाय तो हिन्दीय उत्तराधिक (एनार) करणा कि सभावर (राष्ट्रों) के सबधानिये व्यवस्था सून अधिकारा तथा अनुच्छेद के परिचय (1) (2) की व्यवस्था के प्राधार पर हो।

**अनुच्छेद 29 पराय प्रदेश का पुनरायन**

- (1) परीय एवं उत्तराधिक एवं मानविक सभ्यों ग्रामिक लोकों तथा

सामाजिक दावे का उचित सम्मान रखत एवं सधीय कानून द्वारा सधीय प्रतेश वा पुनर्गठन किया जायगा।

- (2)<sup>1</sup> 8 मई 1945 के प्रार्थेशिक पुनर्गठन के बाद जा सेत्र दिना जनमत संघ (प्लवामाट) वे विसी अंग लण्ड (राज्य) के अग बन रहे हैं एस विलय के सम्बन्ध में वेसिङ ला के नाम होने की एक वय की घटविक व नीतिर निश्चित परिवर्तन सम्बन्धी निरण्य क बार म सावजनिक उपकरण (पोनुनर इनीशियनिन) वा माग की जा सकती है। एस सावजनिक उपकरण के निए राज्य विधान सभा (लाण्टाग) के चुनाव म भाग नन के निए अधिकारी नोमा के 1/10 व भाग का स्वीकृति आवश्यक होगा।
- (3) यदि सावजनिक उपकरण को इस अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के अन्तात आवश्यक स्वाकृति प्राप्त हो चुकी है तो सम्बद्ध लेन म 31 मार्च 1975 के पूर्व या बादेन-व्यूरूटनबुग के बादेन क्षेत्र म 30 जून 1970 से पूर्व जनमत संघ होगा (वि कथा प्रस्तावित हस्तान्तरण किया जाय अवधा नटी) यदि लण्ड (राज्य) के चुनाव म मतदान के अधिकारी व्यक्तियों का बहुमत जिसम कम से कम 1/4 भाग समाविष्ट हो हस्तान्तरण के पश्च म मतदान करता है तो सम्बद्ध सेत्र की प्रांगिक स्थिति के बारे म जनमत संघ लेन के एक वय की अवधि में सधीय कानून बनाया जाएगा। जहा उसी लण्ड (राज्य) मे वर्त प्रतेशा को दूपरे लण्ड म हस्तान्तरण करना हो तो एक ही कानून म आवश्यक नियमो वो सम हित किया जायगा।
- (4)<sup>2</sup> एमा सधीय कानून जनमत संघ के परिणाम पर आधारित होगा तथा उस उतनी दृ सीमा तक वर्ता जा सकेगा जितना इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) म उल्लिखित विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्गठन उद्देश की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। ऐस कानून के लिए बुद्देस्टाग (लोकसभा) के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि एक कानून लण्ड (राज्य) के ऐसे क्षेत्र को दूपरे राज्य को हस्ता तरित करने की बात करता है जिसके बारे मे जनमत संघ द्वारा भाग नहीं की गई है तो एस कानून की स्वीकृति के लिए उस सुमस्त क्षेत्र म जनमत संघ कराया जायगा जिसे हस्तान्तरित किया जाना है। यह बात उस स्थिति म लागू नहीं होगी जब एक बनाने लण्ड से सेत्रा को अलग करना है तथा जब शेष सेत्र स्वयं एक लण्ड के हृष म जारी रहता है।

1 19 अगस्त 1969 के सधीय कानून (फ़िरवर ला गवर्नर वुड (241) द्वारा की गयी घित है।

2 वर्ती

3 वही

- (5)<sup>1</sup> इम अनुच्छेद के परिच्छेद (2) स (4) म उल्लिखित प्रक्रिया के अनिवार्य संघीय प्रक्रिया के पुनर्गठन के बारे में काई कानून बनाने पर सम्बद्ध क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था के आधार पर उस तेज़ में जनमत संप्रह कराया जायगा जिसे एन नृण स न्सरे म हमान्तरित किया जाना है। यदि ऐसी व्यवस्था सम्बद्ध भौत म से कम म कम एक क्षेत्र म अस्वीकृत हो जाती है तो वृत्तस्ताग म ये कानून पुन व्यस्तुत होगा यदि वह पुन कानून बन जाता है तो सम्बद्ध प्रावधानों की स्वीकृति के लिए समग्र संघीय प्रदेश म जनमत संप्रह कराया जायगा।
- (6)<sup>2</sup> जनमत संप्रह म जले गये कूल मना के व्यवहर से लिग्य लिया जायगा। इस इम अनुच्छेद के परिच्छेद (3) पर काई प्रभाव नहा पड़गा। उपर्युक्त प्रक्रिया का निमाण संघीय कानून जारा होगा। यदि उमनी के किसी माम के विनाय के कारण पुनर्गठन आवश्यक हो तो एसा पुनर्गठन विनाय के दो वर्ष स्वीकृति के भीतर होना चाहिए।
- (7) लण्ड (राज्य) का सीमा मे प्राय परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण संघीय कानून जारा किया जायगा। इसके लिए तुर्स्ट्राट तथा बुद्दस्ताग के बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

### अनुच्छेद 30 लेण्डर (राज्यो) के बारे

जहा तक वैसिक ना (सविपान) राज्य व्यवस्था नहा करता या स्वीकृति नहीं देता लेण्डर के लिए सरकारी शक्तिया के प्रयोग तथा सरकारी बायों का सम्पादन अनिवार्य होगा।

### अनुच्छेद 31 संघीय कानून की प्रायमिकता

संघीय कानून के आगे नृण का कानून रद्द माना जायेगा।

### अनुच्छेद 32 विदेशी सम्बद्ध

- (1) विदेशी राज्यों साथ सम्बद्धों का सञ्चालन संघ शासन कराया।
- (2) एक लण्ड (राज्य) की विशेष स्थिति को प्रभावित करने वाली संघि करने से पूर्व उस राज्य की जनता को पराप्त समय प्रदान कर उसकी सलाह ली जानी चाहिए।
- (3) जिस सामा तक लण्डर (राज्यो) का कानून बनाने का अधिकार है व संघीय सरकार का अनुमति से विदेशी राज्यों के साथ संघि कर सकत है।

### अनुच्छेद 33 सभी जमन लोगों को समान राजनीतिक स्थिति

- (1) प्रत्येक लण्ड (राज्य) म प्रत्यक्ष जमन के समान अधिकार व इनाम हैं।

1 वही

2 वर्णी

- (2) प्रत्यक्ष जमन व्यक्ति अपनी अभिहचि याग्नना व नावजायिक उपलब्धि के अनुमार समान रूप से किसी भी सावजनिक पर के लिए उपयुक्त व याग्न माना जायगा ।
- (3) नागरिक व राजनीतिक अधिकारा के अध्योग सावजनिक पर के लिए योग्यता तथा सावजनिक सदा म प्राप्त अधिकारा के उपयोग का धार्मिक सम्प्रश्न्य से कांट सम्बन्ध न होगा । इसी भी व्यक्ति को किसी सम्प्रश्न्य विचार धारा म शद्वा मा अन्द्रा रवन क बारण का हानि न उठानी पड़ा ।
- (4) राय का शक्ति व अधिकारा का एवं स्थायी काय व रूप म अध्योग कानूनी रूप से सावजनिक सेवाप्रा के सम्बन्ध को सौंपा जाएगा । उनकी पर सवा तथा निष्ठा सावजनिक कानूना नारा मचालिन होगी ।
- (5) सावजनिक मग क कानूना के नियमन करत समय व्यावसायिक (पश्चिम नागरिक सेवाप्रा के परम्परागत सिद्धातो का उचित समान दिया जायगा ।

#### अनुच्छेद 34 भ्रान्तिकार की घटनाओं म दायित्व

यह कार्य व्यक्ति सावजनिक सदा क अन्तगत भौति गय अधिकारा का प्रयाग करन समय अपने पर क नायित्वो का उत्तरव वर गमर पा का लाभ पहुँचाना है तो उसका दायित्व राय या उस सावजनिक सम्बन्ध पर होगा जा उस नौकरी पर है । जानवृभ कर दुराग्र या काय की भारी उपका का रियति म उसके उपचार का अ कार (राई आर रिफॉर्म) प्रारम्भ होगा । मुआवज या उपचार क अधिकार क स्वयं म नायारण यायानयो क ऐताविकार क बान नहीं दिया जायगा ।

#### अनुच्छेद 35<sup>1</sup> कानूनी प्राप्ति सहायता

- (1) सभी मधीय अधिकारी तथा लण्ड (राय) क अधिकारीगण एक गमर का कानूना व प्राप्ति सहायता नेंगे ।
- (2) सावजनिक तुरका या यवस्था की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए एक लण्ड विशेष मन्त्रि का मामल म अपनी पुनिमि का सहायताय मधीय सीमा रक्षा न्त (फिरल वाडर गां) की नुविधाए तथा सहायता वा आह्वान कर सकता है । यह सहायता तभी मारी जायगी जबकि अक्षक गिना लण्ड पुनिमि उस काय की पूनि करन म असमय हा या उस मारी कर्तिर्वार हो रनी हा । किसी प्राइवेट ट्रूटना या विशेष गम्भीर घटना म निपटा के लिए एक लण्ड दूसरे लण्ड (राय) की पुलिम की महायता या दूसर प्रशासनिक अधिकारान्वय म सेना की सहायता या संघीय सीमा रक्षक दल या सास्त्र सना स मद्द या सुविधा माग सकता है ।

1 24 जन 1968 क संघीय कानव गाय संघोर्ड पड ल गद्द । पट 710

2 28 जन 1972 क रत ला गद । पट 1305 क संघीय कानव रा संघोर्ड हर

(3) यदि प्राइवेट प्रकोप या प्राय दुघटना से एक लण्ड (राय) से अधिक बड़े द्वितीय का खतरा तो तो उसे खतरे का मुकाबला करने के लिए जहां जहरी हो पाया गया र राय (लण्ड) भरकरा को कोई नियंत्रण के सकती है कि वह अपनी पुनिःसंकार को उसे राय के अधिकार में द साथ भी सघ सरकार पुनिःसंकार की मायता के लिए मध्याय मीमा शुरभा दन या सशस्त्र सना की दुकिण्या सुपुत्र बर सकती है। उस परिदृश्य के पाय वाक्य के अन्तर्गत सघ सरकार द्वारा उठाए गये कल्प बुद्धेस्ताट (राय ममा) जरा कभी भी आवश्यन करन पर और खतरे की समाप्ति पर हर स्थिति में अविनाश्व समाप्त हो जान चाहिए।

### अनुच्छेद 36 सधीय सम्बन्धों के कमचारी

- (1) सबों च मध्याय सम्बन्धों में सभी लण्डर (रायों) से उपयुक्त अनुपात में नागरिक प्राधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। हर स्थिति में याय सधीय सम्बन्धों में यक्षितयों की नियुक्ति उसी राय में से की जायेगी।
- (2) सनिक कानन प्राय बातों के साथ साथ सघ के लण्डर (रायों) में विभाजन तथा उनकी जनसंख्या के ऐतीय सम्बन्धों का भी व्यान रखेंगे।

### अनुच्छेद 37 सधीय बाध्यकरण (फड़रल ए कोसमट)

- (1) यदि बोर्ड राय न्स बेसिस ला (सविधान) या प्राय सधीय कानूनों के अन्तर्गत आरोपित सदाय दायित्वा का पालन करने में व्रतभर रहता है तो सघ सरकार बुद्धेस्ताट की स्वीकृति से राय द्वारा ऐसे दायित्वों के पालन करने के लिए सधीय बाध्यकरण के अन्तर्गत आवश्यक कल्प उठा सकती है।
- (2) ऐसे सधीय बाध्यकरण को कार्यान्वयित करने के लिए सघ सरकार या उसके अधिकारी (कमिशनर) को यूप्रधिकार होगा यि वह सभी रेप्टर (रायों) तथा उमड़ अधिकारी गणों को आवेदन दे सके।

### III सधीय सम्बन्ध (बुद्धेस्ताट)

#### अनुच्छेद 38 चनाव

- (1) जमन बुद्धेस्ताट (लोकसभा) के डपुटी गण (सम्बद्ध सम्बन्ध) भाग प्रत्येक स्वतंत्र समान एव गुप्त मन्दान द्वारा निर्वाचित होग। वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगा तथा वे किसी भी आवेदन या नियंत्रण से बाध्य नहीं होंगा तथा मात्र अपनी अनराया के प्रति उत्तरदायी होंग।
- (2) प्राप्ति व्यक्ति जो प्रद्वारह वय का हो चुका है भाग्यान का अधिकारी होगा।

प्रथम व्यक्ति जिसने पूरण कानूनी उम्र (21 वय) प्राप्त कर तो हा चुनाव में खड़ा होने का अधिकारी होगा।

(3) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एक सधीय कानून द्वारा नियमित होगा।

#### अनुच्छेद 39 अधिवेशन तथा विधायिका कायकाल

(1) बुद्देस्टाग 4 वय के लिए निर्वाचित होगी। उसका कायकाल उसकी प्रथम वर्ष व कार वय बाद या उसके भग होने पर समाप्त होगा। अवधि के अतिम तीन माह में या उसके भग किये जाने के बाद साठ दिन के भीतर नये चुनाव होंगे।

(2) बुद्देस्टाग चुनाव के बाद तीस दिन के भीतर नविन पिंडी बुद्देस्टाग की अधिकारी की समाप्ति के बाद एकत्रित होगी।

(3) बुद्देस्टाग अपनी वठक के समाप्त तथा पुनरारम्भ के बार में निश्चय करेगी। बुद्देस्टाग अध्यक्ष इससे पहले भी इसकी वठक बुला सकता है। यह इसके एक तिहाई सदस्य या सधीय राष्ट्रपति या सधीय चासनर माग कर तो उस वठक बुलानी चाहिए।

#### अनुच्छेद 40 बुद्देस्टाग-अध्यक्ष काय विधि के नियम

(1) बुद्देस्टाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सचियों का चुनाव करेगी। वह अपने काय-सचालन के लिए कायविधि के नियम बनायगी।

(2) अध्यक्ष बुद्देस्टाग भवन में स्वामित्व विषयक तथा पुलिस अधिकारों का प्रयाग करेगा। उसकी अनुमति के दिना बुद्देस्टाग के अहोने में कोई ताशी या गिरफतारी नहीं हो सकेगी।

#### अनुच्छेद 41 चनावों की सबोक्षा (स्क टिएटी)

(1) चुनावों की सबोक्षा (सूख्म परीक्षण) बुद्देस्टाग की जिम्मेदारी होगी। वह यह भी निश्चय करेगी कि क्या एक ड्युटी (ससद-सदस्य) ने बुद्देस्टाग में अपना स्थान खा दिया है।

(2) बुद्देस्टाग वे एस निएया के विद्व एक सधीय सबधानिक यायान्य (फड़रल कान्स्टीट्यूशन और कोट) में शिकायतें की जा सकेंगी।

(3) विस्तृत विवरण एक सधीय कानून द्वारा नियमित होगा।

#### अनुच्छेद 42 कायवाही तथा भतदान

(1) बुद्देस्टाग की वठक सावजनिक रूप से होगी। इसके सभी दशाओं (दसवें भाग) द्वारा प्रस्तावित करने पर या सध-सरकार द्वारा प्रस्ताव रखने पर दो तिहाई वहुमत से ससद की कायवाही के समय जनता के प्रबंध को वर्जित किया जा सकेगा। जिस वठक में इस प्रस्ताव पर निराय लिया जायगा वह सावजनिक नहीं होगी।

- (2) कानून बनाने सधीय चासनर का चुनन या सधीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जैसे विशद् अधिकार व स्थायी समिति के देवताधिकार के बाहर होगे।

**अनुच्छेद 45 (a)<sup>1</sup>** विदेशी भागों तथा प्रतिरक्षा विषयक समितिया

- (1) बुन्देस्टाग एक विशी भागों की समिति तथा एक प्रतिरक्षा-समिति की नियुक्ति करेगी। दानो समितिया दो संसद के अवधि के बीच के कान में भी बायरत रहगी।
- (2) प्रतिरक्षा-समिति को जाच पड़ताल समिति के अधिकार भी प्राप्त होगे। अग्रण एक चौथाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखन पर इस समिति का यह कत्त य हांगा कि वह विशिष्ट विषय की जाच-पड़ताल कर।
- (3) अनुच्छेद 44 का परिच्छेद (1) प्रतिरक्षा व पामना म लागू नहीं होगा।

**अनुच्छेद 45 (b)<sup>2</sup>** बुन्देस्टाग का प्रतिरक्षा आयुक्त

बुन्देस्टाग द्वारा एक प्रतिरक्षा आयुक्त नियुक्त किया जायगा जो बुन्देस्टाग के आधारभूत अधिकारों की सुरक्षा तथा समर्थीय नियन्त्रण क क्रियावयन म सहायता देगा। इस सम्बंध म विस्तृत विवरण एक सधीय कानून गारा नियमित होगा।

**अनुच्छेद 46 डेपुटी का सुरक्षा व निरापदता**

- (1) एक डेपुटी (संसद सदस्य) के विरुद्ध बुन्देस्टाग या उसकी समितिया म उसके द्वारा किये गये मतदान या दिये गये मापदण्ड के लिए बुन्देस्टाग के बाहर न तो याय लय म मुकदमा दायर हो सकता है न अनुशासनात्मक कदम उठाया जा सकता है या न ही अय रूप मे उस जवाबदेही के लिए कहा जा सकता है। बदनामीपूण अपमान की स्थिति पर यह बात नागू नहीं होगी।
- (2) यदि किसी डेपुटी को अपराध करत हुए या उसके दूसरे दिन पकड़ा न गया तो बुन्देस्टाग की अनुमति के बिना उसे न जवाब देने वे निए कहा जा सकता है न गिरपतार किया जा सकता है।
- (3) एक डेपुटी (समद-सदस्य) की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अय प्रतिवध लगाने या अनुच्छेद 18 क अन्वयत उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भी बुन्देस्टाग की अनुमति आवश्यक होगी।
- (4) एक डेपुटी के विरुद्ध 18 वें अनुच्छेद क अन्वयत बोई भी फौजदारी मुकदमा या अय मुकदमा या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अय प्रतिवध बुन्देस्टाग के बहने पर स्थगित कर दिय जायेगे।

1 19 मार्च 1956 के सधीय कानून (फहरन नी गढ़ । प 111) द्वा जादा र्या।

2 वही

**अनुद्देश 47 डपुटी द्वारा गवाही से इकार का अधिकार**

डपुर्नीगण उन तागा के बारे में जिहाने उनके डपुटी पत्र के कारण उहें गोपनीय वाते कही हैं या डपुटी ने अपनी न्पुटी की हैसियत से उह कई गोपनीय वात कही हैं या उमक साथ ही सम्बद्ध इन वातों के निए डेपुटी गवाही देने सच्चार कर सकता है। जिस सीमा तक उमक गवाही न देने का अधिकार वाम रहता है विसी भी दस्तावज का जल करने की स्वीकृति नहीं दी जायगी।

**अनुद्देश 48 डपुटी-गणों का अधिकार**

- (1) बुद्देस्टाग चुनाव के निए विसी भी प्रायाशी को उसके चुनाव अभियान के निए आवश्यक चुनी (अवकाश) प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (2) विसी भी व्यक्ति का डपुटी का पत्र स्वीकार करने के उसके प्रयोग में नहीं राका जा सकता। उम आपारपर न उस पद में हठान की अधिसूचना (नाटिस) दी जा सकती न नौकरी में बखान्त किया जा सकता।
- (3) डपुर्नी-गण वो अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित रखने हुते पर्याप्त पारिशमिक (रमुनरशन) प्राप्त करने का अधिकार होगा। व सभी सरकारी यातायात के साधनों का नि शुक्र प्रयोग करने के अधिकारी होग। विस्तृत विवरण एवं सधीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

**अनुद्देश 49 दो सप्ताह के बीच अतराल**

अध्ययन मण्डल (प्रसीन्सी) के मदम्या स्थायी समिति विदेशी भाषाओं की समिति तथा प्रतिरक्षा समिति के माय ही उनके मूल्य स्थानापन सदस्या व सस्थानों वे बारे में अनुद्देश 46 47 तथा 48 के परिच्छुर 2 व 3 नो समना के बीच के अतराल में भी तागू होगे।

**IV सघटक राज्यों की परिपत्र (ब देस्तराट)**

**अनुद्देश 50 वाय (फवशन)**

सेण्डर (राय) बुद्दस्तर (राय मना) के माध्यम से मध शामन के कानून निर्माण व प्रशामन में माग लेंगे।

**अनुद्देश 51 गठन (कम्पोजीशन)**

- (1) बुद्दस्तर (राय मना) वा गर्न लण्ड (राय) मरकार के मदम्या स होगा। लण्ड सरकार उन नियुक्त करगी व वायम बुनायगी। एसी मरकारा के भ्रम्य मदम्य स्थानापन व्यक्ति (सवम्माट्यून) के हूर में वाय वर सँगे।
- (2) प्रत्येक नाय (राय) को वर्ष में बम तीन मन (वार) प्राप्त होगे 20 नाम

में अधिक जनसत्त्वा वाले लेण्डर को चार मत तथा ६० राष्ट्र से अधिक जनसत्त्वा वाले राज्यों को पांच मत प्राप्त होगा।

- (३) प्रत्यक्ष स्टैण्ड उनम ही प्रतिनिधि भज सकेगा जितन गत उस प्राप्त है। प्रत्यक्ष स्टैण्ड को अपन मत एक लाक मत के रूप म डानन होगे और सिफ उसके उपस्थित सदस्यों या स्थानापन यस्तियों द्वारा ढाल जायेंगे।

#### अनुच्छेद ५२ अध्यक्ष कायदिधि के नियम

- (१) बुद्देस्टाट (राज्य सभा) एक वय के लिए अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
- (२) अध्यक्ष बुद्देस्टाट का सम्मलन बुलायगा। यहि बम स कम दो लेण्डर (राज्य सरकार) या सध शासन एसी बठक बुलान की माग बरता है तो उस बठक बुलानी चाहिए।
- (३) बुन्देस्टाट बहुमत स प्रपने निमग्न लगी। वह अपने कायदिधि के नियमों का निमाण करेगी। उसकी बठक सावजनिक रूप स घायोजित होगा। जनता को इसकी बढ़क से अनग रखा जा सकता है।
- (४) स्टैण्ड (राज्य)–सरकार के प्राय सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य बुन्देस्टाट की समितियों के सदस्य के रूप म काय कर सकेंगे।

#### अनुच्छेद ५३ सधीय सरकार द्वारा सहभागिता (हिस्ता लेना)

सधीय सरकार क सदस्यों को अधिकार होगा तथा माग बरत पर उनका कत्त य होगा कि व बुद्देस्टाट और उसकी समितियों की बठकों म उपस्थित हो। उह किसा भी समय सुना जाना चाहिए। सधीय सरकार का अपने कार्यों के भवान के बार म बुन्देस्टाट के बराबर सूचित बरत रहना चाहिए।

#### IV-ए<sup>१</sup> संयुक्त समिति

##### अनुच्छेद ५३ (a) संयुक्त समिति

- (१) संयुक्त समिति क दो तिहाई सदस्य बुद्देस्टाट तथा एक तिहाई सदस्य बुद्देस्टाट के सम्मय होगे। बुद्देस्टाट अपन सदस्यों की नियुक्ति बरत समय सम्मीलीय दोनों की सत्त्वा क अनुपात का ध्यान रखेगी ऐस डेपुटी-गण सधीय भरकार क सदस्य नहीं होन चाहिए। प्रयक्ष स्टैण्ड का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा मनोनीत बुद्देस्टाट के सदस्य आरा किया जायेगा। य सदस्य निर्देशा से बाध्य नहीं होग। संयुक्त समिति की स्थापना व उसकी प्रक्रिया का सचालन बुन्देस्टाट द्वारा स्वीकृत काय विधि क तियमो आरा होगा। इसके लिए बुद्देस्टाट की स्वीकृति की प्रावश्यकना होगी।
- (२) सधीय सरकार को प्रतिरक्षा की स्थिति (स्टट आफ डिफेंस) विद्युत अपनी याजना क सम्बन्ध म संयुक्त समिति का गूचना नहीं चाहिए। अनुच्छेद

<sup>1</sup> 24 जन 1968 क सधीय बाना (प दरत तो गवर्नर) न ७१०) ग्रा ओहा गग।

43 के परिच्छेद (1) के प्रत्यक्षगत कुलपत्राग के अधिकार एवं परिच्छेद की व्यवस्था में प्रवादित नहीं होगा।

## १ सघ का राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष ३४ संघीय सम्मेलन (फ़ॉरन कॉर्डेशन) एवं चुनाव

- (1) सघ का राष्ट्रपति नवायर नामन (फ़ॉरन कॉर्डेशन) द्वारा चिना विदाउ व वहसु के चुना जायगा। प्रायः अमन जा कुलपत्राग के चुनाव में बायर दन का अधिकारी है तथा 40 वर्ष का हो चुका है ऐसे पर्यंत का प्रायः हा संभग।
- (2) सघ के राष्ट्रपति के पर्यंत वायर का प्रायकार एवं वर्ष वर्ष होगा। पुनः निवाचन के लिए व्यक्ति इमारत आवधि (कार्ताकूटिव टम) के लिए मिस्र एवं बार बढ़ा हो सकता है।
- (3) मणी सम्मेलन (फ़ॉरल कम्बान) में कुलपत्राग के मन्त्र्य तथा उहा एवं ग्राहर मन्त्र्य में रायों (पर्सर) की विचारसभाया (लाइग्या) से चुन एवं मन्त्र्य जिनका चुनाव आनुवानिक अनिवार्य निष्ठाल पर होगा सम्मिलित होगा।
- (4) संघीय सम्मेलन में के राष्ट्रपति का कागदिति का समाजि में 30 दिन पहले या असामिक मृत्यु का स्थिति में उन नियमि के 30 दिन बाल अपनी बरक बरेगा। कुलपत्राग का प्रब्लेम उनका बरक का आयातन करेगा।
- (5) मध्यद के कायकाल का समाप्ति के लाये ऐसे अनुच्छेद के परिच्छेद 4 के प्रथम वाक्य द्वारा निर्दित समय कुदमनग की प्रथम वाक्य के साथ प्रारम्भ होगा।
- (6) वह व्यक्ति जो मायर सम्मेलन का वर्तमन प्राप्त करेगा निराचित होगा। यहि तो बाल मतेनान होन तक बाल जो अम्भावार एवं वर्तमन जान नहीं करता है तो आगामा मतेनान में जो व्यक्ति अधिकारितम में प्राप्त करता है उस निवाचित किया जायगा।
- (7) ऐसे प्रमुख में विस्तृत विवरण एवं मायर कानून जारा नियमित किया जायगा।

प्रत्यक्ष ३५ अनुशासी व्यवस्था नहीं (जो संशोधिते प्राप्त करें)

- (1) सघ का राष्ट्रपति स्थानामन या किया सर्व (मना) की सरकार या विधापिता मना वा नवम्य न रह सकता।
- (2) सघ का राष्ट्रपति बाल भायर मरवानिक पर्यंत का उपमोग नहीं कर सकता न वह किसी व्यापार नोडिनी या व्यवसाय में हो सकता जाए। किसी जाम लायी सम्यान के प्रवाध-मान्यता या भवाल-भास्त्र में वर्ष मध्यद नहीं हो सकता।

### अनुच्छेद 56 पद की शपथ

पद धारणा वरते समय सध का राष्ट्रपति बुद्धस्टाग व बुद्धस्तान के एकत्रित सदस्यों के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लगा—

म शपथ लता हूँ कि म निष्ठापूर्वक जमन जनता के कल्याण के लिए प्रयास करूँगा उहें हानि स बचाऊँगा वसिक ना (सविवान) तथा सध शासन के कानूनों का सरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा अन्त करण स अपने दायित्वा का पालन करूँगा तथा सभा को याय प्रदान करूँगा। ईश्वर मेरा सहायक हो।

यह शपथ धार्मिक प्रतिनापन के बिना भी ली जा सकती है।

### अनुच्छेद 57 प्रतिनिधित्व

यदि सध का राष्ट्रपति बाय करन म अक्षम हो जाता है या अवधिपूर्व उसका पद रिक्त हाना है तो बुद्धस्ताट (राज्य समा) का अध्यक्ष राष्ट्रपति का अधिकार वा प्रयोग करेगा।

### अनुच्छेद 58 प्रतिहस्ताक्षर (काउटर सिगनेचर)

राष्ट्रपति के आदेशों तथा आज्ञपत्रियों (डिक्रीन) की वधता के लिए यह आवश्यक होगा कि उन पर चान्सलर या उपयुक्त मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर हा। लक्ष्मि चान्सलर की नियुक्ति और बखास्तगो पर व अनुच्छेद 63 का आतंगत बुद्धमटाग को मग करन तथा अनुच्छेद 69 का परिच्छेद 3 का अन्तगत को जान वाली प्राथना पर यह लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 59 अ तर्फाय सम्बद्धों मे सध शासन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

(1) राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मामला म सध शासन का प्रतिनिधित्व करेगा।

सध शासन की ओर स वह विदेशो म सधिया करेगा। वह राजदूता की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूता का स्वागत करेगा।

(2) जो संघीय सध शासन के राजनीतिक सम्बद्धों को नियमित करती हैं या संघीय कानूनों स सम्बद्धत हैं उनम सम्बद्ध ऐस संघीय कानूनों के निर्माण के लिए किसी सुनिश्चित मामले मे कानून बनाने समय सभम निवाया का योगदान व स्वीकृति आवश्यक होगी। जहा तक प्रशासनिक समझौता का प्रश्न है इस सम्बद्ध म संघीय प्रशासन स सम्बद्ध व्यवस्थाएं यथाचित् परिवर्तन महित (मुटाटिस मुराडिस) नागू होगी।

अनुच्छेद 59 (a)<sup>1</sup> रद्द कर दिया गया (रिपोल्ड)

अनुच्छेद 60 सधाय नागरिक व मवारियो व पदाधिकारियों की नियुक्ति

19 मार्च 1956 क शायाय कानन (क फरन ला गवर्नर [प ड 111]) द्वारा शोष गया तथा

24 जन 1968 क शायाय कानन (क फरन ला गवर्नर [प ड 111]) "गत रद्द रिपोल्ड"

- (1) <sup>१</sup> यदि कानून द्वारा आप्यथा को “यवस्था न की गई हो तो राष्ट्रपति सधीय वायामीशा सधीय नागरिक कमचारियों पदाधिकारियों तथा अराजादित् (नान कमीशण्ड) पदाधिकारियों को नियुक्त तथा पद युत करेगा।
- (2) सध शासन की ओर स वह वयक्तितः मामला में क्षमा दान वे अधिकार का प्रयाग करेगा।
- (3) वह य अधिकार आप्य अधिकारियों को प्रदत्त कर सकता।
- (4) अनु-द्वद 46 का परिच्छद् (2) स (4) सधीय राष्ट्रपति पर यथोचित् परिवर्तन सहित (मुटाटिस मुटार्टिस) लागू होगा।

#### अनु-द्वद 61 सधीय सबधानिक यायात्रा के सम्बुद्ध महाभियोग

- (1) राष्ट्रपति द्वारा इस वेसिक ना (संविधान) या किसी भी सधीय कानून का जानबूझ कर उन्नधन बरतन पर बुद्देस्टाग (लाभ सभा) या बुद्देस्टराट (राय सभा) द्वारा सधाय सबधानिक यायात्रा य उसक विस्त्र भास्त्रियोग उगाया जा सकेगा। महाभियोग बुद्देस्टाग के इम स कम एक चौथाई सदस्या द्वारा या बुद्देस्टराट के एक चौथाई मतो द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाभियोग उगाने के सम्बन्ध में नियुक्त तत्त्व के लिए बुद्देस्टाग के दो तिहाई सदस्या या बुद्देस्टराट के दो तिहाई मतो वी आवश्यकता हाँगी। महाभियोग उगान वात्र निकाय (वारी) द्वारा निर्विट व्यक्ति भास्त्रियोग को सम्पूर्ण करेगा।
- (2) यदि सधीय सबधानिक यायात्रा को यह पता चलता है कि राष्ट्रपति न जानबूझ कर उस वेसिक ना (संविधान) या अ य सधीय कानून का उन्नधन किया तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति न अपने पर वन रहते वा अधिकार खा दिया है। महाभियोग सिद्ध होन पर वह एक अतिरिक्त आदेश द्वारा राष्ट्रपति को उसके अधिकार का प्रयोग से बचित कर सकता है।

#### VI सधीय सरकार

##### अनु-द्वद 62 गठन

सधाय चास्तर (प्रधानमंत्री) तथा सधाय मंत्रिगण मित्रकर सध सरकार का निर्माण करेगे।

##### अनु-द्वद 63 सधीय चास्तर वा चास्ताव व बुद्देस्टाग को भग करना

- (1) सधीय चास्तर सधीय राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर इन। किसी वर्ष म बुद्देस्टाग द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(1) 19 मार्च 1956 के सधीय कानून (भड़रत ला गवट । वा । ।) द्वरा साक्षित

- (2) जो यक्ति बुन्देस्टाग के सदस्यों के वहूमत का समयन प्राप्त करेगा वह निवाचित हाँगा। निवाचित व्यक्ति को सध व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।
- (3) यदि प्रस्तावित व्यक्ति निवाचित नहीं हाँता है तो बुन्देस्टाग 14 दिन की अवधि में मतदान द्वारा अपन सदस्यों के आध से अधिक मत से संघीय चासनर को चुन सकता।
- (4) यदि इस अवधि के भीतर कोई उम्मीन्वार नहीं चुना जाता है तो विना देर किए नवीन मतलान होगा जिसमें जो व्यक्ति भवसे अधिक मत प्राप्त करता है वह निवाचित हाँगा। यदि निवाचित व्यक्ति को बुन्देस्टाग के सदस्यों का वहूमत प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति को सात दिन में उसे नियुक्त करना चाहिए। यदि निर्वाचित व्यक्ति का ऐसा वहूमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति का या ता सात दिन व मोतर उसे नियुक्त करना चाहिए या बुन्देस्टाग को भग वर देना चाहिए।

#### अनुच्छेद 64<sup>1</sup> संघीय मत्रिया की नियुक्ति

- (1) संघीय चासनर के प्रस्ताव पर संघीय राष्ट्रपति संघीय मत्रियों को नियुक्त तथा पदच्युत करेगा।
- (2) पर्याप्त वरने पर संघीय चासनर तथा मत्रियों बुन्देस्टाग के सम्मुख अनुच्छेद 56 में उल्लिखित शपथ लेंगे।

#### अनुच्छेद 65 उत्तरदायित्व का विभाजन

संघीय चासनर आम नीतियों सबृद्धि निर्देश निश्चित करेगा तथा उनके लिए उत्तरदायी हाँगा। इन निर्देशों की निश्चित सीमाओं में रहकर प्रत्येक संघीय मत्री अपन विभाग का निजी उत्तरदायित्व सहित स्वायत्तनापूर्वक सचालन करेगा। सध-सरकार संघीय मत्रियों के बीच मतभेद के सम्बन्ध में निणाय लेंगी। सध सरकार के कार्यों का सचालन करत समय संघीय चासनर उसके द्वारा स्वीकृत कायविधि के नियमों के अनुसार काय करेगा और इन नियमों के लिए संघीय राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी।

#### अनुच्छेद 65 (a)<sup>1</sup> साम्बन्ध सनाम्भ्रों पर नियन्त्रण सम्बन्धीय अधिकार

संघस्त्र सनाम्भ्रा पर नियन्त्रण सम्बन्धीय शक्तिया संघीय प्रतिरक्षा मत्री में निहित हाँगी।

#### अनुच्छेद 66 अनुपर्याय (सहायता) यवसाय वजन

फरल चासनर और संघीय मत्रियों कोई अन्य सवतनिक पर्याप्तार

19 मार्च 1956 के राष्ट्रीय शानन (फरल ना गजट 1 पृ 111) द्वारा जोड़ या तथा 24 मार्च 1968 के संघीय शानन (फरल ना गजट 1 पृ 711 (गरा मध्येश्वर))

व्यवसाय पशा नहीं अपना सके न किमी प्रबाध मण्डन स मम्बाध रह मक्क  
या बुद्देस्टाग की अनुमति के दिना किसा नाम कमाने वाल यापारिक  
प्रनिष्ठान के सचानक मण्डन म भाग भी नहीं न मक्क।

### अनुच्छद 67 अविश्वास का प्रस्ताव

- (1) बुद्देस्टाग अपन सदस्या के बहुमत स सधीय चामनर का उत्तराधिकारी  
चुनकर तथा राष्ट्रपति म चासनर का पदच्युत कर कर ही  
उसक विश्वद अविश्वास प्रक्त कर मक्का है। सधीय राष्ट्रपति का इस निवन्न  
का पानन करना चाहिए तथा नव निवाचित व्यक्ति का नियुक्त करना  
चाहिए।
- (2) प्रस्ताव तथा निवाचन क दीच 48 घट का अन्तराल हाना चाहिए।

### अनुच्छद 68 विश्वास प्रस्ताव बुद्देस्टाग को भग करना

- (1) यदि सधीय चासनर नारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का बुद्देस्टाग के मन्त्र्या  
का बहुमत अनुमोदन नहा दता तो राष्ट्रपति मधाय चासलर के प्रस्ताव पर  
21 दिना क भीतर बुद्देस्टाग का भग बर सकता है। जस ही बुद्देस्टाग  
अपन सन्स्था के बहुमत म अय सधाय चामनर का चुनाव बर नती है उम  
भग करन का अधिकार ममाप्त हा जायगा।
- (2) प्रस्ताव रखन तथा उस पर तेव वाल मतनान क दीच 48 घट का अन्तराल  
हाना चाहिए।

### अनुच्छद 69 सधीय चासलर का प्रतिनिधि (इपुरी आफ ने चासनर)

- (1) सधीय चामनर एक सधीय मन्त्री का अपना न्यु। नियुक्त बरगा।
- (2) सधीय चामनर व सधीय मना का कायकार हर स्थिति म उम जिन समाप्त  
हा जायगा जब न बुद्देस्टाग अपनी प्रथम बरक बरगा। किमी सधीय मनी  
का कायकार उस ममय भी समाप्त नगा जब किमी अय बारगा म सधीय  
चासनर का कायन्दाल समाप्त होगा।
- (3) सधीय राष्ट्रपति क निवन्न पर मधाय चामनर या सधाय चामनर क।  
प्रायना या सधाय राष्ट्रपति क निवदन पर सधीय मनी उस ममय तक अपन  
काय क लिए वाध्य है जब तक नमदा-तगविकारा नियुक्त नहीं हा जाता।

### VII सध शासन की विधायिका शक्तिया

#### अनुच्छद 70 सध तथा लेण्डर (रा-या) क बानून

- (1) जिस सीमा तक य वसिक ता (मविधान) मध नामन का बानून बनाने का  
अधिकार नहा दता उम मामा तक लेण्डर (रा-या) का बानून बनाने का  
अधिकार है।

- (2) सध शासन तथा लण्डर (राया) के बीच कानून निर्माण की क्षमता सम्बद्धी विभाजन का निश्चय इन वेसिद ता द्वारा निधारित एकमात्र (एकसक्तुजिव) अधिकार तथा समवर्ती (कानकर्टे) अधिकारा द्वारा होगा।

**अनुच्छेद 71** सध शासन द्वारा कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार परिभाषा

- (1) जिन मामलों में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सध शासन को है उस क्षेत्र में नण्डर (राया) सिफ तभी कानून बना सकेंगे और उसी सीमा तक बना सकेंगे जितना अधिकार एक सधीय कानून स्पष्टत उह देता है।

**अनुच्छेद 72** सध का समवर्ती कानून परिभाषा

- (1) समवर्ती कानूनी शब्दियों के क्षेत्र में लेण्डर (राया) को उसी सीमा तक कानून निर्माण का अधिकार होगा जिस सीमा तक सध शासन कानून निर्माण के अधिकार का प्रयोग नहीं करता।
- (2) सध शासन उस सीमा तक कानून निर्माण का अधिकारी होगा जिस सीमा तक उन मामलों में सधीय कानून द्वारा नियमन की आवश्यकता होगी क्योंकि—  
 1. किसी एक नण्डर (राय) द्वारा एक मामले पर प्रभावशाली कानून का नियमन समव नहीं है या  
 2. किसी एक नण्डर (राय) के कानून द्वारा व्यवस्था करने में अर्य राया (लेण्डर) या समस्त जनता के हितों को क्षति पहुँच सकती है।  
 3. कानूनी या आधिक एकता की स्थापना के लिए विशेषत जिसी भी लाया (राय) की सीमा से परे जीवन-स्तर की एकलूपता की स्थापना के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता होती है।

**अनुच्छेद 73** कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार

निम्नलिखित मामलों में एकमात्र नध शासन को नियमन का अधिकार होगा—

- (1)<sup>1</sup> विदेशी मामलों के साथ ही साथ प्रनिरक्षा जिसम नागरिक जनमत्या की सुरक्षा सम्मिलित है।  
 (2) सध राय के अन्तर्गत नागरिकता  
 (3) विचरण पार पत्र (Passport) के मामले आप्रवास (Immigration) उत्प्रवास (Emigration) तथा प्रत्यपण (Extradition)  
 (4) मुक्त धन मिक्क तात माप के साथ ही साथ काल घडा क्षणा का स्तर निधारण (determination of standard of time)  
 (5) चुंगी गुक तथा यापारिक ऐत्रों की पक्ता व्यापार तथा जहाजरानी सबधी

1 सप्तोष कानून 26 मार्च 1954 (पठरख लौ गवर्ट 1 पृ 45 तथा 24 जून 1968 भडरन ला गवर्ट 1 पृ 711) द्वारा सशोधित है।

भिधिया मात्र के नाम न जान की स्वतंत्रता विवाह के साथ माल तथा सुगतान का विनियम इसमें चुना गया तथा सीमा मुरक्खा भी सम्मिलित है।

- (6) मधीय रल माल तथा हवाएँ परिवहन
- (7) डाक तथा दर मालार-भवाण
- (8) मधीय यासन तथा मधीय निगम (Corp rate) निकायों द्वारा नियुक्त व्यविधियों की सावननिक कानून के अनुसार कानूनी स्थिति
- (9) औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार रचना-स्वतंत्र (Corporations) तथा प्रकाशक के अधिकार
- (10)<sup>1</sup> सध राय तथा लण् - (राय) के बीच मध्यांग के बीच
  - a अपराध याका म सम्बद्ध पुलिस की मुरक्खा
  - b स्वतंत्र जननानिक आवारमून यवस्था को सुरक्षा सध राय या लण् (राय) के प्रस्तुत दी मुरक्खा (विवाह की मुरक्खा) तथा
  - c भव म एम प्रयासों के विरुद्ध वन प्रयाप द्वारा प्रयवा वल प्रयाग की तथारी सम्बद्धी व काय जिनमें जनन मधीय गणतान्त्र (दी फडरल रिपब्लिक आफ जमनी) के विशेषी हिना का खतरा हो तो एम प्रयासों के विरुद्ध सधीय भेत्र म मुरक्खा सम्बद्धी प्रयास के मामत
  - d सम्बद्धी साथ ही सधीय अपराध-मुदिम याका का कायातय तथा अपराध के अन्तराल्पीय नियन्त्रण की स्थापना
- (11) मधीय उद्द य स आवदा का आवकन

#### अन्तर्द्दृष्टि 74 समवतीं कानून-नालिका (Concurrent legislation codelogue)

निम्ननिवित म समवतीं कानून लागू हाँग—

- (1) नीवानी कानून फौजनारी कानून तथा फैसला का किया-वयन न्यायालय का यन्न तथा प्रसिद्ध वानूना यवसाय न्यून प्रमाणक (Notary) तथा कानूनी मलाह (Rechtsberatung)
- (2) जम मृत्यु तथा विवाह का प्रजायन
- (3) सध तथा सम्मलन सम्बद्धी कानून
- (4) निवास तथा विशेषियों के निवास सम्बद्धा कानून
- (4 प)<sup>1</sup> हियारा सम्बद्धी कानून
  - (5) जमन सस्तुति के मध्यहा का विदेश भजन के विरुद्ध कानून
  - (6) भरणायिया व निकामिता के मामल
  - (7) जन-कायाण
  - (8) लण्डर (राय) म नागरिकता

1 2 ज्ञाई 1972 दोपोव कानून (कानून नं. यवा 19 1305) हाँग हाँग द्वा।

- (9) युद्ध-भूति तथा मुमावज
- (10)<sup>1</sup> युद्ध में अपग व्यक्तियों तथा युद्ध में मार गये लोगों के आश्रितों के द्वारा भूतपूर्व युद्ध बटिया वा सहायता व लाभ
- (10 ए) सनिका वी कब्रगाहा युद्ध के शिकार लागा की कब्रगाहा तथा निरसना के शिकार लोगों के कब्रगाह
- (11) आधिक मामना से सम्बद्ध कानून स्थाने उद्योग विद्युत विनरण इन्डिया (Crafts) व्यवसाय वारिच्य वर्किंग इंडर बाजार तथा निजी बा कम्पनिया
- (11 ए)<sup>2</sup> शानिपूर्ण उत्तरण इलए परमाणु ऊजा का उत्पादन तथा उत्पयोग एवं जहश्यों के लिए प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा उनका सचालन परमाणु ऊजा के विकीरिकरण में आयनीकरण (Ionization) तथा रेजियोधमों तत्वों का समापन
- (12) प्रतिष्ठानों के कानूनी गठन सहित श्रमिक कानून श्रमिकों की सुरक्षा रोक्टार कायालय तथा अधिकरण साथ ही मात्र बराजगारी बीमा सहित सामाजिक बीमा
- (13)<sup>3</sup> शशिखिक तथा प्रशिक्षण समूहों का नियमन तथा बचानिक शोष वो प्रोत्साहन
- (14) अनुच्छेद 73 नथा 74 में प्रत्यक्ष भीमा तक स्वानिव हरण (Expropriation) सम्बंधी कानून
- (15) भूमि प्राहृतिक सम्पदा तथा उत्पादन के साथों का सावजनिक स्वामित्व में या अन्य सावजनिक नियनित अथ अवस्था में हस्तातरण
- (16) आधिक सत्ता के दुरुपयोग पर राक्ष
- (17) हृषि तथा वन से उत्पादन को प्रोत्साहन साथ वितरण की मुख्या उपि तथा वन-सम्पदा का आपात व नियान गहर समुद्र तथा तटाय समुद्र म मध्यनी पकड़ना तथा तटों की मुख्या
- (18) वास्तविक भू सम्पत्ति सम्बंधी सौंदर्भ भूमि-कानून तथा हृषि सम्बंधी पट्ट साथ ही मकानान आवास सम्बंधी मामन
- (19) मानव तथा पशुप्राणी की उन बीमारियों के विरुद्ध कानून जा द्वारा फलानी हैं या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं चिकित्सा अथवा अन्य

1 16 जून 1965 के संघीय कानून (फ़ॉरल सा गवर्न 1 व 513) द्वारा संशोधित एवं

2 वो

3 13 अक्टूबर 1959 के संघीय कानून (फ़ॉरल सा गवर्न 1 व 813) द्वारा जोड़ा गया

4 12 मई 1969

1 369) द्वारा संशोधित

स्वास्थ्य मध्यमा व्यवसाया मध्यवर्ग के माध्यमा राजनीति नामों  
बस्त्रिया (Vegetables) तथा बिंग का निपटन

- (19)<sup>1</sup> उपचाना की आर्थिक समग्री तथा जर्नी के लकड़ी का निपटन  
(१) मादन दया नाय तथा तम्बाकू जावन के चिंग गनिवारा बन्दुए चारा हुणि  
तथा बन के बाज तथा पौंड का दूरस्था लों का बीमारियों व कीषा स  
रखा जाए हा प्राप्ति का लकड़ा
- (२) मसुद तथा स्ट्रेनरी खानगणा मारा जाए लैन म नर जाए अल  
लैन जन जाना बन्दु दिनान सबाइ मसुद जाए जाम पाख्यन क  
चिंग उपचाना फ्रैन्डलीज जन जाए।
- (३) मृद्गन्यातायात मार्ट-जानार्न नम्बर राजमार्गों का दिनान तथा  
उक्ता अनुसंधान जाए ए शावक्तिक गड़मार्गों के जाए इन के लिए  
लाइनों म बर्न्स्टार्न तथा उक्ते लाइन आमजनों का अनुचान
- (४) जाए रजन्या के आनंदित रजन्या जन जाए
- (२४)<sup>2</sup> जाए का निपाँ । हडा का लूद उक्ता तथा बालाहन का नमानि।
- अनुच्छेद 74 ए बना शूलका के मध्यम में मध्यमन का व्यापक क्षमता
- (१) नमवर्ती कानून तक सावधानिक सबाया - जनन्या का बनन गृह्णा तथा  
पाना जाए जाए तिन उक्ता तक निटा सावधानिक कानून द्वारा  
मन्वानित होता है मात्रान वा उन्नत ७० की ४ वा लूप (Item) पर  
पूरा प्रयोग करता होता ।
  - (२) जु प्रनुच्छेद के परिच्छेद (१) - प्रनवर्ती जा जाए कानून बनाय जाए  
उक्ते लिए दुन्दुमर्द का व्याहुति दिनान जाए ।
  - (३) प्रनुच्छेद 73 का ० वी ज्ञा (१८) के प्रनुच्छेद के माय कानून बना-  
जाए - - - नियंत्रण जाए जामा तक ये उक्ता उन्नेशरात्र का स्वाहिति  
प्रतिवर्ती जाए विष मामा तक वे कानून तक गृहन्यासा के यान्त्रिक  
(Computation) जाए उक्ते उक्ते नियामन इन ३ । ये प्रनुच्छेद  
के परिच्छेद (१) के प्रनुवर्ती जा कानून जाए जाए है - ह ठाकर ज्ञा का  
मूल्यांकन गृहन्यम तथा अन्तिम ज्ञा - यान्त्रिक जान जानुना म जानिय  
होता ।
  - (४) ये प्रनुच्छेद के परिच्छेद (१) तथा (२) यथावद् परिवेषक - माय संग्रह  
(राज्यों) के चायायीजा का बनन गृहन्यात जाए दून पर लाते होते । "ये

१ १७ दश १९६९ के लैन बानन (-राज जा दश १५३ १६३) जाए जाए ज्ञा

२ १८ दश १९११ के सभी बानन (दहरन जा त १ ४ ०७) जाए ज्ञा प्रति लूप ज्ञा

३ १ दश १९६९ के हैन्द बानन (-राज जा दश १५३ ३६३) जाए जान्त्रिक ज्ञा

४ अदन १९७२ के लैन बानन (दहरन जा १५३ ७०) जाए जाए ज्ञा

५ १८ दश १९७१ के बाय बानून (दहरन जा दश १५३ २०६) जाए जेहा ज्ञा

अनुच्छेद ३) अनुच्छेद १८ के परिचय (१) व अनुवर्ती बनाय जाने वाले कानूनों पर यथोचित् परिवर्तन सहित लागू होगा।

अनुच्छेद ७५ सध शासन की आम व्यवस्थाएं तानिका

अनुच्छेद ७५<sup>१</sup> की शर्तों के आतंगत सध शासन को अधिकार होगा कि वह इन विषयों सम्बद्धी व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं तयार कर सके।

(१) यदि अनुच्छेद ७४ ए आय व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कानून के आतंगत लैण्डर (रायो) कम्युनों समुदाय या आय निगमित निवाया (Corporate bodies) की सावजनिक सवामी का कानूनी स्थिति

- (१) ए<sup>१</sup> उच्च शिक्षा सञ्चालन के सामाय सिद्धांत
- (२) समाचार पत्रों तथा किंम उद्योग की सामाय कानूनी स्थिति
- (३) शिकार प्राकृतिक सम्पदों की सुरक्षा तथा ग्राम्य क्षेत्र की देवभान
- (४) भूमि वितरण क्षेत्रीय आयाजना पानी का प्रबन्ध
- (५) आवास के पतों में परिवर्तन का प्रबन्ध या निवास-स्थान (domicile) तथा परिचय पत्र (Id entity card) से सम्बन्धित मामले।

अनुच्छेद ७६ विधयक

- (१) सधीय सरकार या बुद्देसराट के सदस्य बुद्देसटाग में विधयक पद करें।
- (२)<sup>४</sup> सधीय सरकार के विधयक पहले बुद्देसराट में प्रस्तुत किये जायें। बुद्देसराट को अधिकार होगा कि ऐसे विधेयकों पर वह ६ सप्ताह में प्रपनी स्थिति स्पष्ट बताए। बुद्देसराट के सम्मुख प्रस्तुत सध सरकार का विधेयक अत्यविविध ग्रावयक है तो ऐसी स्थिति में सधीय सरकार तीन सप्ताह के भीतर चाहे अभी बुद्देसराट ने अपनी स्थिति स्पष्ट न की हो उस विधयक का बुद्देसटाग में प्रस्तुत कर सकती है। जब सधीय सरकार को बुद्देसराट की राय मात्रम हो तो वह बिना देर किये उस स्थिति से बुद्देसटाग को मूल्यित करेगी।
- (३)<sup>५</sup> सधीय सरकार द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर बुद्देसराट के विधयक बुद्देसटाग में पेश किय जायें। ऐसा बरत समय सध सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त बताए चाहिए।

अनुच्छेद ७७ स्वीकृत विधयकों से सम्बद्ध प्रक्रिया—बुद्देसराट द्वारा आपत्ति

- (१) सधीय कानून बनने वाले विधेयकों के लिए बुद्देसटाग की स्वीकृति ग्रावयक

१ १२ मई १९६९ के सधीय कानून (फड़रत ला गवट १ पृष्ठ ३६३) द्वारा समोंदार बन

२ १८ मार्च १९७१ के सधीय कानून (फड़रत ला गवट १ पृष्ठ २६) द्वारा सधीयित

१२ मई १९६९ के सधीय कानून (फड़रत ला गवट १ पृष्ठ ३६३) द्वारा जोड़ा गया

१५ नवम्बर १९६८ के सधीय कानून (फड़रत ला गवट १ पृष्ठ १९७७) द्वारा सधीयित

५ १७ जुलाई १९६९ के सधीय कानून (फड़रत ला गवट १ पृष्ठ ८१६) द्वारा सधीयित

होगी। उनकी स्त्रीकृति के बाद तु मांग वा ग्राध्यम उहे तत्काल तु-सराट को भेजग।

- (2) स्त्रीहृत विषयक की प्राप्ति वे बात तु मराट तान सप्ताह की अवधि मे यह मांग कर सकती है कि उम विधेयक पर सयुक्त स्प से तु-सटाग तथा तु-सराट के सन्त्यो की एक समिति का आयाजन किया जाय। इम सपुत्रन समिति का गठन तथा प्रतिया तु-सटाग द्वारा स्त्रीहृत काय विधि वे नियमा आरा सचालित हामी जिन हे निए तु-सराट वी स्त्रीहृत आवश्यक होगी। इम समिति मु मांग लेन वाले मात्स्य अपनी सरकार क निर्देशो से बाध्य नही हाग। यनि कानून बनन हतु एक विधेयक के निए तु-सराट या साधीय सरकार भी इम समिति की वारा वा मांग कर सकती है। यनि यह समिति उस विधेयक मे किसा नशोधन का प्रस्ताव रखती है ता तु-सटाग को उस पर पुन मतान बरवाना होगा।
- (3) यनि किसी त्रिन के निए कानून बनने म तु-सराट की स्त्रीहृत अनिवाय नही है ता तु-सराट इस अनु-दृ वे परिच्छेद (2) क अन्तगत प्रक्रिया पूरी होन पर तु-सटाग द्वारा पुन स्त्रीहृत विधेयक के बारे मे ता सप्ताह की अवधि क भीतर अपनी आपनि प्रक्रिया कर पकती है और भाष्य मामलो म अनु-दृ वे परिच्छेद (3) के अन्तगत समिति क अध्यम आरा यह सूचना अपनी राय प्रकर करती।
- (4) यनि तु-सराट बहुमत से आपत्ति करती है तो तु-सटाग क बहुमत से उस रह विधा जा सकता है। यनि तु-सराट अपन इम से कम दो तिहाई बहुमत म आपत्ति उठाती है तो उमको रह करने के निए तु-सटाग के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

अनु-दृ द 78 साधीय कानून के पारित होने की शर्तें

तु-सटाग नाग स्त्रीहृत विधेयक कानून बन जायगा यदि तु-सराट उमवे प्रति सहमति यकून करती है या अनु-दृ द 77 के परिच्छेद (2) क अनुदर्नी मांग करन म असकन र ना है या अनु-दृ द के परिच्छेद (3) क अन्तगत निर्धारित अवधि क बीच आपत्ति करने म अमफन रहती है या एमी आपत्ति वापिस ल लेती ह या एमी आपत्ति वा तु-सटाग अस्त्रीकार कर दती है।

अनु-दृ द 79 वेसिक ता (संविधान) मे सांसोधन (Amendment of the Basic Law)

(1) अम विधि ला (संविधान) वा उमी कानून क अनुमार सांसोधन किया जा

1. नवम्बर 1968 क साधीय कानून (फड़रत ना यद्दट 1, बारा सांसोधन)

2. 15 नवम्बर 1968 क साधीय कानून (फड़रत ना यद्दट 1 पृष्ठ 177), बारा सांसोधन

सकता है जिनके मन्त्रगत मूल पाठ (Text) में स्पष्टत अजोग्यन या सप्लाय (Supplement) की बात कहा गई है। अतराष्ट्राय मधिपा जिनके विषय शानि मधि (Peace settlement) है शानि सधि की तथारी या आविष्ट्य शासन का विनाश (Occupation Regime) या फर्मन रिप्लिक की प्रतिरक्षा के हिन हैं क सम्बन्ध में यह स्पष्ट इसना पर्याप्त होगा कि वसिक ला की घाराए आसी सधियों का करन व उनक प्रभावी होगे म बाधक नहा होगी तथा एसे स्पष्टीकरण के लिए एम बमिक ना क मूल पाठ (Text) का सम्पूरण (Supplementation) किया जा सकगा।<sup>1</sup>

- (2) एस विभी भी कानून के लिए बुटेसराग के दो तिहाई स्वीकृति मूलक मन तथा बुदेसराट के ना निर्हर्त मना की यावश्यकता होगा।
- (3) मध राष्ट्र को लण्डर (राष्ट्र) म विभाजित करने उच्चर (राष्ट्र) नारा कानून निमाण म भाग नने सम्बन्धी सिद्धान्त या। और 20 वें अनुच्छेद के मूलभूत सिद्धान्त के सम्बन्ध म एम बमिक ला म सजोग्यन प्रभाव्य होगा।

अनुच्छेद 80 अध्यात्मों का प्रकाशन जा कानून की भाति माय होगे

- (1) सध-सरकार एक भाषाय मात्री या उच्चर (राष्ट्र)-सरकार को एक कानून द्वारा अध्यात्मा के प्रकाशन का अधिकार दिया जा सकता है जा कानून की भाति माय होगे। एस अधिकार प्रदान करने ममय क्यित कानून के मन्त्रगत उम अधिकार का मारारा उच्यत तथा निवाधिकार स्पष्ट हान चाहिए। उम अपादा म इस कानूनी अधिकार का उच्चन्व हाना चाहिए कि यदि एक कानून यह व्यवस्था करता है कि अधिकार का प्रत्येकेन (delegated) विधा जा सकता है तो एस प्रायायोजन के लिए अपादा की आवायकता है जा कानून की भाति माय हो।
- (2) यनि सधाय कानून द्वारा कोई अपाय व्यवस्था न हो तो अधाय रुक्माग हाक व सचार-सबाए या उनक तुन्क या रेल भाग का निमाण एवं सचालन माय ही एस अध्यात्मा जा किमा सधीय कानून के अनुदर्भी जाती दिय गय हैं और जा कानून की भाति माय हाने हैं और उनक निर्माण-रार की स्वीकृति अनिवाय हो या जा कानून उच्चर (राष्ट्र) नारा मम व अधिकर्ता (Agent) के द्वय म क्रियान्वित दिय जान ना या अपन म्बद न मम्बित मामना व कानून नन मध के लिए बर्चरार की स्वाकृति या यावश्यकता होगी।

<sup>1</sup> दुसरा वार्ष 26 भाव 1954 के सधाय कानून (एडरल ला गवर्नर एम 45) द्वारा दोग गया।

**अनुच्छेद 80 ए<sup>1</sup> तनाव की स्थिति (State of Tension)**

- (1) यहां यह वैसिक ना या प्रतिरक्षा सम्बंधी एक सधीय कानून (यसम असनिक जनसत्त्वा का मुख्या भी ममिनित है) यह मान करता है कि सिफ़ इस अनुच्छेद के अनुसार ही कानूना यवस्था की जाय उनका प्रयाग जब प्रति रक्षा की मिश्नि विद्यमान हो उस छाड़कर तभी किया जा सकता है जब बुनेस्टाग विशेष रूप से यह घोषणा करे कि तनाव की स्थिति विद्यमान है। अनुच्छेद 12 ए व परिच्छेद (5) के प्रथम वाक्य तथा परिच्छेद (6) के दूसरे वाक्य म उन्निति मामलो के सम्बंध में तनाव की स्थिति का निराय तथा उसकी सुनिश्चित स्वाहृति के निम्न दिये गये मतो का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।
- (2) युद्धेस्टाग जब कभी निवेदन कर तो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत अभिनियमित कानूनी यवस्थाओं के अन्तर्गत उठाया गया कोई भी कानून रद्द कर दिया जायेगा।
- (3) मन्त्री भवियो के अन्तर्गत कोई अंतरालीय समाजन सघ सरकार की स्वीकृति तथा इच्छानुमार "स अनुच्छेद" के परिच्छेद (1) की कानूनी यवस्थाओं का अना र या उसम कभी कर सकता। यस परिच्छेद के अनुबर्ती उठाया गया कानून बुनेस्टाग के सभ्यो के बहुमत के निवेदन पर हटाया जायेगा।

**अनुच्छेद 81 विधायी सकट की स्थिति**

- (1) यदि अनुच्छेद 68 की परिस्थितियों में बुनेस्टाग भग नहीं होती है और सध सरकार द्वारा किसी विधयक का अत्यावश्यक घायित करने पर भी यदि बुनेस्टाग उस विधयक को अस्वीकृत करती है तो सधीय राज्यपति बुनेसरार की स्वीकृति राहित सध सरकार की प्राथना पर इस विधेयक के सम्बंध म विधायी सकट की स्थिति की घोषणा कर सकता है। यहां बात उस विधयक के बारे म नापूँ होगी जिस अस्वीकृत कर दिया गया है यद्यपि उस विधयक के साथ पश सधीय चा सलर न उसे अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत प्रस्ताव के साथ पश किया है।
- (2) यदि विधायी सकट की स्थिति की घोषणा कर दिया जाने के बान बुनेस्टाग पुन उस विधेयक को अस्वाकार कर देता है या उसे उस रूप म स्वीकार करती है जो सध सरकार वा माय नहीं है तो वह विधयक बुनेसराट द्वारा स्वीकृत किय जाने की स्थिति म बानून समझा जाएगा।
- (3) एक सधीय चा सलर के काय-काल म बुनेस्टाग द्वारा अस्वीकृत का विधयक विधायी सकट की स्थिति की पहली घोषणा के 6 माह की अवधि के भीतर

1 24 जन 1968 के सधीय बानून (फड़त सा यकट 1 पृ 711) गए गोड़ा बना।

इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तगत कानून बन सकेगा। इस प्रवधि की समाप्ति के बाद उसी सधीय चान्सलर क कार्यालय में विधायों सकट की स्थिति वी दूसरी धापणा अस्वाकाश होगी।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुमान निमित कानून द्वारा इस विधिक ना को पूरा या प्राप्तिक रूप में न तो सज्ञापित किया जा सकता है न ही निरस्त (रद्द) किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 82 कानूनों का प्रचलित करने तथा उनक प्रभावी हानि की नियम**

- (1) इस विधिक ना की व्यवस्थाओं के अन्तगत निमित कानून प्रतिहस्तापरित (Countersignature) और सधीय राष्ट्रपात्र द्वारा हमता निरत होने के बाद सधीय विधि राज्यपत्र (फड़रल ना गजट) में जारी किय जायेग। अर्थात् जो कानूनी वक्ति स मुक्त होग व उस अधिकरण (Agency) द्वारा हस्ताक्षरित होग जा उह जारी करता है यदि कानून द्वारा प्राप्त व्यवस्था न की गई हो तो व फड़रल ना गजट में प्रत्यारित किय जायेगे।
- (2) प्रत्यक्ष कानून या प्रत्यक्ष अध्यादेश का जा कानूनों शक्ति स मुक्त है अपन प्रभावी होने की नियम का उल्लेख करना चाहिए। एमी व्यवस्था के अभाव में फड़रल ना गजट में प्रकाशित होने के 14 दिन का समाप्ति पर वह प्रभावी माना जायेगा।

### VIII सधीय कानूनों तथा सध प्रशासन का कार्यावयन (The Execution of Federal Laws of the Federal Administration)

**अनुच्छेद 83 सधीय कानूनों का लेण्डर (राज्यों) द्वारा कार्यावयन**

जहाँ तक यह विधिक ना कोई अर्थ व्यवस्था नहीं करता या अनुच्छेद नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्यों) सधीय कानून का उसी प्रकार कार्यावयन करेंगे जस वह उनका अपना मामना हो।

**अनुच्छेद 84 नण्ड (राज्य) प्रशासन तथा सध सरकार द्वारा नियमण**

- (1) जहाँ लेण्डर (राज्य) सधीय कानूनों को अपना मामना समझकर उनका कार्यावयन करते हैं वह वे उम सीमा तक आवश्यक प्रधिकारियाँ व कार्यालयों की व्यवस्था करेंगे तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को नियमित करेंगे जिस सीमा तक बुन्देल्हारा स्वीकृति प्राप्त सधीय कानून दूसरी व्यवस्था नहीं करते।
- (2) सध-सरकार बुन्देल्हारा स्वीकृति स उपर्युक्त मामात्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है।
- (3) सध-सरकार इस बात की निगरानी रखती है कि नण्ड (राज्यों) मनिश्वित हैं में प्रयात्य सधीय कानून का कार्यावयन करते हैं। इस उद्देश्य के लिए सध

सरकार नगर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों तथा सहायक अधिकारियों के पास भी आयुना का भज सकती है। उम्मत निए वह उनकी स्वीकृति मांगती यदि ऐसा स्वाकृति नहीं मिलता है तो बुन्दूमरार की स्वाकृति में उह भज सकता।

- (4) यदि सध-सरकार का पता चलता है कि नगर (राज्य) में सधाय कानून के कायाक्रम में उठिया है और वह उह नहीं मुगारते तो सध-सरकार या सम्बद्ध नगर (राज्य) के आवृत्ति पर बुन्दूमरार निषेध उगी कि क्या उस नगर न प्रयाप्य कानून का उपचार किया है। बुन्दूमरार के निषेध का मध्याय मवधानिक यायालय में चुनौता ना ना सकती है।
- (5) मध्याय कानून के कायाक्रम की नियम में सधीय सरकार का बुन्दूमरार की स्वाकृति पर एक सधाय कानून नारा यह अप्रिकार लिया जा सकता कि वह विधाय मामन में अनुग्रह निर्णय भज सक। यदि सधीय सरकार मामन का अत्याकाश्यक मानती है तो वह निर्णय नगर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों का भज जायेगे।

अनुच्छेद 85 लग्नर (राज्यों) द्वारा सध शासन के ऐजेंट के रूप में कार्यालय

- (1) जग नगर (राज्य) सध शासन के ऐनट के रूप में सधाय कानून का कायाक्रम वर्तन है वहाँ नियम मीमा तक बुन्दूमरार की स्वीकृति सहित सधाय कानून श्राय व्यवस्था नहीं करते आदेशक कायाक्रम का स्थापना करना नगर (राज्य) का काय होगा।
- (2) सध-सरकार बुन्दूमरार का स्वाकृति में उपबुन्दूमरार सामाय प्रशासनिक नियम जारी वर सकती है वह नागरिक अधिकारियों तथा श्राय वरन भागी मादजनिक वरकारियों के मामन प्रशिक्षण का नियमन कर सकता है। मध्यवर्ती नगर पर मुख्य अधिकारिया (Head of authority) को नियुक्ति उम्मती महमति में होगी।
- (3) नगर (राज्य) प्रशिकारी उपयुक्त सर्वोच्च सधीय प्रशिकारियों के नियोग के अवधान काय करें। सधाय में वार आदेशक निर्णय नगर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के पाम भज सकता। नगर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों उनके क्रियाक्रम का मुनिचित करें।
- (4) सधीय निगराना कानून के अनुमार नियाक्रम की उपबुन्दूता के आपार पर होगा। उम्मत उपचार के लिए सध-सरकार प्रतिवेदना तथा दस्तावज़ा की प्राप्ति वा अनुग्रह कर सकती तथा सभी अधिकारियों के पाम आपार का भन महगा।

अनुच्छेद 86 प्रत्यक्ष सध प्रशासन

जहाँ सध शासन प्राप्त न सधाय प्राप्त या सधाय निगमा किया या मध्याप्रा में बानूना का कायाक्रम इस्ता है वहाँ मध सरकार जब तक मध्य

कानून काई और विशेष यदस्या नहीं करता उपयुक्त सामाज्य प्रशासनिक नियम जारा करेगी। जिस सीमा तक सम्बद्ध कानून आय यदस्या नज़ा करता उस सीमा तक सघनभरकार आवश्यक कार्यालयों को स्थापना की यदस्या करेगी।

### अनुच्छेद 87<sup>1</sup> प्रत्यक्ष सध प्रशासन के विषय

- (1) विदेशीसेवाएं सधीय वित्तीय प्रशासन सधीय रेल सड़क मार्ग सधीय डाक सेवाएं तथा अनुच्छेद 89 की यदस्याओं के मनुसार सधीय जल-भागों तथा जहाजरानी का प्रशासन सधीय सधीय प्रशासन का विषय समझा जाकर उसका नियावयन होगा उसका अपना सहायक प्रशासनिक ढाँचा भी होगा सधीय सीमा सुरक्षा प्राधिकरण पुलिस सूचना व सचार का केंद्रीय कार्यालय अपराध शाखा-युनिस का कार्यालय और शक्ति के प्रयोग या उसकी तथारी जिससे जमन सधीय गणराज्य (फड़ल रिपब्लिक आफ जमनी) के विदेशी हितों का तथा सविधान की सुरक्षा तथा सधीय क्षेत्रों को खतरा हो उसे सुरक्षा के लिए आकड़े सकलित करने का कार्यालय सधीय कानून के द्वारा स्थापित किय जा सकते हैं।
- (2) सामाजिक वीमा स स्थाएं जिनका क्षेत्राधिकार एक लण्ड (राज्य) के भू-प्रेण में अधिक विस्तृत हो सावजनिक कानूनों के अन्तर्गत सधीय नियम नियाय के रूप में प्रशासित होगी।
- (3) इसके अतिरिक्त सावजनिक कानून के अन्तर्गत स्वास्थ्यन सधीय उच्चतर सत्याएं तथा उनवे साथ ही साथ सधीय नियम नियाय तथा स स्थाएं सधीय कानून के अन्तर्गत उन मामना भ स्थापित की जा सकेंगी जिनके निर्माण का स घ शासन को अविकार है बुदेस्टाग को स्वीकृति सहित तथा बुदेस्टाग के बहमत स अत्यावश्यक होने पर मध्यवर्ती तथा नियन वर्ती सधीय कार्यालयों की स्थापना भी जा सकती है।

### अनुच्छेद 86 छ<sup>2</sup> सीय सचय साल्या सशस्त्र सेनाओं का उपयोग व काय

- (1) सध शासन प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र सना का नियाण दरेगा। उसकी साल्या तथा सामाज्य समर्थन ढाँचा बजट य प्रदर्शित किया जायेगा।
- (2) प्रतिरक्षा उद्देश्य क अनिवार्य सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नियन उसी सीमा व क्षेत्रों तक किया जा सकेगा जिनकी वेसिक ला सविधान स्पष्ट यदस्या करता है।

- 1 19 माच 1956 क सधीय कानून (फ रन ला गवट 1 पृष्ठ 111) द्वारा जोरा दा रा दा 24 जून 1968 के सधीय कानून (फड़ल ला गवट 1 पृष्ठ 711) द्वारा द शोविड
- 2 28 जुलाई 1972 क सधीय कानून (फड़ल ला गवट 1 पृष्ठ 1305) द्वारा द शोविड द्वा
- 3 19 माच 1956 क सधीय कानून (फड़ल ला गवट 1 पृष्ठ 111) द्वारा जोरा दा ।

- (3) जब प्रतिरक्षा को नियन्ति या तनाव की स्थिति विद्यमान है तो सास्त्र बनाओ वो नागरिक जनसभा की सुरक्षा का ग्रधिकार होगा तथा वह यानायात नियात्रण का काय उम सीमा तक वर सर्वेंगी निस सीमा तक चलनी प्रतिरक्षा-सम्भ्या का हृष्टि म एमा नहरी है । इसक अनिवार्यता प्रतिरक्षा का स्थिति या तनाव को नियन्ति म साम्न गता पुनिस की सहायता के लिए नागरिक सम्पत्ति का सुरक्षा भी वर सकती है । ऐसी स्थिति म भगवन्त लगाए इश्वर ग्रधिकारिया के साथ सहयोग करेंगी ।
- (4) यदि अनुच्छेद 92 क परिचय (2) म क्विप्त स्थिति उत्पन्न होनी है तभी पुनिस एव सधीय सुरक्षा-न्तर स्थिति का सामना वरन न असमय होने तो मध शामन या एक उण्ड (राज्य) क अभिन्नत्व का आसन खतरे या न्यतार जननानिक आवारभूत व्यवस्था पर खतरे का दूर वरन वे लिए साम्न भनाओ वो नागरिक सम्पत्ति की रक्षा तभा सगमित और साम्न विश्वनिया का मुख्यावता वरन म पुनिस तथा सधीय सामा गक्षक दृष्टि की मन्त्र के लिए -प्रयोग किया जायगा । जब कभी बुद्धिमत्ता या बुद्धिमत्ता निव न वर तो मशम्न भनाओ का अप्याग वर्त्त किया जाना चाहिए ।

#### अनुच्छेद 87-या<sup>1</sup> सास्त्र सनात्रों का प्रशासन

- (1) सधाय मशम्न सनात्रा का आमन साय मधाय प्रशासन क रूप म क्रियाविन किया जायगा । -मका अपनी प्रशासनिक -प मरत्तना नागा । उसका काय काय कमचारी गग्न र मामता का प्रामान तथा मशम्न सनात्रा का रस्त आवश्यकताप्रा का भीत्र पूरा करना नागा (बुद्धिमत्ता का स्वीकृति स निर्मित सधीय बातून क अभाव म धायन व्यक्तिया ना नाम पहुचान का काय तथा निमाण-काय सधम्न भज्य प्रामान का नहा भीया जायगा । एसी स्वीकृति उन कानूना म भी जहरा होगी नितव अनगत मशम्न मध्य प्रशासनिक का विभी अ-ज्ञ वग क अधिकारा म अन्तर्गत वरन का अधिकार निया गया हो । यह बात म-य कमचारी-गण स सम्बद्ध कानूना पर नापू नहा होगी ।
- (2) एमक अतिरिक्त बुद्धिमत्ता का स्वीकृति म प्रतिर गा स सम्बद्ध मधीय कानून गरा निम मध्य भवाओ के लिए भर्ती तथा नागरिक अन्मत्या का सुरक्षा ना मणिनित <sup>2</sup> यद्य व्यवस्था दी जा सकती है वि उसका सचानन पूरा रूप स ग्रथवा आपिक रूप भ या ना सोय सधाय प्रशासन नारा स्थापित अनकी अपना उपमरत्तना नारा या म-गमन क एजेंट ऐ रूप म लण्डर (राज्य) नारा किया जा सकता । यदि एम कानून का बायान्वयन नाडेर (राज्य) मध्य गमन क एजेंट क रूप म वरन है तो बुद्धिमत्ता की स्वीकृति से

<sup>1</sup> 19 याच 1956 क सधीय बातून (फहरत ना गवर्न । प 111) द्वारा दीया गया ।

अनुच्छद 85 (ए) के अन्तगत यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो अधिकार सघ शासन के पास हैं वे अधिकार पूरण या धार्षिक रूप से उपयुक्त सर्वोच्च संघीय अधिकारियों को नीति जा सकत हैं एमी स्थिति में इन अधिकारोंनांगों को अनुच्छेद 85 के परिच्छद (2) के अन्तगत सामाय निर्णय जारा करते मम पुनर्साट की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा।

### अनुच्छेद 87—सी<sup>1</sup> परमाणु ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग

बुद्देसराट की स्वीकृति से अनुच्छद 78 के 11ए के अन्तगत निर्मित कानूनों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि उष्णर (राया) जारा सघ शासन के एजट के रूप में उनका कार्यावयन किया जा सकता है।

### अनुच्छद 87—डी उद्ययन प्रशासन

- (1) उद्ययन प्रशासन सीधे सघ शासन द्वारा क्रियावित होगा।
- (2) बुन्देसराट की स्वीकृति से संघीय कानून द्वारा उद्ययन प्रशासन के काय लण्डर (रायों) को सौंप जा सकेंगे जो सघ शासन के एजट के रूप में वन्हे क्रियावित करेंगे।

### अनुच्छेद 88 संघीय बक

सघ शासन एक कागजी मुद्रा तथा मुद्रा जारी करने वाला बक स्थापित करेगा जो संघीय बक के रूप में काय करेगा।

### अनुच्छद 89 संघीय जल माग

- (1) सघ शासन भूतपूर्व राइश (माम्राय) जल मार्गों का स्वामी होगा।
- (2) सघ शासन नवय अपने अधिकारियों के माध्यम से संघीय जल-मार्गों का प्रशासन चलायगा। यह उन सरकारी दायित्वों का भी निर्वाह करेगा जो अन्तर्राजीय जल-माग में सम्बद्ध हैं तथा जिनका क्षेत्र एक उष्ण (राय) के क्षेत्र में आग तक विस्तृत है तथा वे सरकारी राय भी करेगा जो अपारिव जहाजरानी में सम्बद्ध हैं तथा उम कानून जारा दिय गये हैं। एक उष्ण (राय) के निवादन करने पर सघ शासन उन संघीय जल मार्गों का प्रशासन एक उष्ण (राय) का सौंप मिलेगा जो एक उष्ण (राय) के प्रतेश में निहित है। उष्ण (राय) सघ शासन के एजट के रूप में काय करेगा। यदि एक जलमाग का लेष्णर (राया) की सीमा वा छूता है और यदि मम्बद्ध उष्णर (राय) प्राथना करत है तो सघ शासन एक विशेष उष्ण (राय) को भवना एजेट नियुक्त कर सकेगा।

<sup>1</sup> 23 दिसम्बर 1959 के संघीय कानून (फ़ॉरम नं ८३) द्वारा बोझा गया।

<sup>2</sup> 6 फरवरी 1961 के संघीय कानून (फ़ॉरम नं ८५) द्वारा बोझा गया।

- (3) जनमार्गों के प्रशासन विकास तथा नवीन निर्माण-कार्यों के समय भू मवधन व परिकार की आवश्यकता तथा जल प्रबंध को नेण्टर (राज्यों) के साथ समझौतों द्वारा सुरक्षित किया जायेगा ।

#### अनुच्छद 90 सधीय राज मार्ग

- (1) सध शासन भूतपूर्व राइल (सामाच) के मोटर मार्गों (Reich Sauto bahnen) तथा राईल राजमार्गों का स्वामी होगा ।
- (2) नण्ट (राज्य) कानून के अतिगत लेण्डर (राज्यों) या एसी स्व शासी निगम निकाय सध शासन के एजेंट के रूप में सधीय मोटर मार्गों तथा अय सधीय राज मार्गों जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं का प्रशासन करें ।
- (3) एक नण्ट (राज्य) की प्राथना पर सध शासन उस नण्ट (राज्य) के प्रदेश में आने वाने मान्नर मार्गों तथा अय सधीय राज मार्गों को जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं सीधे सधीय प्रशासन में ले लेंगा ।

#### अनुच्छद 91<sup>1</sup> सध शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व को उपन्र खतरों को दूर करना

- (1) सध शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व या स्वतंत्र जनतानिक आपार भूत-यवस्था को उपन्र विसी आसन खतरे को दूर करने के लिए एक नण्ट अय-लण्डर (राज्यों) की पुलिस सदाच्छ्रो या अय दस्तों की सवाए तथा अय प्रशासनिक कार्यान्वयों तथा सधीय सीमा रक्षक दल में सुविधाएं मार्ग सक्ता है ।
- (2) यदि एक नण्ट (राज्य) जहाँ ऐसा आसन खतरा है स्वयं खतरे के मुक्तावल का अनिच्छुक या अव्याधि है तो सध सरकार इस लण्ड में पुलिस रख सकती है तथा अय नेण्टर (राज्यों) को पुलिस दस्तों का तथा सधीय रक्षक दल का अपने स्वयं के निर्देशन में रख सकती है इसके लिए दिया गया आदेश खतरा टल जाने पर या बुद्देसराट के अव्याधि निवेदन पर विसी भा समय निरस्त किया जा सकता है । यदि एक लण्ड से अधिक विस्तृत प्रैश में खतरा फैला है तो सध शासन ऐसे खतरे का प्रभावशाली ढंग से मुक्तावना करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो नण्ट (राज्य) सरकार का निर्देश द सकती है । इस परिच्छद के प्रथम तथा तीसरी बाब्य उस यवस्था से प्रभावित नहीं होगा ।

1 24 जन 1968 के सधीय कानून (फदल लॉ लैट 1 इ 711) द्वारा मनोधित इय उद्घारणाय —नागरिक सुरक्षा दल आपातकालीन नागरिक इच्चीनियरिंग एम अग्नि शामन दल इयादि इयादि ।

### अनुच्छेद 91 ए<sup>1</sup> समुक्त कृत्य को परिभाषा

- (1) सध शासन निम्नांकित मामला म लण्डर (राज्या) के साथ दायित्वों का निवाह करगा वाने कि ऐसा दायित्व समग्र समाज के लिए महत्वपूर्ण है तथा नीचन स्थितिया म सुधार तान के लिए सध का सहयोगी होना आवश्यक है—
- (1) विश्वविद्यालय निदान यह सहित बच्चतर शिक्षा स्थानों का विस्तार व निर्माण
  - (ii) ऐचीय आयिङ ढाचो म सुधार
  - (iii) बृहि-सरकार तथा तटीय सरकार म सुधार
- (1) बुन्देसराट वो स्वीकृति के साथ समुक्त कृत्य को एक सधीय बानून द्वारा परिमापित किया जायगा। ऐस करनून म समुक्त कृत्य के निर्वाह के लिए सामाय सचालन नियम सम्मिलित होने चाहिए।
- (3) ऐस बानून म व्यापक समुक्त योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया व स्थानों की व्यवस्था होगी। व्यापक परियोजना म एक योजना को सम्मिलित करने के लिए उम लण्डर की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसम उसे क्रियान्वित किया जाता है।
- (4) उन मामला म जिनम इस अनुच्छेद के परिमाप (1) के विषय 1 तथा 2 ताग् हात हैं सध शासन कम से कम आधा व्यय भार बन करगा तथा यह अनुपात सभी लण्डर (राज्या) के लिए समान होगा। विस्तृत विवरण बानून द्वारा नियमित किया जायगा। धन की व्यवस्था सध तथा लण्डर (राज्या) व बजट म विनियोग पर आधारित होगी।
- (5) यदि सध सरकार तथा बुन्देसराट ऐसी मांग करे तो उह समुक्त कृत्यों के कायाकलप के बारे म सूचना दी जायेगी।

### अनुच्छेद 91 वी शक्तिक योजना तथा शोध-कार्यों म सध शासन तथा सेधर (राज्यों) का सहयोग

समझौता क अनुबर्ती सध शासन तथा लण्डर (राज्य) शक्तिक योजना तथा अधिनेत्रीय (Supra regional) महत्व की व्यानिक भेद वी परियोजनामा एवं स्थानों को प्रोत्साहन देन म सहयोग करें। उपमुक्त समझौता स व्यय भार का विभाजन नियमित किया जायगा।

1 12 मं 1969 क अधीव बानून (नेहरत सो गवर्न 1 त 359) गाय जोड़ा गया।

2 वही

## यायिक प्रशासन

अन्तर्छद 92<sup>1</sup> यायानयों का संगठन

यायिक शक्तिया यायाधीशों में निहित हागी। उनका निष्पादन वसिक ना (संविधान) म दी गई व्यवस्था के अनुसार सधीय सबधानिक यायानय सधाय याया (यायानय) के यायानयों द्वारा किया जाएगा।

अन्तर्छद 93 सधीय सबधानिक यायानय संक्षमता

(1) सधीय सबधानिक यायानय निम्नान्ति स्थितिया में निराय करेगा—

- (1) एक सर्वोच्च सधीय निकाय या अय दला जिह वसिक ला (संविधान) या एक सर्वोच्च सधीय निकाय की काय विवि नियम नारा अधिनार दिय गय हैं क बीच अधिकारा या कत्ताया को नकर विवाद उठ खड़ा होना है तो वेसिक ना (संविधान) की यायानय करना
- (ii) सधीय सरकार उण्ड राय सरकार के निवदन पर या एक तिहाइ बुन्दनग क सदस्या के निवन्न पर इय वमिक ना (संविधान) के अन्तगत सधीय तथा उण्ड (राय) के कानून के बाच औपचारिक या वास्तविक समनि के सम्बाव म मतभद या सह होन की या लण्ड (राय) के कानून व अय सधीय कानून के बीच असमनि होन की स्थिति म

(iii) सध शामन व उण्डर (राय) क अधिकारा और कत्ताया तथा विशपत उण्डर (राय) द्वारा सधीय कानूनों क कियावयन तथा सधीय पयवेक्षण क निष्पादन म मतभद होन पर

(iv) यन्त्र अय यायानयों म नान का माम खुना नहा है तो विभिन उण्डर (राय) के बीच या एक लण्ड (राय) म या सध शामन तथा उण्डर (राय) क मध्य सावजनिक कानूनों स सम्बद्ध अय मतभदा पर

(v) ए प्रसबधानिकता की शिकायत पर जिमसी शिकायत को मा व्यक्ति वर सदता है जिसका यह दावा है कि अनुच्छ 20 क परिच्छ अनुच्छ 33 38 101 103 या 104 म प्रन्त उसक मूरभूत अधिकारों म एक का या अय अधिकारा म म किमी एव का माव जनिव प्राधिकरण द्वारा होन किया गया है।

(vi) वी<sup>2</sup> कम्यूनों या कम्यूनों क सध नारा वस आधार पर प्रसबधानिकता की शिकायत कि अन्तर्छद 28 के प्रन्तगत उनक स्व नामन क प्रधि

1 18 जून 1968 क सधीय कानून (क दरल ला गवट 1 पृ 657) नारा गोपित रूप।

2 12 मई 1969 क सधीय कानून (क दरल ला गवट 1 पृ 354) द रा जोडा गया।

3 29 जनवरी 1969 के सधीय कानून (क दरल ला गवट 1 पृ 97) दार जोडा गया।

कारो का हनन एवं कानून द्वारा किया गया है। इसमें लण्ड (राज्य) कानून शामिल नहा है क्योंकि उसके लिए सम्बद्ध लण्ड सबधानिक यायानय में शिकायत की जा सकती है।

- (1) अंतर्मामलों में जिनकी व्यवस्था बसिक ना (सविधान) में है।
- (2) सधीय सबधानिक न्यायालय ऐसे अन्य मामलों में भी कायवाही करेगा जो उस सधीय कानून द्वारा संखित गये हैं।

#### अनुच्छेद 94 सधीय सबधानिक यायालय गठन

- (1) सधीय सबधानिक यायालय सधीय यायाधीशों व अंतर्मामलों से निर्मित जागा। सधीय सबधानिक यायानय के आध दस्त्यु बुद्धिमत्ता और बुद्देस राट द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। व बुद्देसटाग बुद्देसराट सध सरकार और लण्ड के विसी निवाय के सदस्य नहीं हो सकते।
- (2) सधीय सबधानिक यायालय की रचना तथा प्रक्रिया एक सधीय कानून द्वारा नियमित हाभी जो यह स्पष्ट बरगा कि बिन मामलों में उसके नियम कानून की शक्ति से सम्पन्न होगे।<sup>1</sup> ऐसे कानून के लिए यह अनिवाय किया जा सकता है कि असबधानिकता की एसी शिकायत करने स पूर्व सभी अंतर्मानी उपचार पूरे कर लिए गये हैं। साथ ही इस कानून में शिकायत की स्वीकृति से सम्बद्ध विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

#### अनुच्छेद 95 सध—“मासन के सर्वोच्च यायालय—संयुक्त नामावलि

- (1) सामान्य प्रामाणिक वित्तीय श्रम तथा सामाजिक क्षेत्राधिकार व उद्देश्यों के लिए सध जासन सधीय न्यायालय सधीय प्रशासनिक यायालय तथा सधीय राजकापीय (Fiscal) यायानय सधीय प्रमन्यायालय तथा सधीय मामाजिक यायालय ऐसे सर्वोच्च यायानयों की स्थापना करेगा।
- (2) इसमें से प्रत्यक न्यायालय की नियुक्ति से उस सधीय मन्त्री तथा यायाधीशों के चयन के लिए गठित एक समिति जिसमें लण्ड (राज्य) के सभी मन्त्री तथा उत्तीर्णी ही सरया में बुद्देसटाग के सदस्य होंगे के द्वारा संयुक्त रूप से भी जायगी।
- (3) क्षेत्राधिकार की एक स्पत्ता की सुरक्षा के लिए इस अनुच्छेद के परिवेद
  - (1) म उल्लिखित यायानयों की एक संयुक्त नामावलि (सीनट) निश्चित की जायगी। विस्तृत विवरण एक सधीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा।

1 29 जनवरी 1969 के सधीय कानून (फड़रल लॉ गज़ट 1 व 97) द्वारा बोडा गया।

2 18 जन 1968 के सधीय कानून (फड़रल लॉ गज़ट 1 व 657), द्वारा संक्षेपित है।

अनुच्छद 96<sup>1</sup> संघीय यायात्रय

- (1) सघ शासन ग्रौदीगिक सम्पत्ति प्रधिकारों में सम्बद्ध मामलों के निए एक संघीय यायात्रय स्थापित कर सकता है।
- (2) सभा शासन सशस्त्र सेनाओं के निए सतिक अपराध यायात्रयों की संघीय यायात्रयों के रूप में स्थापना कर सकता है। वे अपराध प्रधिकार का निष्पादन उस समय करेंगे जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद है अथवा वे सिफ़ विभाग में स्थित या युद्धपोता पर तनात सशस्त्र सेनाओं के कमचारियों पर क्षणाविकार का उपयाग करेंगे। विनृत विवरण एक संघीय वानून द्वारा नियमित किया जायगा। यह संघीय यायात्रय मनों के अनुचिकार में रखा रखा उनके निए नियुक्त यायात्रीशाम मूलतः अलिक यायात्रीशाम के बत्तप्रभान की यायात्रा होनी चाहिए।
- (3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) में उल्लिखित यायात्रय द्वारा अधीन के निए संघीय यायात्रय ही सर्वोच्च यायात्रय होगा।
- (4)<sup>2</sup> सघ शासन संघीय नोकसदा कमचारियों के विशुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही तथा उनकी शिकायतों के निपटारे के निए सधूय यायात्रयों को स्थापना कर सकता है।
- (5)<sup>3</sup> अनुच्छेद 26 के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत फौजारी कायवाही या राज्य की रक्षा के सम्बंध में एक संघीय वानून इसके निए बुदेसराट वी स्वीकृति अनिवाय है द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि सण्ड (राज्य) के यायात्रय संघीय क्षेत्राविकार का निष्पादन कर सके।

अनुच्छद 96 ए<sup>4</sup>

अनुच्छद 97 यायात्रीशामों की स्वतंत्रता

- (1) यायात्रीशाम स्वतंत्र हाग तथा सिप वानून के अधीन होगे।

1	मल 96 अनुच्छेद 18 जन 1968 के संघीय कानून द्वारा रद्द कर दिया गया (पड़रल ना गजट I प 658) वनमान 96 अनुच्छेद भूतात्त्व 96 ए अनुच्छेद है जो 19 मार्च 1966 के संघीय कानून (पड़रल ना गजट I प 111) द्वारा जोड़ा गया तथा—
6	मार्च 1961 के संघीय कानून (पड़रल ना गजट [प 14]) द्वारा।
18 जन 1968 के संघीय कानून	I प 658
12 मई 1969	I प 363
26 अगस्त 1969	I प 1357
द्वारा संघीय दिया गया।	
2	12 मई 1969
	द्वारा संघीय
3	26 अगस्त 1969
	द्वारा दोहरा ग।
4	मूल 96 अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया।

- (2) स्थापित पदों पर स्थायी तथा पूरकालिक रूप से नियुक्त यायाधीशों को सिवाय एक व्याधिक निरण या सिफ उही आधारों पर जिनकी कानून द्वारा व्यवस्था है उनके कायकान् वी समाप्ति से पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध न पदच्युत किया जा सकेगा न पद से स्थायी या भ्रस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सकेगा या नित पद दिया जा सकेगा अथवा अवकाश प्राप्त करने का कहा जा सकेगा । जीवन भर के लिए नियुक्त यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के सम्बन्ध में कानून द्वारा आयु की सीमा निर्धारित की जा सकती । यायाधीशों की सरचना या क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में यायाधीशों को प्राय यायालयों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा या पद से हटाया जा सकेगा बशर्ते उही पूरी तन्त्रवाह दी जाय ।

### अनुच्छद<sup>1</sup> 98 यायाधीशों की कानूनी स्थिति

- (1) एक विशेष सधीय कानून द्वारा यायाधीशों की कानूनी स्थिति नियमित की जायेगी ।
- (2) यदि एक यायाधीश अपनी शासकीय (आफिशियल) या भ्रासकीय (नान आफिशियल) हैंियत में इस वैसिक ला (संविधान) या एक लण्ड (राय) की संवधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है तो बुदेस्टान के निवेशन पर सधीय संवधानिक यायालय अपने दा-तिहाई बहुमत से निरण दे सकता है कि ऐसे यायाधीश को आय काय सौषा जाये या अवकाश प्राप्त करने को कहा जाये । जानवूक कर उल्लंघन किये जाने के मामले में उसको पदच्युत करने वा आदेश दिया जा सकता है ।
- (3) लेण्डर (राय) में यायाधीशों की कानूनी स्थिति का नियमन लण्ड के विशेष कानूनों द्वारा होगा । जहाँ तक अनुच्छद 74 ए का परिच्छद (4) भ्राय व्यवस्था नहीं करता सध यासन सामाय व्यवस्थाएं अधिनियमित कर सकता है ।
- (4) लेण्डर (राय) यह व्यवस्था कर सकते हैं कि लण्ड का यायमन्त्री यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के साथ लेण्डर (राय) के यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में निरण ले सकेगा ।
- (5) लेण्डर (राय) इस अनुच्छद<sup>2</sup> के परिच्छद (2) के अनुरूप नण्ड के यायाधीशों के बारे में व्यवस्था कर सकत है । वर्तमान लण्ड (राय) के संवधानिक कानून अप्रभावित रहेग । एक यायाधीश पर महाभियोग के मामले में सधीय यायालय का निरण देने का अधिकार होगा ।

<sup>1</sup> 18 मार्च 1971 के संवीक कानून (कहरन ता गवर्न । पृ 206) द्वारा दीक्षित है ।

<sup>2</sup> क्षी

अनुच्छद 99<sup>1</sup> लण्ड (राय) के कानूनों के सम्बन्ध में सधीय सबधानिक "यायालय" तथा सर्वोच्च सधीय यायालय की सक्षमता का निर्धारण

एक लण्ड के भीतर सबधानिक विवादों पर निराय के लिए लण्ड के कानून द्वारा मामला सधीय सबधानिक "यायालय" को हस्तातरित किया जा सकता है। उण्ड के कानून के लागू करने सम्बंधी मामले में लण्ड म अतिम अपील के बाद मामला अनुच्छद 95 के परिच्छेद (1) म उल्लिखित प्रवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च यायालयों में न जाया जा सकता है।

अनुच्छद 100 वेसिक ला (संविधान) के साथ सबधानिक कानून की अनुस्पता

- (1) यदि यायालय एक कानून को अपन निराय द्वारा असबधानिक मानता है तो उम कानून के निराय की कायदानी रोक दी जायगी तथा लण्ड के "यायालय" जो सबधानिक विवादों के सम्बन्ध म पसला देने म सक्षम हैं में यह निराय ग्राप्त किया जायेगा कि क्या लण्ड के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यह बात इस वेसिक ला (संविधान) पर भी आगू होगी कि क्या लण्ड के कानून से उमका उल्लंघन हो रहा है या एक लण्ड कानून सधीय कानून के अनुरूप है या नहीं।
- (2) यदि एक मुकदमे (लिटिगेशन) के दौरान यह मदेह उल्पन होता है कि क्या सावजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम सधीय कानून का अविभाय अग है तथा क्या ऐसा नियम यक्ति के लिए सीधे अधिकार तथा कतव्य (अनुच्छेद 25) का निराय करता है तो ऐसी स्थिति म "यायालय" सधीय सबधानिक "यायालय" से निराय ग्राप्त करेगा।
- (3) यदि एक उण्ड का सबधानिक "यायालय" इस वेसिक ला की व्याप्ता करते भय म सधीय सबधानिक "यायालय" या अंतर्य उण्ड के सबधानिक "यायालय" से निराय से हटने का इरादा करता है तो उसे सधीय सबधानिक "यायालय" से निराय ग्राप्त करना चाहिए।

अनुच्छद 101 असाधारण यायालय पर प्रतिबन्ध

- (1) असाधारण "यायालय" अस्वीकाय हाग। किसी भी व्यक्ति को उमम मम्बद्ध "यायालय" के कानूनी क्षेत्राधिकार से बचित नहीं किया जा सकेगा।
- (2) सिफ कानून द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए "यायालय" की स्थापना भी जा सकेगी।

अनुच्छेद 102 मृत्यु उण्ड का अत

मृत्यु-उण्ड का अत वर निया जायेगा।

1 18 जन 1968 के सधीय वा न (प्रखल ला नं 1 प 658) भारत संसदिक वा।

2 वरी

## प्रत्येक 103 यायालयों में मूलमूल अधिकार

- (1) प्रत्येक वक्ति को कानून के प्रतुभार यायालय में निवेदन करने व सुने जाने का अधिकार है।
- (2) किसी काय के लिए निक तमी सजा दी जा सकती है जबकि वह काय किये जाने से पट्टन बसा कोई कानून नहीं।
- (3) सामाजिक अपराध-कानून के अन्तर्गत किसी को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।

## प्रत्येक 104 स्वतंत्रता से वचित करने की स्थिति में कानूनी गारटी

- (1) सिफ एवं औपचारिक कानून के अन्तर्गत उसकी निर्धारित सीमा का उचित विचार करते हुए विसा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। हवालात में रख व्यक्ति के साथ मानसिक व शारीरिक दुष्प्रवहार नहीं किया जा सकता है।
- (2) सिफ यायाधीश हो किसी को निरन्तर स्वतंत्रता से वचित करने की स्वीकार्यता (एडमिसिविनिटी) पर निराय कर सकते हैं। जहां ऐसा वचन (डिप्राइवेशन) किसी यायाधीश के आदेश पर यायाधीश नहीं है वहा विना दर विये एक यायिक निराय प्राप्त किया जाना चाहिए। पुलिस अपने स्व के अधिकार व अन्तर्गत किसी व्यक्ति का अपनी हिरासत में उस दिन में अधिक नहीं रख सकती जिस तिन उस गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित होगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करने के सदृश म अस्थायी तौर स हिरासत म लिया गया है उस गिरफ्तारी के दृमे जिन यायाधीश के सम्मुख लाया जाना चाहिए यायाधीश उस व्यक्ति को हिरासत के बारण की मूलना देगा उसके वयान नेगा तथा उस आपत्ति उठान का अवसर देगा। यायाधीश को विना दर विय या ता कारणों सहित गिरफ्तारी का बारट जारी करना चाहिए या उस हिरासत से मुक्त करना चाहिए।
- (4) हिरासत म निये गये व्यक्ति के विसी सम्बंधों या विश्वमनीय किसी यायिक निर्णय की सूचना व्यक्ति के विना दर किय देनी चाहिए जिसम उसको स्वतंत्रता से निरन्तर वचित करने का आदेश हो।

## X वित्त

प्रत्येक 104 ए<sup>2</sup> याय का विभाजन—वित्तीय सहायता

- (1) जिस सीमा तक यह वेनिक ला (सविधान) याय अधिकार नहीं करता सभ जागत तथा लेण्डर (राया) अपने अपने कायों के सम्पादन के लिए होता वारे अप्य भार का अन्तर्गत बहन वरेंगे।

<sup>1</sup> 12 अद्य 1969 क शायोव कानून (स्टर्ट सी गाट I पृ 359) द्वारा बोला गया।

- (2) जन नगर सघ शासन के एक के स्थ में काय करने हैं वहाँ उमके परिमाम स्वन्प होने वाले व्यय भार का बहुत सध शासन करेगा।
- (3) नगर क माध्यम में घनन्काय के विनागा विनानन में मर्वर्ड-प्रत मध्याय कानून के कायान्वयन के बारे में यह व्यवस्था की जा सकता है कि ऐसा नियम पूर्णरूप से या आशिक रूप में सध शासन तारा नह प्राप्त की जायगी। जहाँ वाइ कानून यह व्यवस्था करता है कि सध शासन आधा या नायगी। जहाँ वाइ कानून यह व्यवस्था करता है कि नगर सप्त शासन के एक के स्थ में उमम अधिक व्यय भार उपर्यागा वहाँ नगर सप्त शासन के एक के स्थ में उमम अधिक व्यय भार उपर्यागा वहाँ नगर सप्त शासन के एक के स्थ में उमम अधिक व्यय भार उपर्यागा। जहाँ वाइ कानून एसा व्यवस्था करता है कि नगर एक-चौदा या उमम अधिक व्यय भार बहुत कर्या उमके तिन द्वारा सुगठ की स्वाहृति अनिवाय होगी।
- (4) सध शासन नगर को या कम्यूना या कम्यूना के सध का उनके तारा विवाय मन्त्र के पूजी विनियान में वित्तीय महापता दणा वार्ते ऐसा पूजी विनि यानन समग्र आधिक मनुनन मन्त्रत गन्वर का नह करने या मध्याय गन्वर म आधिक विषमता को मिनावर समन्पना उन या आधिक विवाय का प्रासान दन के लिए आवश्यक हो। विम्नून व्योरा विवाय पूजा विनि यानन के विविध प्रकार जिन प्रामाहित करना हो का नियमन एक सधाय वानून तारा नागा। द्वैमराट की स्वाहृति या मध्याय उमके पर आधारित प्रासानिक व्यवस्था तारा उमका नियमन होगा।
- (5) सध शासन तथा नगर अपन अपन अधिकारिया तारा विय सध छाय का भार उठायें तथा प्रासान का चित सचावन करने के लिए एक-द्वैमर के प्रति उत्तरदाया होगे। विम्नून विवरण एक मधीय कानून तारा नियमित होगा उमके लिए तुम्हराग का स्वीड़ति अनिवाय नागा।

#### अन्यथा 100 चुगा तुक एकाधिकार कर-कानन

- (1) सध शासन का चुगी के मामना तथा वित्तीय एकाधिकार के बारे में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार नागा।
- (2)<sup>1</sup> सध शासन का आप मद करा के बारे में जिसम उम पूरा या आधिक रूप में रातम्ब प्राप्त होता है या जिन पर अनु- 72 (2) म प्रत्यक्ष जने ताहु होता है कानून बनाने का भमवर्ती अधिकार होगा।
- (2)<sup>2</sup> नगर का स्थानीय आपकारा करा के बारे में उम मीमा तक कानून बनाने का अधिकार होगा जिस सामा तक व सधाय कानून तारा लगाय गय करों क समान नहा है।

1 12 म 1969 क सधीय कानन (फलाम ना गद्द 1 प 349) 111 स्वोधित रूप द्वैमर या।  
2

- (3) उन करों में सम्बद्ध सधीय कानूनों के लिए जो पूर्णतः या आशिक रूप से लेण्डर या कम्यूना या कम्यूनों के साथ सम्बद्ध होते हैं तुन्देसराट वौ स्वीकृति का आवश्यकता होगी।

### अनुच्छेद 106<sup>1</sup> कर आय का विभाजन

- (1) वित्तीय एकाधिकार की आमदनी की प्राप्ति तथा निम्नावित करा से प्राप्त राजस्व साध शासन को मिलेगा
- (i) चुंगी शुद्ध
  - (ii) आवाकारी-कर जहा तक वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुवर्ती लेण्डर को प्राप्त नहीं होता है या व्यक्ति अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुसार साध शासन व लेण्डर दोनों को या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (6) के अनुसार कम्यूनों या कम्यूनों के साथ को प्राप्त नहीं होता है।
  - (iii) माग-हुलाई कर
  - (iv) पजी हस्तातरित कर वीमा-कर तथा विनिमय के विपत्र (Bills) तथा डापटस
  - (v) सम्पत्ति पर अनावर्ती उगाही (Non recurrent levy) वोक्फ का सम्बरण (equalization of burden) मम्बधी कानून के कार्यावयन के उद्देश्य से लागू अवादान (Contribution)
  - (vi) आय तथा नगम अधिकार
  - (vii) यूरोपीय समुदाय के ढांचे के अनुगत परिवय
- (2) लेण्डर को निम्नलिखित करों से राजस्व प्राप्त होगा —
- (i) सम्पत्ति शुद्ध मूल्य (net worth) कर
  - (ii) उत्तराधिकार कर
  - (iii) मोटरवाहन-कर
  - (iv) सीदो पर ऐसे कर जो व्यक्ति अनुच्छेद (1) के अनुवर्ती भय शासन को प्राप्त नहीं होता या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुवर्ती समुक्त रूप से साध शासन व लेण्डर को प्राप्त नहीं होता
  - (v) वीयर पर कर
  - (vi) जमाधरो पर कर

1 23 दिसम्बर 1955 के संघीय वानन (फ्रंटर ला गजट 1 पृष्ठ 817)

24 दिसम्बर 1956

1077) वया

12 मई 1969

359) द्वारा संशोधित वर

2 उदाहरणाप्रय — उन व्यक्तियों पर लागू अवादान जिन्हें युद्ध से शक्ति न रखी हो मेरा व्यवहार दिया जायेगा तिहें युद्ध से लानि रखी हो। इस प्रवार वाय का समरण (equalization) हो देक्ता।

(3) आयकर से प्राप्त राजस्व नगम तथा पण्यावतकर (Turnover Tax) मयुक्त रूप से सध शासन व लेण्डर का प्राप्त होगे उस सीमा तक जहा तक इस अनुच्छेद (5) के परिच्छेद (5) के अनुवर्ती आयकर से प्राप्त राजस्व वम्बूनो का आवटित नहीं किया गया है। सध शासन तथा लेण्डर आयकरा तथा नगम करा का समान रूप से आपस म बाटा। पण्यावतकर (Turnover Tax) मे प्राप्त आय का सध शासन तथा लेण्डर का अपना अपना अश एक सधीय कानून नारा निर्धारित होगा जिसके लिए बुद्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसा निवारण निम्नान्वित सिद्धान्त पर आधारित होगा —

- (i) सध शासन तथा लेण्डर को अपने अपने आवश्यक यथ के लिए बनान राजस्व से प्राप्त राशि पर भान नावा होगा। ऐसे यथ की भीमा एक बहुवाहिक वित्तीय योजना (Pluri annual Financial Planning) की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।
- (ii) सध शासन तथा लेण्डर के निए आवश्यक राशि का इस प्रकार भभवित किया जाय कि एक उचित सानुन स्थापित हो भक वरदाता पर अधिक वर भार का निवारण किया जाय तथा भधीय क्षेत्र मे जीवन स्तर की एक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सक।

(4) पण्यावत वर (Turnover Tax) से प्राप्त आय म सध शासन व लेण्डर के अपने अपने अश का उस समय नय प्रदार मे विभाजित किया जायगा जब राजस्व तथा खच का आपसी मम्बाच सध शासन म लेण्डर स तावत मिल विभित होता है। जहा सधीय कानून अतिरिक्त खच घोपता है या लेण्डर म राजस्व वापस नहा ते वहा अतिरिक्त भार को सधीय कानून के अन्तर्गत सधीय अनुदान नारा पूरा किया जायेगा जिसके लिए बुद्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी वशने कि एसा अतिरिक्त भार थोड मम्ब तक सामित रहता है। ऐसे कानूनो नारा के सिद्धान्त सामन रख जायेगे जिनक द्वारा एम अनुदान का परिकलन (Calculation) तथा लेण्डर (रायो) म वितरण किया जा सक।

(5) आयकर से प्राप्त आमदनी का एक हिस्मा वम्बूना का लेण्डर द्वारा किया जायगा यह लेण्डर के निवासिया से प्राप्त आयकर व आधार पर किया जायेगा। अम्बा विस्तृत व्योरा एक सधीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा जिसके लिए बुद्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसे कानून यह व्यवस्था की जा सकती है कि वम्बून अपन ममुताय के हिस्मे पा निर्धारित स्वय करेगा।

(6) वास्तविक मम्बति तथा व्यापार वरा से प्राप्त आय वम्बूनो का प्राप्त होगी स्थानीय आवकारी वरो से प्राप्त आय वम्बूना का मिस्मी या नम्ब (राय) मम्बानीय आवकारी वरो से प्राप्त आय वम्बूना का मिस्मी या नम्ब (राय)

कानून द्वारा व्यवस्थित होने पर कम्यूना के सघ का प्राप्त होगा। कम्यून बेटामान कानूनी दाच के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति व व्यापार पर लगाये गए करा के बार म निर्धारण करने के अधिकारी होग। जहा एक नृ० म ऐसे कम्यून न हैं वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार करो के माथ ही साथ स्थानीय आबवारी करो से प्राप्त आय लण्ड का मिलेगी। सघ नासन तथा लण्डेर एक महसूल (Impost) के निर्धारण नारा यापार कर स होने वाली आय मेरि स्मदारी ल सकेंगे। ऐसे महसूल के बार म विस्तृत विवरण एक सधीय कानून नारा नियमित होगा जिसके लिए नुट्टेसराट की स्वीकृति जहरी होगी। नृ०-कानून के दाचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार पर करो तथा साथ ही आपकर म कम्यून के हिस्से का आधार मानकर ऐसे महसूल का हिसाब किया जायगा।

- (7) लण्ड के हिस्से म आने वाली समस्त आय तथा समग्र (Over all) समुक्त करा का विशेष प्रतिशत जो नृ० कानून द्वारा निर्धारित किया जायगा कम्यून तथा कम्यूनो के सघ को प्राप्त होगा। आय सब मामला म लण्ड कानून यह निश्चय करेगा कि क्या और किस सीमा तक लण्ड करा से प्राप्त आय कम्यूना तथा कम्यूनो के सघो को मिलेगी।
- (8) यदि कि-ही लण्ड (रायो) या कम्यूनो या कम्यूना के सघो म सध शामन विशेष सुविधा की स्थापना करता है जिसस सोध इन लण्ड या कम्यूनो या कम्यूनो के सघो के खच म वढ़ि होती है या उन्हें आय (विशेष मार) म नुव्व मान होता है तो सध शासन आवश्यक मुग्रावजे की स्वीकृति तभी देगी जब ऐसे नेण्डर या कम्यून और कम्यून के सघ से तकसम्मत दण से ऐसे विशेष मार (आय) का उठाने की आशा नहीं की जा सकती। एस मुग्रावजे की स्वीकृति देत समय तृतीय-पन की क्षतिपूर्ति (Third Party Indemnity) तथा लण्ड या कम्यूनो या कम्यूना के सघो को एसी सास्याद्वारा की स्थापना म होने वाले वित्तीय नामा की सुविधा का उचित हिसाब रखा जायगा।
- (9) अब अनु-दृ० के प्रयोजन हेतु कम्यूनो तथा कम्यूना के सघो की प्राप्त तथा व्यय के नृ० के आय का “य भान, जापे”।

#### अनुदृ० 107<sup>1</sup> विशेष समक्षरण

- (1) जिस सीमा तक नृ० कर तथा आय तथा नगम कर राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रेषा (स्थानीय आय) से बमूल किय जान हैं उम्मीमा तक वे कर उस विशिष्ट नष्टेर को प्राप्त होते। नगम कर तथा वेतन

<sup>1</sup> 23 दिसंबर 1955 के हथीय शान (फाइर सी गड्ड I पृष्ठ 817) तथा

(Wags) कर स प्राप्त म्यानीय आय के आवटन तथा परिसीमन के बारे में विस्तृत व्यौरे की व्यवस्था एक सधीय कानून द्वारा की जा सकती है जिसके लिए बुन्सराट की स्वीकृति जरूरी होगी। ऐसे कानून द्वारा अचय करा से प्राप्त म्यानीय आय का परिसीमन तथा आवटन भी हो सकता है। पण्यावत कर प्राप्त म्यानीय आय का परिसीमन तथा आवटन भी हो सकता है। पण्यावत कर (Turnover Tax) से होने वाली आय के हिस्से में नेण्ट के हिस्से के निर्वारण प्रति व्यक्ति औसत (Per Capita) के आधार पर होगा।

लण्ड करो तथा आय तथा नगम करा की व्हिट से जिन नेण्ट र (राया) की प्रति व्यक्ति औसत आय सभी लेण्डर की सायुक्त आय के औसत से बहुत है उह एक सधीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्सराट की स्वीकृति जरूरी है पूरक हिस्मा (Supplemental Share) निया जा सकेगा जा उम लण्ड की आय के एक चौथाएँ हिस्से से अधिक नहीं होगा।

- (2) सधीय कानून वित्तीय व्हिट से असमृद्ध तथा समृद्ध नेण्टर (रायो) के मध्य तक सम्मत वित्तीय समक्षरण का सुनिश्चित करेगा ऐसा करत समय कम्यूना तथा कम्यूनों के सधा की वित्तीय क्षमता तथा आवश्यकताओं का उचित हिसाब रखा जायेगा। ऐसे कानून में नेण्डर के समकरण सम्बाधी दाव विस नेण्टर द्वारा वित्तीय समकरण के अत्यंत मुगतान किया जायेगा किन नेण्डर को वित्तीय समकरण की स्थापना के लिए समकरण मुगतान देना होगा उनके साचालन सम्बद्धी शर्तों का विशय रूप में उल्लेख होगा उनके साथ ही समकरण मुगतान की राशि के लिए मानदण्ड निर्धारित किया जायगा। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था सभी की जा सकती है कि सधीय कोय से सध ज्ञासन असमृद्ध लेण्डर को उनकी आम वित्तीय जरूरत की पूर्ति के लिए अनुदान देगा जो बोटि पूरक अनुदान (Complemental grant) होगा।

#### अन्यथा 108<sup>1</sup> कर सम्बद्धी प्रशासन (Fiscal Administration)

- (1) चुंगी शुक्र वित्तीय एकाधिकार आवारारी कर सधीय कानून के विभाग होगे इसमें आयात पर आवारारी कर सभी शामिल हैं साथ ही यूरोपीय भमुदाय के ढाचे के अत्यंत लगाये गये शुक्र भी सधीय राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासित होंगे। उन अधिकारियों का गठन सधीय कानून द्वारा नियमित होगा। मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनके सम्बद्ध में उससे सम्बद्धित लेण्डर से सकाह नी जायगी।
- (2) अचय सभी कर लण्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासित होंगे। इन कार्यालयों का गठन तथा उनके कम्चारियों के प्रशिक्षण की एक स्थापता के लिए सधीय कानून बनाया जा सकता है जिसके लिए बुन्सराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

<sup>1</sup> 12 मई 1969 के सधीय कानून (फड़रल लॉ गवर्न 1 पृष्ठ 359) द्वारा गोदित है।

जा। मन्दिरों न्तर पर मुन्द्र अधिकारी जा नियुक्ति सुनाय सरकार को नहीं है वह जानी।

- (3) जिस सीमा तक कर पूर्व या आर्थिक न्य सुनाय सुनाय का प्राप्त होते हैं वहमा उनका प्राप्त होने वाले राजस्व द्वारा देता है जो नन भाषा तक या अधिकारी का नामन व एवल व न्य में दाय करते। अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (3) तथा (4) वन सम्बद्ध में नाम और नाम भाषा वाले राजस्व द्वारा वन में सुनीय दिनभात्री दाय दरण।
  - (4) का क प्राप्त होने के सम्बद्ध में साय कानून द्वारा दिनक लिए बुन्देलहार का स्वाहृति आवाहन जानी साय नपा तारे राजस्व अधिकारी के भव्य नहीं होता का वाचम्या दा जा सुनाय है या इन अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुच्छेद ग्राम वरों का प्राप्त होने वाले राजस्व अधिकारी का सुनाय या सुनाय है या अन्य वरों के दार में यह एता दरण न किसी सीमा तक कर जानूनों के दायावदयन में सुविधा हो सा प्राप्त होने वाले राजस्व अधिकारी का दिया जा सकता है। जहा उक उन वरों तथा आय का प्राप्त होता है उनका नामन वन्मूलों दा वन्मूलों के सामों का प्राप्त होता है उनका नामन लग्ने द्वारा पूर्व या आर्थिक तौर पर तारे राजस्व अधिकारीग्या सुनकर कम्मूलों दा वन्मूलों के मामों का जाना होता है।
  - (5) तारे राजस्व अधिकारी जा प्रक्रिया जानाएं वह आय कानून द्वारा प्रमुख जी जानी। नाम राजस्व अधिकारीग्या दा जाना कि उन अनुच्छेद के परिच्छेद (4) न दिवार प्रमुख दिया है उनक अनुसार कम्मूलों तथा वन्मूलों के एध द्वारा वह प्रक्रिया जानू जी जा सकता है उनक लिए साय कानून दिनाया जा सकता है दिनक लिए बुन्देलहार का स्वाहृति जहरा होती।
  - (6) कर प्राप्त होने वालाओं का अत्राधिकार नामा कानून आग एकत्रान नियन्ति होता।
  - (7) आय नस्वार दर साना तक दरमान नामन नियम जाना के सुनाय दिन साना तक राजस्व अधिकारी या कम्मूलों दा वन्मूलों के साथ एरा प्राप्त होने वाले यह उन दिन बुन्देलहार की खाहनि आवाय होता।
- अनुच्छेद 109<sup>1</sup> से गामन तथा लड्डर के लिए अनेक प्रत्यावरण होता
- (1) कर प्राप्त होने के सम्बद्ध में नामन व नाम एकत्रान सम्बद्ध तथा वन्मूल होते।
  - (2) नामन तथा नाम दिन दर साना में मन्द्र आधिक भन्नन की आवाय दिन दर सुनुचित छान रहते।

- (3)<sup>1</sup> बजट सम्बंधी कानून कर प्रशासन का आर्थिक प्रबत्तियों से जाइत तथा आगामी कई वर्षों के लिए वित्तीय योजना के सचानन के लिए संघीय कानून द्वारा मिदात निधारित किये जा सकते हैं जो सध शासन व नण्डर दोना पर लागू होग उस बानून के लिए तुर्केसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (4) समग्र आर्थिक सत्रुतन म उत्पन्न गन्डडी को दर करने की अट्ट संघीय कानून जिसके लिए दु सराट का स्वीकृति आवश्यक है का निमारा किए जा सकता है जिसम निमारित कर प्रावधान किया गा नकता है —
- अधिकतम राशि सावजनिक अधिकृत संस्थाना चाहे व नीतीय हो या नियाशील द्वारा उपलब्ध होने की शर्ते व समय तथा
  - जमन कफरन (संघीय) दक म सध शासन तथा लेण्डर नारा व्याज मुक्त राशि (आर्थिक प्रबत्तियों के मुकाबले व लिए जमा पड़ी) जमा करने का दायित्व

उपर्युक्त अध्यात्मों जो कानून के समान शर्ति से युक्त होगे के निमारण तथा घोषणा का अधिकार सिफ संघीय सरकार को होगा। ऐस अध्यात्मों के लिए दु सराट की स्वीकृति अनिवाय होगी। यदि तुर्केसराट माग नकती हो तो उह निरस्त किया जायगा विस्तृत विवरण नीतीय कानून नारा नियमित नगा।

### अनुच्छेद 110 सध शासन का बजट

- सध शासन की समस्त आय तथा खर्च बजट म सम्मिलित होगी संघीय उद्यमों (enterprises) तथा विशेष निधि (special fund) के संधर मे सिफ विनिधान (allocation) तथा उनमे निवारी गर्भ रक्षण का बजट म शामिल करना आवश्यक होगा। आग तथा अर्थ नी अट्ट मे बजट सतुरित होना चाहिए।
- बजट की स्थापना एक कानून द्वारा होगा जिसम एव वप या कई वित्तीय वर्षों व लिए अनग प्रावय बजट का यव या होगी यह व्यवस्था उन वित्तीय वर्षों म स प्रथम वप के आरम से पूर्व की जायगी। बजट के कुछ दिसा के लिए एमी व्यवस्था की जा सकती है कि वे अनग अनग अवधि म नागू जोगे नदिन उनके वित्तीय वर्षों म विभाजित किया जायगा।
- उस अनुच्छेद के परिच्छेद ( ) के प्रथम वाक्य के अर्थों म निमित विधयका माय ही बजट कानून तथा बजट मे सांगोधन संघीय विधयक) का एक माय तुर्केसराट व बुर्जस्टाग म पेश किया जायेगा तुर्केसराट का अधिकार होगा कि

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (क बरस सा बजट 1 पृष्ठ 357) दारा स गो थन दर

2 वही

वह द्य सप्ताह की प्रवधि म और यदि वह विधेयका म सशोधन चाहती है तो तान सप्ताह के भीतर अपनी राय घ्यक्त कर।

- (4) बजट कानून मे सिक सध शासन व आय तथा व्यय तथा उसकी प्रवधि जिसके लिए बजट कानून बनाया गया है सम्बद्धी व्यवस्थाएँ ही हो सकती हैं। बजट कानून यह अनुबंध कर सकता है कि उसको कुछ निश्चित व्यवस्थाएँ सिक उसी ममय समाप्त हायी जब आगामी बजट की घोषणा होगा। अनुच्छेद 115 के अनुवर्ती प्राप्त अधिकार की स्थिति म वे निश्चित व्यवस्थाएँ बाद की तिथि तक भी जारी रह सकती हैं।

#### अनुच्छेद 111 बजट की स्वीकृति से पूर्व भगतान

- (1) यदि वित्तीय (Fiscal) वय के अत तक आगामी वय के लिए कानून द्वारा बजट की व्यवस्था नहीं हुई है तो जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता सध-सरकार वे सभी मुगतान कर सकती हैं जो जरूरी हैं। य मुगतान निम्न विषयों से सम्बद्ध हाय—
- (अ) कानून द्वारा निर्मित स्थाया के पोपण तथा कानून द्वारा प्रधिकृत कार्यों के पात्रता हतु
  - (ब) सध शासन के साविधिक (Statutory) अनुबंधात्मक तथा सध्यात्मक दायित्वों के पात्रता करन के लिए
  - (स) निर्माण-काय योजनाओं कानूनी तथा आय सवालों का चाल रखने के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृति जारी रखने वश्वते वि पिछल वय व बजट म उनक लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई हो
- (2) जिस सीमा तक विशिष्ट कानून द्वारा आय की व्यवस्था है तथा उस वर्या शुक या आय अधिकार अथवा माधनों या कायकारी पूँजी विधि (Working Capital Reserve) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (इसम इस अनुच्छेद क परिच्छेद (1) मे वर्णित व्यय शामिल नहा हाना चाहिए) उस सीमा तर एसी स्थिति म वतमान काय-सचालन व निए सरकार उन मतों म स आवश्यक राशि उधार ल सकती है। इस राशि की अधिकृतम सीमा पिछल बजट वी ममस्त राशि वी एवं चौथाई हायी।

#### अनुच्छेद 112<sup>1</sup> बजट प्रनुभानों से अधिक व्यय

बजट विनियोग से अधिक व्यय तथा बजट क अतिरिक्त व्यय क लिए सीधे वित मन्त्री का स्वीकृति आवश्यक हायी। ऐसी स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब

बोई अत्यावश्यक या अभूतपूर्व आवश्यकता उठ खड़ी हुई हो । विस्तृत विवरण सधीय कानून द्वारा नियमित किया जा सकता है ।

### अनुच्छेद 113<sup>1</sup> यथ मे बद्धि

- (1) उन कानूनों के लिए सधीय-सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें सयोष सरकार द्वारा बजट के यथ मे बद्धि का प्रमताव हा या भविष्य में नय खच की सम्मावना हो । यह बात उन कानूनों पर भी लागू हागी जा सकती या भविष्य में कभी की सम्मावना सम्भव होगे । सधीय सरकार बुद्देस्टाग से कह सकती है कि ऐसे विधेयकों पर मतदान स्थगित कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में सधीय सरकार छछ सप्ताह के भीतर अपनों राय बुद्देस्टाग के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ।
- (2) बुद्देस्टाग द्वारा ऐसे विधेयक पर मतदान के चार सप्ताह की अवधि के भीतर सधीय सरकार पुन उस विधेयक पर मतदान के लिए कह सकती है ।
- (3) यदि अनुच्छेद 18 के अनुवर्ती कार्य विधेयक कानून बन गया है तो सधीय सरकार सिफ छछ सप्ताह के भीतर उस पर अपनी स्वीकृति राख सकती है । यह वह तभी कर सकती है जब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) क अत्यंत दी गई प्रतियों को पूरा कर ने । इस अवधि की समाप्ति पर यह माना जायगा कि स्वीकृति दे दी गई है ।

### अनुच्छेद 114 हिमाचल आडिट प्राफिस (नेत्रा परीक्षा कार्यालय)

- (1) सधीय सरकार की ओर से सधीय वित्त मंत्री प्रतिवेद बुद्देस्टाग तथा बुद्देस्टाग की स्वीकृति के लिए उनके सम्मुख पिछ्ले वय का भाष्य यथ और सम्पत्ति करण का दिसाव प्रस्तुत करेगा ।
- (2) सधीय लेखा परीक्षा कार्यालय (आडिट प्राफिस) जिसके म स्थानों को यांत्रिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी मिन्हियिता तथा बजट के सही-मही खच की दृष्टि से बजट के प्रावधानों की परीक्षा करेगा । सधीय लेखा परीक्षा कार्यालय प्रति वय सीधा सर्वेषां संस्कार के साथ ही स श बुद्देस्टाग यथ बुद्देस्टाग के मे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । यथ सभी मामलों म सधीय लेखा परीक्षा कार्यालय की शक्तियों का नियमन एवं सधीय कानून द्वारा होगा ।

### अनुच्छेद 115<sup>2</sup> ऋण की प्राप्ति (Procurement of Credit)

- (1) आगामी वित्तीय वर्षों मे म होने वाले व्यय के परिणामस्वरूप राज्य

1 12 मई 1969 के दशीय कानून (फृडल ना गवर्नर 1 पृष्ठ 357) द्वारा वर्गीत करा ।

2 12 मई 1969 के सधीय कानून (फृडल ना गवर्नर 1 पृष्ठ 357) द्वारा वर्गीकृत करा ।

3 12 मई 1969 के दशीय कानून (फृडल ना गवर्नर 1 पृष्ठ 357) द्वारा वर्गीकृत करा ।

उधार ना बचन-पत्र वितरित करना गारणी दना या आय प्रतिना करना आनि क निए एक सभीय विधायकी प्राधिकरण की आवश्यकना हाना जा यह अधिकार लेगा कि अधिकतम कितनी रोशि दृष्टि क दृष्टि म ली जा सकता है। उधार स प्राप्त आय बजट म ममस्त व्यय क निए की गई व्यवस्था म अधिक ननी होगी सिफ समग्र आर्थिक मतुरन म होत वानी महबड़ी का दूर करन क निए अपवान-रूप म अन्य व्यवस्था की स्वीकृति दी ना सकती। विन्मृत विवरण एक सधीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

- (2) सधीयासन की विषय निधि (Special Fund) क मामल म इस अनुच्छेद के परिच्छद्व (1) म उल्लिखित अपवाद व्यवस्था क निए सधीय कानून द्वारा अधिकार किया जा सकता है।

### इसका ए प्रतिरक्षा की स्थिति

अनुच्छेद 115 ए प्रतिरक्षा की स्थिति का निर्धारण

- (1) बुन्देस्टाग बुन्देसराट की स्थावृति स यह निश्चय करगी कि सधीय प्रेषण पर सशस्त्र सना स हमना हा रहा है या एस आक्रमण की सीधी आका (प्रतिरक्षा की स्थिति) है या नहा। एसा निश्चय सधीय सरकार की प्राप्तापर किया जायगा और इसके निए कुन डाने गय भता का दा तिहाई बहुमत जहरी हाना जा कम म कम बुन्देस्टाग की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत भी होगा।
- (2) यदि स्थिति अनिवायत तत्काल वर्तम उठाने की माग करती है तथा बुन्देस्टाग की बढ़क का समय पर आयोजित करने म अनध्य बाधाए हैं या बुन्देस्टाग म गण-पूर्ति (होरम) नहा तो सयुल समिति अपन कुन डाने गय भता क दा निहाई बहुमत स जा कम स कम कुन मन्द्यों का बहुमत मा हाना इसका निश्चय करगी।
- (3) अनुच्छेद 82 क अनुसार राष्ट्रपति आरा इन निश्चय का फडरल लो गजट (सधीय कानून राजपत्र) म घायित किया जायगा यदि समय पर यह सम्भव नही है तो अन्य विधि स घायणा की जा सकती जिसे वार म जितना जनी सम्भव हो सधीय राज-पत्र म प्रकाशित किया जायगा।
- (4) यदि सधीय प्रेषण पर मास्त्र मनार्थो द्वारा हमना हाना है और यदि सप शामन क समय अग रम अनुच्छेद क परिच्छद्व (1) के प्रयम वाक्य में दी गई व्यवस्था क अनुमार तत्काल निश्चय नन की नियन्ति म न हा तो जिन समय

1 समस्त दसवां ए- दद्द 24 जन 1968 के सधीय कानून (फारल लो गज 19 711) आय ओड़ा ददा।

हमला आरम्भ होता है उसी समय यह मान निया जायेगा कि एसा निष्पत्य हो चुका है।

- (5) जब प्रतिरक्षा का स्थिति के अस्तित्व का निवारण हो जाना है तथा उस घोषित कर निया जाता = और यदि सधीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना द्वारा आत्मरामण होता है तो राष्ट्रपति बुनेस्टाट का महमति से एसा प्रतिरक्षा की स्थिति के अस्तित्व के बारे में आतंगीय हृति से वध घोषणा जारी करेगा। तब इस अनुच्छेद (2) के परिच्छेद (2) के अधीन संयुक्त समिति बुनेस्टाट का प्रतिनिधित्व करेगी।

#### 114 शो-प्रतिरक्षा की स्थिति में नियन्त्रण की शक्ति

प्रतिरक्षा की स्थिति का घोषणा के उपरात सशस्त्र समाजों पर समान्तर की शक्ति चामलर के हाथ में आ जायगी।

#### 115 सी-प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में सभा-सत्र की विधायी क्षमता

- (1) सभा शासन का कानून नियमण नारा यहा तक अधिकार होगा कि वह नेश्वर की विधायी क्षमता से मन्वद्वय विषयों पर भी समवर्ती कानून बना सके। ये कानून प्रतिरक्षा की स्थिति आरम्भ होने पर तागू होग। ऐसे कानूनों के त्रिंग बुनेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (2) जब प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होनी है तो उस सीमा तक जब तक प्रतिरक्षा की विधिति विद्यमान रहती है। निन आवश्यक मामलों पर सधीय सरकार का कानून बनान तथा तागू बनाने का अधिकार होगा वह इस प्रकार है—
- (i) सम्भति हरए की स्थिति में नियंत्रण वान वान प्रारम्भिक मुआवज दन के सम्बन्ध में और इस प्रकार अनुच्छेद 14 के परिच्छेद (3) के नितीय वाक्य से विचरित होगा।
  - (ii) अनुच्छेद 104 के परिच्छेद (2) के तीसरे वाक्य व पर्याद (3) के प्रथम वाक्य से विचरित या दिरोधी हानि की स्थिति में यदि काड़ यायाधीश सामाजिक समय में लागू नियम के आधार पर वाय नहा कर पाता है तो किसी न्यूति का स्वतंत्रता से विचित रखा जा सकता है अब अवधि 4 में से अधिक नहीं होती।
  - (3) प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न हानि पर प्रावश्यकतर या आसन खतर का नहा करने के लिए एक आवश्यक सधाय बानून नारा जिसके लिए बुनेसराट का स्वीकृति आवश्यक है लेक्कन यार आरए नदा नम के कानूनी प्रावश्यक संग कर सभा शासन तथा लेण्डर की प्रशासन-व्यवस्था का विचरित बनाये गये प्रवध्या व प्राप्तमन नियमित किया जा सकता है वहाँ कि उम्मम लेण्डर तथा कम्यून।

और कम्यूना के सघ की जीवन-समता विशेषता कर प्राप्तन के मामलों की सुरक्षा हा सके।

- (4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के उप परिच्छेद (1) तथा परिच्छेद (2) के अनुसार निर्मित कायान्वयन के उद्देश से तथार किय गये संघीय कानूनों को प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने स पूर्व मीलागू किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 115 डा-** प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि मे अत्यावश्यक विधयकों के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया

- (1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हा तब अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (2) अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (1) तथा (4) से (4) अनुच्छेद 78 तथा अनुच्छेद 82 के परिच्छेद (1) की व्यवस्थाओं के बावजूद संघीय कानूनों के मामले मे इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) तथा (3) की व्यवस्थाए लागू होगा।
- (2) जिन विधयकों वो अत्यावश्यक रूप स मध्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है व बुन्देस्टाग वो भजे जायेंगे तथा उसी समय बुन्देस्टाट मे भी प्रस्तुत विधि जायेंगे। बुन्देस्टाग तथा बुन्देस्टाट विना देर किये समान रूप से ऐसे विधेयकों पर वहस करेगी। ऐसे विधयक के कानून बनने के लिए बुन्देस्टाट की बहुमत स स्वीकृति आवश्यक है। विस्तृत विवरण बुन्देस्टाग जारा स्वीकृत काय विधि के नियमों द्वारा नियमित होगा जिनके लिए बुन्देस्टाट की सहमति भी आवश्यक होगी।
- (3) ऐसे कानूनों का जारी करने के सम्बन्ध मे अनुच्छेद 115 ए के परिच्छेद (3) का दूसरा वाक्य यथाचिन परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होगा।

**अनुच्छेद 115 इ-समुक्त समिति का पद तथा काय**

- (1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है और यदि समुक्त समिति कुल डाने गए मतों के दो तिहाई मतों से (इसम कम स कम सदस्यों का बहुमत होता जाहरी है) तथ वरती है कि बुन्देस्टाग के समय पर वर्त्त बुन्दान म अलग्य बाध्याए हैं या कि बुन्देस्टाग म झोरम (गल पूति) नही है तो समुक्त समिति को बुन्देस्टाग व बुन्देस्टाट दाना वा प्राप्त होगा तथा वह उनके प्रधिकारा वा प्रयाग करेगी।
- (2) समुक्त समिति इस विविध लावा के संशोधन सम्बन्धी बानून नहीं बना सकती या पूरे अधिकार आशिक रूप म इसके प्रयोग या प्रभाव स वित नहीं दर सकती। समुक्त समिति अनुच्छेद 24 के परिच्छेद (1) या अनुच्छेद 29 के अनुसार कानून बनान जी प्रधिकारी नही होगी।

अनुच्छेद 11५ एक-प्रतिरक्षा की प्रबंधि म सघ शासन के असाधारण अधिकार

(1) जब नर प्रतिरक्षा की मिथिली नीतून रखी है सघ-मरकार निम्नांकित विषयों पर उस सीमा तक बाहुन बना सकती है जिस सीमा तक वे आवश्यक हैं —

(i) समस्त सधीय प्रकार सधीय सीमा रक्षक दल का सुनुन कर सकती है।

(ii) किसी सधीय प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं वरन् उन्हें (राज्य) मरकारों को भी यहि प्रावश्यक समझता उन्हें प्रविकारियों की भी किंतु द सड़ना तथा प्रविकार इष्ट द्वारा नियम उन्हें मरकार के सन्दर्भों वा प्रत्यक्ष कर सकती है।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छ (1) के अनुसार उगाय गय कर्त्ता के बारे में वर्तमान वर्तमान तथा मधुक समिति को नकार भूतना वा जायगा।

अनुच्छेद 11५ जी-प्रतिरक्षा की स्थिति का प्रबंधि म सधीय सवधानिक यायात्रय का पद तथा काय

सधीय सवधानिक यायात्रय तथा उसके यायात्रीओं के सवधानिक काय तथा सवधानिक पद का परि राग (impair) नहीं किया जाना चाहिए। सधीय सवधानिक यायात्रय म सम्बंधित कानून को समुक्त समिति द्वारा मणाधित नहीं किया जा सकता है तकिन यहि स्वयं सधीय सवधानिक यायात्रय का मत है कि यायात्रय की काय-क्षमता वा बनाय रखने के लिए एसा सजोधन आवश्यक है तो एसा किया जा सकता है। जब तरह ऐसा बाहुन नहीं बनता सधीय सवधानिक यायात्रय एसे कर्त्तम द्वारा यक्ता है जो उसके कार्यों वो जारी रखने के लिए अनिवार्य है। उस अनुच्छेद के द्वितीय व त्रितीय वाक्यों के असंगत सधीय सवधानिक यायात्रय द्वारा लिप जान वान निशायो के लिए उपस्थित यायाधीशों का ना निहार बहुमत याक्षयक होगा।

अनुच्छेद 11६ एच-प्रतिरक्षा की स्थिति की प्रबंधि म पदों की प्रबंधि तथा विधायिका का कायकान

(1) यहि द्वु-द्वारा या विभी उन्हें की विधान सभा (Dieties) का कायकान उस समय समाप्त होने का है जब प्रतिरक्षा की मिथिली दत्तमान है तो उनका कायकान प्रतिरक्षा की मिथिली समाप्त होने के 6 माह बाद समाप्त होगा। जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति दत्तमान है और द्वारा दोनों राष्ट्रपति वा पद समाप्त होने से तथा यहि राष्ट्रपति वा पद अन्यथा म रित्त हो गया है तो और उसका यान वर्तमान के अध्यन न सम्भव है तो प्रतिरक्षा की मिथिली समाप्त होने ५ ९ माह बाद उसका कायकान समाप्त होगा। यो प्रतिरक्षा की मिथिली सधीय सवधानिक व एवं यायाधीश का कायकान म सधीय समाप्त होने का है जब प्रतिरक्षा की मिथिली विद्यमान है तो प्रतिरक्षा की मिथिली वी समाप्ति व ६ माह बाद सक्ता कायकान समाप्त जागा।

(2) यहि समृद्धि समिति व सामन एवं नय मध्यां चामत्रर का चुनन की

ग्रावश्यकता उत्पन्न होनी है तो समिति अपन संस्था के बहुमत से चुनाव करणी सधीय राज्यपति संयुक्त समिति के सम्मुख उच्चाधार का नाम प्रभावित करता । संयुक्त समिति सधीय चान्सलर के विरुद्ध अविश्वाम का प्रस्ताव तभा कर सकती है जब वह अपन संस्था के निर्गत बहुमत में उपका उत्तराधिकारा चुन न ।

- (3) जब तक प्रनिरक्षा की स्थिति विद्यमान है तुलसीदार को भग नहा किया जाया ।

#### प्रत्यक्ष 113 आई-लेण्ड सरकारों के असाधारण अधिकार

- (1) यदि सधीय-सरकार व अधिकृत अग खतर को दूर करने के लिए ग्रावश्यक कर्म उठाने में असमय है तथा यदि स्थिति ग्रत्यावध्यक त्वं स माग करती है कि सधीय प्रत्येक के अनुग हिस्सों में उच्चाध स्वन्त्र अप में कर्म उठाय जाने चाहिए तो ऐसी स्थिति में उच्च-सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारिया या अधिकारियों का अधिकार दिया जायगा कि अपने अपन अधिकृत सेवा में अनुच्छेद 115 एफ के परिच्छद् (1) के अनुसार व कर्म उठायें ।
- (2) इस अनुच्छेद के परिच्छद् (1) के अनुसार उठाया गया कोई भा कर्म सधीय सरकार द्वारा तथा यदि मामला उच्च-अधिकारिया या सहायक सधीय अधिकारियों से मन्वद्व है तो लण के मुख्य मनिया तरा निरसन किया जा सकता ह ।

#### प्रत्यक्ष 115 जे-कानूनों असाधारण कानूनों तथा अध्यादेशों की वधना की थ एवं तथा अवधि

- (1) अनुच्छेद 115 ना 115 इ तथा 115 जी के अनुसार निमित कानून तथा साय हो साय एमे कानून के अत्यत जारी किय गय अव्यादेश जो कानूनो शक्ति म युक्त है अपन नागू रहन का अवधि म उन सब कानूनों या अव्यादेश का निलम्बित कर देंग जो उनक विपरान है । यह बान उन कानूनो पर नागू नहा होगो जो अनुच्छेद 115 मी 115 ई 115 जी के अन्तर अधिकारियों के जारी हैं
- (2) संयुक्त समिति जारा न्वीदृत कानून तथा एस कानून के अन्तर जारा किय गय अव्यादेश जो कानूनी शक्ति म युक्त होंग प्रतिर ग दी स्थिति दी ममाप्ति के 6 माह बाट प्रभावहान हो जायेंग ।
- (3)<sup>1</sup> अनुच्छेद 91-ए 91-जी 104-ए 106 तथा 107 के विपरीत यस्त्यामा बाट कानून प्रतिर ग दी स्थिति -1 ममाप्ति के बाट दूसर वितोय दप का

1 12 मई 1969 क सधीय कानून (क डाल ता पट 1 प 359) द्वारा बदोदित था ।

समाजिक के बारे नामूरही होगे। एमी समाजिक के बारे तुम्हेसराज की मह मति जे एक संघीय कानून द्वारा — सम्मोहित किया जा सकता है ताकि खण्ड आठ (VIII) ए तथा दसव (λ) न म दी गए व्यवस्था का पुन प्राप्त किया जा सके।

**अनुच्छेद 115 का—असाधारण कानून का निरन्तरकरण प्रतिरक्षा की समाप्ति शाति-स्थापना**

- (1) बुद्धिमत्ताग तुम्हेसराज की स्मारकीय किमा भी यमय मयूरन समिति द्वारा निर्मित कानूनों का रख कर सकती है। तुम्हेसराज बुद्धिमत्ताग से एम किमी भी मामन म निराय नन का आवदन कर सकती है। यदि तुम्हेसराज तथा तुम्हेसराज एसा निश्चय करन ह तो मयूरन समाजिन नया मध भरकार नारा खतर को दूर करन के लिए उठाय गय कि हाँ भी कामा का रख किया जा सकता है।
- (2) तुम्हेसराज तुम्हेसराज का मन्मति स अपन निश्चय नाग किमी भी समय प्रतिरक्षा की समाप्ति भी घोषणा कर सकता है। यह घोषणा राज्यपति द्वारा जारी भी जानी जानिए। तुम्हेसराज बुद्धिमत्ताग से एम किसी भी मामन म निराय करन का आवदन कर सकती है। जब प्रतिरक्षा की स्मिति के लिए आवश्यक कारण ममाल हो जात हैं तो प्रतिरक्षा की स्मिति ताकान समाप्त कर नेनी चाहिए।
- (3) शाति स्थापना का काय संघीय कानून का विषय नाग।

## XI भारतवा सक्रमणकानोन तथा समापन -प्रवस्थाएः

**अनुच्छेद 116 जमन चक्रिक वा परिभाषा नागरिकता पुन प्रदान करना**

- (1) यदि कानून नारा य यथा यवस्था न है तो ज्म विक्र ना के गयों म जमन का प्रवित है जिसे जमन नागरिकता प्राप्त है या जिम 31 अगस्त 1937 से पूर्व एव भरणार्दी व्यवित या जमन जानि (Stock) के निष्पामित प्रवित की पत्ता या पति या एम व्यवित व वगजे के लिए म जमन राई (Reich) का सीमाया म प्रवक्ष को अनुमति दी गयी थी।
- (2) भूतपूर्व जमन नागरिक ति ह 30 जनवरी 1933 तथा 8 म 1945 क मध्य राजनीतिक प्रजातीय (racial) या ग्रामिक कारणो म नागरिकता स वचित किया गया उनके वगजो के आवदन प्रब्लुन करन कर पुन जमन नागरिकता प्राप्त हो जायगा। यदि ति ति 8 म 1945 क बारे जमनी म अपना न्यायी निवास थान (domicile) बना लिया है और उनक विवरण राता प्रकर नहीं किया है तो यह माना जायगा ति ति ह जमन नागरिकता म वचित न। इसी गया है।

**अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 3 तथा 11 के लिए व्यवस्थाओं का विवरण**

- (1) अनुच्छेद 3 के परिचय (2) के विवरोत बना कानून उस समय तक जारी रहगा जब तक इस विधिक लाई की व्यवस्था का अनुरूप उस नहीं ढाना जाता लिए 31 मार्च 1953 के ग्राम वह कानून नहीं बना रहा सकेगा।
- (2) व कानून जो निवास स्थानों की वतमान कमी के कारण विचार की म्वतता के अधिकार को सीमित करते हैं उस समय तक लागू रहगा जब तक सधीय वानन द्वारा उह रद्द नहीं किया जाता।

**अनुच्छेद 118 बादेन यूरोपीय बादेन तथा यूरोपीय बादेन के लिए लेण्डर (राज्यों) का पुनर्गठन**

अनुच्छेद 29 की व्यवस्थाओं के बावजूद सम्बद्ध लेण्डर (राज्यों) के मध्य समझौतों द्वारा बादेन यूरोपीय बादेन तथा यूरोपीय बादेन के लिए लेण्डर (राज्यों) के भू प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकता। यह कोई समझौता नहीं है तो सधीय कानून द्वारा पुनर्गठन किया जायगा जिसके लिए लोकभव संग्रह (referendum) की व्यवस्था हानी चाहिए।<sup>1</sup>

**अनुच्छेद 119 शरणार्थी व निष्कासित व्यक्ति**

जब तक सधीय कानून नहा बन जाता शरणार्थी व निष्कासित व्यक्तियों से सम्बंधित मामलों में विशेषज्ञ लेण्डर (राज्यों) में उनकी जनस्थिति के विभाजन सम्बंधी मामलों में सधीय सरकार द्वारा स्टाटमेंट की सम्मति से नियम जारा कर सकती है जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे। इस विषय में सधीय सरकार विशेषज्ञ मामला में प्रस्तुत अलग निर्णय नहीं की अधिकारा होगी। देर होने से उत्पन्न खतरे की स्थिति के अलावा एमें निर्णय लेण्डर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के नाम प्रदित किये जायेंगे।

**अनुच्छेद 120<sup>2</sup> युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का व्यवस्था भारत**

- (1)<sup>3</sup> सधीय कानून द्वारा दी गई विस्तृत व्यवस्था के अनुसार सधीय शासन युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का तथा प्रायः ग्रान्टरिक तथा बाह्य भारत का खच उठायगा। 1 अक्टूबर 1969 तक या उसमें पूर्व सधीय कानून द्वारा दी गई व्यवस्था का अनुसार सधीय शासन तथा नेप्पर ग्राप्पस में मिशनर इस व्यष्टि तथा भारत का खच का बहन करेगा। ऐसे भारत तथा व्यष्टि का जिनक बार में न

1 देखिए अनुच्छेद 23 की पा। टिप्पणी

2 30 जुलाई 1965 के सधीय कानून (फड़रल ना गवर्नर] पृष्ठ 649) तथा

28 जुलाई 1969 के सधीय कानून (फड़रल ना गवर्नर] पृष्ठ 985) जारी संशोधित है।

3 28 जुलाई 1969 के सधीय कानून (फड़रल ना गवर्नर] पृष्ठ 985) जारी संशोधित है।

तो सधीय कानून म यवस्था का गई है और न यवस्था की जायेगी । अक्टूबर 1965 तक या उम्म पूर्व नेश्नर कम्यूनों या कम्यूनों के सघ या आय इकाया ने जो नगैर या कम्यूनों के काय का निप्पादन करनी है वहन किया गया है तो सध शासन पर उस तारीय के बाद भी ऐसे यव भार उठाने का दायित्व नहीं हांगा । सध शासन सामाजिक सुरक्षा बीमा स्थाप्त्रो इनम वराजगारी बीमा तथा वरोजगारो को सावननिक सहायता भी शामिल है के लिए आयिक महायता देगा । इस परिच्छेद म की गई यवस्था के अनुसार युद्ध के परिणामस्वरूप उपर भार तथा अय यव का सध शासन तथा नगैर क बीच वितरण स युद्ध के मुश्वावज के दावा सम्बद्धी विधायी प्रव था पर प्रभाव नहीं पड़गा ।

- (2) इस अनु-उद्ध म उद्दिनित खन की जिम्मेदारी उठाने पर सध शासन वा उसके अनुस्वर राजस्व उसी समय प्रदान किया जायेगा ।

#### अनु-उद्ध 120-ए<sup>1</sup> भार के समकरण सम्ब वी कानून को कार्यान्वित करना

- (1) बुनेसराट की सहमति म भार के समकरण सम्बद्धी कानून के भागतगत सम्बद्ध कानूनों द्वारा यह यवस्था का जा सकती है कि नाम वे समकरण के सम्ब व म उन कानूनों का कार्यान्वयन आशिक रूप म सध शासन तथा आशिक रूप म लेण्डर जो सध शासन के एजेंट के रूप म काय करग द्वारा किया जायेगा तथा अनु-उद्ध 81 के अनुगत सम्बद्ध गवित्या सध शासन तथा स रभ मर्वो-च सधीय समकरण कायालय (Federal Equalization Office) को प्रत्त का जायगी । इन अधिकारो का प्रयोग वरत नमय सदाय समकरण कार्यान्वय का बुनेसराट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अत्यावश्यक मामलो को छोड़कर मर्वो-च नण्ड अधिकारिया (नण्ड समकरण कार्यालय) को इस सम्ब व म निर्देश दिये जायगे ।

- (2) अनु-उद्ध 87 क परिच्छेद (3) को पवस्थाया पर इसका प्रभाव नहीं पड़गा ।

#### अनु-उद्ध 121-बहुमत की परिभाषा

इस वसिक ना क श्रोतों क अनुसार बुनेसराट के सम्बयो का बहुमत तथा सधीय सम्मत (Punde ver ammlung) का बहुमत अपने कानूनो जारा निश्चिन स्थ्या का बहुमत हांगा ।

#### अनु-उद्ध 122 यव तक वतमान विधायी क्षमताए

- (1) बदमटाग की प्रभम बठर की तारीख म कानून का निमान निक इस वसिक ना म भायता प्राप्त विधायी अगो जारा ही हांगा ।

<sup>1</sup> 14 अप्रैल 1952 क संघीय वान (फ्रैंस लॉ गांट I १ 445), जारा जाहा गया ।

- (2) विधायिका सम्प्रयाए तथा व मस्त्याए जो मनाहार के स्वरूप में भाग लेनी हैं और जिनकी कायमना इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) द्वारा समाप्त होती है व उस तिथि से भग बो जाना है।

**अनुच्छेद 123—प्राचीन कानूनों व सधिया की वधता का जारा रहना**

- (1) बुद्धमताग का प्रथम बठक म पूर्व जो कानून लागू था व उस मामा तक लागू रहेंग तिस सोमा तक व ऐस वर्षिक ला क विपरीत नहा है।
- (2) सम्बद्ध पर्याक भभी अधिकारा व ग्रामतिया का ध्यान म रखन हुआ जमन राइश (Reich) नारा उन मामना म जो सधिया की गई हैं जो अन वर्षिक ला क अन्तर्गत उच्च कानूनों के क्षमायार म हैं व सधियों कानून क मामाय निष्ठाता के अनुसार उस मध्य तक वध रहगी जब तक अन वर्षिक ता के अन्तर्गत मध्यम एजिसिया नारा न सधिया नहीं की जाना या जब तक व अपना व्यवस्थाप्रयो के अनुसार या ग्राम तरीका म ममाप्त नहा हा जाना।

**अनुच्छेद 124 प्राचीन कानून जो अनम्य विधाया कानून क मामलों को प्रभावित करते हैं**

मिफ मध जामन की विधायी शक्ति से सम्बद्ध विधाया का कानून जहा कहा भा लागू हो<sup>1</sup> सधीय कानून होगा।

**अनुच्छेद 125 प्राचीन कानून जो समवर्ती कानून क मामलों को प्रभावित करते हैं**

सब जासन की समवर्ती कानूनी शक्ति का प्रभावित करन वाला कानून डहा कही भा लागू हा सधीय कानून होगा —

- (i) जहा तक वह एक स अधिक आविष्ट भता (Zone of Occupation) म समान अप म लागू होता है।
- (ii) 8 मं 1945 क बाद जहा तक उस कानून म भूतपूर्व राजा क द्वारा सज्जावन सिया गया है।

**अनुच्छेद 126 प्राचीन कानूनों की सतत वधता क सम्बद्ध म विवाद**

सधीय मवधानिक यायारय द्वारा सधीय कानून क स्वरूप म एक कानून न जारा रहन क बार म विवाद का स्थिति म निश्चय दिया जायगा।

**अनुच्छेद 127 द्वि-भाराय आर्यिक प्रशासन क कानून**

अन वर्षिक ला का धायगा का एक वय की अवधि म सधीय मरकार राज्य नेत्यर (राज्यों) की मरकारा का नहमनि म बादन प्रटर वर्तिन राजनव्यवस्थानि

1 —दाराय—तर्फ या दो या (zonal) कानून

तथा यूरोपियन-हाउन्टसाइन के रण्डर (राया) में द्विसेशीय आधिक प्रशासन के कानून जिस सीमा तक वे अनुच्छेद 124 या 125 के अंतर्गत संघीय कानून के रूप में जारी रहते हैं तागू कर सकती है।

### अनुच्छेद 128 प्रधिकार का जारी रहना

अनुच्छेद 84 के परिचय (5) के अध्य व कानून जो कानून तागू रहते हैं तथा निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करते हैं वे अधिकार उम समय तक बने रहें। जब तक कानून तारा अप्प वक्ष्या नहा की जानी।

### अनुच्छेद 129 प्राधिकारण की दण्डना का जारी रहना

- (1) जिस सीमा तक कानूनी वक्ष्या या कानून के रूप में तागू रहती है प्रत्यगत कानूनी अक्ति संयुक्त अध्यात्म जारी करने या सामाय प्रशासनिक नियम जारी करने या प्रशासनिक कार्यों का निष्पालन करने के प्राधिकार का प्रश्न है एमा प्राधिकार सम्बद्ध मामला में मन्त्रम एजेंसियों के हाथों में दिया जायगा। में को स्थिति में संघीय सरकार बुर्मराट की गर्मनी में मामले पर नियाय करती एम नियाय प्रकाशित किये जाने चाहिए।
- (2) जिस सीमा तक रण्ड कानून के रूप में तागू कानूनी प्रावधान के अंतर्गत एम प्राधिकार का वक्ष्या उनका कायाक्षयन रण्ड-कानून के अंतर्गत या उम अधिकारिया तारा दिया जायगा।
- (3) एम अनुच्छेद के परिचय (1) तथा (2) के अंतर्गत जिस सीमा तक कानूनी प्रावधान संशोधन या परिवर्तन या कानून के स्थानापन कानूनी प्रावधान जारी करने का प्राधिकार प्रदान करती है उसी सीमा तक एसे प्राधिकार समाप्त होग।
- (4) एम अनुच्छेद के परिचय (1) तथा (2) की वक्ष्याएँ उन मामलों में यथा चित् परिवर्तन सहित तागू होगी जहा कानूनी व्यवस्था उन नियमों या उन मस्ताना की प्राप्ति करती है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

### अनुच्छेद 130-सावधानिक कानून के अंतर्गत नियम

- (1) प्रशासनिक प्रवित्रण (agencies) तथा अप्प मन्त्रालय जो सरकारी प्रशासन या पाय प्रशासन की सेवा करती है प्रौद्योगिकी लण्ड कानून या नण्डर (राया) के बाव संघीय पर आधारित नहा माध्यम संस्थान-परिवर्तन जमने रूप माय प्रवधार मध्य (Association of Management of South-West German Railroads) तथा स्ट्रीमीमी आधिकार्य नेत्र (Zone of Occupation) की प्रशासनिक राज मेवा तथा दूरसंचार परियद संघीय सरकार के

नियत्रण में लगा जायेगी। सधीय सचावार दुर्भागा की सहमति से उन स्थानान्तरों द्विटन या समान की घटस्था करा।

- (2) उन मायामा तथा प्राप्तिनों के अधिकारियों को अनुच्छेदन में उन दाना माँच अधिकारा उल्लेख सूधार नहीं होगा।
- ( ) सावनिक शान्ति के अन्तर्गत जो नियम तथा सम्बारे लाई गई थी वही न कार्रव के मध्य युद्धों पर आधारित है वे उपर्युक्त संबोधन साध अधिकारियों के पदवभग में रहेंगी।

### अनुच्छेद 131 सावनिक सेवायों में पहल वायात कमचारी

सधार शान्ति इरराणी तथा नियमित अन्धियों नहिं उन सामाजिक जानूना नियमित करा जा 8 मे 1945 का सावनिक सेवायों में कार्रवत य तथा सावनिक सेवाया के नियम या नामित उभयभौति के नियमों का द्वार्यकर द्वय भारणा में नीकरी द्वारा दुर्भ है तथा शब्द तक उह पुन नारा नहीं था ऐसे ही या जो एसी नीकरी कर रह है जो उड़वे शूरु एवं अनुच्छेद 8 के अनुच्छेद 8 है। यह वात मयाविन परिवर्तन महिन अन्य लागों पर जिनम इरराणीयों व नियमित अन्धियानित हैं जारी जारी 8 मे 1945 का पौन व हृष्णव य तथा त्रिहैन 1 व नियमा या मानविक सुभभौति नियमा का द्वार्यकर अन्य भारणा में एना देवन या उड़वे अनुस्त पौन नहीं निर रही । लाई शान्ति भारा जारी अपाया व्यवस्था न होन पर जब तक उपर्युक्त नाम दान्त नहीं हो जाता वार शानूना नदा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

### अनुच्छेद 132-सरकारा नीकरों के अधिकारा का अस्थाया प्रतिस रहा

- (1) बमिक जा लागू जान प्रार दुर्भभगा का अस्थाय वार द माह की अवधि म सरकारी नीकरा तथा नायारीया का जा जीवन परिवर्तन के ए नियुक्त ए हैं अवकाश प्राप्त द्विनिया का दूबी या प्रतामा मूला म रया ना मकता है या व्यन्निक नया द्वार्याधिक अनिवार्य की रक्षा होने और उड़े वर्म वनन महिन अपाय राय नेपा जा यक्ता । यह अस्थाया पयाविन परिवर्तन नियम सरकारा नीकरों नया नायारीया के अनावा वननिक सरकारी कमचारीया पर जी लागू जाना जिनका मवाए पूर्व मूकता और समाप्त नहीं की जा नहीं। यह एमा नदायों का पूर्वमूकता और नमान नियम जा न उकता है ना मानविक सुभभौति नियमा जाना नियि तन यमय न अन्धिय समय का दूर्व मूकता दक्ष उपर उन्निवित द्वय मार क भातर मूकता और रह की जा मूकती है।
- (2) उन व्यक्तिव न प्रवद्द मह वपूर्ण आरा का द्वार्यकर पिंडी अवस्था सरकारा नारी के उन नन्या पर जागू नहीं होगा जा राष्ट्रीय समाजवा

(National Socialists) सत्त्वान्तर के मुक्ति सम्बन्धीय व्यक्तिगतों से प्रभावित नहीं जा सकते एवं जो राष्ट्रात्मिक स्वरूप से प्रभावित हो तो वह इसके उल्लंघन के रूप में नायकों का गठन है।

- (3) जो लोक सत्त्वान्तर के लिए अनुचित 19 वर्ष से विश्वासी (4) के अन्तर्गत लोकों में जो नहीं है।
- (4) चिन्हित विवरण सामाजिक विभाग लोगों के प्रबन्ध से नहीं प्रभावित जायेगे। ऐसे विभाग बृहत्याकार का स्वातंत्र्य अपेक्षित है।

**अनुचित 133—द्वितीय प्राचीन प्रामाण्य अधिकारों का दत्तात्रेया (दाया किंवद्दन)**

सरपालन द्वितीय प्राचीन प्रामाण्य के अधिकार तथा अस्तित्व प्राप्ति की गयी।

**अनुचित 134 राज्य सम्बति का नियाय सम्बति दत्तना**

- (1) मिशनरी गत्यान्तर्भवि भवति वना।
- (2) जो सम्बति दून स्वरूप सुन्दर प्रामाण्यिक लोकों के रखना के लिए रखा रखा गया और इस विभिन्न तरफ सम्बति के प्रामाण्यिक लोकों में व्यापक रूप से विभाग होता तो ऐसा सम्बान्धित लोकों (प्राचीनियों) का अन्तर्भवित कर दी जाता जो अब वह काद करते हैं तथा जो अपने विभिन्न लोकों के लिए अनुचित है। अनुचित लोकों का अनुचित विभाग का सम्बन्धित लोकों के लिए अनुचित है। अनुचित लोकों का अनुचित विभाग का सम्बन्धित लोकों के लिए अनुचित है।
- (3) जो सम्भवि दून द्वारा अन्यों द्वारा कम्मेना के मध्ये लोग विभाग मुम्पावड़ के गया तो उसी गया तथा इन लोगों द्वारा सम्बति सुन्दर लोकों के अनुचित लोकों के लिए अद्वितीय नहीं है। लोगों तक सम्बन्धि दून लोग दून द्वारा अनुचित लोकों के मध्यों का सम्बन्धि विभाग जाता।
- (4) विभूति विवरण सामाजिक अनुचित लोग नियामन जाता विभिन्न लिए वृत्तेमार्ग का स्वाकृति आवायक जाता।

**अनुचित 135 प्राचीनिक परिवर्तन जो विभिन्न में सम्बति**

- (1) यदि 8 मार्च 1945 के बाद तथा अन विभिन्न राज्य जोन के पूर्व वार्ष अन्य एक भूमि के लिए विभिन्न लोगों का विभाग होता था वह वह सेवा विभिन्न भूमि के लिए उस सम्बद्धि का अधिकार मिलता।
- (2) जन उच्च नियमों तथा मस्थाप्तों का सम्बति जो अब अन्तिम संग्रहीत लोग विभाग में लोगों का सम्बन्धित मस्थता अनुचित लोकों के लिए अनुचित है।

मेरखी गई थी या आज प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रही है और मात्र प्रस्थायी रूप मेरी ही नहीं तो वह सम्पत्ति उस लण्ड या निगम अधिकार संस्था को मिलेगी जो अब उन कार्यों का सम्पादन करती है।

- (3) जिस सीमा तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत अर्थों मेरसम्पत्ति शामिल नहीं होती उस सीमा तक जिस लण्ड का अब अस्तित्व नहीं है उसकी उपकरणों सहित वास्तविक सम्पदा (Real Estate) उस लण्ड को मिलगी जिसमे वह सम्पन्न स्थित है।
- (4) यदि सध शासन के अभिभावी (over riding) क्षेत्र के विशिष्ट हित के लिए आवश्यक हैं तो सधीय कानून द्वारा इस अनुच्छेद (1) से (3) तक मेरवर्णित नियमों के विपरीत यवस्था की जा सकती है।
- (5) सम्बद्ध सरकारी कानून के अन्तर्गत 1 जनवरी 1952 से पूर्व जिस सीमा तक लण्डर या निगमों या संस्थाओं के ग्रीच समझीनों द्वारा कोई नियंत्रण नहीं हुआ है तो सम्पत्ति का उत्तराधिकार अधिकार तथा व्यवस्था सधीय कानून द्वारा नियमित होगी। इमके लिए बुदेमरट की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (6) निजी कानून के अन्तर्गत भूतपूर्व प्रशा लण्ड (राज्य) के उद्योग सम्बंधी हित सध शासन को मिलेंगे। एक सधीय कानून जो इम व्यवस्था से मिल भी हो सकता है इस सम्बंध मेरविस्तृत विवरण तथार करेगा।
- (7) इस वेसिक ना के लागू हाने पर इस अनुच्छेद (1) से (3) पर आधारित सावजनिक कानून द्वारा जिस सीमा तक सम्पत्ति एक लण्ड या निगम या संस्था को मिलने वाली थी और जिसे एक लण्ड-कानून के अन्तर्गत या आय प्रकार मेरविहृत पश्च ने देन दी है तो उसके विवरण से पूर्व उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया माना जायेगा।

अनुच्छेद 135 ए<sup>1</sup> आय वस्तुओं के साय-साय राईश तथा भूतपूर्व प्रशा लण्ड (राय) के निश्चित दायित्वों का पूरा या आशिक निर्वाह

अनुच्छेद 134 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 135 के परिच्छेद (5) द्वारा सध शासन के लिए आरक्षित कानून यह भी व्यवस्था कर सकता है जि निम्नांकित का दायित्व निर्वाह नहीं किया जायेगा या पूर्णत नहीं किया जायगा।

- (i) राईश या भूतपूर्व लण्ड (राय) प्रशा के दायित्व या ऐसे निगमों या संस्थाओं के दायित्व जो अब कानून के अनुसार वास्तव मे नहीं हैं
- (ii) सध शासन या निगमों तथा संस्थाओं वे ऐसे दायित्व जो सावजनिक कानूनों वे अन्तर्गत अनुच्छेद 89 90 134 या 135 के अनुसार

I 22 अक्टूबर 1957 के सधीय कानून (द डरल ना गवट 1 पृ 1745) द्वारा जोड़ गया।

मम्पति के अस्तानतरण में सम्बद्ध है तथा उन सम्थानों के ऐसे अधित्व जो इन्हाँ मह्या (1) में उल्लिखित कर्म उठाने से उपन होते हैं

- (iii) उन्हें या अम्यूना या कम्यूना के रूप नारा। अगस्त 1945 से पूर्व प्रामानिक ताव के अन्वयन नाजिमी तौर पर उठाय गय कदमों या रास्ता नारा दिशी आपिष्ट्य के नियमों के पातन हतु या युद्ध से उन्हें मक्कन्कान का रास्ता सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न ऐसे अधित्व।

### अनुच्छेद 136 बुन्नमराट का प्रथम अधिकार

- (1) प्रथम बार बुन्नमराट की बार उम निहाया जब बुन्नमराट की प्रथम बठक आगी।
- (2) जब तक प्रथम मधीय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता उमकी शक्तिया का प्रयोग बुन्नमराट के अध्यक्ष आग किया जायगा। उम बुन्नमराट का भग करने का अधिकार होगा।

### अनुच्छेद 137 - सरकारी कमचारियों का चुनाव में लाभ होने का अधिकार

- (1)<sup>1</sup> सरकारी नौकरा अव सवनिक भरकारी कमचारिया पश्वर सनिका अस्थायी स्वयंसदी-मनिका या यायायीश्वर के मध्य जामन या उच्चर में या कम्यूना में चुनाव नहीं हो अधिकार का कानून आग सीमित किया जाता है।
- (2) समनीय परिषद् (Parliamentary Council) आग स्वीकृत चुनाव-कानून प्रथम बुन्नमराट प्रथम मधीय सम्मन तथा पर्लियरमें ग्राफ जमनी के प्रथम संघर्ष राष्ट्रपति के चुनाव पर जागू होगा।
- (3) अनुच्छेद 42 के परिणाम (2) के अनुभार संघर्ष सवधानिक यायायान्य का काय उम समय तक अनुक आर्थिक लेव के लिए जमन उच्च यायालय आग किय जायेंगे जब तक मधीय सवधानिक यायायान्य की स्थापना नहीं हो जानी उच्च यायायान्य काय विधि के नियम के अनुभार निराय दगा।

### अनुच्छेद 138 लक्ष्य प्रभासुक

बाह्य द्वरिया ग्रूपसमग्र वार्षन तथा व्यार्टमवग हाउनलमोन म लक्ष्य प्रभासुक सम्बन्धित मोड़ना कानून म परिवन के लिए इन उच्चर (राया) की मनि आवश्यक नहीं। ऐसिए अनुच्छेद 23 की पार गिप्पणी।

### अनुच्छेद 139 मुक्ति-कानून

राष्ट्रीय समाजवाद तथा मनिकवाद म जमन जमना की मुक्ति के सम्बन्ध म निर्मित कानून इस वसिक ना की व्यवस्थाप्रा म प्रभावित नहीं जाए।

1 19 मार्च 1956 के मधीय बानून (कार्टर ना गज़ १९ ११) द्वारा साप्तित लेव

2 लिए परिविष्ट

**अनुच्छेद 140** वाईमार सविधान के अनुच्छेदों की व्यवस्था

11 अगस्त 1919 में निर्मित जमन सविधान के अनुच्छेद 136 137 138

139 तथा 141 की व्यवस्थाएँ इस वेसिक ला की अविभाग्य अग होगी।

**अनुच्छेद 141** घोमेन धारा

अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (3) का प्रथम वाक्य उस लण्ड में नागू नहीं होगा जहा 1 जनवरी 1949 में लण्ड कानून में मिन प्रकार की व्यवस्था थी।

**अनुच्छेद 142** लण्ड सविधानों में मूल अधिकार

अनुच्छेद 31 की व्यवस्थाओं के बावजूद लण्ड-सविधानों के अत्तर्गत एसो व्यवस्थाएँ लागू रहीं जा वेसिक ला के अनुच्छेद 1 से 18 के अनुरूप हैं तथा मूल अधिकारों की गारण्टी देती हैं।

**अनुच्छेद 142** ए<sup>1</sup> निरस्त किया गया

**अनुच्छेद 143** निरस्त किया गया

**अनुच्छेद 144** वेसिक ला की अधिपुष्टि-बुद्देसराट तथा यु-स्टाग में वर्चन के प्रतिनिधि

(1) इस वेसिक ला की अधिपुष्टि के लिए उन जमन लण्डर (राज्य) की प्रतिनिधि समाप्तों के दा तिहाई मत की आवश्यकता हागी जहां यह किनहान लागू होगा।

(2) जिस सीमा तक अनुच्छेद 23 के अत्तर्गत नी गई सूची में किसी भी लण्ड या उसक किसी हिस्स में इस वेसिक ला के लागू हाने पर राक है एसे लण्ड या उसक किसी हिस्स को अनुच्छेद 38 के अनुसार बु-स्टाग में तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार बु-दसराट में प्रतिनिधि भेजन का अधिकार होगा।

**अनुच्छेद 145** वेसिक ला की घोपणा

(1) सवधानिक परिपद ग्रटर वर्लिन के प्रतिनिधियों सहित सावजनिक अधिवेशन में इस वेसिक ला की अधिपुष्टि को प्रमाणित करेगी तथा हम्ना और कर्णी और उसकी घोपणा करेगी।

(2) घोपणा के निवारण से यह वेसिक ला लागू होगा।

(3) यह फडरन ना गजट म प्रकाशित होगा।

1 (अ) 26 मार्च 1954 के अधीय कानून (फडरन ला गजट 1 पृष्ठ 45) द्वारा जाहा गया तथा (ब) 24 जून 1968 के अधीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया।

2 (अ) 19 मार्च 1956 के सभाय कानून ((फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 111) द्वारा भारोडित तथा (ब) 24 जून 1968 के सभाय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया।

**प्रनुच्छेत् 146 वैसिक ला को बधना को अवधि**

यह वैसिक ला उस दिन समाप्त हो जायेगा जिस दिन समस्त जमन जनता स्वतंत्र निष्ठा द्वारा एक सविधान स्थीरत कर लेगी ।

**वैसिक ला का परिशिष्ट**

**प्रनुच्छेत् 136 (11 अगस्त 1919 का वार्मार सविधान)**

- (1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा कत्त पन ता धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित होगे न उनक पालन आग उन पर रोक नगार्ज जायेगी ।
- (2) नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता वा उपमाग तथा सरकारी पन क लिए पात्रता धार्मिक मायता मे स्वतंत्र होगी ।
- (3) दोई भी यक्ति अपनी धार्मिक मायता बनान क लिए बाह्य नही होगा । कानून द्वारा आकड़ो क सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधिकारो व कत्त या को छोड़कर सरकारी अधिकारी गण का किमा यक्ति क किमा धार्मिक सम्या की सहस्रता वे बार म जाच का अधिकार ननी होगा ।
- (4) किमी भा यक्ति को किमी धार्मिक हृत्य ने ममार्जन या समाराहा म भाग नने या धार्मिक काय म माग उन या धार्मिक शपथ लेन के लिए बाह्य नही किया जायेगा ।

**प्रनुच्छेत् 137 (11 अगस्त 1919 का वार्मार सविधान)**

- (1) कोई राजसीय चच नही जेगा ।
- (2) धार्मिक सहस्रता बनाने सम्बद्धी सध निर्माण की स्वतंत्रता की गारणी है । रार्श क प्रश्ना के अन्तर्गत धार्मिक सहस्रता वा सध बनाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा ।
- (3) सभी क लिए बध कानून की सीमाप्रा के अन्तर्गत प्रत्यक्ष धार्मिक सम्या का स्वतंत्रतापूदक नियम बनाने तथा प्रशासन का अधिकार होगा । वे राय या नागरिक समुदाय की हिम्मतारी के बिना या "दान करेंगे ।
- (4) नागरिक कानून (Civil Law) की सामाय यवस्थाओ व अनुमार धार्मिक सहस्रता कानूनी भूषण स्पष्ट बनाई ।
- (5) धार्मिक सहस्रता मावजनिक कानून के अन्तर्गत नम सीमा तक समिट सहस्राधा के रूप म रूपी द्रित भीमा नक वे शब नक ऐसे रूप म रूपी हैं । परि ग्राम धार्मिक ममाधा प्रा को सविधान तथा उसके सभ्य या प्राग्राग्न इन हैं कि वर स्थायी सहस्रता रहेगी तो उह आवेदन-पत्र प्रस्तुत करन पर वह अधिकार प्राप्त इये जायेगे । परि इर्ध धार्मिक मस्याए एक समान म एकत्रित होनी हैं तो मावजनिक कानून के अन्तर्गत एमा मस्यान भा एक समिट सम्मान होगा ।

- (6) जो धार्मिक सम्पद एवं साक्षण्यका कानून के अनुगत समिटि सम्पद हैं उन्हें लण्ड-कानून के अनुभाव नागरिक-कर सूची के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा ।
- (7) जिस मध्य का उद्दृश्य दायरिक विचारधारा वा सबद्धन करना है उसका वही पद होगा जो एक समिटि सम्पद का है ।
- (8) इन व्यवस्थाओं के कायाक्यायन के लिए आवश्यक ऐसे अन्य विधि लक्ष्य कानूनों पर अधिकृत होंगे ।

#### **मनुच्छ्रेद 138 (वाईमार सविधान)**

- (1) धार्मिक सम्पदों को कानून या सविदा (Contract) या कानूनी अधिकार पर आधारित राय का अशदान लण्ड-कानून द्वारा चुकाया जायेगा । राईश ऐसे चुकारे के लिए सिद्धान्त की स्थापना करेगा ।
- (2) उपासना शिक्षा या दान के उद्देश्य के लिए धार्मिक सम्पदों या सबों द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार तथा उनकी सम्पदाभासा प्रतिष्ठानों आदि की अत्य सम्पदा के अधिकार की गरम्पटी दी जाती है ।

#### **मनुच्छ्रेद 139 (वाईमार सविधान)**

रविवार तथा रात्र द्वारा मान्य छुट्टियाँ कानूनी रूप से आराम तथा भाग्यात्मिक उन्नति के दिन के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी ।

#### **मनुच्छ्रेद 141 (वाईमार सविधान)**

जिस सीमा तक सना अस्पतालों जेलों या आय सरकारी सम्पदों में धार्मिक उपासना तथा भाग्यात्मिक देख रेख की भावश्यकता विद्यमान है वस सीमा तक धार्मिक सम्पदों को धार्मिक वृत्त्य पूरा करने की स्वीकृति दी जायेगी । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की वाध्यता नहीं होगी ।

परिषिक्ता ॥

Reichstag Elections 1871-1912

Poles	1	2	3	4	5	6	7	8	9
गोल	176 072	13	199 273	14	219 159	14	210 062	14	
Social Democrats									
गोप्तियल डेमोक्रट	123 975	2	351 952	9	493 288	12	437 158	9	
Guelphs									
युक्त	60 858	7	92 080	4	96 335	4	102 574	10	
Danes									
हन	18 221	1	19 856	1	17 277	1	16 145	1	
Alsace-Lorraine									
प्रलाप सोरेन	234 545	15	234 545	15	199 976	15	178,883	15	
Antisemites									
वृद्धि विरोधी									
Other parties									
साय इत	66 670		36 636		14 153		14 721		

Continue 2

Reichstag Elections 1871-1912 (Contd.)

1890

1881

1884

No  
Votes

Deputies

परिषट II

305

PARTY	1881			1884			1887			1890		
	No Votes	No Deputies										
No eligible voters	9 088 792		9 383 074		9 769 802		10 145 877		10 145 877		10 145 877	
No valid votes cast	5 101 242	397	5 811 973	397	7 527 601	397	7 298 010	397	7 298 010	397	7 298 010	397
Conservatives	830 807	50	861 063	78	1 147 200	80	895 103	80	895 103	73	895 103	73
Reichspartei	379 347	28	387 687	28	736 389	41	482 314	41	482 314	20	482 314	20
National Liberals	746 575	47	997 033	51	1 677 979	99	1 177 807	99	1 177 807	42	1 177 807	42
Progressives	1 181 865	115	1 09 895	74	1 061 922	32	1 307 485	32	1 307 485	76	1 307 485	76
Center	1 182 873	100	1 282 006	99	1 516 222	98	1 342 113	98	1 342 113	106	1 342 113	106
Poles	194 894	18	206 346	16	221 825	13	246 800	13	246 800	16	246 800	16
Social Democrats	311 961	12	549 990	21	763 128	11	1 427 298	11	1 427 298	35	1 427 298	35
Guelphs	86 704	10	96 400	11	112 800	4	112 100	4	112 100	11	112 100	11
Dunes	14 398	2	14 400	1	12 360	1	13 700	1	13 700	1	13 700	1
Alsace Lorraine	152 991	15	165 600	15	233 685	15	101 156	15	101 156	10	101 156	10
Antisemites	13 010		12 700		11 496	1	47 500	1	47 500	5	47 500	5
Other parties					47 600	2	74 600	2	74 600	2	74 600	2

Continue

Reichstag Elections 1871-1912 (Contd.)

306

पश्चिमी जर्मनी को राजनीति एवं प्रशासन

PARTY	1893			1898			1903			1907			1912		
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
No eligible voters	10,628,292		11,441,094		12,531,210		13,352,990		14,441,436						
No valid votes cast	7,673,973	397	7,752,693	397	9,495,586	397	11,262,829	397	12,207,529	397					
Conservatives	1,038,353	72	859,222	56	948,448	54	1,060,209	60	1,126,270	43					
Reichspartei	438,435	28	343,642	23	333,404	21	471,863	24	367,156	14					
National Liberals	996,980	53	971,302	46	1,317,401	51	1,637,581	54	1,662,670	45					
Progressives	1,091,677	48	862,524	49	872,653	36	1,233,933	49	1,497,041	42					
Center	1,468,501	96	1,455,139	102	1,875,273	100	2,179,743	105	1,996,843	91					
Poles	229,531	19	244,128	14	347,764	16	453,858	20	441,644	18					
Social Democrats	1,786,738	44	2,107,076	56	3,010,771	81	3,259,029	43	4,250,401	110					
Guelphs	101,800	7	105,200	9	94,252	6	78,232	1	84,618	5					
Danes	14,400	1	15,400	1	14,843	1	15,425	1	17,289	1					
Alsace Lorraine	114,700	8	107,400	10	101,921	9	103,626	7	162,007	9					
Antisemites	263,801	16	284,250	13	244,543	11	248,534	16	104,538	3					
Other parties	129,000	5	397,500	18	267,142	11	319,574	14	497,252	16					

100

- The number of valid votes cast for the Reichstag election was 11,111,111. The number of seats allotted for the Reichstag election was 576. Under the system of proportional representation, the seats were distributed among the various parties as follows:

Party	Number of Seats
Social Democratic Party	100
Conservative Party	89
Center Party	88
National Liberal Party	87
Christian Social Union	86
Other parties	104
Total	576

### परिणाम-III

#### Reichstag Elections 1919-1933

PARTY हलों के नाम	राष्ट्रीय सभियात समा जनवरी 1919			जून 6 1920			मई 4 1924		
	Total Votes	No Dep- uties	Total Votes	No Dep- uties	Total Votes	No Dep- uties	Ful. वोट	प्रतिशत	प्रतिशत
No eligible voters कुल मत	36 766 500	423	35 949 800	459	38 375 000	472			
No valid votes cast	30 400,300	827	28 196 300	784	29,281 800	7630			
कुल मत पह									
Majority Socialists मेजोरिटी सोशलिट्स	11 509 100	379	165	6 104 400	216	102	6 008 900	205	100
Independent Socialists इंडिपेंडेंट सोशलिट्स	2 317 300	76	22	5 046 800	179	84	3 693 300	126	62
Communist party साम्प्रदादी धर्म	5 980 200	197	91	3 845 000	136	64	3 914 400	134	65
Bavarian People's Party बवारिया जनता पार्टी	1 238 600	44	21	946 700	32	16			
Democrats हेमोकॉट	5 641 800	186	75	2 333,700	83	39	1,655 100	57	28
People's party जनता पार्टी	1,345,600	44	19	3,919,400	139	65	2 694 400	92	45
Wirtschaftspartei आर्थिक पार्टी	275 100	9	4	218 600	8	4	693 600	24	10

Conld

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nationalists राष्ट्रवादी	3 121 500	10 3	44	4 249 100	14 9	71	5 696 500	19 5	95	
Christlich soz Volksdienst क्रिस्ती सेवा समूह							574 900	1 9	10	
Land bund राजस्थान										
Christlich natl Bauern u Landvoll ईस्टर्न राष्ट्रजनी										
क्रिस्ती समूह										
Deutsch Haanov Partei जर्मन हानोव पार्टी	77 200	0 2	1	319 100	0 9	5	319 800	1 0	5	
Deutsche Bauernpartei जर्मन बृत्यक दल										
National Socialists नाश्वरी Other parties अन्य दल	132 500	0 4	2	332 100	1 6		1 918 300	6 5	32	
							1 165 900	4 0	4	Contd.

PARTY	December 7 1974			May 70 1928			September 14 1930		
	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies	No deputies
No eligible voters	38 987 300	493	41 224 700	491	42 957 700	577			
No valid votes cast	30 290 100	77 69	30 753 300	74 60	34 970 900	81 41			
Majority Socialists	7 881 000	26 0	131	9 153 000	29 8	153	8 517 700	24 5	143
Independent Socialists									
Communist party	2 709 100	9 0	45	3 264 800	10 6	54	4 592 100	13 1	77
Center	1 118 900	13 6	69	3 712 200	12 1	62	4 127 900	11 8	68
Bavarian People's Party	1 134 000	3 7	19	945 600	3 0	16	1 059 100	3 0	19
Democrats	1,919 800	6 3	32	1 505 700	4 9	25	1 322 400	3 8	20
People's Party	3 049 100	10 1	51	2 679 700	8 7	45	1 578 200	4 5	30
Wirtschaftspartei	1 005 400	3 3	17	1 397 100	4 5	23	1 362 400	3 9	23
Nationalists	6 205 800	20 5	103	4,381 600	14 2	73	7,458,300	7 0	41
Christlich soz Volksdienst									
Landbund	499 400	1 6	8	199 500	0 6	3	868 200	2 5	14
Christlich Bauern									
u Landvolk									
Deutsch Hannov Partei	262 700	0 8	4	195 600	0 5	3	144,300	0 4	3
Deutsche Bauern Partei									
National Socialists	907 300	3 0	14	810 100	2 6	12	6 409 600	1 0	6
Other parties	597 600	2 0		1 445 300	4 8	4	1 073 500	3 1	107
									4

Contd

PARTY	July 31 1932			November 1 1932			No deputies
	Total Vote	No deputies	Total Votes	Total Votes	No deputies		
No eligible voters	44 226 500	(0)	41 373 700	79 93	584		
No valid votes cast	36 897 400	83 39					
Majority Socialists	7 559 700	21 6	13	7 248 000	70 4	171	
Independent Socialists	5 97 600	14 1	89	5 9 0 700	16 9	100	
Communist Party	4 589 300	12 5	75	1 230 000	11 9	70	
Center	1 192 700	3 2	22	1 094 600	1 1	70	
Bavarian People's Party	371 900	1 0	4	336 500	1 0	2	
Democrats	136 000	1 2	7	661 600	1 2	11	
People's Party	146 900	0 4	2	110 100	0 3	1	
Wirtschaftspartei	2 177 400	5 9	17	2 352 000	6 8	62	
Nationalists	405 300	1 1	1	412 500	1 2		
Christlich soz. Volk dient	96 900	0 2	1	105 700	0 3	2	
Faill und	90 600	0 2	1	46 400	0 1		
Christlich mitl. Bauern u. Indust.	16 700	0 1		64 000	0 2	1	
Deutsch Waffen Partei	137 100	0 3	2	149 000	0 1		
Deutsche Bauern Partei	1 371 500	37 4	230	1 1 717 000	31 1	196	
National Socialists	142 500	0 9	1	743 00	2 2		
Other parties							L 114

PARTY	March 5, 1933		November 12, 1933	
	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies
No eligible voters	44,685,800	8804	647	45 141,900
No valid votes cast	7 181 600	183	120	952
Majority Socialists				661
Independent Socialists	4 848 100	123	81	
Communist party	4 424 900	117	74	
Center	1 073 600	27	18	
Bavarian People's party	334,200	8	5	
Democrats	432,300	11	2	
People's party				
Wirtschaftsparty	3 136 800	80	52	
Nationalists	384 000	10	4	
Christlich soz Volksdienst	83 800	2	1	
Landbund				
Christlich rath Bauern u Landfolk	47 700	01		
Deutsch Hannov Partei	114 000	03	2	
Deutsche Bauernpartei	17 277 200	439	288	
National Socialists	136 646	03	39 638 800	922
Other parties				661
No invalid votes	3 349 363			

## सदर्भ ग्रथ-सूची

- Adnauer Konrad World Indivisible (New York 1955)
- Alexander Edgar Adenauer and New Germany (New York 1957)
- Almond Gabriel A (ed) The Struggle for Democracy in Germany Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1949
- Alleman F R Bonn ist nicht Weimar (Koeln 1956)
- Andrews William G (ed) European Political Institutions (New York 1966)
- Asopa D N Political System of West Germany (Meerut 1973)
- Bentano Heinrich von Germany and Europe Reflections on German Foreign Policy Trans by Andre Deutsch New York Praeger (1964)
- Butler Ewan City Divided Berlin—1955 New York Praeger 1955
- Brandt Willy A Peace Policy for Europe (London 1969)
- Brandt Willy Peace (Bonn Badgodesberg 1971)
- Chalmers Douglas A The Social Democratic Party of Germany (New Haven Yale Univ Press 1964)
- Chamberlin William Henry The German Phoenix (New York Duell Sloan and Pearce 1963)
- Clay Lucius D Decision in Germany (Carden City Doubleday 1950)
- Clay Lucius D Germany and the Fight for Freedom (Cambridge Harvard Univ Press 1950)
- Conant James Bryant Germany and Freedom A Personal Appraisal (Cambridge Harvard Univ Press 1958)
- Connor Sidney and Carl J Friedrich (eds) Military Government January 1950 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Deals chiefly with Germany
- Davison W Phillips The Berlin Blockade : A Study in Cold War Politics (Princeton Princeton Univ Press 1958)

- Deutsch Karl W and Lewis J Edinger Germany rejoins the Powers (Stanford Stanford Univ Press 1959 )
- Documents on the Status of Berlin 1943-1963 Ed by Guenther Hindrichs and Wolfgang Heidemeyer (Munich Oldenbourg 1964 )
- Dornberg John The Other Germany (Garden City N Y Doubleday 1968) -
- Dulles Eleanor Lansing Berlin The Wall Is Not Forever (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1967 )
- Edinger Lewis J Politics in Germany Attitudes and Processes (Boston Little Brown 1968 )
- Federal Republic of Germany The German Bundesrat By Albert Pfister Bonn Press and Information Office 1966
- Feld Werner Reunification and West German Soviet Relations (The Hague Nijhoff 1943 )
- Frederiksen Oliver J The American Military Occupation of Germany 1945-1953 (Washington Historical Division of the Army 1953)
- Freund Gerald Germany Between Two Worlds (New York Harcourt Brace 1961 )
- Freymond Jacques The Saar Conflict 1945-1955 (New York Praeger 1960 )
- Friedrich Carl J The Soviet Zone of Germany (New Haven Human Relations Area Files Inc 1956 )
- Friedrich Carl J et al American Experiences in Military Government in World War II (New York Rinehart 1948 Chapters 9-13 )
- Gillen J F J State and Local Government in West Germany 1945-1953 With Special Reference to the U S Zone and Bremen (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953 )
- Golay John Ford The founding of the Federal Republic of Germany (Chicago Univ of Chicago Press 1958 )
- Great Britain Central Office of Information The Reunification of Germany : Attempts to Reach a Settlement 1945-1960 (London Swindon Press 1960 )
- Grosser Alfred The Colossus Again Western Germany from Defeat to Rearmament Trans by Richard Rees (New York Praeger 1955 )

- Grosser Alfred The Federal Republic of Germany A Concise History Trans by Nelson Aldrich (New York Praeger 1964 )
- Grotkopp Wilhelm et al (eds) Germany 1945/1954 (Schaan Liechtenstein Boa International Publishing Co (1954) ) Handbook of Statistics for the Federal Republic of Germany (Wiesbaden Fed Statistical Office 1957 )
- Germany Reports Ed by Helmut Arntz (Wiesbaden Franz Steiner Verlag 4th ed 1966)
- Hansen Welles The Muted Revolution East Germany Challenge to Russia and the West (New York Knopf 1966 )
- Hanteler Wolfram F West German Foreign Policy 1949-1963 International Pressure and Domestic Response (Stanford Stanford Univ Pres 1967 )
- Hanhardt Arthur M Jr German Democratic Republic (Baltimore Johns Hopkins Press 1968 )
- Hartmann Frederick H Germany Between East and West The Reunification Problem (Englewood Cliff Prentice Hall 1965 )
- Heidenheimer Arnold J Adenauer and the CDU (The Hague Nijhoff 1960 )
- Heidenheimer Arnold J The Government of Germany (New York Crowell 2nd ed 1966 )
- Herz John H The Government of Germany (New York Harcourt Brace and World 1967 )
- Hiscocks Richard Democracy in Western Germany (New York Oxford Uni Press 1957 )
- Howley Frank L Berlin Command (New York Putnam 1950 )
- Huhns & Walter (ed) The German Question (A Documentary) Trans by Salvator Attanasio (New York Herder Book Center 1967 )
- Keller John W Germany the Wall and Berlin International Politics During An International Crisis (New York Vantage 1964 )
- King Hall Stephen and Richard K Ullmann German Parliaments A Study of the Development of Representative Institutions in Germany (New York : Praeger 1954 )

- Kitzinger Uwe W German Electoral Politics—A Study of the 1957 Campaign (Oxford Clarendon Press 1960 )
- Lane John C and James K Pollock Source Materials on the Government and Politics of Germany (Ann Arbor : Wahrs Pub Co 1964 )
- Leiser Walter India and the Germans 500 Years of Indo-German Contact (Bombay (1971))
- Legien Rudolf Roman The Four Power Agreements on Berlin Alternative Solutions to the Status Quo ? Trans by Trevor Davies (Berlin : Carl Heymanns (1960))
- Lewis Harold O New Constitutions in Occupied Germany (Washington Foundation for Foreign Affairs Pamphlet No 6 1948 )
- Litchfield Edward H and Associates Governing Postwar Germany (Ithaca : Cornell Univ Press 1953 )
- McClellan Grant S (ed) The Two Germanies (London : Wilson 1959 )
- McInnis Edgar et al The Shaping of Postwar Germany (New York : Praeger 1960 )
- McWhinney Edward Constitutionalism in Germany and the Federal Constitutional Court (Leyden : Sythoff 1962 )
- Merkatz Hans Joachim von and Wolfgang Metzner Germany Today Facts and Figures (Frankfurt (Main) : Alfred Metzner Verlag 1954 )
- Merkel Peter H Germany Yesterday and Tomorrow (New York : Oxford Univ Press 1965 )
- Merkel Peter H The Origin of the West German Republic (New York : Oxford Univ Press 1963 )
- Meyer Ernest Wilhelm Political Parties in Western Germany (Washington : European Affairs Division Library of Congress 1951 )
- Montgomery John D Forced to be Free The Artificial Revolution in Germany and Japan (Chicago : Univ of Chicago Press 1957 )
- Morgenthau Hans J (ed) Germany and the Future of Europe (Chicago : Univ of Chicago Press 1951 )
- Nettl J P The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany 1945-1950 (New York : Oxford Univ Press 1951 )

- Neumann Franz L German Democracy 1950 (New York : Carnegie Endowment International Conciliation No. 461 May 1950 )
- Neumann Robert G The Government of the German Federal Republic (New York Harper and Row 1966 )
- Noelle Elisabeth and Erich Peter Neumann (eds) The Germans Public Opinion Polls 1947-1966 Allensbach and Bonn Verlag fur Demoskopie 1967 )
- Office of Military Government (U.S.) Documents on the Creation of the German Federal Constitution (Berlin OMGUS 1949 )
- Land and Local Government in the United States Zone in Germany (Frankfurt (Main) OMGUS 1947 )
- Statistical Handbook on Potsdam Germany (Berlin OMGUS 1947 )
- Office of the U.S. High Commissioner for Germany Elections and Political Parties in Germany 1945-1952 (Frankfurt (Main) HICOG 1952 )
- Germany's Parliament in Action (Frankfurt (Main) HICOG 1950 )
- Quarterly Report on Germany Ten Reports September 21 1949 March 31 1952 (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1949-1952 )
- Report on Germany Sept 21 1949 July 31 1952 (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952 )
- Oppen Beate Ruhm von (ed) Documents on Germany Under Occupation 1945-1954 (New York Oxford Univ Press 1955 )
- Pitney Edward L Federalism Bureaucracy and Party Politics in Western Germany The Role of the Bundesrat (Chapel Hill : Univ. of North Carolina Press 1963 )
- Planck Charles R The Changing Status of German Reunification in Western Diplomacy 1955-1966 Baltimore John Hopkins Press 1967 )
- Plischke Elmer The Allied High Commission for Germany (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953 )

- Plischke Elmer Berlin Development of Its Government and Administration (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952 )
- Plischke Elmer Allied High Commission Relations with the West German Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1952 )
- Plischke Elmer Government and Politics of Contemporary Berlin (The Hague Nijhoff 1963 )
- Plischke Elmer History of the Allied High Commission for Germany Its Establishment Structure and Procedures (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1951 )
- Plischke Elmer Konrad Adenauer Legator of the West German Governmental System pp 155-202 State-men and Statecraft of the Modern West ed by Gerald N Grob (Barre Mass Barre Pub 1967 )
- Plischke Elmer Revision of the Occupation Statute for Germany (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952 )
- Plischke Elmer The West German Federal Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952 )
- Pollock James K et al German Democracy at Work : A Selective Study Ann Arbor Univ of Michigan Press 1955 )
- Pollock James K and Homer Thomas Germany in Power and Eclipse The Background of German Development (New York Van Nostrand 1952 )
- Pollock James K Jame H Meisel and Henry L Bretton (eds) Germany Under Occupation Illustrative Materials and Documents rev ed Ann Arbor Wahr Pub Co 1949 (earlier ed 1947 )
- Postwar Reconstruction in Western Germany November 1948 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Includes articles by German writers
- Pounds Norman J G Divided Germany and Berlin (Princeton Van N strand 1962 )
- Pratt Terence C F Germany Divided The Legacy of the Nazi Era (Boston Little Brown 1960)
- Ritter Gerhard The German Problem Basic Questions of German Political Life Past and Present Trans by Sigurd Burckhardt (Columbus Ohio State Univ Pres 1965 )

- Robson Charles B (trans and ed) Berlin Pivot of German Destiny (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1960 )
- Russell Frank M The Saar Battleground and Pawn (Stanford Stanford Univ Press 1951 )
- Schmitz Wolfgang P von (trans and ed) Outlawing the Communist Party A Case History (New York The Bookmailer 1957 )
- Schroder Gerhard Decision for Europe (London Thames and Hudson 1964 )
- Smith Bruce L R The Governance of Berlin (New York Carnegie Endowment International Commission No 525 November 1959 )
- Speier Hans Divided Berlin The Anatomy of Soviet Political Blackmail (New York Praeger 1961 )
- Speier Hans and W Philip Division (eds) West German Leadership and Foreign Policy (Evanston Row Peterson 1957 )
- Stahl Walter (ed) The Politics of Postwar Germany (New York Praeger 1963 )
- Stanger Roland J (ed) West Berlin The Legal Context (Columbus Ohio State Univ Press 1966 )
- Sziz Zoltan Michael Germany's Eastern Frontiers (The Problem of the Oder Neisse Line Chicago Regnery 1960 )
- Trossmann Hans The German Bundestag : Organization and Operation (Darmstadt and Bad Homburg Neue Darmstädter Verlagsanstalt 1965 )
- United States Department of State Coercive and Control Soviet Techniques in Germany Department of State Publication 4107 Washington Government Printing Office 1951
- 
- East Germany Under Soviet Control Department of State Publication 4596 Washington Government Printing Office 1952
- 
- Germany 1947-1949 The Story in Documents Department of State Publication 3556 Washington Government Printing Office 1950

- The United States and Germany 1945-1955 Department of State Publication 5877 Washington Government Printing Office 1955
- United States Senate Documents on Germany (1944-1961 37th Cong 1st Sess 1961 )
- Tension Within the Soviet Captive Countries Soviet Zone of Germany 83rd Cong 1st Sess Sen Document No 70 Part 3 1954
- Vai: Ferenc A The Quest for a United Germany (Baltimore Johns Hopkins Press 1967 )
- Waldman Eric The Goose Step Is Verboten The German Army Today (New York Free Press 1964 )
- Wallenberg Hans Report on Democratic Institutions in Germany New York American Council on Germany 1956
- Wallich Henry C Mainsprings of the German Revival New Haven Yale Univ Press 1955
- Well Roger H The States in West German Federalism A Study of Federal-State Relations 1949-1960 (New York Bookman 1961 )
- Wolfe James H Indivisible Germany Illusion or Reality ? (The Hague Nijhoff 1963 )
- Zink Harold The United States in Germany 1944-1955 (Princeton Van Nostrand 1957 )

□□□